

बोर सेवा मन्दिर
दिल्ली



२०२१

क्रम संख्या २८३२ उपायि

कानून नं.

संवाद

जोधसिंह पुरस्कार से पुरस्तृत
प्राचीन भारतीय अभिलेख
(दो भाग)

लेखक
प्रोफेसर डा० वासुदेव उपाध्याय
(पटना विश्वविद्यालय)
मगलाप्रसाद पारितोषिक विजेता जोधसिंह पुरस्कार,
हीरालाल स्वर्णपदक एवं गुलेरीपदक प्राप्त

प्रज्ञा प्रकाशन, पटना

प्रकाशक
प्रज्ञा प्रकाशन,
राजेन्द्र नगर, पटना-१६

सर्वोच्चकार लेखक के अधीन
दितीय संस्करण
१९७०
गत्य दस रुपये

मुद्रक
बाबूलाल जैन फागुल
महाबीर प्रेस
भेलपुर, बाराणसी-१

प्रमाण-पत्र

कांगो नामकी प्रवासिणी सभा द्वारा
श्री ३०० लाख रुपयाओं का
उनकी शेष हुति

प्राचीन भारतीय अभिलेख

पर प्रदत्त
मात्र २०१५ से २०१७ तक के

जोधसिंह पुरस्कार

एवं

गुलेरी पदक

के प्रमाणस्वरूप यद्य तात्रपत्र अपित किया गया
प्रवध ममिति की स्थीरुति से

कमलापति त्रिपाठी
सभापति

शिवप्रसाद मिश्र
प्रधानमंत्री

दो शब्द

पिछले कई वर्षों से यह अनुभव कर रहा था कि प्राचीन भारतीय अभिलेखों का वैज्ञानिक रीति से अध्ययन होना चाहिए जिससे उनमें निहित ज्ञान गति का परिज्ञान इतिहास के विद्यार्थियों को ही सके। अभी तक माट्रापाठ दंग से अग्निलेन का मूल्याङ्कन नहीं किया गया है। जिस लेख या प्रास्ति का सम्बादन हो सका है उसके सीमित धोन पर ही प्रकाश पड़ा है। अतएव समस्त विद्यार्थी को व्यान में रख कर लेखक ने अभिलेखों का अध्ययन जारीन किया और प्रत्येक अग पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है।

भारतीय इतिहास में अभिलेखों का कितना महत्वपूर्ण रथान है नया कोने अभूत्य सामन है, यह विद्यानों गे छिपा नहीं है। उनके अन्यतर में कई सारकृतिक विषयों पर नवीन प्रकाश पड़ता है। प्रमुख ग्रन्थ की योजना दो भागों में पूर्ण होगी। ग्रन्थमें भागोंका नामा ऐतिहासिक प्रस्तावना निहित मृदु लेख पर हूँगे भाग में टिप्पणी तथा हिन्दी अनुवाद। ग्रन्थमें भाग के पहले खण्ड में अभिलेखों का विस्तृत अध्ययन है। यों तो प्रत्येक विषय पर एक स्त्रित ग्रन्थ तैयार हो सकता है किन्तु प्रत्येक विषय में एक विषय पर संक्षिप्त रूप से विचार किया गया है जिससे पाठ्यकागण लेखों के महत्व तथा ज्ञानराजि का मल्याकान कर सके।

भूमिका में सामाजिक तथा धार्मिक अवस्था का निरापद वर्णन है और उन प्रसंग में कुछ ऐसों बातें भी साधने आई हैं जिनका विवरण अभिलेखों के अध्ययन से ही उपस्थित किया जा सका है। धार्मिक विद्याओं का जिस रूप में विवेचन किया गया है वह अन्य ऐतिहासिक साधनों से सम्बन्ध न था। तिव्य तथा सम्बत् सम्बन्धों विचार इस ग्रन्थ की एक विशेषता है। अभिलेखों पर आधारित भारतीय भाषा एवं लिपि पर भी प्रकाश डाला गया है।

दूसरे खण्ड में मौर्य ग्रन्थ में वारही सदो तक के अभिलेख संग्रहीत हैं। ग्राय समस्त राजवंशों के प्रधान एवं प्रतिनिधि लेख चुने गए हैं। इन लेखों का ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वन किया है जिससे इतिहास के विद्यार्थी को सुविधा हो।

इस बीच वाराणसी से ऐतिहासिक तथा साहित्यिक लेखों का प्रकाशन हुआ है तथा डॉ० दिनेश चन्द्र सरकार की लेख मन्त्रन्थी दूसरी अप्रैली पुस्तक-इंडियन इपिग्राफी (Indian Epigraphy) भी प्रकाशित हुई है। परन्तु वर्तमान लेखक का क्रम अपनी विशेषता रखता है। इस पुस्तक में सारकृतिक विषयों पर अधिक जल दिया गया है। इसमें धार्मिक, सामाजिक एवं साहित्यिक परम्पराओं का विकास दिखाने का प्रयत्न किया गया है। सबसे विचित्र बात यह है कि महाभारत तथा पुराणों में उल्लिखित धार्मिक भावनाओं का मध्यवर्यी लेख प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हीं विचारों से प्रेरित होकर अभिलेखों के अध्ययन की ओर विद्यानों का व्यान आकर्षित किया गया है। इतिहास के विद्यार्थियों का इससे मार्ग प्रदर्शन होगा।

इस ग्रन्थ के प्रथम संस्करण को पाठकों ने निस प्रकार अपनाकर अपनी गुणग्राहकता का परिचय दिया है । आशा है वे इसके ढितीय संस्करण को उस प्रकार अपनायेंगे । मेरे अग्रज आचार्य पं० बलदेव उपाध्याय के आर्गार्विद तथा शुभं कामना मे इस ग्रन्थ का निर्माण हुआ है । मेरे अनुज डा० कृष्णदेव उपाध्याय ने इस ग्रन्थ के प्रूफ मशीधन मे सहायता प्रदान की है । जब वे मेरे आर्गार्विद के भावन हैं ।

पटना

वासुदेव उपाध्याय

सांकेतिक शब्दों की तालिका

आ० स० इ० ए० रि०	= आर्कलार्जिकल सर्वे आफ इण्डिया एनुवल रिपोर्ट
आ० स० रि०	= आर्कलार्जिकल सर्वे रिपोर्ट
आ० य० मे०	= आर्कलार्जिकल सर्वे नेमायर
इ० प० भा०	= इण्डियन इन्टीक्विरी भाग
इ० कर०	= इंप्रेशनिका करनाटिका
ई० प०	= ईस्टो पूर्व
ई० स०	= ईस्टो सत्
इ० हि० नवा०	= इण्डियन हिस्टोरिकल ब्यार्टलों
उ० प्र०	= उत्तर प्रदेश
ए० द० भा०	= एपिग्राफिया इण्डिया भाग
बो० का० पो०	= ओरिगानिल कांग्रेस प्रोसीडिंग
गो० .. इ० भा०	- कार्यस इ-मिलिशनम् टण्टकेरम भाग
उा० ए० य०	= कान्यायत औ। यूव
गा० आ० सि०	= गायकवाच आरियटल सोरोज
ग० ल०	= गुप्त लेख
गु० स०	= गुप्त सम्बन्
ज० द० हि०	= जनरल आफ इण्डियन हिम्टी
ज० ए० सो० ब०	= जननल आफ एसियाटिक सोसाइटी, बंगाल
ज० ग० इ० सो०	= जननल आफ ग्रेटर इण्डिया सोसाइटी
ज० य० प० हि० सो०	= जनरल आफ यू० पी० हिस्टोरिकल सोसाइटी
ज० गा० ए० सो०	= जनरल आफ रायल एसियाटिक सोसायटी
ज० वि० ओ० आर० एस०	= जनरल विहार ओरिसा रिसर्च सोसायटी
तर०	= राज तरगिणी
प० धि०	= प्रवान शिलालेख
बौ० ध० स०	= बौद्धयन धर्म सूत्र
मा० य०	= मालवा सम्बन्
म०	= मूल लेख
वि० स०	= विक्रम सम्बन्
श० का०	= शक काल या शक सम्बन्
शा० प०	= शार्ति पर्व
शि० ल०	= शिलालेख
स०	= सम्बन्
स्त० ल०	= स्तम्भ लेख
सा० ड० इ०	= साउथ इण्डियन एपिग्राफी
सा० इ० ए० रि०	= साउथ इण्डियन एनुवल रिपोर्ट

प्रथम खण्ड

भूमिका विषय-संची

विषय

पृष्ठ

अध्याय १

इतिहास की भौगोलिक पृष्ठभूमि

१-१८

भौगोलिक तथा इतिहास का सम्बन्ध १, पर्वतों तथा नदियों का उल्लेख ४, अभिलेखों में वर्णित नगर ६, आभिलेखों में राज्य सीमा १०, विभिन्न मार्ग १४, बाहुमण्डल १५, बन्दरगाह १६, नार्थवाह १७, मीमांसा की निगरानी १८ ।

अध्याय २

अभिलेखों का विवेचन

१९-३४

काव्य का इतिहास १९, शासन पत्र २०, प्राचीन लेख का महर्ल २०, अभिलेखों का वर्णनकरण २१, लेख तथा संस्कृति २२, पुराण तथा लेख २३, धार्मिक चहिल्याता २४, आधिक तथा सामाजिक व्यवस्था २४, अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप २६, भारतायकरण की चर्चा २७, बुद्ध अवशेष का वार्ता २९, भारतीय लिख तथा वृहत्तर भारत ३१, अभिलेखों में तिथि ज्ञान ३१, लेखों में अन्युके ३२, वैज्ञानिक तथा तुलनात्मक अध्ययन ३३, लेखों की अपूर्णता तथा दोष ३४ ।

अध्याय ३

अभिलेख लिखने के आधार

३५-४६

शिलालिपि ३५, स्तम्भ ३६, प्रतिमाएँ ३७, स्तूप ३८, अवनोपयोग ३८, गुफा ३९, ताम्रपट्टिका ४०, निक्षे ४२, मुद्रे ४४, आयागपट्ट ४६, डंड तथा मूर्तिका पात्र ४६ ।

अध्याय ४

प्रशस्ति अंकन के काल एवं स्थान

४७-५३

धार्मिक अवसर ४७, दान की परिस्थिति ४८, विजय यात्रा ४९, सामाजिक अवसर ५०, व्यापारिक अवसर ५१, प्रशस्ति खुदवाने का स्थान ५१, जयस्कन्धावार ५२, प्रधान नगर ५३ ।

विषय

पुस्तक

अध्याय ५

अभिलेखों से इतिहास ज्ञान

५४-७४

वशवृक्ष ५५, युद्ध मार्ग ५६, राज्य सीमा ५९, राजाओं की सम-
कालीनता ६१, शासन व्यवस्था ६२, राजतन्त्र व प्रजातन्त्र ६३, अभिलेखों में
उल्लिखित पदाधिकारी ६५, अभिलेखों में कर सम्बन्धी चर्चा ७१।

अध्याय ६

प्राचीन अभिलेखों से वर्णित समाज

७५-९९

वर्णाश्रम व्यवस्था ७५, ब्राह्मण ७७, ब्राह्मणों का वर्गकरण ७७,
ब्राह्मणों का जीविका मात्रन ७९, ब्राह्मणों का देशान्तर यमन ७९, धारिय
८०, वैश्य जाति ८१, कायस्थ ८२, शूद्र तथा चाण्डाल ८३, आश्रम संस्था
८५, सन्यासी एवं मठाधारी ८६, बलिदान के उपाय ८७, मामाचिन्ह संस्कार
८८, बहुपत्नीयता ८८, यती पथा ८९, गणिका ९१, वस्त्रभूषण तथा शृगार
के साधन ९०, भोजन तथा पेय ९१, भोजन का मत्य ९२, समाज में भिड़ग
माँगने की प्रथा ९३, अन्यविश्वास ९५, मनोरनन के साधन ९६, नामाजिक
उत्सव ९७, समाज में व्यक्ति का चरित्र ९८।

अध्याय ७

भारतीय प्रशस्तियों में धार्मिक चर्चा

१००-१३०

बौद्धधर्म १००, जैन तथा आजीवक १०८, धार्मिक धर्म १०४,
विष्णु पूजा १०५, शैवमत १०६, पाशुपत तथा कार्णार्चिन १०९, शूर्यपूजा
११०, शक्तिपूजा ११२, गणेश ११३, धार्मिक महिष्मुता ११२, वैदिक यज्ञ
११५, धार्मिक चार्य ११५, मरिय निर्भाण ११६, सम्बार ११८, देवपूजन
११९, सब की स्थापना ११९, गोष्ठी या प्रत्यय समिति १२०, दान का
उद्देश्य १२१, दण, काल, पात्र १२२, धर्मश्लोक १२८, अप्रहार निवाय, वधक
तथा करन्यासन १२३, दानविधि १२७, धार्मिक उत्सव त्रयी १२८।

अध्याय ८

प्रशस्तियों में साहित्य का ज्ञान

१३१-१५६

प्रशस्ति का उदयगम १३१, अभिलेखों में विविध १३२, शिक्षावेन्द्र
१३६, नालदा मण्डाविहार १३७, अध्ययन के विभिन्न विधय १३९, हस्तकला
की विज्ञा १४४, अभिलेखों की विभिन्न भाषायाँ १४५, पात्र १४७, प्राकृत
१४८, सकृत १४९, प्राचीन भाषायाँ १५१, भारतीय अक्षों का व्यक्तास १५२,
प्राचीन अक्ष १५२, अक्ष व्यक्ति करने की भारतीय शैली १५३, दशमलव
प्रणाली १५५।

अध्याय ९

अभिलेखों में आर्थिक-विवरण

१५७-१७१

सिचार्द का प्रबंध १५८, क्षेत्र का माप १६०, हल १६०, पादा-

विषय

पृष्ठ

वर्त तथा हस्त १६०, निवर्तन १६१, कुल्यावाम-द्रोणवाय तथा पाटक १६१, व्यापार की चर्चा १६२, श्रेणी १६४, श्रेणी का वेक कार्य १६५, व्यवसायिक कर तथा मुद्राएँ १६६, कर सम्बन्धी विवरण १६७, व्यवगायिता कर १६९, अस्थायी कर १६९, सिवकों के विभिन्न नाम १७०।

अध्याय १०

तिथियाँ और सम्बन्ध

१७२-१९४

मास तथा वार १७५, सम्बत् १७७, विक्रमी सम्बत् १७८, सस्त्यापक १८०, आरम्भ काल १८० एक सम्बत् १८१, गुप्त सम्बत् १८३, गुप्त सम्बत् वा नामोलिये १८३, अन्वेषनी का कथन १८४, जैनप्रथों के आधार पर य० स० तथा श० काह का अन्तर १८६, विक्रम तथा शक काल का सम्बन्ध १८७, गौड़ी का मत १८८, मूर्ति का स्वरूप १८८, लेखों का प्रमाण १८८, वल्लभी ४ यथा नवरूपी एकता १९०, नीति का तात्पर्य १९०, चैत्रादि वर्ष का प्रचार १९१, अन्तम वाराणी १९१, गम सम्बत् के गम्यानक १९२, वल्लभी वारान्त १९३, हार्ष सम्बत् १९३।

अध्याय ११

भारत में लेखनकला की प्राचीनता

१९५-२१५

लिपि, लखन-कला तथा उसमा इतिहास १९६, भारतीय लिपि का जन्म तथा इतिहास २०१ खगोली २०२, आद्यो २०३, ब्राह्मी से भारतीय लिपियों का विकास २०४, गुरुलिपि २०६, कुटिलि लिपि २०७, देवनागरी लिपि २०८, कैथी आदि २०८, दोषण भारत को येता २०८, कलिंग लिपि २०९, लिखन तथा लिखने का विवर २०९, मूर्खार २११, शासन का निर्दर्शन कर्त्ता २११, निवेद कर्म २१३, लिखन का शैक्षी २१३, संक्षिप्त चिह्न २१४, प्राचीन भारतीय लिपि का स्पष्टीकरण २१४।

अध्याय १२

भारतीय अभिलेख तथा बुहतर भारत

२१६-२२५

मुमासा के लेख २१७, जाता के अभिलेख, २१८, भारतीय अभिलेखों में शैनेन्द्र वश की जना २१९, वर्षा तथा मलाया के सम्बन्ध लेख २२०, वौनियों तथा वालि के लेख २२१, हिन्दू-चान के सम्बन्ध लेख २२१, नेपाल, तिब्बत तथा मध्य एशिया २२३, विदेशियों का भारतीयकरण २२४।

प्रथम खण्ड

भूमिका

८

अध्याय १

इतिहास की भौगोलिक पृष्ठ-भूमि

किसी देश को प्राचीन कथा का नाम ही इतिहास है। वर्तमान घटनाओं से इसका विशेष सम्बन्ध नहीं है किन्तु ऐतिहासिक बातें काल तथा स्थान से सीमित हैं। आरम्भ में इतिहास तथा भूगोल के घनिष्ठ सम्बन्ध को पृष्ठक नहीं किया जा सकता। ऐतिहासिक जीवन में जातियों अथवा ममता की प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुकूल ही काल यातन करना पड़ा था और उन्होंने प्रकृति की सहायता लेकर ही किसी स्थान पर निवास किया या भ्रमण किया।

भारतीय इतिहास का भूगोल से इनना पारम्परिक सम्बन्ध रहा है कि दोनों का अध्ययन ही यदीं के प्रार्थितिहासिक जीवन की कथा है। प्राचीन भारत में उत्तर तथा दक्षिण की साल्कृतिक विभिन्नता का कारण भौगोलिक कठिनाड़ी ही थी। केरल तथा उत्तर प्रदेश की साल्कृतिक भिन्नता भौगोलिक स्थिति के हारा ही समझी जा सकती है। ये सभी बातें इतिहास के विश्वासियों द्वारा छिपी नहीं हैं कि उनके अध्ययन से प्राचीन भूगोल जानने के विभिन्न साधनों से अभिनेप भी अपना स्थान रखते हैं। इनके अध्ययन से प्राचीन भूगोल का परिज्ञान होता है।

प्राचीन भारत का भूगोल जानने के लिए पुराने अभिनेत्रों से पर्याप्त सहायता मिलती है। विभिन्न वर्षों के लेखों में वर्णित मार्ग, नगर, सातायात तथा विजय की चर्चा से भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। साहित्य तथा यात्रा सम्बन्धी ग्रन्थों से

भूगोल तथा	प्राचीन भारतीय भूगोल का जो परिज्ञान होता है, अभिनेत्रों की सहायता से उनकी पुष्टि तथा वास्तविक स्थिति निरिचित हो जाती है।
इतिहास का	लेखों के प्राप्ति स्थान में अमुक नामांज्य की सीमा ज्ञात होनी तैरता
सम्बन्ध	भारतीय नदियों की विजय-यात्रा का मार्ग प्राचीन समय के यातायात तथा व्यापारिक रास्ते से परिनियत करता है। किसी यात्रक ने लोर्ड्यात्रा या दान के प्रमग में जिन स्थानों का भ्रमण किया हो, उनका विस्तृत विवरण लेख में मिलता उचित ही है। दान की चर्चा करने समय नदियों तथा उनके किनारे स्थित नगरों का वर्णन भी अभिनेत्रों से अधिकतर मिलता है। राजनीतिक तथा धार्मिक कार्यवश दूतों का उल्लेख करने समय विभिन्न प्रदेशों के नाम प्रशस्तिकारों ने दिया है। यद्यपि अभिनेत्रों में स्पष्ट वर्णन उपलब्ध नहीं है तो भी अन्य सम्बन्धित प्रमाणों से भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए यदि अशोक के स्तम्भ लेखों को देखा जाय तो प्रकट होता है कि ये चुनार प्रस्तर के बने हैं। नीम कीट तक लम्बे हैं तथा बीस टन लगभग तील में होते हैं। यह एक कठिन प्रबन्ध है कि ऐसे विशाल स्तम्भ किस प्रकार मुद्रर प्रदंशों में पहुँचाए गए, जहाँ उन पर लेख लेंदे गए थे। सापारणतया यह अनुमान किया जाता है कि नदियों के सहारे बड़े पर रख कर स्तम्भ को यत्र उत्तर पहुँचाया गया होगा। चुनार गंगा नदी के किनारे हैं तथा गंगा नदी की अन्य कई सहायक नदियाँ भी इसके लिए उपयुक्त थीं। गंगा से यमुना नदी द्वारा स्तम्भ के जाकर कोशास्त्री में स्थापित किया गया।

४ : प्राचीन भारतीय अभिलेख

सांची का स्तम्भ, गगा से यमुना तथा उसकी महायक नदी चम्बल और चम्बल की सहायक वेस नदी में नेटे के सहारे मालवा प्रदेश पहुंच साम। वैराग्यर वा हेलियोडोरस का स्तम्भ भी इसी ढंग से बहाँ पहुँचया गया होगा। लुम्बिनी का स्तम्भ गगा, घाघर तथा रासी नदियों से होकर स्तम्भनदी में स्थित हुआ। नम्पाराम के स्तम्भ गगा तथा गढ़क नदी की सहायता में उत्तरी बिहार के जाकर खड़े किये गये। दिनांकी-टापण तथा दिनांकी-मेरठ के स्तम्भ तो यमुना की घाटी में स्थापित किए गए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि वक्र गति से भी भीगोलिक परिस्थितियों का परिज्ञान किया जा सकता है।

प्राचीन लेखों में पर्वतों तथा नदियों वा इन्हें दो नाम कारणों से किया गया है।

(अ) राजनीतिक (य) धार्मिक। राजनीतिक ने अपने ग्रन्थक की सफलताओं का वर्णन

करते समय ऐसे पर्वतों के नाम वर्गित किया है जो जमके आक्रमण

पर्वतों तथा नदियों मीमा पर नियत से व्यया किये गये थे। ये जमके आक्रमण

का अनिक्रियण कर देने को एकमन चिह्न था। धार्मिक परिस्थिति में

उल्लेख शासक ने कुमारांश वर्षा और भूमधुर स्थ को दान दिया। वह

भी एक कारण (धार्मिक) वा कि जागतिकों से प्राप्त कर जामोंगे किया गया। ऐसे कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं जिनमें जी जामोंगे जी जामोंगन राम वो पाप हरते हैं।

अशोक ने वर्तमान वर्गवर (गगा, चिह्नार) को परादियों से गदा न्यूवा कर जात्याधिक नामक धार्मिक मन के साथ-ओं को दान दिया था। उस प्रमाणे ये नान्दिति पर्वत (= वर्गवर) वा उल्लेख मिलता है (कुमा चलितक परताम दिना जाजापिकोर्)। उल्लेख के शासक चार्यवर्त ने राज्याभिषेक के आठवें वर्ष में गोरखगिरि (= वर्गवर पर्वत) पर जाक्रमण कर उसे जान दिया था। इस तरह के विजय सम्बन्धी लेखों में सातवाहन नरेण पुलमार्ग के नामांक लग्य (वर्ष १५) को प्रथम ध्यान दिया जाना है। उसमें गानवादन राजा जी भूमधुर जातकणों के विजय का विवरण प्रस्तुत किया गया है और उस शासक का विजय (विजय) अरबली (परिवातु)

महारादि (महा-परिचमोधाद) हुआगिरि (ऊर्हेगी, वर्मवा के समीप) मलय (मल्याचल-नीलगिरि का दक्षिणी दामा) तथा महेन्द्र (पथ धाट) का रवानी कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि गीमलीपत्र शातकर्णी पृष्ठनामा धाट से पूर्वी धाट पर्वतम ग पृष्ठ () तथा अरबली स नीलगिरि (उत्तर र दर्शिण) तक यानी सम्पूर्ण दक्षिणी पठार पर आसन कर रहा था। उस विजय के प्रस्तुत में सम्प्रदग्ध के प्रयागमन्तम लेख का वर्णन आवश्यक है। युस गम्भार्द पार्टिलिपुत्र में दक्षिण भारत पर आक्रमण कर बनेके गजांत्रों वो परास्त किया जिसमें महेन्द्रगिरि का भी नाम उल्लिखित है। यद्यपि उस नाम के सम्बन्ध में विवाद ह किन्तु महेन्द्र की पूर्वी धाट से समता कर सकते हैं। चालुक्य नरेण द्वितीय पुलकेशिन् के अवधीन प्रशस्ति में विन्ध्याचल पर्वत का उल्लेख है जिसके समीप ही उत्तरी भारत के गम्भार्द हर्ष वर्धन को उसमें परास्त किया था। जहाँ तक धार्मिक परिस्थिति का प्रबन्ध नासिक लेखों में विरणहूँ या त्रीरद्धि पर्वत का नाम वर्णित है विसम भिद्युमध के निमित्त गुहा खदवा कर दान में दिया गया था (त्रीरद्धिषु पर्वतेष धर्मत्विना एव नेष कारितन-धार्मिक लेख) इन प्रस्तुतों से भिन्न देख की धार्मिक परिस्थिति मुद्रागत के लिए पर्वतीय नदियों से रिचाई निमित्त नहर निकाली गई थी। काठियावाड के उर्जयत पर्वत से दो नदियों पलाशिनी आदि निकाली थी जिनकी बाढ़ के

इतिहास की भौगोलिक पृष्ठ-सूमि : ५

कारण वाँच नए हो गया और मदाधरत्रप रुद्रामन ने उसकी मरम्मत करवाई थी (मिरेल्ज-यन सुखर्ण सिकता पलाशिनी प्रभूनीना नदीना-जूनागढ़ का शिलालेख) । इन पर्वतों तथा नदियों के सम्बन्ध में गुप्तनरेश स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ लेख से अतीव सुन्दर तथा काव्यमय पद्धों का उद्घरण गुरुका स्वरूप होगा । काठियावाड़ के सुदर्शन झील का वर्णन करते हुए कवि ने सभी पवर्ती नदियों तथा उनके मूल स्रोत पर्वतों का वर्णन बड़े ही मार्मिक शब्दों में किया है—

इमारश्व या रैवतकाढिनिर्गता

पलाशिनीय सिकता-विलासिनी ।

मधुदकान्ता चिरबन्धनोपिता

पुन पर्ति शास्त्रवयोचितं यथु ॥

अवेद्य वर्पणिमज महोद्रुव्य

महोदधेष्टर्जयता प्रियेष्युना ।

अनेकतीरान्नजपुण्योभिनो

नदीमयो हस्त इव प्रमाणित ॥

कवि द्वारा नदियों द्वारा पान्तियों का नमद्र (पति) में मिलना तथा नदियों की दो बाहु से उपमा देना, काव्यमय तर्जी का उन्नेष्ट दृष्टान्त है । गृह नरेज कुमारगुप्त प्रथम के प्रसिद्ध प्रशस्तिनाम नन्यमार्त्ति ने इष्टपुर (मालवा, राजस्थान) का अतीव मनोहर वर्णन करने हुए इस नगर का कैलाय पर्वत हे गृह अट्टालिकाओं में गुरु वर्णित किया है ।

कै-ग्रास-तुग-र्यावरप्रतिमानि चान्य-

न्यायान्ति दीर्घ-बलभीनि सर्वेदिकानि ।

(मदमोर प्रशास्ति, वि० स० ५२९)

विभिन्नों में नदियों का नाम तीर्थ स्थानों के प्रशंसन में उल्लिखित है, किन्तु कठिपय नाम राजेन्द्रनक स्थिति में सम्बन्धित है । इन सदर्भ में नहाना वालीन नासिक गृहालेख का नामोल्लेख महत्वपूर्ण है । धायर नहाना का जामाना कृष्णभद्रत व्राद्याण धर्मनियायी हो गया था । अनग्रह नाप्रटिन के मलसिंह में उसने अनेक नदियों पर मार्म को आरोपित कर से गृह कर दिया । नेंग में निर्मलिनित वर्णन आता है—हवा-पारदा-दमणा तापी-करवेणा-दाहनका नावा पुण्यगतर-कोण (नानिक गृहालेख ई० स० १२४१०) विष्णु पुराण (३, ९) तथा अग्निपुराण (२२३-२५) में इस पुण्य कार्य को 'नरशुक' या 'जुकतर' कहा गया है, जिसका तात्पर्य है 'जशुकतर-पृथ्यतर' यानी नदी को पार करने में किसी प्रकार का करन न लगे । इस अधिकेव में परिचमी भारत के नदियों के नाम सम्मिलित हैं । वार्णमा=वतारा (चम्बल की सहायक) तापी=तासी, दमन=दमनगमा (दमन शहर के समीप, दाहनु का (दहनु शहर के समीपबत्ती) नदियों के नाम का पता चलता है किन्तु हवा पारदा तथा करवेणा की समता करना कठिन है । इसमें यह भी तालपर्य निकलता है कि नहाना का राज्य विस्तृत था । जूनागढ़ लेख (रुद्र-दामन तथा गृहसराजा स्वन्दगुप्त) में पलाशिनी आदि का नामोल्लेख दिया गया है । चौथी सदी में गुप्त सम्राट द्वितीय चन्दगुप्त ने पञ्चाब पर आक्रमण किया था । उसी के पश्च ए सिन्धु नदी के सातमुखों (सहायक नदियों) का वर्णन है—

तीर्त्वा सप्तमखानि येन समरे
सिंधोजिज्ञता वाहुलीका
(मेहरौली लौह स्तम्भ लेख)

यहाँ सिंधु की सहायक झेलम, चनाव, रावी, व्यास, सतलज, कावुल तथा स्वात को सम्मिलित कर सात मुखों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार इन नदियों के नाम राजनीतिक परिस्थिति के कारण ही उल्लिखित हैं। गुप्त राजा बुधग्रस्त के एच्छ स्तम्भ लेख में शासन को दृष्टि में रखकर कालिन्दी (यमुना) तथा नर्वदा का वर्णन किया गया है जिसके मध्य में मुरुरिमचन्द्र शासन करता था।

दृष्टिगत भारत के लेखों में युद्ध यात्रा के पश्च में नदियों के नाम मिलते हैं। राष्ट्रकूट शासक ने गगा-यमुना के मध्य में धर्मपाल को परास्त किया (गगा यमुनोधर्मध्ये राज्ञो गोउत्थ्य नश्यत,) ऐसा उत्तरेख में जैन ताप्त्र-पत्र में किया गया है। आक्रमण के मार्ग में कावेरी नदी का नाम चालुक्य नरेश द्वितीय पुलकेशिन् के अयहोल लेख में आया है। किन्तु मध्य युग में वार्षिक कार्यों के साथ भी नदियों का नाम लेखों में आता है। गहडवाल नरेश गोनिन्द्र चन्द्र देव के कमीली नामनाम में ‘धोमद् वाराणस्या गगाया स्नात्वा’ वाक्य मिलता है। नाम्पर्य यह है कि दान करने से पूर्व गगा नदी में स्नान बरना आवश्यक था। सारांग यह ही जीमनेमा में विभिन्न परिस्थितियों के कारण प्रशस्तिकार ने पर्वतों तथा नदियों का उल्लेख किया है।

शाराक का जिस स्थान ने भीष्म सम्बन्ध होता था उसका उल्लेख भी लेखों में स्वभावत पाया जाता है। कलिंग विजय के पश्चात अशोक की मनोवृत्त का परिचयनं हो

गया, इसलिए उसने कलिंगदेश के अतिरिक्त अन्य लेखों डारा विभिन्न अभिलेखों में पातो भे वर्माणा प्रसारित की “सबे मुनि से पजा ममा। अथा पजाये वर्णित नगर इच्छामि इक किति सनेन हृत मुख्येन। इच्छामि इक।” अतएव तोसली, उज्जयिनी तथा तक्षशिला कुमार को मददा भेजा गया। तोसली का वर्तमान धोली (भुवनेश्वर के सर्वोप, उद्दीपा) से समीकरण किया जाता है। यह देवने में युद्ध देवों के समान एकठ होता है। धोली म अशोक का पृथक् शिलालङ्घ चट्ठान पर खुदा है। उज्जयिना (अवन्न की राजधानी) तथा तक्षशिला (मन्धार प्रदेश का मुख्य नगर) के सब र में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कुछ अविकृत बुद्ध वा जन्म स्थान की पिलवस्तु समझो हैं क्योंकि वह स्थान शाक्य वंश की राजधानी थी। लोकन अशोक के रूपमनदेवि (नेपाल तराई) स्तम्भ लेख में स्पष्ट लिखा है—

हिद बुधे जाते यत्य मुर्तोति

× × ×

हिद भगव जाते ति लुम्बिनि गामे।

अतएव इसके आधार पर सभी सदेह मिट जाता है। मौर्य सआट् अशोक के आठवे शिलालेख में निम्न वाक्य मिलता है—संबोधि तेनेमा धर्म-यात्रा। सम्भवत अशोक ने कुदूषर्म में प्रवेश कर धर्मयात्रा आगमन की ओर पहले बह नुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी पहुँचा, तत्पश्चात् ज्ञान प्राप्ति के स्थान बोग-गया। “संबोधि धर्मयात्रा” में बोध-गया के तीर्थयात्रा का अर्थ समझना चाहिए। अन्य स्थानों के सम्बन्ध में कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलता। परन्तु सारनाथ का स्तम्भ लेख

तथा धर्मराजिका सूप का निर्माण अशोक के सारनाथ तीर्थ यात्रा को प्रमाणित करता है। सारनाथ स्तम्भ लेख में संन भेद के प्रसंग में पाटलिपुत्र नगर का नाम भी उल्लिखित है।

मौर्यों के उत्तराधिकारी पृथ्यभित्र को अयोध्या लेख में 'कोसलाधिप' कहा गया है। यानी वह उत्तर-कोसल का शासक था जिसकी राजधानी अयोध्या थी। दक्षिण कोशल को महारांश्ल वहने थे जिसकी राजधानी त्रिपुरी (जबलपुर, मध्यप्रदेश) थी। दर्दाण भारत के शासक सातवाहन नरेण्यों के जो लेख प्रकाशित हुए हैं उनमें गोवधनस (= नामिक) जयस्कन्धावार के रूप में उल्लिखित है। गोमना पुत्र शातकर्णी के विजय प्रसंग म प्रदेश तथा नदियों के नाम आते हैं (आगे देखिए)। शातकर्णी के समकालीन खारवेल के हाथी गुद्धा-नेव में कलिङ्गनगर का नाम जाया है (जिस स्थान की मरम्मत खारवेल न पाँचवे वर्ष में की थी)। इस कलिङ्ग नगर के समाकरण में मतभेद है। अभी भूवनेश्वर के समीप दिशुपालगढ़ की खुदाई हुई है। त्रिद्वानों का मत है कि यही स्थान कलिङ्ग नगर माना जा सकता है। उसी लेख में राजगृह तथा अंग एवं मगध प्रदेशों के नाम भी उल्लिखित हैं (अग-मगध-बगु च नपति)। वेस नगर के स्तम्भ लेख में हेन्डियांडार्स तथाशिला का यत्न दूत (तख्ल सिलाकेन योन दूतेन) कहा गया है। इसमें पता लगता है कि तत्त्विण्या प्राचीन समय में प्रमुख स्थान समझा जाता था। अशोक के समय में ही यह शासन का प्रधान होन्दा था। यनानी राजा अतिलिकित वहाँ जामन करता था जिसका दूत हालिया गोरम था।

पहली सदी में कुषाण नरेश कनिष्ठ के तथाशिला के समीप पेशावर की अपनी राजधानी बनाया। कनिष्ठ का राज्य कार्या तक विस्तृत था। यही कारण है कि उसके सारनाथ की बुद्ध प्रांजिमा नेव में बनारस का प्राचीन नाम बाराणसी का उल्लेख आता है [वाचिमत्वो छत्रयष्टि प्रतिष्ठापिनो बाराणसिये]। कनिष्ठ के गहन-महेन (जिला गोडा, उत्तर प्रदेश) लेख में 'शावस्त्रियं' नाम उल्लिखित है जो सहेन महेन का प्राचीन नाम था। बाराणसी का उल्लेख मध्यपूर्वीन कमीली ताम्रपत्र में भी मिलता है (थोमद् बाराणस्या गगाया स्नान्वा)। अन्य लेखों में भा काशी का नाम भी आया है। हुविक के बुद्ध प्रतिमा लेख में भथुरा के निए "मधुर वणके" शब्द का प्रयाग मिलता है। पटिक के ताप्र पत्र में "तख्लसिलेय नगरे" का उल्लेख आता है। शक क्षत्रप नहपान के नासिक गृहा लेख में प्रभास (काठियावाड), भरुकच्छ (भरीच), दशपुर (मालवा), गोवर्धन (नासिक) तथा शोर्पारक (मोपारा) के नाम उल्लिखित हैं क्योंकि इन स्थानों पर नृपभदत्त ने आगम गृह का निर्माण किया था। अभियेक के निमित्त वह पुष्कर तीर्थ गया, जिसका "पोद्धारान" भी मजा से नामिक गुद्धालेख में उल्लेख है। कालेलेख में भी इसी स्थान पर दान देने का वर्णन किया गया है [पमासे पूतित्येव्रह्णाण अठ भाया पदेन]। बनुवास पिन्नु सत सुहृग भोजप यति]। सद्रामन के जूनागढ़ लेख में तो अनेक प्रान्तों के भी नाम मिलते हैं। आकर्ण-वाती (मालवा), मुराष्ट्र (सौराष्ट्र), मर (राजपूताना), सिन्धु सीबोर (मिन्दु नदी का निचला प्रदेश) कच्छ आनन्द (उत्तरी काठियावाड) आदि का विवरण आता है।

अशोक तथा गुप्त सम्राटों के अभिलेखों से भी दक्षिण भारत के राज्य तथा नगरों के नाम ज्ञात होते हैं। अशोक के द्वितीय शिलालेख में "चोडा पाढा मतिय पुतों केतल पुतों तंवपंथी" का उल्लेख मिलता है जिससे सुदूर दक्षिण के प्रात तथा लका की स्थिति का परिचान होता है। तेगहवे शिलालेख में कर्लिंग (उडीसा) प्रात के विजय का वर्णन है। उसी लेख में आध प्रदेश का भी नाम आता है।

गुप्त-काल में सम्राटों के दिविजय के प्रसग में अनेक प्रदेशों के नाम दिए गए हैं। समुद्रगुप्त तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय ने कई शासकों को परास्त किया था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कोसल (दक्षिण कोसल) पीठापुर, काची आदि स्थानों के नाम दक्षिण भारत के दिविजय के प्रसग में आए हैं। समतट डवाक, (ढाका) कामरूप (असम), नेपाल, कर्त्तपुर का उल्लेख भी सीमा पर स्थित प्रदेशों के रूप में मिलता है। अयोध्या के तवपणी (लका) का प्रयाग प्रशस्ति में सैहल (लका) के नाम में उल्लेख है। दक्षिण भारत के प्रदेश की राजधानी का उल्लेख नहीं पाया जाता। चन्द्रगुप्त द्वितीय के विजित स्थानों में काकनाड का नाम मिलता है जो सौंची का प्राचीन नाम था। उदयगिरि के लेख में बीरसेन ने अपना परिचय देते समय अपने को चन्द्रगुप्त का मंत्री तथा पाटलिङ्गपुर का निवासी बतलाया है—

कौत्स्मशाव इति स्थानो वीरसेन कुलारक्ष्यया ।

शब्दार्थन्यायालोकज्ञः कवि पाटलिङ्गपुरक ॥

कुमार गुप्त प्रथम के मन्दिरों लेख में दो प्रधान व्यापारिक नगर का नाम दिया गया है। व्यापारिक सध (घोणी) ने लाट (दक्षिण काटियान्नाड) ये आकर दलपुर (मालवा) को अपना केन्द्र बनाया और कार्य निरुत्ता तथा इशान के कारण लोगों में विश्वास पैदा कर दिया था। वर्णन मुनिये—

लाट विषयान्नगावृत शैलाऽजगति प्रथित शिल्पा

× × ×

आतादरा दलपुर प्रथम मनोभि-

रन्धारान्नससुत बन्धु-जनास्त्रामेय ।

“स स्थान की प्रथानता के कारण ही बन्धु वर्मा वो इमके नामन का कार्य सोपा गया था—

तस्मिन्ब्रेव क्षितिर्पाति विषे वश्वमण्डुदारे

सम्यक् स्फीतं दलपुरमिद पालयत्यन्नतास ॥

गुप्तार्थगुप्त के पुत्र मन्दिरगुप्त ने जागन काल में भी व्यापारिक श्राणियों कार्य करती रही। इन्द्रार के ताम्र पथ में ‘ट्रिपुर निवासी श्रेष्ठों’ का वर्णन है जिसमें तूर्य के मदिर का जाणों-द्वारा बताया था। (उडिपुर निवासीन्यास्तलिक-प्रेष्या) इम स्थान वो वर्तमान उदीर ही माना गया है जहां न नागपुर प्राप्त ट्राप हो। गुप्त नरेशों के दामादरापुर ताप्यमान में गुण्डवर्धन (भूक्ति) नथा उत्तिलिति कोटिवर्ष (विषय) का नाम आया है। दोनों स्थान उत्तर बगाल के (इम समय वर्षी पाकिस्तान के) गजाहांग जिले में स्थित थे।

उमी प्राप्त ग्रन्थ राजाओं के मध्यान्दीन तरंगों के लेखों में कई नगरों के नाम मिलते हैं। गुसानियाँ गिलोंदेन में चन्द्रवर्मन पुष्कर (अजमेर, गजपताना) का राजा नहा है। वैशाम के ताम्रपत्र में शासक को चन्द्रगरो (वर्तमान पछिवारी, बोंगरा) का स्वामी बतलाया गया है। मोर्बरि नरेश उद्याग वर्मा के हरहा प्रार्थन में आध्र तथा गोड (उत्तरो बगाल) प्रदेशों के नाम उल्लिखित हैं। हर्षवर्थन के बामखरा ताप्यपत्र में अहिछुव भूक्ति का नाम आया है जिसका समीकरण वर्तमान रामनगर (बरेली, उत्तर प्रदेश) में किया जाना है। खुदाई में वहाँ से मिक्के, प्रतिमाएं तथा मुहरें मिली हैं। मध्य युग में नीरों की ओर जनता का ध्यान आर्कपित हो गया था। जहाँ सौर्युग में कौशाम्बी की (कोसांवय) प्रतिद्वंद्वी थी। आठवीं सदी से प्रयाग

का महत्व हो गया। अपसद लेख मे तृतीय कुमारगुण के सम्बन्ध मे प्रयाग आकर अग्नि मे जल कर बलिदान का विवरण दिया गया है (शौर्यमत्यवृत्थरीय प्रयाग गतो घने) इसी तरह का वर्णन गांगेयदेव चेदि के निति कलचुरी प्रशस्ति मे पाया जाता है। उस स्थान पर विवरण आता है कि चेदि राजा ने डेढ़ सौ पट्टानियो के माथ प्रयाग आकर गगा मे डूब कर स्वर्ग प्राप्त किया था।

प्राप्ते प्रयाग-वृण्ड-मूल-निवेश-वन्धी
साधं शतेन गृहिणीभिरमुत्र मुक्तिम् ।

(ए. इ. भा० २ पृ ४८)

चन्द्रेन राजा चन्द्र वर्मन के सम्बन्ध मे कहा गया है कि वह काशी, कुशिक (कन्नीज) उत्तर कोशल (अयोध्या) तथा दक्षप्रस्थ का रथक था। इस स्थान पर उपरिउक्त चारों स्थानो का नामोलेन है। दान के प्रयगवर्ष महाद्वाबाल दानपत्रो मे काशी मे स्नान कर दान देने का उल्लेख मिलता है। [धामद् वाराणस्या गगाया स्नान्वा—ए इ २६ पृ ७२, भा ८ पृ १५८] इस ते प्रकट जाता है कि मध्य यम मे प्रयाग, वाराणसी तथा अयोध्या आदि तार्थो की लाग यात्रा करने थे। पाल प्रशास्तियो ग विविध स्थानो के नाम प्रचूर मात्रा मे मिलते हैं। पाल नरेण वर्मपाल के यात्रामात्र, देवपाल के नालदा तथा नारायण पाल के भागलपुर नामपत्रो मे कई नाम जाते हैं। वर्मपाल ने महोदय (कन्नीज) को जीतकर नक्षपालित को मिहासन पर बेटाया था। अपने जातन के अंत मे उपने केदार (केदार नाथ गढबाल) तथा गगानगर की तीर्थ यात्रा की। देवपाल ने नालदा मे निर्मित विटार को पात्र ग्राम दान मे दिया था तथा नारायण पाल ने मंगेंगे (मुद्रिगिरि जयस्कन्धावागान्) आजा पत्र प्रमार्गित किया था। इस तरह प्रसम यम पालगाय्य का भीमा मे स्थित नगरो के नाम उल्लिखित है।

अग्नहोत्र लेख मे चालुक्य राजा पुलकेशी प्रथम अपनी राजधानी (वातापापुरी) का स्वामी कहा गया है।

तरयाभवत्सन्ज पालकेशी श्रितेन्दु कान्तरपि
श्री बल्लभोप्यासांहातापिपुरी वद्वरताम् ।

उसी लेख मे पुलकेशी द्रितीय के विजय यात्रा के प्रमग मे लाट, मालव, गुर्जर देव, महाराष्ट्र कोशल (दक्षिण) एवं कलिङ्ग आदि प्रदेशो के अतिरिक्त पल्लव नरेण का गजधानी काचीपुर के विजय का वर्णन मिलता है।

आकान्तान्तमवलोक्ति बलरज सञ्छेत्रकाञ्चीपुर-
प्राकान्तरान्तरित प्रतापमकरोत् पल्लवाना पतिम् ।

पश्चिम भारत के मैत्रिक नरेण द्रोण सिंह के लेख के प्रारम्भ मे बलभी राजधानी का उल्लेख है (बलभीत पग्ममट्टारक पादानुद्यातो महाराज द्रोणसिंह) जिसके आधार पर मैत्रिक राजा बलभी नरेण कहे जाते हैं। यह गुजरात मे शिका का मुख्य केन्द्र भी था। मध्यपुण के चन्द्रेन राजाओ के लेख मे कान्यकुड्जा विषयता कालिङ्गराषिपति शब्द प्रयुक्त मिलते हैं। जिसका साधारण अर्थ यही था कि कान्यकुड्ज तथा कालिङ्गर नगरो पर उनका अधिकार था। दिल्ली के स्तम्भ लेख मे विग्रहराज (म० १२२०) के विन्ध्या से हिमालय तक तार्थ यात्रा की चात

लिखी है । (आविन्ध्यादाहिमाद्रीवर्वरचित् विजयस्तीर्थ्यात्रा) । इस आधार पर कहा जा सकता है कि तीर्थ नगरों का ज्ञान लेखों को था । उमे शाकभरी का राजा कहा गया है । यानी तो मर नरेश दिल्ली से अजमेर तक शासन करते रहे ।

दक्षिण भारत के मध्य युगी लेखों में भी अनेक नगरों तथा प्रदेशों के नाम मिलते हैं । राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्य के मञ्चन नाम्यवर लेख में गोड, काशल, कलिंग, वेंगि तथा काँची आदि के नाम उल्लिखित हैं ।

प्राचीन लेखों में अनेक शासकों के विजय का वर्णन मिलता है जिनके बादार पर प्राचीन भारत के विभिन्न प्रदेश तथा मार्य की समृच्छित जातिकारी होती है । लेखों में वर्णित विजय-यात्रा से यह विचार कदापि व्यक्त नहीं किया जा सकता कि अभिलेखों में राज्य- सारे विजित प्रदेश राज्य में सम्मिलित कर लिए गए थे । अशाक के सीमा वर्णन १३ वें शिलालेख में कलिङ्ग विजय का वर्णन मिलता है और उसी के साथ सीमा पर स्थित विभिन्न मारताय यूनानी गज्या के नाम भी उल्लिखित हैं । उस सूर्ती में चोडा, पाडा, मनियपुरो, केतलपुरो, तमपणी (द्रितीय प्रधान शिलालेख) योन, कम्बोज-गवरन, रट्टिकपितानिक (पाचवा शिलालेख) तथा अनियो-कों तुरमय अनिकिनि, मक, जिलिक मुन्दरां यनानी नरेशों के नाम (तत्त्वज्ञानलेख) मालत हैं । इसमें मदह नहीं कि ये राजा मीय नामाज्य की सीमा पर स्थित थे जिनके लिए '१८ च सबैयु च अनेगु' वाक्य का प्रयोग किया गया है । दूसरे लेख में ईश्वरण के चोड़, पांड्या, वरग तथा सिंहल सीमा पर ईश्वर वत्तलाघा गण हैं तथा पौर्वी शिलालेख में वर्णित राजा उत्तर पश्चिम भाग में स्थित थे । यूनानी राजा अतिथोक पश्चिमो पश्चिमा में शासन करता था । मग उन्होंने अफीका में, तुरमय मिथ में, अर्तिकिनि तथा अलिक मुन्द्रव पश्चिमा माइनर के समोप शासन करता थे । इसमें स्पष्ट हो जाता है कि प्रशोक का राज्य मार्य मार्गनयप में मुद्रर दर्शकण के कुछ भाग को छोड़कर तथा अफगानिस्तान के भू भाग में पर फला था । यर्तापि इसके लिए लेखों में प्रबल प्रमाण नहीं मिलता कि इन्हाना भाग उसके विषामह ने विजित किया था किन्तु अग्रोक कलिंग के अतिरिक्त कुछ भी जीत न मरा । उमकी पैत्रिक राज्य की सीमा पश्चोप थी जिसका अनुमान मीमा पर स्थित शासकों को सूची स होता है ।

दक्षिण भारत के शासकों के अभिलेख यह बताते हैं कि मातवाहन तथा क्षत्रप नरेशों में कई सादियों तक यद्दृ होता रहा । एक के बाद दूसरे वश का विजय तथा परगजय होता रहा । सौंची के दक्षिणी नारण पर जो लेख खुदा है वह शातकर्णी के शासन काल का है । नाना-घाट के सातवाहन लेख में नार्यनिका ने अपने पांच शातकर्णी द्वारा वैदिक यज्ञ मम्पादन करने का वर्णन किया है । अताव यह ज्ञात होता है कि शातकर्णी (ईमा पूर्व हितीय शताब्दी) के शासन में सातवाहन राज्य मालवा से महाराष्ट्र यानी (पूना के समोप) तक विस्तृत था । तत्पश्वात् कई सदियों तक सातवाहन वश का कोई लेख प्राप्त नहीं हुआ । उत्तर पश्चिम भारत के सामल क्षत्रपों न सातवाहन राजा का परास्त कर राज्य भार ले लिया । उनके लेखों से प्रकट होता है कि हितीय शताब्दी में क्षत्रप राजा नहपान का प्रभुत्व हो गया था । नासिक और जूनार लेख उसके दरमाण हैं । नासिक लेख में गोवधन (नासिक-महाराष्ट्र) प्रभास (काठियावाड) भुकच्छ (भरोच) दशपुर (मालवा) तथा पोक रानी (पुष्कर-अजमेर) के नाम मिलते

हैं जिन पर नहपान का अधिकार था। पूना के समीप काले तथा जूनार गुहा लेख भी महाराष्ट्र पर उसका अधिकार सिद्ध करते हैं। इसलिए यह विदित होता है कि सातवाहन को हरा कर धन्वप नरेण ने अपना राज्य अजमेर, मालवा, राजपृताना से लेकर महाराष्ट्र तक विस्तृत किया था। यह घटना प्राय सन् १२४ ई० के समीप की है। कुछ ही दिनों के पश्चात् सातवाहन के प्रतापी नरेण गौतम पुत्र शातकर्णी ने नहपान को परास्त किया। उसके उत्तराधिकारी पुलमावि के नासिक लेख (१९ वें वर्ष) में शातकर्णी का यश वर्णित है तथा उसके द्वारा विजित प्रदेशों के नाम भी उल्लिखित हैं। “खस्तरात्-बम निरवसेस-करम” (बहगत नहपान के वश का का नाश करने वाला) की बात शातकर्णी के सम्बन्ध में कही गई है। इस वर्णन के अतिरिक्त सातवाहन नरेण असिक असक मूलक के सम्बन्ध में कुछ कहना बिठ्ठन है। सूरठ (सौगढ़) कुकुर (उत्तर काठियावाड़) अपरान्त (उत्तरी कोकण, पश्चिमी किनारा) अनूप (मान्धाता) विदर्भ (प्राचीन बगर, आधप्रदेश) तथा आकरावन्ती (पूर्व तथा पश्चिमी मालवा) का स्वामी कहा गया है। यानी इस सतवाहन नरेण ने नहपान के प्रदेशों को (राजपृताना, सौराष्ट्र, बगर, मालवा आदि) जीत कर सातवाहन राज्य पर मिला लिया था। उसका उत्तराधिकारी वासिष्ठी पूर्व पुलमावि कुरीव बीम वर्षों तक (१३० ई०-१५० ई०) राज्य कर चुका था जब वह किर क्षत्रपों द्वारा परास्त किया गया। धन्वप वश का यशिकाली नरेण रुद्रदामन ने उसे दो बार हराया (दक्षिणापथपतेस्तातकर्णी द्विरपि नीव्याज्ञमवजीत्यावजीत्य मंवध विदूरतया) जूनागढ़ के लेख (१५० ई०) में पूर्व उन्हीं प्रदेशों के नाम उल्लिखित हैं जो सातवाहन के राज्य में मिलित थे। नाम मूर्ची निम्न प्रकार के हैं—पूर्वपिराकगवन्ति (मालवा), अनूप (मान्धाता), आनर्न (उत्तरी काठियावाड़), मुराष्ट्र (दक्षिण काठियावाड़), व्यभ (मावरमनी, अहमदाबाद), मर (राजपृताना), कच्छ (कच्छ), निष्व (निष्व का प्रदेश), सीबोर (दक्षिण पूर्वी निष्व), कुकुर (आनर्न के समीप), अपरान्त (उत्तरी कोकण) आदि। दोनों सूर्जियों के अध्ययन से रुप हो जाता है कि धन्वप वश की प्रतिष्ठा रुद्रदामन ने पूर्व स्थापित की तथा सातवाहनों को पदवलित किया। नासिक गुहालेख तथा जूनागढ़ लेख वें अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रमाण नहीं मिलता जिस आधार पर पारस्परिक-युद्ध की गाथा की जा सके। केवल लेख ही एक मात्र सहारा है। इसके पश्चात् सातवाहन वश के अन्य तोबों में दृग प्रगार का सीधा उल्लेख नहीं मिलता जिससे दोनों वश के युद्ध की बार्ता प्रमाणित हो सके। यजश्वी सातकर्णी के कई लेख नासिक, काले (पूना के समीप) और कनहेरी (बम्बई के समीप) गुहा म उड़ीर्ण हैं जिसका अर्थ यह समझा जाता है कि १०० से १७०-२०० तक सातवाहन राजा यजश्वी का अधिकार महाराष्ट्र (पूना) तथा बम्बई प्रदेश के भूभाग पर अवध्य हो गया था। राजपृताना मालवा तथा सौराष्ट्र पर वह अधिकार न कर माका। इस तरह उसने पुराने युद्ध का बदला लेकर धन्वप को दक्षिण के पठार में परास्त किया। यजश्वी सातकर्णी ने अनूप सिवको के अनुकरण पर चाँदी के सिवके भी प्रचलित किए जो क्षत्रप के पराजय का चोतक है। संक्षेप में यह कहना नितान्त आवश्यक है कि धन्वप तथा सातवाहन लेखों के आधार पर ही ईसवी सन् की पहली तथा दूसरी सदी तक दोनों वशों की प्रतिस्पर्द्धि, विजय व पतन तथा राज्य विभान्नार को जानकारी होती है। दक्षिण पश्चिम भारत में शक्ति तथा प्रभुत्व की उन्नति और पराजय का परिज्ञान अभिलेख ही करते हैं; अन्यथा सातवाहन-धन्वप का इतिहास प्रकाश में न आता।

ईसवी सन् के आरम्भ से पवित्रमोत्तर प्रात में शासन प्रारम्भ कर कनिष्ठ ने काशी तक के प्रदेश को जीत लिया। उसका कुरम का ताम्रपत्र पेशावर से, मानिक्याला लेख राबल-पिंडी से, म्यूविहार ताम्रपत्र बहावलपुर रियासत से, महेत महेत बुद्ध प्रतिमा लेख गोडा जिला (उत्तर प्रदेश) से तथा सारनाथ प्रतिमा लेख (जिसमें वाराणसी का उल्लेख है) काशी से मिले हैं जिनके आधार पर कनिष्ठ की विस्तृत राज्यसीमा पेशावर से वाराणसी तक निश्चित हो जाती है। इस प्रकार लेख के प्रामिस्यान भी भौगोलिक सीमा पर प्रकाश ढायते हैं।

कलिङ्ग के गजा खारबेल का हाथों गुहालेन से शासक के विजय का पता चलता है। उस लेख में क्रमबद्ध प्रत्येक वर्ष का लेखा उपस्थित किया गया है। खारबेल अपने को कलिङ्ग का राजा (कलिंग-राज-वसे-पुरसि युगे महाराजाभिसंचन पापुनानि) कहता है जिसने दूपरे वर्ष में सातकणि (मानवाहन गजा) को हराया। आठवें वर्ष में राजगिरि (पटना जिला) पर आक्रमण किया। बाहरवें वर्ष में उत्तराधिक के मगध नरेण्य को परामर्श किया। उसमें वर्णन है कि उसने अग, मगध के बैमब को लूट लिया। अग नदी मगध विहार प्रदेश से प्राचीन प्रदेश थे। अंग भागलपुर के समीप भूभाग तथा मगध पटना तथा गया जिला के लिए पश्चक किया गया है। उसने दक्षिण के पाद्य नरेण्य को भो विजित किया। इस नेत्रे में कृष्णा नदी (कन्धवेण) तथा गोश्वार्गिरि (बराबर की पहाड़ियाँ, गया, (विहार) के नाम आने हैं। इस प्रवाना हाथीं गुम्फा अभिलेख द्वारा, नदी, पहाड़, नगरों तथा विभिन्न प्रेशा या भौगोलिक स्थिति के विषय में हमारों जानकारी होती है। अपने का वह खार-खार कलिङ्ग वा राजा गहना २ : "मम पता चलता है कि राज्य का नाम कलिङ्ग (कलिङ्ग गजावन) तथा गच्छानी भा कलिङ्ग नगर नाम में प्रमिद्ध था। खारबेल की गानों के कुछ तत्व उसी स्थान पर मिल हैं जिसमें उसने अपने पति को कलिंग चब्रवर्णी खारबेल नाम से उल्लेख किया है। उसी मनदगी गहना के द्वारे अभिलेख में खारबेल कलिंगाभिपति कहा गया है। इसलिए यह कहना सरथा उचित होगा कि कलिंग राज्य भुवनेश्वर के समाप्त (उडीसा पात) विस्तृत था। इसे गाज उडीसा का नाम दिया गया है।

इसके समकालीन मगध का गजा गच्छायनिर था जिसके उत्तराधिकारी धनदेव को अयोध्या की प्रशासन में कोमल का गजा कहा गया है। वही प्रदेश गहडवाल लेख में उत्तर कोमल के नाम से उल्लिखित है (ए ड भा. २६ पृ० ६२)। बताएँ इस आधार पर अयोध्या का भाग उत्तर कामल गाना गया है और दक्षिण कोमल को प्रयागस्तम्भ लेख में महाकोमल कहा गया है।

गुप्त वंश के अभिलेख भी गुप्त मान्यमाय वी भौगोलिक सीमा स्थिर करने में सहायता करते हैं। समुद्रगुप्त की प्रवास प्रशस्ति में आर्यावर्त तथा दक्षिणाधिक उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के लिए व्रतमण पथुक किये गये हैं। उस लेख के विस्तृत अध्ययन में ज्ञात होता है कि उत्तरी भारत में उगका राज्य मध्युरा तक विस्तृत था। दक्षिण के शासकों का प्रदेश या गजावानी भी गजा के व्यक्तिगत नामों के माथ उल्लिखित है। पहला नाम कोमल का है जो दक्षिणाधिक की ओर अप्रसर होने पर समुद्रगुप्त द्वारा नव प्रथम पराजित किया गया। अत विद्वान् इसकी स्थिति मध्य प्रदेश में मानते हैं। वह उडीसा प्रदेश पार कर दक्षिण के अनेक शासकों को परास्त करता काची (जिला चिरगिरुपुट, मद्रास) तक पहुँच गया। उस लेख में दक्षिण भारत के नगरो—पीठापुर, एण्डयल, देवराष्ट्र आदि के नाम मिलते हैं। कामरूप (आसाम) तथा नेपाल भी

सीमान्त देशों में उल्लिखित है। कहने का तार्पण यह है कि गुप्त लेख में उत्तर तथा दक्षिण भारत के नगरों और प्रदेशों के नाम मिलते हैं। चन्द्रगुप्त द्वितीय के मेहरीनी लौहस्तम्भ लेख में पजाब के जीतने की चर्चा की गई है—

“तीत्वा सप्त मुखानि येन समरे सिंधोर्जिता वाहूलीका ।”

माहित्य ग्रंथों में भी पजाब का भाग सप्त निन्द्र के नाम से विलेखा गया है। महाभारत के आशार पर वाहीक (वाहूलीक) को पूर्वी पंजाब मानते हैं। इस प्रकार निन्द्र पाटी में सात नदियों—झेलम, जनाब, रावी, व्यास, सतलज, सिंध व काबुल को सप्त मुखानि कहा गया है। द्वितीय चन्द्रगुप्त के उद्यगिरि (विदिसा के समीप) गुहालेख तथा सौची के नोरण लेख मालवा पर गृह्यत साम्राज्य के विस्तार की कहानी मुनाने हैं। उसका रजत सिक्के के मुद्रालेख काठिया वाह पर विजय की पोषणा करते हैं। चन्द्रगुप्त द्वितीय के पश्चात् गुप्त राज्य की सीमा बढ़ न सकी। मेहरीनी लौहस्तम्भ, र्मची, बेदिका तथा उद्यगिरि ग्रहा में खुदे लेख विक्रमादित्य की कीर्ति द्याज भी गा रहे हैं। उसके पौत्र स्कन्दगुप्त के अभिलेखों में कहीं प्रदेश तथा क्षेत्र के नाम आते हैं : स्फूर्णदग्म हण्डि को पराजित कर राज्य के शासन का मुदृढ़ करने में लग गया। जूनांगड़ (वाडियावाड़) व इलाला लेख में सुगद्दू के रथण की बात कहीं गई है। सम्पूर्ण मुग्धपूर्वनिपालनाम : उसके उद्दीर्ण, दुन्दुमग्नहार, उत्तर प्रदेश) ताघपत्रमें गगा यमुना के मध्य (प्रयाग में हरिगंगा तह) —अन्तर्वेश के नाम में उल्लेख है। तथ्यशतान् बुधगुप्त के लेखों के जापार पर मा राज्य नाम का परिज्ञान होता है। बुधगुप्त के शासन-काल में बालिनी (यमुना) तथा नर्वेश नदियों के मध्य भाग पर नुर्शश्चन्द्र शासन करता था (एरण का विजायेय)। इस यामन के लेख तीन मध्य प्रान्त में लेकर उत्तरी वगाल तक राज्य सीमा का विस्तार बतलाते हैं। [मरण (मः परदेश), मारनाव (उत्तर प्रदेश) तथा दामोदरपुर (उत्तरी वगाल) का लेख] एरण ने द्वारा ने हुए राजा तोरमाण का लेख तथा मिहिर कुल का ग्वालियर लेख यह व्यक्त करना है। हुए बुधगुप्त के पश्चात् मध्य भारत पर हूँसों का अधिकार स्थापित हो गया था। उस लेख में “महाराजाधिराज श्री तोरमाण प्रयासनि” उल्लीण है और इसी हण नरेश के कुरा (माटट रेज़ पजाब) लेख में राजाधिराज महाराज तोरमाण लिखा है। इस कारण यह दानों लेख पजाब में मध्यभारत तक तोरमाण के राज्य-विस्तार की कथा मुनाते हैं।

मध्ययुग के पालवंशी अभिलेखों से भौगोलिक बातों को अधिक जानकारी होती है। धर्मपाल के याचीमपुर नामपत्र में उत्तर प्रदेश के पाचाल तथा कान्यकुब्ज, मत्स्य, अवन्ति (मालवा) तथा गान्धार (पश्चिमान्तर प्रदेश) के नाम मिलते हैं। नारायण पाल के भागतपुर दानपत्र में कान्यकुब्ज के लिए महोदय शब्द का प्रयोग मिलता है जिस पर पाल नरेश ने अधिकार कर लिया था। नालन्दा ताप्रपत्र में वर्णन आता है कि देवपाल ने श्री नगर भूक्ति में ग्राम दान किया था (जिसे वर्तमान पटना कमिशनरी से गमता कर सकते हैं)—गेन वज के लेखों में यह पता चलता है कि सामन्तसेन करनाटक (दक्षिण भारत) के क्षत्रिय कुल का वशज था। बल्लाच्छेन का मध्याई नगर ताप्रपत्र इसी की पुष्टि करता है। देवपारा प्रशस्ति में काम रूप तथा कर्तिग प्रदेश के नाम (इलोक २०, २१) उल्लिखित है जिनके नामके विजयमेन ने परगस्त किया था। इस प्रकार पाल तथा सेन लेख तत्कालीन भौगोलिक स्थान व प्रदेशों का परिज्ञान करते हैं।

दक्षिण भारत के लेखों में भी उत्तर भारत की भौगोलिक बातों का वर्णन मिलता है क्योंकि दक्षिण से शासकों ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था। गढ़कूट नरेश द्वुव के भोर सप्ताहलय के ताप्रपत में कौची, केरल तथा करनाट देश तथा सजन नामपत्र से भी उसकी जानकारी होती है। द्वुव के द्वाव में आने को गूचवा निम्न पवित्र से मिलती है—

गंगा यमुनयोर्मध्ये राजो गौडस्य नश्यत्

ल५मीर्लागविन्दानि स्वेतछत्राणि योहरत् ।

इसी प्रकार गृजर प्रनिहार के ग्वालियर प्रशस्ति में यद्दु के प्रभग में विभिन्न प्रदेशों के नाम मिलते हैं। नागभट्ट के सरबन्ध में एक पवित्र उत्तिलित है जिसमें आश्र, मित्थ, विदर्भ तथा कलिंग के नाम हैं

यवान्धर्मैन्प्रवर्विदर्भकलिगभूषै ।

कीमार धामानि पतग समै पाति ॥

वत्सराज के आक्रमण के वर्णन में आनन्द (दम्बई) मालवा, तृष्णक (मुसलमान) वास तथा मध्य (भरनपुर, अठदर आदि) जादि प्रदेशों के नाम आने हैं। ज्वालुवय लेख (श्रयहोल जैन मदिर प्रशारित) में ताकारान भौगोलिक स्थिति का विवाद वर्णन है। मराठेश नामक राजा ने भारत से बाहर रखनी वीप (रत्नालिंग के सामने) पर अनिकार कर लिया था। पुलकेशी द्वितीय न गवर्धित वर्णन लम्बा है। महाराष्ट्र कोसल (दक्षिण कोसल) तथा कलिंग धामकों को परामृत कर (रद्दीकेन सकोमल्ला कलिया) दक्षिण-पूर्व में काची तथा कावेर्ग के किनारे तक आक्रमण किया था। इस तरह श्रयहोल के नेतृत्व में दक्षिण भारत के विभिन्न प्रानों की स्थिति तथा नामकरण या पना लगता है। वीर पुष्पदत्त के नागर्जुनीशोडा लेख में कामोर गाम्बार, वर्ग, तनमामी तथा नामपाणी के भूगतां का उल्लेख है। कहने का तात्पर्य यह है कि अभिलेख के आवार पर भौगोलिक नाम अधिक साकार हो जाता है। वह साहित्यिक वर्णन को सबल बनाना है, पृष्ठ करना है तथा एकीकरण निश्चिन कर देता है।

भारतीय मालित्र में प्राचीन मार्ग सम्बन्धी विवरण भरे पड़े हैं, परन्तु इस तरह का वर्णन अभिलेखों में नहीं मलता। लेखों में विभिन्न राजाओं के यात्रा विवरण में प्राचीन भारत

के विभिन्न मार्गों का विवरण सामन आ जाता है। राधारण रूप से विभिन्न मार्ग

उन राम्तों की भौगोलिक स्थिति भी ज्ञात होती है। इसके अतिरिक्त लेखों में हाट तथा शृङ्क (चुरी) का वर्णन मिलता है। विभिन्न हाटों में नाना प्रकार के यातायात के उत्पकरण थे। माल के जाने के कारण चुरी का दर एक सा नहीं था। इसमें भी चुन्दर वर्णन व्यापारिक मंस्थाओं (थेणों) के मुखिया, थेणी तथा व्यवसायिक वर्ग के अग्रआ-सार्थवाह-का उल्लेख कई अभिलेखों में मिलता है। तात्पर्य यह है कि यातायात तथा व्यापार मध्यस्थी तर्जी में नल्लालीन मार्ग का साधारण ज्ञान होता है।

विभिन्न लेखों में उत्तरी भारत के लिए उत्तरापथ या आर्योदर्त का नाम मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रथाग स्तम्भ लेख में आर्योदर्त यादव सर्वत्रथम प्रयुक्त हुआ है। ईसकी पूर्व से मध्य-काल तक उत्तरापथ का अनिक प्रयोग लेखों में किया गया है। दक्षिण भारत के लिए दक्षिण-पथ की सदा सर्वत्र मिलती है। प्रथाग स्तम्भ लेख में वर्णित महेन्द्र (कोसल का राजा) से

लेकर घनज़ाय तक नभी दक्षिणापथ के शासक थे । (प्रभूति दक्षिणापथ राजग्रहण आदि) । नानाधाट लेख में शातकर्णी तथा रुद्रादामन के जूतागढ़ लेख में पुलमावि दक्षिणापथपति कहे गये हैं । इस प्रकार दो नामों से उत्तर तथा दक्षिण भारत के विशाल भूभाग को व्यक्त किया गया है ।

र्भास लेखों में अधिकतर युद्ध गाथा तथा शासन के प्रसंग में विभिन्न श्रेणी के लोगों का वर्णन भिजना है । यो तो बौद्ध साहित्य और जैन अगो में भौगोलिक विषयों का ज्ञान होता है । एक स्थान से दूसरे स्थान तक बुद्ध के जाने के लिए प्रशस्त मार्ग का अनुमान किया जाता है । ऊन्नेला गे श्रीवस्त्री का मार्ग सारनाथ तथा साकंत होकर जाता था उसी मार्ग से होकर अनार्यार्पाड़िक राजगृह आया था और भगवान् बुद्ध को निर्मात्रित किया था । स्थान बुद्ध उसी मार्ग से होकर वावस्त्री गए जिस मार्ग में स्थान-स्थान पर आराम भा कर्मान थे । विहार प्रान्त का सहस्रराम नामक स्थान पर एक महब्ब आराम (विहार) को कल्पना की जाती है जिसमें सहस्र आगम यानी महसगम नाम पड़ा । यूनानी राजदूत मध्यस्थर्नीज ने लिखा है कि मार्ग पर प्रस्तर गाढ़ कर उगर्छी दर्शन व्यत्ति की जानी थी । कहने का तात्पर्य यह है कि अशोक के पूर्व भी भारत में अच्छे मार्ग थे । अशोक स्वयं उज्जयिना तथा तक्षशिला का राज्यपाल था जिन स्थानों पर पहुँचने के लिए नृगम मार्ग अवश्य होगे । अशोक के द्वितीय शिलालेख में वर्णन आता है कि उसन मार्गों पर कुण्ड चुदुवाप तथा वृक्ष लगवाप (पयेसु कूपाब रवानार्पिता व्राताव रापार्पिता) । मौनी के नेता से यह पता लगता है कि भिलु काशमगांत ने बल्क्य तक बौद्धवर्म का प्रचार किया था (मार्गल मौनी प० २९१) । इन विभिन्न ऐतिहासिक साधनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पाटलिपुत्र में तक्षशिला तक राजमार्ग था, जिसकी शाखा सारनाथ से कोणम्बी तथा उज्जयिनी होकर भरीच (बन्दरगाह) तक चली जाती थी । मोपारा का भी नाम नृगभद्रत के नामिक लेख में मिलता है । इसी प्रसंग में यह कहना अन्यावश्यक है कि जो मार्ग नदी को पार कर जाते थे वहाँ पर घाट (ferry) बने थे और उस स्थान पर कर लगाया जाता था जैसा कि आज भी नदी घाट पर कर लिया जाता है । नामक लेख में इस पारदा, दमण, नार्पा, कर्वेणा, दाहनुका आदि नदियों के नाम आए हैं जिनके पाट पर लगाये गये कर को नृगभद्रत ने माफ कर दिया था (नावा पुष्टतरकरण) तथा यात्रियों के छहरने के लिए आरामगृह बनवाया था (एतासा च नदीना उभतो तीर सभा प्रपाकरण) ।

यदि अभिलेखों में शासकों के आक्रमण-वृत्तात का अध्ययन किया जाय तो यह पता चलता है कि मेना किसी मुगम मार्ग से दूसरे राज्य-सेना तक पहुँचता था । अशोक के तेरहवें शिलालेख में यह विवरण दिया गया है कि कलिंग में ढाई लाख आक्रमण मार्ग व्यक्ति बनाए गए और एक लाख सुदूर में मारे गए । इस कलिंग युद्ध में अशोक की कई लाख सेना भी युद्ध स्थल पर गयी होगी । अत इतने बड़े विशाल मेना के जाने का मार्ग अवश्य प्रशस्त रहा होगा (कलिंग विजितदिवठ मने प्रण यत-महत्वे ततो अपबुद्धे यत सहस्र-मन्त्रे तत्वहते बहु तत्वत के व मुटे) । उड़ाना के स्वतत्र होने पर खारबेल ने मगध पर बड़ी सेना के साथ आक्रमण किया । पश्चिम दिशा में सालवाहन नरेश शातकर्णी (वर्तमान आघ्रदेश का राजा) को परास्त किया । मम्भवत अशोक के मार्ग पर ही उसकी सेना आगे बढ़ी होगी । उस लेख में यूनानी राजा दर्मित के भारत में पवेश करने

का वर्णन है। गार्मि सहिता के आधार पर यवन आक्रमण की पुष्टि होती है। दिसित ने मीर्य कालीन राजमार्ग को ही आक्रमण का रास्ता चुना होगा जिस में सुगमता से उसकी मेना पार्टलिपुत्र तक पहुंच जाय। गुप्त सम्भाट् सम्भद्र गुप्त का दिविजय प्रथागस्तम्भ लेख में वर्णित है। समुद्रगृह न अपने दक्षिण के विजय-यात्रा में एक नवीन मार्ग का अवलम्बन किया जा आजकल प्रयाग से जबलपुर (मध्यप्रदेश) की ओर जाता है। इस अनुमान पर पहुंचने का कारण यह है कि दक्षिणापय के पर्वाजित राजाओं में कोमल का प्रथम नाम है जा वर्तमान महाकोसल (जबलपुर का नाम) माना गया है। इने जार कर गोडवाना जगल (महाकान्तार) हाने हुए समुद्रगृहने कलिंग दश में पदार्पण किया। दिविन-पूर्वी भाग के शासकों को परास्त करता (पैष्ठपुर, महेन्द्रगिरि आदि) वह काढ़ो तक गया तथा दक्षिण में अपनी विजय दुन्दुभि बजाकर पार्टलिपुत्र वापस चला आया। अनांव उसका वह आक्रमण मार्ग मेना के लिए सारल सिद्ध हुआ। उसके पश्चात् चन्द्रगृह सिंहमादित्य ने पठिनम भारत पर विजय किया। उसके उदयगिरि तथा ताँचों लेय इसे प्रमाणित करते हैं।

कृत्तनपृष्ठो जयायेन राजीवेह गहायत | उदयगिरि गुडाचेष]

यक नरेण को परास्त कर उज्जयिनी को उसने दूसरी राजधानी बनाई थी। चन्द्रगृह डिलोय की रजत मुद्राएँ यह बतलायी हैं कि मर्वप्रथम चौंदों के सिक्के परिवर्म भारत के विजय के पश्चात् प्रचलित किए गए। ग्रह-युग के पश्चात् ईशानवर्मन तथा हर्षवर्द्धन ने भी विजय-यात्रा की थी। पाल नरेण रम्भपाल गोट (उत्तर बगान) ने भना लेकर कान्यकुड़ा। उत्तर प्रदेश (उत्तर बगान) तक आया था जिसे कन्नोत्र में गुर्जर प्रतिहार राजा बन्सराज तथा गाएकट नरेण ध्रव से सामना करना पड़ा था। खालियर की प्रवासित तथा सजन ताम्रपत्र में ताना यागकों के युद्ध की चर्चा मिलती है। यह त्रिकाण युद्ध नभी सम्भव था जब सुगमता पूर्वक ननाएँ गया यमुना के द्वाब में पृथ्वी हो। बासवाडा ताम्रपत्र में भी गजा भोज के बोकड़ विजय का उल्लेख है। दक्षिण के चालुक्य पुलकेशी द्वितीय की विजय गाथा अयोग्य प्रभास्ति में विस्तारपूर्वक है। अनांव अभिलेखों के अध्ययन में विभिन्न भौगोलिक मार्ग का परिज्ञान होता है। पूर्व के मार्गों के महारे हो वर्तमान बाल में रेलवे का मार्ग निर्दित किया जा सका है। पश्चावर से बगान, दिल्ली म सूरा, मार्ची हाते बम्बई, पटना में प्रयाग, जबलपुर होकर बम्बई तथा कलकत्ता-मद्रास की रेल यात्रा पुरान मार्ग की याद दिलाती है।

इस द्वा विषय उल्लेख किया गया है कि पार्टलिपुत्र से राजमार्ग कौशम्बी तथा मालवा हांते भौतिक जाना था। अशाक के विलालेख सोपारा में प्राप्त हुए हैं जिनमें प्रकट होता है कि बन्दरगाहों पर भा शासकों का ध्यान था। प्रयाग से जबलपुर होकर बन्दरगाह तथा दिल्ली से दूसरा मार्ग मधुरा में भौतो होकर (वर्तमान समय में रेलवे) मिल जाते हैं। बम्बई के नमीप कल्याण से एक यात्रा पूना को ओर जाना था। कन्हेरो तथा जूनार के गुहालेखों में कल्याण के व्यापारिक महत्व का पता चलता है [ल्यूडम लिस्ट न ९८६, ९८८, १००१ इत्यादि]। नासिक गुहा लेख में भू-कच्छ तथा सोपारा (भूकच्छ, शार्परगे) पर नहपान के अधिकार का वर्णन है। क्षत्रप बशी शासक खदानन ने भी समुद्र के किनारे अपना अधिकार कायम रखवा। आनंद (उत्तरी काठि-

यावाड़) सौराष्ट्र (दक्षिणी काठियावाड़), कच्छ, अपरगन्त (उत्तरी कोकण सोमरा के समीप) भरोच आदि स्थानों का उल्लेख ज्ञानगढ़ लेख में आया है। इस प्रकार शक, धनवप नरेश महत्वपूर्ण मार्ग तथा बन्दरगाह पर अधिकार वी वावश्यकता समझत थे। इसके पूर्व चौथी सदी में समुद्रगुप्त ने सोमान्त राज्य ममतट पर अधिकार किया जहाँ ताम्रलिपि का बन्दरगाह विकसित हुआ। इसी स्थान से भारतीय लोग दक्षिण पूर्व प्रशांता के भूभाग में जाने लगे तथा भारतीय संस्कृत को फेलाया। दक्षिण भारत के चौल शासन में भी मुर्वण द्वीप तक जहाजे जाया करती थी। यानी बन्दरगाह के महत्व पर गजा का ध्यान था। यशोवर्मन के नालंदा विलालेख में मार्गपति नामक प्रदात्यकारों का उल्लेख है। जो स्थान् सड़कों का देख रख यानी मर्मित प्रबन्ध करता था जिसमें सेनाएँ भी बोवार उन मार्गों पर दृधर उधर आ सके। वह व्यापार के मार्ग पर नियंत्रण भी रखता था।

व्यापार के प्रबन्ध का भार पुराने समय में श्रेणी नामक मम्या पर था जो माझेदारों में व्यापार करती था। लेख में श्रेणी का वर्णन वर्ते स्पानों पर विस्तृत स्पष्ट से किया गया है और विशेष कर दान के प्रकरण में। राजा दान की सामग्री या धन श्रेणी साथवाहक के बक से जमा कर देता था। ग्रन्थ प्रग के दामोदरार ताम्रपत्रों में साथवाह शब्द का प्रयोग मिलता है जो व्यापार करने वाले पन्थों का जग्ता माना गया है। अमर कोश (३७८ में “पास्थान वहानि मार्थवाह,” उल्लिखित है। मार्थ का यात्रा करने वाले यान्धों का समूह कहत है। उस दल का नाम सार्थवाह होता था। कुमारगम प्रथम के अंगभूमि में काटिवर्ग (उत्तरी बगाल) के मार्थवाह वर्षमित्र का नाम मिलता है तथा वृत्तग्रुप के दामोदर पुर ताम्रपत्र म मार्थवाह वर्षमित्र का नामोदर्शन है। जातक कवाजों म तो वार्षिकत्व के सार्थवाह के स्पष्ट में कार्य करने की वार्ता कई स्थलों में वर्णित है। तात्पर्य सह ह कि व्यापार करनेवाले समृद्ध विभान्न मार्गों से आया जाया करते थे। नाहमान लेखों मे इन वाणज्यारक—वनजारा कहा—गया ह (गम्भत वणजारेषु—वृपभ भरित जसु पाइलान गमते ए इ भाग ११४ ६३)। व्यापारियों के समृद्ध बैलगाड़ी (वृपाभाना देशेक्षु) पर गामान लादकर वाहन जाया करते थे। योहेया बैल पर भी सामान लादकर बाजार में व्यापार आया करते थे जिन पर शक (चुरी) लगाया जाता था। दसवीं सदी के ग्रजपृत लेखों मे ‘मण्डपिका’ शब्द नुगी घर के लिए प्रयुक्त ह। इसमें जात होता है कि मुद्रण प्रदेश में व्यापारी सामग्री बचने वाजार में आया करते थे। बैलगाड़ी भारतवर्ष की अत्यन्त प्राचीन यात्री थी जिसका प्रयोग आज स पौर्व हजार वर्ष पूर्व भारत में होता था। मिट्टी की बैलगाड़ों खिलौने के लिए बनाई जानी थी। मोहन-जाईदों का खुदाई में बैलगाड़ों की आङ्कुत खिलौने के स्पष्ट में उपलब्ध हुई है जिसमें समाज में उसके प्रयोग का आभास मिलता है। इसा पूर्व दूसरी सदी के मानवाहन लेख में ‘सकट’ शब्द का प्रयोग मिलता है। नाहमान लेख में गाड़ शब्द आता है। इस यात्र के ग्राम त्रिभिन्न मार्ग पर आवागमन हुआ करता था। इन विषयों की जानकारी के पश्चात् यह कहना उचित है कि अंगभूमि से भीगोलिक विषयों का परिज्ञान होता है।

अशोक के प्रथम स्तम्भ लेख में अन्तमहामात्र का उल्लेख मिलता है। सम्भवत यह

कर्मचारी बाहर से आने वाले लोगों पर निगरानी रखता तथा मुद्रापक (पासपोर्ट) का प्रबंध करता था। कौटिल्य ने इस तरह की प्रणाली का वर्णन किया है।
 सीमान्त की निगरानी में ग्रास्थनीज द्वारा वर्णित पाटिलपुत्र के छ उपमितियों में दूसरा समिनि विदेशियों को देख रख करती थी। गुप्त युग में समुद्रगुप्त ने सीमा राज्यों से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया था। वे सभी गुप्त सम्राट् का लोहा मानते थे। प्रयाग स्तम्भ लेख में उनमें कर वसूल करने का विवरण मिलता है (सम-
 तट डवाक कामरूप नेपाल कर्नूपुरादि प्रथ्यन्त नृपतिभि सर्व कर दान आज्ञाकरण प्रणाम)। सारांश यह है कि सीमा पर विदेश में आने वाले लोगों पर निगरानी रखने जाती थी। उपरि उक्त विश्लेषण से प्रकट होता है कि मौर्य काल में, भारत में, मुगम माग स्थित थे। साहित्य के वर्णन को यदि अभिलेखों से पुष्ट किया जाय तो प्राचीन भारत का गौणोलिक विवरण सुन्दर रीति से लिखा जा सकता है।



अभिलेखों का विवेचन

भारत के प्राचीन माहित्य में ऐसे ऐतिहासिक ग्रन्थों का अभाव सा है जिनमें आधुनिक छग तथा वैज्ञानिक विश्लेषण की रीति में इतिहास का वर्णन मिलता हो। इसका यह अर्थ नहीं है कि इतिहास के पठन-पाठन से लोग उदासीन थे और ऐतिहासिक ग्रन्थ लिखने की ओर अभिरक्षा न थी। द्रविड़ियास के महत्व का समझकर ही इसे पचम वेद कहा गया है (इतिहास पुराणच पञ्चमो वेद उच्चये छाऽ उ० ३।१।२) । जनतातथा राजा के दैनिक जीवन में इतिहास की काहानियाँ सुनने का समय निश्चित था जो इतिहास-प्रेम की बात को प्रमाणित करता है। पुराणे साहित्यकार मुख्य विषय के प्रतिवादन में मलमन रहते थे और जो घटनाएँ आवश्यक होनी थी उन्हें ग्रन्थ में किया दिया करते थे। उस बात की उन्हें चिन्ता न थी कि घटनाओं की इतिहास का नक्शा देना है। ग्रन्थ लिखते समय निर्धि के क्रमानुसार विषय का प्रतिवादन मुख्य न था तथा उस ओर भी कम ध्यान रहता था कि उन्हें ऐतिहासिक महत्व देना है। भविष्य में जनता उन्हें इतिहास समझकर पढ़ोगों गेयों धारणा भी विद्याना में न थी। यहाँ कारण है आधुनिक छग पर न लिनने के कारण उन ग्रन्थों को इतिहास की सज्जा नहीं दी गई है। बहुत समय तक पुराणों को धार्मिक तथा कार्त्तिक वृतान्तों का भण्डार समझा जाना रहा परन्तु भारतीय विद्वानों ने उनके अध्ययन से वास्तविक इतिहास का पता लगाया है। पुराणों में वर्णन के आधार पर यामकों का नाम तथा वश का विवरण उपस्थित किया गया है। उन वशावलों में वैज्ञानिक रूप से कालद्रव या विवार नहीं दिखाई रहता बल्कि उन पर्यूष विश्वास नहीं किया जाता। कभी तो उन्नीं विवार घटनाओं में धर्मात्मक चित्र नामने जा जाते हैं। मन्त्रकारीन अभिलेखों में पुराण को प्रत्यक्ष जाप्तों के साथ ही उल्लिखित किया गया है।

काव्य लिनने समय लेखकों ने ग्रन्थ मरकाकका नाम प्रमगवश वर्णित किया है या जिसी ऐतिहासिक पुहर का नेकर नाटक अववा कथानक की रचना की है। ऐसे ग्रन्थों में तम्कालीन मामाजिक इतिहास का ज्ञान हो जाता है।

काव्य का इतिहास हर्ष चरित, विक्रमाकदेव चरित, गोडवहो तथा रामपालचरित का नाम उल्लेखनीय है जिन ग्रन्थ रत्नों ने इतिहास लिखने में सहायता पहुँचाई है। जैन हरिगिर, दीघनिकाय तथा जातक उस श्रेणी तक पहुँचते हैं। यहाँ तक कि पाणिनि के सूत्रों के अध्ययन से भी ऐतिहासिक गुटिया मुलझाई गई है।

प्राचीन ग्रन्थों में पुष्पिका लिखने की परिपाटी थी जिसमें ऐतिहासिक मत्य बातें सम्मुच्छ आ जाती है। हस्तलिखित ग्रन्थों की पुष्पिकाएँ विश्वसनीय समझी जाती हैं जो इतिहास जानने में सहायता पहुँचाती है। सोमदेव रचित 'यश निलक' की पुष्पिका में उल्लेख मिलता है कि वह ग्रन्थ यक ८८१ चैत्रमास में चान्द्रक रात्रकुमार के समय में समाप्त किया गया था जो कृष्ण राज देव का सामन था। यह क्रम कई सदियों तक प्रचलित रहा और तेरहवीं सदी में साधन ने

त्रहग्वेद भाष्य की जो पुष्टिका (निम्न प्रकार से) लिखी थी वह मच्चा ऐतिहासिक विवरण उपस्थित करती है—“इति धामद् राजाधिराज परमेश्वर वैदिक मार्ग प्रवर्तक बुक्क साम्राज्य धुरवरेण माध्यणाचायेन विरचिते माधवीये वेदार्थ प्रकाशे ऋक्महिना भाष्ये ।” इसके अध्ययन से विजय नगर साम्राज्य के शासक तथा प्रसिद्ध विद्वान् सायण के नाम की उपलब्धि होती है। पुष्टिका की इस पक्षि से किनना इतिहास छाहै, इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। इस प्रकार के ललेख में एक ही त्रुटि है कि पुष्टिका में शासक की वदावली या अन्य ऐतिहासिक वार्ता का पता नहीं चलता। संक्षेप में यह कहना उचित होगा कि साहित्यकारों ने भारताय इतिहास का ढाढ़ा हमारे सामने अवश्य रखका जिसमें अन्य साधनों से सुन्दरता लाने का प्रयत्न किया गया है।

इतिहास के अन्य साधनों में अभिलेख अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं जिनसे भारत के विभिन्न राजवंशों का इतिहास ज्ञान होता है। मान्द्रिय के अतिरिक्त प्राचीन इतिहास जानने के लिए शासकों द्वारा मुर्गित आजापत्रेष्व भी महाया मिल होते हैं। इनके आरम्भ में मिद्ध अथवा स्वरूप शब्द लुढ़े ही तथा अकिन मिले हैं। स्वरूपक विरुद्ध या श्रोत्रन्मुख के चिह्न अशोक के धर्मसंख्य द्वयी श्रेणी के हैं। योंको ने लेख में—द्वात् पियम वचनेन तोर्मालिय महामात् नगल विष्णोहालका वनविष्य—एक प्रकार का जामन-पत्र ही था।

शासन-पत्र

केन्द्रीय यामन में जा आजापत्र निकलने थे उनका पविलिय प्राचीय या स्थानीय कार्यालयों में रक्खी जानी थी। कहा जाकि उम कार्य का सम्पादन हुआ, उमकी मृत्यु के द्वारा वो अवश्य भेजा जाना हांगा। इनना हाँ नहीं प्राचीय शासक वालिक विवरण भी केवल या अवश्य भेजता रहता। भारत न बाहर मध्य राजव्य में गों जाजा-पत्र लकड़ी को तहीं, वर्तन अथवा चम्प पर किसे प्राप्त हुआ है। इन यामन पत्रों में यामन-सम्बन्धी ऐतिहासिक वृत्तान का परिचान होना त्रै।

अग्निकल्प आजापत्र प्रकृत तथा न भारत पर उत्कीण मिल है। परातन्त्र सम्बन्धी अन्वेषण म जशरों का ज्ञान हैं जाने पर उन पत्रों के पाठन का असमर्पण मिला। अब में प्रश्नान्वयों या

प्राचीन लेख

अभिलेखों अध्ययन में वर्णमाला का जान हुआ ओर तत्प्रश्नान् प्राचीन

का महत्व

हम्मन्तर्लिखित एन्ट्रेने तथा आजापत्र पढ़ गए। संक्षेप में यह कहा जा

सकता है किसाहित्य जहा द्रौपीव हनहा परातन्त्र आदि विग्रहोंकी महायना लेख इतिहास तथार किया जा सकता है। इतिहासकार लिखित सामग्रिया पर निर्भर करता है परन्तु परातन्त्र हजारा वर्ष पुराने वर्णदर्शों को खोदकर इतिहास उपस्थित करता है। कीटित्य र्गचन अर्थशास्त्र म उल्लिखित वानों को मूर्तिमान् या स्थानीकरण में अशोक के लेख कितने महायक सिद्ध हुए हैं, यह किसी विद्वान् से छिपा नहो है। कालिदास विरचित रघुवश में वर्णित विजययात्रा की पुष्टि हरियों लिखित समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भ लेख से होती है। इसो तरह हर्य के लेखों से (मधुवन तथा बैमखेडा) वाण के कथन की पुष्टि होती है। अभिलेख में हर्य के हस्ताक्षर के पर्णक्षण में राजाज्ञा की प्रमाणिकता की बाते जानी जाती हैं। संक्षेप में यह कहना युक्ति समत होगा कि ऐतिहासिक माधनों में प्रशस्ति का स्वान सर्वोपरि है। अभिलेख लघु तथा दीर्घ शब्दावली में उत्कीर्ण मिले हैं। पुरातन्त्र सामग्रियों में मुद्रा लेख तथा प्रतिमा-लेख से भी इतिहास का सुन्दर चित्र सामने आ जाता है। यही कारण है अभि-

लेखों से किसी सामग्री की समता नहीं की जा सकती। इन्हीं अमूल्य अभिलेखों के अध्ययन के फलस्वरूप प्राचीन भारत का इतिहास वैज्ञानिक ढंग पर लिखा गया है। भारतीय संस्कृति की प्रामाणिक रूपरेखा इन्हीं प्रशस्तियों तथा लेखों की सहायता से सामने आई है। उनके महान् कार्य का मूल्य आँका नहीं जा सकता। उनके अभाव में भारतीय इतिहास का ज्ञान अधूरा रह जाता। प्रतिहासिक अनुसवान में अभिलेखों ने अधिक सहायता का दी है। छोटे-छोटे लेखों में अमृत्यु प्रेतिहासिक सामग्री मिलती है। उदाहरणार्थ—मास्की लेख के आधार पर ही मौर्य सम्राट् का व्यक्तिगत नाम ‘अशोक’ प्रकाश में आया अत्यथा उसे प्रियदर्शी की सजा दी गई थी जो अन्य सभी लेखों में पाया जाता है। अशोक के स्थानदर्श स्तरन लेख के आधार पर लुम्बिनी बृद्ध का जन्म स्थान कहा जाता है। उग्री अभिलेख में मौर्य सम्राट् द्वारा तीर्त्यवाचा के पश्चात् भूमि कर को घटाने का वर्णन है। अत्त में यह कहा सर्वथा उचित हाथा कि भारत के प्राचीन अभिलेख इतिहास का निधि है जिनके अनुशासन में भारत के गौरव तथा सामूहिक उत्थान का परिचान होता है।

अभिलेखों को कई श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। अधिकतर लेख राजाज्ञा में लोडे जानेवाला उनका एक योग होता था। यामन सम्बन्धी लेखों में गजनीति की चर्चा मिलती है। दान दान के उपकार में उत्कर्ष लेख दान गम्बवन्या बानो पर प्रकाश ढालते हैं। प्रतिमा पर खुदे लेख राजा की धार्मिक भावना तथा परिचान करते हैं। राजा के विजय यात्रा का वर्णन राज्य विभास की सीमा; बनलाता है। कई लेखों में यामक के द्विग्वरय का विवरण उल्लिखित है। यदि लेखों का अध्ययन किया जाय तो पना नलना है कि प्रगस्तिकार अपने सरकार का आश्रयदाता की प्रथमा में कुछ अनिश्चयाकृत के गाथ लेखों की रचना करता था। इमलिए लेखों का अध्ययन करने समय वैज्ञानिक रूप से विचार करना आवश्यक है।

लेखों का वर्गीकरण—अभिलेखों दो तिप्पणीयों में विभक्त करते हैं।

(१) धार्मिक तंत्र—ऐसे आभिलेखों में वृद्धषा धार्मिक चर्चा की गई है। प्रसगवश अन्य वारों का उद्देश्य सिर जाना है। उनका उद्देश्य धार्मिक कार्य का प्रसार था। जैसे अशोकके धर्म लेख।

(२) प्रथमा मक धीन तंत्र—यामक की प्रथमा ही इसका उद्देश्य होता है। यामनों का उल्लेख उस प्रधार द्वारा गया है कि उसमें यामक के धीन वर पर प्रकाश पड़े। यगोधर्मन का मदगोर लेख, समदगुप्त का प्रयाग स्थल-लेख, मौर्यवर्ग नेश ईशान वर्मा का हरहा तथा पुलकियन का अयोद्धा को प्रस्तुतियाँ इसके उदाहरण हैं।

(३) स्मारक-लेख—अशोक का लुम्बिनी लेख। यामक ने किसी पटना के स्मारक में अभिलेख खुदवाया हो।

(४) जाजा-गढ़—यामोदग्धर (उत्तरी बगाल) तथा नालदा के ताप्रपत्र।

(५) दान-गढ़—बगवर का गहा लेख।

उच्ची सदी ते ९वीं सदी तक के ताप्रपत्र दान-गढ़ के रूप में उत्कीर्ण किए गये थे। ईसा पूर्व तीसरी सदी तक भारत में लेख अनेक उद्देश्य से उत्कीर्ण होने रहे। अशोक के लेख भारत के प्रत्येक प्रदेश में मिलते हैं। मौर्य साम्राज्य के विस्तीर्ण होने पर भी अभिलेखों का महत्व उन लेखों में कोई को मद नहीं पाया जाता। उनका एक ही उद्देश्य था—धर्मानुशासन। अतापि अशोक के धर्म लेखों में एक रूपकता दिखलाई पड़ती है।

प्राचीन समय के सहस्रों लेख प्रकाश में आए हैं तथा आज भी खुदाई से नए अभिलेखों का पता लगता है। किंतु प्राचीन स्थानों की खुदाई अभी आरम्भ भी न हो सकी जहाँ से अनेक सारगम्भिन लेखों का परिज्ञान होता। अभिलेख सभी साधनों में अधिक विश्वसनीय माने गये हैं तोभी एक ही पटना का विवरण विभिन्न लेखों में एक सा नहीं पाया जाता। विद्त समाज उन पर विश्लेषणात्मक रूप में विचार करता है। उनकी प्रमुख विशेषता यह है कि प्रशस्तिकार समामायिक घटनाओं पर भी प्रकाश डालता है। लेखक कभी परम्परागत बातों का भी समावेश करता है। जूनागढ़ लेख (ई० स० १५०) लिखते समय मौर्यकालीन घटनाओं का विवरण देना इतिहासिक तथ्य को सामने रखता है।

मौर्य यंग में प्राय समस्त भारत की एक भाषा प्राकृत यी तथा लिपि ब्राह्मी। उत्तर पश्चिम भाग में यरोषी का भी प्रचार था पर भाषा प्राकृत ही थी इसलिए लेखों में अधिक नमता है। मौर्य वास के पश्चान् भारत में मान्त्राज्य स्थिर न रह सका इमिलिं लेख भी गम्भीर रूप में नहीं मिलते। विभिन्न राज्यों की पृथक् ममस्या थी। अतएव उनके लेख उग्री दोष की बातों की चर्चा करते हैं। युग वश के लेख, आद्रवश के लेख तथा कलिङ्ग के लेखों में विभिन्नता है। यद्यपि मर्भी एक ही यंग (मौर्य काल के बाद) में लिखे गए थे परन्तु पर्मिशन के अनुभार उनमें भिन्नता आनी गई। युग काल में सम्झूत राजभाषा हा गई। अनांव गम्भीर लेख तथा मुद्रालेख सम्झूत भाषा नवा गुरुलिपि मूलिलते हैं। उनके उद्देश्य में एकता दाल पड़ती है। सातवीं मर्दी के बाद भारत में छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हो गए। प्रतिरार, पाल तथा गायूकूट वशों में युद्ध तथा प्रतिस्पर्द्धी की भावना काम करने लगी। विचारका में गायुंवता की कमी हो गई। इसलिए लेखों का सीमित दोष तथा प्रान्तीय भाषा में उक्तीर्ण होना स्वाभाविक हो गया। क्रमशः हमें लेखों में घण्टि अन्वर दिव्यलाई घटता है। पूर्व मध्यकाल में ('०००-१२०० ई० तक) लेखों की मरुया अनभिन्न होने पर भी व्यापकता में कमी आ गई। वे प्रान्तीय विचार के समर्थक हीं या प्रतिरार उनमें अनुरूप का मिलता स्वाभाविक है। उनकी भिन्नता होने हए भी उन लेखों का विचार पूर्ण अद्ययन हमें दीनिहाम लियने में महायता करता है तथा उनके सहारे गायुंवत इतिहास का निर्माण होता है। माहिय में उन प्रशस्तियों की जाना भाँत ही पृष्ठ हो जाय परन्तु उनमें लेखों का महत्व कम नहीं हो सकता। उनका वास्तविक मूल्यानन बड़ा कठिन है भीग राजनीतिक तथा गायूकूटिक इतिहास की जानकारी निर्मल लेखों का ज्ञान परमावश्यक है।

लेखों का मरभार अध्ययन अनेक मामूलिक विषयों पर प्रकाश डालता है। किसी शासक की शक्ति तथा इतिहास में उसका स्थान अभिलेखों से समझा जा सकता है। यदि लेख न होते तो अशोक के जीवन को जाँचो हम नहीं मिल पाती और गम्भीर लेख तथा सम्झूति का महान सम्भास्त वह कदापि माना नहीं जाता। उसके धर्मविजय तथा सहिष्णुता को प्रशंसा न होती और आज का भारत अशोक स्तम्भ के सिरे का अपना राष्ट्र चिन्ह नहीं स्वीकार करता। कलिंग राजा खारबेल तथा महाक्षत्रप रुद्रदामन का जीवन वृतान लेख के बिना अनभ्य रहता। हाथी गुफा तथा जूनागढ़ के लेख ही उनके जीवन पर क्रमशः प्रकाश डालते हैं वरन् नाम के सिवाय सभी उनके इतिवृत्त से अनभिज्ञ रहते।

भारतीय इतिहास में ऐसे काल हैं जिनका विवरण मुद्रा-लेखों पर निर्भर है। भारतीय गूढ़नामों शासकों के विषय में तथा पदिवर्मी भारत के धत्रप शासकों को बशावलों का परिज्ञान मुद्रा-लेख के महार होता है। धत्रा मिक्को पर महाप्राप (शासक) के साथ सहायक व्यक्ति (जवान) का नाम ही उनकीर्ण नहीं है बारक सामाजिक सम्बन्ध भी उल्लिखित है। जैसे पिता पुरुष, भ्राता भगिनी आदि।

गुप्त ग्राहाद् समुद्रग्रास का फिलिंगजय प्रथाग स्तम्भ पर खुदा है। सम्भव है कालिदास ने उसा का 'यान म रखकर रथु के विजय याना का वर्णन किया हा। उस की तुलना द्वितीय चन्द्र गुप्त के मेघगीर्जा स्तम्भलेख के वर्णन में भी को जा सकती है। उसका उदयगिरि तथा सांचो का लेख पश्चिम भारत पर विजय के जाते जागते प्रमाण है। उन लेखों के बिना गुप्त मध्याटो का जीवन अन्तराग्रहण रहता। बाण ने हर्ष का जीवन चरित लिखा तो भी हर्षवर्णन के मध्यवन तथा वामघोडा के लेख इस ग्राजा के जीवन की घटनाओं पर कम प्रकाश नहीं डालते। हृदेनसाग का विवरण अथवाल के लेख में पृष्ठ किया जाता है। कह हर्ष वर्धन को द्वितीय पुलकेना ने परास्त किया था। हर्षा का लेख मालविंग का अस्तीय इतिहास वर्णित करता है। लेखों का अध्ययन यह बताता है कि कृताव के लिए वर्षपाल (पालराजा) ध्रुव (राष्ट्रकूट नरेश) तथा बनसराज (मुर्जिं प्रतिटार राजक) के मध्य युद्ध हुआ था। नामों शासकों न क्रमश बगाल, दक्षिण तथा राजगताना का भारत में भाका महादप (कान्यकुबज) पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए युद्ध किया क्योंकि कान्यकुबज पूर्वमध्य यम का प्रधान नगर था तथा प्राचीन पाठलिपुत्र के सदृश विरुद्ध था।

पुराणों में वर्णित राजवंशों का उल्लेख प्राचीन अभिलेखों में पाया जाता है जिससे पुराणों को प्रामाणिकता में विवास हो जाता है। पुराणों में मौर्य के पदचात् शुग लोगों के जासन का वर्णन आता है। पृष्ठमित्र जग ने मौर्य वंश का अत किया पुरुण तथा लेख था। अयोध्या की प्रशास्त में पृष्ठमित्र को मेनापति (मनापते पुष्ट-भिररय) कहा गया है। इसी प्रकार मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सातवाहन वंश न आगया। पुराणों में दृष्टे आध्र या आध्रमूर्त्य कहा गया है जो मुद्रा लेख में सात वाहनग नथा नामक गहा लेख में शानवाहन कुल के नाम से उल्लिखित है। इस प्रकार पुराण के वर्णन का लेखों के विवरण में पृष्ठ करते हैं। भारत में गूढ़नामों राजाओं में मिलन्द का नाम साहित्य में (पाकत्र प्रथ मिविन्दपञ्चों) पता चलता है। उसके द्वारा प्रचलित मिक्को पर लगोष्ठ में महरजस त्रवर्गम मिनद्रेस—लिखा मिला है। उसी राजा का एक लेख पश्चिमोत्तर (मरहदो मूर्वे) प्रांत के पश्चिम गोद्वार रिधामत में मिला है जिसमें उसका नाम—मिनदेग महरजस करिअस दिवम आर्द अकित है। वह लेख खगोष्ठी तथा प्राकृतभाषा में है। इस तरह लेख के नाम उत्तर परिचय में उसका शासन प्रमाणित होता है।

उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसे लेख तथा मुद्राएँ उपलब्ध हुई हैं जिसमें पता चलता है कि मध्य, नल, मेकल वर्षी राजाओं ने तीमरी-चौथी शताब्दियों में राज्य किया था। पुराणों में भी इन शासकों के नाम मिलते हैं। इनके लेख गीवा के समीप बन्दोगढ़ तथा प्रयाग के समीप कीशमर्मी में मिले हैं। इस प्रकार पुराणों के कथन की पुष्टि लेखों से प्रोती है। साहित्य (विशेषतया वैदिक साहित्य) में जिन ज्ञों का वर्णन है उनके नाम नानावाटनेख तथा नन्दसा

यज्ञस्तम्भ की प्रशस्ति में उल्लिखित है। अतएव साहित्य की घटनाओं अथवा विवरण को विश्व-सुनीय बनाने में अभिलेखों ने पर्याप्त सहायता पहुँचाई है।

भारतीय नरेशों की एक महान् विशेषता रही है कि वे किसी धर्म के कटूर अनुयायी न थे। अभिलेखों में ही अधिकतर दूसरे बान का परिज्ञान होता है। उन राजाओं के जीवन की

यह विशेषता होते हुए भी साहित्यकारों का ध्यान उस ओर क्यों नहीं

धार्मिक सहिष्णुता गया, यह कहना कठिन ह। परन्तु विभिन्न शासकों के अभिलेखों के

बध्ययन से यह विदित हो जाता है कि अमुक गजा सहिष्णु था।

अशोक ने बाहरवे प्रधान शिलालेख में स्पष्ट रूप यह से आज्ञा जागी की थी कि कोई अपने धर्म की प्रशस्ता तथा दूसरे धर्म की निन्दा न करे। इस कार्य से अपना धर्म और भी बृद्धि के बदले क्षीण हो जाता है—

पुजेतिव्य व चु पर—प्रपड नेन तेन अकरेन। एव करत अत प्रपड बदेति पर-प्रपंडस पि च उपकरोति। तद अब्रथ करमिनो अत प्रपड अणति पर प्रपडस च अपकरोति। यो हि कचि अत प्रपड पुजेति पर प्रपड गग्हति सत्रे अतप्रपड भतिथ व किति अत पड दिपयमि ति सो च पुन तथ करतं सा च पुन तथ करतं सो च पुन तथ करत बदतर उपहति अत प्रबंड। सो सयमो वो सधु ॥”

पिछले युग में भी ऐसी बातों का उदाहरण मिलता है। दक्षिण भारत के सातवाहन नरेशों के लेखों में एक और वैदिक यज्ञ का वर्णन है (नाना घाट का लेख) और गोतमीपुत्र शातकर्णी अपने को एक ब्राह्मण कहता है। वही शासक बौद्ध संघ को गुहा दान करने में गर्व का अनुभव करता है। नासिक लेखों में भद्रावनीय संघ तथा वाल गुहा लेख में महासंघिक भिक्षु शास्त्रा की दान देने का विवरण पाया जाना है। मातवाहन शाल में ही अमरावती स्तूप एवं बुद्धप्रतिमा का निर्माण हुआ था। अष्टवर्ष तो यह है कि मानवाहन के उत्तराधिकारी कृष्णा घाटी के शासक इच्छाकृ नरेश वैदिक यज्ञ के कर्ता ये परन्तु उन्होंने बौद्ध धर्मावलम्बी कन्याओं से विवाह किया था। उन्हें किसो धर्म में विरोध नहीं था। गुप्त नरेशों की भी यही दशा थी। परम बैण्डव होकर भी शैव तथा जैन मतानुयायी पदाधिकारियों को निपुक्त किया था तथा बौद्ध कला को प्रोत्साहन दिया था। मध्यगुग के शासक पाल नरेश परम नीगत (बौद्ध) होकर भी ब्राह्मण देवताओं के लिए दान दिया करते थे। धर्मपाल के खामोपुर नाम्रपत्र में नर नारायण (विष्णु) के मन्दिर को दान देन का विवरण है। भागलपुर के ताम्रपत्र में भिवमदिर को अग्नहार देने का वर्णन है। नारायण पाल ने सौकटों शिवमदिरों का निर्माण किया था तथा पात्तुपत आचार्य का मंदिर का पदाधिकारी बनाया था। इस प्रकार बौद्ध धर्मानुयायी द्वारा हिन्दू देवों के पूजा निर्मित दान का विवरण सहिष्णुता का परिचायक है।

प्राचीन भारत के अभिलेखों का अध्ययन भारतीय समाज के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डालता है। शासक का ध्यान प्रजा के मुख-वैभव की ओर सदा लगा रहता था। अशोक ने

स्पष्ट रूप से कहा है कि अमुक कार्य करना श्रेयस्कर है। उसके निर्दिष्ट आर्थिक सामाजिक तथा मार्ग पर चलने में प्रजा को इस लोक में सुख मिलेगा तथा वाद में

शासन-ध्यवस्था स्वर्ग की प्राप्ति होगी—साधुं यं कटविये तथा कलत हिंद लोकिये चकं आलवे होति पलत च। अनत पुना पशवति तेना धंमदानेन

(११वा शिलालेख) मौर्य सम्राट् ने प्रजा के सुल के लिए नहरें सुदर्शाई थी । महाकाशत्रप रुद्र-दामन के जूनागढ़ लेख में नहर तथा नालियों का विवरण उपलब्ध है । कुमारगुप्त प्रथम के बिलसद स्तम्भ-लेख में प्रासाद के साथ धर्मसत्र (अश्रसत्र) का वर्णन मिलता है । बंगाल के बौगरा जिला के एक लेख में राज्य के अन्न-भण्डार से अकाल-पीडित प्रजा में अन्न विभक्त करने का वर्णन आया है । जनता के कष्ट निवारण के लिए ही अन्न विभक्त किया गया तथा राजा द्वारा ऋण दिए गए । नालदा के एक ताघ-पत्र में ऐसा ही वर्णन आता है कि महाविहार में निवास करने वाले रोगी भिक्षुओं के लिए भोजन, आसन, औषधि, वस्त्र आदि का प्रवध किया गया था । देवपाल का नालदा ताप्रत्र अपने हठ का अकेला दानपत्र है जिसमें राजा के उदार-हृदय की चर्चा चरितार्थ की जा सकती है । पाल शासक ने जावा के राजा बालपत्रदेव की प्रार्थना पर पाच गाथ दान में दिया था । इस कार्य से उसके विश्वप्रेम की झलक मिलती है । प्रजा के सुख की कामना में ही विछले गुप्तवशा नरेण आदित्यसेन की पन्नी काणदेवी ने तालाब का निर्माण कराया था । दत्तिण भारत के घटमाला (कृष्ण जिला) के लेख में महानाविक विवक का वर्णन मिलता है जिसमें प्रकट होता है कि व्यापार के लिए भारतीय जहाज लेकर समुद्र पार यात्रा करते थे । इस तरह समाज के आधिक जीवन पर प्रशस्तियों द्वारा प्रकाश पड़ता है ।

पार्वीन शासन प्रणाली के सम्बन्ध में भारतीय अभिलेखों में पर्याप्त ढंग से चर्चा की गई है । अद्योक्त के समय ग ही पदाधिकारियों की पदबी तथा कार्य के सम्बन्ध में उल्लेख पाया जाता है । यहाँ यह प्रकट होता है कि प्राचीन गरजनीति ग्रन्थों में वर्णित कर्मचारियों की नियुक्ति शासक द्वारा की जानी थी । कार्य प्रणाला को ज्यावहारिक रूप में दर्शाया गया है । भारतीय लेखों की चर्चा अन्यथा विलेखी जितका विस्तृत विवरण यह है अनुपयुक्त है । इस विषय में अधिकतर लेख एक समान चर्चा करते हैं । दाकेण भारत के दो विशिष्ट लेख हैं जिनका स्थान प्रमुख समझा जाता है । एक लेख नंजोर के समाप्त नालूर में तथा दूसरा मद्रास के समीपवर्ती उत्तर मेहरूर नामक स्थान पर मिला था । इनके अध्ययन में यह जाता है कि मध्ययुग के आरभ में ग्राम शासन किम ढंग न होड़ा था । सामाजिक कार्य को देखते रख करती थी । धार्मिक, आधिक तथा स्थानीय विषय को सभा पूर्ण रूप से समान करती थी । उत्तर मेहरूर का लेख अपने ढंग का अकेला अंगभलेख है जो सभा की त्रिभिन्न उपसमितियों, सदस्यों का चुनाव तथा कार्यशाली पर प्रकाश दालता है । नालूर का लेख ९वीं सदी से १३वीं सदी तक प्रचलित चोल शासन का विवरण उपस्थित करता है । विशेषकर वर्णन आता है कि राज-राज प्रथम के समय में व्यापारी द्वारा मंदिर की भूमिदान दी गई थी, उसका प्रवध-समिति की बैठक नालूर के राज-राजन सभामण्डप में हुआ करती थी (सा. द. द. भा. २ लेख नं. ३२२ सन् १९१०) । उसमें यह भी कहा गया है कि जो अधिक ग्राम या मंदिर सम्बन्धी कार्य का विरांग करेगा वह ग्राम द्वोहिन रुमझा जायगा और उसे समाज के अधिकार से वचित किया जाएगा । अधिकतर लेख मंदिर की दीवार पर खुदे हैं । इस कारण उनमें धार्मिक चर्चा, दान आदि की प्रधानता है । इस तरह ९वीं सदी के नालूर लेख में ग्राम सम्बन्धित विषयों की चर्चा मिलती है ।

उत्तर मेहरूर लेख का अध्ययन प्रजात्र ढंग की शासन पद्धति पर प्रकाश दालता है । समिति का रूप, उस समिति का चुनाव, चुनाव-टिकट तथा उपमीदवार सम्बन्धी विषद विवरण उन प्रशस्तियों में किया गया है । उससे पता चलता है कि उस भूभाग के निवासी गरजनीतिक

अधिकार तथा चुनाव सम्बन्ध की ओर विशेष ध्यान देते थे। न्याय तथा तार्किक विचारों का आश्रय लेकर अपना कार्यक्रम स्थिर करते थे। उत्तर मेहर के लेखों में पल्लव शासन (नवी सदी) से लेकर १३ वीं सदी तक चोल साम्राज्य की अवनति काल तक ग्राम शासन प्रणाली का विवेचन किया गया है। विभिन्न वशों का शासन तथा राजनीतिक परिस्थितियों के परिवर्तन होने पर भी ग्राम सभा के कार्य में कोई भेद नहीं आ सका। हर एक युग में सभा ने समान कार्य किया था। दसवीं सदी में चोल राजा प्रथम के समय सभा तथा उपसमितियों निविष्ट रूप से काम करती रही। उत्तर मेहर के अभिलेखों से स्पष्ट प्रकट होता है कि ग्राम सभा के नियमों में विवेद न था तथा सदैव नियमित समझा जाता था। केन्द्रीय सरकार तथा सभा के कार्य का विवेचन करते समय ग्राम के नियमों को आदर मिलता था। यदि सभासद किसी सार्वजनिक कार्य के लिए ऋण लेता तो भविष्य में चुने जाने वाले सदस्य या उपसमिति को मान्य होता था। उसके सलग कार्य को पूरा करना, ऋण को वापस करना तथा मूद देना आदि सभी बातें नई उपसमिति को मानना आवश्यक था। लेख में वर्णित सभा की शक्ति का अनुमान एक उदाहरण में स्पष्ट हो जाता है। जब सभा ग्राम के मड़कों की मरम्मत करती या तालाब खुदवाती तो अपने कोष से जमीन खरीद कर उस कार्य को पूरा करती। पेय जल के प्रबंध के लिए किसी प्रदत्त धन का आय से १५ फा सदी भाग व्यव किया जाता और तालाब उपसमिति उसकी निगरानी रखती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि नालूर तथा उत्तर मेहर के लेखों में अमूल्य ऐतिहासिक सामग्री भरी पड़ी है विशेषकर ग्राम-शासन का ऐसा गुन्दर सजीव तथा विस्तृत विवरण अन्यथा कही नहीं मिलता।

अभिलेखों में संयुक्त शासन का भी वर्णन आता है। इस प्रसंग म लेखों के आधार पर नारी शासकों का वर्णन अप्राप्तिगिक न होगा। कश्मीर विक्रों में एक मुद्रा लेख (वि षेम गुप्त) के आधार पर यह कहा जाता है कि रानी दिदा क्षेमगुप्त के साथ शासन करती थी और वाद में स्वतन्त्र रूप में राज्य करने लगी। इस पिछले मुद्रा लेख में 'दिदा देव्या' लिखा गया, पर कश्मीर की प्रशंसित में उन्में 'राजन' कहा गया है (पुरुष वाचक शब्द राज्य करने के कारण प्रयुक्त है)। दक्षिण आश्र प्रदेश की काकतीय रानी रुद्रम्बा 'रुद्रदेवं महाराजं' शब्दों से लेखों में वर्णित है। राजपूताना में प्रवलित मध्ययुग के सिक्के पर 'सोमल देवी' का मुद्रालेख उत्कीर्ण है जो राजपूत रानी के शासन का दोतक ह। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की राजनीतिक बातें अभिलेखों के अध्ययन से विदित होती हैं।

यद्यपि प्राचीन अभिलेखों में अन्तर्राष्ट्रीय ढग की चर्चा बहुत कम मिलती है परन्तु कुछ लेख इस सम्बन्ध में विशिष्ट मूल्यना देते हैं। अशोक के तेरहवें प्रधान अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप शिलालेख में कई विदेशी नरेशों के नाम उल्लिखित हैं, जहाँ मौर्य सम्राट् ने अपने दूत भेजे थे—

"मो च पुने लधो देवन प्रियस इह च सबेपुच अतेषु अप्यु पि योजन यतेषु यथ अतियोको नम योन रज पट च तेन अतियोकेन चतुरे ४ रजननि तूरमये नम अतिकिनि नम मक नम अन्तिक मुहरा नम निन चोडन्य अब उवशिष्य—यान क बोयेषु सबव देवन प्रियस मनु-शस्ति अनुवर्तति। यथ पि देवन प्रियस दुर न बचति आदि।" अशोक का मन्तव्य या कि उसका दूत आसानी से विदेशों में भ्रमण करे तथा वहाँ उन्हे कार्य करने (घर्म प्रचार) में

सुविधा दी जाय। अशोक स्वयं भी विदेशी दूतों को मौर्य साम्राज्य में बैसी ही सुविधा देने के पक्ष में था। इस पूर्व प्रथम सदी में तक्षशिला के राजा अंतिलिकित का दूत हेलियोडोरस विदेश में भागभद्र के राजदरबार में आया था। इसकी सूचना वेसनगर के ग़रुड स्तम्भ लेख से मिलती है उसमें निम्न प्रकार का उल्लेख है—हेलियोडोरेण भागवतेन दियसपुत्रेण तख्त सिलाकेन योन-दूतेन आगतेन—। मध्ययुग के एक ताम्रपत्र से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध पर भी विशेष प्रकाश पड़ता है। देवपाल देव के नालंदाताभ्यपत्र में वर्णन आया है कि जावा के राजा बालपुत्र देव ने दूत के द्वारा पालनरेश के पास प्रार्थना भेजी थी कि नालंदा में नवनिर्मित विहार को अप्रहार दान दिया जाय। देवपाल ने उसे स्वीकार कर अन्तर्राष्ट्रीय स्थाति प्राप्त की। यह वर्णन पठनीय है—

“मुवर्ण्णदीपाधिप महाराज श्री बालपुत्र देवेन दूतक मुखेन वयांवज्ञापिता यथा मया श्री नालंदायाम्बिहार कारित —

शासनोकृत्य प्रतिपादित ।”

भारतवर्ष में तीसरी सदी में ही राजदूतों की चर्चा लेखों में मिलती है। वृहत्तर भारत के (हिन्द चीन) संस्कृत लेखों में भारतीय दूत का सुन्दर वर्णन मिलता है।

भारतीय अभिलेखों के अध्ययन से यह प्रकट होता है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में आकर अपने शासन सम्बन्धी बातों को विभिन्न रूप में उत्कीर्ण कराया। कलिपय इस और सकेत करते हैं कि अमुक शासक ने भारतीय धर्म ग्रहण कर भारतीय करण की चर्चा भारतीय नाम भी अगीकार किया। उन लोगों ने भारतीय संस्कृति को अपनाया था जिसका उल्लेख यूनानी तथा याक लेखों में पाया जाता है। वेसनगर ग़रुड स्तम्भ पर जो लेख उत्कीर्ण है उसमें यूनानी राजदूत हेलियोडोरम को भागवत कहा गया है यानी उसने बैण्डव धर्म स्वीकार कर लिया था। उसी समय के यानी ईसवी पूर्व द्वितीय शताब्दी में बजौर से एक गरीर-अवगोप सचित सदूक मिला है जिस पर यूनानी राजा मिनेन्डर (मिलिन्द) के समय का लेख खुदा है। इस (लेख) के आधार पर अनुमान किया गया है कि मिनेन्डर बौद्ध था। इसकी पुष्टि एक प्राकृत ग्रन्थ “मिलिन्द-पन्हो” से की जाती है। उसमें नामेन और मिलिन्द के मध्य बौद्ध दर्शन पर प्रश्नोत्तर संग्रहीत है।

ईसवी सन् के आरम्भ में उत्तर पश्चिम भारत में कुषाण नरेशों ने शासन किया। कुषाणों के प्रथम राजा बीम कदफिस ने शैवमत को स्वीकार किया जिसका प्रमाण उसके मुद्रा-लेख में मिलता है। सोने की मुद्रा पर एक और राजा का नाम यूनानी अक्षरों में तथा दूसरी और स्तरोंधी में एक लम्बा लेख खुदा है—‘महरजस रजति रजस सर्व लोग इत्वरम महीश्वरम विमि ककिशस’। महीश्वर (महेश का पुजारी) की पदवी उसके शामिक विश्वास को व्यक्त करती है। उसके उत्तराधिकारी कनिष्ठ के विषय में सर्व विदित है कि वह बौद्ध था और उसने बूद्ध धर्म की चौथी संगीति बुलाई थी। साहित्य को छोड़ कर लेखों के अध्ययन में भी यही प्रमाणित होता है कि कनिष्ठ बौद्ध था। मारनाथ के बौद्ध प्रतिमा के छत्रयष्ठि पर कर्तिष्ठ क तीसरे वर्ष में एक लेख खोदा गया था जिसमें उस कुषाण नरेश की राज्यपाल खरपत्लाना द्वारा मूर्ति स्थापना का वर्णन मिलता है—महारजस्य कणिष्ठस्य स० ३ है० ३ दि० २० + २—बौद्ध-

सत्वो छत्रयष्टि प्रतिष्ठापितो वाराणसिये । कनिष्ठके २१ वें वर्ष में पेशावर के समीप बुद्ध के अवशेष की स्थापना का विवरण लेख में आया है—भगवतस शब्दमुनिस शरिर प्रिठिवेदि (कुर्म अवशेष-सदूक वाला लेख) । कनिष्ठके उत्तराधिकारी नरेण ने भारतीय ढंग का अपना नाम वासुदेव रखा । हृषिके के पठचात् इस प्रकार का नामकरण भारतीय सस्कृति का प्रभाव ही कहा जा सकता है । मथुरा के अनेक प्रतिमालेखों में वासुदेव शब्द का प्रयोग उम राजा के लिए किया गया है । इसी सन् की दूसरी सदी में शक नरेशों ने भी शनै-शनै भारतीयता को अंगीकार किया । नहपान के जामाता ऋषभदत्त ने तीर्थस्थानों पर दान देकर भारतीय मस्कृति में निष्ठा को प्रकट किया था । नामिक के गुहा लेख में प्रभास तीर्थ में ब्राह्मण कन्याओं के विवाह निमित्त धन दान दिया । रामतीर्थ में हजारों रुपया ब्राह्मणों में वितरण किया तथा राज्य के अनेक नदियों पर नि शुल्क यात्रा (घाट उत्तरने) करने की आज्ञा दी । दण्डपुर, नासिक आदि स्थानों में आराम के लिए गृह (घरमंशाला) तथा जल और सदावर्त का प्रबन्ध किया । इस तरह वर्षमासों में वर्णित रीति से कृष्णभदत्त ने यज्ञ किया । नामिक गुहा लेख का वर्णन पद्म पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण तथा महाभारत में प्रतिपादित शार्मिक चर्चा के सदृश है । ब्राह्मण कन्या का दान पद्म पुराण (ब्रह्म खण्ड अध्याय २४) में निम्न प्रकार ने मिलता है—

सालङ्घारा द्विजश्रेष्ठ कन्या यज्ञति यो नर ।

म गच्छेद्वद्वासदनं पुनर्जन्म न विलगते ॥

नामिक लेख में “पृथ्य तीर्थे ब्राह्मणेभ्य अष्टभार्या प्रदेन” का उल्लेख है । उसी लेख में वर्णित “नावा पृथ्य-तर-करण” पुराणों के शुल्क तर या तर-शुल्क (अशु-करण) के समान है । महाभारत (३, ८५, ४२) में रामतीर्थ के स्थान का महत्व बतलाया गया है जिसकी तुलना “गोवर्धने सुवर्ण मुखे शोपर्स्ये च रामतीर्थे चरकपयेभ्य —” की दक्षि म की जा सकती है । कृष्णभदत्त ने उल्लेख किया है कि पुष्कर जाकर उसने अभियेक किया तथा दान दिया था (ततोस्मि गतो पोष्करानि । तत्र च मया अभिरोको कृतो भीति च गोमहस्त्रानि दत्तानि ग्रामो च) विष्णु संहिता (८५ । २) म भी इस तीर्थ का महत्व वर्णित है—

पुष्करे स्नान मात्रत सर्व पापेभ्य पूतो भवति ।

सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि विदेशी शक नरेण भारतीय मस्कृति को अपनाने लगे थे । अन्त में पश्चिम भारत के कारदमक वशी नरेशों के सम्बन्ध में दो शब्द कहना उचित प्रतीत होता है । रुद्रामन के सम्बन्ध में जूनागढ़ के शिलालेख में ऐसी बातें कही गई हैं जो उसके भारतीयता की अभिरुचि का दोतक है । यह आश्वर्य ही है कि शक नरेशों के मुद्रा-लेख प्राकृत में मिलते हैं किन्तु रुद्रामन की प्रशस्ति सस्कृत में हैं । इस शक राजा ने अपने पुत्र का नाम रुद्रसिंह रखा । जो शक नामकरण न होकर भारतीय था । इनके लेखों में भारतीय मास-गणना का आरम्भ दिखलाई पड़ता है । रुद्रसिंह के गुण्डा लेल में “वैशाख शुद्धे पंचम तिथी रोहिणी नवव्रत मुहूर्त” का उल्लेख है तो जूनागढ़ के दूसरे लेख में “चैत्र शुक्लम्य दिवसे पञ्चमे” या रुद्र-सेन की गहरा प्रशस्ति में “भाद्रपद बहुल ५” आदि मास और तिथि का वर्णन भारतीय करण के प्रबल प्रमाण है ।

भारतीय इतिहास में भगवान् बुद्ध के महापरिनिर्वाण तथा शरीर के अवशेष सम्बन्धी विवाद को कथा सर्व विदित है। कुशीनगर (कसिया) में शब के दाह मस्कार करने के पश्चात् रात्र या शेष हड्डियों को आठ भागों में विभक्त कर दिया गया।

बुद्ध के अवशेष को वार्ता वैजाङ्गों के लिच्छवी, कपिलवस्तु के जात्य, अलकण्ठ के बुलि, रामग्राम के कोलिय, वैशीषीप के ब्राह्मण, कुसीनारा के मल्ल, दोण के ब्राह्मण तथा पिप्पलीवन के मारिय नरेशों को वरावर वरावर भाग मिला (महापरिनिवान-मूर्त अध्याय १) साची के दशिण तथा पश्चिम तोरणों के पट्टियों पर भी अवशेष सम्बन्धी युद्ध चित्र खुदा है। अन्त में शान्ति हो जाने पर आठ भाग किया गया। उसके एक भाग को एक पात्र में रख कर हाथों के सिरे पर दिखाया गया है। आठों शासकों द्वारा बुद्ध के अवशेष पर स्तूप निर्मित किया गया। हेनमार्ग के कथानुसार अशोक ने उस अवशेष पर कुछ भाग निकाल कर चौरासी हजार स्तूप बनवाये। अशोक निर्मित स्तूपों के भग्नावशेष मिले हैं परन्तु किनी स्थान पर उत्कीर्ण लेख प्राप्त नहीं हुआ जिसमें बुद्ध के शरीर अवशेष की चर्चा को गई हो। हाल ही में वैशाली की खुदाई ने एक रूप का पता लगा है जिसमें भगवान् के अवशेष हो सकते हैं। पुरातत्व की खुदाई तथा स्मारक भवनों ने यह अर्थ निकाला जा सकता है कि बुद्ध के अवशेष बहाँ होगे। बुद्ध के अवशेष (रात्र) एक कीमीटी प्रस्तर, सीने या चादी के सदूक में रख दिया जाता था। मूल्यवान् भन्नम् पात्र की एक प्रस्तर के सदूक में रख कर उसके किनी भाग पर लेख उत्कीर्ण किया जाता था। ऐसी ही सदूकों कई स्थानों से प्राप्त हुई हैं। कभी ढकन के नीचे अथवा सदूक के ऊपरी भाग पर लेख मिले हैं। लेयों से अवशेष की स्थापना की वार्ता (इसी सदूक के अभिलेख में) उल्लिखित है। सम्भवत् वह सदूक स्तूप की खुदाई से निकला नभी उस में किसी धारु पत पर लेख मुरोदात मिला है। अन्य आवार (ताम्रपत्र) पर भी उत्कीर्ण लेख प्रकाश में आए हैं। उन सब में शरीर या धातुएँ शब्द से भगवान् के अवशेष को व्यक्त किया गया है।

भारतीय अभिलेख इस दिशा में अमूल्य सहायता पहुँचाते हैं। उनके बर्णन से पता चलता है कि अमुक राजा ने भगवान् के शरीर अवशेष की स्थापना की। यह प्रमाण पूर्वक कहना कठिन है कि उन राजाओं को वास्तव में अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे।

सर्वप्रथम लेख वस्ती जिले (उत्तर प्रदेश) के पिपरावा नामक स्थान से मिला था वह लेख इस पूर्व चौदों सदी का है—

हृशी शरीर-निधान बुद्धस्य भगवत् शाकयाना।

पश्चिमांतर प्रात् के समीय बजोर रियासत के शिनकोट स्थान से अवशेष सदूक (Casket) के ऊपरी तथा भीतरी भाग पर खुदा लेख प्राप्त हुआ है जो यूनानी राजा मिलिनद के समय का है (इसा पूर्व दूसरी) उस सदूक के ढकन के अन्दर निम्न लेख खुदा है—प्रण समेद शरीर भगवतो शकमुनिस। पात्र के भीतर भी इसी प्रकार का लेख है—

भगवतु सकिमुणिस सम सबुधस शरीर।

इसे लेख में बुद्ध के अवशेष को प्राण सहित कहा गया है। इसका उल्लेख तात्पर्य यह है कि इसकी पूजा करने पर आश्चर्य जनक फल मिलता है। बौद्ध लोगों का यह विश्वास था कि अवशेष को पूजा में चमत्कार प्रकट होता है। इसा पूर्व पहली सदी में स्वात नदी की घाटी में स्थित

किसी गाँव से अवशेष का सदूक पात्र (casket) मिला जिसके निचले भाग पर लेख खुदा है—

इमे शरीर शक मुणिस भगवतो बहू जण हितिए ।

वहा के एक यूनानी शासक ने भगवान् का अवशेष जनसाधारण के हित के लिए स्थापित किया । पहली सदी के धर्म शासक रजुबल का मथुरा सिंहस्तम्भ पर इसी प्रकार का लेख उत्कीर्ण है । वहाँ स्तूप में अवशेष स्थापित करने की चर्चा है ।

थे निसमे (स्तूप) शरिर प्रविठिवित्रो भक्तवत्रो शक मुनिस दुधस । तक्षशिला के शासक पटिक के ताम्रपत्र में भी अवशेष स्थापना का वर्णन है—

पतिको अप्रतिठित भगवत शक मुनिस शरिरं प्रतिथवेति ।

उन जासकों को अवशेष कहाँ से मिला इस सम्बन्ध में तर्क से काम नहीं लिया जा सकता, केवल विश्वास करना है । उसी स्थान के समीप कलवान से प्रात ताम्रपत्र में भी निम्न प्रकार का वर्णन मिलता है—

हड शिलए शरिर प्रइस्तवेति गह थृवमि ।

भगवान् के अवशेष को राजा अयस ने भ्राता, भगिनि, दुहिता के साथ गृह स्तूप में स्थापित किया । पहली मदी में यह अवशेष कहाँ से आया, यह अनिवार्य है । तक्षशिला का एक लेख एक चाँदी के पत्र पर खुदा मिला है जो सम्भवत अवशेष पात्र से निकाला गया होगा । उसमें वर्णन है कि अयस नामक राजा ने धर्म राजिका स्तूप में भगवान का अवशेष स्थापित किया था । तक्षशिला में धर्म राजिका स्तूप को अशोक ने बनवाया था । न्यात उसकी भरभूत पहली मदी में पह्लव गजा अय ने की और इसोलिए निम्न प्रकार का उल्लेख किया—

“इश दिवसे प्रदिस्तवित भगवतो धातुओ उरस कोण इतत्त्विष पुत्रण वहलिएण रणो अचाए णागरे वास्तवेण । तेण इने प्रदिस्तवित भगवती धातुओ धमर इए तक्षशिलए ।”

अन्य धातु पात्रों की तरह पेशावर के समीप कुर्म में ताम्बे का अवशेष-पात्र मिला है जिसके ऊपरी भाग पर अवशेष स्थापना की बात उल्लिखित है—

थृवमि (स्तूप में) भगवतस शक्य मुनिस शरिर प्रदिठवेदि (प्रतिष्ठापित किया) ।

इस स्तूप का निर्माण अवशेष पर किया गया परन्तु यह ज्ञात नहीं हो सका कि बुद्ध के शरीर के अवशेष कहाँ से मिले थे । अकागानिस्तान के खवट नामक स्थान पर स्तूप का भग्नाव-शेष है जिसमें कासा का पात्र मिला था । इस काँस्य पात्र के नीचे लेख खुदा है ।

“वग्मारेत्तविहरमिं थुस्तिमि भगवद शक्य मुणे शरिर परिठवेति”

वग्मरेग नामक विहार के समीप स्तूप में भगवान बुद्ध का अवशेष स्थापित किया गया । यह घटना हुविष्क के शासन काल की है । यानी ईसवी सन् की दूसरी सदी तक लेखों में अवशेष स्थापना की चर्चा मिलती है । इस पूर्व चौथी सदी से लेकर दूसरी सदी तक के लेखों में बुद्ध के अवशेष स्थापित करने की बार्ता लेखों के सहारे ज्ञात होती है । उनकी ऐतिहासिकता पर विवेचन नहीं किया जा सकता । यहाँ इस बात पर बढ़ के साथ स्पष्ट उल्लेख करना कि लेखों के अंतरिक बुद्ध के शरीर-अवशेष सम्बन्धी विवरण जानना सम्भव नहीं था ।

भारतीय संस्कृति का बृहत्तर भारत मे विस्तार की चर्चा लेखो द्वारा ही मिलती है। यो तो अन्तर्राष्ट्रीय ढंग पर भारत तथा पूर्वी द्वीप समूह जावा, बोनियो का परिज्ञान पाल तथा चोल लेखो से होता है परन्तु योधी सदी के चम्पा के दिलालेख (नं० २ ३) मे पुरुषमेघ का वर्णन मिलता है। महागज भद्रवर्मन कहता है कि मैं तुम्हे अग्नि को समर्पित करता हूँ। निम्न पंक्ति का उल्लेख इसे प्रमाणित करता है—नमो देवाय भद्रेश्वर स्वामिपाद प्रसादात अग्न-येत्वा जुष्ट करिष्यामि वर्म महाराज श्री भद्रेश्वर वर्मणो यावच्छन्द्रादित्योतावत पुत्र पौत्र मोदयति। पूर्वियो प्रसादात कार्य सिद्धास्तु। सिवोदासो बद्यते (चो दिन लेख, मजूबदार चम्पा लेखा न २, ३)।

इन्हीं पंक्तियों मे शिव नामक दास को यूप से बांधकर पुरुषमेघ का अनुमान लगाया जाता है। इसमे मदेह नहीं है कि पुरुषमेघ का अनुकरण चम्पा मे भारत से किया गया जहाँ वैदिक (शत० द्वा० १३, ६, २, १ गो द्वा० ५, ८, आपस्तम्ब (२०, २४, १) तथा कात्यायन २, १, ३) पौराणिक (वायु पुराण १०४; ८४) और बौद्ध साहित्य (सूत्रनिपात्त १, २) म इसका विवरण पाया जाता है। भारत के आहुणों ने उस उपनिवेदा मे भारतीय संस्कृति का पचार किया था, यह लेखो के आधार पर सत्य सिद्ध हुआ है। मध्य एशिया के लेखो से भी इसी प्रकार सांस्कृतिक प्रसार के विवरण उपलब्ध हैं जो भारतीय संस्कृति के प्रसार का परिज्ञान करते हैं (खराण्डी लेख भा० १, २, ३—सरकार सेलेनट इन्स० पू० २३४)। दक्षिण पूर्व एशिया—चम्पा, कम्बोडिया, जावा, बोनिया, बालि आदि के लेखो मे भारतीय ढंग के दान का विवरण पाया जाता है। इस प्रकार अन्य साधनो के अतिरिक्त बृहत्तर भारत के लेख भारतीयता की छाप की कथा सुनाते हैं।

भारतीय अभिलेखोंकी सहायता से प्राचीन तिथि और काल गणना का ज्ञान हमें होता है। इसा पूर्व शताब्दी ई० पू० ५७ मे विक्रम काल गणना का आरम्भ हुआ था। जिसकी जानकारी लेखो से ही की जाती है। ईसी सन् के आरम्भ से शक सम्बत् (स अभिलेखो से तिथि ७८) का प्रारम्भ हुआ जिसका सम्बन्ध कुपाण नरेशो के अभिलेखो से स्थापित किया जाता है। कनिष्क से लेकर बासुदेव तक के लेख एक क्रम से ३ से ८०) तिथि युक्त है। नहपान का जूनार लेख ४६ मे और रुद्रदामन का जूनागढ़ को प्रशस्ति ७२ वर्ष मे उत्कोण की गई थी। इन सब का सम्बन्ध उसी शक सम्बत् से निश्चित किया गया है। गुप्त वंश के अभिलेखो को अध्ययन से यही पता लगता है कि उनके लेख गुप्त सम्बत् (ई० स० ३१८) से सम्बन्धित है। द्वितीय चन्द्र गुप्त के मध्युरा लेख की तिथि ८२ और कुमार गुप्त प्रथम को करमदण्डी लेरा मे ११७ तिथि मिलती है। मनुकुमार प्रतिमा लेख मे १२९ खुदा है तो उसके पुत्र स्कन्द गुप्त के जूनागढ़ प्रशस्ति मे १३६, १३७, १३८ तिथियो का विवरण पाया जाता है। इस पर विचार करने से यह नहीं कहा जा सकता कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने ८२ वर्ष, प्रथम कुमार गुप्त १२९ वर्ष तथा स्कन्द गुप्त ने १३८ वर्ष शासन किया। किसी न किसी काल गणना से उनका सम्बन्ध स्थापित करना ही पड़ेगा। प्रथम कुमारगुप्त के मंदसोर लेख ४९३ तथा ५२९ तथा उसी स्थान के यशाधर्मत के लेख मे ५८९ अंक उल्लिखित है। इन पर विचार कर दोनों तिथि का सम्बन्ध विक्रम सम्बत् से स्थिर किया गया है (आगे विस्तृत विवेचन देखिए)। इसी तरह मोक्षरि, नरेश इंद्रान वर्मा

के हरहा लेख को तिथि ६११ (श्लोक) मिलती है जिसका सम्बन्ध विक्रम सम्बत् से था । उत्तर गुप्त युग के अभिलेखों में पहाड़पुर का ताम्रपत्र १५९ तथा एरण का लेख १९१ तिथि युक्त है । ये गुप्त काल (इ स ३१८) से सम्बन्धित हैं किन्तु अपसद तथा मौगरीव लेख हर्ष सम्बत् (इ स ६०६) से सम्बन्धित किए गए हैं । इस प्रकार अभिलेखों के अध्ययन द्वारा शासकों की शासन-तिथि निश्चित हो जाती है ।

भारतीय अभिलेखों में कभी एक छोटी सी पट्टना का गम्भीर रूप में चित्रण मिलता है । इसका कारण यह था कि प्रशस्तिकार अपने सरक्षक शासक की मृत्यु कठ से प्रशसा कर उसके चित्रण को अतिरिजित करता था । इस प्रकार की अत्युक्ति पूर्ण लेखों में अत्युक्ति प्रशस्ति मध्य युग में अधिक पाई जाती है । गुप्त लेख में एक स्थान पर ऐसी घटना का उल्लेख है जो इतिहास की कसीटी पर खरी नहीं उत्तरती । मेहरीनी के लेख में एक पक्षि में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय वर्णित है—

तीर्त्वा सप्त मुखानि येन समरे सिन्धार्जिता वाह्निका
यस्याद्याप्यविचास्यते जलनिधिर्वीर्योनिलदर्शकिणः ।

द्वितीय चन्द्रगुप्त की दक्षिण का विजयी कहा गया है । परन्तु अन्य प्रमाणों से यह सत्य ज्ञान नहीं होता । इसे आलकारिक विवरण मानना पड़ेगा । छोटी यदा के मध्य म वासुल नामक प्रशस्ति लेखक ने मालवा के जासक यशोधर्मन की विजय या ता का वर्णन अतिरिजित शब्दों में किया है । मदनोर के लेख में विवरण मिलता है कि यशोधर्मन ने लौहत्य (जागाय) में पश्चिमी समुद्र (रत्नाकर) तथा हिमालय से महेन्द्र पर्वत तक समस्त भू भाग पर अधिकार कर लिया था । तत्कालीन इतिहास का अनुच्छीलन यह बतलाता है कि पश्चिम भाग में चालुक्य वंश का राज्य था । मात्र में विछेने गुप्त नरेश शासन कर रहे थे । ऐसी वशा में मार्ग में स्थित शासकों के पराजय का विवरण प्रशस्तिकार ने उपस्थित नहीं किया है । इसीक पठनीय है—

अ लौकित्योपकण्ठात्तववन गृह्नोपत्यकाव्यमहेन्द्रा—

दा गङ्गालिलष्ट-सानोस्तुहिन शिखरिण पौर्वमाद वयोर्ण ।
भामन्तर्यम्य बाहुद्रविण हृत मदै पादयोरानमर्माद्भु—

३चूडागत्तादशु-राजि-व्यतिकर-न्यबल भूमिभागा क्रियन्त ॥

इसी प्रकार दम्भी यदी के प्रात्तहार राजा का सामत चन्द्रल नरे । यशोधर्मन के खजु-राहों लेख में अत्युक्ति पूर्ण उल्लेख है । उस लेख में वह गोड (वगाल) काशल, मिथिला, मालवा चंदि तथा कुरु देश के विजेता के रूप में वर्णित है (ए० इ० भा० १ प० १२६) वास्तव में उन प्रदेशों में चंदेलों का कोई सम्बन्ध न था ।

इतना ही नहीं यशोधर्मन के दूसरे अभिलेख में राजस्थानीय (राज्यपाल) अभयदत्त के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि वह विन्ध्या से अरब सागर तक शासन करता था । यह वास्तविक में सध्यो घटना नहीं कही जा सकती । (मदनोर विलाकेन्द्र मा० स० ५८९, का० ड० इ० ३ प० १५२ श्लोक १९) मध्ययुग के अभिलेखों में छोटे शासक के लिए भी 'परम भट्टारक महाराज' 'जिराज परमेश्वर' की पदवी उल्लिखित की गई है । सम्भवत लेख लिखने वाले को इस पदवी का वास्तविक अर्थ अज्ञात था अथवा अपने सरक्षक राजा के महान् विजेता या शक्तिशाली नरेश दिखलाने का प्रयत्न था । समुद्रगुप्त ऐसे विजेता को केवल महाराजाधिराज

कहा गया है जबकि पिछले गुप्त-नरेश (मगध के शासक) जीवित गुप्त को देववर्नाक लेख में महान् उपाधि—“परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर” से विमूर्पित किया गया है (श्री विष्णुगुप्त देव तस्य पुत्र तत्पादानुष्यातो परम भट्टारिकाया राजा महादेव्या श्री इजादेव्या-मुत्पन्न परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री जीवितगुप्त) । इस तरह के अनेक दृष्टात हैं जो सिद्ध करते हैं कि प्रशस्तिकार ने आलकारिक भाषा में नायक के चरित का वरिज्ञान किया है ।

यह सत्य है कि प्रशस्तियों के सहारे अनेक शासकों के चरित का वरिज्ञान होता है परन्तु अभिलेखों के अध्ययन में सतर्कता का व्यवहार उपयोगी है । जिस ऐतिहासिक तथ्य को जानने के लिए विद्वान् विभिन्न मत उपस्थित करते हैं तथा अन्य

वैज्ञानिक तथा सिद्धान्त का खण्डन करते हैं, उनमें किसी सिद्धान्त की पुष्टि के लिए

तुलनात्मक वैज्ञानिक तथा तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है । अशोक के

अध्ययन धर्म गम्भन्धो प्रश्न को लेकर साहित्यिक विवाद खड़ा हुआ । वह

किम मत का मानने वाला था, यही एक विवादास्पद प्रश्न है ।

सम्पूर्ण धर्म लेखों का वैज्ञानिक विवेचन अशोक को बोढ़ मत का अनुयायी मिद्ध करता है ।

मीर्य साम्राज्य के उपरान्त नागचतुर्भुव का प्रचार हुआ । जिस वैदिक यज्ञ अयवा समाज की निर्दा अशोक ने की, उसकी पून म्यापना हो गई । इस परिणाम पर पहेंचने के लिए

सातवाहन लेख, शुग प्रशस्ति, वेसनगर गहड़स्तम्भ-लेख तथा धोसुष्ठो शिलालेख (नागरी, चित्तोरगढ़ (राजपुताना) के लेखों वा अनुशासन आवश्यक हो जाता है । शासकों की शक्ति का

अनुमान भी उस वश के लेखों से किया जा सकता है । लेखों के प्राप्ति स्थान से अमुक राजा के राजयन्विस्तार का पता लगता है परन्तु विभिन्न उल्लेखों का तुलनात्मक अध्ययन ज़रूरी है ।

नालदा तथा गया (विहार प्रदेश) में समुद्रगुप्त के दो ताम्रपत्र मिले हैं जो समुद्रगुप्त के पौच्चवें तथा नवें वर्ष के कहे गए हैं । इन नालदा ताम्रपत्र में अश्वमेध का वर्णन है जो प्रयाग की

प्रशस्ति में उल्लिखित नहीं है । इसालिए यह मानना पड़ेगा कि शासन के ५ वें वर्ष में समुद्रगुप्त

ने अश्वमेध किया होगा जो असम्भव है । समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम आर्योवर्त के शासकों को पराजित कर दियन का दिग्भिजय किया । अत उसके बाद ही अश्वमेध करना समुचित प्रतीत होता है । इस परिस्थिति में ५ वें वर्ष में अश्वमेध की कल्पना नहीं की जा सकती । अतएव वैज्ञानिक तथा

तुलनात्मक अध्ययन यह प्रमाणित करता है कि ये दोनों ताम्रपत्र कल्पित हैं । किसी ने व्याक्त-

गत लाभ के लिए जाली दानपत्र तेयार कर घोषित कर दिया होगा ।

एक साधारण लेख से वैज्ञानिक रीति को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है । समुद्रगुप्त प्रयाग की प्रशस्ति तथा अन्य सभी गुप्त लेखों में ‘लिङ्छवी-दौहित्र’ कहा गया है । वह लिङ्छवी राजकुमारी कुमारदेवी का पुत्र था, इसलिए “लिङ्छवी-दौहित्रस्य महादेव्या कुमारदेव्यामुत्पन्न” उल्लिखित है । इसको पुष्टि प्रथम चन्द्रगुप्त के मुद्रा लेख से को जाती है । राजा द्वारा प्रचलित स्वर्ण सिक्के के अद्वोभाग पर “कुमार देवी श्री तथा चन्द्रगुप्त” का नाम खुदा है तथा पृष्ठ भाग पर ‘लिङ्छवी’ उल्कीर्ण है । इससे तथ्य का पता लग जाता है कि चन्द्रगुप्त का विवाह लिङ्छवी वंशजा कुमारदेवी से हुआ था । समुद्रगुप्त को इसी कारण लिङ्छवी-दौहित्र कहा गया है । इस प्रकार के अन्य दृष्टात भी उपस्थित किए जा सकते हैं । गुप्त वश का एक मुहर पर

३४ : प्राचीन भारतीय अभिलेख

कुमारगुप्त प्रथम के पश्चात् पुण्यगुप्त का नाम मिलता है और दूसरे अभिलेखों में स्कन्दगुप्त प्रथम कुमार गुप्त का पुत्र तथा उत्तराधिकारी कहा गया है। इस प्रश्न को लेकर ऐतिहासिक विवाद खड़ा हो गया जिसका समावान अभी तक न हो सका कि प्रथम कुमार गुप्त का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन था? ऐसे अल्प उदाहरण ही पर्याप्त हैं जो वैज्ञानिक रीति तथा तुलनात्मक अध्ययन के महत्व पर प्रकाश ढालते हैं।

प्राचीन भारतीय लेखों में शासकों की विशेष चर्चा की गई है। कभी उसमें ऐतिहासिक तथ्य का अभाव रहता है। उदाहरणार्थ नागपुर प्रशस्ति में परमार राजा लक्षणवर्मन का

विजय गोड़, अंग, कलिंग (पूर्व में) चोल, पाण्ड्य (दक्षिण में)
लेखों की अपूर्णता तुरुषक (मुसलमान) तथा वक्षु (बलब) को सीमा पर्यन्त वर्णित
तथा दोष है (ए० इ० भा० २ पृष्ठ १८६)। यह सभी सत्य से परे हैं। उनके

धार्मिक कृत्य पर भी विशेष ध्यान दिया गया है परन्तु प्रजा के प्रति उनके कर्तव्य का विवरण नहीं के बराबर है। राजनीतिक वात्ताओं को किसी प्रकार सन्तोष जनक नहीं समझा जा सकता। अभिलेखों के अनुशोलन से जात होता है कि ऐतिहासिक घटना आकस्मिक रूप में लिखी गई है। कभी लेखक ने आलकारिक रूप में उसको रचना की। इतिहास के सत्यता पर ध्यान न रहा। राज्य में नियमों का कोन निर्माण था या किस रूप में प्रजा शासक को उपनियम तंयार करने में सहायता करती थी, आदि वातें प्रकाश में नहीं आई हैं। अभिलेखों में दान का वर्णन सर्वदा स्मृतियों पर अवलम्बित है, पर आश्चर्य यह है कि दान ग्राही तथा दान कर्त्ता के संधिस चर्चा के अतिरिक्त बर्णों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं मिलता। घर्म शास्त्रकारों ने बर्णों के कार्यों, अधिकार तथा स्थिति का सुन्दर वर्णन दिया है किन्तु प्रशस्तिकार इस विषय में मौन है। ब्राह्मण किसी अपराध में मृत्युदण्ड से मुक्त समझा जाता रहा, लेखों में इस मिछान्त का उल्लेख नहीं है। वैश्य तथा शूद्र के श्रम, पारिथमिक, वस्तुओं के मूल्य, उत्पादन सीमा, उनकी आवश्यकता, साधेकार्य उपयोग आदि विषयों का जान अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। शासक आविर्ध उन्नति में किम रूप से महायता करता था या किस मार्ग से प्रोत्साहन देना था यह भी अज्ञात है। साहित्यक आवार पर जितना परिज्ञान है उसे अभिलेखों से प्रमाणित नहीं कर पाते हैं। कुछ अशो म भारतीय प्रशस्तियाँ अपूर्ण हैं तथा इन दोषों का कारण भी अज्ञात है।

अध्याय ३

अभिलेख लिखने के आधार

अभिलेख का तात्पर्य है कि किसी वस्तु पर कोई विषय उत्कीर्ण किया जाय। प्राचीन भारतीय इतिहास लिखने में प्रशस्तियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्राचीन समय में राजाश्रव पाकर कविगण को प्रशस्ता के शब्द लिखते समय अथवा किसी घटना का उल्लेख करने के निमित्त लिखने के आधार वस्तु (जिन पर लेख लिखा जाय) को दूर्दना पड़ा। प्राचीनतम काल में कागज या ताड़पत्र या भोजपत्र का भी प्रयोग लोगों को ज्ञात नहीं था। लेखन कला का जन्म भारत में हो गया था। विद्या कण्ठगता थी, इसलिए बेदों के लिखने की भी आवश्यकता न थी। इस पूर्व सदियों में सर्व प्रथम प्रस्तर का आधार बनाकर लिखना प्रारम्भ किया गया। तत्पश्च त्रघातुओं का प्रयोग होने लगा। अन्य वस्तुएँ भी काम में लाई जाती थीं जिन पर सामर्यक वृतान्त अंकित मिलता है। उन्हीं का विवरण अगली पक्षियों में उपस्थित किया जायगा। यहाँ इतना कहना आवश्यक है कि प्रस्तर की स्थायी समझ कर लेख उत्कीर्ण किए गये। साधारणत जिनने प्रकार की आधार वस्तुएँ काम में लाई जाती थीं, उन पर खुद वृतान्त को 'लेख' कहते हैं। राजाज्ञा द्वारा प्रस्तर या घातु पर उत्कीर्ण लेख 'प्रशस्ति' शब्द से प्रसिद्ध है।

इस पूर्व सदियों में मीर्य सन्नाट अशोक ने अपने धर्म-लेख को समस्त जनता की जानकारी के लिए स्थान-स्थान पर खुदवाया था। उसके चौदह लेख राज्यसीमा पर स्थित शिलाओं पर खुद हैं। जिनको प्रधान शिला लेख के नाम से पुकारते हैं। उसके लेख उत्तर पश्चिम मनसेरा (पेशावर जिला) तथा काठियावाड़ के गिरनार से लेकर पूरब में खीली (उडीसा) तक और उत्तर में कालसी (देहरादून, उत्तर प्रदेश) से दक्षिण येरगुडी (करनूल, मद्रास) में पाये गये हैं। उत्तर भौयं काल में पुष्यमित्र शुंग का एक लेख अयोध्या से प्राप्त हुआ है जिसमें उसके जीवन की मुख्य घटनाओं का उल्लेख मिलता है। वह लेख दरबाजे के ऊपरी छोलट पर खोदा गया था। ईश्वरी सन् की पहली तथा दूसरी सदियों में शक व कुदाण नरेशों ने भी प्रशस्तियाँ खुदवाई थीं। हुविष्क तथा सोडास का मथुरा शिला लेख तथा कनिष्ठ का मानिक्याला उल्लेखनीय है। सबसे प्रथम लेख महाक्षत्रप हृददामन का है जो १५० ई० में गिरनार में खोदा गया था। वह लेख अशोक के गिरनार वाले लेख के शिलाखण्ड पर ही उत्कीर्ण है। यहो लेख संस्कृत साहित्य का सबसे पहला गद्य खण्ड है जो साहित्य के इतिहास पर प्रकाश ढालता है। हृददामन के व्यक्तिगत तथा राजनीतिक जीवन का सारा वृतान्त उपस्थित करता है।

गुप्त वंश के शासन आरम्भ होने पर अनेक प्रशस्तियाँ लिखी जाने लगी। सर्व प्रथम समुद्रगुप्त ने प्रशस्ति खुदवाने का श्री गणेश किया। उसके पुत्र द्वितीय चन्द्रगुप्त ने भी शिला खण्ड पर लेख खुदवाया जिसमें उस वंश का इतिहास भरा पड़ा है। उसके उत्तराधिकारियों में कुमारगुप्त प्रथम का मंदसोर का लेख तथा स्कन्दगुप्त का जूतागढ़ का लेख प्रसिद्ध है। छठी

३६ : प्राचीन भारतीय अभिलेख

सदी के राजा यशोवर्मन की प्रशस्ति इसी श्रेणी में रखी जाती है। मौखिक राजा ईशानवर्मा की प्रशस्ति (हरहा का लेख) अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसमें मौखिक इतिहास के अतिरिक्त मालव सम्बत् का उल्लेख पाया जाता है। पिछले गुप्त नरेशों के लेखों में अपसद (गया, विहार) का लेख मुख्य माना जाता है।

पूर्व मध्य काल (७००-१२०० ई०) में भारत में कोई एक-छत्र सम्प्राट् न था। छोटे-छोटे राजा सीमित क्षेत्र में शासन करते रहे। ऐसी दशा में राजाज्ञा को सोमा या प्रान्तो के शिला खण्डों पर उत्कीर्ण करने का प्रवन्त ही न रहा। सम्भवत् उन्हें उचित स्थान न मिल सका। उस समय सामाजिक परिवर्तन के कारण राजा तथा प्रजा के सम्मुख लेख खुदवाने का नवीन उद्देश आया। राजाज्ञा के प्रसार के लिए लेख नहीं खुदवायें गये किन्तु दान तथा धार्मिक वृत्तान्त लिखने की परिपाठी चल निकली। यही कारण है कि शिला खण्डों पर प्रशस्ति न खुदवा कर अन्य आधार स्तम्भ अथवा ताम्रपत्र का प्रयोग होना लगा। दूसरे खण्डों में यह कहना उचित होगा कि पूर्व मध्य युग में प्रशस्ति अकित करने के लिए प्रस्तर खण्ड का प्रयोग प्रायः समाप्त हो गया।

शिलाखण्ड के पश्चात् प्रस्तर का दूसरा रूप स्तम्भ है, जिस पर लेख लिखाने की प्रथा इसा पूर्व सदियों से भारत में चल पड़ी। स्तम्भों के वर्तमान स्थान से बहुधा लोगों में भ्रम हो जाता है कि स्तम्भ जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर आरम्भ से स्थित है।

स्तम्भ परन्तु सभों के लिए यह कथन उचित नहीं है। मूलमान बादशाहों ने उन्हे स्थाननान्तरित भा किया है। जैम प्रयाग के किले में खड़ा स्तम्भ (जिस पर अशोक तथा समुद्रगुप्त के लेख खुदे हैं) कौशाम्बी से, तथा दिल्ली में फिरोजगाह कोटला पर स्थित अशोक स्तम्भ अम्बाला या मेरठ में लाया गया था। किन्तु आज भी ऐसे स्तम्भ हैं जो मूल स्थान पर खड़े हैं। जैसे सारनाथ तथा लौरिया (चम्पारन, विहार) के स्तम्भ। अशोक के चौदह प्रधान शिलालेखों के बाद मात्र स्तम्भ लेखों की गणना होती है जिनमें रूपनाथ, लौरिया, दिल्ली स्तम्भों का नाम लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सारी, सारनाथ तथा कौशाम्बी के स्तम्भ लेख द्वितीय श्रेणी में रखने जाते हैं। स्तम्भों पर लेख खुदवाने का कारण यह था कि जहाँ शिला खण्ड उपलब्ध नहीं थे उस स्थान पर राजाज्ञा की घोषणा स्तम्भ लेख द्वारा की जाती थी। रूपनाथ (मध्य प्रदेश) सारनाथ (उत्तर प्रदेश) तथा लौरिया (चम्पारन, विहार) आदि स्थानों में किसी प्रकार का प्रस्तर खण्ड अथवा पर्वत श्रेणी न होने के कारण अशोक ने स्तम्भों पर धर्म लेख खुदवाये थे। ये सभी लेख उसके राज्य की सीमा में स्थित हैं। सम्भवत् उन स्थानों की निजी विजेपता थी। इसा पूर्व दूसरी सदी में दूनानी राज-दूत हेलियोदारम ने भी अपनी धार्मिक भावना को व्यक्त करने के लिये भिलसा (प्राचीन विदिशा) में स्तम्भ पर लेख खुदवाया था। वह आज भी मूलस्थान को मुश्किलियत कर रहा है और खम्बा बाबा के नाम से प्रसिद्ध है।

गुप्त राजाओं ने भी प्रशस्ति खुदवा कर विजय का वर्णन किया है। सर्व प्रधम कवि हरिपेण ने समुद्रगुप्त के दिग्विजय का विवरण प्रयागस्तम्भ पर उत्कीर्ण किया जिसमें सम्प्राट् के सम्पूर्ण विजय का वर्णन है। यह लेख अशोक के कौशाम्बी स्तम्भ पर निचले भाग में खुदा है। उसके बाझ कुमारगुप्त प्रथम तथा स्कन्दगुप्त ने स्तम्भ पर लेख खुदवा कर गुप्त वंश की कीर्ति

को प्रसारित किया था। स्कन्दगुप्त का भितरी का स्तम्भ बाला लेख शासक के विजय व हूणों के परायज का विस्तृत विवरण उपस्थित करता है। उसके पश्चात् बुद्धगुप्त तथा भानु गुप्त के स्तम्भ लेख महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्रस्तर के अतिरिक्त द्वितीय चन्द्रगुप्त ने लोहे का स्तम्भ तैयार कराया तथा लेख अंकित कराया था। वह संसार का एक अद्वितीय घानु स्तम्भ है जो दिल्ली के समीप मेहरोली में कई सौ वर्षों से बड़ा है। छठी सदी का यशोधर्मन का मंदिरोरस्तम्भ लेख शासक के यश तथा विजय की कथा सुनाता है। इस तरह भारत के प्राचीन शासक गण अपनी कीर्ति लड़ा के विस्तार के लिए स्तम्भों पर लेख उत्कीर्ण कराते थे। इस भावना का बड़ा ही मुन्दर वर्णन समुद्रगुप्त के स्तम्भ लेख में पाया जाता है—“कीर्तिमिति स्त्रिदशपति भवन गमनावाम ललितमुख विवरणमाधारण इव मुवो वाहुरयमुच्छ्रुत स्तम्भ।” भाव यह है कि सारी पृथ्वी के विजय में जो कीर्ति उपलब्ध है उसे स्वर्ग तक पहुँचाने के लिए ऊँचा स्तम्भ पृथ्वी के बाहु के समान है। कुछ स्तम्भ लेख ‘यूप’ के नाम से विद्यात हैं जिन पर यज्ञ सम्बन्धी अभिलेख उत्कीर्ण हैं। मौखिक वश का बड़वा लेख (तीसरी मरी) इस श्रेणी (यूप) में रखा जा सकता है (ए० ई० भा० २३, पृ० ५२)।

मध्यकाल में भी यथ तत्र स्तम्भ लड़ा करने का वर्णन मिलता है। परन्तु उन पर लेख खुदवाने का विशेष महत्व नहीं ममला जाता था।

भागवतवर्ष में इसवी सन् के आरम्भ से महायान शास्त्रों में भक्ति का समावेश हुआ जिसके कारण प्रतिमाओं का निर्माण होने लगा। यो तो साहित्यिक आधार पर मूर्तियों के निर्माण के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं परन्तु उतने पुराने उदाहरण नहीं मिले हैं। भागवतधर्म ने जब बौद्धमत को प्रभावित किया, तब पूजा के निर्मित बुद्ध की मूर्ति तैयार की गई। प्रस्तर के इस तोसरे रूप (प्रतिमा) पर भी लेख अंकित किये जाने लगे। जो व्यक्ति उसका दान करता था या जिस शासक के समय में मूर्ति बनी, उस विषय का विवरण प्रतिमा-लेख में पाया जाता है। अधिकतर प्रतिमाओं के आधार-शिला पर लेख उत्कीर्ण किये जाते थे। कभी उनके पृष्ठ भाग पर भी लेख मिलते हैं। इस प्रसंग में मौर्यकाल-पूर्व पटना तथा पारखम यक्ष प्रतिमाओं का नाम लिया जा सकता है। मध्ययुग की कुछ सूर्य मूर्ति के पृष्ठ भाग पर उत्कीर्ण लेख पाये गय हैं। पूर्व मध्ययुग (७००-१२०० ई०) की बौद्ध प्रतिमाओं के सिरे भाग पर विशिष्ट लेख (निम्न गद) उत्कीर्ण किया जाता था—

यो धर्मा हेतु प्रभवा, हेतु तेपा तथागतोद्यवदत् ।

अवदत् च यो निरोधो एवं वादी महाश्रमण ॥

इसवी सन् की पहली सदी में बोधगया में विशाल बुद्ध मूर्ति तथा मथुरा के अनेक प्रतिमाओं के आधार शिला पर लेख खुदे मिले हैं। मथुरा से कुषाण कालीन बौद्ध तथा जैन प्रतिमायें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हुई हैं जिनमें अधिकतर कुषाणवशी लेखक हैं और शक सम्बत् में तिथि भी उल्लिखित है। सारनाथ में एक विशाल बोधिसत्त्व प्रतिमा मिली है जिसके छत्र-न्यायि पर कनिष्ठक के महाक्षत्रप (राज्यपाल) खरपल्लाना द्वारा लेख खुदवाया गया था। द्विविष्क के समय में भी बौद्ध तथा जैन प्रतिमाएँ अधिकतर लेख के आधार थीं। उनसे कुषाण इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। मथुरा के क्षत्रप शासकों ने भी मूर्तियों पर लेख खुदवाये थे।

यह क्रम बढ़ता ही गया। गुप्त शासकों ने भी कुछ मूर्तियों पर लेख खुदवाया था जिनमें नन-कुमार की बीड़ प्रतिमा प्रसिद्ध है। करमदण्डा के शिवलिङ्ग पर भी गुप्त लेख मिला है।

पिछले गुप्त नरेशों में कुमारगुप्त द्वितीय बुद्धगुप्त तथा बादित्यसेन ने क्रमशः बुद्ध प्रतिमा तथा सूर्य मूर्ति के आधार प्रस्तर पर लेख अकित कराया था। मध्य प्रदेश के एरण नामक स्थान पर बाराह भगवान् की विशालकाय मूर्ति है जिस पर हृण राजा तोरमाण के समय की प्रगस्ति है। इस तरह जैन प्रतिमाओं और आयागपट्ट पर लेख पाये जाते हैं। कसिया के महाबीर-निर्विण मूर्ति पर भी लेख खुदा है। यद्यपि कुछ लेखों का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, किन्तु इससे पता चलता है कि मृतियों के आधार-शिला पर कुछ लेख उत्कीर्ण किये जाते थे। धातु प्रतिमाओं पर उस अनुपात में कम लेख अकित है (धातु मृतियाँ लेख रहित नहीं होती थी)। उन प्रतिमाओं का भारतीय कला के इतिहास में विशेष स्थान है और उन पर उत्कीर्ण लेखों से इतिहास की जानकारी में भी सहायता मिलती है। ऐसी धातु प्रतिमाएँ विहार प्रदेश के नालदा तथा कुर्कुहर नामक स्थान से प्रकाश में आई हैं। उन पर शासक तथा दानकर्ता के नाम प्राप्त खुदे हैं।

प्राचीन समय में बुद्ध के शरीर अवशेष पर अशोक ने अनगिनत स्तूप बनवाया था जिसका उल्लेख चीरों यात्रियों ने किया है। किसी भस्म पात्र में फूल (अवशेष) रख दिये जाते और उस पर अण्डाकार या अर्द्ध-चूत्कार ढाचा तेयार किया स्तूप जाता था जो स्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। उस स्तूप के बाहर चारों तरफ घेरा (चेटनी) मिलती है जिसमें द्वार (तोरण) भी बने हैं। उसी चेटनी के स्तम्भ या गूची पर लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। तोरण भी लेखों के आधार थे। भरहुत, अमरावती तथा साची की चेटनी इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं।

स्तूप के भी भोतर शरीर को राख (अवशेष) सोने या कीमती पत्थर के पात्र में रखता जाता था। नत्पश्चात् उस अस्थि-पात्र को प्रस्तर के बाक्स म रखते थे। कभी उस पत्थर या पात्र के ढक्कन पर भी लेख मिलता है। ऐसे पात्रों पर उपलब्ध लेखों में पीपरावा [वस्ती, उत्तर प्रदेश] का पात्र-लेख सबसे पुराना है जिस पर अशोक से पूर्व लिपि में लेख अकित है। साची के द्वितीय स्तूप से एक पात्र मिला था जिसमें अवशेष रखता था। पात्र पर 'स' अक्षर अकित था जिससे विद्वान् यह अनुमान लगाते हैं कि यह सारीपुत्र के नाम का सक्षिप्तकरण है। अन्य पात्र लेख से बुद्ध के प्रथान विषय मीठालायन का भी नाम मिला है। इससे प्रकट होता है कि वह स्तूप इन दोनों शिष्यों के स्मारक स्वरूप (अवशेष के साथ) तैयार किया गया था। उत्तर पश्चिमी प्रात के बजौर रियासत में मिलिन्द के समय का एक भस्म पात्र प्राप्त हुआ है जिसके अन्दर और ढक्कन के दोना तरफ खरोड़ी में लेख खुदा है। (ए० इ० २४ पृ० ७) उसमें 'प्रण समेद शरीर भगवतो दश कुनिम', लिखा है। अफगानिस्तान के बीमरान स्तूप से भी एक लेख उपलब्ध हुआ है जो कनिष्ठ के शासन-काल का है। कनिष्ठ के कुर्रम पात्र पर भी "शक मुनिस शरीर" लेख खुदा है। मयूरा से भी अवशेष पात्र मिले हैं जिन पर लेख उत्कीर्ण है। इस तरह स्तूप से सम्बन्धित पात्र भी हमें बहुत सी बातों का ज्ञान कराते हैं।

स्तूप की बैष्णी तथा तोरण पर भी लेख सुने मिलते हैं। साची के दक्षिण तोरण पर सातवाहन राजा शातकर्णी का नाम है। इस स्थान की बैष्णी पर विभिन्न व्यक्तियों तथा व्यापारियों के नाम सुने हैं जिन्हें उसे दान में दिया था तथा प्रत्येक में 'दानम्' शब्द इसे प्रमाणित करता है। साची की बैष्णी पर द्वितीय चन्द्रगुप्त का गु० म० १३ का लेख नुदा है। साची के अतिरिक्त भरहुत की बैष्णी पर कई जातक का नाम तथा उमका चित्रण मिला है। उस प्रसंग में यह कहा जा सकता है कि बैष्णी पर बोद्ध कथानकों तथा ऐतिहासिक घटनाओं का जितना प्रदर्शन किया गया है, उन सबका ज्ञान भरहुत बैष्णी पर अकिन लेखों से हो जाता है। सातो मानुषी बुद्ध के नाम वही से मिलता है। उदाहरण के लिए "भगवतो विषयिनो बोधि" अथवा "भगवतो शकमुनिनो बोधो" प्रस्तर पर प्रदर्शन करते समय उस जातक के उल्लेख से लौगों की विशिष्ट जानकारी हो जाती है। बुद्ध का जन्म, ज्ञान, महाकपि जातक, यश, यक्षिणी के नाम आदि उसी स्थान के अंकित पंक्ति से स्पष्ट हो जाता है। पूरब के तोरण पर यह "शुगाना राज्ये रजो गामीपुत्रस कारित तोरणम्" लेख द्योपित करता है कि भरहुत की बैष्णी शुग काल (इसकी पूर्व द्वितीय सदी) में तैयार की गई थी। वही से श्रावस्ती के जेतवन और ब्रनाथ पीड़क सेठ का नाम ज्ञात हो सका है। 'अमरायती तथा मथुरा में इस तरह के अनेक स्तूपों के भग्नावशेष निकले हैं। मथुरा के सिह सिरों के लेख से पता चलता है कि कृपाण के पश्चात् उत्तर पश्चिम भारत की दूसरी शक्ति ने मथुरा पर अस्थायी रूप से अधिकार कर लिया था। उसके प्रातपति रंजुबल और सोडास शासन कर रखे थे। इस प्रकार पात्र तथा बैष्णी या नोरण पर उल्लिखित लेखों के सविस्तृत अध्ययन से बहुत से ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगता है।

मद्रास प्रान्त के गटूर ज़िले में नागर्जुनी पर्वत के समीप स्नूपे के अवशेष मिले हैं जिन पर बीरगुप्तदत्त (तीसरी सदी) के कई लेख खुदे हैं जिनमें बीरगुप्तदत्त द्वारा अग्निहोत्र, अग्निईष्टम, वाजपेय तथा अश्वमेध करने का विवरण पाया जाता है । वह लेख 'नमो भगवते बृहस्पति' से प्रारम्भ होता है जो शासक की सहिष्णुता को प्रमाणित करता है ।

भारत में बौद्धमत से मम्बन्धित दो प्रकार की गुहाएँ मिलती हैं। निवास के निमित्त विहार तथा पूजा के लिए चैत्य। बौद्ध धर्म के अन्युदय के साथ गृहस्थ आदि भिक्षु बनकर, घर छोड़कर विहार में निवास करने लगे। उस कार्य के लिये ऐसा स्थान गुफा चुना गया जो नगर के समीप हो। भिक्षु प्रतिदिन भिक्षा मांग कर संचया समय विहार में लौट जाते। इसलिये भिक्षुओं के रहने के लिये नगर से ५ में ८ मील की दूरी पर पर्वती में गुफायें तैयार होने लगी। गुहा (या गुफा) की संख्या सहाद्रि (पश्चिमी घाट) में अधिक है। पश्चिमी भारत में प्राय बौद्ध गुफायें हैं। नासिक, एलोरा, अजंता, भाजा, काले, कनहेरी आदि ऐसे स्थान हैं जहाँ विहार में भिक्षु निवास करते थे। सबसे प्राचीन मौर्य कालीन बराबर पर्वत (गया, विहार) में भी कुछ गुफायें हैं। उडीसा में (यानी पूर्वी भारत) में जैन गुफाये हैं। जैसे मन्दपुरी, रानी गुमफा आदि। भारत के पर्वतों में गुहा खोदने की प्रथा प्राचीन है। ऐतिहासिक काल क्रमानुसार प्राचीनतम बराबर की गुफाएँ हैं जो मौर्य काल में तैयार की गई थीं। उनमें अशोक के १२वें

तथा १९वें वर्ष का लेख खुदा है। उस सुन्दर गुहा को आजीविक साधुओं को दान में दिया गया था—लाजिना पियदसिना दुवाडस वसाभिसितेना इयं निग्रोह कुभा दिना आजीविकेहि ।

गुहा खोदने का क्रम चलता रहा। उडीसा में भुवनेश्वर के समीप हाथीगुम्फा में राजा खारबेल की एक लम्बी प्रशस्ति मिली है जिसमें कलिंग राजा के जीवनघटनाओं का पता चलता है। इसकी सन् को दूसरी सदी में नासिक, जूनार, कालैं (महाराष्ट्र) को गुफाओं में क्षत्रप नहपान के जामाता उषवदत्त के कई महत्वपूर्ण लेख उत्कीर्ण मिले हैं। उसमें खोदने वाले व्यक्ति का नाम नहीं मिलता किन्तु लेख में दान का वर्णन है। उत्कीर्ण तिथि के आधार पर नहपान का काल स्थिर किया जाता है। नासिक गुहा लेखों से शक-सातवाहन सर्वांग के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दशाका परिच्छान हैं जाता है। शक लोग किस तरह भारतीय संस्कृति को अपना रहे थे, यह उसके अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है। उन गुफाओं के लेख अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

गुप्तकाल में गुहा-निर्माण की कला उन्नत अवस्था को प्राप्त कर चुकी थी। द्वितीय चन्द्रगुप्त की उदयगिरि गुहा अत्यन्त प्रसिद्ध है। वहीं उसका बयासिवं (८२) वर्ष का लेख भी खुदा है। उस काल में अजंता में कई गुहायें तेयार की गईं। प्रथानत उनमें सुन्दर सामाजिक चित्र तथा बुद्ध के जन्म की कहानीर्थी भी (जातक) चित्रित हैं। छठी सदी के बाकाटक राजा हरियण का लेख भी वहीं पुढ़ा है। ग्वालियर के समीप बाघ की गुफायें मुख्यतः चित्रकला से सम्बन्धित हैं। नासिक तथा कन्हैरी के लेख ऐतिहासिक हैं। एलोरा की प्रसिद्ध गुफा (वैलाशनाथ मन्दिर) को राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने तेयार किया था जो भारत की अद्वितीय गुहा है। गुहा लेख तो ऐतिहासिक घटनाओं को बतलाते हो हैं किन्तु धार्मिक जगत् की भी अनेक बातें जात हो जाती हैं। पश्चिमो सहयाद्रि की बाढ़ गुफाओं तथा पूरब में उदयगिरि (उडीसा) की जैन गुफाओं के अनुकरण ब्राह्मण धर्मांवलीम्बयों ने भी किया था। गुप्त सम्भ्राट द्वितीय चन्द्रगुप्त की उदयगिरि (भिलसा के समीप) को वैष्णव गुफा, एलोरा तथा ऐलेफेंटा की शैव गुफाएँ और दक्षिण में महाबलिपुरम् की गुफाएँ अन्यन्त प्रसिद्ध हैं। तात्पर्य यह है कि गुफा में ऐतिहासिक लेख खोदने के अतिरिक्त बौद्ध कलाकारों ने चित्र के कारण उनकी सुन्दरता बढ़ा दी। अजंता तथा बाघ की सातार प्रसिद्ध गुफाएँ उत्कृष्ट चित्रों के कारण अद्वितीय हैं।

प्राचीन समय में अभिलेखों के निमित्त ताम्रपत्रों को प्रयोग अधिकतर मिलता है परन्तु मंत्र भी उस पर खोदे जाते थे। किन्तु ताम्रपत्रों को प्रसिद्ध दानपत्र के सम्बन्ध में हो हूँ।

उन पत्रों को चतुर्भुजाकार तेयार किया जाता था। मध्यम लाकार

ताम्रपट्टिका के ताम्रपत्रों पर दान का उस्लेख किया जाता था। एक ताम्रपत्र पर

राजकीय मुद्रा ऊपरी भाग पर अंकित मिलता है। आर्थिक संस्थाएं में ताम्रपत्रों ताम्रे की अंगठी से संयुक्त कर जोड़ के अंश पर राजकीय मुद्रा (Seal) को स्थान दिया जाता था। इससे ताम्रपत्र की प्रमाणिकता सिद्ध होती थी। ताम्रपत्रों के आकार पर ही लेखों का विस्तार दिया होता है। ताम्रपट्टिका पर लेख अंकित करने का विशेष कारण था। पूर्व मध्य युग (७००-१२०० ई०) में सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन होने लगा। बौद्ध धर्म में वज्रयान के कारण नाना भौति के प्रस्तर तथा धातु प्रतिमायें पूजानिमित्त तेयार

होने लगी। वही धर्म प्रचार के लिए लेक खुदवाना महत्वपूर्ण कार्य न रहा पर मूर्तियों की आधार-शिला पर दानकर्ता का नाम आवश्यक समझा गया। हिन्दूयत में पाचरात्र के अनुसार नर्या और किया प्रथान धार्मिक कार्य थे। इस कारण इन दोनों कार्यों के लिये दान का विशेष महत्व था। मदिर निर्माण या पूजा व्यय के लिए धन की आवश्यकता थी। दान देकर नाम्रपट्टिका पर भूमि का पृष्ठ विवरण लिखकर उसे दानग्राही को दे दिया जाता था जिसे वह सुरक्षित रखता था। उस शिल्य में दान लिखने का कार्य ताम्रपट्टिका के अनिरिक्त शिला पर सम्बन्ध नहीं था। दान लेने वाला सरलता में ताम्रपत्र को बर्णों तक संग्रह करता था जिसके आधार पर उनके वशज उस भूमि या धन का उपभोग करते रहते थे। प्राचीन भारत के अनेक ताम्रपत्र खोज से प्राप्त हुए हैं जिनके अध्ययन से ज्ञान-राशि मिली है।

यद्यपि प्रस्तर के बाद बातु की वस्तुओं का प्रयोग लेख-ब्रकन के लिए हुआ था किन्तु यह परिपाटों अत्यन्त प्राचीन नहीं है। इसबी सन् के बाद ही ताम्रपट्टिका का प्रयोग होने लगा। सहरीरा का ताम्रपत्र (मौर्यकालीन) इसका अपवाद है। शक-कुपाण युग से पट्टिका का प्रयोग तथशिला के लिए (२१ ई०) कल्वान (७७ ई०) तथा स्थूविहार लेख के निमिन (८९ ई०) पाये जाने हैं। धनैदह नाम्रपत्र (गजशाही, बगाल) —पूर्वी भारत का सर्वप्रथम ताम्रपत्र— का नामोन्लेख आवश्यक प्रतीत होता है।

ताम्रपत्रों के अध्ययन से कई विषयों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें गजनीति के साथ कई प्रस्तार के भार्माजिक अथवा वार्मिक उल्लेख पाये जाते हैं। गुप्त शासन काल से इसका अधिक प्रचार हआ। अधिकतर ताम्रपत्रों पर दान का विवरण लिखकर दानग्राही को दे दिया जाता था। कभी-कभी राजा विजय के स्मारक में दान पत्र लिखकर आदान को समर्पित कर देता था। प्राचीन ताम्रपत्रों का राजनीतिक उद्देश्य न था। प्रसग वश उसमें शासन सम्बन्धी वातों का समावेश मिलता है। ताम्रपत्रों में वर्णित दान का उल्लेख यह बतलाता है कि अमुक स्थान दान कर्ता के राज्य की सीमा में स्थित था।

प्रथम कुमार गुप्त के दामोदरपुर (उत्तरी बगाल) ताम्रबत्र में भूमि विक्रय का बृतान्त पाया जाता है। स्कन्दगुप्त का इन्द्रोर ताम्रपत्र गुप्त-काल का महत्वपूर्ण 'शासन' समझा जाता है। गुप्तों के साम्राज्य के अनेक ताम्रपत्र मध्यभारत के खोह नामक स्थान में पाये गये हैं। उनमें एक प्रकार के कर (टैक्स) से मुक्त मूर्ति के दान का वर्णन है। छठी सदी में गुप्त राजाओं ने उत्तरी बगाल में कई ताम्रपत्र लिखवाये जिनका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। दामोदरपुर के ताम्रपत्र ग्राम तथा विषय (जिला) सम्बन्धी शासन पर प्रकाश ढालते हैं। प्राम-सभा को भूमि-विक्रय का अधिकार था। सभासदों का चुनाव प्रत्येक पांचवें वर्ष होता था। इन विषयों का जानकारा दामोदरपुर व फरीदपुर के ताम्रपत्रों के अध्ययन से होती है। हर्ष वर्धन के समय में बौसुखेरा तथा मधुबन नामक ताम्रपत्र उत्कीर्ण किये गये थे। इनसे उस राजा के जीवन घटनाओं का परिज्ञान होता है। विशेष बात यह है कि उन ताम्रपत्रों में तिथियों का उल्लेख भी मिलता है। गुप्त काल में गुप्त सम्बत् (६० स० ३१) तथा हर्ष के ताम्रपत्रों में हर्ष सम्बत् (६० स० ६०६) का प्रयोग है। संक्षेप के ताम्रपत्र में 'गुप्त नृप राज्यभूमि' का उल्लेख यह धोखित करता है कि बुद्धेलखंड के शासक गुप्तों के अधीन थे। बगाल के राजा देवपाल का नालंदा ताम्रपत्र-लेख अन्तरराष्ट्रीय प्रशस्ति है। उसमें सुमात्रा के राजा

बालपुरदेव द्वारा पालवंशी देवपाल से नालंदा में निमित विहार के लिए भूमिदान को प्रार्थना की गई है। मध्ययुग में धार्मिक भावना की प्रगति के कारण छोटे-छोटे राजा भी ताम्रपट्टिकाओं पर दान का उल्लेख करते थे। राजपूत नरेश तथा दक्षिण के राजाओं ने अधिकारिक लेख ताम्रपत्रों पर ही अकित कराया है। मध्ययुग में जितने शासन (ताम्रपत्र) मिले हैं उनमें गहड़-बाल नरेश गोविन्दचन्द्र के ताम्रपत्रों की अधिक संख्या है। इन पट्टियों पर खुदे लेख दान का विषय, दान कर्ता, दान ग्राही, भूमिकर आदि विषयों पर प्रकाश ढालते हैं। इसों प्रकार अन्य ताम्रपत्रों से अनेक राजाओं के विषय में जानकारी होती है। यदि सम्पूर्ण दानपत्र को विषय वार विभाजन किया जाय तो निम्नप्रकार की चर्चा सामने आती है।

(१) शासक का वश परिचय जिसके समय में ताम्रपत्र लिखा गया। उस राजा का संक्षिप्त वृत्तान्त, विजय आदि।

(२) दान लेने वाले व्यक्ति का वश, वैदिक शास्त्र तथा गीत का वर्णन।

(३) अग्रहार भूमि, उसका माप, सीमा तथा क्षेत्रफल का उल्लेख।

(४) विभिन्न कर की सूची। दान भूमि से राजकीय-कर-सम्बन्ध करने का भार दान-ग्राही को स्वत मिल जाता था।

(५) राज कर्मचारियों की लम्बी सूची मिलती है जिन्हे अग्रहार भूमि के स्वामित्व की सूचना देना आवश्यक था। उसके अनुसार राजा के समस्त अधिकार दानग्राही को सौंप दिया जाता था।

(६) दान के अवसर (विजय, तार्थ, ग्रहण तथा धार्मिक कार्य)।

(७) मंगलसमय तथा शाप युक्त पद। दान कर्ता के उत्तराधिकारी शाप के भय से उम दान-भूमि को बापस नहीं ले, इसलिए अनेक धर्म-दलोंक अन्त में उद्घृत किए जाते थे।

ताम्रपत्र लिखने के कई प्रकार थे। ताम्रपत्र पर लेख स्थाही में लिखकर कीलनुमा यथा से खोदे जाते थे। कभी उस पट्ट पर सुरक्ष कर अक्षर अकित किये जाते थे किन्तु उत्तर पश्चिम भारत से प्राप्त कलबान लेख बिन्दु समूह से उत्कोर्ण किया गया है।

भारतीय इतिहास में सिवको पर लेख सुदबान का कार्य यूनानी शासकों ने उत्तर पश्चिम भारत में प्रारम्भ किया। भारतीय यूनानी इतिहास की जानकारी तथा शासकों का

नाम मुद्रालेख से ज्ञात होता है। उन पर खुदे लेख में दियोदोतस, सिवके यूथिडिमस दिमित, अपलदतस या मिलिन्द आदि के नाम जाने जाते हैं। जो इतिहास साहित्य के आधार पर जान है उसकी पुष्ट मुद्रालेख

से होती है। प्राचीन भारत के सघ यानी प्रजातत्र का नाम—शालवा, आर्जुनायन या यौवेय आदि सिवको पर लुढ़े मिले हैं।

मालबाना जय। यौवेयगणस्य जय आदि।

इससे लेखन-अंगूली तथा तिथियों का ज्ञान होता है। यूनानी सिवको के अनुकरण पर पहल्लव तथा कुषाण राजाओं ने मुद्रा पर लेख अकित कराया। कुषाण नरेशों ने पूर्व प्रचलित रजत सिवको दो हटाकर स्वर्ण मुद्रा तैयार किया जिसमें पता चलता है कि उनका कार्य अन्तर्राष्ट्रीय नीति पर आधारित था। साइरेन्या से सोना मेंगाकर कुषाण राजाओं ने उत्तर प्रदेश से मध्य एशिया पर्यन्त भू भाग पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। बीम कदकिस सर्व प्रथम नरेश था

जिसकी स्वर्ण मुद्राएं, आधिक तथा धार्मिक इतिहास पर प्रकाश डालती हैं। मुद्रा-लेख 'महरजस रजदिरजस सर्वलोग ईश्वरस महोऽश्वरस विम कदफिसस नतरस' यह बतलाता है कि वह शिव का पुजारी था। यह धार्मिक परम्परा कुपाण राजा वासुदेव तक चलती रही। पह्लव लेख बतलाते हैं कि राजा मोग ने ईरानी पदवी धारण किया था (रजतिरजस महतस)। उस बदवी को कुपाण राजा ओ ने भी प्रचलित किया। कुपाण राजा कनिष्ठ के मुद्रा-लेख से पता चलता है कि इस बौद्ध शासक ने हिन्दू देवता (शिव), यूनानी देवता (अरदोक्षा आदि), ईरानी देवता (सूर्य आदि) तथा बौद्ध देवता (बुद्ध) को धार्मिक सहिष्णुता के कारण हो सिक्को पर स्थान दिया था।

इसी के अधीन गवर्नर पश्चिमी भारत में महाक्षत्रप पदवी धारण कर राज्य करते रहे। पश्चिमी भारत के शक क्षत्रियों का पूरा इतिहास मुद्रा-लेखों से जात होता है। उनके मद्रा-लेखों में पिता, पुत्र या जामक तथा उसके उत्तराधिकारी के नाम अकित हैं—

(१) राजो महाक्षत्रपस रुद्रदामन पुत्रस

राजो महाक्षत्रप रुद्रसिंहस

(२) राजो महाक्षत्रपस स्वामि सत्यसह पुत्रस

राजो महाक्षत्रप सामि रुद्रमहस

पश्चिमी भारत तथा उत्तरी भारत में चौथी मदी में गुप्त सम्राटों ने शासन आरम्भ किया और पिछले कुपाण नरेजों के सिक्कों के अनुकरण पर अपनी मुद्रानीति स्थिर की। उनकी स्वर्ण मुद्राओं पर राजा के नाम के साथ संस्कृत भाषा में छन्दोवद्ध लेख खुदा है। सम्भवत उस नमय मस्कृत गजभाषा थी। संस्कृत साहित्य के उपजाति व पृथ्वी आदि छद्दों में लेख अकित है। राजाओं के लिए चौंडों के सिक्कों पर 'परम भागवत' की उपाधि मिलती है जिस से उन के वैष्णव मतानुयायी होने का प्रमाण मिलता है। कई घटनाएं उन मुद्रा-लेखों से जात होती हैं—उदाहरणार्थ

(१) समरशतवितविजयो जितरिपुरजितो दिव जयति ।

(२) राजाधिराज पृथिवीमवित्वा दिव जयन्याहृतवाजिमेष ।

(३) अग्रतिरथो विजित्य किर्ति सुचरितै दिव जयति ।

मुद्रा-लेखों से समुद्रगुप्त के सैकड़ों युद्धों में विजयी होने तथा अश्वमेष यज्ञ करने का परिज्ञान होता है। चन्द्रगुप्त द्वितीय के मुद्रा पर 'परमभागवती महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त' अकित है। प्रथम कुमार गुप्त के मुद्रा लेख—(अ) कुमारगुप्तो यूषि सिहविकम तथा (ब) भर्ता खङ्गत्राता कुमारगुप्तो जयत्यनिशम्—राजा के हाथों सिंह तथा गौडा के मारने की घटना वर्णित करते हैं।

गुप्त वंश के पश्चात् मध्ययुग में विदेशी हूण भी भारत में आकर भारतीय संस्कृति के उपासक हो गए, जिसकी जानकारी उनके मुद्रा लेख से होती है। हूण राजा मिहिर के सिक्को पर 'जयतुवृृ' उत्कीर्ण है जो उसे शैवमतावलम्बी धोयित करता है। कहने का साराज्ञ यह है कि मुद्रा-लेख वास्तविक इतिहास के अध्ययन में सहायता करते हैं।

इस प्रसंग में यह कहना आवश्यक है कि सिक्कों पर खुदे लेखों की लिपि भारतीय लिपि के विकास को बतलाती है। यूनानी राजा दिमित, पंतलेव, अगुथकल, अपलदल या मिलिन्द

ने उत्तर पश्चिम भारत में प्रचलित खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया था। पश्चिमी भारत में क्षत्रप, शक नरेशों ने ब्राह्मी का प्रयोग किया। प्रजातंत्र शासकों के सिक्कों पर ब्राह्मी अंकित है। गुप्त राजाओं ने गुप्त लिपि को प्रयुक्त किया। मध्ययुग के सिक्कों पर नागरी लिपि में शासकों का नाम-वीमत् गोविन्द चन्द्र देव, गारेयदेव, परिमदिदेव, दृश्वीराजदेव आदि लेख अंकित है। संक्षेप में यह कहना यथार्थ होगा कि मुद्रा पर खुदे लेख भारतीय लिपि के विकास का भी परिज्ञान करते हैं।

कच्ची मिट्टी के पिण्ड पर लेख अंकित कर उसे भाग में पकाया जाता था। उसी को मुहर का नाम देते थे। प्रशस्ति लिखने के आभार की सूचि में मुद्रा या मूहरों की गणना विशेष रूप से की जाती है। इन मूहरों की विषय के अनुमार कई भाषों में विभक्त किया जा सकता है। धार्मिक मूहरों जिनका सम्बन्ध मंदिर या विहार में था। दूसरे

मुहरें विभाग में राजकीय मूहरों की गणना होती है जिन पर शासक का नाम नुडा है और सावारणतया वे ताम्रपट्ठियों से नुडे हैं। तीसरे

विभाग में कर्मचारियों की मुहरें हैं जिन्हें कार्यालय में पत्रव्यवहार में प्रयोग किया जाता था। कुछ निजी मुहरे भी खुदाई में मिली हैं जिनमें व्यक्तिगत लेख उत्कीर्ण है। यदि प्रयुक्त सामग्री की दृष्टि से देखा जाय तो पता चलता है कि मुहरें मिट्टी ताम्रा, कास्य, प्रस्तर तथा हाथी दाँत की बनाई जाती थी। इस तरह की मुहरें उत्तरी भारत के विभिन्न स्थानों में प्राप्त हुई हैं। (आ० रि० १९०३—१३)। बैशांकी, कसिया, नालदा, गजघाट, कौशाम्बी तथा भोटा (प्रयाग के समीप, उत्तर प्रदेश) में प्राप्त हुई हैं। धातु की मूहरों पर उत्कीर्ण लेख के ऊपरी भाग में किसी देवता की आकृति भी ऊपरी भाग में तैयार की जाती थी। भोटा की मूहरों पर शिव लिङ्ग, त्रिशूल तथा वृषभ की आकृति मिलती है तथा नीचे गुप्त लिपि में लेख अंकित है। नालदा से जो ताम्बे या मिट्टी की धार्मिक मूहरें प्राप्त हुई हैं उनपर बुद्ध की प्रतिमा है। राज वशों में सम्बन्धित लेखों के आरम्भ में जा मूर्हें जुड़ी हैं या निमित हैं उनसे भी धर्म का ज्ञान होता है। गुप्त वश के भितरी मुद्रा पर गरुड़ की आकृति है तथा नीचे प्रथम कुमार गुप्त से द्वितीय कुमार गुप्त तक गुप्तवश वृक्ष का उल्लेख है। इससे उमे वैष्णव मन में सम्बन्धित मुद्रा मानते हैं। पालवर्णी नरेन धर्मपाल के खालीमपर ताम्रपत्र के ऊपरी भाग में बुद्ध का प्रतीक (धर्मचक्र तथा दो हिरन) तथा राजा का नाम 'श्री धर्मपाल देवस्य' लुडा है। देवपाल के नालंदा ताम्रपत्र में भां एसो ही मुद्रा संलग्न है जो राजा को बोद्ध धोपित करती है। इसी प्रकार सेन नेतृ में शिव की प्रतिमा (सदा शिव) शासकों का शैव मत में सम्बन्ध प्रकट करती है।

पूर्व मध्य युग से मूहरों का इतिहास क्रमबद्ध रूप में मिलता है। प्रत्येक ताम्रपत्र से एक धातु मुद्रा (अंगूठी की तरह) जुड़ी रहती थी। वही उस आज्ञापत्र को प्रमाणित करती थी। ये मुद्राएं राजकीय विभाग में रखी जाती थी। उन पर कुल देवता या छवज का चिह्न अंकित मिलता है। भितरी मुद्रा, सर्ववर्भन मौखिकी की असारगढ़ की मुद्रा तथा हृष्पवर्धन की सोनपत वाली मुहर राजकीय श्रेणी में रखी जा सकती है। इस प्रसग में भीटा से प्राप्त कुछ मुहरों का उल्लेख औवश्यक प्रतीत होता है। यहाँ में सातवाहन नरेश गोतमोपुत्र शातकर्णी की मुहर मिली है जिससे उस वंश का सम्बन्ध प्रकट होता है (आ० स० रि० १९११-१२ पृ० ५१)। पाँचवीं सदी से मिट्टी की मुहरें जैसाली (वसाड, उत्तर विहार) तथा नालदा में अधिक संख्या में मिली

है। मिट्टी की मुहर धातु के सौचे में तैयार की जाती थी जिन पर आकृति तथा लेख दोनों उभड़ आता था। वास्तविकता तो यह है कि सौचा ही लेख का असली आधार था जिसमें उलटे रीति से आकृति या लेख उत्कीर्ण किए जाते थे। मृत पिंड पर दबाव डालने से सौचे का कलात्मक नमूना उभड़ आता था। उस कच्ची मिट्टी को आग में पका देने थे ताकि पक्की मिट्टी की मुहर स्थायी रह सके। नालदा की ऐसी मुहरें धार्मिक हैं। बुद्ध की पतिमा तथा “योधम्मा हेतु प्रभवा” आदि मत्र खुदा हैं। कुछ मुहरें सघ के आचार्य से सम्बन्धित मिलते हैं (आ० स० म० न० ५९) भीटा में प्राप्त मुहरों का विशेष महत्व है। उनमें कुछ पदाधिकारियों के कार्यालय से तथा कुछ निगम (व्यापारिकसभ) से सम्बन्धित हैं जिन पर महासेनापति, महादण्डनायक अथवा कुमारा-मात्याधिकरणस्य लेख खुदे हैं। कुछ पर निगम शब्द का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार बैशाली (मुजफ्फरपुर, विहार) की मुहरें तत्कालीन शासन पढ़ति पर प्रकाश डालती हैं। इन पर गृह निधि में कर्मवाचारियों के कार्यालय तथा श्रेणी (गण) से सम्बन्धित लेख खुदे हैं।

(१) ग्रीष्मकालीन धार्मिक विवरणस्य

(तीरटृत के राज्यपाल का कार्यालय)

(२) कुमारामात्याधिकरणस्य

(कुमारामात्याधिकरण का)

(३) धोषिण निगमस्य

(धोषिण के सघ का)

(४) धोषिण धी दामस्य

(धी दास भेठी की मुहर)

इतना ही नहीं वैशाली के गजकुमार गोविन्दगुप्त तथा रानी ध्रुवदेवी (चन्द्रगुप्त द्वितीय की पत्नी) के नाम भी मुहरों पर खुदे मिलते हैं।

भीटा में व्यक्तिगत मुहरें भी प्राप्त हुई हैं जिन पर ‘आदित्यस्य’, कौसिकदेवस्य, वसु-देवस्य, पुस्तमतम्य या विष्णुनन्द नामक व्यक्तियों के नाम अकित हैं। इसी प्रकार स्थान से सम्बन्धित ‘चित्रगाम’ या ‘विष्णुवाम’ लेन अमुक ग्राम की मुहर कहे जा सकते हैं (आ० स० रि १९५१-१२ प० ५६८)। कुछ दिन हाप काशी के समीप राजधानी की खुदाई में बहुत सी मुहरें मिलती हैं जिनको लिधि के आधार गृह कालीन माना गया है। अधिकतर मुहरों पर धार्मिक लेख खुदे हैं। उनके अध्ययन से पता चलता है कि काशी में गैवमत का कितना अधिक प्रचार था।

इस प्रसंग में प्रारंगेतिहासिक युग के नगर मोहनजोदहो व हरप्पा से प्राप्त मुहरों के सम्बन्ध में कुछ कहना अप्राप्तिक न होगा। आधुनिक समय में अहमदाबाद के पास लोथल से वैशी ही मुहरें प्राप्त हुई हैं। ये मुहरें सज्जी की बनती थीं और उन पर धातु की नुकीली कील से (Burin) चित्रमय निधि में कुछ स्वादा गया है। उन पर गेहा, हाथी, शेर, बैल, भैंस आदि की आकृतियाँ हैं। जो कुछ खुदा है वह अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सम्भवतः ये मुहरे तावीज की तरह पहनी जाते थीं। इस निधि का ज्ञान हो जान पर यह जात हो जायेगा कि ये लोग कौनसी भाषा जानते थे।

आयागपट्ट जैन धर्म से सम्बन्धित एक चार कोना प्रस्तर जिस पर तोर्चकर महावीर की मूर्ति तथा अष्ट मागलिक वस्त्रुओं की आकृति खुदी रहती है।

मथुरा के ककाली टीला से एक आयागपट्ट मिला है जिस पर अमोहिनी आयागपट्ट का लेख मिलता है । [अमोहिनिये सहा पुत्रेण पालघोषेण पोठघोषेण धनघोषेण आर्यवती (जैन आयागपट्ट) प्रतिष्ठापिता] । तीर्थंकर को मूर्ति महत्वपूर्ण है और उसी के पूजा निमित्त आयागपट्ट का दान दिया जाता था । यो तो इस तरह के प्रस्तर पर शुग राजा पृथ्विमत्र का लेख अयोध्या में मिला है परन्तु आयागपट्ट जैन धर्म में पूजा निमित्त तैयार किया जाता था ।

पुराने समय में मन्दिर तथा प्रतिमा के नीचे कुछ इंटो पर लेख या अक्षर खोदे जाते थे जिनका कनिधम ने पता लगाया था । मथुरा सग्रहालय में ईसा-पूर्व पहली सदी की इंटे सुरक्षित हृजिन पर अधार खुदे हैं । इंट के अनिरिक्त मिट्टी के पात्रों पर भी इंट तथा मृतिका-पात्र लेख मिलते हैं । कुम्हरार की खुदाई से पात्र के एक हिस्से पर गुप्त लिपि में “अरोग्य विहारे भिक्षुसंघस्य” लिखा मिला है । इस तरह के इंट या पात्र पर लेख यदा-कदा मिलते हैं । भारत में इस तरह लिखने की परिणामी कम रही होगी ।

लेख अक्षर के आधार सम्बन्धी विवरण को समाप्त करते हुए यह सकेत करना आवश्यक है कि ईसवी सन् के कई सदियों बाद भोजपत्र, ताडपत्र, व्रस्त्र, चमड़ा यथा कागज पर पुस्तकों लिखी जाती रही । ईरानी भाषा में चमड़ा को पुस्तक कहते हैं इसलिये ग्रन्थ को पुस्तक का नाम दिया गया । उड़ासा में ताडपत्र पर नुकीली कील में अशर खोदे जाते थे और बाद में उस पर स्थाही का लेप लगाया जाता था । यही कारण है कि लेपन के कार्य से लिपि' शब्द की उत्पत्ति हुई परन्तु इस प्रश्न का विस्तृत विवरण यहाँ अग्रामणिक होगा ।

अध्याय ४

प्रशस्ति-अंकन के काल एवं स्थान

प्राचीन भारत के समस्त अभिलेखों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजा (यासक) तथा व्यक्ति, विशेष द्वारा लेख विभिन्न अवसरों पर उत्कीर्ण किये जाते थे। पिछले धर्म-दास्त्र ग्रन्थों में ऐसा ही उल्लेख पाया जाता है। स्मृतिचन्द्रिका के व्यवहार भाग में दो प्रकार के लेख का वर्णन मिलता है। “लौकिक राजकीय च लेख विद्यात् द्विलक्षणम् यासकगण अपनी राज-आज्ञा को प्रजा तक पहुँचाने के लिए लेख सुदर्शने थे। उस समय राजाज्ञा को चिरस्थायी करने का अन्य कोई साधन न था अत ऐसा अकित करना आवश्यक था। अशोक ने अपनी धार्मिक आज्ञाओं को प्रस्तर तथा स्तम्भों पर सुदर्शना था। उसके बौद्ध चिलालेख उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्कीर्ण किए गए थे। उनमें धार्मिक कार्य अथवा पदाधिकारी की नियक्ति तथा उपदेश की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया है। अशोक ने सब में मत-मेड देखकर गौड स्तम्भ लेख तेवर कराया ताकि भिन्न भय से शान्त हो जाय और विहारों की पवित्रता बनी रहे। अशोक के लेखों को आज्ञापत्र की घोणी में रखवा जाता है।

(कार्यमादिश्यते येन तदाज्ञापत्रमुच्यते-स्मृतिचन्द्रिका)

इन धार्मिक-पत्रों के सुदर्शने का कोई निश्चित अवसर न था, पर अशोक ने अर्हिसा में प्रजा की आस्था लाने के लिए लेखों का उत्कीर्ण कराया (से अज यदा धर्मलिपि लिखिता)। समाज में सदाचार लाना उसका मुख्य ध्येय था, लेकिन अशोक के बाद ऐसे लेख कम मिलते हैं। भिलसा के गहण स्तम्भ की प्रशस्ति में इसी प्रकार में सदाचार की बाने (तीन मार्ग) उल्लिखित है (त्याग, आत्म संयम तथा राग रहित)।

त्रिनि अमृत पदानि इ अ सु-अनुठितानि ।

नेयति स्वर्गं दम चाग अप्रमाद ।

कालान्तर में धर्मलिपि का स्वरूप परिवर्तित हो गया और धार्मिक अवसर (यात्रा तथा दान आदि) पर लेख उत्कीर्ण होने लगे।

अशोक ने स्वर्यं लुम्बिनी स्तम्भ पर लिखा है कि भगवान् बुद्ध का यह जन्म-स्थान या इस कारण यह स्तम्भ-लेख अकित किया गया (हिंद बुधे जाते सक्य मुनिनि सिला-विगड

भीचा कालापित सिला थमे च उस पापिते)। इसका भाव यह है कि

धार्मिक अवसर बौद्ध तीर्थ की यात्रा कर अशोक ने लेख सुदर्शना था। नातिक लेख

में महाकाव्य नहपान के जामाता उषवदत्त ने पुष्कर तीर्थ (अजमेर, राजस्थान) में जाकर दान किया और लेख सुदर्शना। मध्ययुग में गहडबाल नरेश गोविंद चन्द्रदेव के अनेक ताम्रपत्र काशी के पास कमीली आम से मिले हैं जिनमें ताम्रपट्टिका पर तीर्थ यात्रा से सम्बन्धित लेख खोदने का विवरण पाया जाता है (तीर्थानिकारी कुशिको-त्तर कौशलेन्द्रस्थानी)।

इसीवी पूर्व सदियों मे सातवाहन नरेश शातकर्णी ने अनेक वैदिक यज्ञ किया था जिसका विवरण उस ही पत्तों नागिनिका ने नानाघाट के स्थान पर उत्कीर्ण कराया था । ऐसी ही घटना गुप्त समाट् समुद्रगुप्त के अश्वमेध सिक्को पर लिखित है । मुद्रालेख में “राजाधिराज पृथिवी-मवित्वा दिव जयत्याहृतवाजिमेव ” उत्कार्ण है । इसमे नमद्रगुप्त हारा अश्वमेध को विरस्थायी बना दिया गया । शातकर्णी के समकालीन भारतीय स्तूपों की वैदिका अथवा तोरण पर ऐसे लेख मिले हैं जिनसे पता चलता है कि विभिन्न लोगों ने उसे तैयार किया था । सच्ची की वैदिका तथा तोरण पर अनेक लेख उत्कीर्ण हैं । भरहृत वैदिका पर भी ऐसे लेखों की कमी नहीं है । दक्षिण भारत के अमरावती वैदिका पर भी लेख उत्कीर्ण है । इसीसे सन् के आरम्भ से मूर्तियों की आधार-शिला पर लेख खुदवाने की परिपाटा चल पड़ी । कुपाण युग के बृद्ध एवं जैन प्रतिमा पर ऐसे अनेक लेख मिले हैं । सारनाथ की प्रमिद्ध बोधिसत्त्व की प्रतिमा के अधो भाग पर कर्तिक के तीसरे वर्ष का लेख खुदा है । मध्ययुग मे प्रतिमा के आधार चिला तथा प्रतिमा के सिरो भाग का आंग उत्कीर्ण कराने का ब्राह्मण पवलन था । प्राय बौद्ध प्रतिमाओं के सिरे को ओर एक-दो मत्र उत्कीर्ण मिलता है ।

या धम्मा हेतु प्रभवा हेतु तेषा तथागतोहृषवदत् ।

अवदत् च यो निर्गेधो एव वार्दी महाश्रमण ॥

छठी सदो म बाहरही सदो तक दूर्बी भारत के प्रस्तर तथा धानु मूर्तियों पर यह लेख उत्कीर्ण है । आधार शिला पर लुढ़े लेखों ने निधियों भी मिलनी है जिनमे बगाल के पालबंधी राजाओं के नाम तथा तिथि जात होती है । पालयुग के हिन्दू उत्तिमाओं के ऊपरी भाग पर भी लेख खोदने की परिपाटी चल पड़ी थी ।

भारत एक धर्म प्रश्नान देना है । दान का विवरण साहित्य के अंतिरिक्त लेखों मे अधिक पाया जाता है । याज्ञवल्य रमात् मे यह जल्लेख मिलता है कि दान दकर राजा को स्थायी रूप से लेख लिखा देना चाहिए । —

दान की परिस्थिति “दत्वा भूमिनवध वा कृत्वा लेख नु राख्येत् ।

पटे वा तास्रपटे वा स्वमुद्रोपरिच्छित्वम् ।”

प्राचीन युग के शासक डम दान की ध्यान मे रखकर प्रस्तु या नामर्जुट्का पर लेख खुदवात थे । मौर्यकालीन गया जडा (दिहार) भ स्थित बगवर पर्वत का गुड़ा लेख दान का सबसे प्राचीन उदाहरण है । इसमे पूर्व गाँदियों मे माचा वैदिका पर प्रस्तुर के ऊपरी भाग मे दान कर्ता का नाम खुदा है । नार्सिक लेख म उपवदन हारा दान का उल्लेख मिलता है कि तीन हजार कार्यपाण श्रेणियों के बंक मे सूद पर जमा किया गया था । उस आय को भिक्षुओं के भोजन तथा चीवर के निमित्त व्यय किया जाता था । उपवदन ने प्रभास नामक तीर्थ मे आठ ब्राह्मण कन्धा के विवाह निमित्त दान दिया था तथा दमण, नार्सी आदि नदियों के घाट को निःशुल्क धोषित किया । राम तीर्थ के ब्राह्मण सात्रुआ ने कि । गुप्त दान दिया । गुप्त युग से अग्रहार देने की परिपाटी चल पड़ी । ब्राह्मण ग्रन्थों मे यत् (दृष्ट) तथा दान (पूर्व) का वर्णन मिलता है । पुराने समय मे गृहा, चैत्य, मष्ठप, वार्षी आदि दान मे दिये जाते थे परन्तु कालान्तर मे (प्रायः गुप्त युग के पश्चात्) ब्राह्मणों के अंतिरिक्त सम्याओं को भी भूमिदान की प्रथा चल पड़ी थी । भूमि-

दान को 'शासन' कहते थे जो अधिकतर ताम्रपत्र पर खुदे हैं। पहाड़पुर, दामोदरपुर, खोह तथा प्रभावती गुमा का पूना ताम्रपत्र गुप्त युग के शासन माने जा सकते हैं। पूर्व मध्य-युग में भी ऐसे लेखों की कमी न थी। बौसखंडरा ताम्रपत्र, बलभी दान पत्र, बाकाटक नरेशों के ताम्रपत्र, बादामी के चालुक्य राजाओं के शासन, राष्ट्रकृष्ण, प्रतिहार, चेदितथा गहड़वाल नरेशों के अनेक ताम्रपत्र इसी श्रेणी में रखे जाते हैं। प्रत्येक ताम्रपत्र में मण्डलाचरण के पश्चात् राजा की वशावली, भूमि का माप, सीमा, कर आदि का उल्लेख दान, ग्राही की विद्वता एवं गुणों की प्रशंसा तथा शासन के पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। आहुणों को अग्रहार देने के अतिरिक्त सस्थाओं को जो भूमि दान में दी जाती थी उसका भी विवरण ताम्रपत्र पर अकित रहता था।

बगाल के पाल नरेश देवपाल का नालदा ताम्रपत्र विशेषरूप से उल्लेखनीय है। पाल नरेश ने जावाढ़ीप के शासक बालपुत्रदेव द्वारा निर्मित नालदा के विहार को पाच गाव दान में दिया था। इस कारण यह ताम्रपत्र वैदेशिक सम्बन्ध पर भी प्रकाश डालता है। ह्येनसाग ने लिखा है कि नालदा महाविहार को दो सौ ग्राम दान में मिले थे। पाल राजाओं ने विक्रम-शोला विश्वविद्यालय को भी आर्थिक सहायता दी तथा दान देकर शासक ने उदार भावनाओं का परिचय दिया था।

मदिरों के निर्माण तथा पुनरुद्धार का भी विवरण लेखों में भरा पड़ा है। प्रथम कुमार गुप्त के मदसोर वाले लेख में श्रेणी द्वारा मूर्य मदिरों के निर्माण का विवरण निम्न प्रकार है —

"श्रेणीभूत भवनमतुलु कारित दीम-रश्मे"

निर्माण के सदृश मदिरों के पुनरुद्धार का कार्य भी पवित्र तथा धार्मिक समझा जाना था। लेखों में 'खण्ड स्फुट संस्कार' शब्दों में उसकी अभिव्यक्ति की गई है। दामोदरपुर के ताम्रपत्र में "श्वेत वराह स्वामिनो देवकुल घण्ट स्फुट प्रति संस्कार करणाय" वाक्य से वराह स्वामी के मन्दिर के उद्धार को बात उल्लिखित है। राजपुताना के लेखों में इस तरह का अधिक विवरण पाया जाता है। परमार लेख में विवाच रानी द्वारा मादर के जोरोंद्वार के माध्यम से पुण्य अर्जन का वर्णन मिलता है। लेखों में निम्न प्रकार के वाक्य मिलते हैं —

खण्ड स्फुट देवगृह जगतो समरचनार्थम् (ए० इ० १२ प० ११५)

खण्ड स्फुट विचरित पतित संस्कारार्थम् (का० इ० ४ प० १५०)

खण्ड स्फुटित समरचनादिगु धर्मोपि योग्य कर्तव्यम् (ए० इ० १९ प० ६२)

इस उदाहरण से स्पष्ट प्रकट होता है कि दसवीं सदी के पश्चात् मदिरों का संस्कार अत्यन्त पुण्य का कार्य समझा जाने लगा। सम्भवतः मुसलमानों द्वारा मदिरों के नष्ट किए जाने पर धनीमानों लोगों का ध्यान निर्माण से हटकर संस्कार की ओर आकृष्ट हुआ। जोगुपुर के एक लेख (ए० इ० भा० २०) तथा असम के लेख (इ० हि० क्वा० भा० २२ पृ० १२) में इसी प्रकार का ज्ञानशा उल्लेख मिलता है।

प्राचीन भारत में विजय यात्रा के समाप्ति की ममय शासक लेख उत्कीर्ण कराते थे ताकि उनके विजय का विवरण अन्य लोग तथा उत्तराधिकारियों को जात हो जाय। इस प्रसंग में

प्रयाग का स्तम्भ लेख, उदयगिरि का लेख, अय्होल की प्रशस्ति, जोधपुर का अभिलेख तथा भीर संग्रहालय का ताम्रपत्र क्रमशः समुद्र गुप्त, द्वितीय चन्द्रगुप्त, चालुक्य राजा द्वितीय पुलकेशी, प्रतिहार नरेश

भोज तथा राष्ट्रकूट धुवराज के विजय का बृत्तात उपस्थित करते हैं। उनमें राजाओं के दिविजय व युद्ध में विजय का विवरण दिया गया है। इन लेखों का मुख्य व्येय राजा की विजय कोति को चिरस्थायी करना था। अतएव प्रशस्तिकार्ग ने अपने आश्रयदाता या शासक के विजय का सुन्दर वर्णन किया है। गुप्त सम्भाट द्वितीय चन्द्रगुप्त के मेहरौली लौहस्तम्भ पर चन्द्र नाम से शासक के विजय का वर्णन अकित है। यशोधर्मन का मदसोर का लेख उसके युद्ध कोशल का वर्णन करता है। उसी में उसके हाथों दूर नरेश के पराजय का विवरण मिलता है। निम्न पद पठनीय है—

तोत्वा सप्त मुखानि येन समरे सिन्धोऽिजिता वाहिका

यस्थाया पृथिव्यास्थते जलनिधि वायर्यातिलैर्दक्षिण । (मेहरौली लेख)

आ लौहिन्योपकष्टातलवनगहनोपत्यकादा महेन्द्रा-

दामङ्गाशिलस्तानोस्तुहिनशिखरिण् पदिच्चमादा पयोध

चूडा-पुष्पोपहारंग्मिहरकुलनैणाच्चिर्तं पादयुग्मः (मदसोर की प्रशस्ति)

ऐसे स्थानों पर राजा को कीर्ति को विरस्थायों करने की भावना काम करती थी। अत उनमें कुछ अत्युक्ति भी मिलती है।

मध्य युग के परमार लेख में तो “कोकण विजय पव्वर्णि” वाक्य का स्पष्ट उल्लेख है। गाहड़वाल प्रशस्ति जयचन्द्र के अभियेक के अवसर पर अकित की गई थी। इस प्रकार शासक के विजय यात्रा के अन्त में भी प्रशस्ति अकित कराने की परिपाठी प्रचलित थी।

प्राचीन समय में सामाजिक अवसरों पर लेख उत्कीर्ण कराने की परिपाठी अधिक नहीं थी। परन्तु मध्ययुग की प्रशस्तियों में इसका वर्णन पाया जाता है। गाहड़वाल राजा जयचन्द्र ने राजकुमार के जन्म तथा चृडा-कर्म के अवसर पर दान दिया सामाजिक था। दानपत्र में “राजपुण्ड्री हर्शचन्द्र नाम करणे” का उल्लेख अवसर है। इसके अन्तर्गत मध्ययुग म अनेक त्योहारों पर भी दान देने का विवरण उपलब्ध होता है। सक्रान्ति, अध्ययतृतीया, रामनवमी, कृष्णजन्माष्टमी, महा सप्तमी, एकादशी तथा अधिक मास में भी दान दिया जाता था। मातापिता के “पार्वणि श्राद्ध” के अवसर पर गाहड़वाल तथा कलचुरी नरेशों द्वारा दान का उल्लेख निम्न शब्दों में मिलता है।

“आश्वन मासि कृष्णपदे १५ पितु

साम्वत्सरिक पार्वणि श्राद्धे”

या

“गामेयदेवस्य सम्वत्सरे श्राद्धे”

या

“आन्मीय मातु राजी श्री माम्बत्सरिके”

प्राचीन गुप्त नरेश भानुगुप्त के एक लेख में गापराज का हसा के सजा हाने का वर्णन है जिससे पता चढ़ता है कि मनो हाने के अवसर पर यह लेख उत्कीर्ण कराया गया था।

कुत्वा च युद्ध समुहत् प्रकाश

स्वर्णगतो दिव्य नरेन्द्र कल्प ।

भक्तानुरक्ता च प्रिया च कान्ता

भार्याविलग्नानुगताग्निराशिम् ।

(एरण का लेख)

प्राचीन युग के मिट्ठी को मुहरो पर श्रेणियों द्वारा अकित अनेक लेख मिले हैं । बैशाली में ऐसे लेखों की अधिकता है जिन्हें श्रेणी मूल्य द्वारा व्यवसाय के प्रसरण में तैयार किया गया था । व्यापार की वृद्धि के लिए ही सिक्के तैयार किए जाते थे जिन पर कई ढंग के मुद्रा-लेख खुद हैं । इस प्रकार व्यापारिक कारणों से मुद्राओं पर लेख खुदवाया जाता था । जिन मुहरों को श्रेणिया तैयार करती उसमें अपना नाम अकित कराती । “श्रेष्ठो सार्थवाह कुलिक निगमस्य” (बैशाली की मुहर) तथा “कुलिक निगमस्य” (वसाड मुहर) लेख उसके उदाहरण हैं । यूनानी राजाओं, शक नरेश तथा बाद में गुप्त सम्राटों के सिक्कों पर पदवों युक्त शासक का नाम पाया जाता है । यद्यपि मुद्रा लेखों के अध्ययन से अधिकतर किसी विशेष अवसर का पता नहीं चलता परन्तु राज्य के आर्थिक दशा सुधारने या व्यापार की उपयोगिता के लिए कई प्रकार के सिक्के तैयार किये जाते थे । गुप्त युग के पश्चात् भगठित व्यापार न हीने के कारण ही सिक्कों का प्रबलन कम हो गया ।

कुछ गौण अवसरों पर भी राजा लेख खुदवाया करते थे । मद्रा धात्रप रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत करने के समय जूनागढ़ वाला लेख उत्कीर्ण कराया था । आदित्यसेन के अपसद लेख का समय भी बैसा ही था । उस समय रानी कोणदेवी ने तालाब का निर्माण किया था । राजा खानितम-दुतं सुपयसा पेपीयमान जनै स्तस्यैव प्रियधार्यया नरपते श्रीकोणदेव्या सर ।

प्राचीन समय में ही भारतवर्ष में ऐसे स्थान पर नगर स्थापित हुए जिनका किसी न किसी प्रकार का स्थानीय अवधा भी गोलिक महत्व था । साम्राज्य की मुरदा के लिए महत्व-पूर्ण स्थान पर नगर बसाए गए तथा तीर्थ स्थानों पर अच्छे प्रकार प्रशस्ति खुदवाने का स्थान के नगरों का निर्माण किया गया । गजधानी साम्राज्य का केन्द्र होने के कारण सर्वथा प्रासिद्ध नगरी होती थी । यो तो जनता के आवागमन के निमित्त सुरक्षित मार्ग बने थे परन्तु व्यापारिक केन्द्रों ने भी शासक का ध्यान आर्हपूर्ति किया और कालान्तर में वे स्थान सास्कृतिक केन्द्र हो गए । प्रशस्ति खुदवाने के विभिन्न स्थानों की परीक्षा यह बतलाती है कि राजधाना, महत्वपूर्ण नगर, तीर्थ स्थान एवं जयस्कन्धावार की ओर शासकों का ध्यान गया और उन स्थानों पर अभिलेख खोदे गये ।

भारतीय पुरानत्व के इतिहास में सर्व प्रथम अशोक के लेखों का स्थान आता है । उसने बौद्धधर्म में दीक्षित होने के पश्चात् ही साम्राज्य के विशिष्ट तथा बौद्धधर्म से सम्बन्धित स्थानों पर लेख अकित कराये । कुछ लेख प्रान्त की राजधानी तथा विशिष्ट स्थानों पर मिले हैं । धौली (भुवनेश्वर के समीप) का लेख यह बतलाता है कि उडीसा का जीत कर उसने राजाज्ञा निकाली । इसों के सदृश तक्षशिला भी प्रान्त का प्रधान नगर था । सीमा प्रान्त पर मानसेरा व शहवाङगही के लेख इसी बात का पुष्टि करते हैं । दक्षिण में मैसूर प्रान्त के ब्रह्मगिरि में अशोक के लेख मिले हैं । उसे धम्मघोष के प्रसार के निमित्त तथा प्रजा की जानकारी के लिए

अनेक स्थानों पर धर्मलेख उत्कीर्ण कराना पड़ा था। बिहार के चम्पारन जिले में लौरिया तथा रमपुरवा के स्तम्भ लेख, कालसो (उत्तर प्रदेश) गिरनार (काठियावाड़) तथा येहुड़ी (करनूल ज़िला, मद्रास) के लेख सीमा पर स्थित हैं। यद्यपि लेख सर्वत्र खोदे जा सकते थे पर स्थान का चुनाव भी एक मुख्य विषय था। भगवान् बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण स्थानों पर अशोक ने लेख अंकित कराया। सारनाथ (प्रथम प्रवचन का स्थान, धर्म चक्र परिवर्तन) कोशाम्बी (बुद्ध का निवास-स्थान तथा राज मार्ग पर स्थित प्रधान नगर) तथा साढ़ी (बुद्ध के स्तूप के समीप) में लेख युक्त स्तम्भ खड़े हैं। अशोक का स्तम्भ फ़मनदई में भी स्थित है जो स्थान सिद्धार्थ का जन्म-स्थान माना जाता है। इस के महत्व को समझकर अशोक ने तीर्थयात्रा की तथा निम्नलिखित बातें स्तम्भ पर लुटवाईं।

हिंद बुधे जाते सक्य मुनीति

हिंद भगव जाते ति लुमिनी गामे उबलिके कटे ।

इस प्रकार अशोक के लेख कई बातों पर प्रकाश ढालते हैं। लेख धर्म प्रचार के सबसे अधिक साधन माने गये हैं तथा इसी कारण प्रधान स्थान, सीमा तथा धार्मिक केन्द्र में धर्म लेख अंकित किए गए।

अशोक के बाद भी प्राचीन शासकों ने अपनी सीमा के भीतर प्रशस्तियाँ लुटवायी। पहलव राजाओं ने तत्त्वशिला में, नहापन का लेख जूनार तथा नामिक में और स्त्रिदामन का लेख जूनागढ़ में मिलते हैं। ये सभी स्थान उन राजाओं के राज्य सीमा में स्थित थे। कनिष्ठ के तीसरे वर्ष में जो मूर्ति पर लेख बुद्धा था उसे मारनाथ में शासन करने वाले महाशत्रप खर-पललाना ने अंकित किया था। गुप्त नरेशों ने इस रोति को निवाहा परन्तु सारनाथ से प्राप्त लेख तो धार्मिक स्थान से ही सम्बन्धित कहा जा सकता है। समुद्रगुप्त ने कोशाम्बी के महत्व को समझ कर ही अपने विजय यात्रा का वर्णन अशोक के स्तम्भ पर लिखवाया था। उत्तरी भारत से दक्षिण जाने समय इसी मार्ग से होकर व्यापारों यात्रा करते थे। उदयगिरि के स्थान पर जो लेख मिले हैं वे चन्द्रगुप्त द्वारा उज्जयिनी जाते समय अंकित किये गये होंगे व्योकि चन्द्र गुप्त विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी उज्जयिनी थी। प्राचीन समय में मालवा का अत्यन्त महत्व था। विदिवा उज्जयिनी प्रान्त की राजधानी के व्यंग में स्थित रही। मंदसोर (मालवा) की प्रशस्तियाँ (यशोवर्मन तथा प्रथम कुमारगुप्त) इस बात को पृष्ठ करती हैं कि राजमार्ग में स्थित होने के कारण वहाँ थोकी कार्य करती रही जिसके कारण वह मुख्य नगर हो गया। वैशाली एक प्रधान नगर व सभ का केन्द्र था इमलिए विभिन्न कार्यालयों को मुहरें वहाँ मिली हैं। काशी (राजधानी) की मुहरें धार्मिक भावना का लेकर अंकित थी जिसमें शंखमत सम्बन्धी बातों का पता चलता है। तीर्थ होने के कारण मध्य देश के गाहड़वाल नरेश गोविन्दचन्द्र देव ने काशी के समीप कमोली गाँव में अधिक दान दिया था जिसका उल्लेख कमोली से प्राप्त तात्रपत्रों में मिलता है।

तीर्थ को छोड़कर जयस्कन्धावार (सेना कैम्प) में भी लेख अंकित करने की आशा दी जाती थी। वह सदा विजय के उपलब्ध में किया जाता था। बलभी तथा वासखेड़ा का तात्रपत्र, खालिमपुर और मुगेर का तात्रपत्र आदि उल्लेखनोय हैं। सात-जयस्कन्धावार वाहन राजा की निम्नलिखित पक्षि से उसे स्पष्ट करती है।

सेनाये वेजयंतिये विजय खण्डावारा (विजय स्फङ्गन्धावार) गोवधनस बेना कटक स्वामि
गोतमि पुतो सिरि सदकणि आनपयति । (नासिक गुहा लेख)

विजय स्फङ्गन्धावारात् भद्रपत्तनवासकात् (बलभी लेख)

महानौस्त्यश्व जयस्कन्धावारात् श्री वर्षमानकोट्ठा (बासखेडा ताप्रपत्र)

श्री मुद्दगिरि समावासि श्रीमद् जयस्कन्धावारात् (पाल लेख)

इस प्रकार सेना के कैम्प से लेख खुदवाने या घोषित करने की प्रथा की जानकारी हो जाती है ।

पुराने समय में जिस स्थान का कोई सास्कृतिक महत्व या वहाँ भी प्रतिमा स्थापना के समय मृति के आधार शिला पर लेख अकित किया जाता था । मथुरा तथा सारनाथ से ऐसे

अनेक मूर्ति लेख प्रकाश में आए हैं । सारनाथ में गोविन्द चन्द्र की

प्रधान नगर रानी कुमार देवी तथा महीपाल (बगाल के पालनरेश) के लेख खुदाई से निकले हैं । इसी तरह नालदा भी शिला का एक प्रधान केन्द्र था ।

यशोधर्मन के मत्री मालाद के लेख तथा देवपाल का ताप्रपत्र प्रशस्ति नालदा महाविहार के विषय में प्रकाश ढालते हैं । उस युग में सस्था को दान देने का महत्व था । नालंदा महाविहार के विद्यार्थियों के लिए जाता के राजा बालपुत्र देव ने विहार निर्मित किया । विहार के रक्षण भिक्षुओं के भोजन, आवास, चिकित्सा आदि प्रबंध के लिए कई सी गाँव दान में दिए गए थे । नालदा एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र हो गया था जहाँ विदेशों के विद्यार्थीगण पढ़ने के लिए आये थे । नालदा का यह वर्णन सुनिए—

नालदा गुणवृन्दलुब्धमनसा

भक्त्या च शौद्धोदने ।

बुद्धाशेल सरिस तरंग तरला

लक्ष्मीमिमाम शोभनाम् ।

यस्ते नीक्षत सौषधाम सध वसति

सधार्थ मित्र ध्रिया ।

नाना सद गुण भिक्षु सध वसति

तस्या विहार कृत ।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि राज्य सीमा, राजवानी, जयस्कन्धावार, तीर्थ तथा सास्कृतिक केन्द्रों में लेख उत्कोर्ण करना आवश्यक था । राजवानी में लेख अधिक संख्या में उत्कोर्ण हुआ करते थे ।

आधुनिक काल में कई लेख मूल स्थान पर स्थित नहीं हैं इसलिए किञ्चित भ्रम हो सकता है । अशोक के स्तम्भ अम्बाला तथा मेरठ में दिल्ली में फिरोज तुगलक द्वारा लाए गए । कोशाम्बी का स्तम्भ भी आज प्रयाग के किले में है । ताप्रपत्र तो निश्चित स्थान पर अधिक तर मिलते ही नहीं, परन्तु वर्णन से या प्रचलित परम्परा से उस स्थान का समीकरण किया जाता है ।

अभिलेखों से इतिहास का ज्ञान

इस बात की पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती कि प्राचीन भारतीय इतिहास की मूल्यवान सामग्रियों में उत्कीर्ण लेख, सर्वोपरि माने जाते हैं। ऐतिहासिक लेखों के मूल्याकान में सतर्क रहना पड़ता है यद्योऽपि यह आवश्यक नहीं कि सारी बातें सत्य मान ली जाय। सानवीं सदी के पश्चात् प्रशासनिक लेख मिलते हैं जिनमें कुछ बातें शासक को प्रसन्न करने के लिए लिखी गई थीं। उदाहरणार्थ यह कहा जा सकता है कि स्कन्द गुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य की थी समाप्त हो गई। मगध के पिछले गुप्त नरेश मायान्य दंग से शारान करते थे परन्तु देव वरनार्क लेख में जीवित गुप्त के लिए महान् पवबी—परम माहेश्वर परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर—लिखी है जो समुद्रगुप्त के लिए भी प्रथम नहीं की गई थी। अतएव अनिश्चयोऽपि को हटाकर लेख पर विचार करना युक्ति मगत होंगा। लेख के विश्वसनीय होने की बात मर्वर्षयम देखी जाती है। जो उल्लेख मिलता है उसकी पुष्टि अन्य साधनों में होने पर उसकी मर्यादा निश्चित की जाती है। किसी लेख के विषय में उसकी उपरोक्तिया पर ध्यान देना चाहिए। यह जानना आवश्यक है कि लेख द्वारा इतिहास-निर्माण में कितनी सहायता मिली है, तभी उस प्रश्नस्ति को ऐतिहासिक मान सकते हैं। तात्पर्य यह है कि अभिलेखों को उपरिलिखित चारों बातों से तोलकर ही इतिहास लेखन आगम्भ किया जा सकता है। कभी-कभी एक ही बात की पुष्टि अनेक लेख करते हैं। अतएव सभी का महत्व एक-सा नहीं माना जा सकता। इतिहास लिखन में जितनी सहायता लेखों ने की है उतनी अन्य पुरातत्व सामग्रियों के अध्ययन में नहीं मिलता।

प्राचीन अभिलेख अशोक, कनिष्ठ, खारवेल, गोतमीपुत्र शालकर्णी, रुद्रामन, समुद्रगुप्त, द्वितीय पुलकेशी, धर्मपाल तथा ध्रुव आदि राजाओं के सम्बन्ध में अनेक बातें बतलाते हैं। उनके प्रताप तथा कठिनी की गाथा मुनाते हैं अन्यथा उन राजाओं का यश तथा शक्ति का परिज्ञान सम्भव न था। अशोक के धर्मलेख ही मौर्य साम्राज्य की विद्येपता बतलाते हैं। कोटिल्य ने अर्थशास्त्र में शानन-पद्धति का विशद् वर्णन किया है परन्तु राज्य विस्तार का उल्लेख तक नहीं है। अशोक के लेखों ने ही उसके पितामह चन्द्रगुप्त मौर्य की शक्ति का अनुमान होता है। यो तो उसके लेख द्वारा यथा सम्भूत मारत पर विस्तृत साम्राज्य की जातकारी करते हैं परन्तु तेरहवें लेख में अशोक द्वारा कलिङ्ग मात्र विजय की बात कही गयी है। इससे यह नित्कर्प निकाला जाता है कि कलिङ्ग का छाड़कर हिमान्त में मद्रास तक का प्रदेश चन्द्रगुप्त मौर्य ने जीता था। अशोक के धर्म लेख का अध्ययन अधिक ममय तक विद्वानों को अम में डाले थे कि उमका नाम प्रियदर्शी था। परन्तु मास्तों (आध्र प्रदेश) लेख में उसके नाम—असोक का पता चला। उडीसा के राजा खारवेल के सम्बन्ध में पूरी जानकारी हाथी गुहा लेख में होती है। वही लेख सारा इतिहास बतलाता है और खारवेल का जीवन वृत्तात् उसों में प्रकाश में आया है।

उसकी अनुपस्थिति में खारबेल के सम्बन्ध में सभी बातें लुप्त हो जायेंगी। कनिष्ठ के लेख इस बात को प्रमाणित करते हैं कि उसका राज्य पेशावर से बाराणसी तक विस्तृत था। कुर्म (का० इ० इ० भाग २ पृ० १५५) तथा सारनाथ का प्रतिमा लेख (ए० इ० ८ पृ० १७३) उपरिलिखित बातों की पुष्टि करते हैं। दक्षिण में मोर्यों के उत्तराधिकारी सात बाहन तरेश ईसा पूर्व दूसरी सदी से चौथी शताब्दी (ईसवी सन्) तक शासन करते रहे। उस बश के सबसे प्रतापी गजा गोतमोपुत्र शातकर्णी की कीर्ति तथा विजय नासिक गुहा के दीवार पर खुरी है। उसी वर्णन से नहपान के पराजय की बात ज्ञात होती है। महाक्षत्रप रुद्रदामन की ख्याति उसके जूनागढ़ लेख में प्रकट होती है कि जिसमें दक्षिणापथपतेसातकर्णेद्विरपि नीव्यजिमवजीत्यावजीत्य सम्बन्धा विद्वृतया—ए० इ० ८ पृ० ४२। इन राजाओं के युद्ध वर्णन के सदृश गुप्त सम्राट् समुद्र गुप्त की दिव्यिजय यात्रा प्रयागमत्सम्भ लेख में वर्णित है। इससे ज्ञात होता है कि समुद्र ने पाटाङ्गित्र से उड़ीसा होकर काढ़ी तक विजय पताका फहराई थो। उसने धर्मविजयी राजा को तरह दक्षिण के शासकों को परास्त कर मुक्त कर दिया था। उत्तर भारत में उसकी दूसरी नीति थी और इस भाग के कई प्रदेशों को विजित कर अपने साम्राज्य में गम्भीरित कर दिया था।

लेखों में अन्युक्ति के प्रसरण में छठी सदी के राजा यशोधर्मन का नामोलेख आवश्यक है। मदिसोर (मालवा) के लेख में वर्णन आता है कि उसने लौहित्य (असम) तक विजय किया। परन्तु तन्कालीन राजनीतिक परिस्थित में मालवा से अमम तक का विजय सम्भव नहीं था। अतएव मदिसोर का लेख (इ० ए० १८ पृ० २१९) अविश्वसनीय है। मध्य यूग में कल्पीज पर अधिकार करने के लिए प्रतिहार, राष्ट्रकूट तथा पाल नरेशों में परस्पर युद्ध हो रहा था। इस युद्ध की कथा भोर-सग्रहालय-लेख (ए० इ० २२ पृ० १७६), खालीमपुर प्रदान्ति (ए० इ० भा० ४) तथा ग्वालियर प्रशस्ति (आ० स० रि० १९०३-४ पृ० २८०) में वर्णित है। उसमें ध्यु, धर्मवाल तथा वत्सराज के विजय या पराजय की बातें लिखी हैं। तीनों वंशों के लेख यह बतलाते हैं कि शासकों में वशानुगत युद्ध की भावना काम कर रही थी। राष्ट्रकूट इन्द्र ने भी उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था। देवपाल प्रतिहार नरेश से ईर्ष्या करता रहा तथा दोनों में युद्ध भी हुआ। इर्षा प्रकार अयहोल की प्रशस्ति में द्वितीय पुलकेशी की जीवन-कथा विस्तृत रूप से कही गई है। उस लेख (ए० इ० ६ पृ० ३) से ही पता चलता है कि चालुक्य नरेश ने कल्पीज के राजा हर्षवर्धन को परास्त किया था। [भद्रविगलितहर्ष येन चाकारि हर्ष] इस प्रकार अभिलेखों का उत्तरोग्गिता, मूल्य तथा इतिहास के महत्वानुरूप साधन होने की बातें अंकी जा सकती हैं।

प्रशस्तियों के अध्ययन से राजवंशों की बश परम्परा का पता चलता है। जिस शासक के राज्यकाल में कोई अभिलेख उत्कोर्ण होता उसके पूरे बंशवृक्ष का उलंगर रिया जाना था।

ईसवी पूर्व सदियों में ऐसी परिपाटी नहीं मिलती। ए० ग० १५०

वशवृक्ष

वाले जूनागढ़ के लेख में रुद्रदामन की तीन वीडियो का नाम है—

स्वामी चष्टनस्य पौत्रस्य राज धत्रपत्य सुगृहितनाम्न स्वामिजय-दान्न पुत्रस्य राजो महाक्षत्रपत्य—हृद्रदान्नो (ए० इ० ८ पृ० ४२)। पश्चिमी भारत के

शक क्षत्रपो के मुद्रा-लेख में पिता-पुत्र दोनों का नाम निम्न प्रकार से मिलता है—

“राज्ञो महाक्षवपस्य दामजदश्री पुत्रस्य राज्ञो क्षत्रपस्य सत्यदाम्न ।” इसीरूप में मुद्रालेख द्वारा क्षत्रपो का वंश-वृक्ष तैयार किया जाता है। गुप्त लेखों में वंश वृक्ष की परम्परा चरमसीमा की पहुँच गयी थी। जिस शासक का लेख उत्कीर्ण किया जाता था उसके पूर्व पुरुषों की नामा-बली अवश्य लिखी जाती थी। स्कन्द गृह के भीतरी स्तम्भ लेख में पूरी वंशावली निम्न प्रकार से दी गयी है—

महाराज श्री चन्द्रगुप्त प्रपोत्रस्य श्री घटोत्कच पौत्रस्य महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त पुत्रस्य कुमारदेव्यामुत्पन्नस्य महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्तस्य पुत्र तत्परिरहितो महादेव्या श्रुत-देव्यामुत्पन्न परम भागवतो महाराजाधिराज श्री कुमारगुप्तस्य । ...

प्रथित विपुल धामा नामत स्कन्दगुप्त

इसी तरह बिहार शिलालेख में अंतिम पक्ष के स्थाद पर “कुमारगुप्त तस्य पुत्र तत्पादानुध्यात परम भागवतो महाराजाधिराज श्री स्कन्दगुप्त” लिखा मिलता है। इसमें गुप्त वंश के साथ रानियों के भी नाम मिलते हैं। यदि द्वितीय कुमारगुप्त की भितरी राजमुद्रा के लेख पर विचार किया जाय तो गुप्ती की दूसरी वश परम्परा का ज्ञान हो जाता है। प्रथम कुमार गुप्त तक सभी नामों में समता है परन्तु उसके बाद स्कन्दगुप्त का नाम न आकर पुरु गुप्त का नाम आता है। लेख इस प्रकार है—“श्री कुमारगुप्त तस्य पुत्र तत्पादानुध्यातो महादेव्या अनन्तदेव्यामुत्पन्नो महाराजाधिराज श्री पुरुणः तस्य पुत्र पादानुध्यातो महादेव्या श्री चन्द्रदेव्या उत्पन्न महाराजाधिराज श्री नरसिंहगुप्त तस्य पुत्र तत्पादानुध्यातो परमभागवतो महाराजाधिराज श्री कुमारगुप्त ।” इस ढंग से लेखों के आधार पर गुप्त वंशावली का पना लग सका है। सभी लेखों में वशवृक्ष का उल्लेख नहीं होता था परन्तु यह बतलाना कठिन है कि किस अवसर पर कर्मचारी (प्रशस्तिकार) वश वृक्ष का उल्लेख करता अथवा केवल उस लेख से सम्बन्धित राजा का केवल नाम दिया करता था। ऐसी घटना मिहिरकुल के लेखों से भी पायी जाती है। उसके खालियर वाले शिलालेख (५३५ ई०) में तोरमाण का भी नाम आता है—

श्री तौरमाण इति य प्रथितो प्रभूतगुण ।

X X X X

तस्योदित कुल कीर्ति पुत्रोऽतुलविक्रम पति पृथ्या

मिहिरकुलेतिरूप्यातो ।

गुप्त कालीन वाकाटक राजा विष्णुशक्ति के ताम्रपत्र में उसके पितामह प्रवरसेन तथा पिता सर्वसेन का नाम मिलता है।

“प्रवरसेन पौत्रस्य श्री सर्वसेन पुत्रस्य धर्मं

महाराजस्य वाकाटकाना श्री विष्णुशक्ति—।”

प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र में तो वाकाटक वंशवृक्ष के स्थान पर गुप्त वंशावली का उल्लेख है जिसका आशय यह है कि प्रभावती गुप्ता गुप्त वश की राजकुमारी थी किन्तु रानी होकर गुप्तों की सहायता से शासन करती रही। प्राय प्रस्तर या धातु पत्र पर लुढ़े लेखों में वंशावली मिलती है। प्रतिहार शासक महेन्द्रपाल की राजमुद्रा से उस वंश के राजा तथा रानी

का क्रमबद्ध नाम मिलता है। उसका अनुवाद निम्न प्रकार है—“परम वैष्णव देवराज रानी भूमिकादेवी उसके पुत्र परममाहेश्वर वत्सराज रानी सुन्दरादेवी उसके पुत्र परमभागवती भक्त भग्नभट्ट रानी इष्टादेवी उसके परमादित्य भक्त रामभद्र रानी अप्पादेवी उसके पुत्र परमभागवत भोज रानी चन्द्रभट्टारिका देवी उसके पुत्र परमभागवत महेन्द्रपाल रानी देहनागादेवी” के नाम मिलते हैं। इस दिशा में ज्ञानवर्द्धक राजमुद्राओं में नालंदा तथा वसाह की मुद्राओं का उल्लेख किया जा सकता है। उनसे कई स्थानों तथा पदाधिकारियों के नाम संग्रहीत किए गए हैं। इसी रूप में मौखिक नरेश ईशान वर्मा के हरहा प्रशस्ति का नाम उल्लेखनीय है। उसमें पूरे वश का उल्लेख करते समय सर्ववर्मन मौखिक का नाम आता है जिसके सम्बन्ध में अन्य साधनों से कुछ जात नहीं है। हर्षवर्धन के वासखेडा ताम्रपत्र में नरवर्धन से नक शासकों तथा राजियों के नाम मिलते हैं। इस तरह दक्षिण के राजा गुर्जर प्रतिहार के जोधपुर प्रशस्ति में, अयहोल की प्रशस्ति में, चालुक्य वश तथा राष्ट्रकूट वशी भोर संग्रहालय ताम्रपत्र में उस वश के राजाओं के नाम उल्लिखित हैं। बगाल के पाल वश के राजाओं के विषय में खालीमपुर ताम्र-पत्र विशेष उल्लेखनीय है। इस तरह प्राचीन लेखों के अध्ययन से अनेक भारतीय शासकों के वश वृक्ष का ज्ञान सरलता से हो जाता है।

उत्कीर्ण लेखों के अतिरिक्त मुद्रा-लेखों से भी भारतीय इतिहास निर्माण में सहायता मिलती है। उदाहरणार्थ सम्भूत का नाम सर्वप्रथम सिवके पर ही लुदा मिला है। इतिहास में ऐसे काल विभाग हैं जिनका ज्ञान मुद्रा-लेख से उपलब्ध हुआ है। जटिल प्रश्न भी सुलझ जाते हैं। अज्ञात युग पर प्रकाश पड़ता है। भारतीय यूनानी तथा शक राजाओं के सिवको का अध्ययन हो उनके इतिहास को प्रकाशित करता है। उनके लेख शासकों के नाम तथा क्रम को निश्चित करने हैं। मुद्रा लेखों के आधार पर राजाओं की सख्त बतलाई जाती है। पश्चिमी भारत के शक धात्रप सिवको पर शासक का नाम तथा तिथि का उल्लेख मिलता है जिससे राजाओं की वशावला तथा शासन का क्रम प्राय निश्चित हो सका है। उदाहरण के लिए राजो महाकाशपस रुद्रसिंहस पुत्रस महाकाशपस सगदामन लेख के साथ तिथि १४८ (१४४ + ७८ = २२२ ई०) अकित है।

गण सिवके भी शासक का नाम बतलाते हैं। क्रुणिन्द के सिवको पर ‘राजी कणीदस अमोद भूतस महरजस’ लुदा मिला है। कुपाण सिवको पर कदकिषु कनिष्ठक तथा वासुदेव आदि के नाम मिलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशस्तियों के अतिरिक्त सिवको में राजाओं के नाम मिल जाते हैं। इस परम्परा से गुप्त सिवके पृथक् नहीं थे। अंत में यह कहना आवश्यक हो जाता है कि प्रशस्तियों के मदूर मुद्रा-लेखों से वशावली का ज्ञान नहीं हो सकता। केवल धात्रप सिवके दो पीढ़ियों के नाम उपस्थित करते हैं। अन्यथा व्यक्तिगत नाम तथा तिथि की जानकारी सिवको पर लुदे मुद्रा-लेख से होती है। कौशाम्बी में प्राप्त सिवको के आधार पर नए भग वश का पता चलता है। उनके विषय में अन्य साधन अज्ञात थे।

प्राय उत्कीर्ण लेखों में किमी-न-किमी वश के शासक के विजय यात्रा, युद्धगांधा तथा सन्धि की बातें वर्णित रहती हैं। अशोक के तेरहवें शिलालेख से ही यह जात हो सका कि वह कलिग

पर युद्ध करने के पश्चात् अहिंसा का पालक हो गया। भेरी घोष को धम्म घोष में परिवर्तित कर दिया और उसने दुद्धमत के प्रसार निभित देशान्तर में धर्मदूत भेजे। अयोध्या का लेख यह स्पष्ट कर

देता है कि पृष्ठमित्र ने दो अश्वमेध किया था [द्विश्वमेधयाजिनं सेनापते पुष्ट्यमित्रस्य] पूरब में उदयगिरि के हाथी गुम्फा लेख में खारबेल का विजय वर्णित है । नासिक से प्राप्त लेखों में सातवाहन राजा गोतमीपुत्र शातकर्णि तथा क्षत्रिय नहपान के युद्ध का वर्णन पाया जाता है । इस वर्णन से प्रकट होता है कि नहपान को गोतमीपुत्र शातकर्णि ने परास्त किया था । जिसकी पुष्टि जोगलथम्बी सिक्कों से होती है । नहपान के दस हजार चाँदी के सिक्कों को गोतमीपुत्र शातकर्णि ने पुनः मुद्रित किया था । काठियावाड का जूनागढ़ लेख वर्णन करता है, कि महाक्षत्रिय रुद्रदामन ने १५० ई० में अपने वश की खोई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया तथा वह पुलमावि को परास्तकर मालवा, महाराष्ट्र, काठियावाड, सिंधु आदि प्रातों पर राज्य करने लगा । दूसरी सदी में सातवाहन नरेश गोतमीपुत्र यत्र श्री शातकर्णि ने विजय कर शक्तिक्षय नरेशों को पुनः नीचा दिखाया । नासिक, कालौं, कनहेरी तथा जूनार आदि स्थानों पर उसके लेख मिले हैं । इस विजय के स्वरूप यज्ञश्री ने चाँदी के सिक्के भी प्रचलित किए । उन्होंने क्षत्रियों को चौथी सदी में गुप्त साम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने परास्त कर गुप्त साम्राज्य को परिवर्ती भारत तक विस्तृत किया था । उदयगिरि (भिलसा के समीप) गुहालेख उस विजय को प्रमाणित करता है (कुस्त धृष्टी जयार्थं राज्ञैवेह सहागत) मेहरौली का स्तम्भ लेख भी उसके विजय का दांतक है । उसके पिता समुद्रगुप्त के दिविंजय का वर्णन हरियेण ने प्रयाग के स्तम्भ-लेख में किया है जिससे प्रकट होता है कि समुद्रगुप्त मध्य प्रदेश होकर तथा उडीसा पारकर काढ़ी तक गया था । दक्षिण के राजाओं को परास्त कर उसने मुक्त भी कर दिया । हरियेण ने उत्तरी भारत के नागवशी राजाओं के पराजय का सुन्दर वर्णन प्रयाग की प्रशस्ति में किया है ।

स्कन्दगुप्त के भितरी स्तम्भ लेख के अध्ययन से विदित होता है कि हृणों ने कुमार-गुप्त की वृद्धावस्था में गुप्त राज्य पर आक्रमण किया था । उनका बड़ी कठिनाई से स्कन्द ने परास्त किया । वर्णन निम्न प्रकार है—

- (१) हृणैर्यस्य समागतस्य समरे दोम्यां धरा कपिता
- (२) विचलित कुल लक्ष्मी-स्तम्भनायोदयतेन
- (३) पितरि दिवमपेते विष्णुता वश-लक्ष्मी

भुजबल विजतारिर्यं, प्रतिष्ठाप्य भूय । (का० इ० इ० ३ प० ५३) छठी सदी के राजा यशोधर्मन के मदसोर लेख में ज्ञात होता है कि स्कन्दगुप्त के बाद हृणों का वाधिपत्य मध्य भारत में हो गया था । तोरमाण का एरण लेख (का० इ० इ० ३प० १५९) तथा मिहिरगुल की ग्वालियर प्रशस्ति (वही प० १६२) इसके प्रमाण हैं । हृण नरेश ग्वालियर के भूभाग में शासन कर रहे थे । यशोधर्मन ने पुनः उन्हें परास्त किया जो उसकी प्रशस्ति से स्पष्ट हो जाता है ।

ये भ्रुकृता गुप्त नार्यर्थ सकल वसुधा क्रान्ति दृष्ट प्रतापै
वाजा हृणाध्यिपाना क्षितिपति मुकुटाद्ययासिनी यान्प्रविष्टा
इस प्रकार के उल्लेखों में युद्ध की कृहानी ज्ञात हो जाती है ।

मध्य युग के आरम्भ से ही उत्तर तथा दक्षिण के शासकों की युद्धगाया उनकी प्रशस्तियों में मिलती है । हरहा लेख में ईशान वर्मा भोखरि को विजय कथा मिलती है तो कमोली के ताम्रपत्रों में गोविन्द चन्द्रदेव की चर्चा है । अयहोल के लेख में द्वितीय पुलकेशी द्वारा अनेक

राजाओं के अतिरिक्त कन्नौज नरेश हर्षवर्धन के परामर्श का वर्णन मिलता है। भीर संग्रहालय ताम्रपत्र में राष्ट्रकूट नरेश दत्तिदुर्ग, कृष्ण तथा घ्रुव आदि के युद्धों का विवरण पाया जाता है। उदाहरणार्थ मुनिए—

श्री काची पति गंगवेशीकयुता ये मालवेशादय

प्राज्यानान् नयतिस्म तान् दितिभूतो य प्रातिराज्यानपि

पाल राजा धर्मपाल के साथ युद्ध को सूचना निम्न पंचित से मिलती है—

गंगा यमुनयोर्मध्ये राजो गौडस्य नद्यतः

लङ्घो लोला विन्दानि स्वेत छहाणि यो हृत् । (सजान लेख)

पूर्वी भारत में बगाल का शासक धर्मपाल भी एक विजयी नरेश था। उसके विजय का वर्णन खालीमपुर ताम्रपत्र पर उल्लिखित है। कन्नौज के राजा इन्द्रापुष्प को परास्त कर चक्रायुध को गढ़ी पर बैठाया तिस कार्य को अनेक शासकों ने स्वीकार किया। बारहवें पद्म में वर्णन है—

भोजैरमस्यै समद्रै कुरु यदुयदन अवन्ति गान्धार किरैर भूपति,

व्यालौल मौलि प्रणति परिणतैः साधू संगीर्यमान

हृस्यति पंचाल वृद्धो धृतकनकमय स्वाभियेकोदकुम्भो

दत्त श्री कान्यकुञ्ज सललित चलित भ्रूलता लहमयेन ।

इस प्रकार अनेक उदाहरणों द्वारा यह प्रमाणित किया जा सकता है कि लेखों के अध्ययन से विभिन्न शासकों के युद्ध व विजय का वृत्तात सुलभ हो सकता है।

प्राचीन सभ्य में लेख विशिष्ट स्थान पर उत्कीर्ण कराये जाते थे तथा उद्देश्य की पूर्ति के लिए शासकों ने विभिन्न स्थानों पर खुदवाया। सीमा पर खुदवाने राज्य सीमा का विशेष महत्व था। विजय अथवा आज्ञा सम्बन्धी घोषणा प्रजा के लिए उतना ही आवश्यक थी जितनी प्रत्यन्त नृपति के लिए ।

मीर्य सम्राट् अशोक के धर्म लेखों के अध्ययन से यह जात होता है कि भारतवर्ष का अधिक भाग मीर्य जासन में रहा। पश्चिमी भाग में अकागानिस्तान से उडीसा तक तथा हिमालय की तराई से (नेपाल की तराई का स्तम्भ लेख रूम्मनदई तथा कालमी का लेख) मद्रास प्रान्त के येशुगुडी (करनूल जिला) तक अशोक के शिलालेख पाये जाते हैं। इसमें यह कहा जाता है कि उतने भूभाग पर उसका राज्य विस्तृत था। अशोक के द्वितीय तथा तेरहवें शिलालेख में प्रत्यन्त (सीमा) नृपतियों के नाम मिलते हैं जिससे पूर्व कथित बातों को बल मिलता है। चौल, पाढ़ी, केरल आदि राज्यों को छोड़कर समस्त भारत पर उसका शासन था। मीर्य युग के पश्चात् सातवाहन वंश का राज्य-विस्तार अभिलेखों तथा सिक्कों की प्राप्ति से जात हो जाता है। शतकांग राजा का नाम साची के दक्षिण तोरण पर खुदा है। उसका नाम नानापाठ के लेख (पूना के समोप) में उल्लिखित है तथा उसी को हाथी गुम्फा लेख में परिचय दिशा का शासक कहा गया है। इससे यह प्रकट होता है कि मालवा से महाराष्ट्र तक उसका राज्य कैला था। उसके कई सदियों बाद सातवाहन राजाओं के लेख नासिक, कालौं, कनहेरी आदि स्थानों से मिले हैं तथा उनकी मुद्राओं की उपलब्धि आग्रहप्रदेश, मैमूर, बम्बई तथा महाराष्ट्र प्रदेशों से हुई है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सातवाहन नरेश उन प्रदेशों पर अवश्य शासन करते रहे। शत्रुप राजा नहपान का लेख भी उन्हीं स्थानों से (नासिक, कालौं तथा जूनार)

प्राप्त हुए हैं जिसके अध्ययन से यह जात होता है कि नहपान अजमेर से पूना तक राज्य करता था और उसको परास्त कर ही सातवाहन नरेश गोतमोपुत्र शातकर्णि तथा उसके वंशज शासन करने लगे। क्षत्रप तथा सातवाहन अभिलेखों के अध्ययन से दोनों वंशों के परम्परागत शत्रुता तथा पराजय व विजय का परिचान हो जाता है।

नहपान तथा पुलमावि के नासिक गुहा लेखों के अनुशीलन से विदित हो जाता है कि नहपान जिस भूभाग पर शासन करता था उस पर सातवाहन का आधिपत्य हो गया। इस परिणाम पर पहुँचने का कारण यह है कि दोनों नासिक लेखों में प्राय एक ही प्रदेशों के नाम उल्लिखित हैं जिन पर नहपान के पश्चात् गोतमी पुत्र शातकर्णि ने अधिकार कर लिया। भरुकच्छ (भरौच) दशपुर (मालवा) गोवर्धन (नासिक) शोपरिंगे (मोपारा) प्रभारा (काठियावाड़) नहपान के राज्य विस्तार बतलाते हैं। पुलमावि के लेख में सुरठ (गोराटू) कुकुरापरान्त (बम्बई प्रदेश) विदर्भ (बरार) तथा आकरामन्ती (मालवा) सातवाहन राज्य की सीमा बतलाते हैं। आध्रप्रदेश भी इनके अधिकार में था। दूसरी सदी में महाक्षत्रप खद्रामन सातवाहन नरेश को पराजित कर मालवा, काठियावाड़, सावरमती तथा राजपूताना का स्वामी बन गया (जूनागढ़शिलालेख) इस प्रकार महाराटू, मैसूर, आध्रप्रदेश तथा बरार पर सातवाहन शासन शेष रह सका। नर्वदा, तासी के उत्तरी भाग पर क्षत्रियों का पूर्ण आधिपत्य रह गया। सातवाहन राजाओं के सिवके भी आध्रप्रदेश, मैसूर, बम्बई तथा महाराटू में मिले हैं जिनसे उनके स्वामित्व की वार्ता पृष्ठ होती है। इस अध्ययन से जात होता है कि क्षत्रप तथा सातवाहन अभिलेख दोनों राजवशों के पारस्परिक युद्ध तथा विकास एवं पतन की चर्चा करते हैं तथा दक्षिण पर आधिपत्य की कहानी मुनाते हैं।

उत्तर पश्चिम भारत में ईस्की सन् के बाद कुपाण शासन पेशावर में काढ़ी तक विस्तृत था। पूर्वी सीमा के प्रमाण में सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा का लेख (श० म० ३) उपस्थित किया जा सकता है। उस मूर्ति लेख में यह वर्णन मिलता है कि कनिष्ठके तीसरे राज्य वर्ष में महाक्षत्रप खरपल्लाना (जो कनिष्ठका राज्यवालथा) के समय यह प्रतिमा प्रनिष्ठापित की गई। अतएव यह निविवाद है कि सारनाथ तक कनिष्ठका राज्य फैला था। भोपाल से कनिष्ठका लेख प्राप्त हुआ है अत मध्यप्रदेश के भूभाग पर भी वह शासन करता रहा। गुप्त वश के अभिलेख में भी राजाओं के दिविक्षय तथा राज्य विस्तार की वार्ता वर्णित है। प्रयाग स्तम्भ लेख में हरिषेण ने समुद्रगुप्त द्वारा विजित नरेशों का नामोलेख किया है, उसमें “दक्षिणापथ राज प्रहण मोक्ष” वाक्य मिलता है जिसमें सिद्ध होता है कि समुद्रगुप्त ने ‘धर्म विजयी’ नीति को व्याप्त में रखकर समस्त राजाओं को मुक्त कर दिया था। उत्तरो भारत के नामवशों (मथुरा के समीप) राजाओं को परास्त कर उत्तर प्रदेश तक राज्य विस्तृत किया। उसके पुत्र द्वितीय चन्द्रगुप्त के उदयगिरि (भिलसा के पास) तथा साची के लेख बतलाते हैं कि सम्राट् ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। उसके सेनापति ने वर्णन किया है—

कृत्स्न पृथ्वी जयार्थेन राज्ञे महं सहागत ।

पाटलिपुत्र से बीरसेन इस प्रदेश को जीतने के लिए राजा के साथ वहाँ (मालवा) गया। इसके अतिरिक्त द्वितीय चन्द्रगुप्त के चाढ़ी के सिवके यह बतलाते हैं कि सोराटू तथा काठियावाड़ के शासक क्षत्रियों के जीतने के पश्चात् ही उसने सर्वप्रथम रजत मुद्राओं का ग्रचलन

किया (जो क्षयप निको के अनुकरण पर निकाले गए) जूनागढ़ का शिलालेख यह प्रमाणित करता है कि सौराष्ट्र स्कन्दगुप्त के अधिकार में था और उसके शासन पदचात् पृथक् हो गया । कालान्तर में गुप्त वंश की अवनति आरम्भ हो गई । अवनति काल में भी युद्ध गुप्त का राज्य-विस्तार की जानकारी उसके एरण (मध्य प्रदेश) सारनाथ प्रतिमा लेख (उत्तर प्रदेश) नालंदा की मूर्त्रा (बिहार) तथा दामोदरपुर के ताप्रपत्र (उत्तरी बंगाल) से होती है तथा ज्ञात होता है कि बंगाल से उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश तक बुद्धगुप्त पाचवी शती के अंत में शासन करता था । गुप्त युग के पदचात् भारत में कई छोटे-छोटे राज्य हो गए तथा साम्राज्य की भावना का अन्त हो गया । लेखों के प्राप्ति स्थान से उस वंश का प्रभाव अवश्य ज्ञात हो जाता है । उदाहरण्य मौखिक वश का लेख हरहा (वारावली जिला) तथा नामाजुनी गुहा (गया जिला) से मिले हैं जो सिद्ध करते हैं कि गया से अवध तक मौखिक वश का प्रभाव विस्तृत था । पाल-वंशी राजा धर्मपाल के अभिलेख तथा अन्य राजकोय लेखों से यह प्रमाणित होता है कि धर्मपाल ने गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट अधिकार हटाकर कन्नौज पर शासन स्थापित किया । उन्हीं विहार तथा मगध में प्राप्त (मुगेर, भागलपुर व नालंदा आदि) पालवंशी लेख बिहार प्रान्त को पाल राजाओं के अधीन वोयिन करते हैं । यह स्थिति बीसवीं सदी नक्क बनी रही जब कि १९१२ ई० में बंगाल से बिहार का प्रदेश पृथक् किया गया ।

लेखों में सरक्षक के वर्णन के अतिरिक्त समकालीन शासकों के नाम भी प्रसग वश मिलते हैं अथवा राजा के साथ युद्ध में सहायक या प्रतिद्वन्द्वी का नाम देना प्रशस्तिकार के लिए आवश्यक ही था । इसी कारण अशोक के द्वितीय प्रधान शिलालेख में राजाओं की चोडा, पाण्डवा, सतियपुतो, केतल पुतों आदि छोटे राजाओं के नाम समकालीनता आते हैं जो सुदूर दक्षिण में शासन करते थे । उसी प्रसंग में यवन राजा अन्तिमों का भी नाम आता है । तेरहवें प्रधान लेख में भी उन राजाओं तथा कुछ अन्य शासकों (अन्तिकोन, मग आदि कई यूनानी राजाओं) के नाम मिलते हैं जिन्हे अशोक ने धर्म में प्रभावित किया था । ईमंवो पूर्व पहली सदी में कुपाण राजा कुजुल कदफिस के सिक्के पर हरमेयस का नाम भी मिलता है जिससे प्रकट होता है कि यूनानी राजा हरमेयस कुजुल कुपाण का समकालीन शासक था । गिरनार के लेख में रुद्रदामन के द्वारा सातवाहन राजा के परास्त करने का उल्लेख मिलता है । इसमें पता चलता है कि महाशत्रप रुद्रदामन सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र शातकर्णि या पुलमार्वि का समकालीन था । इसी प्रकार हरियण ने प्रयाग की प्रशस्ति में उन राजाओं के नाम दिए हैं जो भारत में राज्य करते थे और जिनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया । इनके अतिरिक्त प्रत्यन्त नृपति (सीमा पर राज्य करने वाले शासक) के भी नाम आये हैं । अत उस सूची में ऐसे राजाओं के नाम हैं जो समुद्रगुप्त के समकालीन माने जा सकते हैं । कुमारगुप्त तथा स्कन्दगुप्त के लेखों में हृषि आक्रमण का वृत्तान्त मिलता है । सम्भवत तोरमाण स्कन्दगुप्त का समकालीन शासक था । पिछले गुप्त वंश के अपसद लेख में हर्ष वर्धन के साथ माथवगुप्त का सम्बन्ध बतलाया गया है । अतएव दोनों को समकालीन मानने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती । अयहोल लेख हर्ष तथा द्वितीय पुलकेशी के युद्ध द्वारा समकालीनता सिद्ध करता है । कहने का तात्पर्य यह है कि लेखों के आधार पर राजाओं की समकालीनता स्थिर करने में बड़ी सहायता मिलती है और

उस प्रमाण के सहारे अनेक राजाओं की तिथि निश्चित की जाती है।

भारतीय लेखों के अध्ययन से प्राचीन भारत के शासन-पद्धति का ज्ञान भी सुलभ हो जाता है। प्रशस्ति उत्कीर्ण करते अथवा राजाज्ञा प्रसारित करते समय कुछ पदाधिकारियों का उल्लेख आवश्यक रूप में किया जाता था। जिन कर्मचारियों से शासन-व्यवस्था सम्बन्धित आज्ञा अथवा प्रजा हित के लिए जैसी आज्ञा घोषित होती, दोनों अवस्थाओं में पदाधिकारियों को पदेन सम्बोधित करना पड़ता था। दान के कारण विभिन्न परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिन अग्रहार का विवरण दान-पत्रों में लिखित रहता, उससे सम्बन्धित समस्त कर्मचारियों का उल्लेख निरान्तर आवश्यक था। जिस भूमि से राजकर प्राहण किया जाता, दान देने पर उसका स्वामित्व दानग्राही को मिल जाता था। अतएव राज कर्मचारियों को यह बतलाना आवश्यक था कि अमुक क्षेत्र से कर (टैक्स) को बमूली नहीं की जाय। यही कारण है कि ताप्रपट्टियों पर विभिन्न पदाधिकारियों के नाम उल्लिखित किये जाते थे।

मौर्य कालीन शासन व्यवस्था का परिज्ञान अशोक के लेखों से होता है। यद्यपि कौटिल्य ने अर्थ-ग्रास्त्र में शासन-पद्धति का विस्तृत विवरण दिया है तथापि अशोक के पौच्छें शिलालेख में धर्ममहामात्र नामक नए कर्मचारी की नियुक्ति का वर्णन है। तीसरे शिलालेख में राजुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को प्रजाहित के लिए राज्य में भ्रमण करने की आज्ञा दी गई थी। चौथे स्तम्भ लेख में अशोक ने स्वयं राजुक तथा परिषद् के विभिन्न कार्यों का विवेचन किया है। उन्हें प्रजा हित के चिन्तन पर विशेष बल दिया है। उसके लेखों से पता चलता है कि पाटलिपुत्र, कोशाम्बी, तथाशिला, उज्जैयिनी, तोसल्ली, सुवर्णगिरि नामक प्रातों में साम्राज्य विभक्त था। वहाँ राजकुमार ही प्रातपति के रूप में शासन करते रहे। कौसंविय महामात्र (कोशाम्बी स्तम्भ लेख) तोसलियं महामात्र (धोली का पृथक् शिलालेख), उज्जैनिते पि चु कुमाले, तखशिलाने (वही) समापायं महामाता (जौगढ़ लेख) पाटलिपुत्र (सारनाथ स्तम्भ लेख) तथा सुवर्ण गिरि स्थापुत्रस महामातान (सिद्धपुर शिलालेख) आदि उद्धरण उपरियुक्त कथन को प्रमाणित करते हैं। सम्भवत कई सदियों तक यही प्रणाली कार्यान्वयित होती रही।

इमवी सन् के पश्चात् कृषण नरेशों के राज्यपाल, सारनाथ मधुरा तथा काठियावाड में शासन करते रहे। तत्पश्चात् गुप्त लेखों में गुप्त शासन प्रणाली का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। प्रयाग के स्तम्भ लेख से जात होता है कि हरिपेण, महादण्डनायक, सन्धिविद्वहिक तथा कुमारामान्य के पद को मुश्यमित्त कर चुका था। द्वितीय चन्द्रगुप्त के समय में सनकानिक महाराज सामत नवा वीरसेर सेनापति था [उदयगिरि का लेख] गुप्त लेख यह बतलाते हैं कि साम्राज्य कई प्रातों में बटा हुआ था। तिराभुक्ति (तिरहृत, बिहार) काठियावाड, मंदसोर (मालवा) कोशाम्बी, (उत्तर प्रदेश) पुण्ड्रवद्धन भुक्ति (उत्तरो बगाल) तथा श्रीनगर भुक्ति (पाटलिपुत्र) के नाम मिलते हैं। पहला नाम वैशाली की मुहर (तीराभुक्त्या उर्पारकर अधिकरणस्य) में उल्लिखित है। इन प्रातों (भुक्ति) पर शासन करने वाले राज्यपाल के नाम भी गुप्त लेखों से प्राप्त होते हैं तथा राष्ट्राय, भोगिक, भोगपति तथा गोसा शब्दों का प्रयोग उस पद के लिए किया गया है (विस्तृत विवेचन के लिए देखिए—लेखक का ग्रन्थ—गुप्त साम्राज्य

का इतिहास भाग २) प्रथम कुमारगुप्त तथा स्कन्दगुप्त के लेख इस विषय में अधिक सहायक सिद्ध हुए हैं। प्रातों को जिला (विषय) में विभक्त किया गया था जिसके सम्बन्ध में विशेष उल्लेख वैशाली की मुहरों तथा दामोदरपुर (उत्तरी बगाल) के ताम्रपत्रों में मिलता है। इसका अध्ययन यह बतलाता है कि मंत्रीगण पौच वर्ष के लिए नियुक्त होते थे। नगर के कार्यालय को अधिकरण कहते थे। वैशाली के मुहरों में कुमारामात्य पदवी भी मिलती है। कुमारगुप्त के करम दण्डा शिवलिङ्ग लेख से स्पष्ट प्रकट होता है कि गुप्तकाल में मंत्रीपद वशानुगत था। द्वितीय चन्द्रगुप्त के मंत्री शिवरस्वामी के पश्चात् उसका । त्रि पृथिवीपेण गुप्त सम्भाट् प्रब्रह्म कुमार गुप्त के मंत्री पद पर आसीन था।

काठियावाड के राज्यपाल पर्णदत्त तथा नगर के शासक चक्रपालित की नियुक्ति स्कन्दगुप्त ने की थी। जिसका वर्णन जूनायद के लेख में निम्न प्रकार से मिलता है—

आ ज्ञातमेक खलु पर्णदत्तो भारस्यतस्यो द्वहने समर्थ ।

पूर्वतरस्या दिशि पर्णदत्तं नियुज्य राजा धृतिमास्तथाभूत ।

चक्रपालित के लिए लिखा है—

य मनिभुक्तो नगरस्य रक्षा विशिष्य पूर्वान् प्रचकार सम्यक् ।

यदि मध्ययुग के आरम्भ से ही ताम्रपत्रों का अध्ययन किया जाय तो प्रकट होता है कि राजा सरकारी कर्मचारियों को दान की मूचना देते समय सम्बोधित करता था। बामखेड़ा खालीमपुर, नालंदा, मुगेर आदि ताम्रपत्रों में अनेक पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित सूची से उसका परिज्ञान हो जाता है।

राजा राजानक राजपुत्र, राजामात्य, सेनापति, विषयपति, भोगपति, घटाधिकृत, दण्डशक्ति दण्डपालिक, चौराहरणिक, दीहसाधनिक, दूत, खोल गमागमिक अभिवर्तमाण, हस्त-श्वर्गोमहिष्यजविकार्यक्ष, नौकाक्षयक, बलाध्यक्ष, तारिक, शोलिक, गुनिमक, आयुक्तक, चाट, भट, ज्येष्ठ कायस्य, महामहत्तर दशप्रामिक, विषय व्यवहारिन (खालीमपुर ताम्रपत्र), महाप्रभातर, महायामन्त महाधामटलिक, रणधिकृत आदि पदाधिकारियों के नाम। विषय के अन्तर्गत अनेक ग्राम ये जिसका मुखिया महत्तर कहलाता और ग्राम की इकाई स्वतत्र थी।

प्रशस्तियों तथा मुद्रा-लेख का अध्ययन यह बतलाता है कि प्राचीन युग में दो प्रकार के शासन-राजतंत्र तथा प्रजातंत्र वर्तमान थे। प्रजातंत्र के लिए गण या सब गट्ट का प्रयोग किया गया है। यद्यपि चन्द्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य भावना को प्राप्तसा-

राजतंत्र व प्रजातंत्र हित किया परन्तु सब शासन को नष्ट न कर सका। उत्तरी बिहार प्रणाली में वृजिं तथा इतिहास में प्रसिद्ध प्रजातंत्र था। अशोक के शासनकाल

में वही विचारधारा काम करती रही। उसने राजतंत्र को ही बल दिया और उसके प्रभाव से राजतंत्र को प्रतिष्ठा भी स्थिर हो गई। साम्राज्य की शक्ति के कारण सब शायक भिन्न न उठा सके। अभिलेखों के अनुशीलन से पता चलता है कि राजतंत्र के साथ संघशासन भी प्रचलित रहा। इसा पूर्व सदियों में प्रचलित भारतीय सिक्कों का मुद्रालेख इस बात को प्रमाणित करते हैं। योगेय, कुपिन्द, आर्जुनायन, तथा मालव सब शासकों के सिक्कों पर निम्न लेखा लुढ़ा है—योगेय गणस्य जय, मालवाना गणस्य जय आर्जुना-यनाना जय आदि। लेख ऊपर लिखे कथन को पुष्ट करते हैं। मालव गण का उल्लेख तथा

यौवेय गण का वर्णन शक नरेश नहपान के नासिक तथा रुद्रदामन के जूनागढ़ लेखों में क्रमशः पाया जाता है। [ए० इ० भा० ८ बीर शब्द जातोत्मेका विधेयाना यौवेयाना] समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भ लेख में विदित होता है कि गुप्त नरेशों ने “मालवार्जुनायन यौवेय भाद्रकाभीर” संघों को परास्त किया था। इसके बाद सध शासन का अस्तित्व मिट गया। तात्पर्य यह है कि इसा पूर्व तीसरी सदी से चौथी शताब्दी यानी सात सी वर्षों तक दो प्रकार के शासन (राज-तंत्र तथा प्रजातत्र) भारत में प्रचलित थे जिनका उल्लेख अभिलेखों में पाया जाता है। इसके बाद प्रजातत्र राजतत्र में विलोन हो गया। मध्ययुग से सध शासकों (सभापति) को कोई पदबी लेखों में नहीं पाई जाती। मान्मात्र्य स्थापना के पश्चात् राजाओं की महान् पदवियों का विवरण मिलता है।

ब्राह्मों के लेखों में उन महान् पदवियों के नाम नहीं आते हैं जिनका उल्लेख यौर्य युग के पश्चात् लेखों में सर्वन पाया जाता है। अब पहलव राजाओं के सिवका पर यूनानी पदबी ‘वैसिलियम वैसिलियन’ का प्राकृत अनुवाद ‘महरजस रजरजस महतस’ अकित भिलता है। उन्हीं के लिए प्रयाग स्तम्भ लेख में शाहानुशार्द पदबी लिखी गयी है। पश्चिमी भारत के शक शायांकों के गिरियों पर महाक्षत्रप की उपाधि अकित है जो राजा के महान् स्वतंत्र पदबी थी। गुप्त काल में राजकाय पदवियों का ढग ही बदल गया। गर्वप्रथम गुप्त राजा महाराज की पदबी से विभूषित था। प्रथम चन्द्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि घारण कर महान् सम्राट् होने की धोपणा की। लेखों में परमेश्वर चक्रवर्ती या सम्राट् भी उसी तरह प्रयुक्त किया जाता था। उसके उत्तराधिकारी द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने सम्राट् की पदबी के माथ परम-भागवत की धार्मिक उपाधि ग्रहण की। इदीर के नामपत्र में सर्वप्रथम गुप्त सम्राट् के लिए परमभट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि मिलती है और उसी समय में प्रचलित होकर पूर्व मध्यकाल की प्रशस्तियों में प्रयुक्त है। हर्यवर्धन के तथा मौखरि वशी लेखों में राजा के लिए महाराजाधिराज की पदबी ही मिली है। पिछले गुप्त तथा अन्य समकालीन राजाओं के लिए उसमें भी महान् पदबी “परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर” का उल्लेख कर और उनकी गणियों के लिए भी ‘परमभट्टारिका’ लिलकर महान् राजा होने का व्यर्थ दावा किया गया है। पूर्व मध्यकाल में सारा देश छोटे-छोटे राज्यों में बटा था, अतः उन छोटे-छोटे राज्यों के लिये वही उपाधि अर्थहीन मिल होती है। केवल पदवा घारण करने से महान् सम्राट् नहीं बन सकत। इस कारण लेखों में उत्तराधिकार पदवियाँ निरर्वक हैं। उदाहरणार्थ ‘परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर’ जीवित गुप्त ऐसे छोटे राजा के लिए प्रयुक्त है। बलभी दानपत्र में साधारण शासक का पदबी परममाहेश्वर परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर चक्रवर्ती, उत्तिलिखित है (ए० इ० प० ७)। गुप्त राजाओं को वास्तविक सम्राट् होने पर भी दस महान् उपाधि के घारण करने का अवमर न मिल सका जिसे कालान्तर में छोटे-छोटे राजाओं ने ग्रहण किया था।

लेखों में पता चलता है कि सारा राज्य कई ग्रामों में विभक्त था जिसको “भुक्ति” कहते थे। “भुक्ति” के छोटे जिलों की इकाई को प्रशस्तियों में ‘विषय’ कहा गया है। शासन के सुप्रबंध के लिए इसे भी उपविभागों में बटा गया था। जो “ग्राम” के नाम से

प्रसिद्ध थे। केन्द्र में राजा स्वयं शासन करता था और उसके सलाह के लिए मंचिपरिषद नियुक्त था, उसे अशोक के प्रधान शिलालेखों में परिषद कहा गया है।

अशोक ने कलिंग लेख में कहा है “मेरी प्रजा मेरे बच्चों के समान हैं और मैं चाहता हूँ कि सबको इस लोक तथा परलोक में सुख तथा शांति मिले।” प्राचीन राजाओं का यह आदर्श था जिसके कारण राजा तथा प्रजा सुख शांतिमय जीवन व्यतीत करते थे।

घोलो के पुर्यक शिलालेख में अशोक ने कहा था—

“सबे मुनिमे पजा ममा । अधा पजाये इच्छामि हक
कित सबेन हित मुखेन हिदलोकिके पाललोकिके”

उसके पश्चात् भी राजा सदा प्रजा-चिन्तन में लगा रहता था। जूनागढ़ के लेख में महाकाशय शद्वदामन ने उल्लेख किया है कि मंचियों के विरोध करने पर भी प्रजा के सुख तथा भलाई के लिए निजी धन से उसने बाध व वधवाया था। (अपोडिवित्या करविए प्रणय क्रियाभि पौरजान-पद जन स्वस्मान्कोशा महता त्रिगुण दृढ़तर विस्तारायाम सेतु विवाय सर्वतटे सुदर्शन तर कारितमिति (ए० ८० ८० ४२) उसी स्थान पर उत्कीर्ण गुप्त लेख से पता चलता है कि स्कन्द गुप्त भी पश्चिमी प्रात के योग्य शासक के लिए चिन्तित रहा करता था। (सर्वेण देशेण विवाय गोप्त्वं सचिन्तया मास वहु प्रकारम्) इस प्रकार राजाओं के गुण के मध्यन्द में हमारी जानकारी बढ़ती है।

इतना ही नहीं, पाल नरेश धर्मपाल के खालीमपुर लेख से विदित होता है कि उसके पिता गोपाल ने ‘मात्स्यन्याय’ को समाप्त कर बगाल में शांति की स्थापना की। इसीलिए जनता ने उसे पालवंश का शासक घोषित किया (ए० ८० ४)।

मात्स्यन्यायमुपोहितु प्रकृतिभि लक्ष्मा कर ग्राहित

श्री गोपाल इति वितिश शिरशा चूडामणि तत्सुन ।

इन सब विवरणों के आधार पर राजा के प्रजाहित चिन्तन तथा आदर्श राजशासन की बातों का परिचान हो जाता है।

इसको पुनरावृति की आवश्यकता नहीं है कि पूर्व मध्ययुग के तामपत्रों में पदाधिकारियों के अधिक नाम मिलते हैं। इसका एक मात्र कारण यह था कि दान करते समय अग्रहार पर भूमि को स्वामित्व दानग्राही को सीप दिया जाता था। उस समय से

अभिलेखों में दान-भूमि से प्रत्येक प्रकार का कर दानग्राही प्रहण करता। इसलिए उल्लिखित पदाधिकारी यह आवश्यक था कि सभी अधिकारियों को दान-भूमि के सम्बन्ध में सूचना मिल जाय, ताकि कालान्तर में उस धोत्र से भूमि-कर ग्रहण करने का प्रबंध न किया जाय। इसी प्रसग में दान कर्ता (शासक) की पदविया उल्लिखित है। लेखों में पदाधिकारियों की चर्चा आज्ञा प्रदान करते समय की गई है। गुप्त लेख बैशाली को मुहूरे तथा मध्ययुगी प्रशस्तियों में अधिक नाम मिलते हैं। कन्नोज के शासकों के अभिलेख में सभी नाम मिलते हैं (ए० ८० भा० १४ प० १९४)। वर्ण-क्रम से निम्नलिखित उपाधियों की जानकारी लाभकर होगी।

अन्तःपुरिक—महल का प्रबंधक। पहले इसके लिए प्रतिहार शब्द का प्रयोग किया जाता था।

(विजयचन्द्र का कमोली ताम्रपत्र) अशोक के लेख में “स्त्रीध्यक्ष महामात्र” का भी यही कार्य था ।

अन्तपाल—सीमा अधिकारी वह साम्राज्य की सीमा की निगरानी करता था ।

अन्त महामात्र—सीमा राम्बन्धी राजनीति-विचारक । (अशोक का स्तम्भलेख ७वा)

अग्रहारिक—दान तथा अग्रहारभूमि का पदाधिकारी उसे ‘दानाध्यक्ष’ भी कहा गया है । अशोक के लेख में धर्ममहामात्र के नाम से उल्लेख मिलता है ।

आयुषगाराध्यक्ष—शस्त्रशाला का अध्यक्ष ।

अशपटलिक—लेख-प्रमाण का सुरक्षित करने वाला । मध्ययुग के लेखों में इसी को “महाक्ष-पटलिक” कहा गया है (विजयचन्द्र का कमोली ताम्रपत्र)

आकराध्यक्ष—खान का निरीक्षक ।

अश्वाध्यक्ष—घुडसवारो का उच्च अधिकारी । पूर्व मध्ययुग के कमोली ताम्रपत्र अभिलेखों में ‘भटाश्वपति’ का नाम मिलता है जो पैदल तथा अश्वारोही टुकड़ी का अधीक्षक होता था । (गहडवाल ताम्रपत्र)

आटविक—जगली जातियों का मुख्य ।

आमात्य—सचिव, कुमारामात्य से तात्पर्य राजकुमार के सचिव से हो जो राज्यपाल की सहायता करता था (कमोली ताम्रपत्र)

उपरिक— } प्रात का पति [वर्तमान राज्यपाल, गुप्त मुद्राओं के उपरिक महाराज]—
वेशाली मुहर
उपारिक— } या जमीन नापने वाला

करणिक अथवा कारणिक—हिसाव देखने वाला (वर्तमान मुनिव) ।

कार्यान्तिक—कारवाने का उच्च अधिकारी ।

कुप्याध्यक्ष—जंगल की पैदावार का निरीक्षक ।

करितुरगपत्तनाकर स्थान विषय गोकुल प्रमुखाधिकार पुरुषान्—जिला का एक अधिकारी जो शहर के हाथी, घोड़, गाय तथा कान का देख-रेख करता था (ए० इ० १४ प० १९४ भागलपुर ताम्रपत्र)

कुमारामात्य—प्रातपति का मत्री । प्रात पति के पद पर कुमार नियुक्त किया जाता था अतएव मंत्री को कुमारामात्य कहा गया । गुप्त युग से ही लेखों तथा मुद्राओं में यह नाम आता है । अतएव राजकुमार का मत्री इसे मानना चाहिए । कुछ विद्वान् कुमार के सदृश इसका अधिकार समझते हैं ।

कोटपाल—दुर्ग का अधिकारी—मध्ययुग के लेखों में यह शब्द अधिकतर पाया जाता है । नालदा एवं भागलपुर ताम्रपत्र (इसका रूप मुमलिम युग में कोतवाल हो गया)

खाद्यटपाकिक—खाद्यटपाकिक (प्रयाग प्रशस्ति) राजकीय पाकशाला का अध्यक्ष ।

खोल—खालीमपुर ताम्रपत्र में प्रयुक्त । वास्तविक तात्पर्य अज्ञात है ।

गमागमिक—राजकीय आज्ञा को शीघ्र लं जाना तथा वापिस लेने वाला अधिकारी (खालीमपुर नालदा गवं भागलपुर ताम्रपत्र) ।

प्रामपति—ग्राम का मुख्यि (इसे महत्तर भी कहते थे) दोनों शब्द लेखों में एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं । (भागलपुर लेख)

ग्रामिक—ग्राम के मुख्य पदाधिकारी—यह महत्तर से सर्वथा भिन्न कर्मचारी था । पाल लेखों में 'दश ग्रामिक' शब्द मिलता है । सम्भवतः वह राजकीय पदाधिकारी वह ग्रामों का प्रबंधक था । ग्रामपति से वह भिन्न व्यक्ति है ।

ग्रामकूट—मध्य युग के लेखों में अधिक प्रयुक्त है । यह ग्राम का कोई उच्च अधिकारी होगा ।

गोड्यक्ष—गाय का निरीक्षण राजकीय कार्य समझा जाता था । पशुधन की ओर भी शासक का ध्यान था । पाल लेखों से दूसरा शब्द "गोकुल प्रमुखाधिकारी" मिलता है । जिसका तात्पर्य वही है । गो का निरीक्षक ।

गोप—ग्राम का लेखा रखने वाला । यह ग्रामपति की सहायता किया करता था ।

गोप्ता—प्रातरपति (सर्वेषु देशेषु विधाय गोपतन्) । स्कन्द का जूनागढ़ लेख ।

गोलिमक या **गुलिमक**—जंगल का अधिकारी, पाल ताम्रपत्रों में उल्लिखित ।

घाट—गुलिरा का सिपाही (समस्त मध्ययुगों लेखों में)

चौराहारणिक—चौर को पकड़ने वाला तथा उसकी परीक्षा करने वाला । (खालीमपुर तथा नालंदा ताम्रपत्र)

ज्येष्ठाकायस्थ—ताम्रपत्रों का लेखक कायस्थ कहलाता था । गावों का प्रमाण-पत्र रखने वाला ।

प्रथम कायस्थ शब्द भी दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख में मिलता है ।

पलबाटक—मध्ययुग के लेख में ग्राम के आय-व्यय का लेखक ।

तारपति—नदियों के घाट का संस्कार करने वाला (नालंदा ताम्रपत्र)

तारिक—घाट का निरीक्षक या कर ग्रहण करने वाला । नारिक लेख में नहपान के जामाता लक्ष्यभद्रदत्त ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि उसने नदियों के घाट पर टैक्स को माफ कर दिया था (नाना पृथ्यतर-करेण एतासा च नदीना) (पाल वशों ताम्रपत्र में भी)

दण्डनायक—न्याय के विभाग का अधिकारी पिछले लेखों में 'महादण्ड नायक' शब्द आता है । गुप्त युग के भीठा लेख में "दण्डनायक थी जकरदत्तस्य" का उल्लेख है ।

दण्डपाणिक } साधारण न्यायाधीश जो पुलिस कार्यों के सम्बन्ध में कार्य करता था
या } (खालीमपुर, नालंदा तथा भागलपुर ताम्रपत्र)

दण्ड शक्ति या दाण्डिक—न्याय तथा दण्ड सम्बन्धी पदाधिकारी (खालीमपुर)

दशग्रामिक—ग्रामों के कार्यों का निरीक्षक ।

दशापराधिक—दश अपराधों के दण्ड (जुर्माना) को ग्रहण करने वाला । नालंदा तथा भागलपुर ताम्र पत्र ।

द्रौपिक—शहर का मुख्य अधिकारी ।

दूतक या दूत—राजदूत—पाल वशी नालंदा ताम्रपत्र में या हर्षवर्धन के ताम्रपत्रों में दूतक का प्रयोग । वर्धन लेखों में वह महासामंत तथा महाराज पदबी से विभूषित है । (कमीली ताम्रपत्र से भी प्राप्त)

दूत वर्णिक—पाल प्रशस्तियों में दूतावास का प्रधान ।

दौहसाधसाधनिक—शास्त्रिक वर्ष से यह प्रकट होता है कि कठिन कार्यों का करने वाला ।

वसाक ने इसे ग्राम का अधीक्षक माना है। (ए० इ० १३प० ४३) वास्तविक अर्थ अज्ञात है। बंगाल के लेखों में अधिक प्रयुक्त है। “दौहसाधिक, महादौह-साधनिक या महादौह साधनिक” शब्द भी लेखों में आते हैं। पारजिटर साधनिक से जिलाधीश के बदले कार्य करने वाला कर्मचारी मानते थे। (इ० ए० १९१० प० २११) करीदपुर ताम्रपत्र में जहाजरानी से सम्बन्धित शब्द है। सेन इसे पागल व्यक्तियों का निरीक्षक समझते हैं। (हिस्टारिकल इन्स्क्रिप्शनस आफ बंगाल) अंतिम निर्णय करना कठिन है। लेखक के मत में यह नाम ग्राम के रक्षक को दिया जाता था। दुसाथ जाति के लोग अधिकतर गावों में चौकी-दार होते हैं। सम्भवत इस पदबी के बिंगड़ने से गाव का रक्षक दुसाथ कहलाया और बाद में एक जाति बन गई (खालीमपुर तथा भागलपुर ताम्रपत्र)

कर्ममहापात्र—अशोक के पाचवें शिलालेख में इस पदाधिकारी का नाम है। वह राजकीय दान तथा धार्मिक कृत्यों का प्रबन्धक था। कन्नौज राजा विजयचन्द्र के कमोली ताम्रपत्र में ‘धर्माधिकारणिक’ उसी अर्थ में प्रयुक्त है।

ध्रुवाधिकरण—भूमिकर का ग्रहण कर्ता।

नगराध्यक्ष—शहर का निरीक्षक।

नगर श्रेष्ठिन—व्यवसायी संघ का अध्यक्ष (दामोदरपुर ताम्रपत्र)।

नौकाध्यक्ष—जहाजरानी का प्रबन्धक अधिकारी (खालीमपुर ताम्रपत्र)।

नैमित्तिक—पूर्वमध्य युग में राजदरबार का ज्योतिषी। वह यात्रा या भविष्य सम्बन्धी बातें (कहा करता या भविष्यवाणी) कमोली ताम्रपत्रों में।

परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर—शासक की पदवी (देववरनाक लेख)।

प्रतिहार—राजकीय महल का प्रबन्धक। पिछने लेखों में “महाप्रतिहार” से इसी का तात्पर्य समझना चाहिए।

प्रमातार—भूमि का मापक—(सर्वे करने वाला)

प्रमातृ—न्यायाधीश (नालदा ताम्रपत्र)।

प्रांतपाल—प्रदेश का गजयपाल (स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ लेख)।

पुरोहित—पूर्वमध्य युग के लेखों में यह राजा के धार्मिक कृत्यों का करने वाला। यो तो वैदिक काल में पुरोहित का नाम आना है परन्तु पाचवीं सदी तक के लेखों में कम प्रयुक्त है (कमोली ताम्रपत्र)।

पुस्तपाल—प्रमाण पत्रों का मंग्रह कर्ता। यह “अक्षपटलिक” का सहायक था (गुप्त लेख)।

बालाधिकृत—सेना का स्वामी! “महाबलाधिकृत” सेना का सर्वोच्च अधिकारी। इसकी समता ‘सेनापति’ से क्रमशः किया जाता है :

बलध्यक्ष—सेना का छोटा अधिकारी (एक टुकड़ी का स्वामी) खालीमपुर ताम्रपत्र।

विनियुक्तक—विशेष कार्य के नियित नियुक्त अधिकारी। तदायुक्तक भी इसी से समता रखता है। सम्भवत वह जिला के प्रबन्ध में सहायक था। आयुक्तक से राज्य के साधारण कार्य का निरीक्षक समझना चाहिए। (भागलपुर ताम्रपत्र)

विषयपति—जिलाधीश (खालीमपुर ताम्रपत्र)

विषय पुस्तक—जिला के साधारण कर्मचारी

विषय अध्यार्थिन—जिला का न्यायाधीश

भट—सेना का सिपाही (सैनिक) मध्ययुगी ताम्रपत्र

भोगपति—गुप्त तथा पाल लेखों में प्रतीपति के लिए प्रयुक्त। खालीमपुर ताम्रपत्र

भण्डागारिक—सेना को सामयों पहुँचाने वाला कर्मचारी इसे रण 'भण्डागारिक' भी कहते थे।

भिषग—वैद्य-पाल लेखों में प्रयुक्त (कमौली ताम्रपत्रों में भी)

मत्री—आमात्य, केन्द्री सरकार से सम्बन्धित (वही)

महत्तर—गाव का मुखिया

महादण्डनायक

या

महादौह साधनिक

या

महामत्री

महादण्डनायक

महा महत्तर

महाक्षपटलिक

महा भाण्डागारिक

महा प्रमातार

महा प्रतिहार

महासेनापति—सेनापति के सदृश पद (कमौली ताम्रपत्र)।

महामामत—सामत (अधीनस्थ राजा या शासक) के समान ही पद।

महामात्र—प्रपान मंत्री

मुक्त—साधारण अर्थ में सहयोगी-अशोक के लेख में धर्ममहामात्र के अधीनस्थ कर्मचारी कहा गया है। खालीमपुर ताम्रपत्र में युक्तक शब्द उसी अर्थ में प्रयुक्त है।

राजराजानक,
राणक या
राज राजन्यक

पालवशीलेखों (खालीमपुर ताम्रपत्र) में यह पदविधा अधीनस्थ सामत के लिए प्रयुक्त है। उसी वश के मुंगेर दान पत्र में राणक शब्द उल्लिखित है। 'राज' भागलपुर ताम्रपत्र, तथा 'राज राजन्यक' बानगढ़ की प्रशस्ति में मिलता है। मध्ययुगी कमौली ताम्रपत्र में राजराजी का उल्लेख है इन सभी शब्दों का प्रयोग (छोटे शासक) के लिए है। शूलपाणी को राणक की पदबी दी गई है। देवपाटा के अभिलेख में व्यापारिक संघ के मुख्य। सम्भवत आधिक क्षेत्र में सभी सामतों ने संघ तैयार कर लिया था।

राजपुत्र—राजा का पुत्र यानी राजकुमार। प्राचीन समय में राजकुमार प्रान्त का स्वामी प्रान्तपति हुआ करता था। अशोक भी सन्धाद् होने से पूर्व उज्जैन तथा तक्षशिला का राज्यपाल था। पूर्व मध्ययुग के लेखों में केन्द्रीय सरकार के पदाधिक-

कारियो की सूची मेरा राजपुत्र का उल्लेख मिलता है। सम्भवतः वह शासक की सहायता किया करता था। (पालवंशीखालीमपुर तथा नालंदा ताम्रपत्र मे भी प्रयुक्त)

राजामात्य—राजा का मत्री (केन्द्रीय प्रशासन से सम्बन्धित) पाल ताम्रपत्र
राजस्थानीय—वैदेशिक विभाग का मंत्री। (बही)

राजुक—प्रान्त का राज्यपाल। अशोक के शिलालेख मे यह नाम मिलता है पर वास्तविक तात्पर्य विवादास्पद है।

रानी—राजा की पत्नी। किस पत्नी को रानी कहा जाता था यह कहना कठिन है। पट्टमहिषी के अतिरिक्त अन्य स्त्री को रानी से सम्बोधित किया जाता होगा। पूर्व मध्ययुग के पदाधिकारियों की सूची मे रानी का उल्लेख मिलता है।

लक्षणाध्यक्ष—सिक्कों का अध्यक्ष (अध्यशास्त्र)

विनय स्थिति स्थापक—मध्ययुग के लेखों मे यह पदवी धार्मिक कृत्य के प्रबद्धक मत्री के लिए प्रयुक्त मिलता है। अशोक के लेख मे इसे 'धर्म महामात्र' कहा गया है।

सन्निधानु—महल का देव-रेख करने वाला कर्मचारी। पिछ्ले अभिलेखों मे उसके स्थान पर प्रतिहार शब्द का प्रयोग मिलता है।

सामत—राजा के अधीनस्थ शासक। पूर्व मध्ययुग मे इसे "महासामत" कहा गया है।

सार्थकाह—आपारिक संघ का अगुवा जो विदेश मे व्यापार करता था। दामोदरपुर ताम्रपत्र

सेनापति—सेना का प्रधान। "महा सेनापति" शब्द भी उसी के लिए प्रयुक्त मिलता है (कमोली ताम्रपत्र)

सन्धि विद्विक या महासन्धि विद्विक—युद्ध तथा संधि का निर्णय करनेवाला पदाधिकारी।

समुद्र गुप्त के प्रयाग स्तम्भ लेख मे वर्णन आता है कि ह्रीषेण संधि विद्विक के पश्चात् कुमारामात्य या महदण्डनायक के पदो पर कार्य करता रहा। चेदि नरेश कर्ण के बनारस ताम्रपत्र मे भी उल्लिखित है।

षष्ठाधिकृत—इस शब्द का अर्थ है छठे भाग का स्वामी। यानी वह कर्मचारी राजकीय कर (छठे भाग) को वसूल करता था। यो तो साहित्य मे इस बात का अत्यधिक प्रमाण है कि राजा पैदावार के छठे भाग को ग्रहण करता था, परन्तु लेखों मे ऐसे पदाधिकारी का नाम केवल पालयुगी खालीमपुर ताम्रपत्र मे मिलता है। अशोक के लुभिनों लेख मे 'अठभगिए च' (आठवें भाग) का उल्लेख आता है अशोक ने 'कर' को घटा कर आठवा भाग कर दिया। तात्पर्य यह है कि उससे अधिक राजकीय कर (छठा भाग) ग्रहण किया जाता था।

हस्तशब्द गोमहिष्यवाविकाध्यक्ष—खालीमपुर तथा भागलगुर ताम्रपत्र मे पाल युग के एक पदाधिकारी का नाम है वह पशु धन की देव-रेख करता था। हाथी, धोड़ा गो, भैंस, बकरी आदि का अध्यक्ष।

क्षत्रप—पश्चिम भारत (सौयादृ, गुजरात मालवा) के शक राजा "क्षत्रप" पदवी से विभूषित किए गये थे। यह ईरानी पदवी क्षत्रपावन का विकृत रूप है। उसका संस्कृत रूप क्षत्रप है। प्राकृत मे खत्रप मिलता है। क्षत्रप, महाक्षत्रप (स्वतत्र शासक)

के अधीन सहायक के रूप में काम करता था। मुद्रा लेखों में यह पदविया सर्वत्र पाई गई है। काँच, तथा नासिक के गुहा लेख में नहपान क्षत्रप ही कहा गया है, परन्तु वह स्वतत्र रूप में शासन करता था। [वैशाख मासे रात्रो क्षहरातस क्षत्रपस नहपानस] (नासिक गुहा) तथा ख्हरातस ख्तपस नहपानस (काले गुहा) मिलता है। जूनार गुहालेख में “महाखतपस सामिनहपानस” उत्कीर्ण है। (ए० इ० भा० ८ प० ८२) अतएव यह कहा नहीं जा सकता कि क्षत्रप परतंत्र शासक शक-नरेश की पदवी थी। महाक्षत्रप या क्षत्रप उपाधियों के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय करना कठिन है। दोनों पदवियां स्वतत्र शासक के लिए उपयुक्त हैं। पर क्षत्रप मुद्रा लेखों से पता चलता है कि महाक्षत्रप, क्षत्रप ने बड़ो उपाधि थी। किन्तु कनिष्ठक का अधीनस्थ गजयपाल खरपल्लाना सार-नाथ प्रतिमा लेख में ‘महाक्षत्रप’ कहा गया है।

क्षेत्रप—पाल प्रशस्तियों में क्षेत्र का मायक इस पदवी से पुकारा जाता था। (भागलपुर ताम्रपत्र)

क्षेत्रपाल—सम्भवत् क्षेत्रप के सदृश भूमि सम्बन्धी कार्यकर्ता। निरोक्षक। (वही)

प्राचीन राहित्य के अध्ययन से भागधुक (राजकीय कर को संग्रह करने वाला) तथा समाहतां (उपहार ग्रहण करने वाला) के नाम (रत्निन की मूर्ची में) मिलते हैं। क्षुषक

तथा पश्यपालक से कर ग्रहण किया जाता था। वैदिक साहित्य में गाय

अभिलेखों में कर तथा घोडों को कर स्वरूप में देने का विवरण है। अर्थशास्त्र तथा यूनानी लेखकों के वर्णन से पता लगता है कि पैदावार का पच्चीस फी सदी किसानों से ‘कर’ वसुल किया जाता था। जिसे अशोक ने सम्मनदेइ क्षेत्र के निवासियों के लिए कम कर दिया जाता था। समृतिकारों ने एक प्रकार के कर का उल्लेख किया है, जो वह आठ से तेतोस प्रतिशत कहा गया है (मनु ८, १३०; गौतम १०, २४-२७, अर्थशास्त्र ५, २)। सम्भवत् भूमि के उर्वरा होने के अनुसार ही कर में असमानता थी [धान्यानामष्टमो भाग पटोद्वादश एव वा-मनुसमृति ७, १३०] प्राचीन समय में वाक्यण तथा मंदिर आदि संस्थाओं को दान देते समय भूमि का स्वामित्व भी राजा के पास न रह पाता था। ग्राम में अन्य व्यक्तियों का भूमि उन्हीं के पास रह जाती थी पर भूमि कर दान ग्राहीं को देना पड़ता था [यू० समुचित भाग भोग कर हिरण्यादि प्रत्यायोपत्यन करिष्य आज्ञा श्रवणविषेयाश्च भविष्यथ—का० इ० इ० भा० ३ प० ११८, १२६, १३३; ए० इ० २ प० ३०४, भा० १९ प० १५]

अभिलेखों का वर्गीकरण करते समय यह कहा जा चुका है कि अधिकतर लेख दान से सम्बन्ध रखते हैं और ईमबी सन् की छठी शताब्दी से ताम्रपत्रों में ऐसा विवरण पाया जाता है। इससे पुर्व सदियों में दान का वर्णन नहीं के बराबर है। जहाँ दान का उल्लेख है उस स्थान पर दानग्राही को कर से मुक्त करने का वर्णन है। अभिलेखों में विभिन्न कर के नाम यथास्थान मिलते हैं परन्तु उसकी मात्रा का ज्ञान छठी सदी पूर्व के लेखों से नहीं होता। केवल कर शब्द से ही संतोष करना पड़ता है।

अर्थ शास्त्रियों ने पैदावार का छठा भाग भूमि कर के रूप में ग्रहण का वर्णन किया

है। मीर्य काल में भी यही अनुपात रहा होगा केवल सम्मनदेह (नेपाल तराई) भूभाग में बशीक ने राजकीय कर घटा आठवा भाग (अठभागिये च) कर दिया। इसबी सन् की दूसरी सदी के लेख में (जूनागढ़ शिला लेख) महाक्षेत्र रुद्रदामन ने स्पष्टतया उल्लेख किया है कि वह कर (भूमि-कर) तथा विष्टि (वेगार) से प्रजा का पीड़न नहीं करना चाहता था (अपोडियित्वा कर-विष्टि-प्रणयक्रियाभि ।—ए० इ० भा० ८ पृ० ४२)। अर्थात् सुदर्शन झील में बाथ को सुदृढ़ करने के लिए उसने अस्थायी कर नहीं लगाया और अपने कोश से ही उसका निर्माण किया था। सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र शातकर्णि के नासिक लेख में सवक्षेत्र को कर मुक्त करने की बात कही गई है (एतस चस खेतस परिहार वितराम अथवा सवजात परिहारिक च) वासिष्ठी पुत्र पुलमावि के काले प्रशस्ति में “सकरोत् कर.सदेय मेय” —का उस्तेख फ्रिया गया है यानी उस भाग का राजकीय कर भी दान के साथ दानग्राही को सौंप दिया गया था (ए० इ० भा० ७ पृ० ६१)। उस नरेश ने अपने पिता को वर्षमनुसार कर ग्रहण करने वाला शासक कहा है (धर्मोपजित-कर-विनियोग-करस, नासिक लेख (ए० इ० भा० ८ पृ० ६०)। गुप्त युग के लेखों में भी केवल ‘कर’ शब्द का उल्लेख पाया जाता है। प्रयाग स्तम्भ लेख में वर्णन है कि सम्राट् समद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के सामंतों को पराजित किया और दक्षिण के विजित शासक ‘कर’ देने के पश्चात् मुक्त कर दिए गए। (सर्व कर दानाज्ञाकरण प्रणामागमन पर्योगित-प्रचण्ड-शासनस्य—प्रयागस्तम्भ लेख)।

गुप्तों के समकालीन दक्षिण के वाकाटक नरेशों ने प्रशस्तियों में किसी विशेष ‘कर’ का उल्लेख नहीं किया है। परन्तु द्वितीय प्रवरसेन का इदीर ताम्रपत्र तथा प्रभावती गुप्ता क वाकाटक लेखों में ग्रहित ‘कर’ से मुक्त करने की चर्चा मिलती है। उस दान को अकरादायि (कर से रहित) अचरासन (उस भूमि में चरागाह नहीं रह सकता) अपशुमेष्य (उस भूमि में पशु यज्ञ नहीं हो सकता), अपुष्पक्षीर सदोह् (उस भूमि से पुष्प या दूध के रूप में ग्रहित कर नहीं लिया जायगा) अलबण विलगव क्रणि खनक (उस भूमि के से नमक खान नहीं निकाला जायगा या वहा शराब नहीं बनाया जा सकती) तथा अचटभट प्रावेश्य (जिस भूमि में सैनिक या सिपाही प्रवेश नहीं कर सकता) कह कर वर्णित किया गया है। जो भूमि दान में दी गई है उस देश में दान से निकली सभी अमूल्य वस्तु (सोपनिधि) दानग्राही को मिलती थीं और गडे धन का मालिक (सनिधि) भी वही व्यक्ति समझा जाता था। (ए० इ० १५ पृ० ४१ तथा भा० २४ पृ० ५२ इ० हि० क्वा० भा० १६ पृ० १८२)

गुप्त युग के पश्चात् छठी सदी के वैशाख, दामोदरपुर तथा फरीदपुर (बंगाल) के ताम्रपत्रों में स्पष्टतया उल्लेख मिलता है कि छठा भाग ही राजकीय कर था। जिसे दानग्राही कर मुक्त था। जिन शब्दों में यह तात्पर्य निकाला जाता है—(वर्ष परतायाति धर्मफलवद्भाग लाभ) उसे पार्जिटर या बनाक ने राजकीय कर (छठे भाग) का वर्ष व्यक्त किया है। धर्मघट् भाग से राजा के छठे भाग का तात्पर्य है और राजा कर की तरह प्रजा के धर्म (पुष्प) का छठा भाग भी ग्रहण करता था। पाल वशी खालीमपुर ताम्रपत्र में इस कर को वसूल करने वाला पदाधिकारी “पष्टाविकृत” कहा गया है (सेन—बगाल के अभिलेख स० १)। यानी दसबी सदी तक पैदावर का छठा भाग ही राजकीय कर समझा जाता था।

ताम्रपत्रों में दान को भूमि को सभी कर से मुक्त करने का वर्णन मिलता है। हृष्णवर्धन

के समय से विभिन्न करों (स्थायी या अस्थायी) के नाम मिलते हैं। भूमि-कर नकद या अन्न के रूप में दिया जाता था। कुछ अस्थायी कर ये और कुछ चुंगी या बेगार के रूप में ग्रहण किये जाते थे। संजान ताप्रपत्र में निम्न लिखित करों के नाम उल्लिखित हैं।

भागकर—इसमें राजकीय कर (छठे भाग) का बोध होता है। कई लेखों में उद्रंग कह कर भी इसका अभिप्राय व्यक्त किया गया है। जातक में इस भाग लेने वाले को द्रोणमापक कहा गया है।

भोगकर—यह कर 'भाग' से भिन्न था। सम्भवतः स्थायी रूप में 'कर' को 'भाग' कहते थे और समयानुकूल भूमि जोतने पर कुषक को कर देना पड़ता था जिसे 'भोग' कह सकते हैं। 'उपरि' शब्द भी इसी तरह के कर का बोधक है।

सामान्य हिरण्य—इसमें तात्पर्य यह था कि भूमि कर का कुल अंश धान्य तथा कुछ नकद के रूप में दिया जाता था। लेखों में हिरण्य राजकीय कर के लिए ही प्रयुक्त हैं (जहाँ नकद कर दिया जाता था)। गुर्जर प्रतिहार लेख में वर्णन आता है कि ग्राम के आय में ५०० ढम मंदिर में दिए गए थे। (५० ए० भा० १६ प० १८८) उडीसा के लेख (५० इ० १२ प० २०) तथा दक्षिण की प्रशस्ति में भी नकद मिक्का कर के निर्मित देने का विवरण है (सा० ३० इ० ३० स० ४, ५) घेत का पैदावार में राजा को कुछ सम्बन्ध न था। सभी लेखों में 'हिरण्य' का अधिक प्रयोग मिलता है।

हाटक—पालवधी दानपत्रों में इस शब्द से चुंगी का तात्पर्य समझा जाता है। हाट (बाजार) से जो कर लिया जाय वह हाटक कहलाता था।

अचाटभट प्रावेश्य—इन शब्दों के प्रयोग से एक प्रकार के अस्थायी कर का बोध होता है जो ग्राम में मैनिक तथा पुलिस सिपाही (चाट भट) के प्रवेश करने पर ग्राम-वासियों का देना पड़ता था। इसमें उनके भोजन सम्बन्धी व्यय सम्मिलित हैं। यह यदा कदा देना पड़ता था।

वशापराध—वलभी लेखों में इसका प्रयोग मिलता है। यह अस्थायी दण्ड था जो अपराधी से वसूल किया जाता था।

सूपवात प्रत्याय—वलभी तथा दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट लेखों में इस अस्थायी कर का उल्लेख मिलता है। भूतवात से सुरक्षित (आयात) तथा निर्यात वस्तुओं पर आरोपित कर का बोध होता है। कुछ विद्वान् इसे भूतप्रेत को हटाने के लिए लगाए टेक्स (कर) से तात्पर्य समझते हैं। स्थान् ग्राम में भूत तथा प्रेत की स्थिति से लोगों को भय बना हो जिसे हटाने के लिए पूजा-पाठ या तत्त्वमत्र का प्रबन्ध या उसी कार्य के व्यय को भूतवात कहते थे।

विछिन्न-बेगार—जिस कार्य में मजदूरी न देना पड़े। जो गरीब व्यक्ति अस्थायी कर नहीं दे सकता वह बेगार देता था।

इस प्रकार स्थायी तथा अस्थायी कर के नाम विभिन्न लेखों में जाता है। सभी कर एक लेख में भी उल्लिखित है (५० इ० १ प० ८८)

दानपत्रों में 'निविधम्' या 'भूमिछिदन्याय' शब्दों का प्रयोग स्थायी रूप में दान के लिए किया गया है। जो व्यक्ति बंजर भूमि को खोदकर उपजाऊ बना लेता, वह उसका स्थायी मालिक हो जाता था। भूमिछिदन्याय उसी अर्थ में प्रयुक्त है, यानी स्थायी स्वामित्व। समस्त कर दानग्राही ही वसूल करता था। उस भूमि से राजा को (दान कर्ता को) सभी प्रकार की आय से वंचित होना पड़ता था। राजा अपना स्वामित्व दानकर्ता को अपित कर देता। सम्भवत कर्लिंग में इस तरह की दानप्रणाली का अभाव पाया जाता है। एक लेख में 'कर-शासन' शब्द का प्रयोग मिलता है जिसका तात्पर्य यह है कि दानग्राही को उस भूमि का 'कर' राजकोश में जमा करना आवश्यक था। (ए० इ० २९ पृ० १६७)

अध्याय ६

प्राचीन भारतीय अभिलेखों में वर्णित समाज

भारतीय समाज को सर्व प्रमुख संस्था को “वर्णाश्रम” कहते हैं जिसके आधार पर हिन्दू समाज अबलम्बित है। भारत के उन्नयन तथा गौरवमय जीवन का बहुत कुछ थ्रेय इसी संस्था को है। इसके उत्पत्ति तथा विकास के प्रसंग में दो मत व्यक्त किए गए हैं-जीवविद्या तथा दार्शनिक। किसी भी पक्ष के विषय में विचार करना हमारा उद्देश्य नहीं है। इतना कहना पर्याप्त होगा कि वैदिक कालीन वर्ण कालान्तर में जाति का बोधक हो गया। स्मृतियों में चार वर्णों के नाम मिलते हैं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जिसमें प्रथम तीन को ‘द्विज’ कहा गया है। भारतीय अभिलेखों का उद्देश्य वर्णाश्रम धर्म का वर्णन कहा गया है। भारतीय अभिलेखों का उद्देश्य वर्णाश्रम धर्म का वर्णन

वर्णाश्रम संस्था उपस्थित करना नहीं था। केवल शासन या दान के प्रसंग में दानप्राही भी जाति आदि (वर्ण के नाम) उल्लिखित मिलते हैं।

मौर्य सम्राट् अशोक ने लेखों में यह विचार व्यक्त किया था कि समाज में ब्राह्मणों का दर्शन करना तथा दान देना देयस्कर है [ब्राह्मण समणानं सावृदानं । ब्राह्मण समणानं संपत्तिपति, बाह्मण-समणानं दसणे च दाने । शिलालेख ३, ४, ८] दक्षिण भारत में मौर्य राजाओं के उत्तराधिकारी सातवाहन नरेश गर्व के साथ अपने को ब्राह्मण कहते थे। नासिक लेख में क्षत्रियों (शत्रु) के मान मर्दन का विवरण भी उपस्थित किया गया है। गौतमी पुत्र शातकर्णि अपने पुत्र पुलमावि के लेख में “एक ब्रह्मण” कहा गया है तथा “खतिय-दपमान मदनस” का उल्लेख भी उसी से सम्बन्धित है (नासिक गुहा लेख) उसके समकालीन क्षत्रिय राजा नहपान के लेखों में दान के प्रसंग में ब्राह्मण का नाम मिलता है। (देवान ब्राह्मणाना च कर्पापण सहन्नाणि सतरि-दिन । देवताभ्य ब्राह्मणम्य षोडश ग्राम देन (नासिक का लेख) इस प्रकार समाज में तथा दानप्राही के नाते लेखों में ब्राह्मणों का उल्लेख है। क्षत्रिय नाम भी युद्ध तथा अग्रहार देने के प्रति भी उल्लिखित है। दूसरी सदी के महाकाश्चत्र रुद्रादामन का जूनागढ़ लेख यह बतलाता है कि इसने क्षत्रियों में वीर योद्धेयगण को पराजित किया था। इसी तरह गुप्त युग के एक लेख में तीनों वर्णों का उल्लेख मिलता है। इदौर (बुलदशहर, उत्तर प्रदेश) नामक स्थान से एक दान पात्र ब्राह्मण को भेंट किया गया जिसके दाता क्षत्रिय वशी अचल वर्म एवं भ्रकुण्ठ सिह थे। ये दोनों व्यक्ति वैश्य वृत्ति से जीवन यापन करते थे। अतएव उस इदौर लेख में दान के प्रसंग में ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य वर्णों के नाम मिलते हैं—

‘बातुविद्य सामान्य ब्राह्मण’ ‘राणायणीयो वर्षगण-संघोत्र इन्द्रापुरक वाणिगम्या क्षत्रियाचल वर्म भ्रकुण्ठसिहम्याम् । (स्कन्द गुप्त का इदौर लेख)

गुप्तयुग के पश्चात् सम्भवतः वर्णाश्रम संस्था में कमजोरियाँ आने लगी थीं इसीलिए पूर्व मध्य युग (७००-१२००ई०) के लेखों में शासक का कर्तव्य समझा गया है कि समाज को समुचित रूप में स्थिर रखने के लिए वर्णाश्रम धर्म को रक्षा करें। गुप्तों के सामन्त सक्षोभ के सम्बन्ध ये खोह तात्पत्र में “वर्णाश्रम धर्म स्वापना निरतेन परम भागवतेन संक्षोभेन”

७६ : प्राचीन भारतीय अभिलेख

वाक्य उल्लिखित है (का० इ० इ० ३ प० ११४) हर्षवर्धन के पिता प्रभाकरवर्धन के समक्ष यही समस्या थी अतएव वह इसकी रक्षा में दत्त चित्त से लगा रहा । बासखेडा के ताम्रपत्र में उसे “बणश्रिम व्यवस्थापन प्रवृत्त” कहा गया है (ए० इ० ४ प० २१०) मौखिक नरेश अवन्ति वर्मन के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग मिलता है (ए० इ० २७ प० ६४) काम रूप के राजा भास्कर वर्मन के लेख में वर्णन आता है कि बणश्रिम संस्था (जो पूर्व काल में अव्यवस्थित थी) को उसने सुधारवस्थित किया—

अवकीर्ण बणश्रिमधर्मं प्रविभागाय निर्मितो

(निधान पुर ताम्रपत्र ए० इ० १२ प० ७५)

११वीं सदी के राजा इन्द्रपाल ने बणश्रिम की मर्यादा स्थिर करने का प्रयत्न किया था—

सम्यग् विभक्त चतुराश्रम वर्णधर्मा

(गोहाटी नाम्रपत्र—ज० ए० सो० व० १८९७ प० १२५)

स्यात् पूर्वं मध्यकाल में यह एक महत्व पूर्ण प्रश्न था और समाज को सुस्थिर (विघटन न होने देना) रखना जासक का परम कर्तव्य था । यही कारण था कि बगाल के बीदू-धर्मानुयायी पाल राजा भी बणश्रिम के व्यवस्था में प्रयत्नशील थे । बातगढ़ लेख में (ए० इ० १४ प० ३२५) उन्हें ‘मर्यादा परिपालनके निर्गत’ कहा गया है तथा निम्न वाक्य भी प्रयुक्त है—

वर्णानान् प्रतिष्ठापयता स्वघर्मे

(इ० ए० २१ प० २५५)

पालवंशी आमागाही लेख में तृतीय विश्वपाल चारों वर्णों का संग्रहक कहा गया है—चातुर्वर्ण्यं समाधमं (वही प० ९९) इसी के सदृश उडीसा का राजा खेमनकर “बणश्रिम परमोपासक” पदवी से विभूषित है । संक्षेप में कहा जा सकता है कि समाज को विघटन से बचाने के लिए शासकों ने बणश्रिम धर्म (पालन करने के निमित्त) का समादर करने की आज्ञा प्रकाशित की । गुप्त युग से पूर्व विदेशी आक्रमणकारी भारतीय समाज में विलीन हो गए । ७वीं सदी में ईस्लाम का आगमन भारत में हुआ और भारतीय समाज के सामने जटिल समस्या उपस्थित थी । बणश्रिम का पालन स्यात् उसके समाधान का एक मार्ग समझा गया और राजाओं ने उसके लिए आज्ञाएँ प्रसारित की (वे स्वयं भी सतर्क थे) । चहमान राजा के सिवालिक स्तम्भ लेख में म्लेच्छों से पृथक रहने का बात कही गई है । (ए० इ० १९ प० २१५) मेघातिष्ठि ने भी (मनु २, २३) ऊपर लिखित विचार का समर्थन किया है । उसने मनुस्मृति की टीका में लिखा है कि धर्मिय राजा को चातुर्वर्ण्य की स्थापना में सलग्न रहना चाहिए—

यदि कश्चित्क्षत्रियादि जातीयो राजा साध्वाचरणो मंल्छान् पराजयेत चातुर्वर्ण्यं वासयेत् ।

जैसा कहा गया है कि मध्य युग के प्रशस्तिकार चातुर्वर्ण का उल्लेख करते रहे परन्तु अभिलेखों में एक पंचम वर्ण-चाण्डाल-का भी नाम मिलता है । दान पश्चों में ग्राम सम्बन्धी वार्ता में “आहुण चण्डाल पर्यन्त” शब्दों का उल्लेख है यानी चार वर्ण तथा चाण्डाल वही निवास करते थे । स्मृतियों में भी उस पंचम वर्ण (अत्यन्ज) का वर्णन मिलता है जो अनुलोभ तथा प्रतिलोम विवाहि से उत्पन्न हुए थे । उस युग में कार्य तथा स्थान के कारण भी जातियों

में विमेद हो गया जिसके नाम लेख में मिलते हैं। ये तो बलबेहनी ने सोलह, इच्छा खुर्दजवा सात तथा कल्हण ने चौसठ जातियों का वर्णन किया है जो यह प्रकट करता है कि पूर्वमध्य युग में (७००-१२०० ई०) पाच वर्णों से सम्बन्धित अनेक जातियां प्रसिद्ध हो गई थीं।

ब्राह्मण अपनी विद्वता, शुद्ध आवरण तथा अवहार कुशलता के लिए चारों वर्णों में श्रेष्ठ माने गए हैं। तीनों वर्ण इनके प्रदातित सार्व पर चलते थे। त्रयों वर्णा ब्राह्मणस्य वर्णे वर्तेन् तेषा ब्राह्मणो धर्मन् प्रत्यात् (विष्णुष्ट ११०४१)। गुप्त ब्राह्मण युग से पूर्व ब्राह्मणों को स्थिति के विषय में ऊपर कहा जा चुका है।

गुप्तकाल में ब्राह्मणों का आवरण तथा सम्मान था। छठी सदी के पश्चात् भी ब्राह्मण विद्या में अग्रणी थे, इसीलिए पूर्व मध्यकाल की विज्ञितियों में उनके कुल के साथ विद्या की भी चर्चा की गई है। दान सम्बन्धी वर्णन तथा समाज में उनका स्थिति में कुछ अन्तर दीख पड़ता है। मध्ययुग में ब्राह्मणों की इतना उप-जातिया तथा जीविका के साधन हो गए थे कि समाज में प्राचीन श्रेष्ठता स्थायी न रह सकी। क्षत्रिय समाज में अगुआ हो गए और उनके आदेशानुसार ब्राह्मण कार्य करने लगे। यद्यपि साहित्य में पचगोड़ का उल्लेख है परन्तु अभिलेखों में कान्यकुञ्ज, मैथिल तथा सरयूपारी के नाम उल्लिखित हैं। ब्राह्मणों के उपनाम स्थानीय आधार पर (Territorial Basis) स्थिर किया गया था। कन्नोज के कान्य-कुञ्ज, बंगाल के गोड़ (गोड़ स्थान का भी नाम था) मैथिल के मैथिल, सरस्वती घाटी के निवासी सारस्वत तथा उडीसा (उटकल) के ब्राह्मण पाचवे स्थान पर थे। लेखों में जहा ब्राह्मण के बहिर्गमन का वर्णन है वहा कान्यकुञ्ज का नाम सर्व प्रथम आता है। आसाम में मैथिलों के (ए० १०८० प० ९२) तथा गोड़, ब्राह्मण (ए० १०२६ प० २६३) के आगमन का विवरण लेखों में मिलता है। गहडबाल नरेशों के गोरखपुर के लेख में सरयूपारी ब्राह्मण का उल्लेख है (गोविन्दचन्द्रदेव का पाली ताम्रपत्र-ए० १०५ प० ११४) पचगोड़ के अतिरिक्त शाकदीपी (जिनका नाम मग भी था) ब्राह्मण का वर्णन गोविन्दपुर के लेख (ए० १०२ प० ३३३) में स्पष्ट रूप से किया गया है। शक्तिर्पण से आने के कारण वे शाकदीपी कहलाए तथा इनका सबध ईरान के मग (मजियन) से बतलाया जाता है। ये सूर्य के पुजारी तथा तान्त्रिक भी माने जाते हैं (मग स अग्रेजो का शब्द मैजिक बना है)—शाकदीपस्य दुर्याम्बु निधि बल-पितो यत्र विप्रे मगार्थ्या (वही)। इस प्रकार उत्तरी भारत में ब्राह्मण छ विभागों में विभक्त थे और पृथक-पृथक नाम से विरूप्यात थे।

भारत में छठी सदी के पश्चात् गोत्र तथा वैदिक शाखा के आधार पर ब्राह्मणों का वर्गीकरण हुआ था। जिसकी चर्चा प्रायः प्रत्येक दानपत्र में मिलती है। हर्य के बासखेड़ा ताम्रपत्र (ई० स० ६२८) में दानग्राही के भारद्वाज गोत्र तथा वह-ब्राह्मणों का वर्गीकरण वृच शाखा का उल्लेख है। शाशक के ताम्रपत्र में भी भारद्वाज गोत्र तथा तैतरीय शाखा के ब्राह्मण को दान का उल्लेख है। चमक प्रशस्ति में “नान्त गोत्र चरणोम्य ब्राह्मणोम्य” सहध्याय दत्। वाक्य इस बात को पुष्ट करता है कि शाखा के अनुसार ब्राह्मणों का वर्गीकरण किया गया था। इस लेख के अन्त में पराशर, काश्यप, कौण्डिण्य, भारद्वाज, (दस ब्राह्मण) तथा गौतम गोत्रवाले ब्राह्मणों के नाम उल्लिखित हैं। दक्षिण भारत के संजान अभिलेख

में भारद्वाज तथा वाजसनेय शास्त्र के ब्राह्मण का वर्णन मिलता है । १२ वी सदी के चन्द्रावती तात्रपत्र में जो क्रम है (यानी गोत्र तथा शास्त्र का नाम) उसी को लेकर उपजातिया बनती गई । उस लेख में पांचसौ ब्राह्मणों के नाम आते हैं और “नाना गोत्रेभ्यश्चतुष्प्रणचतुः श्रुति पाठकेभ्य पञ्च शत सूखेभ्य ब्राह्मणेभ्यो” (ए० इ० १४ प० २०२) वाक्य द्वारा उन्हें पृथक् पृथक् बतलाया गया है । चन्देल राजा परमदि के सेमरा लेखमें पैतीस गोत्र के नाम मिलते हैं (ए० इ० ४ प० १५४-६) अत्रि वाभव्य, वन्धुलवशिष्ठ, वत्स, विष्णुवृद्ध आदि के परीक्षण से पता लगता है कि काश्यप तथा भारद्वाज गोत्र अधिक लोक प्रिय थे । चन्द्रावती तथा कलहा दानपत्रों में अधिक गोत्रों का उल्लेख है (ए० इ० १४ प० ८७) काश्यपन, काश्यप — मावर्ण तथा शान्तिल्य । कन्व, गालव, धीपलाद, दर्भ आत्रेय (ए० इ० १४ प० २०२) वर्तमान समय में भी यहीं गोत्र समाज में प्रचलित है । इसी प्रकार शास्त्र के सम्बन्ध में भी विवरण मिलता है । पूर्व मध्यकाल में (७००-१२०० ई०) जो ब्राह्मण जिस वैदिक शास्त्र का अध्ययन करता था उसी से वह प्रसिद्ध था और अन्य ब्राह्मणों से पृथक् हो जाता था । दानग्राही के साथ वैदिक शास्त्र का उल्लेख परमावश्यक था । करीदपुर तात्रपत्र (वगाल) में वाजसनेय शास्त्र तथा षड्हृष्टाध्यायिन ब्राह्मण का उल्लेख है । कलहा तात्रपत्र (गोरखपुर, उत्तर प्रदेश) में छादोग्य, वाजसनेय तथा माध्यनिदन शास्त्राध्यायों ब्राह्मणों को दान देने का वर्णन मिलता है (ए० इ० ७ प० ८७) दूसरे लेखों में आश्वलायन, शास्त्रायन (ऋग्वेद) कीयुम, राणायनीय (सामवेद) तथा कठ (कृष्ण यजुर्वेद) शास्त्राओं के नामोल्लेख के साथ वर्णन मिलता है कि दानग्राही इन वैदिक शास्त्राओं का पण्डित था (ए० इ० ९ प० ११६) । मालवा की प्रशस्ति में तीन ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख है जिनका निम्न प्रकार से वर्णकरण किया (ए० इ० ९ प० ११५) था ।

(१) माध्यनिदन (शु० यजुर्वेद)	शास्त्र का	ब्राह्मण
(२) आश्वलायन (ऋग्वेद)	"	"
(३) कीयुम (मामवेद)	"	"

कश्मीर शासक भोज के दोलतपुर दानपत्र में ऋग्वेद के आश्वलायन शास्त्र तथा गहड़-वाल नरेश गोविन्द चन्द्रदेव के लेख में वाजसनेय (यजुर्वेद) तथा शास्त्रायन (ऋग्वेद) शास्त्राओं के नाम मिलते हैं (ए० इ० ३ प० २१२ तथा वही ८ प० १५४-६) । पाल नरेश देवपाल के शासन में आश्वलायन तथा कीयुमी शास्त्राओं के पण्डित ब्राह्मणों को दान दिया गया था (ए० इ० २१ प० २५५, ए० इ० १५ प० २१५) सेनवशी शासक वल्लालमेन की समस्त प्रशस्तियों में तथा लक्षणमेन की दो पश्चिमियों में वैदिक शास्त्र के आधार पर ब्राह्मण पृथक्-पृथक् वर्णित हैं— (नईटो, गोविन्दपुर, तरफ़नड़ीहो, मर्घनगर और दीनाजपुर लेख) निधानपुर के तात्रपत्र में एक सौ उन्हेस ब्राह्मणों को शास्त्राओं के आधार पर अनेक वर्ग में विभाजित किया गया है । ११९ गे ५६ वाजसनेय शास्त्र, ११ छान्दोग्य शास्त्र, ३८ वहूच शास्त्र और शेष तैतीरीय शास्त्र के ब्राह्मण कहे गए हैं (ए० इ० १९ प० ११८) अतएव सक्षेप में यह कहना पर्याप्त होगा कि गोत्र तथा वैदिक शास्त्र के आधार पर उचित रीति से ब्राह्मणों का वर्गीकरण किया गया था । कालान्तर में इससे उपजातिया बनती गई ।

यो तो धर्मग्रन्थों में ब्राह्मणों के लिए पट्टकर्म (यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान

एवं प्रतिग्रह) का वर्णन मिलता है तथा पूर्व मध्यकालीन लेख में (ए० इ० १ पृ १४६-पट्ट-
कर्मभिरता ब्राह्मणा , ए० इ० १ पृ २८-पट्टकर्मभिरता य ब्राह्म-
ब्राह्मणों का जीविका याय आदि) भी उन्हीं छ कर्मोंका उल्लेख है परन्तु ब्राह्मणों को
साधन इन कार्यों के अतिरिक्त अन्य साधन भी दृढ़ने पड़े । विशेषकर मंदिरों
में पुजारी का काम करने लगे जिसका अत्यधिक विवरण गहडवाल,
प्रतिहार, परमार, कलचुरि, पाल तथा सेनवंश की प्रशस्तियों में मिलता है । पूजा के अति-
रिक्त पुरोहित मंदिर के प्रबन्ध की देख-रेख करता था । मंदिरों में वह कथावाचक (चहमान
लेख—ए० इ० ११ पृ ४५) का भी कार्य करता था । राजघराने में ज्योतिषी के कार्य निमित्त
ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता था । इन सभी कार्यों को सम्पन्न कर ब्राह्मण मंत्री तथा सेनापति
के रूपे पद को भी सुशोभित करता था । (ए० इ० १ पृ २२२, भा० १५ पृ २०५, भा०
४ पृ १५८—‘ब्राह्मण सेनापति मदनपाल शर्मन’ का उल्लेख पाया जाता है । सेना में मृत्यु हो
जाने पर ब्राह्मण के परिवार को राजा “मृत्युक वृत्ति” दिया जाता था (ए० इ० १६
पृ २७२) । इस तरह क्षत्रिय वर्ग के कार्यों को अपना कर वह जीविकोपार्जन करने लगा ।

पाल प्रशस्तियों में नारायणपाल के ब्राह्मण मंत्री गुहव मिश्र तथा गर्ग मिश्र के नाम
मिलते हैं जिन्होंने विद्या तथा कार्यकुशलता के कारण ही मंत्री पद को सुशोभित किया था (ए०
इ० २ पृ १६०) इसी तरह दर्भपाणि तथा केदार मिश्र के नाम वर्णित हैं जो क्रमशः देवपाल
तथा सुरपाल के मंत्री थे । गहडवाल राजा गोविन्दचन्द्र के प्रधान मंत्री भट्ट लक्ष्मीधर का नाम
गर्व के साथ लिया जा सकता है जिसने ‘क्रिया-कल्प-तरु’ नामक निवन्ध की रचना की थी
(गा० ओ० सी० न १०० पृ १०) इसकी समता विजयलगर के राजा वुक्क के मंत्री सायण
तथा माधव से को जा सकती है । पूर्व मध्यकालीन लेखों में वर्णन है कि ब्राह्मण कृषि कर्म भी
करते थे । स्यात् वह आपत्थर्म था । परन्तु दानपत्रों में “भुज्ञामामनस्य कर्त्तात् कर्वयतो”
ऐसा उल्लेख मिलता है (ए० २० पृ २०८) धरसेन के बलभी ताम्रपत्र में देवविहार
स्थित्या भुजत् कृगत् कर्वयत् वाक्य प्रयुक्त है । कर्वयत् शब्द से हूल जोतने का तात्पर्य है ।
राजपुताना के एक लेख में ऐसा वर्णन आया है कि राजा ने ब्राह्मणों से कृषि-कर्म त्यागने की
प्रार्थना की और वेदाध्ययन में समय ब्यतीत करने का आग्रह किया ।

यो विप्रान मितान् हृलि कलयत् काश्येन वृत्तेरल वेद सागम पाठयत् कलिगल ग्रस्ते धात्रीतले
(ए० इ० २१ पृ २७८-८२) इसका कारण यह हो सकता है कि स्मृतिकार पराशर ने
आपत्थर्म में कृषि के लिए आदेश दिया है—पट्टकर्म भिरतो विप्र कृषिकर्म च कारयेत् । स्यात्
मध्य युग में ब्राह्मणों को षट्कर्म के अतिरिक्त अन्य साधन का अवलम्बन करना आवश्यक हो
गया था ।

ईसकी सन् की सातवी सदी के पश्चात् उत्तर पश्चिम से इस्लाम आक्रमण के कारण
मध्यदेश (गंगा यमुना घाटी) में ब्राह्मणों का निवास कष्टकर हो गया और अनेक विभिन्न
स्थानों को चले गए । ब्राह्मणों का देशान्तर गमन मध्ययुग की विशेष घटना है
ब्राह्मणों का जिसका वर्णन केवल प्रशस्तियों में ही पाया जाता है । स्मृतियों में इसका वर्णन
देशान्तर गमन नहीं है । मध्यदेश के ब्राह्मणों को सर्वत्र समादर मिला और राजाओं ने दान
देकर उन्हें निवास के लिए आग्रह किया । बंगाल के पाल राजाओं ने बागुन्तक

ब्राह्मणों को दान दिया जिसका उल्लेख बदल स्तम्भ तथा आमागङ्गी लेखों में है (ए० इ० २ पृ० १८०, इ० ए० १४ पृ० १६६, २१ पृ० ९७) लक्षणसेन के सात लेखों में देशान्तर गमन करने वाले ब्राह्मणों को दान देने का विवरण उपलब्ध है (वैरकपुर नईहटी, गोविन्दपुर, तर-पंडोही, अनुलिया, मध्यनगर, सुन्दरवन आदि) अधिकतर बगाल के लेखों में “मध्यदेश विनिर्गत” (मध्यदेश से देशान्तर गमन) वाक्य का उल्लेख है । बनगाँव (सहरसा, बिहार) के लेख में छादोग्य शाखा ब्रह्मचारी को दान देने का वर्णन है जो कान्यकुञ्ज से आया था । विश्वहपाल के लेख में तो कोलच्छ (कल्पीज) से बगाल में जाने वाले (देशान्तर गामी) ब्राह्मणों का वर्णन है (ए. इ. २९ पृ० ५६) तथा महीपाल के लेख में हस्तिपाद (मध्यदेश) ग्राम का नामोल्लेख है जहाँ से ब्राह्मण बगाल गए । परमार राजा द्वितीय वाक्पति के प्रशस्ति में छब्बीस ब्राह्मण के नाम मिलते हैं जो विभिन्न स्थानों से आकर मालवा में बस गए थे । उन स्थानों में मध्यदेश (सम्भवत कन्नौज) तथा मध्यवर्ती (देवरिया, उत्तर प्रदेश) के नाम प्रमुख हैं । कान्यकुञ्ज तथा सरयूपार में ब्राह्मणों ने मालवा में शरण ली, वहां बस गए और दानयाही के रूप में प्रतिष्ठित रहे । १० वीं सदी में बगाल के अतिरिक्त मालवा में ब्राह्मणों का गमन जीविका के लिए हुआ । छठीं सदा के पश्चात् उत्तरी भारत में कन्नौज प्राचीन पाटलिपुत्र का स्थान ग्रहण कर नुका था जिसके विजय निमित्त शासकण युद्ध करते रहे । वहां के निवासी ब्राह्मणों को भी उस स्थान का गर्व था और जहां भी देशान्तर गमन किया, वहाँ के लेख में “मध्यदेश विनिर्गत ब्राह्मण” के नाम से विश्वात रहे । विद्वानों का विश्वास है कि कान्यकुञ्ज ब्राह्मणों ने ही बगाल में ‘कुलीन प्रथा’ का आरम्भ किया ।

दधिण भारत में आर्य देश या मध्यदेश से ब्राह्मणों के जाने की वार्ता वर्णित है (सा० इ० इ० भा० २ म० २०) प्रथमराजेन्द्र चौल ने इस प्रकार देशान्तर से गमन करने वाले तंजीर मंदिर के पुजारियों को पर्याप्त दान दिया था ।

गुप्त युग में पूर्व अभिलेखों में विभिन्न जातियों के नाम प्राय नहीं मिलते । स्कन्द गुप्त के इन्दौर वाले लेख में दों क्षत्रिय व्यक्तियों के नाम-अचलवर्म तथा अकुष्ठसिंह दान के प्रसंग में मिलते हैं । मातवी सदी में शासन सम्बन्धी अभिलेखों में क्षत्रिय का नाम क्षत्रिय आता है जो गजनीतिक परिस्थिति के कारण समाज में अग्रणी हो गए थे और ग्रामीणों को भी उनके आदानानुसार कार्य करना पड़ता था । अलंकरणी के कथानुसार धारियों को भी ब्राह्मण के सदृश मृत्युदण्ड नहीं दिया जाता था । पूर्व मध्य युग में क्षत्रियों के लिए ‘राजपूत’ शब्द का प्रयोग मिलता है और उनके निवास भूमि को राजपूताना कहा गया । बैगाल के लिए में वर्णन मिलता है कि शासक राजपूत (राजपूत) वंश में उत्पन्न हुए थे (ए० इ० १८ पृ० १५९, इ० ए० भा० १५ पृ० ३०८) ऐसा वर्णन प्राय उत्तरी भारत के मध्यी गजवंशों के लिए में पाया जाता है । प्रशस्तियों में वर्णित पदाधिकारियों की सूची में युवराज राजपूत कहा गया है यानी वह क्षत्रिय जाति का वंशज था (सोढदेव का कलहा तायपत्र-ए० इ० ७ पृ० ८५) राजपूत का उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा और कुछ विद्वानों ने यह विचार प्रस्तुत किया कि राजपूत प्राचीन क्षत्रिय के वंशज नहीं हैं । राजपूतों को अग्निकूल से उत्पन्न बतलाया जाता है । राजपूत नरेशों के अभिलेखों का वर्ध्यन मिछू करता है कि वे सभी प्राचीन क्षत्रिय वर्ण के वंशज हैं ।

इस युग में राजपूत दो उपविभाग में विभक्त हो गए। (१) शासक (२) साधारण क्षत्रिय वर्ग। शासकों को थेणी में कुछ विदेशी भी सम्मिलित हो गए थे। जिनका बैवाहिक सम्बन्ध राजघराने में होने लगा था। कलचुरी लेख (ए० इ० २ प० ४) में वर्णन आता है कि हण राजकुमारी अवलदेवी का विवाह चेदि राजा कर्ण से हुआ। इही कारणों से समाज में विदेशी हृण का आदर होने लगा। भेवाड के (१५३ ई०) एक लेख में मंदिर प्रवन्ध समिति का हण सरदार भी सदस्य था और ऊचे वर्ग में समादार पाता था (इ० ए० ५८ प० १६१) साधारण थेणी के राजपूत मैनिक का कार्य करते थे। चंदेल शासक की ओर से युद्ध में मारे जाने पर मैनिक के परिवार को वृत्ति (मृत्युक-वृत्ति) दी गई थी। वर्णन निम्न प्रकार है—तुरुषक युद्धमृत पाये पुत्राय सामन्त नामे प्रसादेन मृत्युक वृत्ति शासन कृत्वा प्रदत्त ईति (ए० इ० १६ प० २७५) दलिण भारत में इस वृत्ति को नेतर गोडगे (खून का दान) कहा गया है। चंदेल तथा गहडवाल लेखों में इस प्रकार की अनेक वृत्ति का विवरण पाया जाता है। (इ० ए० १८ प० १३५) चंदेल नरेश परमदि ने मैनिकों को बहादुरी के लिए 'बीरमुख' की उपाधि दी थी और तगमा (राजपृथु) भी दिया गया (ए० इ० ४ प० १३१, भा० २ प० ३४४ भा० १ प० ३३३)।

राजकीय अभिलेखों के अध्ययन से प्रकट होता है कि उस शमय (७००-१२०० ई० तक) राजकुमार को कुञ्जल शासक बनने के निमित्त समुचित ढग से शिक्षा दी जाती थी जिसका आभास राजाओं के शास्त्रीय गुणों से होता है। मालवा के चहमान लेख में निम्न प्रकार का वर्णन आता है—

वक्तुत्वो च कवित्वं तर्कं कलनं प्रज्ञात शास्त्रागमः
श्री मद्वाकपति राजदेव इति यः सन्दिग्धं सदा कीर्त्यते ।

(ए० इ० १ प० २३५)

प्रतिहार लेख में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है—

व्याकरणं तत्कों ज्योतिशास्त्रं कलाचित्
सर्वं भाषा कवित्वं च विज्ञानं सुविलक्षणम् ।

(ए० इ० १८ प० ९६)

इस प्रकार के उल्लेख कई स्थानों में मिलते हैं। तात्पर्य यह है कि समाज में क्षत्रिय वर्ग को शिक्षा तथा शासन के कारण आदर या। वही शासक तथा समाज के रक्षक थे।

स्मृतिकारों के कथनानुसार वैश्य का द्विज में तीसरा स्थान या जिनका कार्य क्रृपि तथा पशु पालन बतलाया गया है (वाणिज्य कर्षणं चैव गवा च परिपालनम्-अत्रिति) गृह युग के पश्चात् भारतीय लेखों में दान के प्रसंग में कृषि, कर, पशु, व्यापारिक चुगी आदि का वर्णन आया है। अग्रहार भूमि में बाजार आदि की चुगी दानग्राही को ही मिलती थी। 'वैषिक' शब्द का ही प्रयोग वैश्य वर्ग के लिए प्रायः सर्वत्र लेखों में किया गया है। कुम्भकार, ताम्बूलिक, स्वर्णकार (हैमकार) माली आदि के नाम मिलते हैं। सुनार लेख अकित करता तथा माली पृष्ठ माला देवगृह में अपित करता था। तमोली तथा तेली (तेलिक थेणी) कर देते समय क्रमशः पूजा की सामग्री-पान या दीप के लिए तेल दिया करते थे। सियादोनी लेख में इन सभी प्रकार के वैषिक लोगों

के नाम मिलते हैं। (ए० इ० १ प० १७५, भा० १९ प० ५७, भा० १८ प० ९७, भा० १ प० १६०) व्यापार के अनुसार वणिक श्रेणियों में विभाजित थे। स्थानीय व्यापारी (वणिक) घोड़े या बैल के पीठ पर समान बाजार में ले जाता। किराना के व्यापारी का भी उल्लेख मिलता है (ए० इ० ११ प० ४३) विदेश जाने वाले वणिक को 'साथेवाह, कहा गया है वही कारवा ले चला करते थे (उभयामीव समायात सार्व उष्ट॑ १० दृष्ट॑ २० उभयार्द्धप उर्ध्व सार्व प्रति-० इ० ११ प० ६०)

अभिलेखों में तेल के कारखाना (मिल) चलाने वाले वणिक वर्ग का उल्लेख है। उनका उद्योग घड़े पैमाने पर चलता था। दान के प्रसंग में वर्णन आता है कि रथयात्रा के समय कारखाने से पृजा निमित्त द्रव्य दिया जाता और प्रत्येक मिल (घाणक) में दीपार्थ तेल अवित किया जाता था (ए० इ० १ प० १७७, भा० ११ प० ४२)

वैश्य वर्ग को व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धों 'कर' देना पड़ता था। 'कर' को सीमा सामग्री या तोड़ पर निश्चित की जाती थी। मिकाका, दो सिकरा या अधिक द्रव्य विभिन्न सामग्री तथा उनकी तोल पर बमूल बिया जाता। उनका वर्णन परमार चामृष्ट गध के लघ (ए० इ० २१ प० ४८) तथा चहमान अभिलेख (ग० इ० भा० ११ प० ४३) में मिलता है। इस प्रकार वणिक जाति व्यापार से जीविकोपार्जन करती थी। लेखों में आवागमन के साधनों में बैलगाड़ी, ऊट, घोड़ा तथा नाव के नाम उल्लिखित हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन भारतीय अभिलेखों के परिशेषों में वणिक, व्यापार-सामग्री, टैक्स, आवागमन के साधन आदि सम्बन्धित विषयों पर प्रकाश पड़ता है। सबसे विचित्र बात यह है कि वणिक वर्ग का समूह (जिसे श्रेणी कहते थे) बैक का भी कार्य करता था (नामिक के लेख)। गमाज में दान देने के कारण वणिक वर्ग का आदर था। वे मदिर-प्रबन्ध-समिति या जिला शामन-मंसित के सदस्य चुन लिए जाते थे जो उनके आदर का दोतक हैं। उनके समूह (श्रेणी) पर जनता का इतना अधिक विश्वास था कि सर्व साधारण घन श्रेणी-बैक में जमा करते रहे अथवा दान का घन बैक में जमा रहता जिसकी सूद से पूजा का कार्य सम्पन्न किया जाता था।

पूर्वमध्यकालीन अभिलेखों के अध्ययन से भारतीय समाज में 'कायस्थ' नामक जाति की स्थिति रासायनिक होता है जिसका नाम चारों वर्णों में नहीं मिलता (चत्वारो वर्णा वात्प्राणक्षिय विट्ग्रामा) वर्षंशास्त्र तथा पूर्व के लेखों में कायस्थ कायस्थ एक लेखक के हृष में वर्णित है (कायस्थगणका लेखकाइच-मिताशरा याज्ञ० १।३३५)। प्राय प्रशस्ति के अन्त में 'कायस्थेन लिखित' वाक्य का प्रयोग मिलता है। गुप्तकालीन दामोदर पुर ताप्रपत्रों में प्रथम कायस्थ अथवा ज्येष्ठ कायस्थ का नाम आता है (ए० इ० १५) जिसे श्रो राखाल दास बेनर्जी लेखक समझते हैं (दि प्रज आफ इम्प्रीरियल गुप्त प० ८०)। नात्पर्य यह है कि गुप्त पूर्व लेखों में कायस्थ से किसी जाति विशेष का बोध नहीं होता पर लखकों के समूह को कायस्थ वर्ग मानते रहे। कालान्तर में वह जाति के हृष में परिणित हो गया। राजपूत लेखों में भी 'कायस्थ' लेखक के लिए प्रयुक्त है। गहराकाल प्रशस्ति में निम्न उल्लेख है—श्रोमद् गोविन्द चन्द्रस्य भूपते-राज्यालिखित ताप्रमेतत् सुरादित्य. कायस्थ सर्वशास्त्रवित् (सहेतमहेत् लेख-ए० इ० ११ प० २५) परन्तु मध्यकालीन (चन्देल, चंद तथा चहमान) प्रशस्तियों में "कायस्थ जातीय"

(ए० इ० ११ प० ५३) का भी उल्लेख है। बंगाल से गोड़ कायस्थ का अधिक वर्णन मिलता है जो प्रशस्ति लिखने में दक्ष थे और सुन्दर अक्षर लिखने के कारण मध्यप्रदेश तथा राजपूताना में नियमित किए जाते थे। (लिखिता रुचिराक्षरा गीडेन ए० इ० भा १ प० १४७) चेदि केव (ए० इ० १ प० ३६) तथा चहमान अभिलेखों में (ए० इ० ११ प० ३२, इ० ए० ५९ प० १६२) 'गोड़ कायस्थ' का उल्लेख है [लिखितं श्री गोडान्वय कायस्थ] चन्देल राजा परमदि के लेख का रोचक वर्णन सुनिए—

विरचित शुभकर्माताम् कायस्थवंश

शकल गुण गुणाना वेशम् पृथ्वीघरास्य

अलबदवनि पालस्याज्ञया धर्मलेखी

स्फुट लक्षित निवेशैरकरैस्ताघपट्टम् (ए० इ० १४प० १४)

खजुराहो की प्रशस्ति में प्रकट होता है कि कायस्थ 'करण' या करणिक नाम से भी पुकारे जाते थे।

सम्मुतभापाविदुपा जयगुण एवत्रेण

कीतुका लिखिता रुचिराक्षरा

प्रशरित करणिक जदेन गीडेन (ए० इ० १ प० १२९)

मात्रों सदी से समाज में कायस्थ समूह को एक जाति के रूप में स्थित पाते हैं। प्रशस्तियों में कायस्थ जातीय, गोड़ कायस्थ वश या गोडान्वय कायस्थ आदि उल्लेखों में उपर्युक्त कथन को पुष्ट होता है। कायस्थ जाति की शाखाएं स्थान विशेष से प्रसिद्ध हैं। मधुग के कायस्थ माधुर कहलाए (मधुरा पुरी विनिर्गत कायस्थ या माधुरान्वय कायस्थ) (ए० इ० १९ प० ५०, भा० ११ प० ५७) गोडाकायस्थ के विषय में ऊपर कहा जा चुका है। तीसरा उपर्युक्त विभाग धीवास्तव का है जो सम्भवत आवस्ती (गोडा जिला, उत्तर प्रदेश) के निवासी थे। यो तो उमका भाव लक्ष्मी (श्री) का निवास हो सकता है परं इसमें स्थान का तात्पर्य नहीं निकलता और शाखाएं स्थान के नाम में ही विवरण थीं (ए० इ० ४ प० ३ व १०४ व १५३, भा० १९ प० २१०)

वर्ण व्यवस्था में शूद्र को अतिम स्थान दिया गया है। शूद्र का घर्मं द्विजाति मात्र की सेवा थी। (शूद्र घर्मो द्विजाते शुशुपामिता) महाभारत (शा० प० १९४, ४) के वर्णन में शूद्र की उन्नत परिस्थिति का आभास मिलता है और मेवावृत्ति न मिलने पर वैश्य के सदृश व्यापार में जो वेकोवार्जन की आज्ञा उन्हें दी गई है।

वाणिज्य पशुपाल्य च तथा शिल्पोपजीवनम्

शूद्रस्यापि विधीयते यथा वृत्तिर्न जायते ।

वर्मशान्त्र तथा स्मृतियों में जिस विस्तार के साथ शूद्र (जाति के विषय में) की वर्चा को गई है, वह दृग अभिलेखों में नहीं मिलता। अयोध के लेखों में शूद्र (दास) के साथ समुचित व्यवहार (दस भटकसि सम्य परिपरि-९ वा लेख) करने का आदेश दिया गया है। कालान्तर में स्थान विशेष पर शूद्र का उल्लेख है परन्तु किसी विशेष बात का वर्णन नहीं है। दान-पत्रों में पदार्थकारियों के साथ "ब्राह्मण चाण्डाल पर्यन्तान" वाक्य का अविकर उल्लंघन है जिससे

प्रकट होता है कि शूद्र चाण्डाल से पृथक जाति थी। चारों वर्णों के लोग एक साथ नहीं रहते थे। उस समय शूद्र अस्पृश्य नहीं थे और वर्तमान काल को तरह उनकी हीन अवस्था नहीं थी।

पूर्वमध्यकाल (७००-१२०० ई०) की प्रशस्तियों में चाण्डाल का बहुधा उल्लेख आता है। पालवशी पत्र में निम्न वर्णन आया है—

(१) प्रिनिवासिनो ब्राह्मणोत्तरान् चाण्डाल पर्यन्तान् (भागलपुर लेख-इ० ए० १५ पृ० ३०९)

(२) भेद चाण्डाल पर्यन्ता (महीपाल का बानगढ़ लेख-ए० इ० १४ पृ० ३२७)

(३) महत्तर कुटुम्बी प्ररोग मेदान्वक चाण्डाल पर्यन्तान् समाजापयति (मृगेर लेख-इ० ए० २१ पृ० २५६)

स्मृति ग्रन्थों के आधार पर चाण्डाल, प्रतिलोम विवाह को, संतान कहा गया है और अस्पृश्य समझा जाता था [ब्राह्मणा शूद्र जनित चाण्डालों वर्म वजित] मुसलमान लेखक अलबेहनी ने कार्य के अनुसार कई प्रकार के अन्त्यज (अस्पृश्य) का नाम दिया है। चाण्डाल सबसे नीच समझा गया और अगिरस (४, ५) के कथनानुसार शूद्र को भी चाण्डाल के पात्र में जल पीने पर प्रायविचित करना पड़ता था।

चाण्डाल (अन्त्यज) के अतिरिक्त कई लेखों में जगली जाति का भी वर्णन मिलता है जिसमें शासक का भी भय था। कलचुरि लेख में 'धीर' नामक जाति (ए० इ० १९ पृ० २१०) महाप्राह कही गई है। बल्लाल सेन के लेख में भिन्न, शवर पुलिद के नाम आते हैं (ए० इ० भा० १ पृ० ३३४)। ये जातिया जंगल में निवास करती थी। राजाजा के विरोध करने पर कुचल दी जाती थी ताकि समाज में शाति बनी रहे। उ वो सदों के पश्चात भारतीय लेखों में मुसलमानों के लिए 'म्लेच्छ' शब्द प्रयुक्त है। चहमान लेखों में इस शब्द का अधिक उल्लेख है। गहडवाल वश के अभिलेख हम्मोर शब्द का प्रयोग करते हैं जो मुसलमान गजकुमार के लिए प्रयुक्त होता रहा। विजयचन्द्र के कम्पोली ताष्ठपत्र में 'भूवन-दलन-हैला हर्म-हम्मीरनारी' वाक्य उल्लिखित है। यह मुसलमान के संदर्भ में प्रयुक्त है।

जब उत्तरी भारत में ईस्लाम आक्रमण तीव्र था उम समय (१०-१२ वीं सदी) के लेखों में हिन्दू नरेण के साथ उनके युद्ध का विवरण मिलता है। उसी प्रसंग में म्लेच्छ या हम्मोर शब्दों का प्रयोग किया गया है। [ब्वालियर प्रशास्ति ए० इ० भा० १८ पृ० १०७, इ० ए० १८ पृ० १६ ए० इ० भा० ४ पृ० ११०, इ० ए० ४१ पृ० १९] सिक्को के मुद्रालेख भी इसकी पुष्टि करते हैं। कई सिक्कों पर 'श्री हम्म वीर' खुदा है। अमोर शब्द हम्मोर का अपभ्रंश है जो अक्षगान सुन्तान के लिए प्रयुक्त होता है। तोसरा शब्द-नुरुक भी लेखों में उल्लिखित है जो मुसलमान जाति के लिए प्रयुक्त किया गया था। गहडवाल लेख इस शब्द से भरे पड़े हैं (ए० इ० ९ पृ० ३२९; इ० हिं० व्वां० २३ पृ० ४०६, ए० इ० ८ पृ० २९५, भा० १३ पृ० २९७) इस तरह अभिलेखों के सहारे चारों वर्णों के अतिरिक्त अन्त्यज, जगली जाति तथा मुसलमानों के उत्तरी प्रदेशों में निवास करने की बातें ज्ञात हो जाती हैं।

भारतीय आश्रम संस्था के अनुसार मनुष्य का जीवन चार भागों में विभक्त है—ब्रह्मचर्य,

गृहस्थ, बानप्रस्थ तथा सन्यास। अत्यन्त प्राचीन समय में इन चार आश्रमों का क्रम लोगों को जात न था। यति तथा साधु समाज में वर्तमान थे परन्तु उन्हें आश्रम संस्था सन्यासी कहना उचित न होगा। तपस्या की भावना सम्भवत, लोगों को अज्ञात थी। ब्राह्मण ग्रन्थों में भस्म लगाए साधु का वर्णन मिलता है। उपनिषद् (बृहदारण्यक) में मोक्ष प्राप्ति के लिए गृह त्यागने की चर्चा की गई है। छादोग्य में ब्रह्मचारी, गृहस्थ तथा सन्यासी की बातें मिलती हैं। सर्वप्रथम सूत्रग्रन्थों में चार आश्रमों का नामोल्लेख है तथा मनुस्मृति में (अध्याय ६) वही क्रम पाया जाता है।

अशोक ने लेखों में—“ब्राह्मण श्रमणाना दासन” ब्राह्मण तथा साधु के दर्शन करने की बातें कही हैं। बुद्धधर्म में वणश्रम संस्था के लिए कोई स्थान न था। छोटा बालक भी सीधे भिसू हो जाता था। इस प्रथा को रोकने के लिए भारतीय समाज ने प्रयत्न किया और प्रत्येक आश्रम के पालन करने के महत्व को बतलाया। गुप्तयुग तक समाज में दृढ़ था कि कीनसा आदर्श माना जाय। परन्तु गुप्तकाल के पश्चात् आश्रम ने समाज में घर बना लिया तथा लेखों में अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा मिलती है। कर्णदेव चेदि के गोरहा ताम्रपत्र में चारों आश्रम का उल्लेख निम्न पंक्तियों में किया गया है—

नीतेपु प्रमदा वियोद विधिना, प्राणु ब्रह्मावारि ब्रत
साद्वं वन्धुतया गृहस्थ पदवी कारागृहस्थापनात्
बानप्रस्थ पद वनाश्रम वशात् भैशाच्चविनिश्चो निधितः

(ए० इ० ११ प० १८४)

कन्नोज के राजा भोजदेव (आठवीं सदी) के लेख में आशवलायन शास्त्र के विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) का नाम मिलता है (ए० इ० ५ प० २१२)। उसी तरह रटलाम ताम्रपत्र में वाजसनेय शास्त्र के ब्रह्मचारी को ग्राम-दान का उल्लेख है (आ० सा० रि० १९०२-३ प० २३७) चहमान लेख में आजन्म ब्रह्मचारी का वर्णन मुनिएः—

आजन्म ब्रह्मचारा दिग्मल वसन् गयतात्मा तपस्त्री

(ए० इ० २ प० १२३)

देवपाल की प्रशस्ति में सामवेद के अध्ययन करने वाला ब्रह्मचारी हरिश्वर नाम से उल्लिङ्गित है (हरिश्वर ब्रह्मचारी सामवेदिन—ए० इ० १५ प० २९८)।

ब्रह्मचारी विद्या समाप्त कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था—इस प्रकार का वर्णन लेखों में आया है (गृहाश्रामा वासि परो गृहिण्या —ज० ए० सो० ब० १८९७ प० २९२, गृहाश्रम पेस्तु —ए० इ० २ प० १६२)। गहड़बाल वंशी लेखों में हांग तथा तर्पण का अधिक वर्णन आया है जिसे गृहस्थ सम्पन्न किया करते थे (ए० इ० ४ प० १५८, भा० १३ प० २९१) दूसरे शब्दों में यह भी उल्लेख है कि परिपक्व अवस्था में राजा घर छोड़ कर जगल चला जाता था। यानी गृहस्थाश्रम के पश्चात् बानप्रस्थ में प्रवेश करता था, ताकि तपस्था कर मोक्ष की प्राप्ति कर सके।

वर्णन है कि गुर्जर प्रतिहार नरेश तात संसार को चल तथा नाशवान समझकर छोटे आता भोज को राज्य संभाल कर जगल चला गया और धार्मिक जीवन व्यनीत किया (ए० इ० १८ प० ९६—मण्डव्यस्य आश्रमे पुण्ये नदी निर्भर शोभिते) उसी प्रशस्ति में भिलादित्य

नामक नरेश का उल्लेख है जिसने पुत्र को गही देकर गया के किनारे तपस्या आश्रम की ओर अत में सद्गति प्राप्त की ।

भिलादित्य तपोमति । येना राज्य कृतयेन

पुन पुत्राय दत्तवान् । गंगाद्वारे ततोगत्वा

वर्षण्यष्टाददावित । अन्ते च अनशन कृत्वा

स्वर्गलोक समाप्तः (१० इ० १८ पृ० १५)

पाल नरेश विष्णुपाल ने भी ऐसा ही किया था और अपने पुत्र नारायणपाल को सिंहासन का भार देकर स्वयं तपस्वी बन गया (भागलगुरु ताम्रग्रन्थ १० ए० १५) सेन-शासक सामन्तसेन (१०५०-१०५७ ई०) ने बृद्ध होकर बानप्रस्थ आश्रम को अपनाया था तथा गंगा के किनारे जगल में रहने लगा (ए० इ० १ पृ० ३०८) जयपालदेव की प्रशस्ति में व्यक्ति के आयु का भी उल्लेख मिलता है कि पचास की आयु के पश्चात् राजा तपस्या करने जगल में चला गया । इस प्रकार आश्रमों के अवधि का परिचान होता है कि अद्वैतवर्य २५ वर्ष, गृहस्थ २१ वर्ष (जिसके पश्चात् बानप्रस्थ) तथा बानप्रस्थ में भी २५ वर्ष व्यक्ति करना पड़ता था । अनेक प्रशस्तियों द्वारा स्मृति सन्ध्यों में वर्णित आश्रमों की सम्पूर्ण होनी है ।

अभिलेखों का अध्ययन यह बतलाता है कि साधु बौद्ध भिलाश्री की तरह जीवन व्यतीत सन्ध्यासी एवं करते थे । सन्ध्यावी के लिए “कोपिनमात्र वसन तथा मितभिक्षा मठाधीश भोजी” को बातें उल्लिखित हैं तथा उनके योग तद का भी चर्चा मिलती है ।

योग तप कर्म रतो नित्य कर्म सन्ध्यासि (ए० इ० १८ पृ० २१०)

आठवीं मदी के पश्चात् उत्तरी भारत में बौद्ध विहारों के सद्गुण सन्ध्यामों के लिए मठ पर्वतों को स्वोदकर बनने लगे । इन्होंने तथा ग्लेकटा को गुकाएँ उत्तरी विहारों के अनुकरण पर तेयार की गई थी । हिन्दू सन्ध्यामी परिव्राजक भी कहे जाते थे तथा अधिकतर शब्द के पुजारी होते थे । शिव को आदर्श योगी मानते हैं इसलिए उनमें पूजा विनाई थी । दानपत्रों में शिव मन्दिर तथा मठ के लिए दान का वर्णन मिलता है जहा सन्ध्यासी रहा करते थे । कलचुरी राजदेव (१२ वीं मदी) ने इस प्रकार का मठ तैयार किया था (ए० इ० ११ पृ० २६५, २१ पृ० १४८) अभिलेखों में मठ तैयार कर साधु को समर्पित करने का भी विवरण पाया जाता है (ए० इ० १ पृ० २५९, गजपुतना सग्रहालय लेख—१९२२-२३ पृ० २) उत्तरी भारत के लम्बों में अनेक रथलों पर मठ निर्माण तथा परिव्राजक का दान देने का वर्णन मिलता है । कालान्तर में साधु मठाधीश बन गए, यही कारण है कि मध्यकालीन लेखों में परिव्राजक नृति का उल्लेख किया गया है । (ए० इ० २१ पृ० १२६) । मठाधीश के पास अधिक सम्पत्ति ही जाती थीं पर दान की सम्पत्ति बेचने का अधिकार न था । कलचुरी लेख में योग-साधु को समर्पित का वर्णन रखने का पता चलता है (आ० स० १० ए० रि० १९३५-३६ पृ० ५१) उठी मदी के पश्चात् व्यक्ति से अधिक सामाजिक सम्पत्तियों (जैग मन्दिर, मठ, विद्यालय) का दान देने का विवरण लेखों में मिलता है । वह दान विशेष कार्य के लिए दिया जाता था । कालान्तर में मठ का मुख्य साधु, अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए मठाधीश हो गया और सारी सम्पत्ति का स्वामी बन बैठा । इसी रूप से सन्ध्यासी मठाधीश बनकर शासक की तरह प्रबंधक हो गए ।

अभिलेखों के विश्लेषणात्मक अध्ययन में एक विचित्र घटना का परिज्ञान होता है जिसका उल्लेख केवल पूर्वमध्ययुग के लेखों में ही पाया गया है। यो तो जीवन दर्शन मोक्ष-वलिदान करने के उपाय प्रतीकारनी पड़ती है। ७००-१२०० ई० के लेखों में स्वर्ग प्राप्ति के लिए अनेक उपायों का वर्णन मिलता है। पुराणों में अग्नि में जलना, विष पीलना, जल में डूब जाना तथा अनशन करना आदि उपायों में धार्मिक हत्या करने का आदेश दिया गया है (इस आत्म हत्या से पाप नहीं होता था) उन बालदान के मार्गों का इस युग में अक्षरश पालन किया गया। मध्यप्रदेश के शेरा तास्त्रव में उल्लेख आता है कि कलचुरि नरेश गामेयदेव अपनी सी पत्नियों के साथ अग्नि में जल मरा। उल्लेख निम्न प्रकार है—

प्राप्ते प्रयाग वद्मत् निवेश वन्नी

सार्व शतेन गृहिणाभिरमुच्च मृक्तिम् (ए० इ० २ प० ४)

ऐसा उदाहरण तृनीय कुमारगुप्त के सम्बन्ध में मिलता है—अग्निसीव करीवान्मूर्मन स पुष्प पौजन—(का० इ० ५० ३ प० ८२) मध्ययुग के चन्द्रेल राजा धग ने भा प्रयाग जाकर अग्नि में जलकर बलिदान किया था (ए० इ० १ प० १८०)। अभिलेखों में अनशन करने की भी चर्चा है। प्रतिहार राजा भिलादित्य ने अनशन गे शरीर त्यागा था (अन्ते व अनशन कृत्वा स्वर्ग लाक समाप्त ए० इ० १८ प० ९६८) चेदिवश के लेख में ऐसा ही विवरण पाया जाता है (ए०इ० २२ प० १६५) आसाम के एक लेख में निम्न पंक्ति मिलती है—

अनशन विविना वीरस्तेजसि माहेश्वरे लीन

(नौगंग ताप्त्रपत्र - ज० ए० म०० व० १८९७ प० २९०)

हिंगुओं के अतिरिक्त जैन साधु भी अनशन में बलिदान दिया करते थे (ए० इ० २० प० ९८)। इस तरह धार्मिक धग ने आत्म बलिदान करने को किया उत्तरी भारत में प्रचलित थी। काश्मीर में तो अनशन का प्रबन्धक पदाधिकारी नियुक्त था जो 'प्रायोपवेश' कहलाता था। इस धग से तपस्या कर वह व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता था।

राजपुताने के लेख में एक नां उपाय का संकेत मिलता है जिसे 'कायद्रत' कहते हैं। इस वार्य से यानी उपवास करता हुआ ब्राह्मण राजा का अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वाध्य करता था। चहमान लेख में इस शब्द का प्रयोग धार्मिक विचार के अंतरिक्ष सासारिक लाभ (अर्थ) के लिए किया गया है। अतएव 'कायद्रत' को बलिदान के आदर्श श्रेणी में नहीं रख सकते।

अस्माक मध्यान् कोपि नादाणो निगमते पेट पृष्ठ

दर्शयति गृह्यमाणस्तु 'कायद्रत' कृत्वा मृप्ते

(ए० इ० १८ प० ४०)

दक्षिण भारत में दृष्ट युग में राजा के चिता पर दरबारी के बलिदान का भी उल्लेख है। उसे 'मामखाम' कहते थे। जितने उच्च पदाधिकारी राजा के साथ भोजन (पका चावल) करते थे उन सभी को राजा के चिता पर जलना पड़ता था (दक्षिण भारत के शिलालेख १९२९-

३० न० २६७, १९३४-३५ न० १२२५) इसलिए संखेप में यह कहना उचित होगा कि धार्मिक भावना से बलिदान (आत्म-हत्या) करने का प्रबलन सर्वत्र था ।

प्राचीन भारतीय अभिलेखों के स्वरूप को जानते हुए उनके अध्ययन से संस्कार सम्बन्धी चर्चा की आवश्यकता की जा सकती किन्तु दान के प्रकरण में कुछ संस्कार के नाम मिलते हैं । मनुष्य जीवन में पौदश संस्कार सम्पन्न किए जाते हैं ।

सामाजिक संस्कार यह पूर्व लेखों में तो कोई प्रसग ही नहीं आता जब संस्कार के सम्बन्ध में दो चार बातें कही जाय । सातवीं सदी के पश्चात जातकर्म, नामकर्म, विवाह तथा श्राद्ध का उल्लेख मिलता है । गहड़वाल राजा यज्ञचन्द्र ने अपने पुत्र हरिश्चन्द्र के जन्म (जातकर्म) तथा नामकरण के अवसर पर दान दिया था (ए० ३० ४ प० १२६, इ० ए० १८ प० १२९) जो कमोली ताम्रपत्रों में उल्लिखित है । विवाह तथा श्राद्ध के विषय में सीधा वरण नहीं मिलता । कलचुरी प्रशस्तियों में कर्णदेव द्वारा गार्गेयदेव के श्राद्ध करने का विवरण पाया जाता है—

(१) समग्र अद्यया शाद्व विधाय (ए० ३० २ प० ३१०)

(२) सम्बद्धत्सर्गिकपार्वण शाद्व (ए० ३० ४ प० १०५)

विवाह के विषय में अभिलेखों को चर्चा नहीं के बराबर है । उत्तर भारत के लेखों में विवाहिता स्त्री के लिए तीन नामों का उल्लेख आता है—भार्या, गृहिणी तथा पत्नी ।

(अ) हे भार्ये (ए० ३० २९ प० ५४)

(च) सार्धशतेन गृहिणा (ए० ३० १२ प० २०५)

(स) विप्र श्री हरिश्चन्द्राद्य तत्त्वी भद्रा च धत्रिया (ए० ३० १८ प० ९५) इसके अतिरिक्त नियंत्रा लेख में पाराशव पुत्र का नाम आता है जिससे पता चलता है कि विवाह के अतिरिक्त अनुलोम प्रथा भी प्रवर्तित थी [ए० ३० १५ प० ३०५] अनुलोम प्रथा (ब्राह्मण वर तथा अन्य वर्ण को कन्या) का प्रचलन के कारण ही ब्राह्मण हरिश्चन्द्र ने धत्रिय कन्या से विवाह किया था (तेन श्री हरिश्चन्द्रेण परिणीता द्विज आत्मजा, धत्रिया धत्रिया ए० ३० १८ प० ६५) चेदिराजा यश कर्ण ने हृणराजुमुमारी से विवाह किया (ए० ३० २ प० ८) । इन तरह के अन्तर्जालीय विवाह के उदाहरण लेखों में भरे पड़े हैं । मुसलमान लेखों—इन्वं खुर्दवा तथा अलवंस्तु ने भी अन्तर्जालीय विवाह की चर्चा की है ।

अभिलेखों के परिशोलन से यह प्रकट होता है कि साधारण जनता में एक साथ अनेक विवाह करने का प्रचलन न था । केवल राजशराने में बहु पत्नी व्रत का उल्लेख पाया जाता है । प्रतिवाहर वश के जोधपुर प्रशस्ति में उल्लेख है कि आदि पुरुष बहु पत्नी व्रत हरिश्चन्द्र की दो पत्नियाँ थीं । (ए० ३० १८ प० ६५) उसी के वैष्णव महेन्द्र पाल ने एक साथ दो स्त्रियों से विवाह किया था । (ए० ३० १८ प० १७६) परमार प्रशस्ति में जयदेव उदया दित्य के सम्बन्ध में उल्लेख है कि राजा ने गोलकी तथा बघेल वशी राज कुमारियों से शादी की थी (ए० ३० २२ प० ५६ हे भार्यो) चन्द्रेल लेख में मदन वर्मन तथा देवगण के लिए ऐसा ही विवरण पाया जाता है (ए० ३० १५ प० २००, भा० १ प० ४८) पारम्पर देवी तथा मौला देवी वहमान राजा राज्यपाल की पत्नी कही गई है । रामात्था पद्मा गंगाधर की भार्या थीं (ए० ३० ११ प० ६१ भा० २१ प० १६०

प० १६०) महडवाल नरेश गोविन्द चन्द्र देव ने पाच राजकुमारियों से विवाह किया था जब कि उसके पिता मदन पाल को दो धर्म पत्तिया थीं (ए० इ० ९ प० ३२४) । सबसे विचित्र बात तो यह है कि चेदि राजा गांगेय देव की सी रानिया थी जो उसके साथ अभिन में जलकर स्वर्ग लोक सिधारी (ए० इ० २ प० ४, भा० १२ प० २१—साध्वं शतेन गृहिणो) गक्षेष में कहा जा सकता है कि राजाओं की एक साथ कई रानियाँ महल में रहती थीं जो बहुपत्नी ब्रत का द्योतक है ।

प्राचीन प्रशस्तियों में विधवा के आत्म-बलिदान का उत्तमा विवरण नहीं मिलता जितना स्मृतिकारों ने वर्णन किया है । गुप्त युग से पूर्व इस सम्बन्ध में कुछ कहना कठिन है परन्तु गुप्त कालीन स्मृतियों में विधवा के जीवन के दो मार्ग बतलाए गए सती प्रथा है । ब्रह्मचारिणी व्यवधा सती । विष्णु (३५।१४) तथा वृहस्पति (२५।११) ने इन दो मार्गों का वर्णन किया है । उस समय सती प्रथा का प्रचलन अज्ञान न था और छोटी सदा के एरण (मध्य प्रदेश) लेख में भानुगुप्त के रोनापांत गोपवराज की पानी के सतों होने का उल्लेख मिलता है ।

भक्ता नुखता च प्रिया च कान्ता भायविलभनानुगतान्मर्दायम् ।

बाण ने लिखा है कि राजश्री स्वेच्छा में सती होने को तैयार थी । मध्ययुग के मुसलमान लेखक मुलमान तथा अलबेस्ट्री ने गरियों के सती होने की बातें लिखी हैं । कलचुरी नरेश गांगेय-देव की 'मी स्त्रिया आग में जल मरी थी परन्तु इसे सतो न कह सहमरण की सज्जा दी गई है । राजतंरगिणि में कान्दण ने रानियों के सती होने का उल्लेख किया है (तरं० ७, ७२४, ८५९) जायपुर के १५ लेख में गजपृत गानी के सती होने की चर्चा है (ए० इ० २० प० ५८) इस प्रकार मध्य प्रदेश तथा गजपृतानामें सती होने या सहमरण का उदाहरण मिलता है । गजपृताने के इतिहास में हजारों स्त्रियों के अधिन में जलने की बातें उल्लिखित हैं लेकिन उसे 'जौहर' का नाम दिया जाता है । सती के सीमित अर्थ से वह भिन्न है ।

भारत में सगीत का प्रेम सदा से एक-सा रहा तथा ऊँचेथेणों के लोग सभीत तथा गणिका से सम्बद्ध रहते थे । प्राचीन लेखों में भी सगीत का किसी न किसी रूप से उल्लेख पाया जाता है ।

गणिका जहा सगीतमय और वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत किया जाता हो । विद्वानों के समाज (एक चा समाजा साधुमता) को श्रेष्ठ बतलाया है ।

मोर्य युग के पदचात् कलात्मक उदाहरणों से इस बात का परिज्ञान होता है कि समाज की जनता संघीत में हच रखती थी (जिसे राजा के भय से लोगों ने ददा रखा था) और इसलिए भरहुत के स्तम्भ पर संगीत का प्रदर्जन पाया जाता है । वहा अप्सराएँ नृत्य कर रही हैं तथा अनेक बाद्य बज रहे हैं । दक्षिण भारत के अमरावती कला में भी ऐसा ही प्रदर्शन है । बोधिसत्त्व के सम्मुख तुष्यितस्वर्ग में अप्सराएँ नृत्य कर रही हैं और उन्हें संसार में अवतरित होने का आग्रह किया जा रहा है वही बोधिसत्त्व हाथी के रूप में मायादेवी के गर्भ में आए । लेखों में गणिका द्वारा शासक की प्रशंसा करने का भाव उल्लिखित है । सामन्तसेन के यश को गाती हुई अप्सराओं का विवरण देवपारा प्रशस्ति में मिलता है—(ए० इ० १ प० ३१० पद ५)

उद्गीयन्ते यदीयासवल दुःख जलो
 लोल शीतेण सेतो
 कच्छान्तेपु अप्सरोमिर्दशरथ तनय
 स्पर्ष्या युद्ध गाया

अभिलेखों का अध्ययन यह बतलाता है कि गणिका समाज में केवो थी। असम के लेख में ग्रामदान का ऐसा विवरण है कि भूमिदान के साथ ग्राम की गणिका भी दानग्राही को सोप दी जाती रही। (तेजपुर तान्नपत्र ज० १० स० १५० प० १६६) बाघ की गुफाओं में मुन्दर वस्त्र पहने नरकी का समूह चित्रित है। पूर्व मध्ययुग में भगवान् को प्रसन्न करने के लिए मन्दिरों में गणिका रक्खी जाती थी, इसी कारण नट-मण्डप नामक मन्दिर का प्राकार तैयार किया गया। देवपारा लेख में इस तरह की मन्दिर-गणिकाओं का वर्णन है (ए० ३० १ प० ३१०)। खजुराहो तथा भुवनेश्वर मन्दिरों की दीवालों पर गणिकाओं के चित्र खुदे हैं जो नाना प्रकार के वादों का प्रयोग कर रही हैं। १२ वीं सदी के चहमान लेख में वेश्याओं पर लगाए गए 'कर' का उल्लेख है। जिसे शासक ने कारणवश माफ कर दिया था (आ० १० रि० १० रि० १९०८-९, प० ११९) खेद है कि इस तरह के शुल्क का वर्णन अन्यथा नहीं मिलता, परन्तु कला तथा लेखों का अध्ययन यह प्रकट करता है कि सासारिक तथा देवकार्यों में गणिका की सहायता ली जाती थी। प्राचीन भारतीय समाज में उन्हें तिरस्कृत करने की भावना न थी।

प्रत्येक समाज में वस्त्र तथा आभूषण सर्वप्रिय वस्तु तथा आवश्यक सामग्री समझी गई है। लेखों में इसका विस्तृत विवरण नहीं मिलता, केवल गोणमृप से कुछ उल्लेख पाया जाता है।

बस्त्राभूषण	अशोक के वर्मशासन में (सार्वान्य, कोशार्वी तथा साची स्तम्भ)
तथा	वर्णन मिलता है कि सब में भेद पैदा करने वाल (पीत वस्त्र-धारी)
भृगार के साधन	भिक्षु या भिक्षुणी को सफेद वस्त्र पहनाकर बहिष्कृत कर दिया जायगा। गृहस्थ लोग सफेद वस्त्र तथा भिक्षु रमीन (अवदातपीला) वस्त्र धारण करते थे। अत. भिक्षु के लिए सफेद वस्त्र निन्दनीय समझा जाता था। अशोक ने उसकी ओर संकेत किया था। उसके पश्चात् दान के प्रसंग में भिक्षुओं को चीवर (अधावस्त्र तथा सघाटी) देने का वर्णन नासिक लेख में पाया जाता है। (भावसति चिवरिक कुशाणमूळे च—ए० ३० ८ प० ८२) गुणेश्वर तान्नपत्र में (गु० स० १८८) 'भिक्षुसंधस्य च चीवर' परिभोगाय विहारे' वाक्य द्वारा वस्त्र दान की चीज़ की गई है। नालंदा तान्नपत्र में भी दान के विभिन्न कार्यों में चीवर दान का उल्लेख मिलता है (चिवरिका प्रदाय—ए० ३० १७)। सम्भवत् प्रशस्तियों में वस्त्राभूषण के उल्लेख का अवसर न था, इसलिए उनमें संतोषप्रद उल्लेख नहीं मिलता। प्रतिमाओं के परीक्षण से अधिक बातों का पता चलता है।

गृणार के प्रसाधनों में बाल संवारने सिद्धूरलगाने तथा अंजन देने का वर्णन पाया जाता है। बालों के नाना प्रकार की ग्रिहियों की जानकारी खुदे चित्रों से ही जाती है। महेन्द्रपाल की पहेवा प्रशस्ति में शत्रुओं के स्त्रियों के मीठे बालों (धुंधराले या ग्रन्थियुक्त नहीं) का वर्णन है जो पनि के मरने मर विधाहा हो गई थी (ए० ३० १ प० २४६)।

करतलस्थगिताधर पस्लवा प्रतनुकान्ति कपोल तलोदरम्
 सिविचूरसु जलैर्यदरिस्त्रियस्सरलित प्रचुरालक जालका ।

सिन्दूर ललनाथों के सौभाग्य का चिन्ह था। (युद्ध में) पति की मृत्यु के कारण विषवाएँ उसे प्रयुक्त नहीं करती। चन्देल नरेश के खनुराहो लेख में वैसा ही वर्णन है कि वह सौभाग्य चिन्ह नष्ट हो गया था और कुकुंम का भी प्रयोग समाप्त कर दिया गया था (ए०इ०१५०९२९)

सिन्दूर भूषणविवर्जितमास्य पद्मं उत्सृष्ट हार वलयं कुचमण्डलञ्च ।
आखो मे अङ्गन लगाने का वर्णन अभिलेखों में कम मिलता है। उस सम्बन्ध में धनिक के नगर-लेख की निम्न पंक्ति सुनिए —

भ्रूमङ्ग्लया रहितैरनन्यगतिभि सन्त्यक्त कालाङ्गने,

(भारत कौमुदी भा० १ प० २७४)

ऐसा ही वर्णन अन्य स्थानों पर आता है (ए० इ० २६ प० २५४) इस प्रकार चित्रों के अतिरिक्त अभिलेखों में भी यदा कदा उल्लेख आया है जो समाज में शृंगारिक प्रसाधन के प्रयोग का चालक है।

छठी सदी से पूर्व के लेखों में भोजन के प्रसंग में विभिन्न वस्तुओं का नाम नहीं मिलता वेवल दान द्रव्य से नोजन-वस्त्र के व्यय का उल्लेख पाया जाता है। नासिक लेख में द्राहाणों के लिए भोजन निर्मित ग्रामदान का उद्देश्य व्यक्त किया गया है—पोटम
भोजन तथा पेय ग्रामदेन अनुर्वर्ष द्राहाण शतसाहस्रो भोजापविशा (ए० इ० ८८०७८)।

गुप्त लेख में भी इसी तरह का वर्णन आता है कि पचीस दीनार भिक्षु के भोजन निर्मित दिया गया—तात्पत् चभिद्धवो भुजता रत्नगृहे (का० ३० ३० ३ प० ३१) छठी शताब्दी के अभिलेखों में सत्र (= छठ) शब्द का प्रयोग मिलता है जिसका अर्थ भोजन वितरण के स्थान से है, बिना मूल्य के भोजन जहाँ विभक्त किया जाता था। यह अवस्था प्राचीन कालीन समाज में सर्वत्र वर्तमान थी और गृहीन, भूखे एवं माधुओं को भोजन दिया जाता था। प्रथम कुमार गुप्त के भिलसद लेख में घर्म सत्र, पालवशी नालदा एवं भागलपुर ताप्रपत्रों में सत्र तथा चहमान प्रवस्तियों में अन्न-सत्र शब्दों का प्रयोग उसी अर्थ में हुआ है। आठवीं सदी के नालदा ताप्रपत्र में “सम्प्रग् वहृष्ट दधिभि व्यजनैः युक्त-मन्तन्” (ए० इ० ६० प० ४४) का उल्लेख है। यानो धी, दूध, दहो आदि अन्य व्यजन के साथ भोजन विभक्त किया जाता है। गोहूं तथा चावल के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। भगवान् के लिए नैवेद्य भी अन्न से तंयार किया जाता था। राजपुताने के एक लेख में आठ चावल को धी में पकाने का विवरण आता है। नैवेद्य के लिए दो सेर आटे के लिए आठ कलस (एक माप) धी की आवश्यकता पड़ती थी (ए० इ० २० प० ५७) गन्ना की खेती का वर्णन चीनी के प्रयोग की बतै सिद्ध करता है (इ० ए० १६ प० २०९) तेल एवं धी का प्रयोग तो अत्यधिक मात्रा में होता था क्योंकि भोजन के अतिरिक्त, मन्दिर में दीपक जलाने के भी काम आता था। यह भोजन सम्बन्धी चर्चा विशेष रूप से मिलती है और स्मृतिकारों ने वैज्ञानिक ढंग से भोजन सामग्रियों पर विचार किया है। दानपत्रों में ‘समत्स्याकार’ (मछली तालाब सहित) शब्द से यही तात्पर्य समझा जा सकता है कि समाज के कुछ व्यक्ति मछली तथा मास का भी प्रयोग करते थे। गहड़वाल लेखों में ‘सजल समत्स्य’ शब्दों का प्रयोग अधिक मिलता है (ए० इ० भा० ४, ८, १६ प० १५४, ७३)। इसके अतिरिक्त व्यापार के सिलसिले में ‘किराना’

९२ प्राचीन भारतीय अभिलेख

शब्द का (किराउजा) उल्लेख प्रकट करता है कि भोजन में मसाले का भी प्रयोग समाज में अवश्य होता था (ए० इ० ११ पृ० ४३) ।

भोजन सामग्री के मूल्य सम्बन्धी वार्ता का सोधा उल्लेख अभिलेखों के अध्ययन द्वारा नहीं मिलता तोभी कुछ उद्घरण ऐसे हैं जिनसे तत्सम्बन्धी अर्थ निकला जा सकता है । ईसवी

पूर्व के लेखों में ऐसा कोई सदर्भ नहीं है परन्तु दूसरी सदी के नह-
भोजन का मूल्य पान कालीन नासिक लेख में पर्याप्त वर्णन है । वह पंक्तिया निम्न

रूप से अकित है—कहापणा महसाणि त्रीणि ३००० सघस चातु-
दिसस ये इमस्मि लोणे वसातान भवसन्ति चिवरिक कुशाणमूले च । ऐते कहापणा प्रयुक्ता
गीवत्तन वायवामु श्रेणिसु । कोलिक निकाये २००० वधि पाँडिक शत । अपर कोलिक ये १०००
वधि पाउन पाँडिक शत । ऐते च कहापणा अपिडिदातवा वृषि भोजा (ए० इ० ८ पृ० ८२)
एतो चिवरिक सहस्राणि वे २००० ये पाँडक शते । एतो मम लेणे वसवुयान भयुन वोसाय
एकाकरा चिवरिक वारसक । ये सहस्र प्रयुक्त पायुन पाँडिक यते त्रयों कुणन मूले ।

तीन हजार कारपिण भिक्षुओं के बस्त्र तथा भोजन के निमित्त ततुवाय संघ के पास जमा
किया । उसमें दो हजार एक पण प्रति शत सूद के दर से तथा एक हजार तीन चौथाई पण
प्रति शत के दर से । दो हजार के सूद में बीस भिक्षुओं का बस्त्र व्यय तथा एक हजार की
सूद से भोजन व्यय चलेगा । मूल घन व्यय नहीं होगा । केवल सूद का प्रयोग हो होगा ।
इसका तात्पर्य यह है कि बीस भिक्षुओं के लिए बीस पण (मिक्का) बस्त्र में तथा साढ़े
सात रुप्या भोजन में प्रति बर्ष (?) व्यय किया जाता था । इस तरह प्रति भिक्षु छ आने
प्रतिमास भोजन व्यय निश्चित हो जाता है । अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि
भोजन सामग्री अत्यन्त सम्मते दाम पर बिकती थी ।

चौथों शताब्दी के गुप्त लेख में भी अन्य प्रकार का वर्णन आता है । द्वितीय चन्द्रगुप्त के
गढ़वा लेख में द्राह्याण के भोजन निमित्त दस दीनार (स्वर्णमुदा) देने का उल्लेख मिलता है ।
इसमें सूद के दर का उल्लेख नहीं है । दूसरे लेख में द्वाहर दीनार को सूद पर देने का वर्णन
है जिसकी आय से एक भिक्षु का भोजन व्यय चलता था । यानी चारसौ ब्रोस (१ दीनार =
३५ रजत मुदा) रुप्या का सूद भोजन के लिए पर्याप्त था । यदि सूद का दर एक कारपिण
प्रतिशत मान लिया जाय तो वर्ष में एक व्यक्ति के भोजन के लिए चार रुप्या तीन आने की
आय होगी । यानी छ आने प्रति मास के हिसाब से प्रति व्यक्ति भोजन व्यय होता है । चातु-
दिशायम तंसंघायाक्षनी विदत्ता दीनारा द्वादश । ऐतेपा दीनाराणा या वृद्ध रूपजायत तथा दिवसे
दिवसे संघ मध्य प्रविष्ट भिक्षोरेको भोजयितव्या (का० इ० ३० ३ न० ६३) सारांश यह है
कि गुप्त युग तक भोजन व्यय नाममात्र का था । सामग्रियां अत्यन्त सस्ती थीं । ईसवी सन् की
पहली सदी से पाचवीं सदी तक भोजन सामग्री का मूल्य प्रायः समान था ।

जहाँ तक पेय का प्रश्न है लेखों में तीन प्रकार की नशीली चीजों के नाम मिलते हैं ।

(१) सुरापान या मधुपान

(२) सोमरस

(३) रसवती या ताढ़ी

प्रथम पेय—शराब का प्रयोग ब्राह्मण से भिन्न जातिया करती रही। जोधपुर की प्रशस्ति से पता चलता है कि ८ वीं सदी में राजपूताने के क्षत्रिय मुरापान स प्रेम रखते थे। गुजर त्रिहार राजा हरिश्चन्द्र की दो रानिया थी। ब्राह्मण कन्या तथा राजपूत कन्या से उसने विवाह किया था। लेक्ष में वर्णन है कि राजपूत कन्या की सन्तान सुरापान म अम्यस्त थी।

राजी भद्रा च यात्सूते ते भूता मधुपायिनः

(ए० इ० १८ प० ९५)

उमी वश की ग्वालियर प्रशस्ति से स्त्रियों के शराब पीने की चर्चा मिलती है (ए० इ० १८ प० १०८ प० ६) अलबेलनी ने भी ऐसा ही लिखा है कि क्षत्रिय वर्ग के लोग शराब पीते थे। पुर्व मध्ययुग (७००—१२०० ई०) में क्षत्रिय वर्ग के लिए सम्भवत शराब लोक प्रिय हो गया था। मध्यभारत के अनेक दानपत्रों में आमत तथा मधूक (महुआ) वृक्ष के साथ ग्रामदान का विवरण है (ए० इ० भा० ४ प० ११९, भा० ८ प० १५४, भा० २१ प० ९५) इस मधूक पुष्प या एक नरह का रम (शराब) तैयार किया जाता है पर यह कहना कठिन है कि दानग्राही ब्राह्मण प्रयोग करते थे या नहीं। बग्रहार दान लेने के कारण ग्राम में मधूक से तैयार रस को ब्राह्मणों द्वारा विक्रय करने की भी बात सोची जा सकती है। लेखों के बाधार पर इन्हाँ कहा जा सकता है कि उस रस (सोमरस ?) का प्रयोग जनता करती हो।

तीसरा पेय ताड़ी है जिसे कलचुरी लेख में रसवटी कहा गया है (ए० इ० २१ प० १५) वर्तमान समय में भी ताड़ी निम्न श्रेणी के लोगों वा पेय है। बोशनस ने पुलकसा नामक जाति का उल्लेख किया है जो शराब का काम करती थी। आजकल पासी जाति से इसकी समता की जा सकती है। शराब-व्यापारा विशिक वर्ग के कलवार उपशाखा का नाम (कलपाल) लेखा में मिलता है। प्रशस्ति में वर्णन है कि इस वर्ग को मद्यभाण्ड की सरूप्या पर 'कर' चुकाना पड़ता था। निम्नलिखित वर्णन सुनिए—

समस्त कलपालाना मध्ये यस्य यस्य सत्कमलभाण्ड नि पराते विक्रयं याति स च स चन्द्रार्क यावत् विग्रहपाल सत्कदमाद्विदा दातव्या (ए० इ० १ प० १७४) आधा सिवका—आठ आना (विग्रहपालीय द्रम) एक मद्यभाण्ड पर टैक्स के रूप में देना पड़ता था। परमार प्रशस्ति (१०५८ ई० , में भी 'कर' देने की बात लिखी है (ए० इ० १४ प० २९८) इस प्रकार शराब तथा रमवटा पर 'कर' के प्रसंग में पेय के नामों की जानकारी होती है।

प्राचीन स्मृतियों में वर्णन है कि साधु तथा छद्मचारी भिक्षा माग कर पना जीवन निवाहि करते थे। बोढ़ सघ के भिक्षु तथा भिक्षुणी ग्रामों में भिक्षा माग कर विहारों में लौट जाते।

समाज में गृहस्थ भी इनकी भोजन देना अपना कर्तव्य समझते थे।

समाज में भिक्षा द्विसलिष्ट वर्णाधिम धर्म तथा सघकी स्थिति से भिक्षा मागने का कार्य
मागने की प्रथा बढ़ना हो गया। ब्राह्मण साधु तथा भिक्षुओं की सरूप्या भी बढ़ती गई। यद्यपि प्रशस्तियों में भिक्षा मागने के सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं गया है तथापि उनके अध्ययन से इस विषय पर प्रकाश पड़ता है। मीर्युग म ग्रामों से कुछ मील दूर विहर बनवाए गए थे। जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि निकुं भिक्षा मार्ग कर सरलता से गुका में लौट जाए। पश्चिमी भारत की सह्याद्रि गुहाएं उसके साथान् उदाहरण हैं।

गुप्त युग तक अजता की गुफाएं, सारसाथ, श्रावस्ती तथा नालंदा के विहार तथा मध्ययुगी इलौरा गुहा से उपरियुक्त कथन की पुष्टि होती है।

७००-१२०० ई० के अभिलेखों में पर्याप्त रूपसे दान का वर्णन मिलता है प्रशस्तियों के विवरण से पता चलता है कि ग्रामदान या घनदान विद्वान् ब्राह्मणों को दिया जाता था जो प्रायः अध्यापन के कार्य में लगे रहते थे ! शिक्षा संस्थाओं, मंदिर या विद्यालयों को भी दान दिया जाता था ।

समाज में व्यक्ति से अधिक संस्थाओं का महत्व था । शिक्षालयों में भूमि या घन दान देकर ब्रह्मचारी या भिक्षु को भिक्षाटन से मुक्त कर दिया जाता था । संस्थाओं में ही भोजन वस्त्र का प्रबन्ध रहता जो भिक्षा-वृत्ति को अन्त करने का प्रयास था । भूमिदान में भिक्षावृत्ति सभास प्रायः ही गई और भिक्षाटन की बुराई जाते रहे ।

शिक्षा संस्थाओं के दान का वर्णन मध्य ददा तथा बगाल के लेखों में अधिक मिलता है । जयमिह के मान्धाता तात्रपत्र में अमरेश्वर पाठशाला को अग्रहार देने की चर्चा की गई है —

सर्वादाय सुमेतश्च श्री अमरेश्वर पट्टशाला
ब्राह्मणेभ्यो भोजनादि निमित्तम्

(ए० इ० ३ प० ४९)

नालदा तात्रपत्रों में शासक द्वारा भिक्षु संघ को ग्रामदान का वर्णन मिलता है जिसकी आय से स्वादिष्ट भोजन, आसन, औपचिं आदि का प्रबन्ध किया गया था—पृथु दविभि व्यजनै भिक्षुम्य चतुर्म्यो नियतोम् सत्रे विभक्त विमलभिक्षुमंधाय दत्तम् (ए० इ० भा० १७ प० ३१०, भा० २० ४४) इम उद्धरण में सत्र शब्द विशेष अर्थ में प्रयुक्त है । उसका अर्थ भोजन बौठने का स्थान (भिक्षा गृह) था । छत्र (सदावर्त) माना गया है । मध्यकालीन लेखों में सत्र शब्द भरा पड़ा है । गुप्त युग में इसे 'पर्म-सत्र' कहते थे (कुमारगुप्त प्रथम का भिलसद लेख — (ए० इ० १४ प० ६३६) इम स्थान पर साधु, भिक्षु या अनाथ व्यक्तियों को नि शुल्क भोजन दिया जाता था । अधिकतर सत्र (भिक्षा गृह) मंदिर से सम्बन्धित रहते थे और मंदिर प्रबन्ध परिवर्ति उसकी देलभाल करती थी । प्रतिहार लेख (ए० इ० १४ प० १७७) में सत्र के सचालन व निमित्त ग्रामदान का उल्लेख है । चहमान लेख में इसे अन्नसत्र कहा गया है (ए० इ० १३ प० २९०) कलचुरी मंत्री गगधर के दान पत्र में इस भिक्षा गृह को सर्वसंती (ए० इ० २१ प० १६६) का नाम दिया गया था जहाँ स्वादिष्ट भोजन वितरित किया जाता था (मिठान पान सम्पन्न सर्व संती व्याधादसी) । ११ वीं सदी के असम शासक जयपाल देव तथा बल्लभ देव ने शिवमंदिर से सम्बद्ध एक भिक्षागृह निर्मित किया था जिसे भक्तशाला कहते थे । लेख में 'भक्तशाला क्षुधार्थीना महादेवस्य संनिधी' वाक्य उल्लिखित है । (ए० इ० ५ प० १८१) यह परम्परा आज भी प्रचलित है तथा वाराणसी में छत्र अनेक मंदिरों में स्थित है । छत्र सत्र शब्द का विकृत रूप ही मालूम पड़ता है । लेखों के विशद् विवेचन से ज्ञात होता है कि समाज में भिक्षावृति को रोकने की कामना थी परन्तु भिक्षा देने का भावना विद्यमान थी । भिक्षा माँगने की प्रथा का अन्त आवश्यक था । शासक तथा धनो-

मानी व्यक्तियों ने इस बुराई को हटाने का सफल प्रयत्न किया और सत्र की स्थापना से यक्तिगत भिक्षा-वृति प्राप्त: समाप्त हो गयी।

सातवीं सदी से पूर्व के लेखों में अन्धविश्वास की चर्चा नहीं मिलती, जिसके सहारे प्राचीन ससय में भूत-प्रेत या तत्र-मत्र के सम्बन्ध की जानकारी अन्धविश्वास हो सके। अशोक के लेखों में स्वर्ग प्राप्ति के उपाय तथा परलोक में सुख मिलने की बात कही गई है। शासक भी ऐसा ही कार्य करता था कि जनता सुख, यश, पृथग् तथा निर्वाण (स्वर्ग प्राप्ति) पा सके।

तथा कलत हिदलोकिक्वे च क आलधे होति पलत
च अनत पुना पशवति तेना धंम दानेन।

(शिलालेख नं० ११)

हिद च से अथे परत्र च अनत पुण प्रसवति नेन ध्रम मंगलेन

(शिलालेख नं० ९)

यो तो अन्धविश्वास किमी न किमी रूप में समाज में प्रचलित रहा और वैदिक तथा सस्कृत संहिताये में सम्मोहन, वशीकरण तथा मारण आदि का वर्णन पाया जाता है परन्तु प्रशस्तियों में यह विवरण नहीं के बराबर है। गुप्त लेखों में उल्लिखित 'आबाताय' की समता 'भूतवात प्रत्याय' से की जाती है। यह एक प्रकार का कर (टैक्स) था जो भूत व वात के हटाने के लिए आरोपित था। पूर्व मध्य काल तत्र-मत्र का युग था और बोझों के भूत अथवा मत्रायान ने अन्धविश्वासों पर आस्था स्थिर की। तत्र-मत्र समाज में धर कर गये। वरणी तथा मत्रों का प्रयोग प्रशस्तियों के आरम्भ में होने लगा। बीजमत्र तथा भूत-प्रेत में अत्यधिक विश्वास उत्पन्न हा गया। ह्लेनसाग ने ज्योतिषी, तात्किक, भविष्य कथन करने वाले बोढ़ तथा जैन व्यक्तियों का विवरण दिया है। यदि समस्त अभिलेखों का विवेचन किया जाय तो पता चलता है कि—

- (१) स्वर्ग व नरक
- (२) राहु द्वारा सूर्य तथा चन्द्र को ग्रसना
- (३) भूत-प्रेत
- (४) ज्योतिष तथा भविष्य वक्ता

सम्बन्धित कार्यों में जन साधारण का पूर्ण विश्वास हो गया था। दान के उद्देश्य (स्वर्ग की प्राप्ति) में निम्नलिखित वाक्य मिलते हैं :

- (अ) सप्तर्णिव तरणार्थ स्वर्ग मार्ग अर्गलोद्घाटन हेतो (ए० इ० ३ प० २६६)
- (ब) स्वर्ग द्वार कपाट अर्गलोदघाटताय (वही भा० ५ प० ११४)
- (स) प्राणास्तृणाय जलविन्दु समानराणाम् धर्मस्यखा परमरहो परलोक याने (वही भा० ११ प० ८)
- (द) स्वर्ग लोक समागत. (ए० इ० भा० १८ प० ९६)
- (य) पष्ठिवर्ष सहस्राणि स्वर्गे मोदति भूमिद. आच्छेता चानुमन्ता च ताम्येव नरके वसेत्। (ए० इ० ४ प० १३३)

सूर्य चन्द्र को गहू ग्रस लेता है (जिसे ग्रहण कहते हैं) इस अन्धविश्वास पर आधारित कुसमय पर दान का उल्लेख प्रशस्तियों में किया गया है (राहु ग्रस्ते दिवाकर-४० इ० ४ व ११ प० १५८, २१९) चन्द्रेल तथा गहडवाल प्रशस्तियों में भूत-प्रेत की चर्चा अधिक मिलती है । निम्न पक्षित दानपत्रों में पाई जाती है—गगाया विधिवत् इनात्वा भंत्र देव मनु । मनि भूत पितृगणा तर्पयित्वा (ए० इ० भा० ४) सम्भवतः पौराणिक विचारधारण के कारण जनसाधारण में बलि देने की प्रथा चली । गोविन्दचन्द्र के मत्रों लक्ष्मीधर ने राज धर्मकाण्ड में—“पिशाचम्यो वर्लिदधान्सध्याकाले च नित्यश ” का वर्णन किया है (या० ओ० सि० १०० प० १७६)

इसके अतिरिक्त प्रशस्तियों में एक नेमित्तिक (= ज्योतिषी) का नाम पदाधिकारियों की सूची में मिलती है । गहडवाल नरेश गोविन्द चन्द्रदेव के दरवार में भविष्यवाणी करने वाला पुरुष था जो अशगुन का अर्थ बतलाया करता था । (ए० इ० ४ प० ९७, भा० ७ प० ०९, भा० १८ प० २२) गमपाल के लेख से पता चलता है कि एक व्यक्ति ने बालकपन म चिह्न देखकर भविष्यवाणी की थी कि वह बालक राजा होगा (ए० इ० १२ प० १३७) बगाल के लेखों में भर से भूत हटान के लिए पुरोहित जैसे व्यक्ति की नियुक्ति का उल्लेख है (बेलवा ताम्रपत्र, मुन्दरखन ताम्रपत्र) । इस तरह के अन्धविश्वास के कारण ही मध्ययुग म सहस्रों पूजा निमित्त स्तूप (Votive Stupa) बनाए गए थे ।

बज्यान में शक्ति के सम्बन्ध में चाण्डालों, योगिनी तथा सहज मुन्दरी की कल्पना पाई जाती है । नालदा के लेख में तारा को ऐसी ही शक्तिशालिनी देवी कहा गया है जो आठों प्रकार के भय को दूर करती है (ए० इ० २१ प० ५७) बज्यान देव समूह को कल्पना तंत्र-मत्र के आधार पर हुई जो पहले के दोनों यात (हीन्यान तथा महायान) में नहीं था । संक्षेप में यह व्यक्त करता है कि ७००-१२०० ई० का काल अन्धविश्वास का प्रधान युग था जिसका प्रभाव आज तक हिन्दू समाज में दिखाई पड़ता है ।

यद्यपि लेखों में मनोरजन तथा खेल सम्बन्धी चर्चा की बहुलता नहीं है परन्तु जो कुछ उल्लेख मिलता है उसमें लोगों के मनोर्विनोद के साधनों का परिज्ञान हो जाता है । अशोक के

आठवें वर्म लेख में विहार यात्रा (मृगया) की बात कही गई है
मनोरजन के साधन जिसे मोर्य मस्त्रात् न बन्द कर दिया—

अनिकात अंतर राजानो विहार याता यामु । एत यग्यवा अत्रानि च एता रिसानि अभीरमकानि अहम् सों देवान पियो पियर्दसि राजा दमवसभिपितो संतो वयाय सम्बोधि तेनेमा धम याता- (आठवा लेख-गिरनार पाठ) । इसमें प्रकट होता है कि मृगया शासकों के मनोरजन का प्रधान साधन था । ईसवी सन् के चौथी सदी से गुप्त लेखों में कई प्रकार के मनोरजन के साधन का उल्लेख आता है । प्रयाग के स्तम्भ लेख में समुद्रगुप्त के शरीर पर अनेक धावक के चिह्न थे । धनुधारी प्रकार के सिक्कों पर “समरशत वितत विजयी जित रिपुरजितो दिव जयति” लिखा है । इससे स्पष्ट है कि धनुप्रवाण, परशु के ब्रण बीरता के प्रतीक थे । गुप्त नरेश चीता, शेर, गैडा आदि जानवरों का आखेट करते दिखलाए गए हैं तथा मुद्रा लेख भी अंकित हैं । व्याघ्रपराक्रम (समुद्रगुप्त) भुविसिंह विक्रमः (द्वितीय चन्द्रगुप्त) महेन्द्रसिंह (प्रथम कुमार गुप्त) या सिंह महेन्द्र तथा भर्ता खड़ग याता (प्रथम कुमार गुप्त)

आदि पदविया गुप्त नरेशों के लिए लुटो है। उनमें बालेट का आभास मिलता है। पर्यात प्रमाण न मिलने पर भी हसे प्रधान मनोरंजन समझा जा सकता है।

समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भ लेख में राजा के संगीत प्रेम का वर्णन आता है और वह नारद से भी वीणा-वादन में दब कहा गया है—

गान्धर्व ललितै ग्रीडित त्रिदशपति गुरु तुम्बरु नारदादे ।

इसका समर्थन वीणा प्रकार के सिक्के से होता है जिस पर राजा का नाम—महाराजा श्री समुद्रगुप्त अकित है। उसके पुत्र द्वितीय चन्द्रगुप्त को सिहासन पर बैठा नाटक देखते हुए प्रदर्शित किया गया है तथा मुद्रालेख 'रूपाकृति' उत्कोर्ण है।

समाज में संगीत लोगों के मनोविनोद का प्रधान साधन था। चहमान नेखों में बाद्य, नृत्य तथा गान सहित समारोह का वर्णन आता है। उस समय रथयात्रा या देवयात्रा के जूलूस में संगीत का आयोजन होता था। इस युग के चित्रों में भी विभिन्न प्रकार के बाद्य (मूदग, जल-तरंग, तबला, झाल, नगाड़ वासुरी) के साथ नृत्य का प्रदर्शन पाया जाता है। पूर्व मध्ययुग के लेखों में जुआ तथा शतरंज के नाम आते हैं। परमार राजा चामुण्डराय ने जुआघर पर 'कर' बैठाया था (ए० इ० १४ प० ३०८)। शतरंग शब्द चतुरंग (सेना) का विकृत रूप है जिसमें पैदल, हाथी, रथ तथा घोड़े की स्थिति आवश्यक समझो जाती है (चतुरंग-चमू प्रचार-ए० इ० २ प० ३) यह भारतीय खेल था जिस अखंक बालों ने सीखा तथा पुन वहाँ से भारत-वासियों ने अनुकरण किया।

ऊंचे परिवार की स्त्रियों के लिए शुक (सुगमा) पक्षी मनोविनोद का साधन था। पाल नरेश घर्मपाल की खालीमपुर प्रशस्ति में भी ललनाए शुक को सम्बोधित करती वर्णित की गई है।

(१) सीधे मोचलसित स्थितं सकर्ण लीलाशुको व्याहृतो (ए० इ० १ प० २०९)

(२) लीला वेश्मनि यजरोदर शुकैर्दगीतमात्मस्तवम् (ए० इ० ४ प० २४८)

मध्ययुगी दानपत्रों में मछली युवत ग्रामदान का उल्लेख मिलता है जिसका तात्पर्य यह था कि उस भू-भाग में जो तालाब स्थित थे, उन से मछली निकालने का अधिकार दारयाही की था। अतएव यह स्पष्ट है कि मछली मारने से भी लोगों में एक आनंद का अनुभव होता होगा। इन सभी बातों से राजा तथा प्रजा के मनोविनोद के साधनों का परिज्ञान हो जाता है।

मनोविनोद के लिए सामाजिक उत्सव भी मुख्यसर प्रदान करते हैं। अशोक के लेख में समाज घन्ड विशेष अर्थ में व्यवहृत किया गया है। साधारण समाज (उत्सव, मनोविनोद पूर्ण)

की निष्ठा की गई है तथा विद्वालों के समाज को ही उत्तम माना सामाजिक उत्सव गया है। [न च समाजो कर्तव्यो बहुकं हि दोसं समाजमिह पसति देवानं प्रियो प्रियदसि राजा। अस्ति पितु एक वा समाजा साधुमता] (पहला शिलालेख)

अशोक के विचार से पिछले शासक सहमत न थे अत उत्सव का शुभारम्भ दिया। संगीत मय समाज का उल्लेख खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति में पाया जाता है तथा भरहृत की

वेदिका (प्रसेनजीत स्तम्भ) पर सगीत प्रदर्शित है। खारबेल ने राज्य तिलक के तीसरे वर्ष में जनता के मनोविनोद के लिए उत्सव किया था।

तथियः वसे गंधव वेद बुधो दप नत गीत वादित सदसनार्हु उत्सव-समाज कारापनाहि च
क्रोडापयति (ए० इ० २० प० ७२ जे० वि० ओ० रि० सो० १३ प० ३२)। उसी प्रकार
वेदिका पर नृत्य करती अष्टराओं की आकृति खुदी है। चौथी सदी से युस नरेश सगीत तथा
नाटक के प्रेम थे। कालिदास के नाटक के प्रदर्शन से सामाजिक समारोह का अनुमान भी
लगाया जा सकता है। छठी सदी से धार्मिक तथा सामाजिक उत्सवों के वर्णन अभिलेखों में
मिलते हैं। दीपोत्सव तथा वसन्तोत्सव का उल्लेख है (ए० इ० ११ प० ५५, भा० ८ प०
१०१) उस विवरण से पता चलता है कि शासक धार्मिक उत्सव (जैसे रथ यात्रा देवयात्रा) के
लिए व्यापारियों पर 'कर' भी लगाता था। (ए० इ० १४ प० २९८) सामाजिक उत्सव के
विशाल भवन निर्माण का वर्णन समर्पित है देव के लेख में मिलता है (ए० इ० ११ प० ५५)

अभिलेखों में पशु मेला काभी वर्णन उपलब्ध है। पूर्वी पजाब के एक लेख में पशु मेला
में घोड़ों की बहुलता का उल्लेख है (ए० इ० १ प० १८६) प्रतिहार राजा भोज की प्रशस्ति
में उत्सव के प्रसग में 'घोटक यात्रा' का नाम उल्लिखित है जिसमें दूर-दूर के व्यापारी घोड़ा
खरीदने आया करते थे—घोटक यात्राया समायाता, घोड़ा विक्रय-दा १-प्रदत (ए० इ० १
प० १८४) उसी वश के दूसरे लेख में घोड़ा क्रय-विक्रय करने वाले व्यक्तियों के द्वारा 'कर'
देने का वर्णन है (वही प० २९, ३३) इससे अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि पजाब तथा राजपुताने
में पशु मेला का आयोजन किया जाता था। इस तरह के कार्य समाज को प्रगतिशील बनाते
हैं। उत्सव तथा मेले में एकत्रित होकर जनता विचार विनमय करती तथा आवश्यक कार्यों
की भी पूर्ति करती है।

सामाजिक कार्यों के लिए तथा आवागमन निर्मित जनता रथ, घोड़े, हाथी, डैट तथा
बैलगाड़ी का अधिकतर प्रयोग करती थी। लेखों में बैलगाड़ी का ही अधिक उल्लेख मिलता
है। क्योंकि साधारण व्यक्ति उसी का प्रयोग करता था। (ए० इ० ११ प० ३५, ३९) सात-
वाहन लेख में शक्त तथा घोड़े दान का वर्णन है (नानाघाट का लेख) प्रतिहार, गहडवाल
तथा पालवशी लेखों में हाथी-घोड़ा की निगरानी के लिए एक पदाधिकारी का नाम मिलता
है। (ए० इ० १५ प० १७, भा० ६ प० ९९, भा० ४ भा० २८ प० ३२५ भा० १२
प० ८)। इस प्रकार के स्थल-यान के अतिरिक्त नावों का भी प्रयोग आवागमन निर्मित होता
था जिसका विवरण कई लेखों में आया है।

समाज की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के निर्मित तत्कालीन मनुष्यों के
चरित्र का अध्ययन करना आवश्यक है। भारतवासियों का चरित्र सदा से उज्ज्वल तथा पवित्र
रहा है जिसका विस्तृत वर्णन विदेशियों (मेगस्थनीज, फाहियान,

समाजमें व्यक्ति ह्यनसाग, इरिंग) ने किया है। सत्य-भाषण तथा वोरता के लिए

का चरित्र सर्व प्रसिद्ध रहे हैं। युस काल में कोई भी व्यक्ति अधार्मिक,
व्यसनी, बार्त, दरिद्र तथा पीडित न था ऐसा वर्णन जूनागढ़ के लेख
में पाया जाया है-आतों द्विद्वो व्यसनो कदयो दण्डयो न वा यो भृश पीडितः स्यात् (का० इ०
इ० ३ प० ५८) इस तरह के वर्णन अधिक नहीं मिलते तो भी यत्र-तत्र उल्लेख आते हैं।

भारतवासियों का आदर्श सासारिक वैभव न था किन्तु संसार को वह तृण व बुलबुले के सदृश समझते थे (नालडा ताम्रपत्र ए० इ० १८) ब्राह्मण दानदाही होने पर भी आदर्श के लिए धन का त्याग कर देता था । (ए० इ० १३ प० २९२) यद्यपि राजाओं के बहुपत्नी वत का विवरण लेखों में आता है किन्तु वह अपनी रानियों से ही प्रेम करता तथा अन्य स्त्रियों से पृथक रहना उसकी भावना थी । ऐसा वर्णन शासक के आदर्श चरित्र का दौतक है—

संत्यक्त पर कलत्रो धर्मकरतोप्पि सर्वदावश्यं

निज वनिता परितुष्टोप्यभिलिप्ति सुसज्जन प्रमदः (ए० इ० १ प० १५६)

अयहोन् प्रशस्ति में कोर्तिवर्मा का आदर्श चरित्र निष्ठपंचित में उलिलित है—

परदार निवृत्तचित्त वृतेरपि धीर्यस्य रिपुक्रियानुकृष्टा

पाल नरेश धर्मपाल तथा वाक्पाल राम-लक्ष्मण के सदृश आदर्श जीवन व्यतीत करते थे ।

रामस्येव गृहीत सत्यतपस्तस्यानु पो गुणी

सीमित्रेषुपादि तुल्य महामा वाकपाल नामानुज

(ए० इ० १५ प० १९३)

सर्वसाधारण जनता भी पवित्र जीवन व्यतीत करती थी तथा दान व्रत तीर्थ और यज्ञ में विश्वास रखती थी । पूर्व मध्ययुग के सहस्रों दानपत्र जनता के धार्मिक भावना के द्योतक हैं । त्रत पालन करना तत्कालीन समाज में एक आवश्यक कार्य हो गया था । देवोस्थान एकादसी, हरिशयिनी वामन या गोविन्द द्वादसी (ए० इ० १३ प० २११ या ४ कमोली ताम्रपत्र) रामनवमी (ए० इ० १४ प० १८८) तथा सावित्री पर्व (ए० इ० ११ प० ३९) आदि के नाम मध्यकालीन अभिलेखों में प्रचुरता से उलिलित हैं । देवयात्रा तथा पर्वद्यात्रा का नाम भी चहमान लेखों में आता है (ए० इ० ११ प० २८) । तीर्थ स्थानों में जाकर शासक या जनता दान दिया करती थीं ताकि वे पृथक के भागी हों । गहडवाल राजा के कमोली ताम्रपत्रों में वाराणसी तीर्थ का नाम अनेक बार (ए० इ० भा० ४ प० १२२) तथा कल्चुरी प्रशस्तियों में प्रयाग का नाम (वेणी = प्रयाग) (ए० इ० भा० ८ प० १२२ प० १५४) अधिकतर आए हैं । चेदिवशी लेखों में प्रयाग के साथ गया का नाम भी मिलता है (ए० इ० २५ प० ३१७) । पाल अभिलेखों में केदार तथा गंगासागर तीर्थों का उल्लेख है । (लालोमपुर लेख ए० इ० ४ प० २४३) । बयोध्या तीर्थ स्वर्ग का द्वार कहा गया है—

सरयु धर्वराघमर्वण स्वर्ग द्वार नाम्नि तीर्थ

(गहडवाल लेख—ए० इ० १४ प० १९३ भा० १५ प० ६)

इन समस्त उल्लेखों से प्रकट होता है कि समाज में धर्म की भावना काम कर रही थी । इन के प्रति अनुराग तथा तीर्थयात्रा में लोगों की आस्था उनके पवित्र जीवन को प्रमाणित करते हैं ।

अध्याय ७

भारतीय प्रशस्तियों में धार्मिक चर्चा

भारत की प्रशस्तिया इतनी बड़ी निधि है कि उनसे सभी प्रकार के जान प्राप्त किए जा सकते हैं। यह सर्व विदित है कि प्राचीन समय में शासक के जीवन तथा वश का इतिहास अभिलेखों में भली भौति बर्णित है। उनका वर्गीकरण यह भृत्याता

बौद्ध धर्म

कि अधिकतर लेख धार्मिक भावना से प्रेरित होकर लिखे जाते थे।

इस दिशा में सर्व प्रथम अशोक के लेखों की गणना उचित है।

अशोक के शिलालेख तथा स्तम्भ लेखों के गम्भीर व्यव्ययन से सदाचार तथा धर्म सम्बन्धी बातों का परिचान हो जाता है। मौर्य सम्राट् ने तो धार्मिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के निमित्त लेख खुदवाया था। उसके धार्मिक भावना के सम्बन्ध में विभिन्न भूत उपस्थित किए गए हैं। कुछ विद्वान् मानते हैं कि अशोक बौद्ध नहीं था, उसने जो कुछ कहा है वह वास्तव में सभी धर्मों का सार है। सदाचार की बातें सर्वत्र कहाँ गई हैं। उपासक लोगों के लिए ही लेख में गिद्धान्त का प्रतिपादन हृता है। उदाहरण के लिए म्यारहवें शिलालेख में उसने अकिञ्चन कराया था—
देवानं पिये पियदशी लाजा एव आह नयि हेपिये दान अदिप घम दान। तत ऐपे दावा भट-
कपि सम्या पटियति माता पितुपु पुप्या। मित ययत नादिक्यान समन। वभ नाना दाने पानान
बनातंभे—इर्य साधु दो तथा कलत हिंद लंकिष्ये चक आलघे होति पलत च अनत पुना पश-
वति तेना थम दानेना। तात्पर्य यह है कि अशोक ने आदेश दिया कि सभी लोगों से उचित व्यवहार किया जाए। गुलाम से समुचित व्यवहार करे। मातान्पिता की सेवा करे। छायु
आह्यण का दर्शन कर दान दे। प्राणियों की हिसान करे। ऐसा करने से इस संसार
में सुख मिलेगा और अन्यत्र पृथ्य होगा। ऐसा विचार अशोक ने कई लेखों में दुहराया
है जिससे बुद्ध धर्म की ओर विशेष सुझाव का अनुमान नहीं किया जा सकता।
ऐसी सार बातें तो प्राय सभी भूमि में प्रतिपादित की गई हैं। डा० भन्डारकर ने लेखों के
अन्य प्रभागों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि अशोक बौद्ध-धर्मानुयायी था। कलिङ्ग युद्ध
(तेरहवा शिलालेख) के पश्चात् उसका विचार परिवर्तित हो गया और उसने धर्म-दारा
संसार-विजय का सकल्य किया। अहिंसा के सिद्धान्त पर अटल रह कर उसने बौद्धधर्म के
प्रसार तथा प्रचार के लिए अनेक उपाय किए। स्वयं महावीरधि तथा एम्मनदेई की धर्मयात्रा
की। उपासकों को बौद्ध साहित्य के पाठ करने का (भावू का नेतृ) अनुरोध किया तथा
अनेक दूतों को धर्म-प्रचार के लिए विभिन्न देशों में भेजा। पुत्र तथा पुरी सिहल हीप गए।
स्तूप पूजा का आरम्भ अशोक ने ही किया और इस कारण कई हजार स्तूपों का निर्माण किया।
उसके धर्म-महामात्र अहिंसा का पाठ सुनाया करते थे। अशोक का सारनाथ का स्तम्भ लेख
धोयित करता है कि वह संघ में एकता का पक्षपाती था और विभेद डालने वाले भिक्षु को
संघ वहिष्कृत करना अभीष्ट था। मौर्य सम्राट् ने स्वयं विहार में प्रवेश कर (रूपनाथ का

लेख—सातिले के च छवछुर य सुनि हक सध उपेते^२ प्रजा के सम्मुख आदर्श उपस्थित किया। इस प्रकार अशोक के घर्मलेख यह बतलाते हैं कि उसने बौद्धमत को राजधर्म बनाया।

यद्यपि मीर्यु युग के पश्चात् बौद्धमत को राजाश्रय मिल न सका तथापि जनता में बौद्ध-र्घर्म के अनुयायी तथा उपासकों को सख्ता कम न थी। भारत में स्तूप पूजा का प्रसार हो गया था, इसलिए शुंग काल में स्तूप के चारों तरफ बैदिका तथा तारण तैयार किए गए और उन पर लेख भी खोदा गया। भरहुत बैदिका के लेख में यह वर्णन आता है कि—

सुग्रनं रजे रजो गागीपुतस विसदेवम
वाचि पुतेन धनभूतिन कारित तोरना

शुंग काल में धनभूति ने तोरण बनवाया था। इसी तरह साची के दक्षिणी तोरण पर सात-वाहन नरेश शातकर्णी (१० प० दूसरी सदी) के समय का एक लेख मिलता है। साची बैदिका के हिस्सों पर दान कर्ता के नाम अकित है। इससे प्रकट होता है कि युग काल में भी बौद्धमत (हीनयान मत) का प्रसार था।

ईसबी सन् के पूर्व गीता तथा मनुस्मृति की रचना हुई जिससे ब्राह्मणधर्म का प्रसार हुआ गीता के ज्ञान तथा भवित का प्रभाव बौद्ध धर्म पर पड़ा जिससे महायान की उत्पत्ति हुई। उस समय में कुपाण राजा कनिष्ठ ने बौद्धमत को प्रोत्साहित किया और चौथी संगीति बुलाई थी। मथुरा के बौद्ध प्रतिमाओं के आधार-शिला पर कनिष्ठ के शासन काल में लेख उत्कर्ण कराए गए थे। कनिष्ठ के काशी तक राज्य विस्तार का परिचान एक बुद्ध प्रतिमा के लेख से होता है। सारनाथ में एक विशाल बुद्ध मूर्ति मिली है जिसके लेख में महाक्षत्रप वरपलाना का नाम मिलता है जो कनिष्ठ का प्रांतपति था। इसकी तिथि 'महारजस्य कणिष्ठस्य सं० ३ (श० का० ३ = ई म० ८१) लिखा है। कनिष्ठ के एक सिक्का पर बुद्ध की मूर्ति तथा बोडी (यूनानी अक्षरों में) मुद्रालेख उसके धार्मिक भावना पर प्रकाश ढालते हैं। उसी के कुर्म तात्रपत्र में प्रतीत्यसम्पुद्याद की चर्चा की चर्चा की गई है (ए इ भा. १८ प० १६६) ईसबी सन् की दूसरी सदी में नह्यान के जामाता उपवदित ने बौद्ध मण को दान किया था (नामिक का लेख)। सारनाथ नरेश पुलमावि के समय में (१० स० १५०) भद्रावनीय शास्त्रा (भिक्षु सघ) की गुप्त दान का वर्णन मिलता है (ददाति निकायस भद्रावनीयान भिक्षु सघस-नासिक लेख) इसी प्रकार महासंघिक शास्त्रा के दान देने का वर्णन कार्ला गुहा लेख में है।

गुप्तकाल में बौद्धमत के प्रसार का आभास सारनाथ की बौद्ध प्रतिमाओं से मिल जाता है। सारनाथ धौली में अनगिनत बूद्ध की मूर्तियां बनने लगी। प्रथम कुमारगुप्त का एक लेख मनकुत्तार (इलहाबाद उ० प्र०) को बुद्ध प्रतिमा के आधार शिला पर खुदा है। वह लेख 'नमो बुधान' की प्रार्थना से आरम्भ होता है। उसमें निम्न प्रकार का वर्णन है—इमं प्रतिमा प्रतिष्ठा पिता भिक्षु बुद्धिमत्रेण। कुमार गुप्त के राज्य में (१२९ + ३१९ = ४४८ ई० के समीप) यह प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई थी। द्वितीय कुमार गुप्त तथा बुद्धगुप्त के लेख भी उसी ढंग से उत्कीर्ण हैं। जिनकी तिथि क्रमशः ग्र. स १५४ तथा १५७ मिलती हैं।

गुप्तकाल के पश्चात् सातवीं सदी से बुद्धधर्म के तीसरे यान-वज्रयान का प्रसार उत्तरी

भारत में हो गया था। विभिन्न राजाओं ने सहिष्णुता के कारण तथा पालबंशी नरेशों ने बौद्ध होने के कारण उसे आश्रय दिया जिसके प्रमाण उत्कीर्ण लेखों से मिलता है। उत्तर प्रदेश, विहार तथा बगाल में वज्यायान के अनुयायी अधिक थे। उन प्रदेशों के लेखों में 'ओ नमो बुद्धाय' की प्रार्थना तथा "भगवन्त बुद्ध भट्टारकम्" के पक्ष में दान का वर्णन मिलता है। सारनाथ से उस प्रकार के अनेक लेख उपलब्ध हुए हैं। गहड़वाल राजा गोविन्दचन्द्र की रानी कुमारदेवी ने बौद्ध मतानुयायी होने के कारण विहार को दान दिया जिसका उल्लेख इसी विहार से प्राप्त एक शिलालेख में किया गया है। बंगाल के राजा महीपाल के सारनाथ लेख में बृद्ध प्रतिमा दान का वर्णन है। विहार प्रान्त के मगध या बगाल से जितनी पालशैली की बौद्ध प्रतिमाएं मिली हैं उनके सिरे भाग पर निम्न लेख खुदा रहता है—

यो धर्मा हेतु शभवा, हेतुं तेसं तथाभतो अवोच

तेसं च यो निरोधो एवं वादो महाश्रमण ।

(ए० इ० भा० ९० २९१)

पटना के समीप कुर्कीहार नामक स्थान से कास्य-प्रतिमाओं का ढेर मिला है जिन पर देवपाल के समय के लेख मूढ़े हैं। इतना ही नहीं पाल नरेशों की प्रशस्तिया (खालीमपुर, नालन्दा, मुर्गेर, भागलपुर, बोधगया, बानगढ़ आदि) बृद्ध की प्रार्थना से प्रारम्भ (नमो बुद्धाय) होती है जो राजाओं के धार्मिक भावना के द्वातक है। यो तो खालीमपुर तान्त्रपत्र तथा भागलपुर तान्त्रपत्रों में क्रमशः विल्यु और शिव मन्दिर के दान का विवरण मिलता है लेकिन उन लेखों में दान का विवरण राजाओं के सहिष्णु होने को वार्ता उपस्थित करता है। यह तो निविवाद है कि धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल सूरजपाल आदि पाल नरेश बौद्ध मतानुयायी थे तथा परमसौरगत की पदबी एवं बुद्ध-प्रार्थना इसके सबल प्रमाण हैं।

ईसा पूर्व छठी सदी से ही महाचीर ने जैन मत का प्रचार किया था जिगको उन्नति काला-तर में होती रही। अशोक लेखों में 'निग्रंथ' शब्द का प्रयोग जैन धर्म के लिए किया गया

है। उड़ीसा में जैनमत का प्रचार उदयगिरि (भुबनेश्वर के पास) जैन तथा आजीविक मत के गुहालेखों से ज्ञात होता है। हाथी गुम्फा लेख राजा खारवेल के

जैनमत में विश्वास का वर्णन करता है। उसकी रानी द्वारा उत्कीर्ण मंचपुरी गुहा लेख में "अरहत प्रसादाय कलिगान समनान लेन कारित" क., वर्णन यह बतलाता है कि उदयगिरि के भाग में जैन माधु निवास करते थे। जिन के लिए अमोहिनी ने गुहा दान किया था। इसकी सन् के आरम्भ से मथुरा के समीप इस मत का अधिक प्रसार हुआ। यही कारण है कि काली टीले की खुदाई से अनेक तोर्थकर प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं जिन पर दान कर्ता का नाम भी उल्लिखित है। वहा के आवाग पट्ट पर भी अभिलेख उत्कीर्ण है जिसमें वर्णन है कि अमोहिनी ने पूजा निमिन इसे दान में दिया था—

अमोहिनिये सहा पुचेहि पालघोषेन पोठघोषेन
घणघोषेन आर्थवती (आयागपट्) प्रतिष्पिता

वह लेख 'नमो अरहतो वर्धमानस' मंत्र द्वारा जैनमत से उसका सम्बन्ध घोषित करता है [सोडास कालोन लेख]। दूसरी सदी के जूनगढ़ शिलालेख में उस व्यक्ति का वर्णन है जो

जरा मरण से मुक्त होकर केवल ज्ञान (जैनमत में पूर्ण ज्ञान) प्राप्त कर चुका है । अतएव काठियावाड में जैनमत के प्रचार का अनुमान किया जा सकता है (जयदामन के पीत्र का जूनागढ़ लेख) ।

ईसवी सन् के आरम्भ से जैन प्रतिमा के आधार-शिला पर (बीढ़ प्रतिमा की तरह) लेख उत्कीर्ण मिलते हैं । लखनऊ के संग्रहालय में ऐसी अनेक तीर्थकर की मूर्तियाँ सुरक्षित हैं जिन के प्रस्तर पर कनिष्ठक के ७९ या ८४ वें वर्ष का लेख उत्कीर्ण है । मुप्तयुग में भी इस तरह वी प्रतिमाओं का अभाव न था जिनके आधार शिला पर लेख उत्कीर्ण हो । ज्यानमुद्गा में बैठी महावीर की ऐसी मूर्ति मथुरा से प्राप्त हुई है । गु ० स ० ११३ (ई ० स ० ४२३) के मथुरा चाले लेख में हरिस्थामिनी द्वारा जैन प्रतिमा दान का वर्णन है । स्कन्द गुप्त के शासन काल में मद नामक व्यक्ति द्वारा आदिकर्तृन की प्रतिमा के साथ एक स्तम्भ स्थापना का वर्णन कहीम (गोरखपुर, उत्तर प्रदेश) लेख में है—

थ्रेयोऽर्थं मूर्तमूर्तयै पर्य नियमवतामर्हतामादिकर्तृन् ।

पहाड़पुर के लेख (गु ० स ० १५७) में जैन विहार में तीर्थकर की पूजा नियमित भूमि दान का विवरण है, जिसकी आय गध घूप दीप नैवेद्य के लिए व्यय की जाती थी ।

विहारे भगवता अर्हता गध घूप सुमन दीपाद्यर्थम् ।

(पहाड़पुर का ताम्रपत्र)

पूर्व मध्ययुग में राजपृताना के विस्तृत क्षेत्र में भी जैन मत का पर्याप्त प्रचार था जिसका परिज्ञान अनेक प्रश्नस्तियों के अध्ययन से हो जाता है । चहमान लेख में राजा को जैनघर्म परायण कहा गया है तथा तीर्थकर शाति नाथ की पूजा नियमित आठ दिन (सिक्के) के दान का वर्णन है । तैलप नामक राजा के पितामह द्वारा जैन मंदिर के निर्माण का भी उल्लेख मिलता है—

वितामहेन + तम्येद शमीयाट्या जिनालये

कारित शातिनाथस्य विम्बं जन मनोहरम् ।

विक्षोली शिलालेख (ए० ई० २६ प० ८९) का आरम्भ 'ओ नमो बीतरागाय' से किया गया है जिसके पश्चात् पाश्वनाथ की प्रार्थना मिलती है । जलौर के लेख में पाश्वनाथ के 'छ्वज उत्सव' के लिए दान का वर्णन निम्न प्रकार है—

श्री पाश्वनाथ देवे तोरणादीना प्रतिष्ठाकार्यो कृते ।

ध्वजारोपण प्रतिष्ठाया कृताया (ए० ई० ११ प० ५५)

मारवाड़ के शासक राजदेव के अभिलेख में महावीर-मंदिर तथा विहार के निवासी जैन साधु के लिए दान देने का विवरण मिलता है ।

(श्री महावीर चैत्ये साधु तपोधन निष्ठार्थं)

लेखों के आधार पर कहना उचित होगा कि राजपृताना में महावीर, पाश्वनाथ तथा शातिनाथ की पूजा प्रचलित थी । परमार लेख में ऋषभनाथ के पूजा का उल्लेख है और उसके मंदिर को अतीव सुन्दर तथा पृथ्वी का भूषण कहा गया है ।

श्री वृषभनाथ नाम्न प्रतिष्ठित भूषणेन विम्बमिदं)
(तेनाकारि मनोहर जिन गृह भूमेरिदभूषणम्)

चन्द्रेल राज्य के प्रधान खजुराहो नगर में लेख तथा प्रतिमाओं के अध्ययन से जैनमत के प्रचार का ज्ञान होता है। प्रतिमाओं के आधार शिला पर खुदा लेख यह प्रमाणित करता है कि राजाओं के बतिरिक्त साधारण जनता भी जैनमत में विद्वास रखती थी। (ए० इ० २० पृ० ४५-८)

जहा तक आजीविक मत का प्रश्न है, मखली पुत्र गोसाल (बुद्ध के समकालीन) ने अपने मत का प्रचार अवश्य किया और उसके अनुयायी मसार त्याग भी कर चुके थे। अशोक तथा दशरथ के बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ों के गुहा लेखों से आजीविक संघ की स्थिति मालूम पड़ती है। उस संघ को गुहाएँ दान में दी गई थी। (इस निगोह कुभा दिग्ग आजीविके-हि-बराबर गुहा लेख)। सम्भवतः ईस्वी सन् के आरम्भ से आजीविक मत का उल्लेख प्रश्नस्तियों में नहीं मिलता। वराहमिहिर तथा वाण ने आजीविक का उल्लेख किया है। कालान्तर में इन्होंने सम्भवत ब्राह्मण मत (वासुदेव पूजा) को स्वीकार कर लिया जिस कारण आजीविक मत का पृथक अस्तित्व न रह सका।

प्राचीन भारत में अशोक में पूर्व किसी शासक के लेख प्राप्त नहीं हुए हैं अतएव अभिलेखों का अध्ययन भौयं काल से ही प्रारम्भ होता है। बुद्ध के समय में भी ब्राह्मण धर्म का प्रचार था जिसका वर्णन अशोक के धर्म लेखों में 'ब्रह्मण' शब्द से व्यक्त किया गया है।

भौयं पुग के पश्चात् भारतीय लेख यह बतलाते हैं कि अशोक के सिद्धान्त का जनता ने स्वागत नहीं किया। उसके मरते ही ब्राह्मण धर्म का जागरण हो गया और उत्तर तथा दक्षिण भारत में यज्ञादि होने लगे जिसे अशोक ने अपने धर्म लेखों में निन्दित बतलाया था (इधन किंच जीवं आरभित्पा प्रज्हितम्यं)
भागवत धर्म मौर्य शासन के पश्चात् शुग राजा पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का संदेश सुनाया और दो अश्वमेष द्वारा वैदिक यज्ञ को पून प्रतिष्ठापित किया (द्वि अश्वमेष याजिन सेनापते पुष्यमित्र-अयोध्या का लेख) दक्षिण के सातवाहन राजा शातकर्णि द्वारा कई यज्ञ करने का वर्णन नानाघाट के लेख में है जिसमें नायनिका ने अपने पति के कार्यों (मेधो) का उल्लेख किया है। यज्ञ के आर्तारिक्त ईसा पूर्व सदियों (दूसरी व पहली) में भागवत धर्म का विदेश प्रचार हुआ जिसकी पृष्ठ लेखों से होती है। नानाघाट लेख (महाराष्ट्र) के आरम्भ में ही सकर्ण तथा वासुदेव की प्रार्थना की गई है। घोणुडी शिलालेख (चित्तौरगढ़) में राजा भागवत की पदबी से विभूषित होकर अश्वमध का कर्त्ता कहा गया है। उसीमें सकर्ण एवं वासुदेव के पूजा निर्मित शिला-प्रकार का उल्लेख है।

राजा भागवतेन, अश्वमेषयाजिना
भगवम्या संकर्णं वासुदेवाम्या ।

इस तरह पाटलिपुत्र, राजपुताना तथा महाराष्ट्र के भूमांग में अश्वमेष का पुनः आरम्भ तथा भागवत धर्म का प्रसार ब्राह्मण धर्म की जागृति का सूचक है। भारतीय नरेशों को छीड़कर विदेशी यूनानी राजदूत हेलियोडोरस भी भागवत धर्म का अनुयायी हो गया था। उसने एक

गरुणस्तम्भ-लेख खुदवाया जो भिलसा (मध्यप्रदेश) के समीप सम्बा बाबा के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। उसने भगवान् विष्णु के मन्दिर के सम्मुख गशड स्तम्भ स्थापित किया जिसमें विष्णु महान् देवता (देव देवम् वासुदेवस्) कहे गए हैं तथा वह स्वयं अपने को भागवत (विष्णु का पूजारी) कहता है। इससे भागवत मत के प्रभाव का अनुमान हो जाता है।

ईसीं सन् की बीर्या शताब्दी से गुप्त साम्राटों ने अपने विजय के उपलक्ष्य में कई लेख उत्कीर्ण करवाया जिनसे ऐतिहासिक विवरण के अतिरिक्त धार्मिक विषय पर भी प्रकाश पड़ता है। गुप्त नरेश परम वैष्णव थे जिसका वृत्तान्त लेखों में निहित है।

विष्णु पूजा विष्णु के बाह्य गरुड का ध्वज उस वंश का राजचिह्न था जिसका उल्लेख प्रयाग के स्तम्भ लेख में मिलता है (गरुटमद्वक् स्वविषय युक्त शासन याचना) इसके अतिरिक्त गुप्त लेखों तथा मुद्रालेखों में राजाओं के लिए 'परम भागवत' की पदवी दुखी है। द्वितीय चन्द्रगुप्त के रजतमुद्रा में "परम भागवत महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य" लिखा है। प्रथम कुमार गुप्त तथा स्कन्द गुप्त के लेखों में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य तथा प्रथम कुमार गुप्त 'परम भागवत' की पदवी से विभूषित है (भिलसद, मितीरी स्तम्भ लेख तथा भितरी राजमुद्रा का लेख) साहित्यिक प्रमाणों से पुष्ट होती है कि अवतारवाद की कल्पना गुप्तकाल में पूर्ण हो गई थी। गुप्त लेखों का अध्ययन भी यह प्रमाणित करता है कि उस युग में विष्णु की अवतारों की पूजा होती थी। एरण नामक स्थान पर वराह विष्णु की स्तुति सुन्दर शब्दों में की गई। इसी तरह दामोदरपुर ताम्रपत्र में 'देवत वराह स्वामिन्' के लिए दान का वर्णन है। छठी सदी के तोरमाण के एरण लेख में 'देवो वराह-मूर्ति' की प्रार्थना पाई जाती है।

छठी सदी से बारहवीं शताब्दी तक के लेखों के आधार पर वैष्णव मत के प्रसार का परिचान होता है। जो अभिलेख वैष्णव मंत्र "नमो नारायणाय" या "ओ नमो भगवते वासु-देवाय" अथवा "वासुदेव भट्टारक" से प्रारम्भ होते हैं, उन्हें वैष्णव मानने में कठिनाई नहीं है। मध्ययुग में वैष्णवमत ने मत्रयान को प्रभावित किया (जो सहजिया के नाम से प्रसिद्ध था) जिसके फलस्वरूप बंगाल में "वैष्णव-न्सहजिया" मत का प्रचार हुआ। तत्कालीन लेखों में विष्णु मन्दिर तथा प्रतिमापूजा के निमित्त दान का विवरण भरा पड़ा है। प्रतिहार तथा कल्चुरी प्रशस्तियों (जबलपुर तथा गोहरवा) में विष्णु की प्रार्थना निर्गुण तथा सगुण भाव से की गई है।

यस्मिनि विशन्ति भूतानि यत्स्सर्गं स्थिती मते
स व पयाद् धृतीकेशो निर्गुणस्सामुण्डश्य
(भोज का जोधपुर की प्रशस्ति—ए० इ० १८ प० ९५)
निर्गुण व्यापक नित्यं शिवं परमकारणम्
भावग्राह्यं परं ज्योतिस्तमै सद्ब्रह्मणे नम
(सरखो ताम्रपत्र—ए० इ० २२ प० १६०)

प्रशस्तियों में विष्णु की स्तुति विभिन्न नामों से की गई है। नारायण, मुरारी, हरि, मात्रव "ओ नमो मात्रवाय" "ओम् नमो विष्णवे" मंत्र लेखों के आरम्भ में उल्लिखित हैं।

गहुठवाल नरेश के कमीली दान पश्चो में विष्णु के लिए 'बादि केशव' नाम प्रयुक्त है। आज भी वाराणसी के पूर्वी भाग बहुण-मंगा के समग्र समीप आदि केशव मंदिर स्थित है। इस तरह विष्णु पूजा की लोकप्रियता ज्ञात होती है। उत्तरी भारत के लेखों में वैष्णवमत का प्रचार अधिकतर मंदिर निर्माण के कार्य से विदित होता है [प्रासादी वैष्णवस्तेन निर्मितोन्तर्व-हन्हरिम्] चन्देल राजा परमर्दि के बेटेश्वर-लेख में विष्णु-मंदिर को कैलाश के सदृग ऊँचा बतलाया गया है। खजुराहो नामक स्थान से जो चन्देल लेख मिले हैं उन का वर्णन उपर्युक्त बातों की पुष्टि करता है। परमार राजा भोज देव के लेख-नेतमा ताम्रपत्र (ग्र. ३० १८ पृ० ३२३) में विष्णु मंदिर के समुख 'गहुठ छव्ज' स्थापित करने का उल्लेख है। इसी के सदृग धर्मपाल के खालीमपुर लेख में (ग्र. ३० भा० ४) 'नर-नारायण' के मंदिर निर्माण तथा नारायण पाल की प्रशस्ति में 'गहुठ छव्ज' की स्थापना सुन्दर शब्दों में की गई है।

इसी पूर्व सदियों में ब्राह्मण धर्म-सम्बन्धों मुद्रा-लेख नहीं मिलते परन्तु शैवमत से सम्बद्धित मुद्रा-लेख वीमकदक्षिस के सिक्के पर अकित मिला है।
 शैव मत सम्भवतः वह कुण्ठण नरेश शैवमतानुयायी था इसलिए वह 'महीश्वर'
 की पदबो में विभूषित किया गया था—

महरजस राजाविराजम सर्वलोग ईश्वरस महीश्वरस वीमकदक्षिसस ।

कनिष्ठ ने भी शिव (ओडशी) का नाम अंकित करा कर शैवमत के प्रति अपना मम्मान प्रकट किया था। उसके उत्तराधिकारी हृषिक तथा वासुदेव के सिक्को पर शिव की प्रतिमा तथा नाम नुदा है जिससे उत्तर पश्चिम भारत में शैवमत का प्रचार प्रकट होता है।

कुण्ठणों के राजनीतिक परदे से हटने ही वाकाटक तथा भारशिव नरेशों वा प्रभुव्य स्थापित हो गया। नागवशी राजा शिवलिङ्ग को अपने कथों पर वहन करते थे इसलिए उन्हें भारतिव कहा गया है। उसके सम्बन्ध में वाकाटक प्रशस्ति में निम्नलिखित वर्णन पाया जाता है—

शिवलिङ्गोद्धृत शिव-सुपर्तुष्ट समुत्पादित
 राजवश— भारशिवाना महाराज
 आ भव नाम (द्वितीय प्रबरंसेन का चमक लेख)

गुप्त युग के अभिलेखों का अध्ययन भी शैवमत के प्रचार को पुष्टि करता है। द्वितीय चम्द्रगुप्त के उदयगिरी लेख में शिव पूजा का उल्लेख मिलता है। राजा के मंत्री वीरसेन ने वहाँ शैव-गृहा (शिव-मंदिर) का निर्माण किया था—

भवतया भवत शम्भोगुहामेतामकारयत् (उदयगिरि का लेख)

उसी समय [ग्र. स ९६] ध्रुवशर्मा ने भिलसद [एटा, उत्तर प्रदेश] में स्वामी महासेन का मंदिर तयार किया था। प्रथम कुमार गुप्त का करमदण्डा लेख शिवलिंग के अधोभाग पर उत्कीर्ण है। दामोदरपुर ताम्रपत्र में कोकमुख स्वामिन (बैनर्जी इसे पार्वती का घोतक समझते हैं) के निर्मित अश्वहार का वर्णन है। गुणवर ताम्रपत्र (बगाल) में वैन्यगुप्त शिव भक्त (भगवन्महादेव पादानुष्यातो) कहा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुप्तयुग के अनेक

शिव प्रतिमाओं को छोड़कर अभिलेखों का अध्ययन यह प्रमाणित करता है कि शैवमत का प्रचुर प्रचार था। इतना ही नहीं गुप्तों के सामंत महाराज हस्तिन के कई लेख मध्यभारत (मध्य प्रदेश) से प्राप्त हुए हैं जिन पर 'नमो महादेवाय' मंत्र से प्रशस्ति का आरम्भ किया गया है।

गुप्तकाल के पश्चात् भी इस धर्म के प्रचार में उन्नति ही होती गई। वर्धन नरेश हर्ष मधुवन ताम्रपत्र में परमार्थेश्वर की पदबी से विभूषित है। सम्भवत प्रारम्भिक जीवन में वह शिव का पुजारी था। छठी सदी के शासक विष्णुवर्धन के मंदसोर (मालवा) लेखों में तथा हृष्ण राजा मिहिर के शासक प्रशस्ति में शिव की प्रार्थना रोचक शब्दों में की गई है (का० इ० इ० भा० ३ प० ७४ व १५२) मिहिरगुल के सिक्के पर जयतुर्युप का लेख अंकित है। यह विवरण हृष्ण शासक मिहिरगुल द्वारा की गई शिव-पूजा उसकी गाढ़ी भवित का परिचायक है।

सातवीं शती से बायाल में भी शैवमत का प्रचार था जो शशाक, पाल नरेश नारायण पाल और सेनवशी शासकों की प्रशस्तियों से प्रकट होता है। शिव प्रतिमा के लेख में "महा-वृप्यम पर्याङ्क बालदन्द ज्योतिजटा भगवत् स्तित्यत्पत्ति प्रलय सृष्टि संहार कारणस्य" का उल्लेख मिलता है। इस काल में शिवपूजा लोकप्रिय रही इसीलिए विवक्षित विभिन्न नाम, अप्रहार तथा महिर निर्माण की बाते उल्लिखित हैं। शैवमत की उपशाखाएं भी इस युग में प्रचलित थीं। शिव के प्रारम्भ में 'ओ नमो शिवाय' का मंत्र स्पष्ट प्रकट करता है कि शासक का ज्ञानव शैवमत की ओर अवश्य था। कलचुरी लेखों में केदारेश्वर, सोमनाथ तथा रुद्र के नाम उल्लिखित हैं। (ए० इ० भा० १ व १६ प० २३; १३) परमार प्रशस्ति में भवानो-पति, व्योमकेश, भगवान् या उमापति के नाम से शिव की प्रार्थना की गई है (ए० इ० भा० १२ प० १८१)। पश्चिम, योगस्वामी, लोलार्क तथा विन्ध्येश्वर (ए० इ० भा० ६, ५ प० १७४, १६६) के नाम विभिन्न लेखों से ज्ञात होते हैं। सेन तथा प्रतिहार लेखों में "अद्द-नारोद्धर" शम्भु तथा नीलकण्ठ का उल्लेख पाया जाता है (ए० इ० भा० १९ प० १७५, भा० १४ प० १५०) सेनवशी के आराध्येश्वर 'सदाशिव' कहे गए हैं जिनकी प्रतिमा लेखों के ऊपरी भाग पर सुधी है। शिव पूजा में आस्था करने के कारण ही परमार, चेदि, चन्देल, प्रतिहार गहड़वाल तथा सेनवशी शासक 'परम माहेश्वर' की पदबी से विभूषित थे। यह पदबी स्वयं बतलाती है कि महेश्वर के नए नाम से भी शिव की पूजा होती रही।

राजकीय लेखों में शिव की प्रार्थना ललित शब्दों में की गई है। प्रशस्तियों से उद्धरण मुनिए—

(१) जयति जगत्रय मद्दप मूलस्तम्भो महादेव

(परमार लेख, ए० इ० २१ प० ४४)

(२) वदेमहि महादेवं देव देव जगद्गुरुम् ।

(कलचरि लेख, ए० इ० २ प० १८)

(३) गङ्गावुस सिवत माल भाले

कलेन्दोरमला कुरामा

पन्मृद्धिन् नग्रेहित कल्प वल्या

भातीब भूत्यै स तवास्तु शभु-

(उदयपुर प्रशस्ति—५ इ. १ प० २३३)

(४) कल्पाणिताम् विकला भवता तनोतु

भाले कलानिधि शशि शेखरस्य

(भेराबाट लेख, —ए. इ. २ पृ. १०)

बगाल के पाल तथा सेन नरेशों के शिव मन्दिर के निर्माण का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। पाल राजा नारायणपाल ने बोढ़ मतानुयायी होकर भी शिव (शिव भट्टारक) के सैकड़ों मन्दिर तैयार कराया जिसका वर्णन भागलपुर की प्रशस्ति में मिलता है—महाराजा-विराज श्री नारायणपाल देवेन स्वयं कारित सहस्रायतनस्य । तत्र प्रतिष्ठापितस्य । भगवत् शिव भट्टारकस्य (इ० ए० भा० १५ प० ३०६) यदि इस सूच्या को अत्युक्तिपूर्ण मानें तो भी उसके शैवमत के बादर तथा उस धर्म के प्रति सहिष्णुता का भाव प्रदर्शित करता है। विग्रहपाल तीसरे ने भी शिव मन्दिर तैयार कराया। विजयसेन के देवपारा प्रशस्ति में प्रद्यु-म्नेश्वर (शिव) के विशाल देवालय निर्माण का वर्णन है—(स प्रद्युम्नेश्वस्य व्यधित वसु-मतो वासव सौर्यमुख्यं) बंगाल के बाहर उडीसा में दसवीं सदी में शिवमन्दिर निर्मित किए गए जिसमें लिङ्गराज सर्व प्रसिद्ध है। मध्य भारत में चन्देल नरेशों की शक्ति और भक्ति के प्रमाण उनके मन्दिरों तथा लेखों से मिलते हैं। कन्दरिया महादेव का मन्दिर अत्यन्त सुन्दर ढंग से बनाया गया है। खजुराहो की प्रशस्तियों में शिवमन्दिर का वर्णन सुन्दर शब्दों भर है। परमादि द्वारा निर्मित शिव मन्दिर भी उल्लेखनीय है (भारत कीमुदी भा० १ प० ४३५)। परमादामय माणेण शिव एव करोति य —ए० इ० २१ प० ४२, ४८) कलचुरी लेखों के परिशीलन से उसी तरह का ज्ञान होता है कि शासक शिव-भक्त होने के कारण शिव-मन्दिर का निर्माण करते रहे। रत्नपुर के लेख में उल्लेख आता है कि कुमराकोट नामक स्थान पर शिव मन्दिर तैयार कराया गया था।

सुकासु घबलं तत्र धृज्जटे धाम निर्मितम्

निर्मित मन्दिरं रम्या कुमराकोट पत्तने ।

(ए० इ० २६ प० २६२)

प्रतिहार लेखों का वर्णन इससे घटकर नहीं है। वाउक के राजालियर प्रशस्ति में निम्न वर्णन पठनीय है—

पुष्करणी कारिता येन त्रेता तीर्थे च पत्तनं

सिद्धेश्वरो महादेव कारितस्तुग मन्दिर ।

(ए० इ० १८ प० ६६)

इस प्रकार के अभिलेखों का अध्ययन स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि मध्य-प्रदेश, राजपुताना, उत्तर प्रदेश, बिहार, बगाल तथा उडीसा में शैवमत लोकप्रिय था। जिसके पूजा या मन्दिर निर्माण का विशद् वर्णन प्रशस्तियों में निहित है। लेखों का परिशीलन तथा प्रतिमाओं का परीक्षण यह बतलाता है कि भारतीय दर्शन के प्रकृति पुरुष या एक ब्रह्म की करपना को पूर्व मध्य-कालीन प्रतिमाओं में स्थान मिल चुका था। वैवाहिक प्रतिमा से प्रकृति पुरुष का बोध होता है तो अर्द्धनारीश्वर मूर्ति से 'एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति' का परिज्ञान हो जाता है। सेन लेख में अर्द्धनारीश्वर के सम्बन्ध में निम्न पंक्ति मिलती है—

सध्या ताण्डव समविधान विलसन् नान्दा निवादोम्मभि
ग्रिम्मर्यदासार्णवी दिशतु वः श्रेयोद्गुनारोद्द्वार
(नईहटी का ताम्रपत्र—ए० इ० १४ प० १५९)

७०० ई० के पश्चात् शैवमत का इतिहास विशेष महत्व रखता है। भारतवर्ष में सर्वत्र ही इस मत का प्रचार रहा। लेखों में शैवमत की प्रधान दो उपशाखाओ—पाशुपत तथा कापालिक—के नाम मिलते हैं। पाशुपत शाखा के प्रतिष्ठापक लकु-पाशुपत तथा कापालिक लीश (हाथ में दण्ड) को आकृति हृतिवक के सिक्को पर मिलती है परन्तु चौथी सदी में मयुरा स्तम्भ लेख में पाशुपत साधु उदिताचार्य द्वारा दो शिवलिङ्गों की स्थापना का वर्णन आता है (द्वितीय चन्द्रगुप्त का मयुरा स्तम्भ लेख)। गुजरात के एक लेख में लकुलीश के रूप में शिव का अवतार वर्णित है—

भट्टारक श्री लकुलीश मूर्च्छा तपः क्रिया काढ फल प्रदाता
अवानरेदिश्वमनुग्रहीतु देव स्वयं बाल मृगाक मौलि.

(ए० इ० १ प० २८१)

पाशुपत मत के प्रचार के लिए ही लकुलीश का जन्म हुआ था—“अवतेरूद्देवत्वार पाशुपत
त्रित विशेष चर्यार्थ ।” राजपृताना के उदयपुर के समाप्त्य नाथ-मन्दिर की प्रशस्ति में लकु-लीश की प्रार्थना की गई। (ओ मनो लकुलीशाय) भ्रमवग लेखों में पाशुपत अथवा लकुलीश पाशुपत का उल्लेख है (राज्यपाल जा नदलई लेख ए० ई० ११ प० ३६)। सम्भवत नाथ मन्दिर के भू-भाग में शैवमत लकुलीश सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध था। चहमान नरेश विप्रहगा ज (११ वीं सदी) के अभिलेख में शैवसाधु अलात का शिष्य पाशुपत शिव का परम पुजारी था।

आसीनेष्टिकरूपो यो दीप पाशुपत वतः
तीव्र वेग तपो जात पुण्यापुण्यमलक्षय ।

(हर्ष शिलालेख—ए इ २ पृ १२३ इलोक ४५)

राजपृताना संग्रहालय के लेख में पाशुपत मतानुयायी विश्वेश्वर प्रज्ञा नामक पुजारी सिद्धेश्वर मन्दिर में रहता था—ऐसा वर्णन आया है। कलचुरी लेख इस बात के प्रमाण है कि राजा पाशुपत उपशाखा के मानने वाले थे (ए इ १६ प० ७७) बह्लाणदेवी के भेराधाट प्रशस्ति में उल्लेख है कि (११ वीं सदी में) गिर मन्दिर की स्थापना कर पाशुपत साधु के हाथ सारा प्रबन्ध सौप दिया गया था—

लाटान्वय पाशुपतस्तपस्वी—
स्थानस्य रक्षा विधिमस्य तावद्यावन्मिभीते भवानानि शम्भु ।

तत्कालोन मठो में भी पाशुपत साधु के निवास करने का विवरण पाया जाता है—
श्रोंभोजनगरे श्री सोमेश्वर देव मठ निवासी
परम पाशुपत आचार्य भट्टारक श्री भाव बालिमक ।

बंगाल के राजा नारायणपाल के शिव मन्दिर के पाशुपत साधुओं के निमित्त स्थान तथा औषधि के लिए दान का निम्न वर्णन मिलता है :—

पाशुपत आचार्य परिषद्दश्च—

शयना नगलान प्रत्यय भैषज परिष्काराचार्य ।

(भागलपुर का लेख—इ ए १५ पृ ३०६)

इस समय में प्रचलित शैवमत की दूसरी उपशास्त्रा-कापालिक का नाम पुराणों में आया है और मध्ययुग के लेखों में भी उल्लिखित है। इसके बनुयायी शरीर में मृत व्यक्ति का भस्म (विभूति) लगाते, खोपड़ी में भोजन करते तथा शराब का पात्र भी रखते थे। अधोरपन्थी साधु भी इनके सदृश थे। शैव धर्म पर तात्त्विक मत का स्पष्ट प्रभाव दिखलाई पड़ता है। राज-पुताने के लेख में कापालिक साधुओं का उल्लेख है। उदयपुर की प्रशस्ति में कापालिक साधुओं के मठ निर्माण का विवरण पाया जाता है (आ० रि० राजपु० संघालय १६२२-२३ पृ २)। हम्मीर के एक लेख में कापालिक शास्त्रा का उल्लेख मिलता है जिसमें प्रकट होता है कि पाशुपत मत के पश्चात् उदयपुर के भाग में (१२ बी सदी) कापालिक (शैव-शास्त्रा) का प्रचार हो गया था (ए इ १६ पृ ४७)।

बैदिक काल में ही सूर्य देवता को पूजा का प्रचलन भारत में रहा परन्तु विद्वानों की घारणा है कि ईरान में सूर्य मन का पचार हुआ। इसी सन् के धारम्भ से सूर्यमूजा की प्रियता बढ़ने लगी इसलिए कनिष्ठ ने मित्र (सूर्य) की आकृति सिक्के पर बृद्धाई तथा मीरो (मिहिर = सूर्य) वर्कित कराया। गुप्त युग में विष्णु तथा शिव के बाद सूर्योपासना का रथान था। गुप्त लेखों में सूर्य पूजा का अनेक स्थलों पर उल्लेख है। प्रथम कुमार गुप्त के मदसार वाले लेख में भगवान् भास्कर की स्तुति लिलित तथा काव्यमय भावा में की गई है।

हेतुर्यो जगत क्षयाभुदययों पायात्स्वी भास्कर

× × ×

भवतेमयश्च ददाति योऽभिलिपिते तस्मैसवित्रे नम ।

× × ×

पायात्स्व सुकिरणाभरणो विवस्वान् ।

इस लेख के अध्ययन से यह भी जात होता है कि प्रथम कुमार गुप्त के प्रातर्पति बन्धु वर्मा के शासन में तन्नुवाय थ्रेणी द्वारा सूर्य मन्दिर का संस्कार भी हुआ था—

थ्रेण्यादेशेन भक्त्या च कारितं भवनं रवे

(मन्दसोर-मालवा की प्रशस्ति)

सम्राट् स्कन्द गुप्त के इन्दौर लेख में भगवान् सूर्य को प्रार्थना सुन्दर शब्दों से धारम्भ की गई है।

पायाद्वः स जगत्पिधान पृष्ठ-भिद्दश्या करो भास्करः ।

इहमें वर्णन है कि बन्तरवेद में (गंगा-यमुना के द्वाव) दो ऋत्रियों ने सूर्य पूजा के निमित्त

भास्कर का मन्दिर निर्माण कराया। वैशाली के मुहरों पर गुप्तलिपि में—“भगवतो आदित्यस्य” उत्कीर्ण है। गुप्त लेखों में उल्लिखित सूर्य-पूजा के वर्णन को तत्कालीन मूर्तिया प्रमाणित करती है।

पूर्व मध्ययुग में उत्तरी भारत (राजपृथिवी, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार व बगाल) में इस सिद्धान्त (सूर्य-पूजा) का प्रचार हो गया था। वहाँ के अभिलेख “ओ नमो सूर्याय या नमो सूर्याय” मन्त्र से प्रारम्भ होते हैं। वानेश्वर के शासक राज्यवर्द्धन प्रथम, आदित्य-वर्धन तथा महाराजा प्रभाकर वर्धन (हर्ष के पिता) सूर्य भवत होने के कारण ‘परम आदित्य भक्त’ कहे गए हैं (मधुवन का लेख—ए. ड. १ पृ ७२)। विदेशी हृषि राजा तोरमाण सूर्य का पूजारी था उसने सिक्कों पर चक्र के प्रतीक का समावेश किया तथा पुत्र को मिहिर का नाम रखा। मिहिरकुल के खालियर प्रशस्ति में भी सूर्य मन्दिर के निर्णय का वर्णन मिलता है। उदयसिंह देव की भीनमल के लेख में भगवान् सूर्य की ब्राह्मना निम्न शब्दों में की गई है—

कुरुतेज्जलि त्रिनेत्र स जयत धाना निधि सूर्य ।

(ए० इ० ११ पृ० ५५)

दूसरे लेख में पृथ्वी तथा नीम पत्तियों के साथ सूर्य पूजा का वर्णन है तथा चहमान प्रशस्ति में (१२ वीं सदी) सूर्य (इट्टादित्य) पूजा के निमित्त अयहार दान का विवरण है (ए० इ० १२ पृ० ५९)। प्रतिहार राजा द्वितीय महेन्द्रपाल के उज्जयिनी दानपत्र में भी उसी प्रकार का वर्णन (पूजा-प्रकार) है। गहड़वाल नरेज जयचन्द ने भगवान् लोलार्क (सूर्य का नाम) के पूजा निमित्त कई ग्राम दान किया था (ए० इ० ४प० १२०—देव श्री लोलार्काय)। परमार वंश के बमनशुद्ध के लेख में विवाह गानी हारा सूर्य मन्दिर के संस्कार का उल्लेख पाया जाता है—

(अ) कुत्वा निकेतन ग्रटवासी भानो (ए० इ० ९ पृ० १३)

(उ) गृह कारितमाणुभानो (वहो १४ पृ० १८१)

मुमलमान लेखकों ने सूर्य पूजा का वर्णन किया है जिसका प्रधान केन्द्र मूलतान (= मूलस्यान) था। अलवेहनी ने इसका सुन्दर विवरण दिया है कि भारत के कोने-कोने से जनता मूलतान के सूर्य मन्दिर में आया करती थी। उसके दान से वह शहर वैभवपूर्ण हो गया था। पूर्वी भारत में भी सूर्य पूजा का प्रकार था। उडीसा का कोणार्क मन्दिर इसे प्रमाणित करता है। सूर्य प्रतिमा के पृष्ठ भाग पर दो प्रकार के लेख उत्कीर्ण पाये जाते हैं—

(१) सूर्य समस्त गोपाना हर्ता विश्व प्रकाशक. (ज० ए० स०० व० २६ पृ० १४७)

(२) श्री तदभीदिनकारिन् भट्टारक (ए० इ० २७ पृ० २५)

इन उद्घरणों में ज्ञात होता है कि सूर्य सब रोगों के नाशक (कुष्ट तथा अन्य चर्म रोग) माने जाते थे। अर्यवदेश में (१, ४, ६) तकमन शब्द रोग के लिए प्रयुक्त है इसलिए सूर्य को तकमी (रोग नाशक) कहा गया है। बगाल के दसवीं सदी के कथित प्रशस्तियों से प्रकट होता है सूर्य की आराधना रोगों से मुक्त होने के निमित्त किया जाता था।

बिहार में निवास करने वाले शाकद्वीपी (मग) आहुण अत्यन्त पुराने समय से ही

सूर्य के पुजारी माने गए हैं और आज भी ओषधि या तत्र का ज्ञान उनमें अधिक है। डॉ० भण्डारकर के मतानुसार भारत में मग वाहाणों ने सूर्य-पूजा का प्रचार किया था। गया जिले (बिहार) से प्राप्त एक लेख में शाकद्वीपी मग नाम से उल्लिखित है—

शाकद्वीपस्य दुखाम्बुनिधि वलयितो यत्र विप्रो मगास्या (ए० इ० ०५० : ३३)

उत्तरी भारत में पूर्वमध्यकाल में सूर्य पूजा अधिक लोकप्रिय हो गई जिसके कारण इस देवता के अनेक नाम—इन्द्रियानित्य, लोलार्क, मास्कर, चक्रस्वामी, वरुणस्वामी, तथा मार्तण्ड-अभिलेखों में मिलते हैं तथा इन नामों से प्रतिमाएं भी बनती थीं। यहा सूर्य प्रतिमाओं का वर्णन अप्रासादिक होगा परन्तु सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि पवायतन-पूजा में सूर्य का भी स्थान था तथा गुप्त युग के पश्चात् इस देवता की पूजा समाज में पूर्णरूपेण प्रचलित हो गई।

भारत में मातृदेवी की पूजा प्रार्गतिहासिक युग से प्रचलित है। मातृदेवों की मृणमयी प्रतिमा पाच हजार वर्ष पूर्व बनती रहा। मिथ्र से लेकर हरपा युग को सस्कृत म मातृदेवी (Mother goddess) की मूर्तिया खुदाई से प्रकाश में आई है।

शक्ति-पूजा इस मातृदेवी को शक्ति का रूप मानते हैं। शिव के साथ देवी को सम्बन्धित करना तात्त्विक मत का प्रभाव है। इसमें शक्ति और शक्तिमत को अभिन्न समझा जाता है। इसलिए प्रकृति पुरुष की भावना समाज में आई। बोद्धमत में 'प्रजा तथा उपाय' शब्दों से उसको अभिव्यक्ति को जाती है। तात्त्विक मत म प्रभावित होकर शक्ति की आधुनिक प्रतिमाएं बनने लगी। भेगघाट (जवलपुर, मध्यप्रदेश) के चौसठ योगिनी का मन्दिर उसका जीता-जागता उदाहरण है। उन तात्त्विक देवी प्रतिमाओं के आधार-शिला पर शक्ति का नाम भी उत्कीर्ण है जिसके अध्ययन से हमारे ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। पूर्व मध्यकालीन लेखों में भी दुर्गा पूजा का वर्णन है जो शक्ति का उत्तरस्थ मानी गई है। प्रतिहार लेख महिषमर्दिनी देवी को प्रार्थना में आरम्भ होता है। उस स्थान पर बट्टयक्षिणी देवी (दुर्गा का एक नाम) के मन्दिर को शैवसाधुओं के हाथों सौपने का वर्णन है (ए० इ० १४ प० १७७) हूसरे लेखों में काचनदेवी, सर्वमङ्गला या अम्बा के नाम से वर्णित है। उसकी प्रार्थना का एक उदाहरण दिया जा रहा है—

दुर्गो जयार्थे प्रबला सुरोच्चविद्वसनी न्नोत् परंपरामिः

दुर्गास्तुकन्नेव सदैव भक्त्या कृताञ्जलि पुण्यं तमामुपास्ते ।

(ए इ. भा १ प० २३४)

शक्ति का दुर्गा ही प्रसिद्ध नाम वा यहो कारण है कि भारतीय कला में महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा अधिक संख्या में उपलब्ध है। बंगाल के एक अभिलेख में नव दुर्गा का उल्लेख है जिसको पूजा तथा मन्दिर के संस्कार के लिए अग्रहार दान में दिया था (नव दुर्गायितनाय च पूजा संस्कारार्थम्—ए. इ १ प० १५९) इस स्थान पर नव दुर्गा का नाम नहीं मिलता पर साहित्य में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघट्टा, कुम्भाण्डी स्कन्धमाता, कात्यायिनी, कालरात्रि, महागोरी तथा सिद्धमाता (नव दुर्गा प्रकोपिता) के नाम मिलते हैं। बंगाल से शक्ति की विभिन्न स्वरूप की अनगिनत प्रतिमाएं प्रकाश में आई हैं जिनसे उस प्रदेश में शक्ति-पूजा की प्रधानता का अनुमान लगाया जाता है।

पंचायतन पूजा में गणेश को अन्तिम स्थान (विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा तथा गणेश) दिया गया है। यो तो हिन्दूधर्म में समस्त कार्य गणेश को आराधना से प्रारम्भ होते हैं परन्तु लेखों तथा कलात्मक उदाहरणों से गणेश-पूजा का प्रचुर प्रचार नहीं गणेश मानूम पड़ता। कई शैव प्रशस्तियों में गणेश, शिव-पार्वती के साथ प्रार्थना में सम्मिलित है। वैष्णव अभिलेख भी “ओ गणपतये नम्” से प्रारम्भ दीख पड़ते हैं। आरम्भ के लेखों में गणपति को प्रार्थना मिलती है परन्तु उस अभिलेख का मुख्य विषय विष्णु मन्दिर के दान से सम्बन्धित है (ए० इ० भा० १ प० २८८)। चन्देल प्रशस्ति में गणेश को विनायक कहा गया है। (ए० इ० ९ प० २७९)। विनायक नाम से जैन लोग भी गणेश की पूजा करते रहे जिसका उल्लेख राजकीय लेख में प्रस्तुत किया गया है (ज० इ० हि० भा० १८ प० १५८)।

प्राचीन लेखों से धार्मिक वृत्तान्त की जानकारी तो होती है पर यदा-कदा दार्शनिक सिद्धान्तों से भी पाठक अवगत हो जाते हैं। दानपत्रों में अधिकतर देवता के नाम (पूजा निमित), मन्दिर के अधिकारी (पुरोहित) के नाम अवश्वा धार्मिक संस्था को भूमि या धन दान का विवरण है। उसको आय निर्दिष्ट मार्ग से व्यय को जाती थी (पूजा, सस्कार, भोजन, निवास, औपचिर आदि) नासिक लेख में वर्णन है कि सचित धन के मूर्द से हा भिक्षुओं को भोजन या वस्त्र दिया जाय। इस बात का आदेश या कि कोष के सचित द्रव्य का कभी व्यय नहीं किया जा सकता। पूर्व मध्ययुग के लेखों के (दानपत्रों को) चिरस्थायी करने के लिए अन्त में आपयुक्त या मगलमय इलोक लिखावाए जाते थे। उमका एक मात्र कारण यही था कि दानकर्ता के उत्तराधिकारियों के मन में भय उत्पन्न किया जाय ताकि वे दान सम्पत्ति को वापस न ले सकें।

षष्ठि वर्ष सहलाणि स्वर्गे मोदति भूमिद
आकृष्टा चानुमन्ता च तान्येव नरके वसेत् ।

प्राचीन भारत के अभिलेखों का परिशीलन एक विशेष प्रकार के सन्द्रावना से परिचय करता है जो भारतीय इतिहास की अद्वितीय घटना है। मौर्य सम्राट् अशोक से लेकर १२वीं सदी के बगाल नरेश धार्मिक सहिष्णुता की भावना से प्रेरित थे।

धार्मिक सहिष्णुता कटूरपथी शब्द का प्रयोग उनके लिए नहीं किया जा सकता। अशोक ने अपने बाहरवे शिलालेख में आदेश दिया है कि धार्मिक क्षेत्र में सभी सीमित दण से विचार व्यक्त करें (वाक्य सयम करना = इयो मुलय वचोगुति)। अपने धर्म की प्रशस्ता तथा अन्य मतों की बुराई करने की वार्ता को उसने निन्दनीय बतलाया।

अत पष्ठ पुज व पर पष्ठंड गरहन—

X X

अत पष्ठ क्षणति पर पष्ठंडस च अपकरंति ।

इतना ही नहीं, अशोक ने तथा उसके पौत्र दशरथ ने आजीविक मत के साधुओं के लिए बराबर तथा नागार्जुनी पर्वत की गुफाओं (गया जिला) को दान में दिया था। अशोक के विचार तथा कार्य में सामंजस्य पाया जाता है। मौर्य युग के पश्चात् सातवाहन तथा शृंग नरेश ब्राह्मण

धर्म के अनुयायी थे परन्तु उनके शासनकाल में अमरावती, साचो तथा भरहुत आदि बौद्ध कलाकेन्द्र विकसित हुए। गौतमी पुत्र शातकर्णि “एक ब्राह्मण” तथा “क्षत्रिय मान मदनस” (क्षत्रियों के मान को नष्ट करने वाला) कहा गया है पर उसी के शासन में भद्रावनीय तथा महासंघिक नामक बौद्ध शाखाओं को गुहा दान में दिया गया था। इसी सन् के आरम्भ से उत्तर पश्चिम भारत में कनिष्ठ ने बौद्धमत को अन्वाया था परन्तु उसने ईरानी (मित्र), यूनानी (आरदोक्षो), ब्राह्मण (शिव) तथा बौद्ध (बुद्ध) देवताओं के चित्र तथा नाम तिक्को पर अकित कराया, जिससे उसको सहिष्णुता का अनुमान किया जा सकता है। गुप्त सम्राटों में भी ऐसा गुण था जिसकी जानकारी उनके लेखों से हो जाती है। गुप्त नरेश विष्णु के पुजारी (परम भागवत) होकर पचदेव (विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा तथा गणेश) पूजा के समर्थक थे तथा अन्य सम्प्रदायों के प्रसार में योग देते रहे। मौतिक सहानुभूति का प्रदर्शन कर गुप्त सम्राटों ने शैव तथा जैनमतानुयायियों को प्रश्रय दिया। बौद्धकला को प्रोत्साहन देने के कारण सारनाथ का कलाकेन्द्र उनके राज्य में ही फूजा और कला। परम भागवत द्वितीय चन्द्रगुप्त से लेकर बुद्धगुप्त तक के लेखों में विहार-दान का वर्णन है। हर्ष के पूर्वज सूर्य के उपासक थे, वह भी आरम्भिक जीवन में शिव का भक्त था परन्तु बौद्धमत की ओर उसका द्रुकाव हो गया।

पाल नरेश ‘परमसौगत’ पदवी से विभूषित थे तथा ताप्रपत्रों के ऊपरी भाग पर ‘धर्म चक्र’ चिन्ह अकित है। बौद्ध सम्राटों में धर्मपाल का नाम अप्रणो है जिसने विक्रमशिला महा विहार की संस्थापना की। वही वज्रयान का प्रसिद्ध केन्द्र बन गया। धर्मपाल के द्वारा ‘नर नारायण (विष्णु)’ तथा नारायणपाल के हांगा शिव मन्दिर के निमित्त दान का उन्नेलख है। पाल शासन में दान का वर्णन है (खालीमपुर का लेख तथा भागलपुर का दानपत्र)। गढ़वाल राजा गोविन्द चन्द्र की रानी कुमारदेवी बौद्धमत में विश्वास रखती थी, इसलिए सारनाथ में उसने एक विहार बनवाया था। ब्राह्मण मतानुयायी राजा ने स्वयं जेतवन विहार के लिए कई ग्राम दान में दिया। (ए० ३० ११ प० २०) चन्देल राजा भी परम सहिष्णु थे। खजुराहो का विष्णु, शैव तथा जैन मन्दिर उनके धार्मिक सहिष्णुता के जीते उदाहरण हैं। मध्य देश के लेखों में बौद्ध शासकों के अतिरिक्त ब्राह्मण धर्मनियायी राजा में सहिष्णु होने की वार्ता उल्लिखित है। परममाहेश्वर शैव शासक द्वारा नारायण-पूजा का वर्णन मिलता है। कलंचुरी राजा के कसिया लेख में शैव तथा बौद्धमत सम्बन्धी चर्चा एक ही स्थल पर की गई है। “नमी बुद्धाय” तथा “ओ नमो रुद्राय” मन्त्रों से लेख प्रारम्भ होते हैं। कुछ पदों में शिव और कुछ श्लोकों में बौद्ध तारादेवी की प्रार्थना मिलती है।

पायात्ति पञ्च प्रभवमयमिद शाश्वत शंकरस्य

विभ्राणा भवता सुखानि तनुता तारा त्रिलोकेश्वरी

(ए० ३० १८ प० १३०)

११ वी सदी के मारवाड लेख में शिव की प्रार्थना के साथ जैन मन्दिर को दान देने का विवरण पाया जाता है। सक्षेप में यह कहना सर्वथा उचित होगा कि भारतीय नरेशों में धार्मिक सहिष्णुता उच्च काँट की थी और वैसा आदर्श अन्यत्र नहीं पाया जाता।

मौर्य युग के बाद भारतीय अभिलेखों में यज्ञों का विवरण मिलता है। अशोक के धर्म

लेखों में बोढ़ धर्म के विनाय का वर्णन है परन्तु कालान्तर में सम्पूर्ण भारत में ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के साथ यज्ञ सम्पन्न हुए। ईसवी पूर्व सदियों में अयोध्या वैदिक यज्ञ लेख में पृथ्विमित्र द्वारा दो अश्वमेष्ठ का उल्लेख है—
कोसलाधिपेन द्विरश्वमेष्ठ-याजिन सेनापते पृथ्विमित्रस्य

उसी के समकालीन दक्षिण भारत के सातवाहन लेख में अनेक यज्ञों के नाम आते हैं—अग्न्या-षेष यज्ञ, अनारम्भनीय यज्ञः राजसूय यज्ञ, अश्वमेष्ठ यज्ञ, गर्गतिरात्र यज्ञ, आसोयर्य यज्ञ, आङ्ग्रिरसाति रात्र यज्ञः तथा त्रयोदश रात्र यज्ञ (नानाधाट लेख)। पश्चिम भारत के क्षत्रप शासक नहान का जमाता ऋषभदत्त (दूसरी सदी) भारतीय संस्कृति का अनुयायी था। उसने तीर्थ यात्रा, दान आदि कार्यों को प्रोत्साहित किया परन्तु किसी वैदिक यज्ञ को सम्पन्न नहीं किया। तीसरी शताब्दी के शासक नागवंशी राजाओं के सम्बन्ध में द्वादश जायसवाल का मत था कि काशी के दशाश्वमेष्ठघाट का नामकरण उनके द्वारा सम्पन्न दश अश्वमेष्ठ के कारण हुआ था। नाग राजाओं (भारशिव) ने वही यज्ञ किया था। दक्षिण भारत के राजा वीर-पुरुषदत्त के लेख में “अग्निष्टोम, वाजपेय तथा अश्वमेष्ठ के नाम मिलते हैं (अग्निष्टोतागिठो-गिठोभ = वाजपेयासमेष्ठ नागार्जुन कोण्डा का लेख नं० ३-ए० इ० २० पृ० १६-१९)।

यज्ञ का यही कम उल्लंघन भारत में भी थी। गुप्त युग में सम्ब्रंगुप्त ने अश्वमेष्ठ किया था जिसका उल्लेख अभिलेख तथा मुद्रालेख में मिलता है। समुद्रगुप्त के लिए गुप्त लेखों में “चिरोत्सन्नाश्वमेष्ठा हर्तुः” (अश्वमेष्ठ को पुनः जीवित करने वाला) तथा वाकाटक वशी प्रभावती गुप्ता के पूना ताप्रत्र में “अनेक अश्वमेष्ठ याज्ञी” उल्लिखित है (ए० इ० १५ पृ० ४१)। कई अश्वमेष्ठ की चर्चा संदिग्ध है तथापि एक अश्वमेष्ठ की घटना तो मुद्रालेख से सिद्ध होती है। अश्वमेष्ठ प्रकार की स्वर्ण मुद्रा पर अग्रभाग में निम्न लेख अकित है—राजाधिराज पृथिवीमवित्वा दिव जयत्या हृतवाजिमेष्ठ। पृथु भाग पर—अश्वमेष्ठ पराक्रम लिखा है तथा पट्टमहिषि (कात्यायन श्रोत सूत्र में कथित प्रकार से) यत के लिए उद्यत है (का० श्री० सू० २०.७)। पाचवीं सदी के वाकाटक राजा द्वितीय प्रवर्सन के लिए चमक ताप्रत्र में “चतुरश्वमेष्ठायाजिनः” (चार अश्वमेष्ठ करने वाला) पदवी का उल्लेख है (का० इ० इ० ३ पृ० २३६)। इस प्रकार लेखों के अध्ययन से छठी सदी तक यज्ञ करने की धारों जात हो जाती है। बसीम लेख में (मध्य प्रदेश) अग्निष्टोम, वाजपेय तथा ज्योतिष्टोम यज्ञों के नाम मिलते हैं (इ० हिं० वा० १६ पृ० १८२)। तात्पर्य यह है कि ब्राह्मणघर्म के अभ्युदय के साथ वैदिक यज्ञों का अनुडान भी होने लगा जो क्रम सातवीं सदी तक प्रचलिय रहा।

भारत में धर्म को सदा प्रधान स्थान दिया गया है और जनता समाज में धार्मिक भावना से प्रेरित होकर ही कार्य करती रही है। भोज प्रतिहार के धार्मिक कार्य लेख में यह विवार ध्यक्त किया गया है कि धर्म ही मनुष्य का इस लोक में मित्र है

प्राणास्तुणाग्रजलविन्दु समा नराणा

धर्मः सखा परमहो परलोकयाने

(ए० इ० ११ पृ० १८२)

धर्म ग्रंथो मे भी इसका उल्लेख है कि धर्म ही विभिन्न योनियो मे आत्मा के साथ भ्रमण करता है (वौ० ध० सू० २०।२९।४८; गीता २।२७, याज० ३।७ विष्णु २०।२२० : शा० १० १७।५।१५)

अशोक ने धर्म-भावना के कारण ही लेखो को उत्कोण कराया था जिसे पठ कर लोग उसके धार्मिक विचार से परिचित हो सकें । चैथे शिला लेख मे “धर्म चरणेत भेरी घोषो अहो धर्म घोषो” का उल्लेख है तथा इसी भावना से साम्राज्य विस्तार की इच्छा को अशोक ने परित्याग कर दिया । उसने सारा कार्य “धर्म यात्रा”, “धर्म मंगल”, “धर्म शासन” (शिलालेख ८ तथा ९) धर्म के लिए ही पूर्ण किया तथा संसार के धर्म-विजय की कल्पना करता था । उसके सम्मुख धर्म दान से बढ़कर कोई कार्य न था (नयि हेडिये दाने अदिव धर्म दाने-शिला लेख ११) । इसी कारण जो कुछ अशोक ने खुदवाया वह सभी (अयं धर्म लिपि) धर्म लिपि कह लाया (इय धर्म लिपि लिलापिता-स्तम्भ लेख प्रथम चौथा) सातवाहन लेख भी “धर्माय नम्” की प्राथना से प्रारम्भ हुआ है (नामाचाट) । धार्मिक विचार तथा भारतीय संस्कृति के प्रशंसक हीने के कारण नहपान के जामाता ऋष्यभद्र ने प्रभास तीर्थ मे ब्राह्मण कन्या के विवाह के लिए धन दान मे दिया था (प्रभामे पुण्यतीर्थे ब्राह्मणेभ्य अष्टभार्या प्रदेन—ए । इ ८ पृ ७८) ।

इसवी सन् की दूसरी सदी मे महाक्षत्रप रुद्रदामन मे अपनी धर्म कीर्ति को बढ़ाने के लिए अपने कोप से पर्याप्त धन व्यय कर बाध बैधवाया था (गो ब्राह्मण हितर्थ धर्म कीर्ति वृद्ध्यर्थ—ए । इ ८ पृ ४२) । रुद्रसिंह प्रथम के गुण्डा लेख मे पुण्य के लिए जनहित कार्य का विवेचन है (ग्रामे रसोपद वापी खनिता वन्धापितश्च सर्व सत्वाना हित मुख्यार्थमिति—ए । इ. भा १६ पृ. २३५) । गुप्त युग मे सभी धर्म से प्रेरित होकर कार्य करते थे ।

तस्मिन्नुये शासति नैव कठिच्च

द्वम्मदिवेतो मनुज प्रजामु

(इकन्द का जूनागढ लेख—का । इ ३ पृ ५८)

छठी सदी के फरीदपुर ताम्र-पत्र (बंगाल) निम्नलिखित वर्णन है—

धर्म एड्मागलाभः तदे ता प्रबृत्तिमधिगम्य

न्यासाधा स्वपुण्यकीर्ति सस्थापन कृताभिलापस्य

यथा संकलाभि तथा कृपाधृत्य साधनिक वत्तभोगन द्वादश दीनारानग्रतो दत्ता

(मुकुर्जी सिल्वर जुलिभी वालुम भा ३ पृ ४७५) ।

तात्पर्य यह है कि धर्म की भावना ही सभी पुण्यकार्यो के मूल मे निहित थी ।

जो कुछ कार्य किया जाता उसमे सासारिक बैभव की कामना न रहती परन्तु पुण्य लाभ के लिए दान दिए जाते थे । अशोक ने स्तम्भ का निर्माण धर्म शासन के प्रसार के लिए किया ।

शुद्ध कालीन स्तूप तथा वेदिका पर अकित लेख उसी भावना को

मदिर निर्माण पुष्टि करते है । वेस नगर स्तम्भ लेख मे हेलियोडोरस द्वारा स्तम्भ

निर्माण भी उसी भावना का द्योतक है—देव देवस वासुदेवस गरुदवजे

कारिते ।

ईसबो पूर्व लेखों में चैत्य तथा गुहा निर्माण का विस्तृत विवरण नहीं मिलता परन्तु “अयं कारितं” वाक्य से निर्माण कार्य का अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरणार्थ—अरहर्तं पतादाय कलिगानं समनानं लेनं कारितं (कलिगदेश के जैन सांख्यों के लिए गुहा बनाया—मचपुरी गुहा लेख) बौद्धलेखों में भी अनेक उल्लेख आते हैं। गुप्त कालीन अभिलेखों में मन्दिर निर्माण तथा मंस्कार का विवरण उपलब्ध है—

श्रेणी भूतीर्थवनमतुल कारितदीप रथमे

(प्रथमकुमार गुप्त का मंदिसोर लेख)

खण्ड स्फुट प्रति सस्कार करणाय (गुणधर लेख)

गुप्त युग में पाचरात्र संहिता में क्रिया तथा चर्या पर अधिक बल दिया गया था जिस कारण धार्मिक कार्य दो विभिन्न मार्गों से प्रवाहित हुए (पूजा तथा निर्माण कार्य)। दान के व्यय का तीसरा मार्ग सत्र था जहां नि शुल्क भोजन वितरित किया जाता था।

- (१) मन्दिर का निर्माण या सस्कार
- (२) देव पूजा तथा तत्सम्बन्धी दान ।
- (३) सत्र (प्रशस्तियों में उल्लिखित)

मध्य कालीन अभिलेखों में उपरिलिखित सभी कार्यों का उल्लेख मिलता है। गहड़वाल नरेश के कमोली प्रशस्ति में आदि केशव के मन्दिर निर्माण का वर्णन है (ए. इ. ४ व ८)। गुर्जर प्रतिहार राजा भोज ने विष्णु का मन्दिर तैयार किया था तथा उससे पूर्व वार्डक ने सिद्धेश्वर महादेव का मन्दिर निर्मित किया था।

राजा तेन स्वदेविना यथा पुष्पाभि वृद्धये
अन्त पुर-पुरं नाम्ना व्यधापि नरकटीप

(ए. इ. १८ पृ. ११०)

सिद्धेश्वरो महादेव कारितस्तुङ्ग मन्दिर

(वही १८ पृ. १६)

परमार वशी राजा चामुण्डराज के अभिलेख शिव मन्दिर के निर्माण का उल्लेख करते हैं (ए. इ. १४ पृ. २९८)। चन्देल प्रशस्तियों में भी इसी प्रकार का वर्णन मिलता है (नोलकण्ठ धिवास)।

प्रासादो वैष्वस्तेन निर्मितोन्तर्बद्धहरिम्

(ए. इ. १ पृ. १२१ व १२८)

ऐसे अनेक उल्लेख खजुराहो की प्रशस्ति में मिलते हैं। एक उदाहरण देखिए

(ए. इ. १ पृ. १२९)

ते नैतच्चारुं चामोकर कलसलस द्वयोम धाम व्यधायि
भ्राजिष्णु प्राशुंवशाष्वज पटला दोलिता भोज वृद्धम्
दैत्यारातेस्तुपार वितिधर विश्वर स्पर्धिविष्णु रागा
दृष्टे यात्रा मु यत्र त्रिदिववसतयो विस्मयन्ते समेता।

कलचुरी लेखों में ऐसे उदाहरण हैं जिनसे प्रकट होता है कि शासकों ने विभिन्न स्थानों पर शिव मन्दिर का निर्माण किया था (ए० इ० २६ प० २६२-९) ।

(अ) सुधाशु घवल तत्र घूजर्जटे धाम निर्मितम्

(ब) प्रकाशितु तादृशमेव कारितं विभोरिदं धाम हरे. सनातनम् ।

इलोरा के कैलाशनाथ गुहा मन्दिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा तृतीय कृष्णराज ने किया था तथा लेख से उसका स्पष्टीकरण हो जाता है। बैगाल की प्रशस्तियों में पाल तथा सेन शासकों द्वारा मन्दिर निर्माण का वर्णन अनेक स्थलों पर मिलता है। वर्मपाल ने नरनारायण का मन्दिर तैयार कर चार ग्राम दान में दिया था (ए० इ० ४ प० २५०) । नारायणपाल ने अतियुक्त पूर्ण उल्लेख किया है कि सहस्र शिव मन्दिरों का निर्माण उसके हाथों किया गया— महाराजाविराज श्री नारायणपाल देवेन स्वयं कारित सहस्रायननस्य (भागलपुर लेख—१० ए० १५) सेन नरेण विजयसेन ने प्रबुमनेश्वर का विशाल शिव मन्दिर तैयार कराया ।

स प्रबुमनेश्वरस्य व्यधित वसुमती वासव सौध मूळ्वै

(ए० इ० १ प० ३१०)

१२ वीं सदी तक बगाल में वैष्णव मन्दिरों के निर्माण का पता चलता है (ए० इ० १३ प० २५) । इस तरह अभिलेखों का अवधियन यह प्रमाणित करता है कि पूर्ण तथा यश को भावना और धार्मिक विचार से प्रेरित होकर राजा तथा जनता मन्दिरों का निर्माण करती रही ।

नवीन मन्दिर के अतिरिक्त पुराने मन्दिरों का जोरोंदार और सस्कार भी उसी तरह पूर्ण का काम समझा जाता था। अभिलेखों में “खन्ड स्फुट सस्कार” शब्दों का प्रयोग उस कार्य के लिए मिलता है। यदि मन्दिरों का इतिहास देखा जाय तो सस्कार पता चलता है कि गुप्त युग में मन्दिर कला का प्रारम्भ तथा विकास हुआ। इसलिए उसी युग से देवालय के मंस्कार का भी प्रश्न सम्मुख आता है। गुणीघर तथा दामोदरपुर ताम्रपत्रों में “खन्ड स्फुट प्रति सस्कार करणाय” (इ० हि० वा० ६ प० ५३) तथा श्वेत वराह स्वामिनों देवकुले खन्ड स्फुट प्रति मंस्कार करणाय (ए० इ० १५ प० १४२) का उल्लेख है। वैशाम (५ वीं सदी) तथा खोह ताम्रपत्रों में भी एक समान (खन्ड स्फुट सस्कारार्थ) वर्णन आता है (ए० इ० २१ प० ८१ तथा का० इ० इ० ३ प० ११४) ।

ज्ञानी सदों के पश्चात् प्रशस्तियों में संस्कार का अधिक वर्णन है जिसमें जनता के धार्मिक कृत्य का अनुमान लगाया जाता है। गजपुताने के लेखों में ऐसे विवरण में भरे पड़े हैं। साधारणतया दान में इस बात का उल्लेख किया जाता था कि पूजा-अयं के अतिरिक्त मन्दिर के सस्कार में शेष दद्य अयं किया जाय। इसलिए मन्दिर प्रबन्ध समिति को यह कार्य सुनुर्द कर दिया जाता था। गुप्त युग के अधिकतर लेखों में ऐसा वर्णन है। छठों सदी के पश्चात् लेख भी ऐसा विवरण उपस्थित करते हैं—ऐतेया स्थावराणा भाटकं यत्सुत्पत्ते ते तत्सर्वं गोष्ठिभि कुंकुम धूप पुष्प दीपक घ्वजा ध्वलापत्र खन्ड स्फुटित समरचनादिपु वर्मोवयोगम् कर्त्तव्यम् (ए० इ० १९ प० ६२) ११वीं तथा १२वीं सदों के लेखों में मन्दिरों के नष्ट किए जाने के कारण अधिक विवरण मिलते हैं। सम्भवत् इस्लाम के उत्थान तथा विस्तार के कारण

राजपुताने में मन्दिरों की क्षति हुई और शासकों ने उनका संस्कार किया । परमार वंश की रानी ने मन्दिर संस्कार के लिए पर्याप्त धन दान किया । (ए० इ० ९ प० १३) ।

नए मन्दिरों के निर्माण के साथ-साथ देव पूजा के लिए दान देना आवश्यक था, अतएव अभिलेखों में पूजा के प्रकार तथा विभिन्न सामग्रियों के नाम मिलते हैं । अभिलेख के आरम्भ में मन्त्रों के उल्लेख से शिव, विष्णु या बुद्ध की उपासना का ज्ञान देव पूजन होता है । “ओ नमो भगवते वासुदेवाय”, “ओ नमो शिवाय” अथवा “नमो बुद्धाय” आदि मत्र मिलते हैं । लेखों में अनुलेपन, पृष्ठ, धूप दीप तथा नैवेद्य आदि सामग्रियों की आवश्यकता पूजा के लिए बतलाई गई है । देवता को त्रिकाल स्नान (ए० इ० २५ प० ६ भा० ३ प० २६६) कराया जाता तथा जल, धो, दही, धूप (पचामृत) का प्रयोग इस कार्य के लिए होता था (दधि क्षीर धूत स्नपन गंध धूप दीप पृष्ठाचंड—ए० इ० १३ प० ११६) तत्पश्चात् चन्दन, कर्पूर, कुकुम पुण्य धूपदोप नैवेद्य की आवश्यकता होती थी । चहमान लेखों में इसे अगराग तथा अनुलेपन शब्दों से व्यक्त किया गया है (का० इ० ३० भा० ४ प० १५०, भा० ३ प० २६४, ए० ड० भा० २१ प० ११७, इ० १० १४ प० १६०) ।

देवस्थवलेचन समार्जनाङ्ग राग धूप दीप नैवेद्यार्थ

(ए० इ० १ प० १७३)

अगमोगे अगरु कर्तुरु कुकुम (ए० इ० ११ प० ५७)

चहमान लेख में नैवेद्य के सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है । नैवेद्य, धो, आटा, मूग तथा चावल पका कर तयार किया जाता था ।

गोधूम शे २ पवके घृत क ८ नैवेद्य मूग मा १ चाषा २ (ए० इ० ११ प० ५५) आटा २ सेर्ह धो ८ कलस मूँग ? मनि चावल २ पायली माप के बराबर नैवेद्य के लिए प्रयोग में आता था । पाल तथा कलचुरी लेखों में नैवेद्य के साथ वर्तलवरु का उल्लेख आया है जो सम्भवत अगराग तथा अनुलोप से तात्पर्य रखता था (ए० इ० १ प० १७३, भा० ११ प० १६३) । अन्य लेखों के अध्ययन से पता चलता है कि पुष्प गंध धूप दीप नैवेद्य को जैन तथा बौद्ध धर्मविलम्बी भी प्रयोग करते लगे थे । चहमान लेख में निम्न वर्णन आता है—
नैमिनाय देवस्थ धूप नैवेद्य पूजा (ए० इ० ११ प० ३५) । पहाड़पुर लेख में ‘विहारे भगवतामहता गन्ध धूप मुमो दीपाद्याथम्’ (ए० इ० २० प० ६१) तथा वैयगुप्त के लेख में “भगवतो बुद्धस्य सतत त्रिकाल गन्ध पुष्प दीप धूपादि प्रवर्तनाय” (इ० हि० वा० ६ प० ५३) आदि वाक्यों के उल्लेख से पता चलता है कि बुद्ध भगवान् के पूजा में शाद्यां देवता सदृश अगराग का प्रयोग हीने लगा था । इससे स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण रीति का प्रभाव जैन तथा बौद्धमतों पर हो गया था तथा देवपूजन की विधि में एक रूपता आ गई थी ।

उत्तर-गुप्त-युग की प्रशास्तियों में एक विशेष स्थान का उल्लेख मिलता है जिसे सत्र कहते थे । इस स्थान पर विद्यार्थियों, साधुओं तथा निर्धन व्यक्तियों को बिना मूल्य भोजन वितरण किया जाता था । दान पत्रों में सत्र का उल्लेख विभिन्न रूप में पाया जाता है । धर्मसत्र, सत्र तथा अन्नसत्र । उससे यह प्रकट होता है कि मन्दिर तथा विहार से सम्बद्ध ही सत्र का प्रबन्ध

या । प्राचीनात्मभिलेखं गुणवर भवनं धर्मसत्रं यथावत्—(प्रथमकुमार गुप्त का भिलमद लेख) । ११ वी सदी के लेखों में सत्र निर्माण का स्पष्ट वर्णन है—भक्तशाला धूषार्थना महादेवस्य सनिधि—बल्लभदेव की प्रशस्ति (ए० इ० भा० ५ प० १८१, ए० इ० भा० १३ प० २८५) ९ वी सदी से १२ वी सदी तक के अभिलेखों में सत्र, बलि तथा चरु शब्दों के साथ प्रयुक्त हैं जिसका तात्पर्य यह है कि दान की सम्पत्ति पूजा, अर्चा तथा भोजन वितरण के लिए व्यय की जाती थी (बलिचरु नैवेद्य सत्रोपकरण हेतो पृथग्दत्त —ए० इ० भा० ११ प० १९३) उसी स्थान पर वर्णन है कि सत्र के व्यय निर्मित दान का एक भाग निश्चिन कर दिया था (एसा भागास्थय सत्रे खण्ड स्फुटित सस्कृती—कलचुरि प्रशस्ति) । विपुल थो मित्र के नालंदा लेख में सत्र के लिए दान का वर्णन है—

(सत्रेषु पञ्चणि समर्थ्यस्मि ए० इ० २१ प० ९९)

कलचुरि प्रशस्ति में सत्र में स्वादिष्ट भोजन वितरण करने को चर्चा है (मध्याह्न पान सम्पत्ता सर्वं सत्री—वही प० १६५) । प्रतिहार लेख (ए० इ० १४ प० १७७) तथा चहमान प्रशस्ति में भी वैसा हा वर्णन है (सतत मुचित वृत्ति कल्पित्वान्न सत्रम्—ए० इ० १३ प० २९०) मध्ययुग में सत्र का स्थापना से भिक्षा वृत्ति को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया था । आज भी चाराणसी म छत्र (सत्र का विकृत रूप) में संकड़ी व्यक्तियों को भोजन बाटा जाता है ।

धार्मिक कार्य का वर्णन समाप्त करने में पूर्व मन्दिरों की प्रबंध समिति के विषय में दो शब्द कहना आवश्यक है । समिति के लिए लेखोंमें 'गोष्ठी' तथा गोष्ठी या प्रबन्ध-समिति सदस्य के लिए 'गोष्ठिक' शब्द प्रयुक्त है (ए० इ० भा० १ प० २९२, भा० १९ प० ५६)

गोष्ठिक समुदाय समन्वितेन गोष्ठिक सारा कार्य (ए० इ० ११ प० ५४)

चहमान लेखों में सारा प्रबन्ध गोष्ठिक द्वारा करने का वर्णन आता है—

ऐते च भाग्य यथोदिष्ट स्वित्पा गोष्ठिके कल्पयितव्या (ए० इ० १ प० १८८)

उनके सदस्यता के सम्बन्ध में विशेष कहा नहीं जा सकता पर मथुरा लेख में उल्लिखित नामों में पता चलता है कि स्यात् ११ व्यक्तियों की समिति होती थी (ए० इ० ११ प० २९२) । मेवाड़ के लख म गोष्ठी के हृण सदस्य का नाम आता है (इ० ए० ५८ प० १६१) । इससे पता चलता है कि समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को गोष्ठी का सदस्य (गोष्ठिक) बनाया जाता था । आर्य सस्कृति के पालक व्यक्तियों को उसमें सम्मिलित किया जाता था । वह मन्दिर के समस्त सम्पत्ति (भूमि तथा धन) का मालिक बन बैठा । मध्ययुग से वही मठाधीश कहलाया । जो वर्तमान समय तक धार्मिक सम्पत्ति का स्वामी है । मठाधीश तो अकेले सारा प्रबन्ध करता था । प्रतिहार के राजा महेन्द्रपाल के लेख में एक सन्धासी के हाथों दुर्गा तथा मूर्य मन्दिरों के सम्बन्ध का विवरण उपलब्ध है (ए० इ० १४ प० १७७) । उसी तरह पश्चृपत साधु भी प्रबन्धक हो गये थे । परमार भोज के विलेश्वर ताम्रपत्र में भी ऐसी ही चर्चा मिलती है (बो० का० प्रो० पूना प० ३१९) । सारांश यह है कि मन्दिर निर्माण के बाद देवपूजन का कार्य तथा दान प्रबन्ध-समिति या किसी व्यक्ति (पुजारी या प्रधान मात्र) द्वारा सम्पन्न होने लगा ।

अभिलेखों का वर्गीकरण करते समय यह कहा जा चुका है कि अधिक संख्या दानपत्रों को हैं। यो तो दान की महिमा पुराणों में वर्णित है परन्तु स्मृतियों में इसका विशेष वर्णन है। इस प्रकारके दान का विवरण विष्णु तथा याज्ञवल्क स्मृतियों में है। दान का उद्देश्य भी उपलब्ध है। उसे (दानपत्र) राजशासन की सज्जा दी गई है। तथा प्रकार स्मृतिकारों ने ताम्रपत्र पर राजशासन उत्कीर्ण करने का विधान किया है तथा राजमुद्रा से उसे प्रमाणित करने की चर्चा की है। मध्य युगी निबंध ग्रंथ 'कृत्यकल्पत्र' में लक्ष्मीधर ने विष्णु स्मृति से उद्धरण उपस्थित किया है।

“ताम्रपत्रे पटे वापि प्रालिखेद् राजशासनम्
स्थानं वशानपूर्वि च देश ग्रामं उपागतम् ।

मिनाक्षरा में भी विज्ञानेश्वर ने इस प्रकार राजशासन की बातें उल्लिखित की हैं। वृहस्पति ने निम्न रूप में प्रकाश डाला है।

यर्त्किंचित् कृहते पाप पुण्यो वृत्तिकर्षित
अपि गोचर्म शाश्रेण भूमि दानेन शुद्ध्यति ।
स नर सर्वदा भूः यो ददाति वसुन्धराम्
भूमिदानस्य पृष्ठेन फलं स्वर्गं परंदर ।

इस प्रकार विभिन्न धार्मिक कार्यों में भूमिदान को अधिक महत्व दिया गया। राजा से प्रजा तक सभी ने पृष्ठ लाभ तथा स्वर्ग कामना से प्रेरित होकर भूमिदान को अपेक्षित समझा। अति का कथन या “शूलपाणिस्तु भगवानभिनन्दनित भूमिदम् (सहि० ३३७) पृथ्वी दान करने वाले को भगवान् भी अभिनन्दन करते हैं। इन सभी कारणों से दान की ओर जनता का ध्यान रहा है। अशोक ने धर्म शासन में इस पर जोर दिया।

ब्राह्मण स्तमणाना साधुदानं (शि० ले० ११)
प्रदानांजतनि प्राघृष्टनिच पूजेति दनेन (शि० ले० १२)
वहृक्याने दयादाने (स्तम्भ ले० २)

बोढ़ युग में विहार दान की ओर शासक का विशेष ध्यान था तथा ग्रामदान भिक्षुओं के भोजन आदि कार्यों के व्यव निमित्त दिया जाता था। अतएव 'गामे दत्तात्रि' का उल्लेख नासिक सेख में किया गया है। इसी प्रकार ब्राह्मण भोजन के निमित्त भी दान दिए जाते थे।

ब्राह्मणेभ्यः पौडश ग्रामदेन अनुवर्ष ब्राह्मण शतसाहस्री भोजापयित्रा
(नासिक लेख ए० इ० ८० प० ७८)

शतवाहन लेख में यज्ञ की दक्षिणा में ग्रामदान देने का वर्णन है [नानाधाट लेख]

पूर्व मध्ययुग के लेखों में ग्रामदान को तुलापुरुष-दान की दक्षिणा स्वरूप माना गया है। गहडवाल तथा सेन अभिलेखों में अधिकतर इस प्रकार की दक्षिणा का विवरण उपलब्ध है (महादान दक्षिणा - ए० इ० १४ प० १५८)। गोविन्द चन्द्रदेव (गहडवाल नरेश) ने ३२ ग्राम दक्षिणा के रूप में दिया था (कलक तुलापुरुष दान होम कर्मण दक्षिणा - ए० इ० १४ प० १९७) सेन राजा बल्लालसेन तथा लक्ष्मणसेन ने महादान की दक्षिणा में अप्रहार दिया था (ए० इ० भा० १२ प० १०, १५ प० २८४)। गुप्त युग में देवकार्य के लिए दान का

विवरण प्रशस्तियों में मिलता है। सकन्द गुप्त के बिहार स्तम्भ लेख में ग्राम दान का उल्लेख है (अक्षय नीवि ग्राम धेत्रं—का० इ० इ० ३ प० ४९)। दामोदरपुर के ताम्रपत्रों में भूमि वेच कर मन्दिर के लिए दान करने का वर्णन है (ए इ० भा० १५)। दक्षिण भारत के लेख हसी प्रकार का विवरण उपस्थित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दान का उद्देश्य स्वर्ग की प्राप्ति ही थी जिसे प्रायः सभी लेखों के अन्त में अंकित पाते हैं।

भूमि यः प्रतिगृहणाति यस्यभूमि प्रयच्छति

उभी तो पुष्टकर्मणी नियते स्वर्ग गामिनो ।

भूमि दान करने की घोषणा शासक करता था और समस्त प्रदाधिकारियों ने इसकी सूचना देता था। इसी कारण प्रशस्तियों में कर्मचारियों की लम्बी सूची मिलती है (ए० इ० भा० ४, १४, १८)। दान देने वाली भूमि को सोमा निश्चित कर दी जाती तथा दानग्राही को सारा कानूनी अधिकार भी मिल जाता था। परमार, गहडवाल तथा पाल वशी लेखों में इम प्रकार का वर्णन है (ए० इ० भा० १८ प० ३२०, भा० १४ प० १५ प० २१९)।

“सहिरण्य भाग भोगकर सोपरिकर सर्वादाय समेत सनिधि निशेष” का उल्लेख यह स्पष्ट कर देता है कि राजा के सदृश ‘कर’ ग्रहण करने तथा खान खोदने का अधिकारी दानग्राही हीं था (ए० इ० ९ प० ११२ भा० ७ प० १०६)। उडीसा के एक लेख में इसका अपवाद पकट होता है उस लेख में ‘कर शासन’ का उल्लेख किया गया है जिसका ‘तात्पर्य है कि दानग्राही शासक को भूमिकर (लगान) देता था। वहाँ दस पल तील में चाँदी ‘कर’ के रूप में ली जाती थी (ए० इ० २९ प० १६७)। प्रायः शासक अपने अधिकार को भूमि को ही दान में दिया करता था। किन्तु विग्रहपाल के बनंगाँव ताम्रपत्र के अत में सामत के जागोर-दान का उल्लेख है यानी भूमि सामंत ने दान दी। राजा का उस पर स्वामित्व न था।

स्मृति ग्रन्थों में जिस रूप में दान का विवाद उल्लिखित है, वैसा ही प्रशस्तियों में वर्णित है। स्थान के सम्बन्ध में तीर्थ ही सर्वोत्तम समझा गया है और इसी कारण देवपाल के मौगेर ताम्रपत्र में ‘तीर्थपूष्यम्या क्रिया’ (ए० इ० १८ प० ३०५)

देश काल पात्र वाक्य का उल्लेख है। गहडवाल लेख में काशी, प्रयाग, अयोध्या आदि तीर्थों के नाम मिलते हैं। श्रोमद् वागणस्या गगाया स्नात्वा (ए० इ० ४, भा० ८ प० १५४) तथा स्वर्गदार नामिन तीर्थे स्नात्वा (ए० इ० १४ प० १९३) का उल्लेख यह बतलाता है कि तीर्थों में स्नानकर एवं देवपूजा समाप्त कर दान दिया जाता है।

काल के सम्बन्ध में मध्यकालीन अभिलेखों का उल्लेख विशेष महत्व रखता है। यों तों कुछ सामाजिक स्तकार नामकरण (इ० ए० १८ प० १३०) या श्राद्ध (इ० ए० १९ प० ३५१, भा० ४ प० १०३, भा० २ प० ३१०) के नाम आते हैं जिस अवसर पर शासक दान देता था परन्तु अधिकतर पुष्ट तिथियों में ही दान देना यथा तथा पुष्ट लाभ का मार्ग समझते थे। सूर्य ग्रहण (राहु ग्रस्ते दिवाकर—ए० इ० ४ प० १५८, भा० २१ प० २१९) का उल्लेख गहडवाल, परमार तथा कलचुरी (सूर्योपरामे—ए० इ० ९ प० १६९) प्रशस्तियों में तथा चन्द्रग्रहण (सोमग्रहण या सोमग्रहण पर्वणि) का नाम चन्द्रेल लेखों में आता

है (इ० ए० १६ प० २०१)। दूसरा अवसर संकान्ति का था जिसे लेखों में अयन (उत्तरायण, दक्षिणायन) शब्द से व्यक्त किया गया है (ए० इ० ७ प० १५८, इ० ए० १८ प० ११)। कलचुरी प्रशस्तियों में चन्द्रग्रहण के अवसर पर द'न का विशेष वर्णन (का० इ० इ० ४ प० २३८), संकान्तियों में कर्क, मकर, कन्या, मीन, वैष्णव-संकान्ति के नाम अधिक मिलते हैं (इ० ए० १६ प० ३३, ए० इ० ४ प० १३१, भा० १४ प० १८६, भा० २९ प० ७)। छोटे पर्वों पर भी दान देने का उल्लेख है। उस प्रसंग में अक्षय तृतीया, माघी पूर्णिमा (ए० इ० ४ प० १०७, भा० ८ प० १५२) आवण पूर्णिमा (ए० इ० ४ प० ११०), कार्तिक पूर्णिमा (ए० इ० २६ प० ७२), रामनवमी (ए० इ० १४ प० १८८) तथा जन्माष्टमी (ए० इ० ४ प० ११८) के नाम भी उल्लेखनीय हैं। देवीस्थान अववा प्रबोधिनी एकादशी (कार्तिक शुक्ल ११) का नाम भी लेखों में उपलब्ध है (देवोद्धनी एकादश्या—इ० ए० ४३ प० १९३ तथा एकादशि देव उपस्थापनी पवधिणि—ए० इ० भा० १३ २१)। राजपूताने के लेखों में अधिक आवण (आर्यमास) भी उल्लिखित है (इ० ए० १८ प० २१२; भा० २० रि० ग्वालियर १९३०-३१ प० १)। इन तिथियों को पुष्ट्यकाल समझ कर दान दिए जाते थे।

दान के पात्र के सम्बन्ध में भी दो शब्द कहना आवश्यक प्रतीत होता है। ताप्रपत्रों का अध्ययन यह प्रकट करता है कि अत्यन्त प्राचीन समय से ही किसी संस्था को दान देने का अधिक महत्व था। मौर्य युग तथा उसके बाद भी सघ के विहार या गुहा के दान दिया जाता था। सातवाहन लेख तथा गुप्त युग के अभिलेख संस्था के दान का उल्लेख करते हैं। ६०० इ० के बाद दान के दो पात्र दिखलाई पड़ते हैं (१) विद्वान् तथा (२) सस्थाएं। पहला विद्वान् व्यक्ति जो ऊची विद्या समाप्त कर अध्यापन कार्य करता हो। इस प्रसंग में अधिकतर ब्राह्मणों के नाम वैदिक शास्त्र के साथ या वेदाग के अध्यापक के रूप में मिलता है। कलहा ताप्रपत्र (गोरखपुर उत्तर प्रदेश) में ऐसे ही ब्राह्मण दानप्राही के नाम आते हैं जो छान्दोरेय वाजसनेय, माध्यन्दिन शास्त्र के विद्वान् थे। मध्यप्रदेश के कलचुरी प्रशस्तियों में आश्वलायन, शास्त्रयन, कठ शास्त्र के अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों का उल्लेख है (ए० इ० भा० ७ प० ८७; १ प० ११६)। मालवा के लेख में आश्वलायन तथा कौथुम शास्त्राओं वाले ब्राह्मणों का वर्णन मिलता है। राजा भोज के दौलतपुर ताप्रपत्र तथा गहडवाल नरेश गोविन्द चन्द को प्रशस्ति में उन सभी शास्त्र के पढ़ने वाले विद्वान् ब्राह्मणों के नाम मिलते हैं जिन्हे शासक ने भूमिदान किया था (ए० इ० ५ प० ११२, भा० ८ प० १५४)। यजवन्द के लेख में 'यजुर्वेद शाखिने' ब्राह्मण का विवरण है (ए० इ० ४ प० १२१)। इसी प्रकार बंगाल के पाल राजा देवपाल के लेख में 'वृत्तुर्वेद शाखिने' उल्लिखित है और वह दानप्राही ब्राह्मण आश्वलायन शास्त्र का विद्यार्थी कहा गया है (ए० ए० २१ प० २५५)। विश्रृतपाल के दानप्राही अक्षदेव शर्मन सामवेदिन कहा गया है (ए० ढ० १५ प० २९५)। सेन शासकों के समय में चारों वेदों के विभिन्न शास्त्राओं के अध्ययन करने वाले ब्राह्मण को दान देने की परिपाठी थी। वैरक्षपुर लेख तथा नईहटी ताप्रपत्र में ऋत्वेद की आश्वलायन शास्त्र, साम की कौथुम शास्त्र, यजुर्वेद का काण्ड शास्त्र तथा विष्णुलाद शास्त्र (अथवंवेद) के नाम उल्लिखित हैं। इन शास्त्राध्यायिनों ब्राह्मणों को दान दिए गए थे। (ए० इ० १५ प० २८४, भा० १४ प० १५६; भा० २२ प० ६ इ० हि० क्वा० ३ प० ८९, ज० ए० सौ० द० १९०० प० ४६७) इस तरह

पता चलता है कि बललालसेन तथा लक्ष्मणसेन ने विद्वान् ब्राह्मणों को ही दान दिया था। ऐसा वर्णन भारतवर्ष के प्रत्येक प्रदेश की प्रशस्तियों में मिलता है। 'शास्त्राच्छायिन' लिखकर दान देने वालों ने इस बात पर जोर दिया है कि उच्ची श्रेणी के विद्वान् ही दान के बास्तविक पात्र थे (ए० इ० ११ प० १९२)। इसका तात्पर्य यह नहीं था कि वेदाध्ययन करने वाले ही दान के पात्र थे परन्तु वेदाग, (ए० इ० २ प० ३३६) या षड्दर्दशन (ए० इ० ११ प० ३११) के पठने वाले भी दानप्राप्ती होते थे। पाल वशी लेख में तो रानी को महाभारत सुनाने वाले विद्वान् को दान देने की चर्चा है (ज० ए० स० १० व० ६९ प० ६७)।

विद्वान् व्यक्तियों के अतिरिक्त मध्य युग में बड़ी संस्थाओं को भी दान देने की प्रथा थी। पाल नरेशो ने विकम्भोला तथा नालदा महाविहारों को सब प्रकार की सहायता की थी। गहड़बाल राजा गोविन्दचन्द्र की रानी कुमारदेवी का लेख (ए० इ० ९ प० ३२१) तथा देवपाल का ताम्रपत्र (ए० इ० १७ प० ३१०) इसके प्रमाण हैं कि बौद्ध संस्थाओं को आर्यिक सहायता दी गई। नालंदा महाविहार की तो अन्तर्राष्ट्रीय स्पाति थी। यशोवर्मदेव के शिलालेख में वहाँ के विद्वानों की प्रशसा निम्न पंक्तियों में मिलती है—

नालंदा हृषीतीव नगरी शुभाभ्र घैर स्फुर

च्चेत्याशु प्रकरोस्सदागमकला विस्थात विद्वज्जना। (ए० इ० २० प० ४३)

इसकी स्थाति समुद्रपार पूर्वी द्वीप समूह में पहुंच चुकी थी तथा जावा के राजा बालपत्रदेव ने नालंदा में विहार बनवाया (नाना शद्गुण भिक्षु संघ वसति तस्या विहार कृतः) और पाल नरेश देवपाल ने श्रीनगर भूक्ति में स्थित पाँच शाम दान में दिया था (ए० इ० १७ प० ३२२)। नालंदा शिलालेख में वर्णन मिलता है कि दान की आय से भिक्षुओं के भोजन, वस्त्र, आसन तथा औषधि का भी प्रबन्ध किया गया था (ए० इ० २० प० ४४)। इस तरह संस्था को दान देकर शिक्षा की बृद्धि की जाती थी। इसी के सदृश दक्षिण भारत के चौलवशी लेख में वर्णन है कि जावा के शासक विजयोतुग वर्मन ने नागपट्टन में एक विहार बनवाया जिसके प्रबन्धनिमित्त चौल नरेश राजराजा राजकेसरो वर्मन (१८५—१०१३ ई०) ने ग्राम दान दिया था।

पाचवीं सदी के पदचात् लेखों के अत में कई इलोक उत्तिलिखित मिलते हैं जिन्हें "धर्म-इलोका" कहते हैं। गुप्त युग से पूर्व अभिलेखों में अतिम स्थान पर किंमी प्रकार के पद्य (इलोक) का सदा अभाव दिखलाई पड़ता है। इनके लिखने का धर्म इलोक उद्देश्य यह था कि दान करने वालों को प्रशसा हो। उन्हें पुण्य तथा स्वर्ग लाभ को बारें सुनाई जायें। दान-भूमि को किसी भी शासक का उत्तराधिकारी वापस न ले सके, अत भय उत्पादक इलोक भी लिखे जाते थे। सारांश यह है कि अंतिम पद्यों में पुण्य तथा आप के भाववूर्ण इलोक अंकित हैं। लेखों में जो इलोक हैं उनके सम्बन्ध में निम्न प्रकार का उल्लेख मिलता है—

(१) भूमिदान सम्बद्धा, इलोका भवन्ति (ए० इ० १५ प० १४२)

(२) भवन्ति चात्र वर्माशास्त्राइलोकानि अथवा

(३) भूमिदानापहरण प्रतिपाल गुण दोष व्यञ्जका आर्य इलोका (ए० इ० २२ प० १५९)

पाचवी सदी के गुप्त लेखों में तो इन श्लोकों की संख्या तीन ही है परन्तु समयान्तर में सोलह की संख्या अभिलेखों में पाई गई है (कलचुरी राजा यश कर्णदेव का ताप्रपत्र—६० इ० १२ प० २०५ तथा चहमान प्रशस्ति—६० इ० भा० ११ प० ३१२) ।

इन श्लोकों में कोई मौलिकता नहीं है परन्तु ये पद्य स्मृति ग्रंथों से लिए गए हैं । अधिकार लेखों में व्यास का लिखा “व्यासेन उक्तम्” “उक्ते च भगवता वेद व्यासेन महात्मना” अथवा “वेद व्यासेन गोता श्लोका भवन्ति” पद्य कहे गये हैं (६० इ० २१ प० ८२; भा० २० प० ६३, भा० १५ प० १३९, ६० हिं० क्वा० ६ प० ६३) । यदि इन वर्ष श्लोकों का अध्ययन किया जाए तो प्रकट होता है कि कुछ बूहस्पति स्मृति (२६, २८, ३०, ३२, ३३ व ३९) से उद्भृत है । पद्मपुराण (उत्तर खण्ड ३३।३७) में इसी आशय का एक श्लोक पाया जाता है—

वानी कूप सहर्षण अश्वमेघ शतेन वा
गवा कोटि प्रदानेन, भूमिहर्ता न दृश्यति

उनमें से निम्नलिखित तीन श्लोक लेखों में बिना परिवर्तन के मिलते हैं यानी समस्त लेखों में एक समान है (गुप्त, कलचुरी, गहडबाल, परमार, पाल तथा सेन आदि वंशों अभिलेख)

स्वदत्ता परदत्ता च यो हरेत वसुन्धरा
म विष्ट्रया कुमिर्भूत्वा पितृभूस्तह पच्यते ।
बहुभि वसुधादता राजभिस्तग रादिभिः
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फञ्च
पष्टि वर्ष-सहस्राणि स्वर्गे भोदति भूमिदः
आदेसा चानुपन्ता च तान्येव नरके वसेदति ।

इन श्लोकों के मूल ओत का विषय विवादास्पद है । जैसा कहा गया है कि कुछ लेखों में इसे व्यास का कथन कहते हैं तो कुछ में पीराणिक श्लोक (६० इ० ४६ प० ९०) या ‘तथा चोकं वर्षं शास्त्रे’ (६० इ० ४ प० २५९) कह कर अनिश्चित छोड़ दिया गया है ।

प्राचीन लेखों का अध्ययन स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि भूमि दान अक्षयनोनि प्रणाली से दिया जाता था । उसकी पूर्णता के लिए दानपत्र (ताप्रपत्र लेख) को निगम सभा के कार्यालय में निवंध कर । रजिस्ट्री) दानग्राही को समर्पित किया जाता था । नहपान के नासिक गुहालेख में इस विषय का विवरण मिलता है । निवंध को घोषणा की जाती थी जिसे निम्न प्रकार से उल्लिखित किया है—

एत च सर्वं सावित निगम सभाय निवंध च फलकवारे (अप्पटल)
चरित्रतोति । भूयोनेन दत्त वसे ४२ कातिक शूष्ठे (सुदि) पनरस (१५)

दूसरी सदी के सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र शातकर्णि के नासिक गुहा लेख में भी ऐसा (निवंध-रजिस्ट्री) उल्लेख मिलता है— एते चस्त खेत परिहारे च एथ निवधायेहि (ए. इ. भा ८) सम्भवतः निवंध करने की प्रथा शक नरेशो ने आरम्भ की जिसका पालन सातवाहन करते रहे । इस कारण दानग्राही का उस भूमि पर सारा अधिकार हो जाता जिस पर शासक का

स्वामित्व था । उस भूमि की आय को ही उपभोग करते थे और उस अप्रहार निवंध, बंधक सेवा को देवने का अधिकार दान ग्राही को न था । नासिक के लेख तथा में इस तरह का उल्लेख पाया जाता है ।
 'कर शासन' (ऐते च काहापणा अपडिदातवा वधि भोजा)

समाज में उसे पृथ्य-झेव समझा जाता तथा दानग्राही के बंशज उसकी आय को ही व्यय करते थे । मध्य प्रदेश के कलचुरी नरेश बैलोक्य मल्लदेव (१२ वीं सदी) के लेख में दानभूमि को बधक रखने का विस्तृत विवरण उल्लिखित है तथा उसे "वित्त बंध" कहा गया है । शेव साधु शाति शिव द्वारा कृष्ण के धन का उल्लेख तो नहीं मिलता परन्तु बधक का वर्णन मिलता है (इति वित्त वधतया किंचित्कार्यः=॥० इ० भा० २५ प० ८) । गहडवाल लेख में भी वर्णन आया है कि गोविन्दचन्द्र द्वारा कलचुरी भूभाग के विजय करने पर शिवाचार्य से हटाकर वशिष्ठ जर्मन को भूमि दी गई थी (ज० ए० स० १० व० ३१ प० १२३) । इस तरह विशेष कारणवश अप्रहार को दानग्राही परिवार से पृथक किया जा सकता था अन्यथा दान की भूमि अक्षयनीचि नीति से अचल समझी जाती थी । दानग्राही ही उसका स्थायी स्वामी था ।

उडीसा के एक लेख में "कर-शासन" शब्द का विशेष डग से प्रयोग किया गया है । इस दान पत्र में अप्रहार भूमि पर भी 'कर' का उल्लेख है और दानग्राही को प्रतिवर्ष चादी दस पल 'कर' के रूप में देना पड़ता था (ए० इ० २९ प० १६७) । इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि दान की भूमि पर राजा का अधिकार था किन्तु अन्य दान पत्रों की तरह भूमि का स्वामित्व त्रात्पुरा को देने पर भी शासक 'वापिक कर' बसूल किया करता था । ऐसे कुछ ही उदाहरण सम्मुख आए हैं जहाँ अप्रहार को बधक रखने तथा दान भूमि पर 'कर' लगाने का वर्णन मिलता है ।

पूर्व मध्ययुग की प्रारास्तियों में भूमिदान के अतिरिक्त महादान का भी वर्णन आता है जिसका नाम (सोलह नाम) पुराणों में मिलता है । मत्स्य (अध्याय २७४-२८९) अनि (अध्याय २१०) तथा लिंग (अध्याय २८) पुराणों में निम्नलिखित पोड़क्ष महादान सोलह नाम आते हैं—तुलापुरुष, हिरण्यगर्भ, बह्याण्ड, तत्पवृश, मोसहस्र, कामघेनु, हिरण्याश्व, हिरण्याश्वरथ, हेमहस्तिरथ, पंचलाङ्गस, धरादान, विश्वचक्र, कल्पद्रुता, सप्तसागर, रत्नघेनु तथा महाभूतघट । परन्तु मध्ययुगी लेखों में केवल चार महादान के नाम मिलते हैं—तुलापुरुष, गोसहस्र, हिरण्यश्व, हिरण्याश्वरथ । दूसरा नाम (गोसहस्र) गुप्त सम्राट् समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भ लेख में मिलता है—गो शतसहस्र प्रदायिनः । सप्तसागर की कल्पना साहित्य में मिलती है । गुप्त युग में द्वीपों से सम्बन्ध बढ़ने लगा । विदेशी व्यापार से लौटकर धनी वर्णिक सदामन सोने का बना सप्तसमुद्री रूपी मात कुण्डो का दान करता था । काशी या मशुरा में जहाँ इम प्रकार का दान दिया जाता था वे जलाशय समुद्र-कूप कहे जाते हैं । नागार्जुनी लेख में वीर पूरुषदत्त द्वारा इस महादान (हिरण्यकोटि गो सत सहस्र) को सम्पन्न करने का वर्णन मिलता है (ए० इ० २० प० १६ न० २) । छठी सदी में परिद्वाजक राजा मध्योभ ने भी 'गोसहस्र' नामक महादान सम्पन्न किया था (का० इ० ३ प० ११४) । गहडवाल लेख भी यही बतलाते हैं । गहडवाल तथा सेन अभिलेखों में इन

चारों महादान के बर्णन उपलब्ध है। तुलापुरुष में दानकर्ता को सोना या कीमती प्रस्तरों से तौला जाता और सारा धन ब्राह्मणों में विभक्त कर दिया जाता था। गोविन्दचन्द्र के लेख में—हेमात्म तुल्यमनिशं ददता द्विजेभ्यो उल्लिखित है (ए० इ० ४ प० ११८, भा० १३ प० २१८, भा० २ प० ३६२, इ० ए० १८ प० ११)। किन्तु अन्य प्रशस्तियों में तुलापुरुष महादान या कनक तुलापुरुष (इ० ए० १८ प० १३२, ए० इ० १५ प० २७८) का उल्लेख आता है। कलचुरी लेखों में भी तुलापुरुष उसी अर्थ (महादान) में प्रयुक्त किया गया है (ए० इ० २ प० ४—महादानस्तैस्तुलापुरुषादिभिः)। अत एव लेखों के आधार पर कहना उचित होगा कि महादान को परिपाठी उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, असम तथा बगाल में प्रचलित थी। सेन प्रशस्तियों में राजा को सोने से तौलने का बर्णन मिलता है। विलासदेवी ने तुलापुरुष नामक महादान दिया (ए० इ० १४ प० १५७) और लक्ष्मणसेन ने उसे 'कनकतुलापुरुष महादान' के नाम से सम्बोधित किया है (ए० इ० १५ प० २८०)। इस महादान का भी विशेष महत्व था और इसे भी तीर्थ में पर्व के समय (मकान्ति आदि) ब्राह्मणों को दिया जाता था।

हेमाश्व (सोने का अश्व) तथा हेमाश्वरथ (मुवर्ण अश्व वाला रथ का नाम सेन प्रशस्तियों में आता है। वहा वर्णन है कि बरलालसेन ने सोन का घोड़ा बनाकर ग्रहण के समय ब्राह्मण को दान किया था (मूर्योपरागे प्रदत्त हेमाश्व महादान—ए० इ० १४ प० १६१) तथा लक्ष्मणसेन ने सोने के घोड़े वाला रथ दान किया था (ए० इ० भा० १२ प० १०)। तुलापुरुष के अतिरिक्त सोने का घोड़ा दान करने का क्या उद्देश्य था यह कहना कठिन है। अभिलेखों में केवल ऐसे दान का विवरण उपलब्ध है किन्तु उस दान के वास्तविक उद्देश्य की चर्चा लेखों में नहीं मिलती।

दानविधि दानपत्रों में दान करने की शास्त्रीय विधि का विस्तृत विवरण है। दान का प्रमुख उद्देश्य तो स्वर्ग प्राप्ति की कामना थी। उसके विवाह में शास्त्रकारों ने निश्चित क्रम बतलाया है जिसे दान कर्ता को अंगीकार करना पड़ता था। दान की कार्य प्रणाली का विवरण लेखों में स्मृतियों से भी अधिक विस्तृत रूप में मिलता है। गहृडवाल लेखों में गंगा में स्नान कर तप्ति करने का बर्णन है। भगवान् की आराधना कर दान कर्ता हाथ में जल कुश लेकर स्वस्ति वाचन करता था। निम्नलिखित उद्धरण इस प्रश्न को स्पष्ट कर देते हैं।

(१) विविवत् स्नात्वा देव मनुज मुनि भूत पितु
गणास्तपपित्वा, वासुदेवस्य पूजा विधाय
कुशलता पूत करतलोदक पूर्वम् (इ० ए० १५ प० ८)

(२) पुण्य तीर्थोदकेन विविवत् स्नात्वा देव मनुज
पितृन् संतर्प्य भास्कर पूजा पुर सर—
भवानी पतिमध्यर्च हृतभुज हृत्वा राहुप्रस्ते
दिवाकरे नाना गोत्रेभ्योः नाना प्रवरेभ्यो नाना
नामेभ्यो ब्राह्मणेभ्य कुशलता पूतेन

हृस्तोदकेन स्वस्ति वाचन पूर्वम् संकलित

भूम सम्बन्धे शासनी कृता प्रदता

(ए इ. ४ पृ. १५८)

राजपुताने के लेखों में कृश लता के अतिरिक्त जल के साथ तिल अक्षत रखने का उल्लेख है (तिलाक्षत कृश प्रणयिन दक्षिणा कर कृत्वा—ए. इ. २१ पृ. ३१०)। साधारणतया तिल का प्रयोग पितृ तर्णण के लिए किया जाता है (तिलोदकेन सतर्प्य—इ. ए. १६), परन्तु चहमान प्रशस्ति में तिलाक्षत के उल्लेख में यह जान होता है कि सम्बवतः ग्रहण के समय (दान का काल) तिल तथा अक्षत दोनों का प्रयोग किया जाता हो । प्रशस्तियों में 'कृशलता पूत' शब्दों का तात्पर्य ग्रथों के आधार पर समझ में आता है । शंखलिखित (१३।१३) में तिल तथा कृश को पूजा का आवश्यक अग्र माना है । तिल से पितृ प्रसन्न होते हैं । कृश में त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) का निवास माना गया है (गण पुराण प्रेतखण्ड २।२१) । इसोलिए जप, होम, तर्पण तथा दान में कृश की अगौड़ी (पांचवी) बनाकर पहनते हैं (कृश पवित्र पाणि: जप कुर्यात्—शतस्मृति १२।४) । देवता-पूजन का कार्य दानकर्ता की भावना पर निर्भर था । वह वैष्णव होकर वायुदेव का या शैव होने पर शिव का अथवा सूर्य (भास्कर-पूजा) का पूजन करता था । इस प्रकार प्रशस्तियों में जो विधि विधान है वह धर्मशास्त्र के आधार पर उल्लिखित है । स्थान-स्थान पर तो स्मृतियों से विस्तृत विवरण प्रशस्तियों में ही पाया जाता है ।

हिन्दु समाज में इस बात की विशेषता है कि जनता श्रुति तथा स्मृति के आधार पर या विधान के अनुसार सदा धार्मिक उत्सव किया करती है । गृह कार्यों में पच महायज्ञ का

नाम आता है । (१) देव यज्ञ (२) पितृ यज्ञ (शाढ़) (३) भूत यज्ञ धार्मिक उत्सव, (४) वर्लि यज्ञ (स्वाध्याय) (५) मनुष्य यज्ञ (अतिथि ऋत तथा तीर्थ सत्कार) । गृहस्थ को इनसे पुण्य लाभ होता है । छठी सदी

के एक लेख से प्रकट होता है पूर्वी भारत में पचमहायज्ञ नित्य सम्पन्न किया जाता था (ए. इ. २३ पृ. १५९) । गुर्जर लेख में अन्य रूप में इसका वर्णन आता है—वलिचर वैश्व देवमि होत्रतिथि पच (विम्हा) यज्ञादि—(ए. इ. २३, पृ. १५२)

ऋत के सम्बन्ध में प्रशस्तियों में अनेक स्थान पर उल्लेख है और उस पुण्य पर्व के अवसर पर दान दिए जाते थे । ऋत में स्त्री-पुरुष पवित्र तथा सात्विक विचार से समाज में देव पूजन करते थे । अधिकतर लेखों में देवोस्थान एकादशी (कार्तिक शुक्ल ११) तथा हरिश्चयिनी (आषाढ़ शुक्ल ११) के नाम मिलते थे (ए. इ. १३ पृ. २११ भा. ४—कमोली लेख) । राम-नवमी (ए. इ. १४ पृ. १८८) तथा शिवरात्रि (ए. इ. भा. ११ पृ. ३९) का भी उल्लेख आता है । जिस समय सर्व साधारण उपवास रखते तथा भगवान् राम तथा शिव का पूजन करते थे । चहमान नरेश ने शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज्ञा जारी किया था कि कोई व्यक्ति जीवहत्या नहीं कर सकता था (वहो) । रथयात्रा का उत्सव भी मनाया जाता था । इस उत्सव के अथ निमित्त शासक 'कर' लगता था जिसका विवरण लेखों में है । चहमान लेख में वर्णन है तथा राजाज्ञा का उल्लेख है कि देवयात्रा या रथयात्रा के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए उत्तम

वस्त्राभूषण पहन कर लोग आवें तथा संगीत में भाग लें। यद्यदि ने यशदेवे यात्रा भवति तत्रा-पर समस्तदेवाना सत्क प्रसादा कुलं साजल्पैं सुबहनैं बाद्य नृत्य गानादि विधिना यात्रा कर्तव्या (ए. इ ११ पृ २८) मेवाह के लेख में हसे 'पर्व यात्रा' नहा गया है तथा चार ग्राम व्यय के लिए दिए गए थे (ए. इ २ पृ १२४) देवताओं की यात्रा का अन्य घर्मों पर भी प्रभाव पड़ा और जैनियों ने शान्तिनाय (तीर्थकर) की यात्रा आरम्भ की ।

श्री शान्तिनाय देवयात्रा निमित्त'—जवादानं

(ए. इ ११ पृ. ५०)

तीर्थ यात्रा का महत्व भारतीय समाज में बहुत प्राचीन काल से रहा है। अशोक ने उसे लेखों में 'धर्मयात्रा' कहा है। उसने बोध गया (सम्बोधि) तथा लुभिनी (बुद्ध का जन्मस्थान) की यात्रा की थी (शिलालेख ८, रूपमनदेई स्तनमन्त्वेख) उस यात्रा के कारण अशोक ने भूमिकर आठवा भाग (छठा से घटाकर) कर दिया था। तीर्थ स्थानों पर दान का महत्व समझ कर ही ऋष्य-भद्रत न काशा, नासिक, प्रभास (काठियावाड) तथा पुष्कर (अजमेर के समीप) तीर्थों में नाना प्रकार का दान दिया था। काशा में भुवर्णदान, प्रभास तीर्थ में द्राहाण कन्धा के विवाह निमित्त धन दान (प्रभास पुन्य तीर्थ त्राहाणोऽथ अष्टमायो प्रदेन) नासिक (गोवर्धन) में आरामगृह का दान किया था (ए० इ० ८ पृ० ७८) ।

मध्ययुग के दानपत्रों में विभिन्न तीर्थों का भी उल्लेख मिलता है जहाँ शासक जाकर दान दिया करते थे। कलचुरी लेख में प्रभास, गोकर्ण तथा गया के नाम मिलते हैं (ए० इ० २५ पृ ३१७)। मध्यदेश में गंगा या सरयू तीर पर तीर्थ स्थित थे अतएव गंगा के किनारे निवास कर शासक मोक्ष प्राप्ति की कामना करते थे। चेदि राजा गानेशदेव के प्रयाग तीर्थ पर गंगा लाभ का उल्लेख मिलता है (ए० इ० २ पृ० ४)। अपसद के लेख में भी आदित्यसेन के पूर्वज द्वारा प्रयाग में प्राण त्यागने का विवरण आता है (का० इ० ३ न० ४२)। गहडवाल राजाओं ने काशी तीर्थ में अधिक दान दिया था। गोविन्दबन्द्र के ताप्रपत्र आदि केशव मन्दिर के समीप कमोली में (काशी के समीप) मिले हैं जिसके अध्ययन में प्रकट होता है कि राजा काशी तीर्थ में आकर दान देता रहा (श्रीमद् वाराणस्या गंगाया स्नात्वा— ए० इ० भा० ८ पृ० १५४)। जयचन्द्र का ध्यान काशी तीर्थ की ओर इन्हना अधिक था कि मुसलमान लेखकों ने उसे काशी का राजा कहा है (इलियट-भारतका इतिहास भा० २ पृ० २२३, २५०)। उसके पूर्वज चन्द्रदेव को काशी कुशिक, कन्नोज, अयोध्या तथा इन्द्रप्रस्थ तीर्थों का रक्षक कहा गया है (ए० इ० २६ पृ० ७२) ।

तीर्थनि काशी कुशिकोत्तर कोसल
इन्द्रप्रस्थायकानि परिपालयन्ताचिगम्य

(ए० इ० ११ पृ० २३)

अयोध्या नामक तीर्थ, काशी तथा प्रयाग की शैणी में माना गया है और उसे स्वर्ग का द्वार कहा गया है (ए० इ० १४ पृ० १९३, इ० ए० १५ पृ० ६)। राजपुताने में पुष्कर तीर्थ अधिक प्रसिद्ध था जिसका वर्णन कृष्णभद्रत ने नासिक लेख में भी है (प्रभासे पुन्य तीर्थ—ए० इ० ८ पृ० ७८)। मध्ययुग में सिंहराज ने पुष्कर तीर्थ में चार ग्राम दान में दिया

था । तत्कालीन अन्य प्रशस्तियों में भी इसका नाम उल्लिखित है (ग्राम चतुर — श्री पुष्कर तीर्थ स्नात्या — ए० इ० २ पृ० १२९, भा० ९ पृ० ३०४, इ० ए० भा० १८ पृ० ११) । सब से विवित्र घटना पाल वश के राजा धर्मपाल के समय की है । वह परम सौभग्य था और बोद्ध धर्मविलम्बी होकर भी उसने हिन्दू तीर्थों की यात्रा की । वज्रयान तथा तंत्र-यान का केन्द्र बगाल में तीर्थ यात्रा की भावना आइर्य चकित करती है खालीमपुर, नालदा तथा मुगेर ताम्रपत्रों में तीर्थ का विवरण मिलता है—

केदारे विधि तीर्थ युक्त पयसा गगासमेताम्बुधो
गोकर्णादिपु चाष्ट्यनुष्ठितवता तीर्थपू धम्यर्थ किया

इससे पता चलता है कि धर्मपाल केदार, गंगासागर तथा गोकर्ण तीर्थों में यात्रा करने गया था । केदार यानी हिमालय में स्थित केदार नाथ, गगासागर (गगा का समुद्र से सगम) तथा गोकर्ण (कनारा, बम्बई के समीप) तीर्थों में धर्मपाल विजय कामना से नहीं किन्तु धर्मयात्रा के लिए गया था (ए० इ० ४ पृ० २४३ भा० १७ पृ० ३१, भा० १८ पृ० ३०५) अन्य लेखों में कुछअंत्र (देहली के समीप) प्रभास, गया तथा कालाकालेश्वर आदि तीर्थों के नाम मिलते हैं जहाँ राजा तथा प्रजा तीर्थ यात्रा कर दान दिया करती थी (ए० इ० २५ पृ० ३१७) इनमें गया तीर्थ की प्रतिचिन्द्र थी तथा पुराण और स्मृतियों में इसका महत्व वर्णित है [बभि ५५, शंख १४२७, लिखित १२१३] । पश्चिमी पजाद में मुल्तान का नाम मुल्लमानो ने तीर्थों में गिनाया है जहाँ के सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर के दर्शनार्थ भारत के कोने से लोग जाया करते थे (इलियट इतिहास भा० १ पृ० ८३) । लेखों में इसका नाम नहीं मिलता क्योंकि मुल्तान मुसलमानी राज्य के अन्तर्गत था और दान निर्मित वहाँ जाना असम्भव था । अतएव दानपत्रों में इसका नाम न मिलना स्वाभाविक ही है । सूर्य मंदिर के कारण हिन्दू दर्शनार्थ वहाँ जाया करते थे और उनके मेट से मुल्तान को लाको रुपयों की आय हुआ करती ।

इस प्रकार यह पता चलता है कि तीर्थ यात्रा का महत्व लशोक से लेकर जयचन्द्र तक (यानी ईसा पूर्व तीसरी सदी से ईसवी सन् की बारहवीं सदी तक) राजाओं को जात था । शासक वहाँ दान दे पुण्य अर्जन कर स्वर्ग प्राप्ति को कामना करते थे । यहाँ इस विषय पर संकेत करना नितात आवश्यक है कि इस युग में अनेक स्मृतिकार उत्पन्न हुए जिन्होंने अपने विचारों को लिपिबद्ध किया । निवंश भी लिखे गए जिनके मन्तव्य तथा विचारधारा से जनता अवगत हुई । इन्हों का प्रतिष्ठन अभिलेखों में सुनाई पड़ती है । समाज में तीर्थ, प्रायशिच्छ, तर्पण आदि की चर्चा स्मृतियों के आधार पर की गई । लेखों से उन्हीं बातों की पुष्टि होती है ।

अध्याय द

प्रशस्तियों से साहित्य का ज्ञान

भारतवर्ष में ७०० ई० के पश्चात् ऐतिहासिक अथवा अर्द्धऐतिहासिक काव्यों का आरम्भ होता है। इस विषय में गहरा मतभेद है कि ऐसे काव्यों का उदगमस्थान कहा या ? कुछ विदान् तो अरबों के सम्पर्क से ऐतिहासिक काव्य का उद्भव पानते हैं। परन्तु इस विवार में अविक बल नहीं है। यह कहना यथार्थ तथा प्रमाणिक होगा कि ऐतिहासिक काव्यों का मूलश्रोत प्राचीन अभिलेखों में निहित है। इहके मूल श्रोतों का (लेखो) गम्भीर अध्ययन उपरियुक्त कथन को पुष्टि करता है। कलहप ने दो प्रकार के अभिलेखों का वर्णन किया है—

१ दानपत्र—दान की चर्चा

२ प्रतिष्ठा शासन—इसमें मूर्ति स्थापना, मंदिर निर्माण

जलाशय के सम्बन्ध में राजाज्ञा विज्ञापित को जाय। इसे 'राजकीय प्रज्ञनि भी कहा जा सकता है। राजा के समात्र प्रतिष्ठा कर्मों का उम्मेद उल्लेख रहता है। इस तरह के प्रतिष्ठा शासनों को 'पूर्वी प्रशास्ति' भी कहा गया है। इसमें शासकों के पूर्व बंश में सुप्रतिष्ठित नरेश के काव्यों की सूचना है। कौटिल्य ने भी इस विषय पर प्रकाश डाला है। शासनों में राजा का नाम आदि का उल्लेख आवश्यक है (अर्यशास्त्र-शास्त्राधिकार) उपरिलिखित प्रशस्ति का भाव प्रशास्त्रमक अभिलेख से है। उदाहरणार्थ—खारबेल को हाथी गुम्फालेख, रुद्रामन का जूतागढ़ शिलालेख, समुद्र गुप्त की प्रशास्त्रम्भ लेख आदि। मध्ययुगी प्रतिहार नरेश बाउक के जोधपुर लेख में प्रशस्ति-लेखन का रहस्य उद्भवित किया गया है—

गुणः पूर्वं पुरुषाणा कीर्त्यन्ते तेन पडिते

गुणः कीर्तिरनश्यप्ती स्वर्गं बास करी यतः।

राज पण्डित शासक के पूर्वजों का कीर्तिगान करते हैं क्योंकि अविनश्वर गुण कीर्ति स्वर्गवास देने वाली है। इसके अतिरिक्त प्राचीन प्रशस्तियों का अध्ययन से काव्य का रसास्वादन होता है। अतएव उन्हे (प्रशस्ति) काव्य कहना अत्युक्ति पूर्ण न होगा। इसमें ऐतिहासिक तथा अर्द्धऐतिहासिक काव्यों के गुण विद्यमान हैं। काव्यों का रत, छद, अलंकार प्रशस्तियों में भी (रुद्रामन का जूतागढ़ लेख तथा हरिषेप रचित प्रशास्त्रम्भ लेख) वर्तमान है। दिग्विजय का अतिरिजित काल्पनिक वर्णन (काव्य के सदृश) प्रशस्तियों की विशेषता है। अलंकृत शब्दों के विकास में प्रशस्तियों के योगदान पर श्री दिशकेलकर ने विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है (Select Inscriptions Vol. II) मध्ययुगी चन्देल राजा धंग के लजुराहो लेख में शूरता का प्रभावोत्पादक वर्णन अतिरिजना की चरमसीमा पर पहुच गया है (इलोक ४६)। राजकीय लेखों (प्रशस्तियों) की एक अन्य विशेषता की ओर अध्यान आकर्षित करना आवश्यक प्रतीत होता है। प्रशस्तियों में शुकलीला, मनोरंजन की चर्चा विलास एवं विनोद का विवरण प्रायः उपलब्ध होता है। इन बारों को काव्यों में भी स्थान दिया गया है तथा ऐति-

हासिक महाकाव्योंमें उनका परिपाक दीख पड़ता है। अतएव यह कहना न्याय संगत होगा कि प्राचीन प्रशस्तिया ही ऐतिहासिक काव्यों के उद्गम स्थान है।

प्राचीन काल में अभिलेख खुदवाने के विभिन्न उद्देश्य तथा अवसर ये किन्तु लेखों द्वारा किसी प्रकार की साहित्यिक चर्चा का व्येष नहीं था। प्रशस्तिया प्राकृत या संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण हुई किन्तु उसका लेखक विद्वान् पदाधिकारी ही होगा जो समुचित रीति से उस शासन को तैयार करता था। उन अभिलेखों के अध्ययन द्वारा साहित्य के अंग पर गौण रूप से प्रकाश पड़ता है। यो संस्कृत लिखने की कला ईसवी पूर्व सदियों में बवश्य वर्तमान थी लेकिन रुद्रामन के जूनागढ़ केल (१५० ई०) से पूर्व संस्कृत भाषा का कोई भी अभिलेख ढंगलब्ध नहीं है। इसलिए उसे संस्कृत साहित्य का पहली कृति मानना पड़ता है। जूनागढ़ का प्रशस्तिकार एक विद्वान् लेखक था तथा उसने गद्य पद्य की जो विशेषता उपस्थित की वह दृष्टिन के काव्यादर्श (अध्याय १) में उल्लिखित है। लेख में राजा के लिए “स्फुट-लघु मधुर-चिव-कान्त शब्द समयोदायालंकृत गद्य पद्य काव्यविधान प्रवीणेन” का विशेष प्रयुक्त किया गया है (ए० ६० ८ प० ४२)। काव्यादर्श में भी ठीक इसी से मिलती बैदर्भी शैली की विशेषता लिखी है—“लेख प्रसाद माधुर्य सुकुमारता, अर्धविक्तिहारत्वमोज कान्ति समाधय (काव्यादर्श अध्याय १) संस्कृत के अल्कार प्रयोग में काव्य की जो परिभाषा लिखी है उसी तरह की बाते रुद्रामन के लेख में पायी जाती है। इसमें समास की बहुलता दिखलाई पड़ती है। सम्पूर्ण लेख के पहने से यह जात होता है कि लेखक काव्यमय शैली लिखना जानता था। संस्कृत साहित्य का पहला व्यञ्जन नहीं मिलता है कि साधारण जनता भी संस्कृत से परिचित थी। अन्यथा राजकीय लेख अल्कारिक भाषा में नहीं लिखा जाता। आश्वय तो यह है कि रुद्रामन का आड़ लेख तथा मुद्रा-लेख प्राकृत में मिलते हैं। यही नहीं दक्षिण तथा पश्चिम भारत के समस्त लेख प्राकृत भाषा में लिखे गये थे। तात्पर्य यह है कि ई० स० १५० से पूर्व संस्कृत मय अभिलेख नहीं मिलते हैं। तो सरी सरी में भारत में संस्कृत भाषा में लेख उत्कीर्ण होने लगे जिनके अध्ययन से अनेक साहित्यिक बातों का पता चलता है। गुप्त सम्ब्राद् समुद्र गुप्त को प्रयाग (स्तम्भ लेख) प्रशस्ति गद्य पद्य मय भाषा में लिखी गई है। साहित्यदर्पण के अनुसार ‘गद्यपत्रमय काव्य’ को चम्पू कहते हैं। प्रयाग स्तम्भ लेख चम्पू का प्रथम उदाहरण उपस्थित करता है। दृष्टिन ने काव्य गुण के विषय में अपना विचार प्रकट करते हुए लिखा है—“ओं समास भूयस्त्वं एनद् गद्यस्य लक्षणम्। ओं में समास की बहुलता पाई जाती है। यही रूप प्रयाग स्तम्भ लेख का है।

प्रशस्ति लेखक ने इतना अधिक समास का प्रयोग किया है कि उसकी साहित्य शास्त्र की जानकारी स्पष्ट हो जाती है। इस लेख की प्रधान विशेषता यह है कि ऐसे विद्वान् प्रशस्तिकार यानी हरियेण का नाम अन्यत्र नहीं मिलता। ऐसे चम्पू

अभिलेख में शैली के लेखक हरियेण की कोई अन्य कृति ज्ञात नहीं है। सबसे आश्चर्य तो यह है कि हरियेण साहित्यिक परम्परा का पण्डित होकर भी सञ्चिविग्रहिक, कुमारामात्य तथा महादण्डनायक के पद को सुशोभित कर चुका था।

गुप्त वंश के लेख तो किसी न किसी छंद में लिखे गए थे परन्तु प्रथम अन्त तीव्र अवधारणा का लेख नहीं मिलता गप की जगताम एवं उपर्युक्त शब्दों से लिखा

गई है। उपर्युक्त वसन्ततिलका, आर्या, शार्दूलविकीडित, द्रुत विलम्बित, हरिणी, वंशस्थ, हन्दवज्ञा, मार्लिनी, मन्दाकान्ता, अनुदृग्भ आदि छदों से युक्त पद्म उल्लिखित हैं। मदसोर की प्रशस्ति का लेखक वत्सभट्टि भी अन्य साधनों से अज्ञात ही है। अतएव यह कहा जा सकता है कि अभिलेख ऐसे विद्वान् प्रशस्तिकार के नाम बतलाते हैं जिनका नाम दूसरे प्रयोग में नहीं पाया जाता। तात्पर्य यह है कि प्रशस्तियों से सङ्कृत साहित्य का इतिहास जानने में सहायता मिलती है। हरिषंग की एत मात्र रचना प्रयाग स्तम्भ लेख है।

प्रशस्ति के आरम्भ में स्वर्गधरा तथा शार्दूलविकीडित जैसे लम्बे लम्बे आठ छद हैं जिनमें समुद्रगुप्त की कीर्ति का रमणीय वर्णन मिलता है। उसके अनन्तर एक बृहत् गदाश में हरिषंग ने दिग्विजय का विवरण दिया है। पद्म तथा नद्य शैली में हरिषंग उच्च कोटि के कवि कालिदास आदि के समान माना जा सकता है। स्थान-स्थान पर दोनों शब्दों में साम्य मिलता है। दिग्विजय के वर्णन में कालिदास तथा हरिषंग में विम्ब प्रतिविम्ब भाव है। दूसरे विद्वान् वीरसेन का नाम द्वितीय बन्दगुप्त की उदयगिरि गुहा-प्रशस्ति में मिलता है। वह उसके दरबार का एक रक्त था और व्याकरण, न्याय तथा राजनीति का जाता था। वह एक कवि होने के ताते उस प्रशस्ति का लेखक भी था। उसने अपने को राजा का कुल क्रमागत सचिव लिखा है। गुप्त यालीन जिन काव्यों की कीर्ति केवल प्रस्तरों में सुरक्षित है उनमें सबसे योग्य विद्वान् तथा कवि वत्सभट्टि है। प्रथम कुमारगुप्त के शासन काल में लिखी गई मदसोर की प्रशस्ति इस कवि की अंद्रितीय रचना है। इसमें दशपुर में सूर्य मंदिर निर्माण का वर्णन मिलता है। सङ्कृत काव्य के इतिहास में इस प्रशस्ति का विशेष स्थान है। भाषा ललित होते हुए अर्थ गोरक्ष से युक्त है। ब्रलकार इस प्रशस्ति में भरे पड़े हैं। वत्सभट्टि कालिदास के काव्यों का विशेष अनुरागी प्रतोत होता है। उसने कई स्थानों पर कालिदास का अनुकरण किया है। भाषा के अतिरिक्त भाव में कालिदास का छाप दिखलाई पड़ता है। इस कवि द्वारा वर्णित दशपुर का वर्णन कालिदास द्वारा वर्णित अलकापुरी के प्रासादों से सर्वया मिलता-जुलता है—

चलत्पताकान्य बला सत्याध्यत्यार्थः

शूक्रान्त्यविकोन्तानि

तडिलता चित्रसिताव्भूकृ

तुम्बोपमानाति गृहाणि यत्र

कैलास-नुद्ध-शिखर-प्रतिभानि चान्या-

न्याभान्ति दीर्घबलभीनि सर्वदिकानि

गान्धर्व शब्द मुखराणि निविष्ट चित्र

कर्मणि लोल-कदली वन शोभितानि

मदसोर प्रशस्ति—(वत्सभट्टि)

विद्युत्बन्तं ललितवनिता सेन्द्रचाप सचित्रा

सर्वीताय प्रहतमुरजा स्त्रिगम्भीरघोषम्

अन्तस्तोयं मणिमयभुवस्तुज्ज्ञमञ्चलहाप्रा:

प्रासादास्त्वं तुलयितुमलं यत्र तैर्तंविशेषैः।

उत्तरमेष १—(कालिदास)

और देखिए। मंदसोर की प्रशस्ति (पद्य ३१) में वर्णित कृष्टु वर्णन कालिदास के कृष्टु संहार (५१३) के समान है।

न चन्दनं चन्द्रमरोचिशोतलं

न हर्म्यपूङ्ठं शरं दिन्दुनिर्मलम्

न वायवः सान्द्रं तुषारं शीतला

जनस्य चित रमयन्ति साम्प्रतम्

(कालिदास)

रामा सनाय रचने दर-भास्कराशु

बह्नि प्रतापं सुभगे जललीन मीने

चन्द्राशुहर्म्यतलं चन्दनं तालवृत्तं

हारोपभोगं रहिते हिमं दग्धं पर्ये ।

(वत्सभट्टि)

इससे प्रकट होता है कि वत्सभट्टि को कविता सरस और रसीली है। वह वैदर्भी रीति में लिखे गए काव्य का एक उत्कृष्ट नमूना है। सुन्दर अल्कारों का समावेश स्थान-स्थान पर किया गया है। कविता में गुण के कारण वत्सभट्टि महाकवियों को श्रेणी में रखके जा सकते हैं। गुप्त सन्धार् चन्द्रगुप्त के समय में शाब्द नाम के राजकवि हुए हैं जिनका नाम लेखों में मिलता है।

इस युग के कवियों में वासुल का भी नाम उल्लेखनीय है। इन्होने मालवा के नरेश यशोधर्मन की मदसोर की प्रशस्ति लिखकर अपनी काव्य निपुणता का परिचय दिया है। इसमें राजा के गुणावलों का वर्णन किया गया है। ईशान वर्मा की हरहा प्रशस्ति के लेखक रविशान्ति का नाम भी गर्व के साथ लिया जा सकता है जो मौखिक नरेश के आश्रित कवि थे। इस कवि की कविताएं समाच की अधिकता तथा भाव से भरी हुई हैं। इसके काव्यमय लेख से मौखिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। ईशान की कीर्ति तथा युद्ध गाथा के लेखक का नाम तथा रवि शान्ति की रचना अन्यत्र नहीं मिलती। इस प्रकार प्रशस्ति के अन्त में कवियों के नाम आते हैं जिनमें प्रधान (प्रथम श्रेणी के) कवियों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। यदि प्रशस्तियों का अध्ययन न होता तो इनकी कीर्ति का पता लगाना बहसम्भव था। इस प्रकार हजारों लेख मध्यकाल में लिखे गए। सर्वत्र लेखक के नाम का पता नहीं लगता। मध्ययुग के गोविन्दपुर के (गया, बिहार) लेख में वेद पारंगत ब्राह्मण का उल्लेख है, जिसको कविता सदुकृत कण्ठमृत में सुभाषित के स्थान पर उढ़ूत की गयी है। उस श्रीधर दास नामक कवि का नाम अन्यत्र कही नहीं मिलता। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि संस्कृत साहित्य का वास्तविक इतिहास इन लेखों की सहायता विना तैयार होना सम्भव नहीं।

प्रशस्तियों के अतिरिक्त गुप्त शासकों का साहित्यिक प्रेम उनके मुद्रा-लेख से भी ज्ञाता है। मुद्राओं पर लेख छंदबद्ध (अधिकतर उपगीति छद्म में) मिलते हैं उदाहरणार्थ समुद्र का मुद्रा लेख “समर शत वितत विजयो जित रिपु रितो द्विं जयति” तथा प्रथम कुमारगुप्त का लेख “पृथिवीतलावर क्षणी कुमार गुप्तो जयत्यजितः” उपगीति छद्म में है।

इसी प्रकार चालुक्य नरेश द्वितीय पुलकेशी का अयहोल लेख सुन्दर काव्य में लिखा गया है। रवीकीर्ति के वर्णन की शैली काव्यमय है। इसलिए अयहोल प्रशस्ति के इच्छें पद्म में कालिदाम तथा भारवी से उसकी तुलना की गई है। तात्पर्य यह है उपमा तथा अर्थ गौरव में रवीकीर्ति श्रेष्ठता प्राप्त कर चुका था। यही कारण है वह प्रधान कवियों में स्थान प्राप्त कर सका। प्रशस्तिकार अल्कार शास्त्र से पूर्ण विज्ञ था। कई स्थानों पर उसके भाव रघुवंश तथा किरातार्जुनीय से मिलते हैं। प्रशस्तिकार ने रघु के विविजय सदृश पुलकेशी की विजय यात्रा का वर्णन किया है। अयहोल प्रशस्ति के निम्न पद्म कालिदास के समान भाव व्यक्त करते हैं—

प्रशस्ति का पद्म ५ (रघुवंश ७।४८), पद्म १० (किरात ५।९)

प्रशस्ति का पद्म १७ (रघुवंश ३।२६) तथा पद्म ३० (रघु ४।४५)

इन सभी साहित्यिक पद्मों के अतिरिक्त कुछ नाटक प्रस्तर पर खोदे गए ये जिनसे सम्पूर्ण नाटक का रूप खड़ा किया गया है। अजमेर के शिलालङ्घ पर सोमदेव रचित “ललित विश्वह नाटक” मिला है जिसमें चाहमान नरेश विश्वह राज की कीर्ति वर्णित है। धारा के समीप (उज्जैन का भू भाग) प्रस्तर पर हरकेल नाटक उत्कीर्ण पाया गया है जिसका लेखक विश्वह राज था। पारिजात मंजरी की भी वही कथा है। इसके अतिरिक्त धारा के एक शिलालेख में विश्वु के कूर्मवितार का वर्णन किया गया है जो प्राकृत भाषा की काव्य रचना है। इस तरह प्रशस्तियों का अध्ययन प्राकृत तथा संस्कृत साहित्य के इतिहास पर प्रकाश ढालता है तथा लेखों से कई उलझने स्पष्ट हो सकी है। १० स १५० से पूर्व संस्कृत साहित्य का कोई का अंश नहीं मिलता पर उससे पूर्व भी संस्कृत का प्रचार था, यह स्पष्ट हो जाता है। जूनागढ़ लेख की शैली एक दिन की कृति नहीं है बरन् साहित्य सम्बन्धी कार्य सैकड़ों वर्ष पहले से होता रहा होगा।

पूर्व मध्य युग (७००-१२०० ई०) की अवधि में संस्कृत साहित्य का भण्डार भरा गया। जितनी सख्ता में नाना विषयों पर ग्रंथ लिखे गए, उतनी ही संख्या में अभिलेख भी संस्कृत में उत्कीर्ण किए गए। काव्य शैली, अलंकार की प्रचुरता (ग्वालियर प्रशस्ति ए० ८० भा० १ प० १५६) छंदों की बहुलता और स्लेष का अधिकता (ए० ८० भा० २९ प० १७९) प्रशस्तियों में पाया जाता है।

अभिलेखों में साहित्य की समीक्षा करते समय चन्द्रेल नरेश के खजुराहो लेख का उद्धरण प्रशस्तिकारों के काव्यमय शैली तथा साहित्यिक सूक्ष्म की ओर ध्यान आकर्षित करता है—
(ए० ८० भा० १ प० १५९)

दारिद्रं हरतापिनो रिपुजना लक्ष्मी मनो योगित

रूपं पंचशरादगावपयसो गाम्भीर्यमंभोनिषे

वित्तं येन विचारु चारु भनसामाचारमातन्वता

सर्वत्रैव जनापवाद रहितं चौर्य प्रकाशीकृतः।

अभिलेखों के अध्ययन से यह पता है कि शिक्षण संस्थाओं का जन्म कालान्तर

में हुआ। सुदोर्धकाल में अध्यापक व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देते थे। प्राचीन गुरुकुल तथा काशी एंदं तक्षशिला के गुरुगृह शिक्षा में योगदान देते रहे। ईसवी सन् शिक्षा-केन्द्र दूसरी सदी के नासिक लेखों में भिक्षुओं के चौबर तथा भोजन निमित्त अग्रहार का वर्णन है। बौद्ध ग्रथ महाबग्म में उल्लिखित है कि गुहा में शिक्षा कार्य सम्पन्न किया जाता था जिसकी सहायता शासक किया करते थे। पाप शिक्षा केन्द्र समस्त भारत में फैले हुए थे। तक्षशिला, काशी, पाटलिपुत्र, कान्नौज, मिथिला तथा धारा का नाम शिक्षा केन्द्रों में लिया जा सकता है। बौद्ध विहार तथा हिन्दू-मदिरों से शिक्षण सम्प्राप्तों का जन्म हुआ अतएव जनता मठ तथा मंदिरों को दान देने लगी। मध्यकाल में मठ ही प्रधान बैन्द्र बन गए। तक्षशिला के विषय में जातकों के अतिरिक्त अन्य साधनों से कम प्रकाश पड़ा है। यहा के लेख यह बतलाते हैं कि जनता ल्लोष्टों लिपि तथा प्राकृत भाषा जानती थी। वह स्थान यूनानी शासकों के समय में टकसाल था। याधार कला की उन्नति से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि तक्षण कला की शिक्षा वहां अवश्य दी जाती होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि वहां मुच्यवस्थित तथा समगित शिक्षा-केन्द्रों में (विविधालय न होने पर भी) सब कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला की खुदाई से ऐसा भवन मिल न मिला जिसे विद्यालय या छात्रावास कहा जा सके।

तक्षशिला से बढ़कर काशी विद्या का केन्द्र था। बौद्ध के यहा धर्म प्रचार आरम्भ करने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ई० पूर्व सदियों में काशी विद्या का महत्वपूर्ण केन्द्र होगा। काशी की प्रसिद्धि कई सदियों तक उयों की त्यो बनी रही। इसी सदी के गाहृद्वाल ताम्रपत्र कमीली नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं जिसमें विद्वान् ग्राहणों को दान देने का विवरण मिलता है। (०० ई० भा० ४) सम्भवत् राजा की ओर से अध्यापक तथा विद्यायियों को पठन-पाठन के लिए सहायता दिलती रही।

वैदिक काल से ही काशी की प्रधानता थी। बौद्ध युग में भी वही स्थिति बनी रही। बौद्ध ने प्रथम घर्मोपदेश (घर्मचक्र परिवर्तन) के लिए मृगदाव को ही चुना था। जातक कथाओं में काशी के राजा ब्रह्मदत्त का नाम संकड़ों बार आया है। इससे सिद्ध होता है कि काशी को प्रधानता (घर्म तथा शिक्षा धोत्र में) सदियों तक बनी रही। ब्राह्मण तथा बौद्ध युग में यह नगरी एक समान रूप से आकर्षक थी।

अशोक के समय से ही सारनाथ की प्रधानता रही और मौर्य युग के पश्चात् वह एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केन्द्र हो गया। यहां पर पदार्थ का कार्य वारहबी सदी तक होता रहा और इसी कारण से गाहृद्वाल राजा गोविन्दचन्द्र की पत्नी कुमार देवी ने एक विहार को दान दिया था जिसका विवरण उसके सारनाथ बाले लेख में पाया गया है। हजारों की संख्या में यहां विद्यार्थी थे। खुदाई से अनेक विहारों को स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। सारनाथ में कला की भी शिक्षा दी जाती रही जिसके कारण वहां पर एक शैली (स्कूल) की स्थापना हुई थी। सारनाथ शैली की बौद्ध प्रतिमा बौद्ध कला में अद्वितीय समझी जाती है। इससे साहित्य तथा कला की शिक्षा की प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है। आज भी काशी क्षेत्र (वाराणसी) संस्कृत विद्या का महान् केन्द्र है।

पाटलीपुत्र के समीप नालंदा का विहार एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का रूप धारण कर चुका था जिसकी प्रसिद्धि पाँचवीं सदी के पश्चात् विदित हुई। यो तो बुद्ध के समय से ही इसकी प्रधानता थी परन्तु पाँचवीं सदी से नालंदा विद्या का केन्द्र नालंदा महाविहार हो गया। युग राजाओं तथा पालवंशी नरेशों ने इस महाविहार की उन्नति में हाथ बंटाया तथा आधिक सहायता देकर प्रोत्साहित किया। प्राचीन समय से ११ बी सदी तक विहार-निर्माण का कार्य अविच्छिन्न रूप से होता रहा। नालंदा की खुदाई से वहाँ विशाल विश्वविद्यालय का पता चला है जिसमें करीब ३०० छोटे कमरे हैं तथा सात विशाल व्याख्यान मंदिर भी। पूर्व मध्ययुग के एक लेख से नालंदा के विशाल भवन की स्थिति प्रभागित होती है जहाँ विहार के शिखर गगन-चुम्बी थे। वर्णन सुनिए।

यस्यामम्बुधरावलेहि शिखर श्रेणी विहारावली
मालेदोर्ध्वं विराजनी विरचिता धात्रा मोनोज्ञाभुवं।

(ए ३० २० त० ४३)

नालंदा हसतीव सर्वनगरो शुभ्राभ्रगोरस्कुट
र्दर्यत्याशु प्रकरोस्सदागमकला विरुद्धत विद्वन्ना।

इसमें स्पष्ट हो जाता है कि ७००-१२०० ई० तक नालंदा प्रसिद्ध विद्या-केन्द्र था। तथा प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् अध्ययन तथा अध्यापन करते रहे।

भिक्षु एव विद्यार्थियों के आवास के लिए ही ऊँचे विहार बनाए गये थे। जहाँ उनके भोजन, स्थान तथा औपचिका प्रबन्ध था—भिक्षु संघस्थ वलि चरुमत्र चौबर पिण्डपात शयना भेषजादि (ए ३० २० प० ४४) इन सभी कार्यों के लिए दाताओं से दान मिलता था तथा दो सौ ग्राम इस महाविहार को दान में मिल चुके थे। इसको अभिवृद्धि आठवीं सदी के पाल नरेश देवपाल के ताम्रपत्र से ज्ञात है। देवपाल ने जाता के राजा बालपुत्रदेव के आग्रह पर पाच गाढ़ दान में दिया था। ताम्रपत्र में वर्णन आता है कि जाता के राजा ने नालंदा में दो विहार तैयार किया तथा उनके दूत देवपाल से भिक्षुओं के निमित्त दान देने की प्रार्थना की। देवपाल ने उस विहार में निवास करने वाले भिक्षु विद्यार्थी के भोजन, आवास, औपचिकि निमित्त दान दिया। वहाँ ग्रथ लिखने के व्यय का भी आयोजन था (ए ३० भा० १७ प० ३२२)

नालंदा गुण वृद्ध लुभ्य मनसा भक्तया च सौद्धोदने

X X X

नाना सद् गुणभिक्षुसंघ वसतिस्तस्या विहार कृत,

सुवर्णद्वीपाधिप महाराज बालपुत्रदेवेन दूतक

मुखेन वर्णं विज्ञापिता। यथा मया नालंदाया विहारः कारित ।

इससे इस महाविहार की अन्तर्राष्ट्रीय स्थापिति का पता चलता है। यही कारण है कि चीन के यात्री लैनसाँग तथा इस्टिंस वर्षों रहकर नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्त करते रहे। यही के पंडित नेपाल, तिब्बत तथा चीन में बौद्ध धर्म फैलाने के लिए निमत्रित किए गए थे।

१३८ : प्राचीन भारतीय अभिलेख

काठियावाड मे बलभी भी प्रसिद्ध विद्या के नद था जहाँ से आधिक मात्रा मे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होता था । बलभी के स्नातक ऊंचे पद पर नियुक्त किए जाते थे । गंगाघाटी से ब्राह्मण अपने पुत्रों को विद्याभ्यास के लिए वहाँ मेंजते रहे ।

अन्तर्बेदामभूत्पूर्वं वसुदत्त इति दिज

X X X

गमु प्रवृत्ते विद्या प्राप्ते बलभीपुरम् ।

बलभी के धनीमानों श्रेष्ठी इस विश्वविद्यालय को आधिक सहायता दिया करते थे । यहाँ के मैत्रक नरेश साधारण व्यय के अतिरिक्त पुस्तकों के लिए भी दान देते थे जो लेख से विदित होता है ।

(सद्गर्मस्य पुस्तकोपचयार्थम्—स० इ० इ० ७ प० ६७)

मैत्रकों के पिछले उत्तराधिकारी भी बलभी विश्वविद्यालय को पर्याप्त आधिक सहायता करते रहे ।

दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट राजा के मरी नारायण ने सलोक्यी (बीजापुर, वर्मडी प्रदेश) मे एक देवालय का निर्माण कराया था जो १२वीं सदी मे बैदिक शिक्षा का प्रसिद्ध केन्द्र था । उस स्थान पर विद्यार्थियों के रहने के लिए अनेक भवन बने थे । वहाँ की प्रशस्ति मे वर्णन आता है कि दोपक, भोजन तथा आवास के लिए ५०० निर्वतन भूमिदान मे दो गई थी (ए० इ० ४ प० ६०)

तेनेय कारिता शाला श्री विशाला मनोरमा

अत्र विद्यार्थिन सन्ति नाना जनपदोऽद्वा

शाला विद्यार्थी सधाय दत्तवान्भूमिमुन्तमम् ।

अन्य लेखों से भी पता चलता है कि दक्षिण मे कई विद्यार्पण राजकीय सहायता पर चलते थे और देवालय शिक्षा के केन्द्र हो गए थे । १२वीं सदी मे दक्षिण अरकाट जिले मे एश्वायिरम् विद्यार्पीठ (सात्य० इ० ४० रि० १९१८ प० १४५) तथा चिङ्गलपुट (मद्रास के करीब) मे व्यंकटेश पेरुपल देवालय (ग० इ० २१ प० २२०) महस्वपूर्ण मंस्त्वाएं थी । विद्यार्थियों को खाद्य सामग्री नि शुल्क वितरण की जाती थी । चिकित्सा का भी प्रबंध था । ११वीं सदी के लेख मे बीजापुर के विद्यार्थियों का वर्णन है कि आचार्य योगेश्वर पदित के शिष्यों को शिक्षा तथा भोजन के लिए १२०० एकड भूमि दान मे दो गई थी । (इ० इ० १० प० १२९) अभिलेखों के आधार पर कई उदाहरण उपस्थित किए जा सकते हैं (ए० इ० ४४ प० ३५९ सात्य० इ० रि० १९१२ प० २०१ १९-१७ प० १२२) अग्रहारदान (ए० इ० भा० ५ प० २२, भा० १३ प० ३१७) शिक्षा की उन्नति मे सहायक थे तथा आधिक चिन्ता से विद्यालय मुक्त रहता था । जिस गाव मे वंडितों के पास ज्ञान-पिपासु लोग आते थे उसे भी दान दिया जाता था : (ए० इ० भा० १६ प० १४) । अतएव प्राचीन अभिलेखों का अध्ययन शिक्षा-केन्द्रों, छावावास, आधिक, भोजन, हस्तलिखित पुस्तक आदि विद्ययों पर प्रकाश ढालते हैं । उनके परिशोलन से प्रकट होता है कि राजकीय सहायता के बिना शिक्षा की उन्नति सम्भव न थी ।

प्राचीन अभिलेखों में अध्ययन तथा अध्यापन का सौधा वर्णन उपलब्ध नहीं है केवल प्रसंग वंश साहित्य का उल्लेख मिलता है। अथवा दान के पात्र सम्बन्धी वार्ता में दान-जाही को विद्वता तथा उसकी शाखा का वर्णन किया गया है। या अध्ययन के यो कहिए कि उस वश का विवरण देते समय ब्राह्मण के वैदिक शाखा विभिन्न विषय का नाम लिया गया है। इन सभी प्रकार के उल्लेखों से हमें साहित्य सम्बन्धी विषयों का परिज्ञान हो जाता है। अशोक से पूर्व का कोई लेख उपलब्ध नहीं है इसलिए ई० पूर्व ३०० वर्ष पहले की बातें ज्ञात नहीं हैं। उसने वैराट (भाद्र, जयपुर) के विलालेख में इस बात का आदेश दिया था कि निम्नलिखित ग्रन्थों को भिक्षुओं को सुनना तथा पढ़ना चाहिए—

इमानि भते धम्मपलियायानि विनय समुक्से अलिय-वसाणि अनागत भयानि मुनिगाया मौनेय सूते उपतिस प्रसिने ए चा लाघुलोबावे मुसावदं अविगिच्य भगवता बुद्धेन भासिते (भाद्र लेख) मुनिगाया मौनेय सूत्र उपतिष्ठप्रश्न राहुलशाद मृषावादम्” को बारबार सुनना चाहिए तथा अध्ययन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त (विनय समुक्से) आर्यवश (अंगुत्तर निकाय में बातलिप) अलियवसाणि और भिक्षु की भविष्य चर्चा (अनागतभयानि) को भी सुनना चाहिए जिससे संघ चिर स्थायी हो सके।

भौर्युग के पश्चात् अभिलेखों में कई सदियों तक शिक्षा सम्बन्धी किसी विषय का उल्लेख नहीं पाया जाता। कुपाणवशी लेखों में भिक्षुओं के नाम के साथ ‘त्रेपिटकस्य’ शब्द जुड़ा मिलता है, इससे प्रकट होता है कि बीद्र त्रिपिटक का अध्ययन अध्यापन होता रहा। (सहेत महेत तथा मथुरा प्रतिभा लेख—८० ई० भा० ९ प० २९१, भा० ८ प० १८१) यज्ञों के विधिवत् सम्पन्न होने से यह सिद्ध होता है कि वैदिक शिक्षा का प्रचलन समाज में था। उपनयन सस्कार के पश्चात् विद्यार्थी गुरुगृह में विद्यास्थास करता रहा। पूर्वमध्ययुग (७००-१२०० ई०) में उपनयन की अवस्था में समानता न रही। प्राचीन गुरुकुल की परिपाटी छिन भिन्न हा गई थी और विद्यार्थीगण मदिर या मठ अथवा विहार में शिक्षा पाने लगे। इस काल के उत्कीर्ण अभिलेख तथा दानपत्र शिक्षा के मध्ये बातों पर प्रकाश ढालते हैं। दान व्यक्तिगत न रहकर सस्थाओं से सम्बन्धित कर दिए गए। जिन सस्थाओं को दान दिया जाता था वहा विद्या का केन्द्र अवश्य कार्य कर रहा था। यह अनुमान सर्वथा उचित होगा कि अभिलेखों में प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में किसी तरह का उल्लेख नहीं है। केवल ऊंची शिक्षा का मूल्याकान किया जा सकता है। ऊंची श्रेणी की सस्थाओं तथा किसी विषय में पारंगत पटित को ही दान देने की परिपाटी थी। अतएव पूर्वमध्ययुग में एक विषय के गम्भीर अध्ययन की बातें सोची जा सकती हैं। बीद्र मठों में नए आगतुक भिक्षु बो को मल अवस्था के कारण कुछ साधारण ज्ञान देकर धर्म ग्रन्थ का अध्ययन कराया जाता था। परन्तु ब्राह्मणों के सम्बन्ध में ऐसों बातें ज्ञात नहीं हैं। इस निर्णय पर पहुँचने का कारण यह है कि विद्यार्थी वैदिक शाखा के ज्ञाता कहे गए हैं यानी किसी सम्पूर्ण वेद का पठन पाठन भी सम्भव न था। गम्भीर अध्ययन के कारण विद्यार्थी केवल एक शाखा में ही पाहित्य प्राप्त कर सकता था।

पूर्व मध्ययुग के अभिलेखों का विवेचन यह बतलाता है कि वेद, वेदाग के अतिरिक्त दर्शन, उपवेद तथा इतिहास का भी पठन-पाठन होता रहा। दानप्राही के गुणों का वर्णन करते समय कई विषयों के नाम आते हैं। ज्योतिष तथा घर्मशास्त्र का भी उल्लेख मिलता है जिसके अध्ययन के पश्चात् वह व्यक्ति राजकीय विभाग में पदाधिकारी हो जाता था। इसलिए वेदाग (शिक्षा, निष्ठता, छंद, व्याकरण, कल्प, (घर्मशास्त्र) तथा ज्योतिष) का अध्यापन प्रधान हो गया। उस युग के लेखों में चारों वेद, उनकी विभिन्न शाखाओं, वेदाग तथा पद्दर्शन के नाम मिलते हैं। चहमान (राजपुताना) के लेखों में यजुर्वेद के अनुसार यज्ञ करने की चर्चा की गई है (ए० इ० ९ प० ३०६) और बगाल के सेन नरेश के लेखों में भी यही बातें उल्लिखित हैं (ज० आफ० हि० रि० सो० भा० २ प० १४०) इसका अर्थ यह है कि समस्त उत्तरी भारत में वैदिक यज्ञ तथा वेदों का अध्ययन होता था। दक्षिण भारत के लेखों में भी वैदिक शाखाओं के नाम से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दक्षिण में वैदिक अध्ययन की परिपाटी समान रूप से वर्तमान थी। प्रतिहार, चन्द्रेल, परमार तथा बगाल के राजाओं के अभिलेखों में एक तरह के शाखा के नाम आते हैं। कलहा ताम्रपत्र (गोरखपुर, उत्तर प्रदेश) में छादोग्य, बाजसनेय तथा माध्यन्दिन शाखाध्यायी ब्राह्मणों के नाम उल्लिखित हैं (ए० इ० भा० २ प० ८७) मध्यप्रदेश के चैदि वश के लेखों में आश्वलायन, शालायन, कठ, कोयुमी तथा राणायनीय शाखाओं के नाम मिलते हैं (ए० इ० ९ प० ११६) मालवा के लेख में माध्यन्दिन, आश्वलायन तथा कोयुमी के नाम प्राप्त हुए हैं (ए० इ० ९ प० ११६) कन्नौज के राजा भोज का ताम्रपत्र तथा गाहूडवाल नरेश गोविन्द चन्द्र के दानपत्र में आश्वलायन तथा बाजसनेय शाखाध्यायी ब्राह्मणों का वर्णन आया है। (ए० इ० ५ प० २१२ तथा भा० ८ प० १५४) पाल तथा सेन दानपत्रों में यही नाम मिलते हैं (इ० ए० २१ प० २५५ ए० इ० १५ प० २९५) विजयसेन का वैरकपुर ताम्रपत्र (ए० इ० १५ प० २८४) बल्लालमेन का नईहटी लेख (ए० इ० १४ प० १५६) तथा लक्ष्मणमेन के अनेक दानपत्रों में (ए० इ० १२ प० ६ इ० हि० बवा० ३ प० ८९ ज० ए० सो० ब० १००० भा० ६९ प० ६१) में उन्हीं शाखाओं के नाम उल्लिखित हैं जिनके विषय में ऊपर लिखा जा चुका है। लक्ष्मणसेन के अभिलेखों में यजुर्वेद, सामवेद, क्रष्णवेद की शाखाओं के अतिरिक्त अर्थवं की पिप्पलाद शाखा का नाम भी मिलता है जो अन्य प्रदेशों की प्रशस्तियों में नहीं मिलता। यदि समस्त शाखाओं को कम बढ़ किया जाय तो लेखों की शाखाएं निम्न वर्गीकरण में रखें जा सकती हैं।

- (१) क्रष्णवेद की शाखाएँ—आश्वलायन, शाड़खायन
- (२) शुक्ल यजुर्वेद—माध्यन्दिन, काष्ठ तथा बाजसनेय
- (३) कृष्ण यजुर्वेद—मैत्रायणी, कठ तथा तैत्तिरीय
- (४) सामवेद—कोयुमी व राणायनीय
- (५) अर्थवं—पिप्पलाद

इन शाखाओं के नाम तथा वर्गीकरण से पता चलता है कि क्रष्ण, साम तथा यजुर्वेद का अध्ययन उत्तरी भारत के अधिक भागों में होता था परन्तु पिप्पलाद का अध्ययन केवल पूर्वी भारत में सीमित था। दक्षिण भारत के लेख भी यही बतलाते हैं कि अर्थवं के सिवाय

अन्य तीनों वेदों का अध्ययन व अध्यापन पूर्व मध्ययुग से हो रहा था। इसकी पुष्टि निम्नलिखित उद्धरण से होती है—

ब्रह्म त्रिक्रमोर्कश्च विष्णु देवस्तथा पर तथा महिरदेवस्य चात्वारो वह्वृचोत्तमा एवं कपर्दोपाध्यायो भास्करो मधुसूदन वेदगर्भश्च चत्वारो यजुर्वेदस्य पारागा तथा भास्कर देवश्च स्थिरोपाध्याय एव च त्वलोवयहन्मो मोड़-चत्वार सामपारागा	(कठग्वेद) (यजुर्वेदस्य) (साम)
--	---

(ए० इ० ११ प० १९२)

सभस्त अभिलेखों का परीक्षण यह बतलाता है कि अधिकतर ब्राह्मण तीन ही वेद (कठग्वेद, यजुर्वेद साम) पढ़ते या पढ़ाते थे जिस कारण द्विवेदी या त्रिवेदी की पढ़वी से पुकारे जाते थे। (ए० इ० १६ प० १० भा० ६ प० ३११)

शतपथ ब्राह्मण (४।६।७) में भी तीन वेदों की प्रशानता उल्लिखित है (त्रयीवैविद्या त्रृत्वं यजुर्वेदं सामान्)

मध्ययुग में वेदाग का नाम भी लेखों में उल्लिखित है जिन विषयों को पढ़ कर व्यक्ति पदाधिकारी का आसन सुधार्भित करता था। वगाल के लेख में वेद वेदाग पारग ब्राह्मणों के नाम आते हैं (इ० ए० १६ प० २०५) तथा बैरकपुर दानपत्र में 'पदाह्माध्यायिनें' ब्राह्मण को अग्रहार देने का वर्णन मिलता है (ए० इ० १५ प० २८४) गोविन्दपुर के ताम्र पत्र में निम्न छ्लोक द्वारा वेदाग के छ विषयों के अध्ययन की चर्चा की गई है—

सत्कल्पप्रवणा श्रुतिं प्रणयिन् विक्षाभिरुद्ग्रासिता
 मञ्जर्योतिपर्यतियो निरुक्तं विशदा श्छन्दो विष्वी साधव
 स्पाता व्याकरणं क्रमेण विद्युपामत्युच्ययि शीलना
 द्वेदाङ्गं प्रतिभा. पडेव भुवनेते विभ्रति भ्रातर

(ए० इ० २ प० ३३६)

अभिलेखों का अध्ययन इस बात का स्पष्टतया प्रकट करता है कि व्याकरण तथा ज्योतिष का अध्ययन तथा अध्यापन वेदाग विषयों में सबसे प्रचलित था। व्याकरण सभी शास्त्रों को बोधगम्य करता है इसकिए उसका पढ़ना नितान आवश्यक था। ज्योतिष के पर्णित को नैमित्तिक की सज्जा दी गई थी। गहडवाल प्रशस्तियों में नैमित्तिक पदाधिकारियों की सूची में मिलता है (ए. इ. ४ प० १२२, भा. ७ प० ९९ तथा भा. १८ प० २२२) उडीसा के भुवनेश्वर लेख में ब्राह्मण को सिद्धात, तत्र, फलगाहिता तथा व्याख्या का ज्ञाता बतलाया गया है (ए. इ. भा० ६ प० २०६) तथा वगाल की प्रशस्ति में दामोदर शर्मन पाच सिद्धान्त का पंडित कहा गया है। ज्योतिष में पुष्टा (पीलिश), रोमक, वशिष्ठ, सूर्य (सौर) तथा पितामह (पैतामह) को ज्योतिष का पाच सिद्धान्त मानते हैं। इस कारण ज्योतिष को सासारिक विषय मान कर पढ़ते और राजदरबार में ज्योतिषी प्रतिष्ठा पाते थे। अन्य चार-कल्प

निश्चक, शिक्षा तथा छठ का नाम लेखो प्राय नहीं मिलता। परन्तु इससे यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि वेदाग में व्याकरण तथा ज्योतिषी दो ही विषयों की शिक्षा दी जाती होगी और अन्य चार पढ़े न जाते होगे। छठ तथा शिक्षा के अभ्याव में वेद मंत्रों का उच्चारण कठिन होता है तथा निश्चक के बिना मंत्रों का अर्थ समझना असम्भव है। यह काल वैदिक यज्ञ तथा अध्यापन का युग था इस लिए वेदाग के सभी बंगों पर विद्यार्थियों का ध्यान रहता होगा। पूर्व मध्ययुग में अनेक स्मृतियों की रचना हुई थी। इसलिए धर्मशास्त्र (कल्प) के ज्ञान को पूर्व पीठिका मानना असंगत न होगा। यह कहना उचित होगा कि वेदाग का अध्ययन भी ब्राह्मणों के लिए आवश्यक हो गया था।

अध्ययन के अन्य विषयों में पद्धर्दशन को भी प्रधान माना गया है और लेखों में प्रत्येक दर्शन का पृथक्-पृथक् नाम उल्लिखित है। पद्धर्दशन से न्याय, मीमांसा, सारूप्य, योग, वैशेषिक तथा वेदान्त का बोध होता है (ए० इ० ११ प० ३१) रोबा के लेख में काशी के ब्राह्मण को वेदान्त मीमांसा तथा योगदर्शन का पढ़ित कहा गया (ए० इ० १६ प० २६५) लेकिन वही प्रतिहार वशी बानगढ़ की प्रशस्ति में मीमांसा तथा तर्कविद्या (न्याय) में पारगत माना गया है (ए० इ० १४ प० ३२५) पाल लेखों में इसी तरह का वर्णन मिलता है कि दानप्राही ब्राह्मण मीमांसा व तर्क विद्या (न्याय शास्त्र) का जाता था (ए० इ० १५ प० २२५ । भा० २१ प० १६८—मीमांसा व्याकरण तर्कविद्याविदे) मुगेर लेख में वेदान्त का उल्लेख है। (इ० इ० १५ प० ३०७)। इससे प्रकट होता है कि पद्धर्दशन में न्याय, मीमांसा तथा वेदान्त का अध्ययन अध्यापन अधिक प्रचलित था। साहित्य के इतिहास में इसकी पुष्टि होती है। यह विदित है कि मिथिला के वाचस्पति मिथ्र ने न्याय प्रथ की रचना की। मीमांसा में भी कुमारिल युग (६००-१०० ई०) मध्य प्रसिद्ध है। कुमारिल तथा उनके शिष्यों ने अनेक टीकाएं तथा निवध तेयार किए। वेदान्त के विद्वानों ने शक्र और गौडपाद के नाम उल्लेख-नीय हैं।

प्रशस्तियों में उपवेद—गान्धर्ववेद, आपुर्वेद का सीधा वर्णन नहीं है पर यत्र-तत्र उल्लेखों में तात्पर्य निकाला जा सकता है कि इन विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। जहाँ तक संगीत की शिक्षा का प्रदर्शन है मोर्च सम्भ्राट् अशोक ने इसे निरुत्साहित किया। प्रथम शिला लेख में ही वह 'न च समाजो कतव्यो, वहुक हि दोमं समाजमिह' का आदेश देता है कि संगीत तथा आनन्दमय समाज एकत्रित न करना चाहिए। साधारण जनता तो इसके विपरीत थी अतएव उसके मरते ही संगीतमय समाज का आयोजन होने लगा। भरदृत की वैदिका पर नृत्य का दृश्य है और उस स्वान पर लेख खुदा है जिसमें विभिन्न अप्मराओं के नाम मिलते हैं। गुप्त लेख में सम्मद्रगुप्त गान्धर्व विद्या में निपुण कहा गया है जिसने तुम्बर तथा नारद को संगीत में लजिज्जत कर दिया था (गान्धर्व ललितैर्भाईत-त्रिदशपति- तुम्बर नारदादे—प्रथाग-स्तम्भ लेख) प्रथम कुमारगुप्त के मदमोर लेख में वर्णन है कि श्रेणी के सदस्य संगीत में भी दक्ष थे। सामदेव का भिक्षा भी जनता के संगीत प्रेम की बात स्पष्ट करती है। मदिरों की दीवारों पर वाद्य तथा नृत्य के अनेक प्रदर्शन मिलते हैं और मंदिरों के एक कक्ष को नट मण्डल (नृत्य मण्डप) कहते थे जो प्रशस्तियों के उल्लेख को पृष्ठ करता है।

आयुर्वेद की शिक्षा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता था। अशोक दूसरे शिला लेख में दो प्रकार की चिकित्सा का उल्लेख है—मनुस चिकित्सा व पशु चिकित्सा। मनुष्यों के साथ पशु चिकित्सा पर राजा का ध्यान यह व्यक्त करता है कि आयुर्वेद की शिक्षा ऊँची श्रेणी की थी। उमने यह भी लिखा है कि जिस स्थान पर जो दवाएँ थीं वह भेजी गई तथा जड़ी-बूटी के पौधे भी लगाए गए थे (मूलानि फलानि यत यत नास्ति सर्वत हारायितानि रोपायितानि) मध्यमूङ के गहडवाल लेखों में भिषण् (चिकित्सक) का उल्लेख मिलता है। (कमीली ताम्रपत्र—ए. इ. भा ४) चन्देल राजा परमदि के लेख में बैठा का नाम पदाधिकारियों की सूची में उल्लिखित है (ए. इ. भा ४ पृ० १७०) पाल वशी लेखों में भैषज्य (दवा) शब्द का उल्लेख भिक्षुओं के दान (दवा का व्यय) सम्बन्ध में किया गया है (इ. ए १५ पृ० ३०६) देवपाल के नालंदा ताम्रपत्र में भी भिक्षुओं के लिए भोजन, वस्त्र (चौबर) तथा औषधि (भेजायि) के प्रबन्ध निमित्त दान का वर्णन है (ए. ड १७ पृ० ३२२ भा० २० पृ० ४८) अतएव इन सभी विवरणों के जाधार पर आयुर्वेद के पठन पाठन का मूल्याङ्कन किया जा सकता है।

धनुर्वेद की जिक्षा सम्भवत राजकुमारों में ही सीमित थी। ऐना में इन शास्त्रों का प्रयोग पूर्ण ढंग से हुआ करता था। जनसाधारण में भी इसके प्रति अभिहन्ति थी। गुप्त युग में सम्भवत इस विद्या का अभ्यास किया जाता था। प्रयाग प्रशस्ति में “परगु—शर—शन्कु-शक्ति—प्रसासितोमर” आदि शस्त्रों के नाम उल्लिखित हैं। गुप्त नरेशों द्वारा प्रचलित धनु-र्भगकित स्वर्ण मुद्राएँ शासक का धनुविद्या से प्रेम प्रकट करती हैं। प्रथम कुमार गुप्त के मदसोर लेख में वर्णन मिलता है कि श्रेणी के सदस्य धनुर्वेद के भी ज्ञाता थे—श्रवण सुभगवनुवेद्यं दृढ़ परिनिष्ठिता, सुचरित शतासङ्गा केचिद्विचित्र कथाविद (मदसोर की प्रशस्ति का० इ० ३० ३ पृ० ८१) गुप्तसम्राट् भी कुशल धनुर्वारी थे, यह उनके सिक्कों के देखने से स्पष्ट हो जाता है। ममुद्रगुप्त से बुद्धगुप्त तक धनुर्वारी प्रकार के सिक्के अत्यन्त लोकप्रिय थे, इससे यह अशक्तता है कि धनुर्वेद की शिक्षा में लोगों को प्रेम या। सूर्य की प्रतिमा म दो स्त्रियाँ (उपा तथा प्रत्यूषा) धनुष चलाती प्रदर्शित की गई हैं। देवताओं का आयुष समझ कर दुर्गा की प्रतिमा के हाथों में धनुपबाण प्रदर्शित किया गया है। खेद है कि प्रशस्तियों में इस उपवेद के सम्बन्ध में अधिक चर्चा नहीं मिलती।

सस्कृत साहित्य की शिक्षा के सम्बन्ध में विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। ईसवी सन् की दूसरी सदी से प्राय अधिक लेख जनता के लिए सस्कृत में ही लिखे गए। इतना ही नहीं गुप्तकाल में तो मूषालेख भी छद्मवद्ध संस्कृत में अकित कराए गए। अतएव यह कहना उचित होगा कि सस्कृत भाषा की शिक्षा सभी वर्गों को दी जाती थी। सर्वसाधारण इसके द्वारा सारा कार्य करते रहे किन्तु दु ख तो यह है कि साहित्यिक वर्चा के सम्बन्ध में लेख शान्त है। सस्कृत माहित्य के प्रकाण्ड विदान्, कवि तथा लेखकों ने ग्रंथ लिख कर साहित्य की अभिवृद्धि की तथा जनता के ज्ञान को बढ़ाया।

अभिलेखों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि चार प्रकार की हस्तकला का भी ज्ञान लोगों को था। वास्तुकला (Architecture) तक्षण कला (Sculpture) डालना

(Casting) तथा खोदना (Engraving) । प्राचीन समय के हस्तकला की शिक्षा अनेक मंदिर, मूर्ति तथा वेदिका की स्थिति से यह स्वयं सिद्ध है कि भवन निर्माण का ज्ञान कारीगरों को था । राजपुताना के एक लेख में ऐसे कारीगरो—चण्डशिव तथा उसके पुत्र के नाम मिलते हैं जो कुशल सूतधार थे । हर्ष शिलालेख (१० वीं सदी) में निम्न प्रकार का वर्णन आता है—

बीरभद्रसुत स्थाता सूतधारीत्र चण्डशिव ।

विश्वकर्मैव सर्वज्ञो वास्तु विद्या ॥ ॥ ॥ ॥

येत निर्मितमिद मरोहर शकरस्य भवन समण्डपम्

(ए० इ० २ प० १३३)

प्राचीन भारत में मंदिर तथा प्रतिमाओं का निर्माण पर्याप्त सम्भव में हुआ । गुप्तयुग में पूर्व के भवन निर्माण का उल्लेख तो नहीं पाया जाता । परन्तु सातीं वेदिका पर अकित लेख दानकर्ताओं के नाम उपस्थित करते हैं । तोरण पर चुड़े भवन, दुर्ग आदि के प्रदर्शन से वास्तु-कला का अनुमान हो जाता है कि समाज में लोगों को भवन या दुर्ग निर्माण से अभिरुचि थी । धनिक के नगर शिलालेख में वास्तुविद्या में निर्णय व्यक्तियों के नाम मिलते हैं—श्री भिलमाल सूतधार ग्रहभट्टोत्पन्न सूर्यवर्म । गगा वर्मभि सूतधारत्व कुशलं रूपकर्म निपुणवस्तुविद्या पारणः (भारत कीमुदी भा० १ प० २७६)

इसके अतिरिक्त प्रतिमा निर्माण की कला में भी अनेक व्यक्तित दक्ष थे । हिन्दू, जैन तथा बौद्ध देवताओं की अनगिनत मृतियां प्राचीन समय में तंयार की गई थीं । पूर्वमध्य-युगी बौद्ध प्रतिमाओं पर राजाओं की शासन तिथि अथवा निम्नपल चुड़े मिलते हैं—

ये धर्मा हेतु प्रभवा हेतु नेता तयागा अनदत्

बवदल च यो निरोधो एव वादो महाभ्रमण ।

खेद है कि कानकारों के नाम कहीं नहीं मिलते । वेवल तिष्ठत इतिहासकार तारनाथ ने नालदा के प्रसिद्ध कलाकार धीमान का नामाल्कय किया है जो अपने पुत्र विटपाल के साथ धातु प्रतिमा के हालने में लगा रहना था । प्रस्तर प्रतिमाओं का वास्तविक अनुकरण धातु मूर्तियों में दृष्टिगोचर होता है (ए० इ० १६ प० १९९) अतएव यह कहना उचित होगा कि प्रतिमा निर्माण की कला ऊँची श्रेणी तक पहुँच गई थी ।

गुप्तयुग के पठ्नान् ब्रह्मिकन्दर और तात्रपट्टिकाओं पर उत्कीर्ण किए गए थे जिसका मुख्य कारण यह था कि दानादाही उम यामन को सुरक्षित रखता था । वह तात्रपत्र उसके वंशज के लिए परमावश्यक राजकीय आज्ञापत्र था । उसके अनुसार दानादाही के उत्तराधिकारी अग्रहार भूमि का उपभोग करते थे । उम लेख की तात्रपट्टिका पर उत्कीर्ण करने की कला सब को जात न थी । थोड़े से कलाकार उसे नोंद सकते थे । बगाल के एक लेख में भग्न का कलाकार सोमेश्वर निम्न प्रकार से वर्णित किया गया है ।

शिष्पविन मागव कामा तन्मना वर्णभवितभि

सोमेश्वरो लिवदिमाष्प्रशस्ति स्वामिष्प्रियाम् ।

(सिलमपुर लेख ए० इ० १३ प० ४२)

अन्य प्रशस्तियो में भी कलाकार का नाम (लेखों के) अंत में मिलता है । महोपाल के लेख में—इम शासनं उत्कीर्ण श्री महोधर शिल्पिना-बाब्य मिलता है (ए० इ० १४ प० ३२०) कई लेखों के उद्घरणों से यह प्रकट होता है कि सुद्दर अक्षर लिखने के लिए विशिष्ट शिल्पी बुलाए जाते थे । सर्व साधारण के वश को बात न थी कि लेख सुन्दर रीति से उत्कीर्ण किए जायें । यहाँ कारण है कि कुशल कलाचिद् (शिल्पी) का नाम गर्व के साथ प्रशस्तियों के अन्त में उत्कीर्ण मिलता है । निम्नलिखित उद्घरणों से यह कथन स्पष्ट हो जाता है । पाह्ल्य शिल्पी का वर्णन इस प्रकार है ।

रजपालस्य पूर्णे पाह्लवेण च शिल्पता

उत्कीर्ण वर्णघटना वैद्यग्नो विश्व कर्मणा

(ए० इ० २० प० १३१)

नागवर्म नामक शिल्पी के विषय में भी कहा गया है कि वह खोदने का कला में निपुण था ।

यशोवर्मसुतेनेय साधुना नागवर्मणा

रम्या प्रशस्तस्तत्कीर्ण कला कौशलशालिना ।

(धनिक की नगर प्रशस्ति-भारत कीमुदी भा० १ प० २७६)

दृश्यरा उदाहरण सुनिए—

लिपिज्ञान विधिज्ञन प्राज्ञेन गुण शालिना

सिंहनेय समुक्तीर्णा सदृशरूप शालिना

(ए० इ० १ प० १४७)

उत्कीर्ण सोमनाथेन टङ्ग विज्ञान शालिना

उत्कीर्ण प्रचुरसा प्रशस्तिरियमकारै रुचिरै ।

(ए० इ० २६ प० २६३ भा १० प० ४४, भा० १ प० ८१)

इन सभी उद्घरणों का तात्पर्य यह है कि उ वी सदों के बाद लेख उत्कीर्ण करने की कला सिखलाई जाती थी । विशिष्ट व्यक्ति ही कुशल शिल्पी होकर ताम्रपट्टिकाओं पर प्रशस्ति खोदा करता था ।

अभिलेखों की विभिन्न भाषाएँ

प्राचीन लेखों की लिपियों के सम्बन्ध में अधिग्रन्थ पूठों में कहा जायगा । प्रशस्ति लिखने की कला के साथ साथ भाषा के सम्बन्ध में भी विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है । भाषा बहु है जो हम बोलते हैं । पुराने समय में प्रचलित भाषा को ही पालि लेखों स्थान दिया गया होगा । परन्तु साहित्य का सहारा न लेकर अभिलेखों की भाषा विवारणीय प्रश्न है । साधारणतया लोगों को प्रशस्तियों की भाषा सम्बन्धी ज्ञान अपूर्ण सा है । पालि का नाम सभी लोग जानते हैं और इसी को बुद्ध धर्म-ग्रन्थ तथा अशोक के धर्मलेखों की भाषा मानते हैं । आज २५०० वर्ष पहले मगध में जो भाषा बोली जाती थी उसका नाम 'मागधी' था । बुद्ध ने सर्व साधारण की भाषा हीने के कारण इसी मागधी का प्रयोग किया जिसे अशोक ने धर्म लेखों में प्रयुक्त किया था । चुल्ल-

वग्न (५, ३३, १) मेरे एसा वर्णन आता है कि भगवान् ने लोगों को अपनी भाषा से बुद्ध-वचन सीखने की आज्ञा दी—अनुज्ञानामि भिक्खुवे सकाय निमत्तिया बुद्ध वचन परिया पुणितुं। कच्चायन व्याकरण मेरे इसका निम्न प्रकार उल्लेख है—सा मागधी मूलभाषा सम्बूद्धा चार्पि भासरे (भगवान् के बोलने की मूलभाषा को मागधी नाम दिया गया था) सामत पसादिका के “समसितम बुद्धेन बुद्धपकारो मागधी वोहारो” तथा विशुद्ध मम जे “मागधिकाय सबा सत्तानं मूलभासाय” उद्धरणों से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि बुद्ध ने मागधी मे ही अपना प्रवचन आरम्भ किया था। अशोक ने उसी मागधी का प्रयोग धर्म लेखों मे किया। इसलिए राजा शब्द के स्थान पर लाजा प्रयुक्त मिलता है जैसे ख्यारहवें प्रथान शिलालेख और नातवे स्तम्भ लेख मे “देवान पिये पियदशो लाजा हेव आहा” उल्लिखित है। इसका अर्थ यह नहीं कि राजा शब्द का प्रयोग सदा के लिए स्थगित कर दिया गया था। मागधी का प्रयोग प्राय सर्वत्र (अशोक के साम्राज्य मे) होता रहा, केवल मगध तथा मथुरा के मध्य भाषा को अद्व मागधी कहा गया है जिसमे र अवधार का प्रयोग नहीं मिलता। पांचवाँ भारत मे र तथा श का ज्ञान लोगों को था।

अशोक के पश्चात् मागधी भाषा नाम प्रचलित न रहा परन्तु पालि शब्द म वह भाषा प्रसिद्ध हुई। पालिग्रहों का इनिहाम यह बतलाता है कि अशोक के समय मे भी पालि का ज्ञान था। वैराट का लेल (भावू धर्म लेल) बतलाता है कि विनय तथा सूत्त पिटकों का वर्गीकरण हो गया था। परन्तु मोर्यवंश के पश्चात् पालि का कुछ दूसरा रूप मिला है। कला के आधार पर यह ज्ञात है कि शृगकाल मे जातल का प्रदर्शन भरहुन तथा माची वी वैदिका तथा तीरण पर क्रमशः हो चुका था। भरहुन के जातक प्रदर्शनों का नाम भी पालि मे व्यक्त किया गया है। (Levelling of the sculptures) उन संक्षिप्त पालि लेखों मे सूचानक (सूत का व्याख्याता) पचने कायिक (पाच निकायों का ज्ञान) तथा पेटाकिन (पिटक का ज्ञान वाला) शब्दों का प्रयोग मिलता है। अतएव यह कहना उचित होगा कि उंग पूर्व तासरी सदी के बीच सर्वोत्तमे भभी ग्रन्थों का अनिम रूप तैयार न हो सका। अशोक के पश्चात् दी पालि साहित्य का मृजन सम्भव मानूस पड़ता है। पालि मे र का सर्वत्र प्रयोग ह तथा मागधी की भी झलक है। पालि शब्द का सर्वप्रथम (५ सदी मे) बुद्ध घोष के ग्रंथ मे मिलता है जहा इमे दो अर्थों मे प्रयुक्त किया गया है (१) बुद्ध वचन या (२) त्रिपिटक (बोद्ध साहित्य)। बुद्धघोष की जीवनी मे उल्लेख आता है कि उनके गुरु ने बुद्ध की कथाओं को सिहली से मागधी मे रूपांतर करने की आज्ञा दी। जस भाषा मे सिहली कथाओं का रूपान्तर हुआ वही पालि मार्गी जाती है—

कना सिहल भासाय सीहलेमु पवत्तति
तं तत्य गम्भवा गुत्वात्व मागधाना पवसति

(महावंस परि० ३७)

यानी मागधी का ही नाम पालि था। संस्कृत भाषा मे पालि का अर्थ पंक्ति भी है लेकिन दक्षिण मे इसमे यह भाव प्रकट होता है “उन ग्रंथों की पवित्रियो” जिसमे बुद्ध के मूल वचन संग्रहीत है।

डा० वेलसर पालि को पाटलि का अशुद्ध रूप मानते हैं जिसे (पाटलि को) पाटलिपुत्र

की भाषा कहते थे (इ० हि० क्वा० भा० ४ प० ७३) पालि का अर्थ यह भी मानते हैं कि वह गद्य विना विराम के शीघ्रता से लिखा जाय। जैसा चुलचल का उद्धरण दिया गया है। 'परियाय' शब्द कई बार त्रिपटक में प्रयुक्त है। अंगुत्तर निकाय में परियाय शब्द बार बार आता है (धम्म परियायोति इमं धम्मं परियायं, इमं हि मे भन्ते धम्मं परियायं)। इमं धम्मं परियायं (अहंजालमुत्तु)। अशोक के भाद्र लेख में "इमानि भते धम्मं पालियायानि—भवता बुधेन मानिते एतानि भते धम्मं पलियानि" ऐसा उल्लेख आता है। इससे तात्पर्य यह निकलता है कि पलियाय अथवा परियाय शब्दों में बुद्ध के उपदेश का भाव निहित है। दोष निकाय में भी परियाय का अर्थ बुद्धचम्प समझा गया है। भगवता अनेक परियायेन धम्मो परियाय। यदि शब्दों के स्पष्टान्तर का क्रम देखा जाय तो पता चलता है कि परियाय, पलियाय में बदल गया जो कालान्तर में पलीयाया अथवा पालीयाय बन गया। पालि शब्द अन्तिम पलियाय का संक्षिप्त रूप है। भाषा शास्त्रियों ने भी परियाय, पंक्ति, पाल, पल्ली, पालि आदि शब्दों को एक श्रेणी में रखा है। ऐसा जान पड़ता है कि बुद्ध के परि निर्बाण के बाद पालि (पालि) शब्द का प्रयाग उस भाषा विशेष के लिए किया गया जिसमें (मागधी) उन्होंने उपदेश दिया था। अतः पालि को मागधी जा उपनाम मान सकते हैं जिसे अशोक के धम्मलेख में पाते हैं। अतः पालि मग्न ही पालि का जन्म स्थान था। मागधी में कुछ स्थानों यी समिथण होकर पालि भाषा का प्रचार हुआ। अन्त में पालि शब्द के विषय में तीन विभिन्न मर्तों का उल्लेख करना आवश्यक जान पड़ता है। जैसा बहा गया है यह शब्द लिम्न रूप में—

पटविन—पन्ति—पत्ति-पट्ठि-पल्लि-पालि विकसित हुआ। संस्कृत में इसका अर्थ पक्षित से है जिसे बोढ़ ग्रथ अभिधानपृष्ठ दीपिका में भी इसी अर्थ (पक्षित) में प्रयुक्त किया गया है (पालि-पक्षित, वचन पन्ति पल्लि) दूसरा मत यह है कि पालि शब्द पल्लि में बना जिसका (पल्लि) का अर्थ है ग्राम। यानी ग्राम में बोली जाने वाली भाषा को पालि नाम दिया गया और वह नगर की भाषा संस्कृत से भिन्न थी। तो मरा मत मैवस्मूलर का था और वह पालि का संबंध पाटलिपुत्र की भाषा से मानते हैं। परन्तु यह मत मात्र नहीं है क्योंकि मग्न की भाषा पालि नहीं थी (जैसा ऊपर कहा गया है मागधी थी) इन समस्त विचारों को सामने रखते हुए भी पालि शब्द की व्युत्पत्ति तथा विकास विवाद-ग्रस्त प्रश्न है।

पालि के जन्म-स्थान के विवेचन में न जाकर यह कहा जा सकता है कि अधिकतर विद्वान् मागधी को ही इसका आधार मानते हैं। भगवान् बुद्ध ने अपने धर्म प्रचार के लिए

किसी विशेष भाषा का निर्देश नहीं किया। उनका उपदेश बोलचाल

पालि का स्थान

को भाषा (पालि = मागधी) में ही सीमित रहा। पालि में ४१ वर्ण हैं जिसमें तालब्य शब्द या मूर्धन्य य नहीं पाया जाता। एं, और, विसर्ग रेफ का पालि में स्थान नहीं है। पालि बोलचाल को भ.पा होने के संस्कृत में सरल थी। उस समय को बोली को प्राकृत का भी नाम दिया जाता है। कुछ विद्वान् प्राकृत शब्द को प्रकृत (आपार) से बना मानते हैं। अत प्राकृत भाषा तो संस्कृत की उत्तराधिकारिणी ही जाती है। संस्कृत (old-Indo-Aryan language) के बाद ही प्राकृत का प्रचलन हुआ जो स्थान

या काल की विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तित होती रही। यद्यपि यह पालिसमृह [दक्षिण बीज धर्मग्रन्थ, अशोक के धम्मलेख तथा अन्य मूद्रा लेख] से कुछ भिन्न है परन्तु मानारण परि-

भाषा मे इसे जनसाधारण की बोली ही मानते हैं जो व्याकरण के नियमो से सीमित नहीं है। महायान बोल्ड संस्कृत ग्रंथो मे भी प्राकृत का प्रयोग मिलता है। इन्डो-आर्यन समूह मे प्राकृत का स्थान मध्य मे रखा जाता है (Middle Indo-Aryan) जो ईसा पूर्व ६०० से ईसवी उन् ११०० तक तक प्रचलित रही। संस्कृत के साथ-साथ इसका प्रयोग गृह्ययुग मे भी होता रहा। शिष्ट लोगो की भाषा संस्कृत रही और उसकी प्रधानता गुप्त युग मे थी। तथापि जन साधारण प्राकृत बोलते थे। अशोक के समय मे प्राकृत न संस्कृत को कुछ सीमा तक दबा दिया था जिसका प्रमाण अशोक के धर्म लेख है।

मौर्ययुग के पश्चात् वैतनगर गहड़स्तन्म लेख तथा शू गराजा धनशेव का अयोध्या लेख प्राकृत मे है। आश्चर्य तो यह है पुष्टिमित्र शु ग के समकालीन प्रसिद्ध वैदाकरण पतञ्जलि ने महाभाष्य लिखा किन्तु उसका प्रभाव अखिलेखो पर तनिक भी दीख नहीं पडता। अशोक के पश्चात् दक्षिण भारत के शासक सातवाहन वशो लेखों तथा मुद्रा लेखों मे प्राकृत का ही प्रयोग मिलता है। नासिक, कन्हेरी तथा काले की प्रशस्तिया प्राकृत प्राकृत मे है। उनमे र तथा स के प्रयोग के साथ अ के स्थान मे ओ का प्रयोग मिलता है। कालेलेख मे “रबो वासिष्ठीपुत्र सामिसिरि” (राज्ञ. वासिष्ठीपुत्रस्य संस्कृत) प्राकृत मे लिखा है। ग्राम के लिए ग्रामो उल्लिखित है। नासिक लेख मे प्राकृत मे “सातवाहन कुलयस पतिथापन करस” (यानी सातवाहन कुलयश प्रतिथापन करस्य) पदबी गोतमीपुत्र शातकर्णि के लिए प्रयुक्त है। इतना ही नहीं सातवाहन नरेशों के सभी प्रकार के शिखो मे तथा सभी स्थानो मे प्रचलित सिखो के मुद्रालेख प्राकृत मे ही मिलते हैं। उदाहरणार्थ—

रजो गोतमो पुतस सिरो यन सातकनिस (प्राकृत मे) मिलता है। जिसका संस्कृत रूप होगा—राज्ञ गोतमीपुत्रस्य श्री यज्ञ शातकर्णि ।

बाघदेश, मध्य प्रदेश, मैसूर, पूर्वी घाट तथा सोपारा के भू भाग मे सभी मुद्रालेख प्राकृत मे हैं। इतना ही नहीं सातवाहन वंशी हाल नामक राजा ने प्राकृत मे गाथासप्तसती नामक ग्रंथ की रचना की। आश्चर्य तो यह है कि सातवाहन नरेश वैदिक धर्म के मानने वाले थे। शातकर्णि के सम्बन्ध मे उसकी रानी नायनिका ने लिखा है कि राजा ने अनेक वैदिक यज्ञ किया था। नासिक लेख मे एक ब्राह्मण (सर्वेक्ष्य ब्राह्मण) की पदबी गोतमीपुत्र शातकर्णि के लिए उल्लिखित है। शासन कार्य के लिए प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया। उच्च वर्ग की (शिष्ट लोगो की) भाषा हीने पर भी संस्कृत का नाम भी नहीं मिलता। यह तो स्पष्ट है कि उस समय (दूसरी सदी मे) रामायण तथा महाभारत का अध्ययन होता था (जो ग्रंथ संस्कृत मे थे) तभी तो प्रशस्तिकार ने गोतमीपुत्र शातकर्णि की शक्ति की समता मे देवता तथा मुनियो—केशव, राम, भीम, अर्जुन से की है और सागर यथाति, जनमेजय के समान तेजस्वी कहा गया है। विदानो का मत है कि पहली सदी ई० स० से एक तरह का मिश्रित संस्कृत का प्रचार हो रहा था जिस का स्वरूप महावस्तु तथा ललित विस्तार मे पाया जाता है। पाणिनि तथा पंतञ्जलि द्वारा प्रयुक्त संस्कृत ईसवी पूर्व सदियों मे प्रचलित था। परन्तु लेखों मे संस्कृत प्राकृत से प्रभावित था जो पुष्टिमित्र के उत्तराधिकारी धन—देव के अयोध्या

लेख से स्पष्ट प्रकट है। यह कहा गया है कि जनता में ईसवी सन् के बाद सस्कृत का अधिक प्रचार होने लगा। दूसरी शती के शासक महाक्षत्रप लद्धामन का एक शिलालेख (१५० ई०) जूनागढ़ से उपलब्ध हुआ है जो शुद्ध सस्कृत में उत्कीर्ण है। उसमें “स्फुट लघु मधुर चित्र-कान्त शब्द समयोदार अलकृत गद्यपद” का उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिम भारत के शक नरेश संस्कृत से अभिभावना न थी। परन्तु कारणवश उन्हें प्राकृत का प्रयोग करना पड़ा था। जूनागढ़ के अतिरिक्त नहपान कालीन सभी लेख (नासिक, जूनार, काले आदि) तथा क्षत्रप मुद्रालेख प्राकृत भाषा में हैं। नासिक लेख में ‘राजो क्षहरातस सत्रपस नहपानस लिखा है तो कार्ल में ‘रबो खहरातस खतपस नहपानस’ खुदा है। जूनार में “राजो महाक्षत्रपस सामि नहपानम्” उल्लिखित है। मुद्रालेख इस प्रकार है—

राजो खहरातस नहपानस या राजोचहरातस नहपानस”

पांचवीं भारत के क्षत्रप सिवको पर निम्न प्रकार के प्राकृत शब्द सर्वत्र पाए जाते हैं—

प्राकृत	सस्कृत रूप
राजो	राज
सिरी	श्री
सामि	स्वामी
पुतस	पुत्रस्य
क्षत्रपस	क्षत्रपस्य
रुद्रसिंहस	रुद्रसिंहस्य

कालान्तर में क्षत्रप मुद्रालेख संस्कृत से प्रभावित हुए। सिंहसेनस्य (सस्कृत पश्ची) महाक्षत्रपस (प्राकृतरूप) के साथ प्रयुक्त पाया जाता है। पुतस के बदले पुत्रस खुदा है सत्यदाम के स्थान पर सत्यदामन लिखा गया। इस तरह जनता में प्रवलित मुद्राओं पर सातवाहन तथा क्षत्रप नरेशों ने प्राकृत का ही प्रयोग किया था। केवल कुछ सस्कृत प्रभावित शब्द क्षत्रप मुद्रालेख में पाये जाते हैं।

उत्तर-पश्चिम भारत में अशोक के दोनों लेख-शहवाजगढ़ी तथा मनसेरा प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। उनके पश्चात् भारतीय यूनानी राजाओं ने विदेशी होकर भी इसी भाषा को अपनाया। मिलिन्ड का विजेता का लेख तथा सभी शासकों के (खरांझी में) मुद्रालेख प्राकृत में हैं। “मिलेद्रस महरजस कटि अस दिवस” (विजेता लेख) तथा “महरजस त्रतरस हेरमयस” (मुद्रालेख) उदाहरण के लिए प्रस्तुत किये जा रहे हैं। उनके उत्तराधिकारी पाल्लव नरेशों के भी मुद्रा लेख प्राकृत में हो अकित हुए जैसे—रजदिरज महतस मोबस; महरजस रजरजस महतस अविलियस। पहला लेख राजा मोग तथा दूसरा अविलियस के मुद्रा पर खुदा है। गुदकरस के तस्ति बहाई लेख में भी ऐसी ही भाषा पाई जाती है—महरयस गुदुब्हरस—बेशब्लस मसस—(महाराजा गुदकर—बेशब्ल मास—का० इ० इ० भा० २ पृ० ६२)

कुषाण राजा बीम कदफिस तथा कनिष्ठ क समूह के शासकों के अभिलेख या मुद्रालेख प्राकृत में ही खोदे गए थे। बीमकदफिस के स्वर्ण मुद्रा पर निम्न तरह से मुद्रा लेख अंकित हैं—

“महरजम रजरजस सबलोग ईश्वरस महीश्वरम्”

कनिष्ठक तथा उसके उत्तराधिकारी पेशावर में राज्य करते रहे जहा पर (उत्तर पश्चिमी प्रात, पश्चिमी पाकिस्तान) अशोक के समय से ही खरोष्टी का प्रसार था । उस लिपि में जितने लेख है वह प्रायः प्राकृत में ही है । जैसा कहा गया है कि पहली सदी से ही संस्कृत का प्रयोग होने लगा था, इसलिए कनिष्ठक के पाकृत लेख संस्कृत से प्रभावित हुए । कनिष्ठक के पजाब से उपलब्ध लेखों में “अष्टदस मसन—कनिष्ठस” प्राकृत भाषा में है तो दूसरे में “महरजस्य रजतिरजस्य देवपुत्रस्य कनिष्ठकम्” मिथित संस्कृत + प्राकृत है । पूर्वीभाग (यानी उत्तर प्रदेश) में कुपाण लेख संस्कृतमय मिले हैं । हृषिक का मथुरा लेख (ए० इ० भा० २१) लखनऊ संग्रहालय के जैन प्रतिमा लेख (ए० इ० भा० १० प० ११२) तथा बामुदेव का मथुरा प्रतिमा अभिलेख संस्कृत मिथित प्राकृत में है । इस नरह पता चलता है कि संस्कृत का प्रभाव बढ़ रहा था । बूद्ध धर्म में भी महायान मत वालों ने संस्कृत को अपनाया । बौद्ध संस्कृत साहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पालि का प्रचलन पुराना था । हीनयान और महायान बौद्धों ने पालि में साहित्य का मूलन किया । अशोक के भाद्रा लेख की चर्चा की गई है जिसके आधार पर धार्मिक तथा साहित्य कार्यों में पालि का प्रयोग सिद्ध होता है । ईसा पूर्व तीसरी सदी से लेकर ईसवी सन् की कई शानादियों तक पालि का प्रयोग संस्कृत के साथ बिलता है । पहली सदी का मथुरा लेख (ए० इ० भा० २ प० २००) में काव्यमय संस्कृत पार्कियों में खड़ा है किन्तु संस्कृत मिथित प्राकृत कोशास्त्री के राजकीय लेख (दूसरी सदी) में मिलती है । (ए० इ० भा० १८ प० १५९) ईसवी सन् की तीसरी सदी से सर्वत्र राजकीय अभिलेख संस्कृत में उत्कीर्ण होने लगे जो क्रम गुप्तयुग से पूर्णरूपेण कार्यन्वित किया गया ।

ईसवी पूर्व सदियों में पाणिनि द्वारा अष्टाव्यायों की रचना हुई थी और पतंजलि ने ई० प० दूसरीसदी में महाभाष्य लिखा । ऐसे मंसुकृत व्याकरण का प्रभाव लक्ष्मीन अभिलेखों में दीख नहीं पड़ता । यह कहता उचित होगा कि जामकों ने उस पर ध्यान नहीं दिया । मिथित संस्कृत एवं प्राकृत लेखों का वर्णन किया गया है । क्रमशः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया ।

मब्ब मे पूर्व छट्टदामन केजूनागढ़ बाले शिलालेख मे (ई० स० १५०)

संस्कृत

प्रथमध्ये की संस्कृत का प्रयोग मिलता है । चौथी मर्दी मे गुप्त सम्भाट समुद्रगुह की प्रयाग प्रशस्ति चम्पू भाषा मे हृग्येण द्वारा लिखी गई जिसमे उसके दिविकाय का वर्णन है । गुप्तवंशी अभिलेख, मद्रालेख तथा उत्तर-गुप्तयुग के नमस्त अभिलेख व प्रशस्तिया संस्कृत भाषा मे ही लिखी है । दक्षिण भारत मे नागर्जुनों कोडा से सर्वप्रथम तीसरी सदी के संस्कृत लेख मिले हैं । दक्षिण मे वाक्टाक, चालुक्य, राष्ट्रकूट तथा चालवंशी लेख भी संस्कृत भ लादे गए । अतएव संक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि तीसरी सदी से बारहवीं सदी तक भारतवर्ष मे ताम्रपत्र या प्रर्दात्या संस्कृत मे ही लिखी गई । आदर्श तो यह है कि गुप्तकाल म अभिनवों के अतिरिक्त मुद्रा-लेख भी संस्कृत मे लिखे गए और वह भी छोटेबढ़ मिले हैं । उदाहरण के लिए समुद्रगुप्त की दण्डधारी तथा प्रथम कुमार-गुप्त के अश्वारोही मुद्रा पर उपमीत छढ मे क्रमशः “समर-यात-वितत विजयो जितरिपुर-जितो दिवं जयति” और “गुप्तकुलामल चन्द्रो महेन्द्र कुर्मजितो जयति”—अंकित है । द्वितीय

चन्द्रगुप्त का सिंहनिहता प्रकार के सिवके पर वर्षस्थ छद में निम्न लेख मिलता है—

“नरेन्द्रवन्दः प्रथितरणो रणे जयत्यजेयो भुविं सिंह विक्रम्”

प्रथम कुमारगुप्त के खज्ज निहता (गेडा मारने वाला) प्रकार सिवके पर इलेषात्मक शब्द का प्रयोग है तथा मुद्रा लेख छदोबद्ध भी है। खज्ज शब्द गेडा तथा तलवार के लिए प्रयुक्त है। इसी प्रकार चादी के सिवको पर छदयुक्त लेख—विजितावनिरवनिपत्ति कुमार गुप्तो दिवं जयति “उत्कीर्ण है।

इसी प्रकार के छदोबद्ध लेख मध्यदेश, मध्यभारत तथा मध्यप्रदेश में दी सौ वर्षों तक लिखे गए। तोरमाण मौखिर, हयंवर्दन तथा कलचूरी रजत मुद्राओं पर लेख पाया जाता है। तात्पर्य यह है कि सर्वसाधारण जनता सस्कृत से विज्ञ थी। अतएव गुप्त काल में मुद्रा लेख पद्धति तथा छदमय अकित किए गए। इसका यह अर्थ नहीं कि प्राकृत का प्रयोग लेख या साहित्य में समाप्त हो गया था। प्राकृत, (वैयाकरणों ने जिसका विवरण दिया है) सस्कृत नाटकों में प्रयुक्त है। मध्य दृष्टा आयन (Middle Indo Aryan) के वर्णनात्मक साहित्य में पारूत को स्थान मिल चुका था और उसमें पाच वोलिया सम्मिलित थी—महाराष्ट्री सौंसर्ना, भाग्या, पैशाची तथा अपभ्रंश। भरत नाट्यशास्त्र तथा नटट के काव्यालकार में प्राकृत का प्रयोग है। उमेरुग के बृहत्तर भारत की स्वातान्त्री (खरोट्टी लिपि में) भारतीय प्राकृत का उदाहरण लप्पित करती है। इसी के भाषा हिन्दू, बीढ़ तथा जैनियों द्वारा सस्कृत का प्रयोग पुराने इन्डो आयन (Old Indo Aryan) भाषा परिवार की याद दिलाता है जो वैयाकरण द्वारा वीडियो से सुरक्षित रखी गयी थी और वाद में लोक प्रिय साधारण साहित्य में प्रयुक्त हुई। भारतीय सस्कृति का रक्षण इन्हीं भाषाओं के (सस्कृत तथा प्राकृत) द्वारा हुआ है। सस्कृत के प्रभाव से मुसलमान मुत्तान भी वर्चित न रह सके। मुहम्मद गजनी ने अपने मिक्कों पर भस्कृत भाषा में ही मुद्रा-लेख उत्कीर्ण कराया था।

प्राय बाहर्खी सदी तक संस्कृत भाषा का प्रयोग सार्वजनिक आंभलेखों में भारतीय नरेश करते रहे। किन्तु यह कहना यथार्थ होगा कि स्थान स्थान पर संस्कृत मिथित प्रातीय भाषाएँ लेखों में प्रयुक्त होने लगी। दूसरी सदी के सातवाहन रजत

प्रातीय भाषा मुद्रा-लेख पर प्राकृत तथा तामिल मिथित शब्दों का प्रयोग किया गया है। सातकणि राजा के सिवको के अद्यभाग पर प्राकृत में रजो-

वासिठों पुतस सिरि सातकाणस लिखा है। संस्कृत में लेख-राज्ञ वासिष्ठो पुत्रस्थ श्री सातकणे पढ़ा जायगा। किन्तु पृष्ठ भाग का लेख द्राविड भाषा में आंकित है—अरहणस वहिण्टि माकणस तिरु हात कणिस। इसमें अर्गहण तथा माकण द्राविड भाषा का शब्द है। क्रमशः राजा तथा पुत्र के अर्थ में प्रयुक्त है। तिरु = सिरि (प्राकृत) = श्री (संस्कृत) के लिए प्रयोग में लिया गया है। हात = सात यानी सातवाहन शब्द का द्राविड रूप है। हकू साहित्य तथा अभिलेख में सातवाहन वश के लिए उत्तिलिखित है वहिण्ट = वासिष्ठ का प्राकृत रूप है। विद्वानों का मत है कि इसमें तामिल (द्राविड भाषा) के शब्द रूप दीख पड़ते हैं। यज्ञ श्री सातकणि के दृष्ट भाग पर भी ऐसी द्राविड भाषा में मुद्रालेख अकित है। (ज० न्य० स०० इ० भा० ९ तथा २१) छठी सदी से संस्कृत मिथित तामिल का प्रयोग पल्लव लेखों में पाया जाता है। मध्ययुग से प्रातीय भाषाओं मराठी एवं हिन्दी आदि में लेख उत्कीर्ण होने लगे।

भारतीय अंकों का विकास

मनुष्य वृंदि के सबसे महत्वपूर्ण (दो कार्यों की) कल्पना हमारे सम्मुख आती है। जिसमें ब्राह्मी लिपि तथा वर्तमान शैली के अंक का नाम लिया जा सकता है। भारतीय लिपि का विकास लोगों को आश्चर्य में डाल देता है। भारतवर्ष की लिपि हजारों वर्षों से अपना स्थान बना चुकी थी, वैसी उत्तम, स्थिति किसी अन्य लिपि को प्राप्त नहीं थी। ब्राह्मा के अवनि तथा अक्षरों में साम्य है यानी पूर्णरूपेण वैज्ञानिक ढंग पर विकसित हुई। इसी तरह अक के भी मूल्य आके जा सकते हैं। आरम्भ में सप्तार को अंक विद्या अवैज्ञानिक थी। कही अक्षर अक के लिए काम में लाए जाते तो कही १-९ तक के पृथक्-पृथक् चिह्न थे। भारत में भी अंकों का प्राचीन क्रम यही था। इस जटिल अक-क्रम से गणित विद्या में विशेष उन्नति नहीं हो सकती थी, अतः यहाँ के विद्वानों ने वर्तमान अक-क्रम को निकाला जिसमें १ से ९ तक के नव अक-पृथक् खाली स्थान सूक्ष्म क्षून्य—इस दस चिह्नों से अक विद्या का पूर्ण बनाया। भारतवर्ष के इस अंक-क्रम को सप्तार ने सोखा और वर्तमान समय में गणित तथा तत्सम्बन्धी अन्य शास्त्रों की उन्नति हुई।

शिला लेख, दानपत्रों तथा सिक्कों के देखने से पता चलना है कि लिपियां कों तरह प्राचीन तथा अवधीन अकों में भी अन्तर है। आङ्कति के अतिरिक्त अंक लिखने में भी भेद है। प्राचीन दण्ड में शून्य के लिए कोई स्थान न था। दहाई, सैकड़े, हजार के लिए पृथक् चिह्न थे। किन्तु नवीन शैली पृष्ठ हैं जिसमें शून्य का व्यवहार तथा स्थान का मूल्य जात है।

प्राचीन काल में अक १ से ९ तथा १०, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८०, ९० तक के नव दहाईयों के लिए नव और १०० के अलग-अलग चिह्न थे। एक हजार का भी पृथक् चिह्न था। लाख करोड़ के लिए अभिलेखों में कोई चिह्न नहीं मिलता। १ से ९९ तक लिखने का क्रम ऐसा था कि पहले दहाई के अक-चिह्न बाद में इकाई का अक लिख दिये जाते थे। जैसे २५ के लिए २० का चिह्न और ५ का। ९३ के लिए ९० के चिह्न के साथ ३ रखवा जाता। २०० से लिए १०० के चिह्न में ऊपर मध्य या नीचे सीधी रेखा जोड़ दी जाती थी। ९५ के लिए ९००, ९० तथा ५ के चिह्न काम में लाए जाते थे। १, २, ३, के लिए क्रमशः १, २ या ३ आड़ी लकीर का प्रयोग होता था जो आगे चलकर वर्तमान १, २, ३ बन गया। ४ से १००० तक के लिए चिह्न अक्षरों में मिलते जुलते हैं। यानी अक्षर लिखकर अक व्यक्त किए जाते थे। उदाहरण के लिए ५ पु मे, ६ द से, ७ ड की मात्रा से तथा ८ ट मे मिलता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सब अंक अक्षरों से ही बतालाए जाते रहे। आरम्भ में अंकों का भी जन्म मार्य काल से पाया जाता है।

भगवान लाल इन्द्र जी का मत था कि अक अक्षर या संयुक्ताक्षर के सूचक हैं। पश्चिमी विद्वानों में व्यूलर तथा वनेल भी यह सिद्धान्त मानते थे। वेळे का मत था कि भारत के अंक मिश्र या फिनशिया से प्रहृण किये गए (जैसा ब्राह्मी के सम्बन्ध में कहा गया है) पं० गोरी शंकर ओझा का मत था कि भारतीय अंकों को कल्पना ब्राह्मणों ने की। विदेशी चित्र-अक तो जटिल थे। १ से ९ तक नव खड़ी लकीर तथा १९ के लिए १० के चिह्न की बाई

और ९ खड़ी लकीरें खौचते थे। पीछे से मिश्र वालों ने भारतीय अंक जैसा नवीन क्रम तैयार किया।

अपर जैसा कहा गया है नवीन शैली में १ से ९ तक के लिए नव अक तथा स्थान का सूचक शून्य है। इसी से अंक विद्या का समस्त व्यवहार चलता है। इसमें प्रत्येक अक संख्या के ही ईकाई सूचक नहीं है परन्तु ईकाई, दहाई, सैकड़ा तथा हजार आदि स्थानों पर भी सकते हैं। यानी स्थान के मूल्य की नवीन कल्पना प्राचीन काल में उपस्थित की गई। इस तरह दाहिनी ओर से बाई और अंक हटने से प्रत्येक अंक का स्थानीय मूल्य दस गुना हो जाता है। इसी की दशगुणोत्तर संख्या कहते हैं और वर्तमान काल में ससार भर का अक क्रम यही है।

भारत में शब्द तथा अंक में तिथि का उल्लेख प्रशस्तियों में किया गवा है। अशोक के रूपनाथ शिला लेख में $200 + ५० + ६$ लिखा है। मिलिन्द कालोन (८० पू० ११५) शिनकोट लेख में ब्राह्मी में १४ के लिए $१० + ४$ उपयुक्त नहीं है किन्तु $४ + ४ + ४ + १ + १$ लिखा है। मधुरा अथवा पश्चिमी भारत के शक क्षत्रिप लेखों में पुरानी शैली के अक-क्रम से तिथियाँ लिखी हैं। ७३ के लिए $७० + ३$ (सोङ्दास का लेख) : २६ के लिए $२० + ४ + १ + १$ (गुदफर का तस्तवहाई शिलालेख) १३४ के लिए $१०० + २० + १० + ४$ (कल्वान ताम्रपत्र) १८ के लिए $१० + ४ + ४$ (कनिष्ठ का मानिकियाला लेख) ४६ के लिए $४० + ६$ (जूनार का लेख), ८२ के लिए $८० + २$ (चन्द्रगुप्त का उदयगिरि का गुप्त लेख); ११३ के लिए $१०० + १० + ३$ (प्रथम कुमार गुप्त का धनैदह ताम्रपत्र) तथा २४४ के लिए $२०० + २० + ४$ (दामोदरपुर का ताम्रपत्र) का तिथि- क्रम यह बतलाता है कि मौर्य युग से लेकर ई० स० ८० छठे सदी तक प्राचीन शैली के अक प्रस्तुत हीते थे जिसमें अंक-स्थान-मूल्य का अभाव था।

अक लिखने का इतिहास यह बतलाता है कि भारतीय अंक की तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। (१) खरोष्टी अक (२) ब्राह्मी (३) शब्द तथा अक्षर। खरोष्टी अक

इसी पूर्व ४०० से तीसरी सदी तक कई अभिलेखों में मिलते हैं

अक व्यक्त करने जिनको भारतीय यूनानियों ने गान्धार प्रदेश में उत्कीर्ण कराया था।

की प्राचीन ब्राह्मी अंक अशोक से पहले के मिले नहीं है। सातवाहन राजा के

भारतीय शैली नाना घाट लेख में अधिक अंक खुदे हैं। जिसमें १ से ९ तक के अंक

अंकित हैं। शक वशी के लेखों तथा मुद्राओं पर अधिक मात्रा में अंक खोदे गये थे। नासिक के गुहा लेख में पर्याप्त परिष्कृत अक मिलते हैं। उन लेखों में ९ से अधिक अंक नहीं मिलते। शून्य के अभाव में उन अंकों का स्थान मूल्य निश्चित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक संख्या को पूर्यक-पूर्यक अंक लिखकर व्यक्त किया जाता था। तीसरी शैली शब्द तथा अक्षर द्वारा अंक व्यक्त करने की की थी। यह हिन्दुओं की पूर्ण वैज्ञानिक व्यवस्था थी। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फूट—सिद्धान्त में अंक के लिए शब्द का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए शक ८६७ लिखने के लिए गिर (= ७) रस (= ६) तथा बसु (= ८) शब्दों द्वारा उस संख्या को व्यक्त किया गया है। उन शब्दों को दाहिने से बाएं पढ़ा जाता था। उस

स्थिति में शब्द द्वारा पूर्णरीति से अंक लिखने की परिपाठी काम कर रही थी। सर्वप्रथम कात्यायन श्रीतसूत्र में इसका प्रयोग हुआ परन्तु इस परिपाठी का जन्मदाता अज्ञात है। वराह-मिहिर ने भी वृहत्संहिता (अध्याय ८) में शब्दों द्वारा अक व्यक्त किया है। सूर्या-७, अश्विन-२, वेद-४ = ४२७ शक काल) दिल्ली सग्रहालय के एक लेख से उपरियुक्त विषय की पुष्टि होती है। इसमें १३८४ विक्रम के लिए निम्न पद्म मिलता है (ए० ६० मा० १ प० १४)

वेदवस्त्वग्नि चन्द्रार्कं सर्वयेवदे विक्रमावर्कत

पूर्वम्या फाल्युन सिते लिखित भौमवासरे

(वेद—४, वसु—८, ग्रन्थ—३ तथा चन्द्र—१ को दाहिने से बाएं पढ़ने पर स० .३८४ हो जाता है।)

वैदिक साहित्य को छाँड कर ज्योतिष तथा गणित सम्बन्धी शब्दों में संख्या सूचक साकेतिक शब्द मिलते हैं जो मनुष्य के अग, ग्रह, नक्षत्र आदि के संख्या के आधार पर कल्पित किए गए थे। निम्न प्रकार के सकेत मिलते हैं—

० = आकाश (व्याकुं आकाश खाली होता है)

१ = चन्द्र, धरा आदि (जिनकी मरुष्या एक है)

२ = नेत्र, पक्ष, बाहु सादि (जो दो हो मिलते हैं)

३ = राम, गुण, लोक आदि (तीन समझे गए हैं)

४ = वेद, दिशा, आश्रम (इनकी मरुष्या चार है)

५ = पाण्डव, रत्न आदि (जो मिनी में पाँच है)

६ = रस, दर्शन (पट् रम या पद्मदर्शन ६ है)

७ = ऋग्यि, वार (सप्तिय, सात दिन)

८ = मगल, दिग्मज (अष्टमागलिक या आठ दिशाओं के हाथों)

९ = ग्रह, निधि (नवग्रह या नवनिधि से ९ का बोध होता है)

१० = दिशा अवतार। (दश दिशा या दश अवतार)

११ = नदि, (नदि एव्यारह माने जाते हैं)

१२ = माम, राशि (बारह महीना या बारह राशि)

१५ = तिथि (पक्ष में पद्मह तिथिया होती है)

२४ = गायत्री

३२ = दत (मनुष्य के बत्तीस दात होते हैं)

इस तरह शब्दों द्वारा अक बतलाने की परिपाठी पुरानी है।

आर्यभट्ट ने अक्षर द्वारा अक लिखने की परिपाठी निकाली। फ्लोट का मत था कि उन्होंने यूनान से अनुकरण किया (ज० २० ए० स०, १९११ प० ७२१) परन्तु निम्नलिखित बातों से प्रकट होता है कि आर्यभट्ट ने किसी आर्य से पृथक जाति का नकल नहीं की। आर्य-भट्ट ने व्यञ्जन में ही अक को व्यक्त किया क्योंकि उनका मत था कि स्वर स्थायों नहीं रहते किन्तु व्यञ्जन में छिप जाते हैं। १ से ९ तक मंस्या को अक पल्लों तथा दसवें शून्य को सून्य विन्दु (या शून्य) कहते थे। शून्य के सम्बन्ध में कहना कठिन है कि किस विद्वान् ने इसे

जन्म दिया या शून्य विन्दु की कल्पना उसे सूझी। इसमें संदेह नहीं है कि अंक का स्थान-मूल्य भारतीय है और दशगुणोत्तर अंक क्रम को (दशमलव शैली) भारत से ही योरप तथा अरबवालों ने सीखा। इसीलिए अरबों में इसे हिन्दसे कहते हैं।

साहित्यिक तथा अभिलेखों के अध्ययन से यह प्रमाणित होता है कि ५०० ई० से शून्य का प्रयोग होने लगा था जिससे अंकों के स्थान-मूल्य निश्चित हो सका। आर्यभट्टोद्य के गणित पाठ में वर्तमान अंक प्रणाली का आरम्भ दिखलाई पड़ता है। बहुशाली (अंक गणित) पीढ़ी में नवीन शैली के अंक मिलते हैं (यानी चौदों सदी में इसका व्यवहार था) वराहभिरु ने (छठी सदी) वृहत्संहिता में अंक पर लिखते समय शून्य का प्रयोग किया है। वाणी ने वासवदत्ता के सम्बन्ध में आकाश के तारे को शून्य के सदृश बतलाता है। ब्रह्मगुप्त ने (सातवीं सदी) शून्य पर विचार किया था। ७ वीं सदी में शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र की टीका में इकाई तथा द्वाई का उल्लेख दिलता है। गणितसार सम्रह (८३० ई०) में लेखक ने शून्य पर अपना विचार व्यक्त किया है। श्री हर्ष ने नैषध चरित में शून्य विन्दु कहकर शून्य का विवरण दिया है तथा दमयन्ती के कान की उपमा नव अक से दी है (७-५६)। इस तरह साहित्य ग्रन्थों में पता चलता है कि पाचवीं सदी के बाद शून्य की कल्पना गणित में आ गई थी जिसके सहारे स्थान-मूल्य को निश्चित करने में सरलता हो गई। सुधार द्विवेदी ने यह मत व्यक्त किया है कि शाके ४२० तक हिन्दुओं में १ से ९ तक ही अक दिखलाने का प्रचार था (गणित का डित्हास पृ० ३८)।

जहाँ तक अभिलेखों का सम्बन्ध है नवीन शैली के अक कल्पुरी सम्बत् ३४६ (= ५१४ ई०) के गुर्जर लेख में व्यवहृत दिखलाई पड़ते हैं। यही सब दशमलव प्रणाली से प्राचीन लेख है जहाँ अंक स्थान-मूल्य की कल्पना वैज्ञानिक ढंग पर मिलती है। इस तरह के अनेक लेख प्रकाश में आए हैं जिनमें दमबी सदी तक नवीन शैली के अंक (स्थान मूल्य संहित) उल्लिखित है (१० हिं० ब्रां० भा० ३ प० ११८) इससे पता चलता है कि छठी सदी से पहले भारतीय जनता स्थान मूल्य द्योतक अक क्रम से परिचित न थी। ग्वालियर के लेख (सम्बत् ६३३) में शून्य स्पष्ट रूप से लिखा है उस में पचास वर्तमान अक की तरह पाच पर शून्य लिख कर अकित है। इन सभी प्रमाणों से विदित होता है कि दशगुणोत्तर अंक क्रम भारतीय है तथा शून्य और अंक स्थान मूल्य के सिद्धान्त को परिचय वालों ने भारत से सीखा। यदि वर्तमान अंकों के आकार पर विचार किया जाय तो पता चलता है कि नानाघाट तथा नासिक लेखों में अँकित अंकों से वर्तमान अंक विकसित हुए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वर्तमान नागरी अंक ब्राह्मी लेखों में उल्लिखित ब्राह्मी अंकों से विकिरण हुए। नानाघाट (पूना के समीप) का लेख १० पू० दूसरी सदी का है तथा नासिक गुहा लेख दूसरी सदी का। विकास का क्रम निम्न प्रकार से है। यानी

नागरी अंक १—अशोक के १ से (छठी लकीर से)

नागरी अंक २—नानाघाट के २ (दो = पह्डी लकीर से)

“ “ ३—नानाघाट के ३ (तीन = पह्डी लकीर से)

“ “ ४—नासिक गुहा ४ से

१५६ : प्राचीन भारतीय अभिलेख

- „ „ ५—प अक्षर से
- „ „ ६—अशोक के ६ से
- „ „ ७—नानाघाट के ७ से ।
- „ „ ८—नासिक गुहा के ८ से ।
- „ „ ९—नानाघाट या नासिक गुहा के ९ से
- “ शून्य ० —वृत्त से या नानाघाट के दस के चिन्ह से (दस का चिन्ह नागरी अंक ०—की तरह होता है)

ये सब चालुक्य, परमार, कलचुरी लेखों से प्राप्त अंकों से मिलते-जुलते हैं । इस तरह यह ज्ञात होता है कि अंक लिखने की जो भी परियाटी थी, दसवीं सदी से उनका स्वरूप निश्चित हो गया और सभी सर्वथा नागरी अंक हो गए ।



अध्याय ९

अभिलेखों में आर्थिक-विवरण

प्राचीन भारत में न केवल आध्यात्मिक उन्नति पराकाळा को पहुँच चुकी थी किन्तु भौतिक क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रगति दृष्टि में आती है। उस समय के अभिलेखों में सामाजिक विषयों पर चर्चा करते समय प्रशस्तिकार आर्थिक वर्णन भी उपस्थित करता था। जनता द्वारा दान देने की प्रणाली में पाचोन समय के बैंधव तथा सुखी जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। धन तथा भूमि दान ने लोगों के सतोषप्रद आर्थिक-स्थिति का परिज्ञान होता है। भीर्य सम्मान अशोक ने अपनी वासिक नीति के कारण भारतीय आर्थिक स्थिति का पतनोन्मुख कर दिया। उसके पश्चात् शुग एवं सातवाहन नरेशों ने आर्थिक नीति को सुदृढ़ किया तथा पर्याप्त मरुया में सिक्के प्रचलित किये। ग्रामाण कलाकारों ने विभिन्न केन्द्रों पर कार्य कर स्थिति में सुधार किया तिसमें जनना में सञ्चोप की भावना आई। गुप्त काल में सारो अर्थ व्यवस्था उन्नति हो गई। गुप्तकालीन एक लेख में वर्णन आता है कि साम्राज्य में कोई भी अति दरिद्र तथा दुखी न था—

आतो दरिद्रो व्यसनी कदयो दण्ड न वा यो भृश पीडित स्यात्

(स्कन्द का जूनागढ़ लेख-का० ३० ३० ३ पृ० ५८)

दानपत्रों के विवरण से जनता की प्रचुर सम्पत्ति का जान हो जाता है। यद्यपि भीर्ययुग से लेखों में प्रसगवग आर्थिक विषय का उल्लेख पाया जाता है परन्तु मध्ययुग से (७०० ई०) भूमिदान की जनना की आर्थिक स्थिति का दृष्टक है।

भारतवर्ष सदा से कृषि प्रधान देश रहा है और जनता के जोविकोपार्जन का प्रधान साधन कृषि कर्म ही था। सभी प्रकार के अन्न तथा फल यहाँ पैदा होते थे जिनका नाम प्रशस्तियों में मिलता है। यद्यपि अशोक धर्म शासन में फलों का उल्लेख नहीं है परन्तु दूसरे शिलालेख में निम्न पवित्र से पता चलता है कि फलों के बृक्ष स्थान-स्थान पर लगाए गए थे—

मूलानि च फलानि च यत यत नास्ति सर्वत्र हारापितानि च (दूसरा शिलालेख)
मोर्ययुग के पश्चात् प्रशस्तियों में धर्म या विजय सम्बन्धी विवरण मिलता है। मध्य युग के आरम्भ से दान सम्बन्धी आज्ञा पत्रों में भोजन सामग्रियों का नाम भी यत्र-तत्र पाया जाता है; नालदा के ताम्रपत्र में “सम्यग् बहुधृत दधिभिः व्यञ्जनै युक्तमन्नम्” (६० ३० २० पृ० ४४) का वर्णन नाना प्रकार के व्यञ्जन युक्त भोजन का परिज्ञान करता है। पालवशी आमगाढ़ी दान-पत्र के वर्णन से प्रकट होता है कि नीचो भूमि का दान उत्तम समझा जाता था ताकि उसमें सेती हो सके और वर्षा के जल ने पृथ्वी उर्वरा हो जाय। (६० ३० १५ पृ० २९७)। गहड़-बाल लेखों में गन्धा, आम्र, महूआ (मधूक) आदि वृक्षों का वर्णन पाया जाता है (६० ३०

१६ प० १३) इससे जात होता है कि अच्छ तथा फल की पैदावार होती थी। खेती का समुचित प्रबंध था। तात्पर्य यह है कि दानकर्ता कृपि योग्य भूमि को ही दान देता था ताकि दानप्राप्ति खेती से अन्न उत्पन्न कर सके।

भूमि की सिचाई की ओर राजा का भी ध्यान रहता था और लेखों में सिचाई निमित्त झील, नहर तालाब तथा बाँध के निर्माण का वर्णन मिलता है। मीर्युग से ही शासक सिचाई का प्रबन्ध करता रहा। चन्द्र गृह मोर्य ने काठियावाह में गिरनार सिचाई का प्रबन्ध पर्वत के नीचे एक विशाल झील बनवाया जिसकी उपयोगिता इतनी अर्धिक थी कि पिछले सद्वाटों ने (४०० वर्ष बाद) मरम्मत कर उस पर बाँध बनवाए। मेगास्थीनीज ने भी सिचाई के विषय में उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र में तो मोर्यकालीन सिचाई का विस्तृत वृत्तात पाया जाता है (२।२३)। ई० मन् १५० के महाकाश्य रुद्धदामन के गिरनार लेख में उसी झील का सविस्तृत वर्णन निम्न प्रकार से मिलता है।

मौर्यस्य राजः चन्द्रगुप्तस्य राष्ट्रियेण वैश्येन
पुण्यं गुमेत् कारित, अशोकस्य मौर्यस्य ववनगाजेन
तुपास्तकाविधाय पणालीभिरलकृत कृत ।

लेख के आरम्भ में ही गुरुदर्जन नामक तालाव का वर्णन है जिसके चारों तरफ बाघ बधे थे। परन्तु समीप के पहाड़ से निकली नदियों में ऐसे बेग से पानी आया कि वह बाघ टृट गया (सलिल विक्षिप्त जर्जरीकुतावदीर्घ शिक्षाइम वृक्ष गुलम लता प्रतानं आ नदी तलादिव्युद्धाटित-मासीत्) इसलिए रुद्रादासन ने उस बाघ को मरम्मत करवाई और तिगुना मजबूत बाघ का निर्माण हुआ। यद्यपि इस कार्य में उसके मत्रीगण विशेष करते रहे परन्तु अपने निजी धन से इस कार्य को उसने सम्पन्न किया (ए० इ० ८ प० ४२-स्वस्मात्कोशा महता धनीयेन अनित महता च कालेन त्रिगुण-दृढतर-विस्तारायाम मेतु विशाय) उस भाग में तालाव में अत्यधिक सिंचाई होती रही, यही कारण है कि पावडी सदी में नुत शामक स्कन्द गुम ने भी उस सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। जूनागढ़ के नेहर में निम्न वर्णन मिलता है—

अथ कमेणाम्बुद काल आगतं
निदाध-काल प्रविदार्य तोयदै
वर्वर्ष तोयं बहु मंततं चिरं
मुदर्शनं येन विभेद चात्यरात्
अपीहलोके सकले मुदर्शनं
पुमा हीन्तुर्दर्शनता गत क्षणात्
अ-जार्ज-दुष्टमपथित तटाक
मुदर्शनं शाइवत-कल्प कालम

(जूनागढ लेख का० १० ३० ३ प० ५८)

तात्पर्य यह है कि जिस समय सुदर्शन शील को नदियों को बाढ़ ने नष्ट किया, उस समय के शासकों ने उस बाध के मरम्मत करवाई ताकि वह मदा सुदर्शन (देखने में सुन्दर) बान

रहे। उसकी उपयोगिता ही एक मात्र कारण थी। दक्षिण के सातवाहन नरेश पुलवावि के रज्यकाल में सिचाई के लिए तालाब बनाने का उल्लेख किया गया है। (ए० इ० भा० १४ प० १५५)

पूर्वी भारत में जल के कारण नहर की कम आवश्यकता थी तथापि खारबेल ने हाथी गुम्फा लेख में स्पष्ट रूप से लिखा है कि राज्याभिषेक के पांचवे वर्ष में राजधानी तक नहर तैयार किया ताकि जनता लाभान्वित हो सके।

अघोटिट तनसुलिय वाटा पणाडि नगर पवेसयति

(ज० वि औ० रि० सो० भा० १३ व० १४ प० २२१ व १५०)

गुप्तयुग तक राजाओं का ध्यान नहर निर्माण की ओर था परन्तु ७ वीं सदी से लेखों में तालाब निर्माण का अधिक वर्णन पाया जाता है। मगध नरेश आदित्य सेन की स्त्री कोणदेवी ने एक तालाब का निर्माण किया जो सम्भवतः सिचाई के लिए उपयोगी था [तस्यैव प्रिय भार्या नरपते वीरे बोण देव्या सर-अपसद का लेख का इ० इ० भा० ३] पूर्व मध्ययुग की प्रशस्तियों तथा दानपत्रों में जल के साथ अग्रहार भूमि का वर्णन आता है। इससे यह प्रकट होता है कि गहडवाल तथा चन्द्रेल शासकों ने तालाब तथा नहर के साथ भूमि दान में दी थी। दानग्राही का भी कार्य उससे सरल हो जाता तथा समय से खेतों की सिचाई हो जाती थी। राजपूताने के एक चहमान लेख में प्रत्येक अरहट की सिचाई के लिए एक हाटक (हारा अन्न का एक माप) अन्न (यद) 'कर' के रूप में लेने का वर्णन है (अरहट प्रति प्रदत्त द्रा १-१० इ० भा० ११ द० ३३)। इस तरह के सिचाईयों का वर्णन लेखों में अधिकतर मिलता है (ए० इ० ११ प० ४६ व० ५१) बलभी लेख में विवरण मिलता है कि ध्रुवमेन प्रथम ने तीस पादावर्त माप के क्षेत्र की सिचाई निर्मित एक कुआं तैयार किया था। सम्भवतः एक वापी से ही उस भाग की सिचाई पूरी हो जाती थी। गुर्जरप्रतिहार राजा महेन्द्रपाल ने नदी के किनारे भूमि का दान दिया था और सिचाई के लिए रहट का प्रबन्ध किया जिससे दानग्राही उस अग्रहार भूमि को सिचाई से उर्वरा कर सके। (ए० इ० १४ प० १८१) मध्ययुग में सिचाई के लिए शासक द्वारा 'कर' लगाया गया था इसीलिए परमार राजा चामुण्डराय की प्रशस्ति में एक रहट पर एक हाटक (कर) का वर्णन है (ए० इ० १४ प० २०) उत्तर प्रदेश के देवल प्रशस्ति में नहर निर्माण का सुन्दर वर्णन पाया जाता है। शासक ने नदी से राजधानी तक नहर तैयार किया ताकि बाग-बगीचे की सिचाई सरल हो जाय। (स्वपुरी सर्वधीर रम्या पुण्या कठनदी कुवा—ए० इ० भा० १ प० १६) महेन्द्रपाल द्वितीय के प्रतापगढ़ अभिलेख में उल्लेख आता है कि एक मोट से सीधने योग्य भूमि की दान दिया गया था (द्वितुलाक धर्म शासनेन प्रदत्त—ए० इ० १४ प० १८७) उसी प्रसंग में दस माणि (स्यात् मन्) बीज द्वारा बोने वाले खेत के दान का विवरण है। वर्तमान आकड़े के अनुसार एक मन बीज एक बीघा के बोने में पर्याप्त समझा जाता है। अतः एवं दस बीघा जमीन की सिचाई एक मोट से की जाती थी।

इस प्रकार नहर, तालाब कुंआ, अरहट तथा मोट की महायता से पुराने समय में खेतों की सिचाई होती थी।

भारतीय अभिलेखों में गुप्त युग से ही खेतों के माप का वर्णन स्थान-स्थान पर मिलता

है। भूमि को दान देते समय दानकर्ता के लिए खेत की सीमा तथा उसके माप का स्पष्ट उल्लेख करना नितान्त आवश्यक था। जिस भूभाग को दानप्राही स्वीकार करता उसी खेतफल से 'कर' ग्रहण करता था तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे बदक भी रखता। यही कारण है कि खेत को माप कर ही दान में दिया जाता था। गुप्त युग से बारहवीं सदी तक के दानपत्रों (ताम्रपत्रों) में माप का दो रूपों में उल्लेख मिलता है। पहली श्रेणी में खेत की लम्बाई चौड़ाई नापने के साधन का नाम उल्लिखित है जो लेखों में विभिन्न नाम से उक्तीर्ण है। जैसे हल, पादावर्त, हाथ निवर्तन, नल या नालक। द्वितीय श्रेणी में पैमाइश के उस साधन के नाम हैं जो बीज बोने के माप से वर्णित किए गए हैं। उमे पाटक, द्वोण, माणि, कुल्यवाप आदि। इन मापों का उपयोग कर भूमि दान में दी जाती थी।

हल शब्द में स्पष्ट प्रकट होता है कि एक हल से जितना भूमि जोत में रखवी जाय उस माप का नाम हल था। उत्तरी या दृश्यों भारत में अधिकतर लेखों में हल का नाम मिलता है (हलस्य भू—ए. इ १ पृ १६७, भा ३ पृ १२८)। राजपृहल ताने के एक लल में भी ऐसा ही उल्लेख आया है (ए०इ० ११ पृ० ४७) पव हलानि वहिष्कृत्य शेष भूमि शासनी कृत्य प्रदत्ता' (ए०इ० २० पृ० १२९) के बाक्य से स्पष्ट हो जाता है पौच्छ हल से जोतने योग्य भूमि को छोड़कर खेत का योग्य भाग दान में दिया जाय। कागरा के कुछ लेखों में भी।

- (१) इहत्येन नवग्राम दत्ता चात्र हलार्थ भू (ए. इ भा १ पृ १०६)
- (२) भूमिश्च हल चनुष्ट्य योग्या दत्ता नवग्रामात् (ए०इ० १ पृ० ११५)
- (३) हल वाहनोया दत्ता भूमि (ए. इ १ पृ १०१)

अत उद्घरणों में यह निश्चिन हो जाता है कि एक हल में जोत वाली भूमि का वर्त्य या जिसकी लम्बाई चौड़ाई के सम्बन्ध में कुछ कहना सम्भव नहीं।

दूसरे माप को पादावर्त कहते थे जिसका वर्णन बलभी दानपत्रों में मिलता है। बारह पादावर्त की भूमि एक कुंआ से सोचने योग्य समझी जानी थी (ए. इ ११ पृ. ११२ व ११४)। एक पादावर्त भूमि एक वर्ग पाद (= ९ इक्का) के वरावर पादावर्त तथा हस्त मानी गयी है और तीन सौ पादावर्त आठ खन्ड के समान माप में समझा जाता था (खन्ड खन्डान्यष्टी यत्र पादावर्त शतत्रय—ए. इ. भा. ३ पृ ३२१)।

चन्देल तथा गहड़वाल लेखों में हस्त (= हाथ) का नाम खेत माप के लिए प्रयुक्त किया गया है। ग्वालियर लेख में "परमेश्वरीय हस्त" का उल्लेख है। सभवत किसी व्यक्ति विशेष के हाथ की लम्बाई प्रामाणिक समझी गई। जिस कारण उसका नाम हस्त के साथ जोड़ दिया गया हो। हस्त को 'कर' भी कहते थे। केहुनों से मध्य अंगुलों का अन्तिम सीमा = २४ अंगुल तात्पर्य यह था कि १८ इक्का से कम का हस्त नहीं हो सकता था। इनके आधे भाग को पाद कहते थे। जिसके कारण एक वर्ग पाद 'पादावर्त' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रतिहार लेख में भी हस्त माप का प्रयोग उल्लिखित है (सियादोनी लेख—ए० इ० भा० १) गहड़वाल

नरेश गोविन्दचन्द्र के पाली दानपत्र में चार सौ हस्त भूमि को एक नालुक (= नालक=नल) कहा गया है (ए० इ० मा० ४ प० २४९) । सम्मवत नल (= ११८ इच्छा) एक ढंडा होगा जिसकी लम्बाई से भूमि नापी जाती थी (ए० इ० १४ प० १५८) । परन्तु नालुक शब्द का कुछ भिन्न तात्पर्य होगा जो चार सौ हाथ लम्बी भूमि के लिए प्रयुक्त किया गया है ।

प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट प्रशस्तियों में निवर्तन शब्द धेत्र-माप के लिए प्रयुक्त है (ए०

इ० ४ प० ६०) । बासखेता लेख में सौ निवर्तन भूमि के दान का

निवर्तन उल्लेख है (भू निवर्तन शतक—ए० इ० ११ प० १८२) । परन्तु

निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है कि इससे किस धेत्रफल का

परिज्ञान होता था ।

धेत्रफल माप से सर्वथा भिन्न खेतों के नापने का वर्णन 'बीज-माप' से भी किया गया है । गुप्त प्रशस्तियों में 'कुल्यवाप' शब्द का अधिक प्रयोग मिलता है । दानपत्र, क्य तथा विक्रय के प्रसंग में यही शब्द बार बार प्रयुक्त है । दामोदरपुर, वैद्राम,

कुल्यवाप-द्वोणवाप फरीदपुर तथा पहाडपुर के लेखों में यह शब्द धेत्रमाप के लिए

तथा पाटक उल्लिखित है (ए० इ० १५, भा० २१ प० ८१, भा० २० प० ६१,

मुकुर्जी जूविली ग्रन्थ भा० ३) । निम्नलिखित उद्धरण प्रस्तुत है—

(अ) धेत्रस्य कुल्यवापमेकस्य—दामोदरपुर

(ब) विदीनारिक्य कुल्यवाप विक्रय मर्यादा—पहाडपुर

(स) खिलधेत्र-कुल्यवाप त्रय—वैद्राम ताम्रपत्र

(द) कुल्यवापेन धेत्राणि विक्रीयमानकानि—फरीदपुर

स्पष्ट है कि पाचवी सदी से ही कुल्यवाप धेत्र मात्र के लिए उत्तरी भारत में प्रयोग होता रहा । इस शब्द के दो खण्ड हैं, कुल्य + वाप । कुल्य को समता एक टोकरी से की जाय तो इसका अर्थ होगा कि एक टोकरी बीज के बोने योग्य भूमि (कुन्य = टोकरी, वाप = बोना) पाचवी सदी के लेखों में द्वोण शब्द का भी प्रयोग उसी माप के लिए मिलता है जो कुल्यवाप से छोटा माप था । आठ द्वोण एक कुल्य बीज के बराबर था । इसलिए द्वोण मात्र बीज बोने योग्य भूमि को द्वोणवाप कहा गया है । वैजनाथ की प्रशस्ति में द्वोण के बान्ध से बोई भूमि को दान में देने का वर्णन है (भान्ध द्वोण द्वय शिवे—ए० इ० भा० १ प० १०६) । "यवाना द्वोण एकादश" (ए० इ० भा० १, प० १५९) भी वाक्य द्वोण को बीज (अभ) का माप बतलाता है, इसीलिए द्वोणवाप धेत्र का माप समझा गया (एरण लेख—इ० हि० ब्वा० भा० ४ प० ५३) । गुणेष्वर ताम्रपत्र (एकादश खिल पाटका—इ० हि० ब्वा० ६, प० ५३) तथा सेन वंशी राजा बल्लालसेन के नईहटी लेख में द्वोण के साथ पाटक शब्द भी माप के लिए उल्लिखित है । वैन्यगुप्त के लेख में भी निम्न विवरण है—

यत्रैक धेत्रखण्डे नव द्वोण वाप अधिक

सन्त पाटक परिमाणे सीमा लिङ्गानि

(गुणेष्वर का ताम्रपत्र लेख—ए० इ० १४ प० १५८)

इससे प्रकट होता है कि पाटक द्वोण से बड़ा क्षेत्र स्वीकृत था । समस्त प्रशस्तियों का परीक्षण यह बतलाता है कि—

$$8 \text{ द्वोण} = 1 \text{ कुल्यवाप}$$

$$5 \text{ कुल्यवाप} = 1 \text{ पाटक} \quad (= 80 \text{ द्वोणवाप})$$

यह माप प्रामाणिक समझा गया है । अनुमानत एक कुल्यवाप सौलह मन अन्न का माप या जिसके द्वारा चौदह बीघा खेत बोया जाता था । पार्जिटर ने बिना किसी प्रमाण के एक कुल्यवाप भूमि को एक एकड़ (३ बीघा) माना है (५० ए० ३९ प० १९५) । नईटी ताम्रपत्र में आठक माप का भी उल्लेख मिलता है जो द्वोण से भी छोटा था और चार आठवाप एक द्वोणवाप भूमि के क्षेत्रफल के बराबर था । (चतुराठको भवद्वोण —पहाड़पुर ताम्रपत्र—५० ए० २०, प० ६१) आठ, द्वोण, कुल्य तथा पाटक बीज के माप हुए जिनसे जितनी भूमि बोई जा सके उसे क्षेत्रमाप के अर्थ में व्यक्त किया गया है । बगाल में एक आठवाप डेढ़ एकड़ भूमि समझी जाती थी । प्रतिहार लेख में एक भूमि के दान का वर्णन है जो दस माणि बीज से बोई गई थी । इससे यह समझा जा सकता है कि माणि (= मन) को भी क्षेत्रमाप के लिए प्रयुक्त करते थे । एक माणि (= मन) बोज से एक बीघा खेत बोते हैं । इसलिए प्रशस्ति के निम्न उद्घारण—कोसवाहे हितुललाक क्षेत्र मणिवाप १० शासनेन प्रदत्त (५० ५० १४ प० १८७) से यह तात्पर्य निकलता है कि इस मन बीज बोने योग्य भूमि (जिसे एक मोट से सीचते रहे) दान में दी गई थी । संभवत उसका क्षेत्रफल दस बीघा रहा हो । इस प्रकार अभिलेखों के अध्ययन से पैमाद्ध करने के माप हमें प्राप्त हो जाते हैं । क्षेत्रमाप के उल्लेख से वर्तमान बीघा के रूप में क्षेत्रफल व्यक्त करना कठिन है क्योंकि बीघा का प्रयोग प्राचीन लेखों में नहीं मिलता ।

प्राचीन अभिलेखों में शासक द्वारा प्रदत्त अथवार भूमि से मन्दन्धित कर (टैक्स) का वर्णन मिलता है । उसी प्रसग में व्यापारिक स्थानों को आज्ञा दी गई थी कि सभी मंदिरों में प्रतिमा की पूजा निमित्त निश्चित 'कर' दिया करें । इस प्रकार व्यापार की चर्चा लेखों में गोण रूप से व्यापार की चर्चा मिलती है । यहाँ यह कहना अप्रासाधिक न होगा कि तपुस्स तथा भल्लिक नामक व्यापारी बुद्ध के पास बोधगया में विवामन थे और राजमार्ग से व्यापार में व्यस्त थे । कुछ विशिष्ट व्यापारी राजकीय शासन में सहायता किया करते थे यानी शासन-परिषद् का वह सदस्य था । तीसरे प्रकार की हमारी जानकारी प्रशस्तियों में वर्णित प्रमुख स्थान के विवरण से हाती है जो प्राचीन समय में व्यापारिक केन्द्र रहे होंगे । एक वश का प्रमुख स्थानों पर अधिकार इस बात का दोषक है कि विजेता उस भू-भाग के व्यापार को भी बपने हाथों में लेना चाहता था । अशोक के समय में राजकीय आज्ञा द्वारा मुख्य स्थानों पर ही लेख लोडे गए थे ताकि उस स्थान से आने-जाने वाला व्यक्ति राजाज्ञा से परिचत हो जाय । अशोक ने इस बात की स्पष्ट चर्चा की है । उसके दूसरे गिलालेख में उल्लेख है कि मार्ग में कुएं सुदवाए गए तथा यात्री गण के आराम के लिए वृक्ष लगवाए गए थे । इस तरह मौर्य युग में राजमार्ग सुगम बनाए गए और अशोक के शाहन काल में उडीसा से तक्षशिला तक जाने का सुन्दर मार्ग रहा । समाद् अशोक के प्रांतपति उज्जैन, सुवर्णगिरि तथा तक्षशिला में शासन करते थे । सारनाथ तथा

कौशाम्बी नगर प्रधान मार्ग पर स्थित रहे और साची का महत्व कम न था। चार मार्गों का संगम (चातुमहापत्रे-परिनिर्णय सूत्र) होने के कारण साची में अशोक ने स्तूप बनवाया तथा स्तम्भ लेख लुदवाया। अशोक ने स्वयं बहुत बड़ी सेना के साथ कलिंग पर आक्रमण किया जिसमें लाखों व्यक्ति मारे गए तथा ढेढ़ लाख कैद किए गए थे [कलिंग विजित दिवाड़मते प्रण शत सहस्रे ततो अपवृहे] इस प्रकार यह अनुमान सही होगा कि अशोक के समय में बड़े राजमार्ग ये जिन पर व्यापार होता था।

शासकों के आक्रमण तथा विजित प्रदेशों से भी व्यापारिक केन्द्रों का पता लगता है। कनिष्ठ के सातवाहन प्रतिमा लेख (ए० ६० भा० ८५० १७३) में वाराणसी का नाम उल्लिखित है जो प्राचीन भारत का प्रसिद्ध नगर था। उसके महत्व को समझ कर ही जातकों में काशी के राजा ऋद्धादत्त का नाम कई बार उल्लिखित है। द्वितीय शताब्दी के नासिक लेख में धन्त्रप नरेश नह्यान के जामाता ने भक्तच्छ (भर्तौच) दशपुर (मदसोर, मालवा), गोवर्धन (नासिक) तथा शोपरिंग (सोपारा) का नाम गर्व के साथ उल्लिखित किया है। ये चारों स्थान महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र थे और भर्तौच तथा सोपारा व्यापार के निर्यात के लिए प्रसिद्ध बन्दरगाह थे। [ए० ६० भा० ८]। महाकाश्रप रुद्रामन के जूनागढ़ लेख में अनेक प्रसिद्ध स्थानों के नाम आते हैं जहां से सातवाहन वश के अधिकार हटाकर स्वयं शासन करने लगा। उसमें मालवा, आनंद (उत्तरी काठियावाड़), अपरान्त (उत्तरी कोकण) मुराज्जू (दक्षिणी काठियावाड़) राजपृताना, सिंधु आदि स्थानों का नाम उल्लेखनीय है वे सभी व्यापार के कारण समृद्ध भू-भाग थे। इस तरह लेखों का अध्ययन व्यापारिक केन्द्रों की जानकारी देता है।

क्षत्रप अभिलेखों के सदृश माझरिपुत (सातवाहन-साम्राज्य) के चौदहवें वर्ष के लेख में सिंहलद्वीप के बोद्ध भिक्षुओं द्वारा चैत्य के दान का वर्णन है जिन भिक्षुओं ने काश्मीर, गाघार, चीन, तौसली (मैसूर) अपरान्त, वग आदि प्रदेशों में बोद्धधर्म का प्रदार किया था। इन भू-भाग की केवल भौगोलिक जानकारी ही नहीं होती किन्तु समृद्ध नगर या प्रात होने की बात सिद्ध होती है। सातवाहन सिक्कों (पुलमावि तथा यज्ञश्री) पर नाव का मस्तूल चौल चण्डल से एशिया के दक्षिण पूर्वी द्वीप समूहों में भारतीय व्यापार की ओर संकेत करता है।

गुप्त युग के स्वर्ण काल में व्यापार तो चरम सीमा को पहुँच गया, या जिसका आभास लेखों के द्वारा मिलता है। प्रथम कुमारगुप्त के मंदसोर लेख में लाट (गुजरात) से आने वाली तथा दशपुर (मालवा) से स्थायी रूप से स्थित चिल्प श्रेणी (संघ) यानी रेशम के व्यापारियों का वर्णन मिलता है जिसने वहां सूर्यमंदिर का निर्माण किया था [का० ६० ६० ३५० ८१] इसी राजा के दामोदरपुर ताप्रपत्र में नगर श्रेष्ठि (व्यापारिक संस्था का मुख्याया सेठ) तथा सार्थवाह का उल्लेख है (ए० ६० १५ ५० १३०) यात्रा करने वाले पान्थों का समूह 'सार्थ' कहलाता, और बाहरी मण्डियों से व्यापार करने वाले (व्यापारियों का) नेता 'सार्थवाह' नाम से प्रसिद्ध था (पान्थान् वहति सार्थवाह).—अमर कोप ३१।४८) बोद्ध ग्रन्थों में भी कौशाम्बी के सार्थवाह का उल्लेख आता है।

फरीदपुर ताप्रपत्र में व्यापार के संचालन कर्ता योपाल स्वामी (व्यापार-कारण्डय) का नाम मिलता है (इ० ए० ३९ ५० २००) उसी स्थान के दूसरे लेख में व्यापार के सच-

लक वत्सपासस्वामी का नाम आया है। अनेक दानपत्रों में व्यापार में व्यस्त लोगों की चर्चा की गई है। प्रधान व्यापारिण—इ.ए० ३९ पृ० २०४)। अतः इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभिलेखों में गौड़ रूप से व्यापार सथा संघ, सचालक तथा व्यापारिक संघ के नेता सार्थवाह का वर्णन किया गया है।

अर्थशास्त्र के पण्डितों में यह बात छिपी नहीं है कि प्राचीन काल में भारतीय व्यापार उन्नति के शिखर पर था। व्यापार सम्बन्धी समस्त कार्य का संचालन एक संस्था द्वारा होता

था जिसे अभिलेखों में “श्रेणी” कहा गया है। यह संस्था प्रजातन्त्र श्रेणी शैली पर कार्य करती थी। देश की अधिक नीति श्रेणी के हाथों में थी। वर्तमान काल के “भारतीय चैम्बर आफ कामस” से उसकी तुलना कर सकते हैं। दोनों में भेद यही है कि श्रेणी संस्था एक शिल्प के समूह से सम्बन्धित थी।

एकेन शिल्पेन ये जीवन्ते तेषा समूह श्रेणी (कौटिल्य)

प्राचीन साहित्य में (गौतम वर्मसूत्र, अष्टाघ्यायी, अर्थशास्त्र में) श्रेणी के विषय में जिम तरह की चर्चा है, स्मृति ग्रन्थों में भी श्रेणी का कार्य उसी तरह से वर्णित है।

सातवाहन तथा कश्त्रप वंशी अभिलेखों में तत्कालीन संगठित शिल्प-श्रेणी का वर्णन मिलता है। उससे पता चलता है कि शिल्पियों तथा विणिकों के निकाय शक्ति-सम्पद तथा समृद्ध थे। गुप्तकाल में भी उद्योगों की उन्नति का श्रेय तत्कालीन श्रेणियों तथा नियमों को था। ये निकाय सुधृतवस्तित रूप से व्यापार का परिचालन करते थे तथा वाकाटक एवं गुप्त युग में इन संघटनों की बहुत बड़ी संख्या थी। इनके द्वारा व्यापार से राज्य को बड़ी आय होती थी। क्योंकि ये श्रेणियां या निकाय देश, विदेश में व्यापार का सचालन करते थे। इन के पास जहाज या नावें भी रहती थी। भारत के देशी जहाजरानी से व्यापारिक क्षेत्र में अधिक सुविधा थी। वस्तुओं के आयात-नियर्ति में राष्ट्र वाधन मनुचित रूप से व्यवहृत किया जाता था। गुप्तकालीन शिलालेखों, ताम्रपत्रों, मुद्राओं तथा सिक्कों का अध्ययन तत्कालीन श्रेणियों तथा नियमों पर प्रकाश ढालता है। प्रथम कुमारगुप्त के मदसोर लेख में रेशम के व्यापारीण की श्रेणी का उल्लेख है जिसके द्वारा सूर्य-मंदिर के निर्माण तथा कालान्तर में सस्कार का उल्लेख मिलता है। (का० ५० इ, वृ पृ० ८१)

शिल्पावासैद्धनसमुदयैः पट्टावायैरुदार

श्रेणीभूतै भवनमतुलं कारित दोस-रश्मेः ।

मंदसोर लेख के वर्णन से पता चलता है कि वह श्रेणी लाट (गुजरात) देश से दशपुर (मदसोर, मालवा) में आकार कार्य करने लगी और इसके सदस्य नाना प्रकार के गुणों के लिए प्रसिद्ध है।

स्वकुल-तिलक भूतै मुक्तरागरुदारै-

रघिकमभिविभाति श्रेणीरेवं प्रकारै ।

गुप्त सञ्चाट-स्कन्दगुप्त के इंदौर ताम्रपत्र में तैलिक श्रेणी का विवरण मिलता है (इन्द्रपुर निवासिन्यास्तैलिकप्रेष्या) जिसने सूर्य-मंदिर के दीपदान के निमित्त दो पल तेल का दान किया था

(देयं तैलस्य तुल्येन पलट्यं तु) । बैशाली मुहरों के लेख में निगम का नाम अंकित है । पूर्व मध्ययुग के अभिलेखों में विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख मिलता है जिससे व्यापारिक संस्थाओं द्वारा देश की आर्थिक सहायता का परिज्ञान होता है । मंदिरों के दान-प्रसाग में श्रेणियों के नाम मिलते हैं जो पूजा के निमित्त कर (टैक्स) दिया करती थी । तैलिक तथा मालिक श्रेणी क्रमशः तैल तथा पृष्ठ'कर' के रूप में देती रही (ए० इ० १ प० १६०, भा० १९ प० ५७) (समस्त तैलिक श्रेण्या प्रति कोल्हू...दातव्ये) । किसी विशेष प्रदेश में कार्य करने वाली श्रेणी का मुख्य व्यक्ति 'श्रेष्ठी' के नाम से विख्यात था तथा विदेशों से व्यापार करने वाले समूह (वनजारा श्रेणी) का अनुआ 'सार्थवाह' कहलाता था (अत्रेपु समस्त वणजारेषु देसी मिलित्वा —० इ० ११ प० ४३) संक्षेप में यह कहना उचित होगा कि प्राचीन भारत में धन का समुचित बटवारे के लिए प्रजातत्र ढंग से श्रेणिया व्यापार में लगी रहती थी जिससे समाज का कल्याण होता था ।

प्राचीन समय में श्रेणी तथा निगम बैंक का कार्य करती और इनके साथ रूपया जमा करना सब से अधिक सुविधाजनक समझा जाता था । पश्चिम भारत के धनवप्त नहपान के जामाता ऋषभदत्त ने धार्मिक कार्य के लिए तंतुवाय श्रेणी के पास श्रेणी का बैंक-कार्य तीन हजार कार्यालय जमा किया था (नासिक लेख) । उनमें दो हजार कार्यालय एक रूपया (कार्यालय) प्रति सैकड़ा बार्षिक व्याज को दर में जमा था और एक हजार कार्यालय का व्याज दर तीन चौथाई पैस था । त्रीणि ३००० सघसं ऐते च काहापणा प्रयुक्ता गोवधनं वायवासु श्रेणिम् । २००० वृद्धि पठिक शत अपर कोलीक निकाये १००० वधि पायून पठिक शत । ऐते च काहापणा अपांडितात्वा वधिभोजा । एतो विवरिक सहस्रानि वे २००० पठिके शते (ए. इ. भा. ८) । मधुरा के द्वितीय शतों के एक लेख में वर्णन मिलता है कि किसी धार्मिक व्यक्ति ने पृष्ठशाला के लिए ५५० पुराणों की दो धन राशियां दो निकायों में (अस्थाई मूलधन के रूप में) जमा कर दिया था । इस धन के व्याज से गोवर्धन (नासिक) के भिक्षुओं के चौबर तथा भोजन का प्रबंध किया जाता था । उसी तरह मधुरा वाले धनराशि के व्याज से दीन-दुखियों के भोजन के अतिरिक्त; प्रत्येक मास, एक सौ ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था ।

इससे पता चलता है कि शिल्पियों तथा बणिकों के निकाय वैभवपूर्ण तथा शक्ति संपन्न होते थे । ये जनता के विश्वासपात्र थे । इसोलिए उनके बैंकों में धन राशि जमा करने का विवरण पाया जाता है । उनकी स्थायी आर्थिक नीति के कारण ही जनता बैंक का उपयोग किया करती थी । जनता को कभी भी भय नहीं था कि श्रेणी-बैंक का दिवाला हो जायगा और मूलधन राशि नष्ट हो जायगी । गुप्तकालीन एक लेख में श्रेणियों के स्थानान्तरित होने का विवरण पाया जाता है । मंदसोर के लेख में वह श्रेणी लाट (गुजरात) से उठकर दशपुर (मालवा) चली आई थी । इन्दोर (मध्य प्रदेश) के ताल्लुपत्र में स्कन्दगुप्त के शासनकालीन तेलियों की श्रेणी का उल्लेख है जिसको देवविष्णु नामक ब्राह्मण ने सूर्य मंदिर के हेतु धन दान दिया था और वह राशि स्थायी रूप से (fixed-deposit) की तरह श्रेणी बैंक में जमा कर दी गई थी । विश्वास पात्र तथा अच्छे कार्य शैली के कारण श्रेष्ठी, सार्थवाह आदि राजकीय अधि-

कारियों के सदृश शासन में सहयोग किया करते थे। उनके कार्यालय की मुहरें होती थीं। नालंदा, कौशाम्बी तथा वैशाली से मिट्टी की मुहरें बहुत संख्या मिली हैं जिनमें निकाय तथा श्रेणी की मुहरे प्रचुर संख्या में हैं। (आ स इ रि १९०३-४ तथा १९१३-१४)

भारतीय इतिहास से विदित होता है कि प्राचीन काल में यहाँ के निवासी आर्य संस्कृति का सदैश लेकर स्थल तथा जलमार्ग द्वारा विदेश जाते थे। जलमार्ग को सुगम बनाने के लिए नौकाओं का निर्माण हुआ और स्थल मार्ग को सुव्यवस्थित किया व्यावसायिक कर गया। मौर्य साम्राज्य ने व्यापार की बड़ी उन्नति की और अच्छी तथा मुद्राएँ सढ़कों का निर्माण किया। अशोक ने सम्भवतः पाटलिपुत्र से पुरुष पुर (पेशावर) तक राजमार्ग तैयार करवाया जिस मार्ग के किनारे राजगृह, काशी, प्रयाग, कोशाम्बी, साकेत, कल्पना त, मधुरा आदि समृद्ध नगर बसे हैं। पाटलिपुत्र से कौशाम्बी तथा उज्जैन होते हुए परिचमी बन्दरगाह सुपारा तक राजमार्ग बना था। इसी स्थान पर अशोक का लेख भी मिला है। शक-सातवाहन सुग्र में भी उत्तर तथा दक्षिण भारत में वैसे ही व्यापार चलता रहा। मध्ययुगीन लेखों से शिल्प तथा व्यापार पर प्रकाश पड़ता है। व्यापार की अभिवृद्धि के लिए कुषाण राजाओं ने स्वर्ण-मुद्रा का प्रचलन किया। द्वितीय वीमकदक्षिण ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया और कनिष्ठ के शासन काल में अधिक सिक्के तैयार हुए जो व्यापार के विनियम के प्रमुख साधन थे। सिक्कों की वृद्धि से व्यापार की उन्नति का परिज्ञान होता है। दक्षिण भारत में पाडेचेरी के समोप अरिकमेडू की लुदाई से रोमन सिक्के अधिक संख्या में मिले हैं जिससे भारत तथा रोम के व्यापारिक सम्बन्ध पर प्रकाश पड़ता है (एन्सेन्ट इंडिया, संख्या २ पृ० १७)। जीवन की उपयोगी सभी प्रकार की सामग्रिया विदेशों को भारत में भेजो जाती थी।

गुप्त शासन के आरम्भ से पूर्वी जगत् में भारत का व्यापारिक सम्बन्ध अधिक घनिष्ठ तथा व्यापाक हो गया था। प्रयाग के स्तम्भ लेख में समूद्रग्रस के दिग्विजय का वर्णन मिलता है। उसने पूर्वी बन्दरगाह ताप्रलिप्ति (ताम्लुक) पर भी अधिकार कर लिया था। प्राचीन भारत के गुप्त, वाकाटक, कदम्ब तथा पल्लव शासकों ने वाणिज्य की उन्नति में बड़ा योग दान दिया था। नालंदा, कौशाम्बी तथा वैशाली से गुप्त कालीन मुहरें अधिक संख्या में मिली हैं जिन पर अनेक श्रेणियाँ निगम तथा निकाय के कार्यालय के नाम उल्लिखित हैं जिससे पता चलता है कि कौशाम्बी, नालंदा तथा वैशाली मुरुग्य व्यावसायिक केन्द्र थे (श्रेणी सार्थवाह कुलकि तथा निगम की मुहरें—ब्रा० स० रि० १९०३-४ तथा १९१३-१४)। वैशाली तथा भीटा से प्राप्त मुद्रा लेखों के अतिरिक्त दामोदर पुर (उत्तरी बगाल) के ताप्रपत्रों में नगर श्रेष्ठ, सार्ध-वाह तथा प्रथम कुलिक का उल्लेख है जो शासन में भी सहायता करते थे। ऐसे वर्णन से पता चलता है कि सारे उत्तरी भारत में व्यापारिक संघ फैले हुए थे। समृद्धशालिनी नगरी में मालवा का दशपुर नगर भी गिना जाता था जिसका सुन्दर वर्णन वत्सभट्टि ने किया है।

प्रासादमालाभिरलंकृतानि धरा विद्यार्थ्यं समुत्तितानि ।

विमानमालासदृशानि यत्र, गृहाणिपूर्णेन्दुकरामलानि ॥

(प्रथम कुमारसुत का मंदसोर शिलालेख)

गुप्त नरेशों ने शिल्प तथा वाणिज्य की उन्नति के हेतु बड़ी संस्था में सिवके ढलवाए। साधारण वस्तुओं के खरीद के लिए चाँदी तथा ताँबे के सिवके तीवार हुए और ऊँचे क्रय-विक्रय तथा विदेशी व्यापार के लिए सोने के सिवके चालू किए गए थे। प्रथम कुमारगुप्त ने इस कार्य के निमित्त चौबह प्रकार की स्वर्ण मुद्रा प्रचलित की थी जो व्यापार के चरम सीमा का थोतक है।

गुप्त युग के पहलात् भारतीय व्यापार कई केन्द्रों में संगठित होता रहा। हर्षवर्द्धन, दिलीप पुलकेशी तथा उडीसा के गंग बंशी नरेशों ने वाणिज्य को प्रोत्साहित किया। इन राजाजाओं के सिवको के सम्बन्ध में विशेष जानकारी नहीं है और पूर्व सदियों की तरह मुद्रा निर्माण का कार्य दिल्लाई नहीं पड़ता। यद्यपि गुर्जर नरेशों, दिलीप के चालूक्य तथा चोल शासकों ने वाणिज्य में पोत का प्रयोग किया था परन्तु अभिलेखों में इसकी चर्चा नहीं के बराबर है। साहित्य ग्रन्थों से विविध व्यवसाय तथा विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध का अनुग्रान लगाया जाता है। विदेशी यात्रियों ने भी विशेष रूप से इसकी चर्चा की है। उनमें चीनी तथा अरब यात्रियों ने पर्याप्त विवरण प्रस्तुत किया है। कथा साहित्य में भी भारतीय वर्णिकों के द्वोषान्तर गमन का उत्तराखण मुरक्कित है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशस्तियों से अधिक वर्णन मान्दित्य में मिलता है।

पहले कहा जा चुका है कि पूर्व मध्य युग (७००-१२०० ई०) के अभिलेख राजाओं तथा घनी व्यक्तियों द्वारा दान का वर्णन करते हैं। इसलिए उनमें वाणिज्य, वार्ता के लिए स्थान नहीं है। तब भी कई स्थानों पर शासक द्वारा दान सम्बन्धी भूमि 'कर' तथा 'सामयिक कर' का उल्लेख किया गया है और इस तरह आय-व्यय का लेखा सम्बुद्ध आता है। अभिलेखों में इस दान का स्पष्ट वर्णन है कि भूमिकर दानप्राही ग्रहण करेगा तथा विभिन्न कर (टैक्स) मंदिर के पूजा निमित्त व्यय किया जायेगा। इसी प्रसग में बाजार से चुंगी तथा मेला में क्रय-विक्रय से सम्बन्धित 'कर' वसूली का वर्णन है इस प्रकार गोण रूप से आधिक बातों की चर्चा मिलती है। वस्तुओं के क्रय-विक्रय के प्रसग में माप तोल के अध्यक्ष का उल्लेख भी लेखों में मिलता है। 'प्रत्यापणं मानयै' (ए० ई० ४ पृ० २४८) से उसी अध्यक्ष का बोध होता है जो माप को निश्चित करता तथा परीक्षण किया करता था।

विभिन्न प्रशस्तियों में वर्णित दान के प्रकरण में तीन प्रकार की चुंगी (कर) का उल्लेख है। सर्वप्रथम उस कर का वर्णन है जो बाजार में बिकने वाले सामान पर लगाया गया था। पाल लेखों में हाटक नाम के पदाधिकारी का उल्लेख है जो इस 'कर' सम्बन्धी विवरण कार्य को सम्पन्न करता था (खालीमपुर दान पत्र—ए० ई० भा० ४) दूसरे स्थान पर कारखानों पर लगाए 'कर' का नाम मिलता है और तीसरे प्रकार का 'कर' मेला में क्रय-विक्रय से सम्बन्धित था। इन करों को दान-नाही ग्रहण करता था दानकर्ता मंदिर को समर्पित करता था। उसी आय से पूजा, राग-भोग का प्रबन्ध होता था। बाजार के लिए 'हाट' तथा चुंगीघर के लिए 'मण्डपिका' शब्द लेखों में मिलते हैं। 'कर' निश्चित करने का कोई विशेष नियम नहीं था परन्तु वस्तुओं के प्रकार तथा मात्रा के अनुसार कर में विभिन्नता पाई जाती थी। बेचने तथा खरीदने वाले दोनों व्यक्तियों पर कर लगाया जाता था। इस सम्बन्ध में विभिन्न सिवको का भी नामोलेख है जिसका विवरण अगले पृष्ठों में मिलेगा।

राजपूताना के अनेक लेखों में ऐसा विवरण उपलब्ध है। मध्यनदेव के लेख में अनाज के एक बोरे की विक्री पर तीन विशेषक (रुपया के बीसवें भाग) 'कर' लगता था (ए० इ० ३ प० २६४)। एक विशेषक घास बोझ पर एक द्रम (चाँदी की मुदा) चीनी के एक बोरे पर एक वरणिक, चीनी के एक बोझ पर एक रुपया, बागाल के तागे की गाठ पर 'कर' के रूप में बसूल किए जाते थे (ए० इ० १ प० ११४)।

उस समय सामान ढोने के लिए ऊँट, घोड़ा, बैल तथा बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। इन पशुओं तथा गाड़ी पर सामग्री की मात्रा एक सी नहीं रहती, इस कारण 'कर' भी व्यून या अधिक लिया जाता था। यदि एक गाड़ी पर कुछ पैला (नाप के लिए प्रयुक्त) सामान लदा रहता तो दो रुपया चुगी ली जाती था। 'मार्गे गच्छतानामागताना वृषभाना शोकेपु'—मार्ग से से होकर बाजार में आने वाली बैलगाड़ी का उल्लेख चहमान लेख में अधिक है जिस पर मसाला लदा रहता था (ए० इ० भा० ११ प० ३७)। सम्भवत किराना सामग्री पर अधिक 'कर' देना पड़ता था क्योंकि साधारण सामग्री जो मात्रा में बीस पैला होती थी और बैलों पर लदी रहनी थी उस पर दो रुपया ही टैक्स लगता था। यदि दस ऊँट तथा बीस बैलों के समूह (कारवाई) पर लदा सामान (अन्न ?) बाजार में आता था तो एक पैला 'कर' के रूप में लिया जाता था (ए० इ० ११ प० ४३)। भरतपुर के नमीप प्राप्त एक लेख में वर्णन है कि घोड़े पर लदी सामग्री पर एक द्रम चुगी लगती थी ए० इ० २२ प० १२७)।

बाजार में सामान संग्रह करने के लिए भवन (आठत) भी वर्तमान ये जहाँ व्यापारी गण सामग्री सुरक्षित रख देते थे। उससे सामान निकालने तथा रखने के कारण व्यापारी को 'कर' देना पड़ता था। नायक देवी के लेख में गोदाम में सुरक्षित सामान पर 'कर' का विवरण है। प्रति मन दो पैला अनाज 'कर' के रूप में लिया जाता जो मंदिर को अपित कर दिया जाता था। [ए० इ० ११ प० ६२ व ६७-मण्डपिकाया वस्तु मणं प्रति पाइला २]। चाहमान कालीन गोदाम में रखने तथा बेचने के कारण छ द्रम 'कर' लिया जाता था [ए० इ० भा० १ प० ११४—मण्डपिकोत्पत्तिवनाद्वात्ता षट् प्रत्यह द्रम्मा]। मध्ययुग में बाजार से सम्बन्धित मकान तैयार करके दान करने की प्रथा प्रचलित थी। उन दूकानों का किराया मंदिर में अपित किया जाता था और उस आय से रागभोग का प्रयोग होता था [ए० इ० भा० १ प० १६७]। स्थात् उस तरह की दूकान (विधि) से दो विशेषक प्रतिमास किराया मिलता था। बाजार में पत्तों की की बोझ पर पचास पंक्तियाँ तथा माली से पचास माला ग्रहण कर मंदिर में भेट किया जाता था (इह पुष्टिमाला पंचाशत् ५० माला प्रतिदिनं दातव्य—ए० इ० १ प० १६०)। परमार नरेश चामुण्डराय के एक लेख (ए० इ० १४ प० ३०९) में वर्णन है कि हाट में बिकने वाले नारियल के प्रति भार से एक फल, सहस्र सुपारी पर एक सुपारी तथा कपड़े की प्रति गाठ पर ढेढ़ रुपया 'कर' के रूप में देना पड़ता था। कोई भी व्यापारी इस 'कर' के देने में आगामीछा नहीं सोच सकता था।

कहा गया है कि राजपूताने के बाजार में करनाट, मध्यप्रदेश (गंगा-यमुना की घाटी), लाट (गुजरात) तथा तक (व्यास तथा सिन्ध नदियों का मध्यभाग) से आने वाले विशिक

व्यावसायिक कर (इ० ए० भा० ५८ प० १६१-२) सम्भवत यह बाजार मेला के रूप में संगठित था क्योंकि मुद्रार स्थानों से व्यापारी वर्हा एकत्रित होते थे । उस लेख में वर्णन आता है कि हाथों के विक्रय पर एक द्रम, घोड़े के विक्रय पर दो द्रम या एक द्रम (ए० इ० ११ प० ३३) तथा गाय या भैंस के विक्री पर द्रम का चालीसवाँ भाग 'कर' लिया जाता था (इ० ए० भा० ५८ प० १६१) मेला सम्बन्धित क्रय-विक्रय के प्रसंग में ऐसी ही उल्लेख कई प्रशास्तियों में पाया जाता है । पूर्युदक मेले में पशुओं के बेचने वाले दो द्रम तथा छारीदने वाले व्यक्ति को एक द्रम 'कर' के रूप में देना पड़ता था (ए० इ० भा० १ प० १८५-७) ।

व्यवसाय द्वारा अंजित सम्पत्ति पर भी 'कर' लगाया जाता और द्रव्य या सामान 'कर' के रूप में ग्रहण किया जाता था । लेखों में तैलिक धणी अथवा तेल के कारखानों (धाणक) से देवता के दीपार्थ (कर के रूप में) तेल बसूल किया जाता था । प्राय प्रत्येक धाणक से दो पल तेल मिलता था (पलिका दृयं धाणकं प्रति धर्मार्थ दत्तं-ए० इ० भा० ११ प० ३५) दूसरे लेख में प्रति दिन एक पल तेल अवित करने का विवरण मिलता है । (समस्त तैलिकाना धाणक धाणक प्रतिदिनं धर्मार्थं हेतो तैलपलिका प्रदत्ताः (ए० इ० १ प० १७७) । कभी तैलिक धेणी से प्रति मास तेल का एक पल लिया जाता था (तैलिक धेण्या प्रति कोल्हू मासि मासि तेल पलिका दातव्ये—ए० इ० १ प० १६०) । साधारण व्यक्ति कभी तेल या धो पात्र में रखकर बेचता था तो उसे प्रति तेल कूप (चमड़े का पात्र) दो विशेषक 'कर' (ए० इ० २ प० २८०) और धो के विक्रीतों को भी प्रति घडा (मिट्टी का पात्र) एक पल टैक्स देना पड़ता था (ए० इ० १४ प० ३०९) ।

शाराब के कारखाने वाले भी नकद पैसा देवता के राग भोग के लिए देते रहे । राजपृताना के लेख में प्रति सुराभाष्ट पर आधा द्रम 'कर' का वर्णन है (सुराभाष्ट प्रति मासा-न्मास विप्रह तुङ्गोर्य दातव्यं द्रमाद्धं धूपं दीपं नैवेद्यार्थं—ए० इ० १ प० १७४) परमार लेख में वर्णन है कि प्रति कारखाने को चार रुपया देना पड़ता था (इ० ए० भा० ५८ प० ३०९) मदिरा के व्यापारी से कर ग्रहण कर धार्मिक कार्य में व्यय करना अनुचित नहीं समझा जाता परन्तु देवपूजा में उस आय से कार्य सम्पन्न होता था ।

पूर्व मध्य युग के शासक किसी धार्मिक कृत्य के लिए अस्थायी 'कर' भी लगाया करते थे । चहमान नरेश शिवरात्रि के अवसर पर आठ मुद्रा प्रति व्यक्ति (ए० इ० ११ प० ३१—प्रति वर्षक द्रम्माष्टकं प्रमाणेन) तथा देवयात्रा (रथ यात्रा) के अस्थायी कर सुअवसर पर चार द्रम का 'कर' आरोपित करते थे । (देव यात्रा निमित्त द्रा ४—ए० इ० भा० ११ प० ३५) । इसी वंश के एक लेख में तैलिक धेणी द्वारा रथ यात्रा के समय विशेषक देने का वर्णन मिलता है । परमार शासक चैत्रमास के बसंतोत्सव पर प्रत्येक व्यापारी से एक द्रम 'कर' के रूप में बसूल करते थे (ए० इ० भा० १४ प० ३०९) तथा जनसाधारण से प्रति गृह एक द्रम (मुद्रा) 'कर' लिया जाता था ।

तत्कालीन करो की सूची मे एक प्रकार के विचित्र 'कर' का उल्लेख है जो विशिष्ट भोज (दावत) के समय उस व्यक्ति से ग्रहण किया जाता था । भोज (रनवनि) के आयो-जक को एक रुपया देना पड़ता था । इसमे अधिक आश्चर्य जुआ पर लगाए कर से प्रकट होता है जिसमें सम्पूर्ण खेल में एक पेटक (पेव = दाव—एक बार जितना घन साहस कर लगाया जाय) 'कर' स्वरूप जुआरी को देना पड़ता था (इ० ए० ५८ पृ० १६१) किसी लेख मे॒ जुआ-गृह पर दो रुपया कर लगाने का उल्लेख मिलता है [ए इ भा १ पृ० १४४] इसमे अनु-मान किया जा सकता है समाज मे धूणित कर्म मे जो 'कर' मिलता था उसे व्यक्तिगत कार्य में व्यय न कर शासक धार्मिक कृत्य के निमित्त दे दिया करता था । इस प्रकार 'अभिलेखों मे विभिन्न 'कर' का विस्तृत विवरण उपलब्ध है ।

यद्यपि साहित्य ग्रन्थों मे सिक्को के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है परन्तु अभिलेखों में कार्यापण (प्राकृत काहापन) का नाम सबसे पुराना है । सातवाहन तथा धनत्रय के नासिक लेखों मे काहापण या काहापन नाम मे उम प्राचीन सिक्के का सिक्को के विभिन्न नाम उल्लेख मिलता है जो 'पुराण' या 'धरण' नाम से प्रसिद्ध थे । अधिकतर चादी के सिक्के इस नाम से उल्लिखित थे और स्वर्ण मुद्रा की तरह १६ मासे तौल मे होते थे । सोने के लिए पाच रत्ती का माशा (तौल) तथा चादी के लिए दो रत्ती का माशा निष्परित किया गया था । भारत मे यूनानी शासन के समय चादी के सिक्के ड्रम कहे जाते थे और यह नाम इतना प्रचलित हो गया कि भारतीय लेखों मे ड्रम शब्द से (जो ड्रम का विकृत रूप है) मैकडो बार उल्लेख मिलता है । अधिक प्रचार होने के कारण ही गुर्जर प्रतिहार, परमार, सेन आदि वंशों की प्रशस्तियों मे इसका नाम आता है । भारतीय यूनानी, पल्लव तथा शक राजाओं ने उसके आधे तौल के बराबर अर्द्ध ड्रम सिक्का प्रचलित किया जिसे गुप्त सम्राट्, हृष्ण राजा, हर्ष वर्द्धन, मौखरि आदि ने चादी के सिक्को मे अनुकरण किया । ड्रम नाम सबसे अधिक प्रचलित था और इसका पूर्व तोमरी सदी से १३ वीं सदी तक साहित्य ग्रन्थों तथा अभिलेखों मे इस शब्द का प्रयोग मिलता है । भास्कराचार्य ने (१२ वीं सदी) भी लीलावती मे इसी नाम का प्रयोग किया है ।

नानाघाट तथा नासिक लेखों के वर्णन से पता चलता है कि काहापना (कार्यापण) अधिक संख्या मे तैयार किये जाते थे । सम्भवत् समाज मे स्वर्णमुद्रा की आवश्यकता न थी । नहपान के लेख से पता चलता है कि सोने चादी के सिक्को मे १ : १४ का अनुपात था । उसमे सत्तर हजार काहापन मूल्य मे दो हजार सुवर्ण के बराबर कहे गए हैं (ए इ भा ८) ।

यद्यपि कुपाण नरेशो ने सोने का सिक्का सबं प्रथम प्रचलित किया परन्तु कुपाण लेखों मे उस सम्बन्ध मे कोई उल्लेख नहीं मिलता । पिछले कुपाणों के अनुकरण पर गुप्त सम्राटों ने सोने की मुद्रा तैयार कराई जिसका नाम साचो के लेख तथा दामोदरपुर ताम्रपत्रों मे 'दीनार' शब्द से अंकित है । यह नाम भी रोमन सिक्का दिनेरियस (Denarius) का विकृत रूप है । गुप्त नरेश रोगन माप तौल (१२० ग्रेन) का प्रयोग भी करने लगे थे । प्रथम कुमार गुप्त के शासन मे अकित वैश्वाम ताम्रपत्र से तन्कालीन सोने चादी के सिक्कों का अनुपात निश्चिन किया जा सकता है । उसमे वर्णन मिलता है कि तीन कुपाणवाण भूमि का मूल्य ६ दोनार था तथा एक

चौथाई कुल्यावाप जमीन (उर्बरा) आठ रूपक (चादी का सिक्का) में विक्षय होती थी (ए. इ. भा० २१ प० ८१—षड्दीनारानष्ट च रूपकाना) । इस आधार पर एक दीनार १६ रूपक के मूल्य में बराबर था । उसका अनुपात ६५२ . १ होता है । इससे स्वष्ट हो जाता है कि १२ वीं सदी तक दीनार, रूपक तथा द्रम शब्दों का प्रयोग उत्तरी भारत के सिक्के के लिए होता था । स्मृतियों के अध्ययन से पता चलता है कि सोने की मुद्रा दीनार तथा चादी के सिक्के का पर्याप्ति कहे जाते थे । दक्षिण भारत में भी कार्षणिय का प्रयोग चादी के सिक्कों के लिए होता रहा । परन्तु तोसरी सदी के बाद चादी का मिलना कठिन हो गया । गौतमीपुत्र यज्ञशी शातकर्णी ने चादी का सिक्का तैयार किया जो क्षत्रप अर्द्ध द्रम का अनुकरण मात्र था । स्पात् महाराष्ट्र में क्षत्रपों को पराजित कर विजय-घोषणा के लिए यह कार्य आवश्यक था । तत्पश्चात् चोल, पाण्डिया या केरल राज्यों में चादी के सिक्के नहीं मिलते ।

पूर्व मध्यगुग (७००—१२०० ई०) की प्रशस्तियों तथा साहित्य प्रयोग में 'द्रम' का अधिक प्रयोग है । सियादोनी तथा ग्वालिपर के अभिलेखों में 'द्रम' शब्द शासक के नाम में जुड़ा है । विनायक पालोय द्रम अथवा आदिवाराह द्रम शब्दों से उस शासक के सिक्के का परिचय मिलता है जिसने (विनायकपाल तथा प्रतिहार भोज) उनका प्रचलन किया था । सियादोनी लेख में 'कर' ग्रहण करने के प्रसंग में विशेषक शब्द भी सिक्के के लिये उल्लिखित है । वह रूपक (सिक्का) का वीसवा भाग या जो संभवतः ताम्बे का सिक्का रहा होगा ।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि प्राचीन नाम कार्षणिय के अतिरिक्त अभिलेखों में अधिकतर विदेशी सिक्कों के नामों का विकृत रूप पाया जाता है । रूपक शब्द का प्रयोग चेदि तथा राजपूताने के लेखों में मिलता है (इ० ए० ५८ प० १६१-२) जो कालान्तर में रूपया हो गया और आज भी उसी नाम से प्रचलित है ।

तिथियां और सम्बत्

प्राचीन लेखों के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि प्रशस्तिकार अभिलेख उत्कीर्ण करते समय इस बात का ज्ञान रखते थे कि उनमें तिथि का उल्लेख अवश्य हो। भारत का तिथिक्रम इतिहास जानने में उत्कीर्ण लेखों से अधिक सहायता मिलती है। तिथिया दो प्रकार से उल्लिखित मिलती है। पहला राज्य-वर्ष (Regnal year) का उल्लेख, दूसरे स्थान पर उन तिथियों की गणना होती है जिसे विद्वानों ने किसी सम्बत् से सम्बद्ध किया है। अशोक के धर्म लेखों में अभियेक के ८ वें वर्ष (अठ वर्ष अभिसिलस देवन प्रिवास प्रिवद्विशिस—तेरहवा शिलालेख) १२ वें वर्ष (चौथाशिलालेख, छठा स्त० ले० बराबर गुहालेख) १३ वें वर्ष (पाचवा शिं० ले०) १४ वें वर्ष (निगाली सागर लेख) २० वें वर्ष (देवानपियेन पियदसिन लाजिन वीसित वसाभिसितेन—हिंद भगव जाते ति लुमिनि गामे-रम्मिनदई स्त० ले०) २६ व वर्ष (चौथा व पाचवा शिं० ले०) तथा २७ वें वर्ष (मत विसति वसाभिसितेन मे इदं धर्मलिपि लिखापिता ति एत देवानं पिये आहा-सातवा स्त० ले०) का उल्लेख है। वेसनगर गण्ड स्तम्भ लेख शुगराजा भागभद्र के चौदहवें वर्ष में स्थापित किया गया (कोसी पुतस भागभद्रस नातारस वसेन चतुर्देश राजेन)। हाथी गुम्फा लेख में खाटबेन के प्रथम से तेरहवें वर्ष तक की घटाओं का वर्णन किया गया है (पवमे वसे ततिये गुनवसे—नवमे च वसे—तेरसमे च वसे आदि ।)

मौर्यों के उत्तराधिकारी सातवाहन लेखों में भी गोमतीपुत्र शातकर्णि का १८ वें वर्ष एवं २४ वें वर्ष का उल्लेख है (नासिक गुहालेख)। पुलमार्वि ने ७ वें, १९ वें २२ वें तथा २४ वें वर्ष में लेख उत्कीर्ण कराया था (नासिक तथा काले का गुहा लेख) तथा यज्ञ श्री शातकर्णि के नासिक गुहा लेख ७ वें वर्ष (तिरियन सानकणिस सवहेरे सातमे ७) में उत्कर्णि किया गया था। यह क्रम मध्य युग तक चलता रहा। हृषि राजा मिहिर गुल के खालियर लेख से पंद्रह वर्ष तक शासन का परिज्ञान होता है (अभिवर्द्धमान राज्ये पचदशाब्दे—का० इ० इ० भा० २ पृ० १६२)।

इस प्रकार मध्ययुग के पालवंशी अभिलेखों में शासकों के राज्य वर्ष का उल्लेख मिलता है। खालीमपुर ताम्रपत्र से पता चलता है कि धर्मपाल ने ३२ वर्ष तक राज्य किया। भागलपुर ताम्रपत्र में नारायण पाल के ५४ वें वर्ष का उल्लेख है किन्तु इन तिथियों का किसी संबंध से सम्बन्ध नहीं है।

प्राचीन भारत में दूसरे प्रकार के अभिलेखों में शासकों की तिथि किसी न किसी सम्बत् से अवश्य सम्बद्ध है। कुणाण नरेशों की तिथिया ३ से ८० तक अंकित हैं और प्रत्येक लेख सं० (सम्बत्) अथवा संवत्सर से आरम्भ होता है। यानि तिथि का सम्बत् से सम्बन्ध

अवश्य है। यद्यपि उसका नाम स्पष्ट रूप से नहीं मिलता किन्तु यह विषय ज्ञात नहीं है कि उन सब लेखों की तिथिया शक सम्बत् (७८ ई०) से सम्बन्धित हैं। कृष्ण के सामत पश्चिमी भारत तथा मध्युरा के क्षत्रप शासक भी इसी सम्बत् में अपने लेखों की तिथियाँ अकित कराते रहे। उदाहरण के लिए नहपान के नासिक तथा जूनार गुहालेख क्रमशः ४२ तथा ४६ वें वर्ष (४६ + ७८ = १२४ ई०) में उत्कीर्ण किए गए। रुद्रामन के गिरनार लेख में ७२ वर्ष का उल्लेख है यानी १५० ई० (७२ + ७८) में वह लेख खोदा गया था। गुप्त साम्राज्यों के अभिलेख भी इसी रूप से उत्कीर्ण हैं। द्वितीय चन्द्रगुप्त का साँची लेख ९३ वर्ष में, प्रथम कुमारगुप्त की करमदण्डा शिवलिङ्ग प्रशस्ति ११७ वर्ष में, स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ लेख १३६ वर्ष में, इन्दौर ताम्रपत्र १४६ वर्ष में, वैन्यगुप्त का गुणेघर ताम्रपत्र १८८ वर्ष में तथा भानुगुप्त का एरण स्तम्भ लेख १९१ वर्ष में खोदे गए थे। इन तिथियों को राज्य वर्ष कदापि नहीं माना जा सकता। अतएव इनको गुप्त सम्बत् ई० स० ३१९ से सम्बन्धित करते हैं। हर्ष वर्षन के ताम्रपत्र की तिथिया हर्ष सम्बत् (ई० स० ६०६) से जुड़ी है। यहाँ तक कि नेपाल के लेख भी हर्ष सम्बत् से ही सम्बन्धित हैं।

कई प्रशस्तियों में तिथि न मिलने पर तीसरे मार्ग के सहारे काल ज्ञात होता है यानी प्राचीन भारत के शासकों की तिथिया समकालीनता पर भी स्थिर की जाती है। अशोक के तेरहवें शिलालेख में अनेक समकालीन विदेशी शासकों के नाम उल्लिखित हैं। उनकी ज्ञात तिथियों के सहारे शासक के तिथियों का वास्तविक समय निर्धारित हो जाता है। यूनानी राजा आतियोकास द्वितीय ई० पू० २६१-४६ तक पश्चिमी एशिया में राज्य करता रहा। द्वितीय टालेमी उत्तरी अफ्रीका में ई० पू० २८२-४७ तक शासन करता रहा। ये दोनों अशोक के समकालीन थे। इस तिथि २८२ में से १२ वर्ष (अभियेक के ८ वें वर्ष में तेरहवा लेख खोदा गया तथा अशोक अभियेक से चार वर्ष पूर्व सिहासनारूढ़ हुआ था) घटा देने से ई० पू० २७० वर्ष अशोक के शासक होने की तिथि निश्चित हो जाती है। सातवाहन राजा गोतमी-पुत्र शातकर्णी भी क्षत्रप नहपान का समकालीन शासक था। नासिक लेख (पुलमावि के १९ वें वर्ष) तथा जोगलथम्बी के सिक्कों के ढेर को परीक्षा यह बतलाती है कि शातकर्णी ने नहपान को पराजित किया था। नहपान की तिथि ४६ शक सम्बत् (ई० स० ७८) से सम्बन्धित मानी जाती है। इसलिए नहपान की तिथि ई० स० १२४ स्थिर होती है। इस तिथि के समोप गोतमीपुत्र शातकर्णी भी राज्य करता होगा। इसके पुत्र पुलमावि को महाक्षत्रप रुद्रामन ने ई० स० १५० में हराया था जो जूनागढ़ के लेख (तिथि ७२ यानी ७६ + ७८ = १५० ई०) स्पष्ट प्रकट होता है। इस प्रकार पिता (गोतमी पुत्र शातकर्णी) की तिथि १२४ से १३० ई० तथा पुत्र पुलमावि ई० स० १५० मानी जा सकती है। नासिक के १९ वर्ष वाले लेख से ज्ञात होता कि पुलमावि १३० ई० (पिता की मृत्यु) के समोप गद्दी पर बैठा और १६ वर्ष में यानी १४९ ई० (१३० + १९) में वह पराजित किया गया। मिहिर-कुल के सम्बन्ध में इसी प्रकार से राज्यकाल का पता चलता है। गुप्त शासक भानुगुप्त का एरण स्तम्भ लेख १९१ (गु० स०) वर्ष में यानी ५१० ई० (१९१ + ३१९) में लिखा गया था जिसमें गोपराज की मृत्यु का वर्णन है। सेनापति गोपराज हृण युद्ध में मारा गया था और उसी के बाद तोरमाण का राज्य मध्य भारत में स्थापित हुआ। उसने पन्द्रह वर्ष तक शासन किया

उसके पश्चात् मिहिरकुल पंद्रह वर्ष तक शासक रहा । खालियर के १५वें वर्ष की तिथि (अभिवर्द्धनमान राज्ये पचदशाब्दे नृप-वृषस्य) ५४०ई० के समीप (५१० + १५ + १५) स्थिर हो सकती है । राज्य वर्ष में तिथि खूबचाने की परिपाटी पाल लेखों में भी वर्तमान थी जिसे अन्य तिथि के सहारे काल निर्णय करने में उपयोगो मानते हैं । इसे चौथी रीति कह सकते हैं । निम्नलिखित राज्यवर्ष से गणना देखिये ।

धर्मपाल	३२ वर्ष
देवपाल	३६ „
विग्रहपाल प्रथम +	
सूरपाल	३ „
तारायणपाल	५४ „
राजवपाल	२४ „
गोपाल द्वितीय	१७ „
विग्रहपाल द्वितीय	२६ „
महोपाल प्रथम	४८ „
<hr/>	
योग	२४६ वर्ष

दसवें पालनरेश प्रथम महोपाल का एक लेख सारनाथ से उपलब्ध हुआ है जिसकी तिथि वि० स० १०८६ (= १०८६-५७ = ई० स० १०२९) उल्लिखित है । अत २४३ वर्ष पीछे जाने पर धर्मपाल की तिथि (१०२९-२४३) ७८६ ई० के समीप निश्चित हो जाती है । इस प्रकार समकालीनता तथा ज्ञात तिथि से या सम्बत् में सम्बन्ध जोड़ कर राजाओं के शासनकाल का परिक्रान्त होता है ।

यो तो भारतवर्ष में ईसा पूर्व ५७ वर्ष में विक्रम सम्बत् चलाया गया (विस्तृत वर्णन आगे देखिए ।) परन्तु इसमें तिथि का उल्लेख अधिक दिनों तक नहीं पाया जाता । ईसवी सन् के ७८ वर्ष में कनिष्ठ ने एक सम्बत् चलाया जिसमें लेखों की तिथियाँ पाई जाती हैं । कुण्डण वंशी राजाओं (कनिष्ठ, हुविष्ठ तथा वासुदेव) के लेखों में जो अंक (तिथि) मिलते हैं उनका सम्बन्ध इसी शक सम्बत् में है । सारनाथ की बृद्ध प्रतिमा लेख में ८० वर्ष खुदा है तो कनिष्ठ के उत्तराधिकारी वासुदेव के मथुरा-प्रतिमा लेख में ८० वर्ष पाया जाता है जिसकी तिथि क्रमशः ई० स० ८१ (७८ + ३) तथा ई० स० १५८ (७८ + ८०) ज्ञात हो जाती है । पश्चिमी भारत के क्षत्रिय राजाओं के सिक्कों पर तिथि शक सम्बत् में मिलती है । उन्हीं सिक्कों के अध्ययन से क्षत्रियों का इतिहास ज्ञात होता है । प्रथम दद्दसेन के सिक्के पर १२१, पृथिवीयेण के १२२-१४४ तथा दामसेन के सिक्कों पर १४५-१५८ तिथि का उल्लेख है जिन सिक्कों शक सम्बत् से सम्बन्धित मानते हैं । गुप्त लेखों में भी वर्षांक उल्लिखित हैं जिनका सम्बन्ध गुप्त सम्बत् से था । उनके प्रशस्ति को छोड़ कर सिक्कों पर भी इसी सम्बत् में तिथिया अंकित हैं । सौराष्ट्र के बलभी लेखों में इसी गुप्त सम्बत् का प्रयोग है जिसे भ्रमवश बलभी सम्बत्

का नाम दिया गया था (गुप्त सम्बत् का विवरण आगे दिया जायगा) । पिछले गुप्त राजाओं के लेखों में जिस तिथि (वर्ष) का उल्लेख है उसका सम्बन्ध गुप्त सम्बत् से नहीं है । सम्भवत् सातवी सदी के आरम्भ से उत्तरी भारत में हर्ष सम्बत् (ई० स० ६०६) का प्रयोग होने लगा था । बासबेडा का ताम्रपत्र, गुप्त राजा आदित्यसेन का शाहपुरलेख (६६ वर्ष) तथा विष्णुगुप्त का मंगराव लेख (वर्ष ११७) आदि हर्ष सम्बत् से सम्बन्धित हैं और उसी गणना पर उनकी तिथि निश्चित हो जाती है । नेपाल के अनेक लेखों में तिथि हर्ष सम्बत् में ही उल्लिखित है । मध्यप्रदेश तथा सम्बन्धभारत के संकड़ों लेख कल्वरी सम्बत् से सम्बन्धित हैं (का० इ० इ० भा० ४ खण्ड २) । इस प्रकार लेखों की तिथिया निश्चित करने के लिए अच्छा तिथियुक्त घटनाओं के वर्णन निमित्त प्रशस्तिकार ने अधिकतर किसा सम्बत् में सम्बन्धित अको का उल्लेख किया है । तुलना में पहली प्रणाली (राज्य वर्ष) में समकालीनता स्थिर करना आवश्यक था पर किसी सम्बत् से सम्बन्धित तिथि द्वारा भी 'सरलतापूर्वक शासक का राज्य-काल निश्चित हो जाता है । पहली शैली में 'वेसेन चतुदसेन राजेन वधमानस' आदि या 'प्रबद्धमान विजय राज्य' वाक्य उल्लिखित मिलते हैं ।

प्राचीन भारत में तिथि वार की गणना में विचित्रता दिखलाई पड़ती है । अभिलेखों का अध्ययन इस विषय के समझने में अधिक सहायत करता है । ईसा पूर्व सदियों में भारत में यही रीति काम में लाई गई थी जिसमें मास, पक्ष एवं वार का मास तथा वार उल्लेख था । सम्भवतः इस प्रकार की गणना यूनान ने अनुकरण की गयी थी । नई ब्राह्मी उत्तर पश्चिम लेखों में (लुडर संख्या ९८७ १००१ १०२१, १०२४, ११००, ११०५, ११२०, ११४७, ११८६ आदि) अठु, पक्ष तथा वार का उल्लेख है । सातवाहन के नासिक तथा काले अभिलेखों में ग्रीष्म, वर्षा या जाड़े की अतिरिक्त पक्ष तथा वार (दिन) की सूख्या मिलती है । इसके विपरीत भारतीय- यूनानी लेख (शिनकोट लेख-ए० इ० १४ प० ७) में वैशाख मास के २५ वें दिन का उल्लेख है । इसबीं सन् के पश्चात् शक, कृष्ण तथा अष्टप लेखों में मास का नाम तथा तिथि सूख्या निश्चित रूप से मिलती है । परन्तु अठु तथा पक्ष का सर्वथा अभाव नहीं है । (ए० इ० भा० १ न० ४, ज० य० प० १० स० भा० ११ प० ६६-६७) उनरी पश्चिमी भू भाग के खरोष्टी लेखों में दूसरी सदी के पश्चात् मास नाम तिथि सूख्या तथा वार का प्रयोग मिलता है । (का० इ० भा० २ प० ६२-६६ प० ७०, ७७, १२७, १४९) । उन दिनों वर्ष को तीन प्रथान विभागों में-वर्षा, शीत तथा उष्ण-विभवत किया गया था और पक्ष द्वारा समय का उल्लेख किया जाता था, उदाहरण के लिए—वास पक्ष (वर्षा) हेमतान पक्ष (जाडा) या गिहान (गिम्ह) पक्ष (ग्रीष्म) । प्रत्येक अठु के चार मास तथा प्रत्येक मास में दो पक्ष की गणना द्वारा आठ पक्ष को अठु नाम के साथ उल्लेख किया जाता था । सम्भवत मास नाम से काई गणना न होती थी यानी चैत्र से फाल्गुन तक के बारह मासों का नाम अज्ञात था । निश्चित समय बतलाने के लिए पक्ष तथा तिथि से काम लिया जाता था । यदि जेष्ठ कृष्ण पक्ष १० के अवसर पर किसी बात का उल्लेख करना होता तो गिम्ह पक्ष ५ दिवसे १० में काम चल जाता था । ग्रीष्म चैत्र से प्रारम्भ होता था इसलिए चैत्र-वैशाख के चार पक्ष तथा

१७६ : प्राचीन भारतीय अभिलेख

ज्येष्ठ प्रथम पक्ष मिळाकर पाच पक्ष हो जाते थे। इसलिए उससे ज्येष्ठ कृष्ण १० की तिथि समझी जाती थी। यिन्हां पक्षे वितीय दिवसे १३. से चैत्र शुक्ल १३ का ज्ञान होता था। इसी प्रकार वर्षा या हेमंत से सम्बन्धित पक्ष व बार कहने से ठोक समय का ज्ञान हो जाता था।

गिर्हण पक्षे २ दिवसे १० = चैत्र शुक्ल १०

ग्री २ दिव ३० = चैत्र शुक्ल पूर्णिमा

वास पक्षे २ दिवसे ३ = श्रावण शुद्धि ३

हेमंत पक्षे ३ दिवसे १ = पौष कृष्ण १

हेमंत पक्षे २ दिव १ = मार्ग शीर्ष शुक्ल १

इस रूप से सातवाहन नरेशों ने वर्ष, पक्ष के द्वारा (नासिक लेख) तिथि का ज्ञान कराया तथा गोतमी पुत्र शातकर्णी के पश्चात लेखों में तिथियाँ मिलने लगी। एक वत्रप युग में पहली सदी से ही भारतीय मास का उल्लेख प्रशस्तियों में है। आश्र्य तो यह है कि जन्मों के महाराज कृष्णन नरेश ऋटुओं के पक्ष गणना से ही समय का निरूपण करते रहे। द्विष्टक के मध्युरा प्रतिमा लेख में गु १ दिव ८ (ग्रीष्म पक्ष १ = चैत्र कृष्ण ८) हेमत मास १ (मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष) का उल्लेख पाया जाता है। परन्तु साथ ही विशिष्ट मास अकित करने का कार्य भी प्रारम्भ हो गया था। कनिष्ठ के मानिकियाला शिलालेख (१८ वें वर्ष) में आपाढ़, (अपद्वस मसस) जेदा लेख में कार्तिक, आरा की प्रशस्ति (४१ वें वर्ष) में ज्येष्ठ (जेट्स मसस) का नाम मिलता है। पह्लव गुदफरस के लेखों में भी 'वैशाख मसस' तथा 'श्रवणस मसस' के नाम आते हैं। नहपान के नासिक लेख में वैसाख मासे, कातिक शूद्धे पनरस (शुद्धि १५), रुद्रामन के आडो (५२ वर्ष) में फणुण बहुलस द्वितीय बारे २ (फाल्गुण कृष्णपक्ष २) मार्ग शीर्ष बहुल प्रतिपदि (जूनागढ़ शिलालेख) तथा रुद्रसिंह के गंडा लेख में 'वैशाखा शुद्धे पंचम घण्यतिथी रोहणी नक्षत्र मूर्त्ते' आदि वाक्यों का प्रयोग मिलता है। इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि ई० सं० १२५ (नहपान की तिथि) से ई० सं० १८१ तक (रुद्रसिंह की तिथि) भारतीय कालगणना में आमूल परिवर्तन हो गया था। आश्चर्य यह है कि कौशाम्बी के मध्य नरेश के लेख में वर्षा पक्ष ३ दिवस ५ उल्लेख मिलता है। स्यात् तीसरी सदी के बाद उत्तरी भारत में समुचित मास, पक्ष, एवं बार की गणना आरम्भ हुई हो। दक्षिण में ऋटु पक्ष से ही गणना होती थी। चौथी सदी के इच्छाकु नरेश विरुपाक्षदत्त के नागार्जुनी कोण्डा लेख में प्राचीन दंग के ऋटु तथा पक्ष का प्रयोग मिलता है (स ६ वा दि १० यानी सम्वत् ६ वर्षा पक्ष ६ दिवसे १०)। पल्लव राजा शिवस्कन्ध वर्मन के अभिलेख में इसी प्रकार ऋटु पक्ष के सहारे गणना की गई है। विदर्भ के वाकाटक लेख भी इसी श्रेणी में रखे जाते हैं। कालान्तर में उत्तरी भारत के शासक भारतीय मास का नाम, पक्ष नाम, तिथिनाम, नक्षत्रनाम का प्रयोग करने लग गए। यहा यह कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि उत्तर पश्चिम के लेखों में यूनानी मास के भी नाम सम्मिलित कर लिए गए थे। कनिष्ठ के कुर्म लेख (वर्ष २१) में अवदुनस तथा पटिक के तक्षशिला तात्रपत्र में पनेस के नाम उल्लिखित है।

गुप्त युग में भी मास पक्ष और तिथि का नामोल्लेख मिलता है। शुल्कपक्षे पंचम्या (मध्युरा का स्तम्भ लेज) आपाढ़ मास शुल्केकादश्याम् (उदयगिरि का लेख), सहस्र मास (पौष) शुक्लस्य प्रशस्ते हि त्रयोदशे (मदसोर का लेख) फाल्गुण मासे (इन्द्रोर का तात्रपत्र) वैशाख

मास सप्तम्या मने इष्यामगते (बृद्धगुप्त का मरनाथ बुद्ध प्रतिमा लेख) आदि रूप में मास का उल्लेख किया गया है।

गुप्त सम्राटों के समकालीन परिद्वाजक जामक सशोभ के लोह ताम्रपत्र में—“सम्बत्सरे चैत्र मास शुक्ल पक्षे त्रयोदश्या” का उल्लेख है। नेपाल के चाहुनारायण के स्तम्भ लेख में ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्षे प्रतिपदि वाचक का उल्लेख यह बतलाता है कि चौथी सदी से प्राय नियमित रूप से मास पक्ष, व तिथि का नाम अकित होने लगा। उत्तर-गुप्त युग में भी सम्बत् से सम्बन्धित लेखों में मास, पक्ष व वार का उल्लेख है—कातिक वदी १ (वामवेदा प्रशस्ति) चैत्र वदी ५ (घरमेन का वलभी लेख) तथा मार्ग शीर्ष पंचमी (अपराजित की उदयपुर लेख) आदि। पूर्व मध्ययुग से प्रतिहार अभिलेखों में उचित रीति से—मास तथा तिथि उल्लिखित हैं। गहड़-बाल लेख (माघ मुदी १-कमोला दाननद) तथा परमार अभिलेख (आषाढ़ बदि २—जयसिंह की उदयपुर प्रशास्ति) मास तथा वार की चर्चा करते हैं। पाल तथा सेन लेखों में इस प्रकार का मास तथा वार का उल्लेख नहीं है। स्यात् उनमें विशिष्ट सम्बत् का प्रयोग न होने से विभिन्न राति अपनायी गई जो गुप्त कालान लेखों में प्रयुक्त थीं।

यह पुनरावृति होगी कि ईमबी सन् के पहलान् अधिकार लेखों में उल्लिखित वर्षों कि किसी न किसा सम्बत् से (गणना) से मस्त्रनियत है। अत्यन्त प्राचीन युग में किसी प्रकार की गणना आरम्भ हुई या नहीं, इस सम्बन्ध में यथार्थ कहना कठिन है। परन्तु जैन ग्रंथों में महावीर-निवारण सम्बत् के नाम से एक गणना का विवरण पाया जाता है।

इवेताग्नवर लेखक सूरी ने अपनी पुस्तक 'विचार श्रेणो' में लिखा है कि महावीर विवरण सम्बत् में ४७० वर्ष का अन्तर है। यानी महावीर सम्बत् ४७० + ५७ = ५० पू० ५२७ वै वर्ष में प्रारम्भ किया गया होगा। नेमिचन्द्रा-चार्य ने भी इस गणना के सम्बन्ध में लिखा है महावीर निवारण के ६०५ वर्ष बाद शक लोगों को गणना आरम्भ का गई। अतःपूर्व महावीर निवारण सम्बत् ६०५-७८८० = ८०० पू० ५२७ में स्थिर हो जाता है। दिग्भवर जैन लोगों की परम्परा पर विवाद नहीं किया जा सकता वयोंकि उन्होंने महावीर निवारण तथा शक सम्बत् से ४६१, ७०५ या ७९३ वर्ष का अन्तर बतलाया है।

हाथी गुप्तों के लेख में एक वाचक 'गनतरिय सठ वस सते राज मुरिय काले' उल्लिखित है जिसका वहानों ने विभिन्न अथ किया है। स्तन कानों ने उसे 'मौर्यकाल (सम्बत्) के १६५ वै वर्ष के अर्थ में अनुदित किया। उनका मत था कि चन्द्रगुप्त मौर्य ने एक सम्बत् चलाया था जो खारवेल के समय कलिङ्ग में प्रवर्जित था। मूल पाठ को भी कुछ विवादास्पद मानते हैं। 'पान तरीय सत महाहेति, मुखिय कल वाज्जित' को शुद्ध पाठ मानते हैं जिसका वर्ष है कि कई सहस्र मुद्रा व्यय करके स्तम्भ प्रतिष्ठापित किया और प्रजा को मुद्रा कला—गोत्र नृत्य-आदि से प्रसन्न किया। इस सम्बत् के मानने में एक दूसरी कठिनाई है कि इस गणना (१६५ मौर्य काल) गोत्रावेल की तिथि ३२८ - १६५=८० पू० १५६ हो जाती है (जब ८० पू० ३२१ मौर्य काल माना जाय) जहा खारवेल ८० पू० पहली सदी में शासन करता रहा। तीसरे कठिनाई यह है मौर्य सम्बत् के सम्बन्ध में साहित्यिक अथवा लेखों का प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

इसा पूर्व सदी में प्राचीन भारत में एक संबत् को स्थापना हुई जिसके संस्थापक के

विषय मे गहरा विवाद है। साहित्यिक तथा प्रशस्तियों के आधार पर यह कहा जाता है कि
 ई० प० ५७ वर्ष मे एक गणना प्रारम्भ हुई जिसके तीन पृष्ठक-पृष्ठक
विक्रमी सम्बत् नाम मिलते हैं। (१) कृत सबत् (२) मालव सबत् तथा (३)
 विक्रम संबत् या सबत्सर। समस्त प्रमाणों के अध्ययन से यह पता
 चलता है कि तीनों गणना का आरम्भ ई० प० ५७ वर्ष से हुआ। ऐसी परिस्थिति में यह
 विचारणाय विषय ह कि तीनों नाम एक हा गणना (सबत् या काल) के लिए प्रयुक्त मिलते
 हैं अब तीनों एक गणना के विभिन्न नाम हैं। इसे जानने के पश्चात् यह प्रश्न उपर्युक्त हो
 जाता है कि एक गणना की तीन संज्ञा क्यों कर दी गई?

साधारणतया इसका समाधान यो किया जाता है कि मालव के गणमुख्य [विक्रमा-
 दित्य ई० प० मे शासन करते थे जिन्होंने आताधी शक लोगों का परास्त किया और देश मे
 मुख शान्ति का राज्य हो गया। इसे दूसरे शब्दों मे कृतयुग कहने लगे (वैष्व पूर्ण समय)।
 ई० प० ५७ वर्ष मे मालव गण हारा विजय के उपलक्ष मे एक सम्बत् चलाया गया जो कृत (सत्) युग
 को परिस्थिति हो जाने के कारण कृत (सम्बत् के) नाम से पुकारा गया। कालान्तर मे शक
 शासकों ने मिन्यु, मुराद्यु तथा अवन्ति के भू भाग पर अधिकार कर लिया। अवन्ति के उत्तर
 पूरव भूभूग के निवासी मालव गण अपने जाँच तथा प्रांतदा को पुनर्जीवित करने मे दत्त-
 चित्त थे। अभिलेखों से पता चलता है कि इस गणना के साथ मालव नाम जोड़ दिया गया
 और इसी कारण वह सम्बत् मालवा सम्बत् नाम से विद्यात् हुआ।

राजपुताना तथा मध्यभारत के लेखों से निम्न प्रकार के उद्धरण इस कथन को प्रमा-
 णित करते हैं—

कृतयोर्द्धयो वर्षशतयोर्द्धयः । (नदसा यूपलेख)

कृते हि २०० + ८० + ४

कृते हि २०० + ९० + ५ काल्युन शुक्लस्य ५ (वडवा यूप लेख)

कृते हि ३०६ + ३० + ५ (वर्णला प्रशस्ति)

कृतेषु चतुर्पुर्व वर्षशतेष्वप्टा विशेषु

श्री मालव गणामनाते प्रशस्ते कृत सजितं (मदसोर लेख नरवर्मन-वर्ष ४६१)

इसमे कृत तथा मालव नाम एक ही स्थान पर उल्लिखित है।

इन सब उद्धरणों से स्पष्ट हा जाता है कि मालव गण के नाम की गणना पृष्ठक कृत नाम से
 प्रसिद्ध थी। इस आधार पर यह भी जात होता है कि छठी सदी से पूर्व के लेखों मे कृत सज्जा
 स ही विक्रम सम्बत् प्रसिद्ध था।

छठी गदी के कई लेखों मे मालव सम्बत् वा उल्लेख पाया जाता है। पथम कुमार गुप्त
 के मदसार लेख मे मालव गणना (सम्बत्) मे तिथि ४९३ मिलती है—

मालवाना गणमित्यायाते शत चुएये

विनवत्यिकेऽदानाग्रितौ सेव्यवनस्तने ।

मालवा के राजा यशोधर्मन के मदसोर वाली प्रशस्ति मे उसी सम्बत् का उल्लेख निम्न शब्दों
 मे पाया जाता है—

पञ्चमुशतेषु शरदा यातेष्वेकान्ननवति सहितेषु
मालवगण-स्थिति बशात्काल—ज्ञानाय लिखितेषु

(मालवगण के स्वापना के बाद ५८९ वर्ष में) एक तोसरे लेख में
संबत् शतै यातै सपञ्च—
नवत्यर्गलैः सप्तभिमलिवेजा ॥

(मालव मूरुष के ७१५ वें वर्ष में) का उल्लेख मिलता है। इसकी सदी तक के भ्यारम्पुर (मालवा) के लेख में—“मालव कालाच्छरदीषट्” मालव शब्द ही व्यवहृत होता रहा।

मालव (कृत) सम्बत् का प्रयोग उच्चर पश्चिम भारत के लेखों में आरम्भ हुआ। इसके पश्चात् मालवा में प्रचलित रहा। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम ईशान वर्मा की हरहा प्रशस्ति में मालव सम्बत् का प्रयोग दीख पड़ता है। सम्भवत् बड़वा यूप लेख में उल्लिखित शौखरि लोगों ने मध्यप्रदेश में आकर हस मम्बत् का प्रयोग किया। हरहा के शौखरि तथा राजपूताना (बड़वा) की शाखा द्वारा उत्तरी भारत में सम्बत् का प्रयोग आरम्भ हुआ।

नवी शताब्दी के पश्चात् लेखों में “विक्रम नूप कालातीत सम्बत्सर” “श्री विक्रम-दित्योर्णादित सम्बत्सर” या “श्री विक्रमादित्य काले,” “विक्रमाल्यस्य वैशाखस्य,” “विक्रम-काले गते तु शुभिमासे” या “विक्रम सवत्सर” के वाक्य मिलते हैं। इसलिए यह प्रकट होता है कि उस काल (सम्बत्) का तीमरा नाम विक्रम सम्बत् पड़ा। तान्त्र्य यह है कि तीमो नाम एक सम्बत् के लिए प्रयुक्त होते रहे।

पाल (भागलपुर ताम्रपत्र) प्रतिहार परमार, चेदि तथा चहमान लेखों में केवल सम्बत् शब्द का प्रयोग मिलता है।

अब यह कहा जा सका है कि वैभवपूर्ण काल के (कृतयुग) कारण गणना का कृत नाम पड़ा हो जो आगे चलकर मालव गण के नाम से सम्बन्धित कर दिया गया। इसकी चौथी सदी में गुप्त सम्राट् द्वितीय चन्द्रगुप्त (जिसको पदबी विक्रमादित्य की थी) ने मालवा तथा काठियावाड के शक धर्म शासकों को परास्त किया और वह भाग पश्चिम को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। ऐसे शक लोगों को परास्त कर ही यह गणना (सम्बत्) पारम्पर हई। पुन उन्हीं शकों को गुप्त सम्राट् विक्रमादित्य ने पराजित किया। सम्भवत् इस विजय के स्मारक में प्राचीन सम्बत् का नाम बदल कर विक्रम-सम्बत् कर दिया गया। यकारि चन्द्रगुप्त के विजय का उल्लेख भिन्नसा के समीप उदयगिरि की गुहा लेन में पाया जाता है (कृत्वा पृथी जयात्येन राजेवेह सहागत) कि राजा के साथ सेनापति वीरसेन भी मालवा में आया था। यही नहीं शक विजय के कारण ही द्वितीय चन्द्रगुप्त ने सर्वप्रथम चादी का सिक्का (अर्द्धदण) चलाया जो सर्वथा क्षत्रप सिक्कों का अनुकरण था। अतएव इसमें सदैह नहीं कि शकों का अतिम पराजय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के हाथों हुआ था। इस कारण सम्बत् के साथ विक्रम का नाम जोड़ना स्वाभाविक था। ‘मालव सम्बत्’ विक्रम सम्बत् के नाम में पुकारा जाने लगा जिसका उल्लेख प्रशस्तियों में पाया जाता है। मालव, आर्जुनायन तथा योवेयगण राज्यों को चन्द्रगुप्त के पिता समुद्रगुप्त ने ही नष्ट कर दिया था (प्रयाग का स्तम्भ लेख) विक्रमादित्य द्वारा शकों के पराजय होने

पर भी मालवा की जनता मालव सम्बत् का प्रयोग करती रही। यही कारण है कि कुमारगुप्त को भी मदसोर वाले लेले में मालवा सम्बत् का प्रयोग करना पड़ा जब कि उसके अन्य सभी लेले गुप्त सम्बत् में तिथिप्रकल्प है। यशोधर्मन का मंदसोर लेल (मा० स० ५८९ = ई० स० ६४६) की तिथि मालव सम्बत् में दी गई है। तो यों में एवी सदी के पश्चात् विक्रम सम्बत् के प्रयोग का एक यह भी सम्भावित कारण है कि उस नदी के बाद जनता में गणराज्य की कल्पना सदा के लिए लुप्त हो गई। राज्यतत्र का बोलबाला हो जाने से लोगों ने भारतीय संस्कृति के रक्षक विक्रमादित्य को आदर्श समाट् मान कर विक्रम वदवी को प्राचीन सम्बत् के साथ जोड़ दिया। किन्तु जोधी सदी में मालवा के विजित हो जाने पर भी सम्बत् के साथ विक्रम नाम १२ी सदी के बाद ही पाया जाता है। उत्तरी भारत में गुर्जर पतिहार शासकों के द्वारा वि० स० की लोकप्रियता बढ़ी। पतिहार पटेश में मर्वप्रथम वि० स० ८९८ का उल्लेख मिथिला के विद्वान् बाचस्पति मिथि ने 'न्याय मृति' में किया है।

विक्रम सम्बत् के आदि संस्थापक का प्रश्न आज भी विवादास्पद है। मार्गिक या कथन या कि शक राजा अय्यन ने ई० प० ५७ में यह गणना आरम्भ की। गोपाल स्वामी ऐश्वर चष्टन को इसका संस्थापक मानते हैं। डा० लालमचालन ना॒ मत वा॒ संस्थापक कि आद्रे नरेश गोतमो गुरु शातकरि ने शका को परावर्तित कर इसे आरम्भ किया था। डा० अलंकर आदि कृत नाम को व्यक्तिगत नाम मानते हैं। कृत नामचारी राजा अववा नेनापति के ताण इस सम्बत् की स्वाप्ना की गई होगी, इसीलिए उस गणना का नाम कृत सम्बत् रखला गया। इन सब विभिन्न मतों का मूल कारण यह है कि ई० प० ५७ वर्ष में मालवा के शासक विक्रम नामक राजा की स्थिति सिद्ध न हो सकी है। विक्रम नाम में किसी ऐतिहासिक पूरण के सम्बन्ध में स्पष्ट जान नहीं है। इनमें विवेचन के पश्चात् भी विक्रम सम्बत् के विषय पर अभी तक पर्याप्त प्रकाश नहीं पड़ मिया है।

विक्रम सम्बत् किस समय आरम्भ किया गया इन विषय में अभिलेखों तथा साहित्यिक उल्लेखों द्वारा प्रकाश पड़ता है। मैथुनगाचार्य की पाठावली में महावीर निर्वाण के ४३० वर्ष बाद विक्रम सम्बत् का आरम्भ दत्तलाया गया है (निर्णय ई० प० ५२६-४३० यानी ई० प० ५७ वर्ष) कालिकाचार्य कथानक (तेरं हवी सदी) में ई० प० ५७ वर्ष में विक्रम द्वारा यक पराजय की बात उल्लिखित है। विक्रम काल के १३१ वर्ष में शक-सम्बत् आरम्भ हुआ, यानी १३५-३८ ई० = ई० प० ५७ में विक्रम सम्बत् आरम्भ जाता है। गुप्त समाट् कुमारगुप्त के मदसोर लेल में ४९३ मालवा सम्बत् की तिथि दी गई है। उसके करमदण्ड लेख की तिथि ११७ गु० स० है यानी वह ११७ + ३२० = ई० या० ४३७ में शामक था। अनाव ई० स० ४३६ तथा मालव सम्बत् ४९३ एक ही वर्ष होगा (ई० स० ४३६ = मालव सम्बत् ४९३) इसके अनु-

* कहल औं कृत नाम से शापित द्वारा मालव दाढ़ से भा प्रवतित द्वा, जहा शाकार्थ विक्रम सम्बत् है। कृत शब्द कानिक नामी हा गकता है जो नाम (रणनीति) नदी गृहिणी में सम्बन्धित है। आरम्भ से कृतका गणना का गायत्रम होने के कारण समाट् कृत नाम से प्रसिद्ध गुप्त।

सार मालव सम्बत् ४९३—४३७ = ५७ ई० पूर्व में आरम्भ माना जा सकता है। दोनों आधार पर विक्रम सम्बत् का आरम्भ ई० पू० ५७ में सिद्ध होता है। उत्तरी भारत में यह सम्बत् चैत्र शुक्ल से तथा दद्धिण भारत में कार्तिक शुक्ल १ से प्रारम्भ मानते हैं। बगाल को छोड़कर समस्त भारत में आज भी विक्रम काल (सम्बत्सर) प्रयुक्त होता है। बंगाल के सम्बत् को फसली कहते हैं जो हिन्दी का ही एक सुसङ्घृत रूप है।

इस विषय का उल्लेख किया गया है कि कुपाण वशी लेखों, पश्चिमी भारत के क्षत्रप प्रशस्तियों तथा सिवको पर एक ही सम्बत् का प्रयोग मिलता है तथा उसी के सहारे आध्र लेखों की भी तिथिया (राज्य वर्षांक में) क्षत्रप समकालीनता के आधार शक सम्बत् पर निश्चित हो जाती है। यह भारतीय गणना नहीं थी, क्योंकि शक लोगों द्वारा मालवगण को परास्त कर मालव-सम्बत् का प्रयोग असंगत था, इस कारण यह मानना उनित होगा कि शक नरेशों ने पृथक् सम्बत् की स्थापना की। उम शक सम्बत् की स्थापना कब और किसके हाथों हुई? जैन ग्रथ प्रभावक 'चरित' में कालिकाचार्य कथा नक उल्लिखित है कि शक लोगों ने अपना सम्बत् चलाया था। शक लोगों ने विक्रम के उत्तराधिकारी को विक्रमादित्य के १३५ वर्ष में मार डाला। साहित्य में उसी काल से शक गणना का अरम्भ मानते हैं। विक्रमादित्य द्वारा संस्थापित काल ई० पू० ५७ में १३५ जोड़ने से शक-काल ई० स० ७८ में स्थापित सिद्ध हो जाता है (ई० पू० ५७ - १३५ = ई० स० ७८)। कुछ विद्वानों का मत है कि रुद्रादामन (ई० स० १५०) के पिनामन चलन शक वश का प्रथम महाक्षण हुआ और सम्बत् उसी ने इस गणना को आरम्भ किया। परन्तु इसका कोई सबल प्रमाण नहीं है। अधिकतर यह विचार यथार्थ ज्ञात होता है कि कनिष्ठ के इस सम्बत् की आरम्भ किया था जो कालान्तर में 'शक काल' से प्रसिद्ध हुआ। शक सम्बत् से सम्बन्धित लेखों में निम्न प्रकार का उल्लेख पाया जाता है—

- (१) शक नृपति राज्यमिषेक सवत्सर (ई० ए० भा० ९ पू० ५८)
- (२) शक नृपति सवत्सर (वही भा० ६ पू० ७३)
- (३) शक नृप सवत्सर (वही १२ पू० १६)
- (४) शक सम्बत् (ए० ई० भा० १ पू० १६)
- (५) शक या शाके (वही पू० ३४३)
- (६) शक नृप काल (ए० ई० भा० ३ पू० १०९)

इस आधार पर कहना न्याय सगत होगा कि पाववी सदी से बारहवी सदी तक के लेख शक-काल (सम्बत्) का उल्लेख करते हैं। पश्चिमी भारत में अहरान शक नहपान के लेख में शक काल प्रयुक्त मिलता है। क्षत्रियों के सिवको पर भी तिथि इसी सम्बत् में सम्बन्धित है। उस तिथि का आरम्भ जीवनदामन के सिवको से होता है। १००, १०२, ११९ आदि अंक मिलते हैं। रुद्रादामन के जूनागढ़ लेख में ७२ की तिथि मिलती है जो ई० स० १५० (७२ + ७८) मानी जाती है। यह तो सही है कि शक क्षत्रप आरम्भ में सामत रहे अत अपने सम्राट् कुपाण के काल का प्रयोग करने लगे। उनके द्वारा अधिक प्रयोग होने के यह गणना शक काल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह सही है कि कुपाण राजा कनिष्ठ (ई० स० ७८ में) के बड़ी

पर बैठने के कारण उस गणना का आरम्भ हुआ हो जो आज तक शक-काल के नाम से प्रसिद्ध है। इस सम्बन्ध के स्थापक के विषय में बड़ा ही मतभेद है। ल्फीट तथा केनेडी कनिष्ठ को इसका संरक्षायक नहीं मानते। उनके कथनानुसार उसने विक्रम सम्बत् को स्थापना की थी। फरगुसन, आलंडन वर्म, बनैर्जी तथा राय चौधरी का मत है कि कनिष्ठ ने ही सन् ७८ में शक सम्बन्ध को आरम्भ किया था। कुपाण वंश के लेखों में ३-३३ वें वर्ष की तिथि अंकित है जो सम्बन्ध में दो गई है। इस आवार पर कनिष्ठ ई^0 स० ७८ में ई^0 स० १०९, विश्विष्ट ई^0 स० १०२-६ तक, हुविष्ट ई^0 स० १०६-३८ तक तथा वासुदेव ई^0 स० की दूसरी शती का शामक प्रकट होता है। कुपाण साम्राज्य के अवनति पश्चात् भी शक सम्बन्ध का प्रयोग उत्तरी भारत में मिलता है। कौशाम्बी के मग राजाओं ने अपने लेखों में 'शक-सम्बन्ध' का प्रयोग किया था। कौशाम्बी नरेजों के लेख में ८७, ८८ तथा ८९ तिथियाँ ($= १६५, १६६, १६७ \text{ ई}^0$) को सम अभिलेख में १०७, १३०, १३७ शक-काल ($= १८५, २०८$ तथा २१५ ई^0) का उल्लेख मिलता है। कौशाम्बी के समीप गिजा में वर्णन आता है कि शक काल $५२ = १३०$ ई^0 में भीमसेन यासन करता था। कौशाम्बी से दूर रीवा के वदोगढ़ लेख में पोष्टसिरि नामक राजा के लेख में जड़-काल सम्बन्धी तिथि अंकित है। (१० ई^0 भा० २४ प० १४६) झासी (प्रयोग के समीप) तथा वैजनाथ (कागडा) लेखों में शक सम्बन्ध का प्रयोग हुआ है। कैलवात् नेप (१० ई^0 भा० ३१ प० २२९) को तिथि १०८ है जो भी शक सम्बन्ध सन् ७८ में गम्भीरन है। पूर्वी मालवा का अभिलेख वाशिष्ठ के २८ वें वर्ष में उत्कीर्ण हुआ तिथिका तिथि शक-सम्बन्ध में मानने में ही निश्चित दाल जात होता है। डा० मजूमदार का कथन (शक-सम्बन्ध ई^0 स० २८४ में आरम्भ हुआ था) मानने से चौथी सदी तक गालवा में कुपाण यासन का स्थिति प्रकट होती है। किन्तु द्वितीय चन्द्रगुप्त ने उस प्रदेश पर गुप्त यासन चौथी सदी के आरम्भ में ही स्थापित किया था जो उसके साची तथा उदयगिरि अभिलेखों के आवार पर मिट्ट हो जाता है। मध्य एजिया के रूसी पुरातत्व सम्बन्धी परों की नियिया (२०७ तथा २३१) भी कनिष्ठ सम्बन्ध सन् ७८ में जुड़ी है। अत यह मिछ्द होता है कि कनिष्ठ ने ई^0 स० ७८ में जड़-सम्बन्ध का स्थापना की। अन्य विवार नहीं होता है। शक युग के इतिहास पर अधिक प्रकाश पढ़ने पर हम हमों निर्णय पर पहुँच रहे हैं। इनके स्थापना के पाच साँवर्षों के बाद ही लेखों में 'शक-नृ०-काल' या 'शकावद' का उल्लेख मिलता है जो यह मिछ्द करता है कि शक द्वारा काल स्थापना की परमरा लोगों को जात थी। चालूवय नरेश द्वितीय पुलकेश के अध्योल लेख में भी इस प्रकार की रचना मिलती है।

पञ्चाशत्सु कली काल पट्सु पञ्चशतासु च
समानु समतीतासु शकानामपि भूमुखाम्

दधिण तथा पश्चिमी भारत में शक तथा कुपाण में भ्रम हो गया। मध्ययुग में शक काल से विदेशा भावना जाती रही। उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिषा एवं गणितज्ञ वराह मिहिर ने शक काल का प्रयोग ग्रन्थों में किया तथा गुजरात के जैन लेखक भी शक सम्बन्ध का प्रयोग करते रहे। इस सम्बन्ध का प्रयोग दक्षिण के कन्नड़ तथा करनाट लोगों ने किया। करनाट क्षत्रिय बगाल में निवास कर सेन वंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। उत्तरी विहार, के लिच्छवी

एवं नेपाल मे शक काल का प्रयोग मिलता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा कौशाम्बी का वर्णन किया जा चुका है। दक्षिण के प्रसिद्ध राजा सालिवाहन (सातवाहन) का नाम कालान्तर मे जाड दिया गया। इस कारण दक्षिण के यादव नरेश कुष के ताम्रपत्र मे ११७२ शक काल तथा उदभट्ट काच्छ मे सालिवाहन शक ११४४ का प्रयोग मिलता है। अतएव यह स्पष्ट है कि दक्षिण भारत के शक काल को (श० का० ५५६), (ए० इ० भा० ६३० १) शालिवाहन-शक की संज्ञा दी गई है। चौदहवी सदी के लेखो मे शालिवाहन शक-काल का उल्लेख है जो सम्भवत् दक्षिण मे शक सबत्सर (वर्ष) का दोतक था। दक्षिण की राजनीतिक परम्परा मे शालिवाहन (सातवाहन) नरेश प्रसिद्ध थे अतएव उस सबत्सर के साथ शालिवाहन नाम जोड़ देना उचित ही था। सारे भारत मे इस शक-काल की गणना का समान प्रयोग होता रहा है। यही कारण है कि हमारी सरकार ने शक-सम्बन्ध का राष्ट्रीय-सम्बन्ध मान लिया है।

गुप्त सम्बन्ध

नागरीय ऐतिहासिक ग्रन्थेण मे विद्वानो को अमुक राजा वा राजवश के काल निर्णय म अत्यन्त परिचितों का सामना करना पड़ा था। पूर्वकाल मे भारत के विभिन्न-प्रांतों मे अनेक सम्बन्ध प्रवर्तित हुए थे, जिन्हे निश्चित समयो पर पृथक्-पृथक् राजाओं ने स्थापित किया था। इन सम्बन्धों के आधार पर भारत का निधि-क्रम युक्त श्रृंखला-दण्ड इतिहास लिगाने ग बड़ी सहायता मिली है। गुप्त लेखो मे 'गुप्त काल' और गुप्त वश की राज्य-प्रश्नण का स्पष्ट उल्लेख है जिससे काल निर्णय मे सरलता हो जाती है। यह सबन् (गम-संबन्ध) किस राजा न आरम्भ किया इस विषय मे लिखित प्रमाण अलम्भ है।

पाय नमस्तु गुप्त लेखो मे एक प्रकार की तिथि का उल्लेख मिलता है जिस से उस सम्राट् की शासन अवधि स्थिर की जाती है। सब तिथियों के अनुशीलन से यह प्रकट होता है कि निति का क्रम शनै शनै एक शामक से उसके उत्तराधिकारी के लेख मे बढ़ता जाता है। गुप्त सम्राट् द्वितीय चन्द्रगुप्त के लेखो मे ८२ या ९३ आदि तिथिया लिखित हैं तो उसके पृथक् प्रथम कुमारगुप्त से प्रशस्तियो मे ९६, ९८, ११७, १२९ आदि तिथियाँ मिलती हैं^१। इन अंकों से यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि द्वितीय चन्द्रगुप्त ने ९३ वर्षे तक शासन किया तथा प्रथम कुमारगुप्त १२९ वर्षे तक राज्य करता रहा। यदि इन अंकों पर विचार किया जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि गुप्त सम्राट् किसी अमुक समय से काल गणना करते थे। ये अंक यही मूल्चित करते हैं कि गुप्त नरेश ९३ वे वर्ष तथा १२९ वे वर्ष म शासन छठत रहे।

एनियत लेखो तथा यारहवी शताब्दी के मुसलमान इतिहासज्ञ अलबेर्ना के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्तों के नाम से किसी समय की गणना होती था, किसे 'गुप्त-काल' या 'गुप्त-संवत्' कहते हैं। इस वश के लेखो को समस्त तिथिया इसी गुप्त सबन् मे दी गई है। गुप्त सम्राट् स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ लेख म स्पष्ट रीति से उल्लेख है कि इस प्रशस्ति की तिथि 'गुप्त-काल' (गुप्त-संवत्) मे दी गई है।

^१ श्री चन्द्रगुप्तस्य विचय राज्य सम्बन्धसरे (का० इ० इ० भा० ३ न० ५७)

^२ 'श्री कुमारगुप्तस्य अभिगर्घमान विजयराज्ये सबत्सरे पृष्ठावते' नहीं न० ८, १०, ११

सवत्सराणामविके शते तु विशद्विरन्धैरपि पद्भिरेव ।
रात्रो दिने प्रोष्ठापदस्य पठ्ठे गुप्तप्रकाले गणना विद्यायै ॥

गुप्त नरेश द्वितीय कुमारगृह तथा बुधगुप्त के सारनाथ वाले लेख में भी गुप्त-संवत् का नामोल्लेख मिलता है^३ ।

'वर्षं शते गुप्ताना सवतु पचाशदुत्तरे भूमि ।
शासति कुमारगुप्ते मासे ज्येष्ठे द्वितीयायाम्'
'गुप्ताना समितिकान्ते सप्तपचाशदुत्तरे ।
शते समाना पृथिवी बुधगुप्ते प्रशासति' ॥

बगाल के गोट नरेश वशाके के गजाम लेख में "गोपांद्रे वर्षं शतश्ये" की तिथि उल्लिखित है । (ए० इ० भा० ६ प० १४३)

ईसा की दसवीं शताब्दी के मोरवि ताम्रपत्र में भी तिथि का उल्लेख गुप्त सवत् में पाया जाता है । उस ताम्रपत्र में 'गीमे' शब्द से शाष्ट प्रकट होता कि गुप्त लोगों की भी कुछ काल-गणना थी^४ ।

'पञ्चाशीत्या युतेत्वाते समानां शतपञ्चके
गौते ददायतो नृप सोपरागेकमष्टड्ले' ॥

गुप्त सम्राटों के सामत परिक्रान्तक महाराजाओं के लेखों में तिथि का उल्लेख 'गुप्तनृपरा-ज्येष्ठो' के नाथ मिलता है^५ । अत यह निर्विवाद है कि गुप्त सवत् को अवश्य स्थापना हुई जिस समय से गुप्तों की काल गणना प्रारम्भ हुई ।

ग्यारहवीं शताब्दी में महसूद गजनवी के समकालीन डर्निहास अलबेरुनी भारत आया । उसने भारत के अनेक विषयों का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है । भारतीय सत्रांतों की वार्ता को उसने अद्यूता नहीं छोड़ा, परन्तु अक्षरशा उसक वर्णन को सत्य अलबेरुनी का कथन नहीं माना जा सकता । अलबेरुनी ने गुप्त-सवत् के बारे में भिन्न विवरण दिया है—'लोग कहते हैं कि गुप्त शक्तियालों तथा क्रूर नरेश थे । जब उस वय की समाप्ति हुई उसी समय से इस सवत् की गणना होने लगी । यह भी जात होता है कि वलभ प्रतापी राजा था वयोःकि वलभी रावत् के समान गुप्त काल की गणना शक काल के २४१ वर्ष ($6^3 + 5^2 = 216 + 25 = 241$) वाद प्रारम्भ होती है'' ।

^{१.} गु० ल० न० ८० १४ ।

^{२.} भा० स० ८० १० १९१५ ३६ ।

^{३.} गु० ल० मूर्मिका ७७ । इस नामपत्र के गोले को समता फलीट किना आम से यत्नाते हैं, परन्तु यह निर्विवाद है कि इसका सम्बन्ध गुप्त लोगों से है । (क्लोनेटेड बक्स आफ र मण्डरकर भा० ६ प० ३१३—४) ।

^{४.} गु० ल० न० २३, २५ आदि ।

^{५.} As regards the Gupta Kala, people say that the Guptas were

अब विचारणीय प्रश्न यह है कि जिस गुप्तकाल या गुप्त-संवत् का उल्लेख किया गया है, वह किस समय चलाया गया तथा इसके प्रतिष्ठाता कौन थे?

इस संवत् के समय निर्धारित करने में अलबेस्ट्री में बहुत सहायता मिलती है। अनेक संवतों की समानता दिखलाते हुए अलबेस्ट्री से (१) १०८८ विक्रम संवत् (२) १५३ शक संवत् (काल) नथा (३) वर्ष काल = गुप्त काल का उल्लेख किया है, जिससे कथन की पुष्टि होती है कि गु० म० शक काल से २४१ वर्ष बाद प्रारम्भ हुआ था। अलबेस्ट्री के इन संवतों का तिथि गणना वैज्ञानिक रीति से सही है, परन्तु उसके समस्त वर्णन जनश्रुति के आधार पर लिखे गये हैं। उसके कथन से ज्ञात होता है कि गुप्त-संवत् उस वश के नष्ट होने पर प्रारम्भ हुआ। वलभ, जो वलभी नगर (सौगढ़ में स्थित) का शासक था, उस वश का अतिम नरेश था। वलभी संवत् उसी के नाम से प्रारम्भ हुआ। अलबेस्ट्री का समस्त विवरण जनश्रुति के कारण अविश्वसनीय है। उसकी अप्रामाणिकता के लिए अन्य प्रमाण भी दिये जा सकते हैं। अलबेस्ट्री लिखता है कि शक काल विक्रमादित्य द्वारा शक वराजय के समय न प्रारम्भ हुआ^१, परन्तु वालुवत्-प्रगस्तिकार रविकोर्ति ने शक संवत् का आरम्भ उक गजा के नीतायनाम्बद्ध होने के समय में बताया है^२, जो बस्तुत ठीक सिद्धात है। इसी प्रकार गुप्तों के विषय में भा नम ईतिहासज ने असत्य बाने लिख दी। यदि वलभी लेखों पर ध्यान दिया जाय तो अलबेस्ट्री द्वारा कथन सर्वथा अचाहा हो जाता है।

वलभी ये मैत्रीों के संवादपनि भट्टारक न स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया था। उसके तीसरे पुत्र प्रथम प्रभुसेन के एक क्षेत्र में २०६ तिथि वा उल्लेख मिलता है^३। यदि वलभी राज्य स्थापन के अवश्यक पर वलभा संवत् का आरम्भ हुआ हो तो यह कहना असम्भव है कि वलभी वश के सम्मानक (भट्टारक) के २०६ वर्ष पश्चात् उनका पुत्र प्रथम ध्रुवसेन शासक हुआ। अतएव इस नियम वा वलभी संवत् में कुछ भी सम्बन्ध प्रकट नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में वलभी गजय में किसी अन्य संवत् का पाचार मानना आवश्यक है जिसमें उम वश की तिथिया मिलती है। नीतायासिक पाण्डितों ने वलभी उन्होंकी तिथियों को गुप्त-संवत् से मन्दद किया है। इस विवाद का परिणाम यही जात हाना है कि गुप्तों के अवोनस्य मैत्रीको ने (स्वतन्त्र होने के समय से) वलभी में अनिलित गुप्त-संवत् का वलभी संवत् का नाम दे दिया। अत यह कहना युक्ति समय होगा कि वलभी संवत् नामक कोई स्वतन्त्र गणना नहीं थी, परन्तु गुप्त संवत् का दूसरा नाम है। इस आधार पर अलबेस्ट्री का वर्णन अचाहा है, किन्तु तिथि उल्लेख प्रमा-

wicked and powerful people. When they ceased to exist this date was used as the epoch of an Era. It seems that Valabha was the last of them, because the era of the Gupta, falls, like that of the Valabha era, 241 years later than the Saka Kali.

—अलबेस्ट्री इतिया, मा० २ ग० ६।

^१ आलबेस्ट्री दृष्टिया, मा० २ ग० ६।

^२ पद्मावतीस्तु कठी काले वस्तु वज्रसत्त्वासु च।

समाप्त समतीतासु शकानगर्मपि मूर्खजाम् —अवहोल का लेख शक मंवत् ५५६—द० मा० ६ ग० ?।

३ इ० हिं० वत्ता० मा० ४ ग० ४६०।

ण्युक्त है। उसके कथनानुसार गुप्त संवत् भी शक काल से २४१ वर्ष बाद प्रारम्भ हुआ जो अन्य प्रमाणों से भी सिद्ध होता है। कुछ जैन ग्रथों से भी इसको पुष्टि होती है कि गुप्त-संवत् शक काल से २४१ वर्ष पश्चात् आरम्भ हुआ था।

आठवीं शताब्दी के प्रथम लेखक जीनसेन ने वर्णन किया है कि भगवान् महावीर के निवारण के ६०५ वर्ष ५ माह पश्चात् शक राजा का जन्म हुआ तथा जैन ग्रथों के आधारपर शक के अनन्तर और गुप्तों के २४१ वर्ष ज्ञासन के बाद कलिकराज गुप्त स० तथाश० का० का जन्म हुआ^१। हिनोय ग्रथकार गुणभद्र ने उत्तर पुराण में (८९८ का अन्तर (२४१) ई०) लिखा है कि महावीर निवारण के १००० वर्ष बाद कलिकराज पैदा हुआ^२। जीनसेन तथा गुण भद्र के कथन का समर्थन तीसरे जैन लेखक नेमिचन्द्र करते हैं^३।

नेमिचन्द्र प्रिलोकसार में लिखते हैं कि शकराज महावीर निवारण के ६०५ वर्ष ५ माह के बाद तथा शककाल के ३९४ वर्ष ७ माह के पश्चात् कलिकराज पैदा हुआ^४।

इनके योग से—वर्ष	माह
६०५	५
३९४	७
<hr/> १०००	००

वर्ष होते हैं। इन तीनों जैन ग्रथाकारों के कथनानुसार शक काल तथा कलिकराज का जन्म निश्चित हो जाता है। इस शक काल की तिथि को विक्रम सम्वत् में परिवर्तन करने से शक,

१. गुप्ताना च शब्ददेवम्

एक निश्चल वर्षीय काला नदिनीराहितम् ।

द्वितीयारिश्चैवत तत्करात्यरात्यरात्यत ।

तृतीयारिश्चत्प्राप्त राजा रथादिन्द्रपुसस्थित ।

वर्षीय पट्टश्चोत्त्वं व्यक्त्वा पश्चात्या मासपञ्चकम् ।

मुक्त्वा गते महावीर शकरा॒ तत्प्राप्तता॑ ।—गीतारेन्द्रत्वं हर्षराम ग्रन्थाः ८०

२. ई० ५० मा० ५५ य० ५५३ ।

३. नामचन्द्र की तीथ दशाना॒ शतान्ना॑ ऊपरान मी नामा जाती है। एक लेख से नेमिचन्द्र चामुण्डराय का रागकान शात जाती है—

विळाकामा॒ यमुख्यवन्धान् ।

(विरङ्य नवान्) गुग्म नेमिचन्द्र

विमान॒ संश्चान्तस्मां भास ।

चामुण्डराय॒ नेपाल पश्च ॥ (नामा लेख २१ का० मा० ८)

वह (चामुण्डराय), यमा॒ नामा रासमल्ल नमुने का० २० स० ९५७ का॒ होरेमन नामा या॒ जी॒ श्रवण बल्लोला॒ की प्रशास्ति से पता चलता है। (राइस—पेल्लोला॒ का॒ लेप भूमका॒ पृ० ४८) इस आमा॒ पर नेमिचन्द्र की तिथि निश्चित की गई है।

४. पण छमा॒ वस पणमास ज्युद्द गधयि वोरणि गुहदो॒ सगराबो॑ सो॒ कलिकच्छुण वित्य महिय सगमासे॒ (त्रिलोकसार ५० ३२)

विक्रम तथा ३० स० मे समकालीनता बताई जा सकती है जिसके कारण गुप्त काल को निविचत करने मे सरलना हो जाती है। ज्योतिषसार के आधार पर यह ज्ञात

विक्रम तथा शक काल का सम्बन्ध है कि शक काल में १३५ जोड़ने से वह तिथि विक्रम संवत् में परिवर्तित हो जाती है। शक काल के ३१४ वर्ष पश्चात् कल्किराज पैदा हुआ जो ५२९ विक्रम (३९४ + १३५) होता है। गुप्त सम्राट् प्रथम कुमारगुप्त के मदमोर के लेख मे दूसरी तिथि मालव-सवत् ५२९ का उल्लेख है। भंदसोर लेख की पठली तिथि ४२९ विं दूसरी तिथि से ३६ वर्ष पूर्व है। अतएव प्रथम कुमारगुप्त शक ३५८ (४९३-१३५) मे वन्धुवर्मा के साथ जासन करता था।

गुण भद्र के कथनानुमार कल्किराज का शक ३१४ के पश्चात् माघमंवत्सर प्रारम्भ शक तथा गुप्त आनंद का होता है। वराहभिहिंग ने भी कुछ निम्नलिखित व्यतीत शक

सम्बन्ध शक संवत्सरो द्वा वर्णित किया है—

शक	३९४	व्यतीत	माघ	मवत्सर
"	३९५	"	फाल्गुन	"
"	३९६	"	चैत्र	"
"	३९७	"	बैशाख	"

शक ३९७ के बैशाख सवत्सर का उल्लेख परिवाजक महाराज हस्तिन् के खोह लेख १५६ मे मिलता है। इस आधार पर शक तथा गुप्त काल मे निम्नलिखित समता तेयार की जा सकती है—

शक ३९४ = माघ	सवत्सर = गुप्त-मवत	१५३	व्यतीत
३९५ = फाल्गुन	" = " "	१५४	"
३९६ = चैत्र	" = " "	१५५	"
३९७ = बैशाख	" = " "	१५६	"

१. स एवं पञ्चांशुकुभिषुक रयादिकमत्य हृषे वेष्या उत्तरे तीर्त्सकन्नामानि वक्ष्यत् (ज्योतिषसार)

२. सावरणतया यद् सर्वं प्रसिद्ध है कि शक काल में ७८ जोड़ने से ३० स० तथा ३० स० मे ५७ जोड़ने पर विक्रम सन्तु बनता है ३९४ + ७८ + ७७ = ५२९

३. सवाभारद्योपु पञ्चमु विश्वविकेष्य नवमु नामद्योपु वातेवामभरव्य तपस्यमासशुरु दिनीयायाम् (गु० ले० न० १८)।

इस आधार पर मालवा तथा विक्रम न तट मे समानता भवित्वा होता है। (ईमा ५७)।

४ मालवाना गणराज्यत्वा या शब्दवृक्षये।

विवेत्यावेदकेदाना रिती सेव्य वनस्पते।

सहृदयमामशुल्य प्रशलोहित्वयोर्वदेष्य।—(गु० ले० न० १३)।

५ चतुर्मुखाद्य कल्किराजोद्देवित भूत्वे।

उपन्यैह मया सवत्सरेयोगमामगमे।—(उत्तरपुराण ७६।३९६)।

६ फलीट—का० ३० ३० भा० ३ परिविष्ट ३ प० १६१।

७ शतपदाशतोत्तरेष्वे शते गुप्तनृपराज्यमुक्तौ महावैशाखमवत्सरे कार्तिकमासशुल पक्षनृतीयाम्।

गु० ले० २५।

इस समता से यह ज्ञात होता है कि गुप्त-सम्बत् की तिथि में २४१ जोड़ने से शक काल में परिवर्तन हो जाता है। इस विस्तृत विवेचन के कारण अल्पबेहुली के कथन की सार्थकता ज्ञात हो जाती है। यह निश्चित हो गया कि शक काल के २४१ वर्ष पश्चात् गुप्त सम्बत् का आरम्भ हुआ।

गुप्त-सम्बत् तथा शक काल में २४१ वर्ष का अन्तर स्थिर हो जाने पर, यह प्रश्न उपस्थित होता है कि शक-काल के २४१ वें वर्ष या २४१ वर्ष व्यतीत होने पर गुप्त काल (सम्बत्) प्रारम्भ हुआ। पलोट महोदय का मत है कि गुप्त सम्बत् पलीट का मत शक काल के २४१ वें वर्ष में आरम्भ हुआ उनके कथनानुसार दोनों सम्बद्धों में २/३ वर्ष का अन्तर पड़ता है। उदाहरणार्थ उसने दुधगुप्त के एरणस्तम्भलेख^३ की तिथि गुप्त न० १६५ एवं यह काल ४०७ (१६५ + २४२) से समता बतलाई है। यदि वैज्ञानिक रूप से विद्यार्थ किया जाय तो प्राणि की धारणा तथा कथन सर्वव्या निराधार प्रकट होते हैं।

जैनग्रन्थकार नेमिचन्द्र के कथनानुसार यह ज्ञात होता है कि शक नांदे १६४ वर्ष ७ माह व्यतीत होने पर कलिकर्गज वा जन्म हुआ। इतनिए यह मत का खण्डन कहा जा सकता है कि ३०५ वें वर्ष में ७ माह बीतने पर कलिकर्गज का जन्म हुआ। ऊपर तुलनात्मक प्रसंग में दिवलादा गया है कि—

शक	३९४ = माव गवत्सर = ग० स० १५३ व्यतीत
”	३९७ = “ “ १५६ ”

अतएव शक काल नवा ग० स० में २४१ वर्ष का अन्तर ज्ञात होता है, २४२ वर्षी नहीं।

दृग्य ग०	स०	=	शक	२४१
१ “ ”	प्रबलित =	“ ”		२४२

यह उपरियुक्त कथन की पूष्टि लेखों से होती है। गम प्रशस्तियों में भी इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। गम राजा द्वितीय कुमार गुप्त के सारनाथ लेख की तिथि गुप्त न० स० १५४ है, जो शक काल ३९५ व्यतीत (१५८ + २४१ में) परिवर्तन हो सकता है। इसके अनिरिक्त बृह गम के सारनाथ प्रतिमा लेख में स्पष्ट चलेख चिलता है कि गुप्त न० १५७ वर्ष व्यतीत होने पर शासन करता था^४। गम रथन पर पुर्व समता को द्याता है रथने नवा ज्योतिषमार के आधार पर एक नवीन तुलनात्मक वृन्द नेवार दो मरना है। यह निश्च प्रकार है—

३. पलोट ग० लै० सूर्यग्रन्थ २४।

४. का० १० ड० मा० न० १०।

५. वर्ष जाने गुप्ताना सच्च प्राचाशुक्तरे भूमम्। शासनि कुमारो भासे जैते तितीयाम्।

६. गुप्ताना समतिकान्ते सत पचाशुक्तरे।

७. शठे समाना पृथिवीं बुधग्रहे प्रशासत।

मालव-संबन्ध	शक काल	गुप्तसंबन्ध
५२९ व्यतीत	३९४ व्यतीत	१५३
५३० "	३९५ "	१५४
५३१ "	३९६ "	१५५
५३२ "	३९७ "	१५६
५३३ "	३९८ "	१५७ व्यतीत ^१

इस तुलना में यही परिणाम निकलता है कि शक काल तथा गुप्त संबन्ध में २४१ का ही अन्तर है। इन प्रमाणों के आधार पर यह प्रकट होता है कि व्यतीत गुप्तवर्ष संबन्ध में २४१ जो दृष्टि से व्यतीत शक काल तथा प्रचलित गुप्त संबन्ध से २४१ से प्रचलित शक काल में परिवर्तन होता है^२। अलवेहनी ने दोनों संवर्तों का अन्तर बतलाते हुए विक्रम, शक काल तथा वलभी गुप्त संबन्ध में तीन तिथियों का उल्लेख किया है^३।

मालवा स०	श० का०	वलभी (ग०) स०
१०८८	९५३	७१२

यदि उत्तरगुप्त तुलना पर ध्यान दिया जाय तो प्रकट होता है कि लेखों तथा अलवेहनी कृतियां (२४१) का हा अन्तर गुप्त संबन्ध तथा शककाल में पाया जाता है।

मालव-संबन्ध	शक काल	गुप्त-संबन्ध
५२९	३९४	१५२
१०८८	९५३	७१२

गुप्त लेख के अतिरिक्त वेरावल लेख के अध्ययन से भी गुप्त संबन्ध तथा श० का० के अन्तर (२४१ वर्ष) पर प्रकाश पड़ता है। कर्नल टाडे ने वेरावल नामक स्थान से गुजरात के चालुक्य नरेश अर्जुनदेव के लेख का पता लगाया था^४। इस वलभी गुप्त संबन्ध लेख की विशेषता यह है कि इसमें चार संवर्तों में तिथि उत्तिलिखित की एकता है। प्रशस्तिकार ने विक्रम १३२० वलभी ९५४, हिंजरी ६६२ तथा सिंह संबन्ध १५१ तिथियों का उल्लेख किया है^५। दीवान बहादुर तिलाई के गणनानुसार आपाद वर्षी १२ रवि शक-काल ११८६ तथा विक्रम १३२१ एक ही वर्ष में पड़ता है। लेखों में वर्ता तथा इस गणना में भिन्नता इसलिए होती है कि वेरावल के

^१ युग गुप्त के सारनाथ के लेख से न्यूट हो जाता है कि वह गुर्जों के १५७ वर्ष व्यतीत होने पर एर सजनी देवराम में यासन करता था, या उस समय को प्रचलित १८ वर्ष कह सकते हैं। इस नरेश का एक दूसरा लेख (परण - आठ वर्ष के बाद गुप्त संबन्ध २६५ का है, गुप्त लेख न० १६)। इसके बण्णे से यात होता है कि वह राजा गुप्त संबन्ध २६५ अवधि १२ में राज्य करना था। इसमें भी आधा ग्राम में व्यतीत गुप्त संबन्ध २६५ यानी प्रवर्षलित २६६ यात होता है।

^२. कलेन्टेट वक्स आफ सर भण्डावर मा० ३ प० ३६७।

^३. अलवेहनी गण्य मा० २ प० ७।

^४. एनम आफ राजद्यान मा० १ प० ७०५।

^५. श्रीतुर्गुप्तकाम १३२० तथा श्रीमद्भास्मी सं० १४५ तथा श्रीसिंह सं० १५२ वर्ष अपाद वर्षी १२ रवि (१० ग्रा० २६ प० २४१ प० २४२)।

^६. ईडियन कानालोंनी टेबुल १० प० ०२।

लेख में दक्षिण भारत की प्रणाली के अनुमार विक्रम १३२० तथा वलभी ६४५ कार्तिकादि में उल्लिखित है। अतएव—

विक्रम	शक	वलभी
१३२१ =	११८६ =	९४१
इसमें से '९४२ घटाने पर		
वि०	शक	वलभी
५२८ =	३६४ =	१५३
तथा इसमें ३६ घटाने पर		
वि०	श०	वलभी
४८३	३५८	११७

हो जाता है। इस गणना में वलभी ११३ तथा गुप्त नरेश प्रथम कुमारगुप्त की करमदण्डा की प्रशस्ति की विधि (गु० ग० १२३) समान है^१। अत जान होगा है कि वलभी तथा गुप्त-सबत् में काई विभिन्नता नहीं है। इस वेशवल लेख की समता

वि०	श०	वलभी
१३२१	११८६	९४५
तथा उपरी परं तुलना भृ		
मा० स०	श०	वलभी (गु० स०)
५२९	३५४	१५३

२४१ वर्ष का हो अनुरूप, जो ऊपर वर्ताया गया है।

वैरा तालिका अंदम लेख है जिसमें शक काल तथा गुप्त संवत् के अन्तर (२४१) संरक्षा का तालिका पर प्रकाश पड़ता है। इस लेख की विधि वलभी सबत् ३३० मिलती है^२ जिसका उल्लेख निष्ठ प्रकार है—

ग० १०	३० दि० मार्ग शोष शु० २
इस उल्लेख सबत् में २४१ जोड़ने से शक काल में परिवर्तन हो जाना है।	

वलभी	शक काल
२४०	५७१
२४१	५७२
२४२ प्रचलित	५७१ प्रचलित

उपरोक्त गणना के आधार पर शक ५७१ अविक मार्गशीर्ष में पड़ेगा^३। अतएव

वलभी	शक काल
२०७ प्रचलित	५७१ प्रचलित
२०८ मा०	३० श०
५२०५	३९४८

१. ए० द० मा० ३० श० ७० ।

२. गु० ल० भूमिका ५० ९२ ।

३. बटारकार कामेमंग्सन बालूम प० २०० ।

४. देखिए ऊपर का नियत।

७०६	५७११	३३०१
१३२१२	११८६३	९४५२

अतएव इन समस्त लेखों तथा अलबेहनी के कथन के जाधार पर यह निश्चित हो जाता है कि गु० स० मे० २४१ जोडने पर या० का० बनता है। व्यतीत तथा प्रचलित मे० जोडने से क्रमशः व्यतीत तथा प्रचलित या० का० मे० परिवर्तन होता है।

फ्लोट का मत या कि गु० स० या० का० काल के २४१ वर्ष नद नदी परन्तु २४२ वर्ष पद्धत् प्रारम्भ होता^३। परन्तु ऊपर कथित विस्तृत विवेचन के सामूक्ष एग्रीट महोदय का मत स्वीकार नहीं किया जा सकता। फ्लोट ने डा० कोलहार्न के कथन चैत्रादि वर्ष का प्रधार का समर्थन करते हुए यह भूल की कि दधिण भारत ही तरह उत्तरी भारत मे० भी मालव सबत् का प्रारम्भ कार्तिक से होता^४, चैत्र से नहीं। परन्तु यदि गुप्त लेखों का अध्ययन किया जाय तो स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि मालव मवत् चैत्र से प्रारम्भ होता है^५। श्वीय कुमार गुप्त के सारनाथ लेख स पता चलता है कि गु० स० १५८ व्यतीत यानी ग० स० १५५ के ज्येष्ठ दिनों को वह मर्ति स्थापित की गई था^६। इसी प्रकार तुम् गुप्त के भान्नाथ तथा गण के लेख मे० भी यहाँ बाने प्रमाणित होती है। इन लेखों मे० स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि राजा व्यतीत गु० स० १५७ तथा १६५ या प्रचलित १५८ वैशाख तथा प्रचलित १६६ आपाठ मे० शामन करता था। इनका ही नहीं, यद्योऽधर्मन के मदसार के लेख (मा० स० १५९) मे० यह वर्णन मिलता है कि सबत् वसत् (चैत्र तथा वैशाख) से प्रारम्भ होता है^७। इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि गुप्तों के शामनकाल मे० मालव सबत् चैत्र से प्रारम्भ होता था, कार्तिक मे० नहीं। वैशाख लेख के जाधार पर या० गोरीशंकर ओजा ने दिल जाया है कि विक्रम सबत् चैत्रादि है। वैशाख लेख के अनुसार वि० स० तथा गु० स० का अन्तर २७५ (१३२०-९४५) आता है, परन्तु यह लेख काठियावाड मे० स्थित होने के कारण वि० स० का० विक्रम स० १३२१ होता है 'स कारण वि०

१. सुंदरा नायन का तियाँ।

२. वैरावत लख का तियाँ।

३. गु० ल० ल० ल० गु० ८०।

४. ४० ५० मा० ३० प० ३२, यु० ल० ८० भूनका १० ८५।

५. नायनवर कामेन राजन लालुम १० ८० ७८।

६. आ० स० रि० १४१३ - ४।

७. पश्चिम शत्रुघ्न शरदा वार्षिकान्नवति सहितेनु।

मालवगणांवितशत् कालदानाय लिङ्गेनु।

वार्षम् काने कलकृतानरा कांक्लाना प्रलापा।

मिदननाइ स्मारणनभा प्रोप्ता ना मनाम।

भृङ्गलीना ध्वनरम्भुत भाग्मद्रव्य यामान्,

नायूत्प्रव वसुरिक नदेन्द्रूद्युते गुप्तजेतु॥

प्रियममृतानां रामश्वदधारा, किलत्यमिव मुख भालेस मानिनीता।

वृपनयति सम्भान्नमहारा यस्मन्, कुमुमममय मारे तत्र निवापितं द्रवम्

—(का० १० ८० मा० ६ न० ३५)

स० तथा गु० स० का अन्तर ३७६ होगा । गुप्त सम्बत् मे० ३७६ जोड़ने से वैतादि वि० स०, २४१ मिलाने से श० का० तथा ३१९-२० मिलाने से ई० स० होता है ।

अतिम परिणाम गुप्त सबत् पर इस विस्तृत विवरण से निम्न परिणाम निकलते हैं ।

(१) मालव तथा शक सबत् चैत्र से प्रारम्भ होता है ।

(२) गुप्त तथा बलभी सबत् एक ही है । दोनों के मित्र मित्र नाम होने के कारण समय मे० तनिक भी भिन्नता नहीं है ।

(३) बलभी या गु० स० शक काल के २४१ वर्ष के पश्चात् आरम्भ होता है । शक काल के व्यतीत तथा प्रचलित होने का निर्णय गु० स० पर अवलम्बित है ।

(४) गुप्त सबत् भी चैत्र मे० प्रारम्भ होता है । चैत्रादि होने के कारण गुप्त सबत् का ई० स० ३१८-१९ से गणनारम्भ हुआ । इसका प्रारम्भिक वर्ष ई० स० ३१९-२० (७८ + २४१) से लिया जायगा ।

गु० स० ० व्यतीत = शक २४१ व्यतीत

“ ” १ प्रचलित = „ २४२ प्रचलित

यदि समस्त मवतों के इतिहास पर ध्यान दिया जाय तो विदित होता है कि अमुक सबत् का प्रारम्भ किसी काल विशेष पर हुआ था या उस वश के किसी घटना के स्मारक मे० सबत्सर चलाया गया । गुप्त-वश मे० भी ऐसी ही घटना उपस्थित हुई जिस कारण न वश नाम के साथ (गुप्त) सबत् का प्रयोग प्रारम्भ होता । गुप्त-वश के आदि गुप्त-सबत् के संस्थापक दो नरेश-गुप्त एवं घटोत्कच का नाम इतिहास मे० परिष्ठ नहीं है । वे साधारण सामन्त के रूप मे० शासन करने थे । उनके लोसरे राजा प्रथम चन्द्रगुप्त ने अपने बाहुबल से राज्य का विस्तार किया तथा इसी ने सर्व प्रथम 'महाराजानिराज' की पदबी धारण की । बहुत सम्भव है कि सिंहासनारूढ होने पर इनमे० मह पदबी धारण की रही तथा उसी के उपलक्ष मे० (अपने वश के नाम के साथ) गुप्त नवत् शो स्वपना की । इस की पृष्ठि गुप्त लंबों मे० उल्लिखित तिथियों से भी होती है । प्रथम चन्द्रगुप्त के पीछे नन्दगुप्त विक्रमादित्य के लेखों मे० ८२, ९३ की तिथियाँ मिलती हैं । इस जापार पर विद्वानों का अनुमान सच्य जाता होता है कि प्रथम चन्द्रगुप्त प्रतापी शासक था और उसों के राज्यारोहण पर सबत् चलाया गया । पितामह तथा पीत्र के बीच तोम पाडियों मे० ९३ वर्ष का अन्तर युक्त युक्त है । इस सबत् का प्रारम्भ ई० स० ३१९-२० मे० होता है । एकत के मतानुगार गुप्त सबत् (अन्य सबतों की भाँति) राज्यवर्षों युक्त गणना की परिपाटी के कारण प्रचलित हो गया ।

प्रथम चन्द्रगुप्त के प्रचलित किये हुए राज्य-सबत् का प्रयोग उपक उनरायिकारों वशज करने लगे, जो आगे चलहर गुप्त सबत् के नाम से प्रसिद्ध हो गया । इसमे० तनिक भी सदेह नहीं है कि गुप्त सबत् या गुप्त-काल नाम सबत्सर का प्रारम्भ ई० स० ३१९-२० से हुआ । इसों मे० समस्त गुप्त लेखों तथा समकालीन प्रशस्तियों की तिथिया उल्लिखित हैं । यह सबत् लगभग ६०० वर्ष तक प्रचलित रहा और गुप्तवश के नष्ट हो जाने पर काठियावाड म बलभी सबत् के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।

गुप्त सम्बत् को चर्चा करते समय इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि अलबेस्नी के कथनानुसार वलभ नामक राजा ने वलभी सम्बत् चलाया जो शक वलभी सम्बत् काल के २४१ वें वर्ष प्रारम्भ हुआ। गुप्त सम्बत् के समान ही यह गणना थी। गुजराज के वलभी नरेशों के लेख में जो सम्बत् मिलता है वह गुप्त सम्बत् ही है। सीराहृ में गुप्त सम्बत् का प्रयोग होता था और वहा गुप्त शासन के समाप्त हो जाने पर वलभी के राजा ने उसी गणना का नाम परिवर्तित कर 'वलभी सम्बत्' रख दिया।

आनंदवर के पुष्टभूति वय के अन्तिम सप्ताह हर्ष ने भी एक गणना प्रारम्भ की थी जिसे 'हर्ष-सम्बत्' के नाम से गुकार सकते हैं। इस गणना के साथ हर्ष-सम्बत् हर्ष का नाम जुड़ा नहीं मिलता। उसके ताप्रपत्र लेखों की तिथियां में दो गई हैं। बासखेरा ताप्रपत्र में "सम्बत् २० + २ कार्तिक वदो १" उल्लिखित है (ए० ६० भा० ४ प० २०८) उसी का मध्यवन् ताप्रपत्र पचोसवे वर्ष में लिया गया था (सवन् २० + ४ मार्गशीर्ष) उत्तरी भारत तथा नेपाल में भा इस गणना का (हर्ष-सम्बत्) प्रयोग हाना रहा जो कालान्तर में लुप्त हो गया और विक्रम सम्बत् प्रयुक्त होने लगा। विछ्ले गुप्त नरेश आदित्यसेन का शाहपूर वाला लेख में ६६ वर्ष अंकित है। पलीट के मतानुमार यह हर्ष-सम्बत् से सम्बन्ध रखता है इसी के सहारे आदित्यसेन की तिथि ई० स० ६३२ (६०६ + ६६) मानी जाती है। इसकी प्रामाणिकता साहित्य के आधार पर भी सिद्ध की गई है। बाण ने माधव गुप्त को हर्ष का मित्र बतलाया है। अपसद लेख में भी आदित्यसेन के पिता का नाम माधव गुप्त उल्लिखित है तथा वही हर्ष का मित्र कहा गया है [श्री हर्षदेव निजमञ्जुमवाच्छया च] उसी वंश के राजा विष्णु गुप्त का मगराव का लेख ११७ वर्ष में अंकित हुआ था। डा० अलतेकर के कथनानुसार ११७ हर्ष-सम्बत् से सम्बन्ध रखता है [ए० ६० भा० २६ प० २४१] इसी ढंग से नेपाल के राजा अशुवर्मन के एक लेख में तिथि निम्न प्रकार उल्लिखित मिलती है—

"संवत् ३० + ४ प्रथम पौष शुक्ल द्वितीयायाम्" कोलहार्न का मत है कि तिथि ३४ का सम्बन्ध हर्ष सम्बत् से है जिससे प्रकट होता है कि नेपाल में उद्दी सदी में हर्ष सबत् का प्रयोग होता रहा।

अलबेस्नी ने लिखा है कि काश्मीर के पत्रों में इस बात का उल्लेख पाया जाता है कि विक्रमादित्य के ६६४ वर्ष बाद हर्षवर्धन ने राज्य किया। इसलिए $६६४ - ५७ = ६०६$ ई० हर्ष सम्बत् की तिथि ज्ञात होती है। इसी के अनुसार हर्ष, आदित्यसेन, विष्णुगुप्त या अशुवर्मन का शासन-काल निश्चित किया गया है। हर्ष सम्बत् का प्रारम्भ काल (ई० स० ६०६) को प्रमाणित करने के निमित्त ह्वेनसाग के चीनी भाषा में लिखित जीवन चरित का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। उसमें शिलादित्य (हर्ष) के लिए दो तिथियों का उल्लेख है। ई० सन् ६४८ में वह छत्तीस वर्ष राज्य कर चुका था यानी $६४८ - ३६ = ६१२$ ई० में वह सिहासन पर आरूढ़ हुआ। इसमें आपत्ति यह है कि ह्वेनसाग के लौटने पर ही चीन वालों को हर्ष के विषय में ज्ञान हुआ होगा। ई० स० ६४२ में चीनी यात्री हर्ष के दरवार में रहता था।

अत. ३६ वर्ष राज्यारोहण से गिना जायगा। अतएव हर्ष सम्बत् को तिथि $641 - 36 = 605$ ई० ही होगी।

सती शदी के पश्चात् सम्पूर्ण भारत में सर्वत्र प्रचलित किसी नई काल गणना का अभाव दिखलाई पड़ता है। हर्षसम्बत् तो उत्तरी भारत तथा नेपाल में प्रचलित रहा। कल्चुरी वंशवा लक्ष्मणसेन सम्बत् नामक स्थानीय गणना थे। मध्ययुग में इनका आरम्भ हुआ और शीघ्र समाप्त हो गया। उत्तरी भारत में विक्रम सम्बत् का प्रचार अक्षुण रूप से दीख पड़ता है। मध्य भारत तथा राजपृताना के बितने राजवश उत्तरी भारत में शासन किए, सभी ने विक्रम सम्बत् का प्रचार किया और वह लोकप्रिय हो गया। उज्जैन में शक राज्य नष्ट हो जाने पर मालव-सवत् ही लोकप्रिय हुआ तथा वहाँ से उत्तरी भारत में प्रचलित हुआ। बंगाल में लक्ष्मण सेन संवत् के पश्चात् मुसलमानों ने फसली सम्बत् वा प्रसार किया। आज वह गणना बगला-संवत् के नाम से पुकारी जाती है। दक्षिण भारत में शक सम्बत् का प्रनार रहा क्योंकि मालवा तथा महाराष्ट्र पर शासन करने वाले क्षत्रप नरेश शक गणना का ही प्रयाग करते थे। उज्जैन के गणितज्ञों ने उस शक सम्बत् का प्रयोग किया। भारत के गणित धार्म में शक गणना की प्रधानता तथा उत्तरी भारत में विक्रम सम्बत् का प्रचलन होने के कारण ज्योतिष पण्डितों ने पत्रांम दोनों सम्बत् का उल्लेख किया। वर्तमान सरकार को किसी कारण वश यह प्रचलन उचित न मालूम हुआ और शक-सम्बत् को ही राष्ट्रीय सम्बत् घोषित कर दिया है।



अध्याय ११

भारत में लेखनकला की प्राचीनता

किसी वस्तु के उदयम के सम्बन्ध में अज्ञानता रहने पर भारतवासी उसे ईश्वरद्वारा रचित समझते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनश्रुति में लेखन कला का सम्बन्ध ब्रह्मा में स्थिर कर प्राचीन भारतीय लिपि को ब्राह्मी का नाम दिया गया है। इस विचार को प्रस्तर पर भी बादामी में (ई० स० ५८०) प्रदर्शित किया गया है जहाँ ब्रह्मा के हाथ में ताङपत्र का समूह दृष्टिगोचर होता है (ई० ए० भा० ६ प० ३६६ : भा० ३३ प० १) लेखन कला का इतिहास अधिक प्रकाश में नहीं आया है। इस कारण विद्वान् विभिन्न मत रखते हैं। पश्चिमी विद्वानों का मत यह कि आर्य लोगों के आगमन (ईसा पूर्व दो हजार वर्ष) पश्चात् लेखन कला का विकास हुआ होगा। हरप्पा के सम्युक्ता के प्रकाश में अनें पर तथा मध्य-पूर्व से तुलनात्मक अध्ययन के कारण विद्वानों के विचार में परिवर्तन आ गया। लेखन कला की प्राचीनता के सम्बन्ध में दो विद्वानों के नाम—प० गौरीशकर होशाचन्द्र औंशा तथा ब्यूलर, उल्लेखनीय हैं।

मैक्समूलर लेखन कला की उत्पत्ति ईसा पूर्व चौथी सदी (हिन्दी आफ एन्सेट सङ्कृतलिट-रेचर प० २६२) तथा ई० प० ८०० से पूर्व कथामयि मानने को तैयार नहीं है। (इंडियन पैलियोग्राफी—१० ए० १००० परि० प० १७) डिरिजर ने प्राय ब्यूलर की तिथि का समर्थन किया है (दि एन्कावट—१९५९ प० ३३४) पश्चिमी तथा भारतीय विद्वानों की विचार धारा में एकता स्थापित न होने के कारण लेखन कला का इतिहास एक विवादास्पद विषय बना है।

इससे सम्बन्धित जितने विचारणीय प्रमाण है। जाहे निम्न बगों में विभाजित किया गया है। इस प्रमाण में विभिन्न विद्वानों को सम्मति जानकर ही सतोष करना होगा।

- (१) यूनानी लेखकों के कथन ।
- (२) यान्त्रियों के विवरण ।
- (३) ब्राह्मण ग्रन्थों वी विचारवारा ।
- (४) बौद्ध एवं जैन ग्रन्थों में उल्लेख ।
- (५) भारतीय अभिलेख की परम्परा ।

यूनानी लेखकों ने, जो सिकन्दर के आक्रमण के पश्चात् भारत आए, भारतीय लेखन कला का प्रसार विभिन्न रूप से व्यक्त किया था। सिकन्दर के सेनापति ने आर्बों देखा वर्णन दिया था कि भारतवासी रुई से कागज तेयार करना जानते थे (स्ट्रॉ १५, ७१७)। इसी प्रकार यूनानी दूत मेगस्थनीज ने (ई० प० चौथी सदी) मार्गों पर स्थित प्रस्तरों पर अंक उत्कीर्ण करने की परिपाटी का वर्णन किया है। (इंडिया आफ मेगस्थनीज) इसका तात्पर्य यही है कि भारतवासी लिखने की कला से विज्ञ थे। मकिंडिल ने करठिंगस के कथन का उद्धरण देकर लिखा है कि वृक्ष के छाल (भोजपत्र) का प्रयोग लिखने के कार्य में किया जाता था। (हिन्दी आफ एलेक्जेन्डर इनवेजर आफ इंडिया अ० ८)

विदेशी यात्रियों ने भी भारतीय लिपि के सम्बन्ध में अपना मतव्य व्यक्त किया है। चीनी यात्री हेनसाग ने प्राचीन युग में भारतीय लिपि की उत्पत्ति बतलाई है (बील-सिमुको १, ७७) चीनी ग्रन्थ फ-वन-सु-लीन में ब्राह्मी के विषय में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा ने लिखने की कला को जन्म दिया और ब्राह्मी वाए से दाहिने लिखो जाती थी (वेविलोनियन तथा ओरियंटल रेकार्ड १, ५९) दसवीं सदी का मुसलमान लेखक अलवेरनी ने यह वर्णन किया है सौचू-अलवेरनी का भारत अध्याय १) कि हिन्दू लिखने की कला भूल गए थे जिसे पुन व्यास ने आरम्भ किया जो कलियुग (ई० पू० ३१०१) से प्रचलित हुआ (व्यास को वेद तथा महा-भारत से सम्बन्धित करते हैं । इस कारण अलवेरनी ने कलियुग का उल्लेख किया है ।)

ईसवी पूर्व छठी शताब्दी में कई बौद्ध ग्रन्थों का सकलन हो गया था जिनमें लेखन-कला के सम्बन्ध में सारांशित वार्ते लिखी हैं । मूत्रान्त (१, १) नामक ग्रन्थ में भिक्षुओं को अक्षरिका नामक खेल खेलना नियेद किया गया था । इस तरह के खेल में व्यक्ति के पीठ या आकाश में अक्षर के सकेत को समझ कर पहचानना पड़ता था । विनयपिटक में (पाराजिक भा० ३, ४) लेखन-कला को प्रशंसा की गई है कि गृहस्थों के लिए यह जीविका पैदा करने का एक साधन था । (बुधिस्ट इंडिया पू० १०८) कई जातकों (रूढ़, कन्ध आदि) में व्यक्तिगत तथा सरकारी पत्रों का लेखन, सरकार धोपणा, हस्तलिखित प्रस्तक आदि का उल्लेख मिलता है । महावग्म में (भक्तवृत्तचित्तिय ६५, १) लेख, गणना तथा रूप को प्राग्भिक शिक्षा का विषय माना है । जातक में भी फलक (तख्ती) और वर्णक (कलम) के नाम मिलते हैं । ललितविस्तर (अध्याय १०) में भी बूढ़ को लिपिशाला (पाठशाला) में विश्वामित्र द्वारा पत्र लेखन सिखाने की बात उल्लिखित है । यूनानी लेखकों ने कागज तंयार करने की बात लिखी है (ई० पू० ४००) । प्राचीन समय में तालपत्र तथा भोजपत्र भी लिखने के काम में आते थे । अतांग बौद्धग्रन्थों के आधार पर यह प्रकट होता है कि ई० पू० ६०० के मध्ये प लेखन-कला को जानकारी भारतवासियों को अवश्य थी ।

लक्षितविस्तर को तरह जैन ग्रन्थ समवायासूत्र (ई० पू० २० तीसरी सदी) नया पणवना-सूत्र में भी लेखन-कला की प्राचीनता का उल्लेख पाया जाता है । पिछली सदियों में काव्य, नाटक तथा स्मृति ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर ऐसा वर्णन आया है जिसमें पता चलता है कि भारतवर्ष में प्राचीन काल में ही लेखनकला का ज्ञान था । नारद तथा वृहस्पति ने लिखा है कि ब्रह्मा द्वारा लिखने की कला उत्पन्न की गई जिससे लोगों को जान हो सका । मीर्य युग के राजनीति ग्रन्थ अर्यास्त्र में लिखने का सदर्भ कई स्थानों पर पाया जाता है—

- (अ) वृत् चौलकर्मा रिंपि सस्थान चौपयुजीत (१, ५, २)
- (ब) पत्र सम्प्रेषणेन मंत्रयेत (१, १६, ६)
- (स) सर्वसमय विद्युप्रथ चार्वकरो लेखवाचन समर्थो लेखक स्याद् (२, ९, २८)

चूडाकर्म के पश्चात् गणना तथा लेखन विद्या सीखना चाहिए । पत्र द्वारा मत्रण करना चाहिए । राजकार्य में लेखक को शीघ्र पढ़ना तथा लिखना आवश्यक समझा जाता है । इससे भी पूर्व (ई० पू० आठ सौ) विशिष्ट घर्मसूत्र (१६, १०, १४) में उल्लेख मिलता है कि लिखित पत्र को प्रमाण में प्रस्तुत किया जा सकता है । भारतीय वेदाग में कल्प (घर्म-

सूत्र) के साथ व्याकरण का नामोल्लेख है। साहित्य के आधार पर व्याकरण तैयार किया जाता है। अतएव यह कदाचिं सम्भव नहीं है कि बिना लेखन-कला की जानकारी के व्याकरण तथा दर्शन आदि का प्रसार हो सके। पाणिनि के अष्टाध्यायी में लिपि, लिपिकर, यवनानी, यन्य, (अध्याय प्रथम तथा तृतीय) शब्दों का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि समाज में लेखन कला का समुचित ज्ञान था। छठे अध्याय में जानवर के कान में स्वस्तिक के साथ ५ या ८ अंक के चिह्न लगाने का वर्णन है। व्याकरण के प्रसङ्ग में पाणिनि ने अनेक वैयाकरणों का नाम उल्लिखित किया है। तात्पर्य यह है कि पाणिनि से पूर्व (ई० प० आठवीं सदी में) लिपि तथा लेखन का ज्ञान लोगों का था। यास्क ने भी निष्ठत में अपने पूर्ववर्ती विद्वानों का नामोल्लेख किया है। शब्दों के चयन के साथ लेखन-कला की भी तिथि यास्क से पूर्व ही मानी जा सकती है। शाश्वत उपनिषद (२, १०) में अक्षर के लिखने का सदर्भ मिलता है तथा वर्ण और मात्रा का उल्लेख तत्त्वीय उपनिषद (१, १) में आता है (वर्ण स्वर, मात्रा बलम्)। उपनिषद ग्रन्थों में दार्शनिक विचारों का विवेचन अधिकतर गदा में किया गया है और उन विवेचनों को यथा शक्ति लोग स्मरण रखते थे। उस परिस्थिति में भी लिखित ग्रन्थ की स्थिति असम्भव नहीं मानी जा सकती। वेदों का अध्ययन भी कण्ठगत समझा जाता था पर कृश्वेद में (१०, १४, १६) गायत्री, विराज, जगती छंदों के नाम आते हैं। सहिता तथा अथर्व में (८, ९, ११) भी ग्यारह छंदों का उल्लेख पाया जाता है अतएव लेखन-कला की प्रमाणिकता स्वतः सिद्ध हो जाती है। कृश्वेद में अक से अकित गायों का वर्णन मिलता है (सहस्रमेददतो अष्टकर्णः १०, ६२, ७) जो भिक्षा या दान में दी गई थी। तात्पर्य यह है कि ऊपर लिखी वातों से वैदिक युग में भी लिखने के प्रमाण को असिद्ध नहीं किया जा सकता। खेद है कि इसा पूर्व पाचवीं सदी से पहले लिखने का कोई भी दृष्टात सामने नहीं आता। सम्भवतः भोज-पत्र या कागज पर लिखे ग्रन्थ सदियों तक मूल रूप में न रह सके और जलवायु के कारण विनष्ट हो गए। प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ को नष्ट होते देखकर लोगों ने पुन कागज पर लिखना प्रारम्भ किया ताकि शास्त्र का ज्ञान स्थायी रहे। इस क्रम में समय-समय पर लिपि का परिवर्तन होता गया और नए रूप में ग्रन्थ सामने आते रहे। प्राचीनकाल में विद्या कण्ठगता थी और गुरु के मुख से सुनकर शास्त्र का पठन-पाठन किया जाता था। वेदों का ठीक उच्चारण आवश्यक था क्योंकि वार्षिक जगत में अशुद्ध उच्चारण यजमान का धातक समझा गया है।

सवाम्बज्जा यजमान हिन्दित यथेन्द्र यत्र स्वरतोऽपरा, धात् (महाभाष्य १)

इस कारण गुरु मुख से सुनकर यज्ञ करना अथवा पाठ स्मरण करना उचित समझा गया। पुस्तक पढ़ने से यह कार्य सिद्ध नहीं हो सकता था।

पुस्तकस्था च या विद्या पर हस्तगतंघनम् ।

कार्य काले तु सम्प्राप्ते न सा विद्या न तद्धनम् ।

(चाणक्य नीति)

पश्चिमी विद्वानों के मत को डा० गौरीशंकर औझा ने (लिपि माना प० १५ में प्रथम संस्करण) उद्भृत किया है। उनके मतानुसार वेदों का प्राशिलालृत विना लिखे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था यानी अत्यन्त प्राचीन काल से ही लिखित प्रातिशार्थ वर्तमान था। दूसरे शब्दों

मेरे कहा जा सकता है कि लेखन कला का ज्ञान पुराने समय में भारत वासियों को अवश्य था।

स्त्रुत साहित्य का इतिहास लिखते समय प्राचीन भारतीय साहित्य की तिथि का निर्णय पश्चिम विद्वान् (मैक्समूलर आदि) नहीं कर सके। परन्तु यह तो निश्चित है कि ईसा से सहस्रों वर्ष पूर्व उनकी रचना हो चुकी थी। अग्रत्यक्षण रूप से यह कहना यथार्थ होगा कि ईसवी पूर्व एक हजार वर्षों में लेखन कला का प्रारम्भ हो गया था।

ईसवी पूर्व तीसरी सदी के अशोक के लेख प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उस समय ब्राह्मी तथा खंडोंही का पनार था। पेशवर में उटीमा तथा हिमालय (कालवी) से येरुगुडी (करनूल, तामिळनाड़) तक उसके लेख मिलते हैं। उन लेखों में कुछ पाठ भेद अवश्य है किन्तु मूल में भिन्नता नहीं है। इसमें यह स्पष्ट विद्वित हाता है कि भारत में लिपि का ज्ञान पूर्व से ही था जिसका विकास अशोक के लेखों में हुआ है। एक दिन म ऐसी ब्राह्मी समूख नहीं आ सकती। लिपि के विकास में कई नईयां आती जाती हैं। ब्राह्मा का विभिन्न रूप यह धोर्पित करता है कि अशोक संपर्क लिपि का परिणाम था जो परिवर्द्धित तथा पांचविंश होकर अध्याक—ब्राह्मा के रूप में आ गई।

दक्षिण ने उत्तर तक के गोंडों लेखों के अध्यर एक में नहीं है। गिरनार, मिद्दापुर, घोली तथा जौगढ़ के उत्तर अवमान है। व, ज, म तथा म विभिन्न रूप से लिखे गए हैं। स्थानीय शैली में यह अर्थ निकलता है कि अशोक ने पूर्व वहाँ लिपि का प्रचार था। अशोक के लेखों का अनुशोलन इसे प्रमाणित करता है।

अशोक ने प्रस्तर पर लेख निरस्यायी होने के हेतु खुदवाया था [इय घमलिपि लेखिता चिलितिका होत—प्र० जिं टें० २]। इसमें यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अन्य आधार पर भी क्या चीजें आने होंगी। अशोक पूर्व युग के पिपरावा (उत्तर प्रदेश) सोहगोरा ताप्रपत्र, (गोम्यग्र), महास्यान लेखों के (बगाल^१) प्रमाण पर यह कहता युक्ति सगत होगा कि ईसवी पूर्व पान सी के लगभग लेख छाल का प्रचार अवश्य था। साहित्यिक आधार पर ई० प० कई हजार वर्ष में भी इसकी तिथि मारी जा सकती है। ब्राह्मी अत्यन्त प्राचीन काल से गमल मारक म प्रकरण होनी रही और इसे ही हम राष्ट्र लिपि कह सकते हैं। उत्तर पश्चिम भारत म जहाँ लगड़ों का प्रचार था वहाँ भी तक्षशिला के स्तंभों पर ब्राह्मी लिपि अकित है। रैपसन को गेंग इतना संकर मिले हैं जिन पर खंडोंही तथा ब्राह्मी लिपियों में मुद्रा-लेख खुदे हैं। गाम्बार ५ सू भाग भ खंडोंही के समक्ष का प्रयोग उसकी प्रदानता का ब्राह्मी दोतक है।

भारतीय लेखों का सम्भव लेखन कला तथा लिपि से इनना गम्भीर है कि इनका अध्ययन निःतान्त आवश्यक हो जाता है। सासार म स्त्रुति के प्रारम्भ से लिखने-पढ़ने का

कार्य होने लगा। लेखन कला जानने के कारण ही मनुष्य के ज्ञान लिपि, लेखन कला तथा वीर्यता मानो गई है। अतएव लेखन कला का इतिहास महत्व

उसका इतिहास रखता है तथा मनुष्य के मस्तिष्क को उत्तरांश का लेखा उपस्थित

करता है। लिखने की क्रिया का समाज में बड़ा आदर रहा और लेखन कला के रूपदाता को ईश्वरीय शक्ति से सम्पन्न मानने हैं। मिथ्र, यूनान, चीन तथा भारत आदि दशों में देवता को ही हमका उत्पादक माना गया है। भारत में लिपि की उत्पत्ति

ब्रह्मा से मानते हैं, अतएव प्राचीन भारतीय लिपि को ब्राह्मी का नाम दिया गया।

सासार की सम्मति एवं संस्कृति में मनुष्य ने मानसिक विकास के तथा लिपि का जन्म स्वतंत्र रूप से ही हुआ। मनुष्य ने आध्यात्मिक प्रगति में इसे जन्म दिया ताकि विचारों का आदान-प्रदान कर सकें। अधिक समय तक लिखने की कला अज्ञात थी और मनुष्य सकेत से ही अपना कार्य करता रहा। शताविंश्यों बाद मूँख से निकली ध्वनि को लिपि बढ़ा करने की क्रिया ज्ञात हुई।

लेखन-कला कला का इतिहास यह बतलाता है कि सर्व प्रथम आकृतियों द्वारा या चित्र द्वारा मनुष्य अपने विचार को व्यक्त करता अवश्य लिखता था। सूर्य कहने का भाव बतलाने के लिए चक्र की आकृति, जानवर के लिए जानवर तथा मनुष्य के लिए मनुष्य के नियमों द्वारा दिए जाते थे। इउ प्रकार की अभिव्यक्ति की "चित्र-लिपि" कह सकते हैं। शब्द या उच्चारित ध्वनि का लिखना अज्ञात था। इस चिन से किसी घटना का व्यक्ता नहीं करते परन्तु उसे वर्णित करते थे। मिश्र, मेसोपटामिया, कीट, स्पैन, अमेरिका जादि देशों में ऐसे शब्द चित्र पाये गये हैं। उन चिनों में किसी पारा प्रवाहिक घटना का स्पष्टीकरण सम्भव न था। उच्चारण किए शब्दों का लिखना याता है परन्तु बढ़ा करना याता है अवस्था का योतक है। इसमें किसी प्रकार क निहंत्र (प्रतीक) का प्रयोग नहीं किया जाता परन्तु अशर मूँख से उच्चारित ध्वनि को व्यक्त करते हैं।

मेसोपटामिया की सम्पूर्णता में एक अधर (को चिह्न) किसी शब्द समूह को व्यक्त करता रहा। लेकिन भारत में एक अधर एक ही ध्वनि का यातक है। यही कारण है कि भारतीय लिपि वैज्ञानिक मानों जाती है। जो कुछ उच्चारण किया जाता है। जो लिया गया है उसे पढ़कर उसी विषय को ही समझ सकते हैं। किसी भाषा के वाक्य वो भारतीय लिपि से लिख सकते हैं तथा उसका उच्चारण भी एक सा होता है। पढ़ने से यह पता नहीं चल सकता कि भारतीय भाषा या लिपि से इसका कुछ भी सम्बन्ध है। जैसे "आइम" इस अंग्रेजी वाक्य को नागरी में लिखन पर भी पढ़ने में अन्तर नहीं आ सकता। अतएव भारतीय लिपि सर्वथा वैज्ञानिक सिद्ध हो जाती है।

इसा पूर्व चार हजार वर्ष में मिश्र देश में 'चित्र-लिपि' का अवहार होता था। हृष्यार के साथ सिपाही का चित्र यह बतलाता था कि मेना का एक सिपाही हृष्यार ले। रुद्ध स्थल को जा रहा है। क्रमशः एक शब्द की ध्वनि के लिए चिंगाए चिह्न का प्रयोग होते लगा। उम चिह्न के कथन से एक शब्द का भाव प्रकट होता था। इस रूप से अक्षर का प्रयोग मिश्र में आरम्भ हुआ। यह अधर दाये से बाये लिखे जाते थे।

लिपि तथा लेखन कला का इतिहास यह बतलाता है कि ₹० पू० ४००० वर्ष में मुमेरियन लोगों की एक विचित्र लिपि थी जो नुकीली धातु से निशान बनाकर लिया जाता रही उसे तीन हजार वर्षों के पश्चात् दम्भलाफरात की धाटी के बेविलान तथा एमिरिया की जातियों ने अपनाया। इस रोति को प्राचीन सुसा के इलामाइट, हिटाहट, मिटानी तथा ऊर के लोगों ने कायीं में अपनाया तथा जीवन में अनुकरण किया। ऊरांवा लेख भी इसी नुकीली (कोलाक्षर) लिपि (क्यूनिफार्म) में अंकित किए गए तथा इस तरह की लिपि-शैली

ईसवो सन् तक एशिया के पश्चिमी भाग में प्रचलित रही। उसे कुछ पुरोहित, ज्योतिषी तथा कानून वेत्ता प्रयोग करते थे। ईसा पूर्व छठी सदी का एक ईरानी लेख कीलाक्षर में पाया गया है जिसे उन्नीसवीं सदी में पढ़ा जा सका।

ईसा पूर्व ३००० वर्ष में हरप्पा तथा मोहेनजोदड़ो नामक भारतीय प्रागऐतिहासिक स्थानों में एक विचित्र लिपि का प्रयोग हुआ जिसके सम्बन्ध में कुछ निश्चित कहना कठिन है। यानी हरप्पा सम्यता की लिपि (?) अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। जो ताबीज उन स्थानों की खुदाई से निकले हैं उन पर ही लेख खुदा है। प्रायः आठ सौ मुद्रायें (ताबीज) लेख युक्त हैं। वह भी एक तरह की “चित्रलिपि” कही जा सकती है। कुछ विदान हरप्पा सम्यता की लिपि को ब्राह्मी से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करते रहे तथा कुछ उसे तात्त्विक मानते हैं परन्तु उनके कबन सारगमित नहीं हैं।

भारत से पूर्व एशिया में चीन देश में लिपि का आरम्भ मानते हैं। ईसा पूर्व २००० से पहले लेखन कला का आरम्भ हुआ और ईसा पूर्व ११०० से ही धातु तथा प्रस्तर पर लेख खोदे जाने लगे। पहले लकड़ी तथा बास की ताँड़तयों पर पुस्तके लिखी गई जो जलवाया के कारण नष्ट हो गई। प्रायः ५० स० १०० के उमाग चीन में कागज का प्रयोग हुआ जो यही तैयार किया जाता था।

पश्चिमो एशिया में लेखन कला का आरम्भ मिथ्र के अनुकरण पर हुआ था जहाँ अधिकतर “चित्र-लिपि” का प्रयोग होता रहा। मिथ्र से क्रीट तथा फिलिस्तीन में लिखने की क्रिया प्रचलित की गई। भूमध्य सागर के किनारे रहने वाले फिनिशियन जाति ने उसका अनुकरण कर लिपि को अत्यधिक प्रसारित किया। उनके अक्षर भी भाव को व्यक्त करने वाले “चित्र-लिपि” को तरह थे। कुछ विदानों का यह मत है कि फिनिशिया तथा सोरिया में अक्षर का जन्म हुआ। अक्षरों के प्रतीक (Symbols) का पता लगाना कम महत्वपूर्ण न था, और इस और मिथ्र, क्रीट, एशिया माइनर, ईराक तथा भारत के निवासी कार्य करते रहे। परन्तु कोई पूर्णता को पहुँच न सका। फिनिशिया के निवासियों ने जिस लिपि का प्रचार किया उसे सेमिटिक (अनार्य) का नाम दिया गया है जिसमें २२ व्यंजन अक्षर थे तथा उसमें स्वर का सर्वदा अभाव था (युनानी भाषा में भी २२ अक्षर माने गए हैं) इसे दाहिने से बायें लिखा करते थे जो शैली आज भी प्रचलित है। व्यंजन में स्वर का न होना एक अजीब बात थी जिसका कोई समुचित उत्तर नहीं दिया जा सकता। एक अक्षर एक शब्द की घटनि करता था अथवा स्थानीय प्रसंग में स्वर जोड़ दिया जाता था। इसका अर्थ यह है कि सेमिटिक अक्षर अर्पण थे। स्वर के सम्बन्ध में कुछ निश्चित मत प्रकट करना कठिन है। व्यंजनों की प्रवधानता सदियों तक बनी रही। इसका यह अर्थ नहीं कि स्वर का प्रयोग समझ बूझ कर छोड़ दिया गया था पर इसको अनुपस्थिति में कोई कठिनाई सामने नहीं आई। सेमिटिक (अनार्य) भाषा में २२ अक्षर व्यंजन से आरम्भ किए गए थे किन्तु आर्य भाषा में इसका विपरीत ढंग दखलाई पड़ता है। भारतीय लिपि में स्वर के सहारे व्यंजन का प्रयोग एवं उच्चारण किया जाता है। पाणिनि सूत्रों में स्वर पहले उल्लिखित हैं तत्पश्चात् व्यंजन अच्। से स्वर तथा हल् से व्यंजन का बोध होता है। सेमिटिक अक्षरों के नाम दैनिक जीवन के वस्तुओं से लिया गया था पर आर्य भाषा में ऐसी बात नहीं है।

दक्षिणी अरब में अक्षर का जन्म अज्ञात है । सेमिटिक शाखा से सम्बन्धित पश्चिम या पूरब में अक्षरों का प्रयोग बढ़ता गया । अरब में २२ से २८ अक्षर हो गए जिसमें अन्तिम व्यजन पीछे जोड़े गए थे । अलीफ, बे, ते, जीम आदि । यही अरबी अक्षर व्यापारियों द्वारा पूरब में प्रचारित किया गया । अरब से ईरान में इन अक्षरों का प्रसार हुआ और कालान्तर में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में इनका प्रयोग हुआ जो खरोष्ठी के नाम से विल्लयत है । कहने का तात्पर्य यह है कि आरम्भिक (दक्षिणी अरब) से इस खरोष्ठी का जन्म हुआ । ईरानी ६० पूर्व ६०० से व्यवहृत करते थे और उत्तर पश्चिमी भारत में ईरानी राज्य के विस्तृत होने पर सीमा प्रान्तों से खरोष्ठी का प्रयोग होने लगा । मौर्य सन्त्राट् अशोक ने भी इसे मनसेरा तथा शाहवाज गढ़ी के शिला लेखों में प्रयोग किया बयोकि मौर्य साम्राज्य काबुल तक विस्तृत था ।

भारतीय साहित्य के आधार पर यह पता चलता है कि इस देश में कम से कम ईसा पूर्व ७०० वर्ष में लिपि का ज्ञान था । पाणिनि ने अपने अध्यायाओं (३, २, २१) में लिपि

के प्रसरण में यवनानि शब्द का प्रयोग किया है यानी उन्हे यूनानी भारतीय लिपि का जन्म लिपि के प्रचलन की सूचना थी । खेद है कि पाणिनि ने भारतीय तथा इतिहास लिपि के विषय में कुछ कहा नहीं । अर्थशास्त्र (२, १, २) में भी

लिपि शब्द का प्रयोग मिलता है तथा अशोक ने अपने लेखों में लिपि, लिपि तथा दिर्गा शब्दों का प्रयोग उसी अर्थ में किया है (चौदहा लेख) । कहने का तात्पर्य यह है कि ईसा पूर्व कई सदियों में ही भारत वासी लिखने का कला से विज्ञ थे तभी तो लिपि शब्द प्रयुक्त है । यह शब्द ताडपत्र पर कील से खुदे अक्षरों पर स्थाही लेपन किया से ही सम्बन्धित समझा जाता है [स्थाही लेपन से ताड पत्र के सुराख में काला रंग प्रवेश कर जाता था और अक्षर स्पष्ट हो जाते थे] जैन सूत्र तथा बौद्ध साहित्य के आधार पर प्राचीन समय में क्रमशः अठारह तथा चौसठ लिपियों के नाम मिलते हैं । जैन ग्रन्थ समवायाग सूत्र में (अध्याय १८) पहला नाम बम्मी (बाह्मी) का मिला है (नमो बभीये लिविये-ब्राह्मी को नमस्कार) तथा दूसरा स्थान जवनालीय (यूनानी लिपि) को दिया गया है । बौद्ध प्रथं लितिविस्तर (अध्याय १०, १२५—जिसमें भगवान् बुद्ध के जीवन चरित का वर्णन है) में पहला स्थान ब्राह्मी तथा दूसरा खरोष्ठी को दिया गया है । उस सूची की परीक्षा से ज्ञात होता है कि सबसे प्रचलित लिपि ब्राह्मी थी जो सारे भारत में व्यवहृत होती थी (महावस्तु १, १३५, ५) । खरोष्ठी तथा यवनानि का प्रयोग उत्तर पश्चिम भारत (वर्तमान पश्चिमी पाकिस्तान) में होता था ।

ब्राह्मी तथा खरोष्ठी का प्रयोग भारतीय राजाओं ने भी किया । मौर्य सन्त्राट् अशोक के दो लेखों (मनसेरा तथा शाहवाजगढ़ी) को छोड़ कर सारे लेख ब्राह्मी में मिलते हैं । दो लेख—मनसेरा तथा शाहवाज गढ़ी (उत्तर पश्चिम भारत = पाकिस्तान) खरोष्ठी में लिखे मिले हैं । उसका कारण भी स्पष्ट है । ईरानी राजाओं द्वारा उत्तर-पश्चिम भारत विजय के उपरान्त खरोष्ठी का बहा प्रचार किया गया । इसलिए उस भाग में खरोष्ठी की ही सदा प्रथानता थी और उस भूभाग में जो शासक शासन करते थे उन लोगों ने अपने शासन लेख या मुद्रा-लेख में खरोष्ठी का ही प्रयोग किया । मौर्य-काल के पश्चात् यूनानी शासकों ने भी खरोष्ठी का प्रयोग किया था । उक्तिद ने (१७५ ई० पू०) अपने सिक्कों पर खरोष्ठी में “महरजस एउक्तितस”

खुदवाया था । उसी तरह मिलनद के लेख तथा मुद्रा-लेख भी खरोष्टी में लिखे गये । अंतिम यूनानी नरेश हरमेयस (३० ई०) ने सिवके पर खरोष्टी में मुद्रा-लेख अंकित कराया था । (महरजस वतरस हेरमेयस) कुपाण सम्राटो ने पेशावर को अपनी राजधानी बनाया और वही शासन करने लगे । इस कारण जितने लेत कदफिस अथवा कनिष्ठक समूह के नरेशों ने उत्कीर्ण कराया वह सभी खरोष्टी में है । कलवान ताम्रपत्र, स्यूविहार ताम्रपत्र तथा कुरम ताम्रपत्र का नाम उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है । ईसवी सन् के आरम्भ में कनिष्ठके सामत रंजुबल ने मथुरा में भी खरोष्टी में लेख खुदवाया था (मथुरा सिंहस्तम्भ लेख) परन्तु यह एक ही लेख है जो उत्तरी पठिन्मी सीमा के बाहर खरोष्टी में खुदा है । सोडास ने मथुरा में ब्राह्मी का प्रयोग किया तथा कनिष्ठके ने भी सहेत महेत (थावस्ती, गोडा, उत्तर प्रदेश) में ब्राह्मी में लेख खुदवाएँ । कहने का तात्पर्य यह है कि खरोष्टी का प्रयोग सीमित था जिसके बाहर भारत के अन्य प्रदेशों में ब्राह्मी का ही प्रयोग होता रहा । खरोष्टी का प्रयोग उत्तर में मध्यएशिया (तरीम घाटी) में हुआ था और वहां के पट्टियों पर शासन-लेख खरोष्टी में मिले हैं । खोतान में खरोष्टी खोतानी लिपि के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी ।

उल्लिखित विस्तार तथा चीनी ग्रथ कवनसूचीत में खरोष्टी नाम की लिपि का उल्लेख पाया जाता है जो नाम सातवीं सदी तक प्रचलित रहा । इसके नामकरण के विषय में विद्वानों में मतभेद है । यह कहा जाता है कि इस लिपि का जन्मदाता वह

खरोष्टी व्यक्ति था जिसके होठ गदहे के सदृश (खर + ओष्ट) था । इसके साथ यह भी कहा जा सकता है कि अनार्य लोपो (यूनानी, शक, पह्लव तथा कुपाण) द्वारा उत्तर पश्चिम भारत में इसका प्रयोग हुआ था । तुछ विद्वानों-सिलवन लेंवी तथा स्टेन कोन आदि का मत था कि खरोष्ट मध्य एशिया के नगर काशगर का संस्कृत रूप है । मध्य एशिया के अनेक नगरों से खरोष्टी में शासन लेख तथा हस्तांकित ग्रथ मिले हैं किन्तु खरोष्टी में सभी ग्रथ ई० स० के दूसरी सदी तक के हैं । उत्तर पश्चिम भारत में (तथांगिणा का भू भाग) ई० प० सौसारी शताब्दी में इस लिपि का प्रयोग हो रहा था ।

ईरानी भाषा में खरपोस्ट शब्द का अर्थ गदहे का चर्म है । स्यात् चमड़े पर लेख लिखे जाते हों, इम कारण भारतीय विद्वानों ने इसका नाम खरोष्टी रखा ।

दक्षिण अस्त्रव में आरम्भिक भाषा में खरोष्ट शब्द मिलता है जो लिपि के लिए प्रयुक्त है । अत खरोष्टी उसी का संस्कृत रूप माना जा सकता है ।

इस लिपि का खरोष्टी नाम चीनी ग्रथ (ई० स० ६६८) में उल्लिखित है जिसके जन्म दाता खरोष्ट माने गए हैं । यह भारतीय शब्द था जो चीनी साहित्य में प्रयुक्त हुआ । स्यात् इस लिपि को टेंडा लिखने के बारण ही (गदहे के ओढ़ के समान धूमने वाला) खरोष्टी का नाम दिया गया हो ।

खरोष्टी आरम्भिक लिपि स ही निकली जो पाचवीं सदी ई० प० में प्रचलित थी । यह दाहिने से बाएँ लिखी जाती है । यह अनार्य सेमिटिक लिपि से सर्वथा मिलती है । सम्भवत सुमस्कृत रूप में खरोष्टी का प्रयोग भारत वर्ष में होने लगा । मध्ययुग की अरबी लिपि भी इसके समान है । जिसमें दीर्घ स्वर का सर्वथा अभाव है । इस आधार पर जनता में एक कल्पना सम्भुख आई कि प्राकृत भाषा लिखने के लिए खरोष्टी का आविष्कार किया गया,

क्योंकि उस भाषा में दीर्घ स्वर तथा लम्बे समास का अभाव सभी को ज्ञात था। खरोष्ठी साधारणतया लोकप्रिय लिपि थी। इसके प्रचार तथा प्रसार के सम्बन्ध में विशिष्ट ढंग से कहना कठिन है। यो तो ईरानी राजाओं ने उत्तर पश्चिम भारत पर शासन किया पर उन्होंने स्वयं खरोष्ठी का प्रयोग लेखों में नहीं किया। इसलिए आरम्भिक में इसकी उत्पत्ति क्योंकर मानी जा सकती है। खरोष्ठी का प्रयोग अशोक ने मनसेरा तथा शाहबाजगढ़ी के लेखों में किया था। वही से भारत के व्यापारियों ने उत्तर उपनिवेश-मध्य एशिया तक इस लिपि का प्रसार किया। इस लिपि में मध्य एशिया के लिखित ग्रन्थ इसकी सन् के बाद के हैं। अतएव यह कहा जा सकता है कि सम्भवतः खरोष्ठी का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में हुआ। उस भाग पर ईरानी साम्राज्य विस्तृत होने पर ईरानी मुद्रा पर खरोष्ठी में शब्द अकिल किए गए। उत्तर पश्चिम भारतीय सीमा पर जिन शासकों ने राज्य किया सभी ने खरोष्ठी का प्रयोग किया तथा भारत वासियों को उस लिपि के प्रयोग के लिए बाध्य किया गया। चूंकि उसमें स्वर का अभाव है अतः प्राकृत भाषा लिखने में प्रयुक्त हुई। वहा दीर्घ स्वर का प्रयोग कम रहता है। ब्राह्मी में इंऊ ए तथा औ स्वरों के लिए सीधी रेखा का प्रयोग होता था जिसका अनुकरण खरोष्ठी में हुआ जो जेर, जवर, पेश के नाम से प्रसिद्ध है।

माहित्य में उत्तिवित लिपियों की सूची में ब्राह्मी को पहला स्थान दिया गया है और वह पश्चिमोत्तर प्रांत को छोड़ कर सर्वत्र व्यवहृत होती थी। भारत वर्ष के मोर्य सम्राट् अशोक

के लेखों में ब्राह्मी का प्रयोग मिलता है। जैसा नाम से ही पता चलता है कि प्राचीन काल में ब्राह्मणों ने बेदों के रथार्थ इस लिपि

को जन्म दिया। इसमें दो मत नहीं है कि ब्राह्मी का अविभवि भारत वर्ष में हुआ और ब्राह्मण द्वारा ग्रन्थों में इसका प्रयोग हुआ। इस मार्ग में कठिनाई यह है कि ईं पूँ चौदों सदों से पहले का कोई लेख ब्राह्मी में नहीं मिला है। अतएव पश्चिमी विद्वानों का मत है कि व्यापारियों ने पश्चिमी एशिया से ब्राह्मी का अनुकरण किया, जो भारत की राष्ट्रीय लिपि नहीं मानी जा सकती।

जो विद्वान् ब्राह्मी को विदेशी लिपि से उत्पन्न मानते हैं उनमें अधिकतर इस लिपि को अरबी (सेमिटिक) से विकसित समझते हैं। जेम्स प्रिसेप (अलफाबेट पृ० १३५) विल्सन, सेनार्ट आदि (इ० ए० भा० ३५ पृ० २५३) ब्राह्मी को यूनानी लिपि से उत्पन्न मानते हैं और यूनानी सम्पर्क से इसमें सुधार का विचार व्यक्त दरते हैं। इनके मतानुसार यूनानी लिपि (जिसका वर्णन पाणिनी ने किया है) ने ब्राह्मी निकली है। यूनानी लिपि फोनिशियन अक्षरों से अधिक प्रभावित है। वैदिक पणिम (फोनिशियन) ने ही भारत से लेखन कला को पश्चिमी एशिया तक पहुँचाया और उसी से यूनानी लिपि का प्रचलन हुआ।

ब्युलर तथा बेवर इससे विपरीत विचार रखते हैं। (अलफाबेट पृ० २३५, इंडियन पैलियोग्राफी पृ० १०) उनके विचार से फोनिशियन (पश्चिमी एशिया की एक लिपि) से ही ब्राह्मी की उत्पत्ति हुई। यानी अनार्य लिपि से ब्राह्मी निकली है। उनके कथनानुसार फोनिशिया की लिपि का एक तिहाई अक्षर ब्राह्मी से मिलता (यानी मद्द) है। यद्यपि दोनों देशों में आवागमन के साथन कठिन थे तथापि यह क्यों निश्चित कर लिया जाय कि फोनिशिया से ही व्यापारी भारत आए और अपनी लिपि का प्रसार किया ? इसके विपरीत

यह भी माना जा सकता है कि भारतीय व्यापारी जब वहां गए तो पश्चिमी एशिया में लिपि की उत्पत्ति हुई।

टेलर दक्षिणी सेमिटिक तथा ब्यूलर ने उत्तरी सेमिटिक से ब्राह्मी की उत्पत्ति का सिद्धान्त स्थिर किया है (डिरिजर-अलकावेट पृ० ३३५) अत्यन्त प्राचीन समय में भूमध्य सागर से हिन्द महासागर में आवागम की सुविधा रही। परन्तु अरबी से ब्राह्मी पर प्रभाव की बात हास्यास्पद है। ब्यूलर अपने विचार पर अधिक बल देते हैं कि मेसोपटामिया तक प्रचलित उत्तरी सेमिटिक अक्षरों में सुधार लाकर ब्राह्मी का विकास किया गया। उनके सिद्धान्त के अनुसार (अ) ब्राह्मी के अधार सीधे तथा एक ऊँचाई के होते हैं (ब) सभी अक्षर लम्बत् लिखे जाते हैं और ऊपर तथा नीचे ही कुछ चिह्न जोडा जाता है।

इस तरह आर्य जाति ने कुछ चिह्न आदि जोड़ कर अपनी सुविधा से ब्राह्मी को तैयार किया। उन लोगों ने सदा ही सिरे के लकीर से अक्षर को नीचे लटकाया और स्वर के चिह्न को ऊपर या नाचे जोड़ दिया। इसके कारण सेमिटिक अक्षर को उलट कर दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया। ऐसी परिस्थिति (सेमिटिक अक्षर में नए चिह्नों को जोड़ने से) में सेमिटिक लिपि के लिखने की दिग्गजों को भी बदलना पड़ा और भारत में उसे बाएँ से दाहिने लिखा गया। ब्यूलर के कथनानुसार ब्राह्मी के २२ अक्षर उत्तरी सेमिटिक से लिए गए हैं। कुछ फोनिशिया से और थोड़े एसिरिया के तील पर अक्षित लिपि से। शेष अक्षर नए चिह्नों को जोड़ कर तैयार किए गए और इस ढंग से ब्राह्मी की वर्णमाला तैयार हो सकी।

डा० डिरिजर का मत भी ब्यूलर के सिद्धान्त में मिलता है। उनके कथन से अनार्य (आरमेइक) अक्षर ही ब्राह्मी के पूर्व रूप माने जा सकते हैं (अलफावेट पृ० ३३६-७)। उनका कहना है कि पश्चिमी एशिया की मेमिटिक या अरमानियन व्यापारियों ने सर्व प्रथम भारत में सम्पर्क स्थापित कर अक्षरों का वहा समावेश किया। भारत ने ब्राह्मी को जन्म नहीं दिया अपिनु पश्चिमी एशिया से ली गई लिपि प्रचलित की गई। स्वर तथा व्यंजन को चिह्न से व्यक्त करने की कला भी पश्चिमी एशिया से भारत पहुँची। अनेक अरबी अक्षर (अलिक (अ) वेद (ब) गिमेल (ग) दालेय (द) आदि ब्राह्मी के सदृश लिखे जाते हैं। दूसरे स्थान पर यह कहा जाता है कि भारतीय अक्षर चित्रलिपि की तरह है। सर्व प्रथम 'चित्र-लिपि' मेमिटिक ही थी। इसलिए सेमिटिक से ब्राह्मी उत्पन्न हुई। तो सरा प्रमाण दिया जाता है कि ब्राह्मी आरम्भ में दाहिने से बाएँ लिखी जाती रही (जैसे अरबी लिखी जाती है)। अत मे यह व्यक्त किया गया है कि ६० पू० ५०० से पहले ब्राह्मी का कोई रूप नहीं मिलता, अतएव ब्राह्मी को वयों कर भारतीय मान सकते हैं? उपरि-लिखित प्रमाणों के उत्तर मे यह कहना यथार्थ होगा कि ब्यूलर डिरिजर द्वारा कथित सेमिटिक तथा ब्राह्मी की समानता काल्पनिक है। उत्तर पञ्चम भारत में प्रचलित खरोष्ठी से मिलता है परन्तु ब्राह्मी से नहीं। फिर भी यह मत अन्य प्रमाणों से पुष्ट नहीं होता कि सेमिटिक से ही ब्राह्मी या खरोष्ठी की उत्पत्ति हुई। यह तीक विपरीत भी हो सकता है (खरोष्ठी से सेमिटिक निकली) दोनों लिपियों अवधा अक्षरों में कुछ समानता दिखाई पड़ती है, पर इससे यह भाव नहीं निकाला जा सकता कि ब्राह्मी सेमिटिक का अनुकरण है। यो तो अंग्रेजी अक्षर इ (E) के सदृश ब्राह्मी ज होता है किन्तु ऐसे आधार पर कोई सिद्धान्त स्थिर करना युक्तिसंगत नहीं है।

संसार में प्राय सभी लिपियाँ प्रारम्भ में “चित्र-लिपि” थीं। उससे ही लोगों ने काला-न्तर में अधरों को लिखना शुरू किया। भारतवर्ष के प्रारंभिक युग के मुहरों के लेख “चित्र-लिपि” में नहीं है। कुछ चित्र हैं पर स्वरब्धनि तथा शब्दाश के द्वोतक हैं या नहीं यह निर्णय नहीं हो सका है। उनमें कुछ अक्षर भी प्रकटित हो रहे हैं। अतएव सम्भव है कि हरप्पा सम्युक्त में उपलब्ध मुहरों (seals) की लिपि से ब्राह्मी क्रमशः विकसित हुई हो।

बृहत्तर ने ब्राह्मी को दाहिने से बाएँ लिखने का जो प्रमाण दिया है वह अशोक के येर-गुड़ी (करनूल, मद्रास) लेख तथा एरण के एक मुद्रा-लेख पर आधारित है। कनिधम ने मध्य प्रदेश के जवलपुर से उस सिक्के का पता लगाया था जिस पर ब्राह्मी में मुद्रा-लेख दाहिने से बाएँ लिखा है। इसे एक आकस्मिक घटना मान सकते हैं और टकसाल के सौचा निर्माता-की भूल से ऐसा ही गया होगा। इसी तरह अशोक के लेख में लिखने का क्रम उलटा मिलता है। येरुगुड़ी के लेख में पहली पक्की ठांक हण से दाहिने से लिखा है और दूसरी पक्की दाहिने से बाएँ। तीसरी बाँध से दाहिने तथा बोयी दाहिने से बाएँ। इसके स्पष्ट हैं कि लेख अकित करने वाला वास्तविक रूप में ब्राह्मी लिखना जानता था। पर एक नयों प्रणालों (दाहिने से बाएँ) का उसी लेख में समावेश करना चाहा था। इसलिए विरारीत क्रम (दाहिने से बाएँ) भी कार्य-वित्त किया। फिन्नु कुत्रिम रूप के आवार पर काई गम्भार विद्वान् स्थिर करना युक्ति समग्र न होगा।

याहित्यिक आवार पर बूद्ध-चाल से भी पूर्व ब्राह्मी का प्रचलन प्रकट होता है। पुरातत्व विभाग की खुदाई में अशोक ब्राह्मी से भी पूर्व पिपरावा स्तूप (उत्तर प्रदेश) के भस्म पात्र पर अक्षर खुद है (₹० पू० ४५०) इससे भी पूर्व पाणिनि के समय लिपि का ज्ञान भारतवासियों को था। मध्य१ में यह व्यक्त करना आवश्यक है कि वैज्ञानिक रूप में ब्राह्मी में प्रत्येक अक्षर व्यव्याख्यक चिह्न है। लिखने तथा बोलने में समता है यानी जो लिखते हैं उसी के समान उच्चारण भी करते हैं। इनमें चौसठ स्वर व व्यंजन के चिह्न हैं। हस्त तथा दीर्घ के पृथक पृथक चिह्न वर्तमान हैं तथा मध्य में स्थित चिह्न से स्वर व्यंजन का मेल होता है। अ सभी व्यंजन में निहित तथा अन्तर्वर्ती हैं। इस प्रकार ब्राह्मी वैज्ञानिक लिपि है तथा उसमें एक क्रम है। इन सबल प्रमाणों के सम्मुख सेमिटिक ऐसी अवैज्ञानिक लिपि से ब्राह्मी को उत्पत्ति कीसे मानी जा सकती है?

यह उल्लेख ही चुका है कि बोढ़ प्रथो में जितनी लिपियों के नाम आते हैं उनमें ब्राह्मी को सर्व प्रथम स्थान दिया गया है। ईसा पूर्व पाच सौ वर्षों से ब्राह्मी का प्रयोग भारत में निरन्तर होता रहा है। अशोक के समय में तो सारे भारत वर्ष में

ब्राह्मी से भारतीय लिपियों का विकास (उत्तर पश्चिम के कुछ गांधार का भाग छोड़कर) इस लिपि में लेख अंकित किए गये। यह राष्ट्रीय लिपि ₹० पू० ५०० से ईसवी सन् के ३०० तक समान रूप में पाई जाती है। जिसके तत्पश्चात् कुछ परिवर्तन आने लगा। गुप्त काल से ब्राह्मी में स्पष्ट विभेद दीख पड़ता है। उसके स्वरूप को ध्यान में रखकर ब्राह्मी का दो विभाग किया जाता है—

(१) उत्तरी भारतीय शैली

(२) दक्षिण भारत की शैली

डिरिजर के मतानुसार मौर्य समाट् अशोक के लेखों में प्रयुक्त लिपि के पदचात् (ईसा पूर्व दूसरी सदी) कलिङ्ग में कुछ भिन्नता उत्पन्न हो गयी थी । हाथी गुम्फा लेख की लिपि को कलिंग शैली को ब्राह्मी कह सकते हैं । इसी प्रकार शुग कालीन भरहृत वेदिका के लेख तथा दक्षिण के शासक सातवाहन लेखों (नासिक, नानाघाट) की लिपि एक सदृश नहीं है । अद्युलर ने उत्तरो भारत की शैली को यानी गुप्त युग से पूर्व लिपि को दो भागों में विभक्त किया है । शुग कालीन लिपि से उत्तरी क्षत्रप (रजुबल) का मधुरा लेख के अक्षर मिलते हैं तथा दोनों लिपियों में समानता है । उसमें भी भिन्न कुछाण लिपि समझी जाती है जो कनिष्ठ हुविष्क तथा वामुदेव की प्रवस्तियों में प्रयुक्त है । प्राय सत्तर लेखों में इस तरह की लिपि वर्तमान है ।

यदि मौर्य काल से ईमवो सन् की द्वितीय शताब्दी तक के लिपियों का गम्भीर अव्ययन किया जाय तो पता चलता है कि अशोक कालीन लिपि में स्वर के चिन्ह अक्षर के सिरे पर या नीचे लगाए जाते थे । विसर्ग का नाम नहीं था तबा ऋू का सर्वथा अभाव था । इसका अव्यवहार सर्वप्रथम उपवदत्त के नासिक लेख (ई० स० १२-२५) में पाया जाता है । खद्रामन के गिरनार लेख (ई० स० १५०) में संयुक्त अक्षर का प्रयोग निश्चित रूप से मिलता है ।

अशोक के पदचात् अनेक लेखों (वेसनगर, नानाघाट, भरहृत तथा हाथी गुम्फा के लेख) में विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है । उदाहरणार्थ पहले चार विन्दुओं से इ मात्रा का बोध होता था पर बाद से तीन विन्दुओं से ई तथा चौथे से अनुस्वार का बोध होने लगा । भरहृत में ई के लिए एक निश्चित स्वरूप दिखलाई पड़ता है । मधुरा के क्षत्रप लेखों में अक्षरों का आकार विभूति के रूप में होने लगा । हाथी गुम्फा में अक्षरों के सिरे छोटी रेखा वर्तमान है । अशोक कालीन ब्राह्मी के अक्षरों में गलाई था । रेखा नहीं थी जो आगे चल कर प्रकट हो गई । मौर्य ब्राह्मी में दीर्घ ई तथा ऊ के लिए क्रमशः भिन्न तथा नीचे दो रेखा जोड़ दी जाती थी । परन्तु ईसवा सन् से इनका पृथक स्वरूप मिलता है । मधुरा तथा सारनाय के लेख में कुछाण युग में ई के लिए विन्दुओं के स्थान पर रेखाओं का प्रयोग होने लगा । ई स्वर के चिह्न ने नवीन रूप धारण कर लिया । ये चार प्रकार के लिखे जाने लगे । दूसरी सदी में हलंत् का प्रयोग आरम्भ हुआ और उसके लिखने में हलत बाला अक्षर साधारण अचरा से नीचे (उसी सीधे में नहीं) लिया जाने लगा । अक्षरों की सिरो रेखा गिरनार के लेख में (१५० ई०) (अक्षरों के सिरे पर) एक छोटी रेखा के मदूर प्रकट हुई जो आगे चलकर लम्बी लकीर बन गई । पश्चिमी भारत के धत्रप शासक तथा दक्षिण के सातवाहन नरेशों के मुद्रा लेखों में अक्षरों के नए स्वरूप मिलते हैं । न, य, स, ह, क, म तथा इ को नया रूप सामने आता है । इसका कारण यह बतलाया जाता है कि सिवायों पर स्थान की कमी के कारण नए शैली के अक्षर लिखे गए ।

चौथी सदी से भारतीय लिपि में विशेष रूप से भिन्नता आ गई । मौर्य युग से तीसरी सदी तक ब्राह्मी में अमृत् परिवर्तन नहीं दिखलाई पड़ता । अक्षर का रूप तथा कुछ नए रूप के समावेश से वह भिन्नता नहीं आ सकी जिसको नया नाम देकर गुप्तलिपि व्यक्त किया जाता । किन्तु चौथी सदी से छठी सदी तक नवदा के उत्तर में प्रचलित लिपि को “गुप्त लिपि” की संज्ञा दी गयी क्योंकि

उस अवधि में गुप्त शासक थे। समय तथा स्थान के कारण निश्चित रूप से ब्रह्मी में विभेद आ गया। 'गुप्त लिपि' का प्रयोग सकृत भाषा में सर्वत्र होने लगा। उदयगिरि (भिलसा के समीप) के लेख में जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय का सर्वप्रथम उपयोग दिखलाई पड़ता है। "गुप्त लिपि" के अध्ययन के फलस्वरूप दो उपविभाग किये गये हैं। श्री राखालदास बैनर्जी चार उपविभाग मानते हैं। (१) पश्चिमी ढंग के अक्षर जिसमें कोई नया रूप नहीं है। प्रथम कुमार गुप्त के भिलसद लेख (एटा जिला, उत्तर प्रदेश) की लिपि पश्चिमी उपविभाग का प्रतिनिधि समझी जाती है। इसमें स्वर के चिह्न स्पष्ट हैं जो आगे चलकर कुटिल लिपि का स्थान लेते हैं। (२) पूर्वी शैली में ल, स, ह तथा म अक्षरों का नया रूप दिखलाई पड़ता है। प्रयोग का स्तम्भ लेख इसका प्रतिनिधित्व करता है। इसके लिए दो विन्दु तथा सामने लम्बवत् रेखा का प्रयोग मिलता है। सभी अक्षरों में कोण तथा सिरे पर रेखा का समावेश 'गुप्त लिपि' में पाया जाता है। इसी को "सिद्धमातृका" के नाम से पुकारते हैं।

गुप्त युग के पश्चात् छठी से सबी सदों तक गुप्त-ब्राह्मी से भी अधिक भिजना उत्तरी भारत के लिपि में दिखलाई पड़ने लगी। गुप्त लिपि के प्रत्येक अक्षर में नीचे की ओर खड़ी रेखाएँ बाईं ओर मुड़ी हैं तथा स्वर की मात्राएँ टेढ़ी और लम्बी हो गईं। कुटिल लिपि गई। इसी कारण इन तीन सौ वर्षों की लिपि को कल्पना की गई।

जो "कुटिल लिपि" के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह शब्द केवल लेख (उत्तर प्रदेश) में 'कुटिला धारणि' कहा गया है तथा विकासाकृदेव चरित में कुटिलिपि उल्लिखित है। कालान्तर में इसको 'विकटाक्षरा' भी कहने लगे। पिछले गुप्त नरेश आदित्यसेन का अपसद (गया जिला) तथा विष्णु गुप्त का भगराव। (शाहजाहान जिला) लेख इसी लिपि में उत्कीर्ण हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा राजपुताना के लेख इन लिपि से सम्बन्धित हैं। मदसोर, मधुबन जोधपुर आदि लेखों में अक्षर नागरी से मिलते जुलते हैं। आ, हल्त, उपध्मानीय आदि का प्रयोग नागरी के समान है यानी कुटिल तथा देव नागरी लिपि में कोई अन्तर नहीं दिखलाई पड़ता। कुटिल लिपि से ही नागरी तथा शारदा लिपियां निकली। हल्तं व्यञ्जनों के सिरे पक्कि से नाचे नहीं मिलते किन्तु स्वर व्यञ्जनों के साथ समान पवित्र में ही लिखा है।

भारतवर्ष की सर्वप्रसिद्ध लिपि नागरी का विकास सिद्धमातृका से माना जाता है। नागरों का नामकरण विवादास्पद है। नगर के रहने वाले जिस लिपि में लिखे लगे उसे 'नागरी' का नाम दिया गया अबवा गुजरात के नागर ब्राह्मण जिस देवनागरी लिपि का प्रयोग करते थे, उसे 'नागरी' कहा गया। इसमें सिरे की पड़ी रेखा लम्बी होती गई और अक्षरों में लम्बी लकीर का समावेश हो गया। सिद्धमातृका से भिन्न सिरे की मात्राएँ अधिकतर सीधी हो गई। सातवीं सदी के अभिलेखों में 'नागरी' के स्वरूप का आभास मिलने लग गया था। परन्तु नदी सदों से सर्वत्र 'नागरी' में लेख या पुस्तक लिखना आरम्भ हो गया। ११ वीं सदी तक उत्तरी भारत में 'नागरी' ही प्रधान लिपि हो गई और उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, बंगाल, राजपुताना में सर्वत्र 'नागरी' में अभिलेख तथा मुद्रालेख उत्कीर्ण होने लगे।

नागरी को 'देव नागरी' की संज्ञा दी गई है। सम्भवतः देव कार्य के लिए ब्राह्मण प्रयुक्त करते थे इसलिए देवनागरी नाम प्रसिद्ध 'हुआ। यह सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है जिस के प्रत्येक अक्षर में 'अ' अन्तर्निहित है। उसका पृथक उच्चारण नहीं होता। इसमें १४ स्वर तथा ३४ व्यञ्जन पाए जाते हैं।

उत्तरी भारत की ब्राह्मी से ही देव नागरी विकसित हुई और उसीसे समकालीन शारदा तथा बगला लिपियों की भी उत्पत्ति हुई। पश्चिमो गुप्त लिपि से आठवीं सदी में काश्मीर में शारदा लिपि का विकास तथा प्रसार हुआ। शारदा में अक्षर मूलतः देवनागरी के समान हैं परन्तु उनका स्वरूप भिन्न है।

पूर्वी गुप्त लिपि में बगला लिपि का पूर्व रूप पाया जाता है यानी सातवीं सदी के पश्चात् नागरी लिपि से ही बगला लिपि निकली। पाल राजा वर्मणाल तथा देवपाल के लेख नागरी लिपि में ही मिलते हैं। श्री चक्रवर्ती ने अपने लेख (बगली अक्षर का विकास) में इस बात को सिद्ध किया है कि सातवीं सदी की लिपि के पूर्वी उपविभाग से बगला का जन्म हुआ। नागरी से दसवीं सदी तक वह प्रभावित रही यानी दोनों लिपियों में समानता थी। परन्तु इसके बाद स्वतंत्र रूप धारण कर दिया। बगला को १५वीं तथा १६वीं सदी में पूर्ण विकसित पाते हैं। पूर्वी नागरी से ही कैथो, महाजनो, राजस्थानी तथा गुजराती लिपिया निकली। कैथो को कायस्थ लोग लिखते रहे। देवनागरी से इसमें दो स्थानों में भिन्नता दिखाई पड़ती है। अक्षरों में सिरे की पटी रेखा खड़ी तथा रेखा का कैथो में सर्वथा अभाव है। कैथो में इसी का दीर्घ नहीं होता तथा स या श में अन्तर नहीं दिखलाई पड़ता। महाजनों को मारवाड़ी वर्ग व्यापार के सम्बन्ध में प्रयोग करते हैं।

भारत में बिन्ध्या के दक्षिण नवंदा नदी दक्षिणापय की सीमा निश्चित करती है परन्तु लेखन कला के आधार पर पश्चिम में काठियावाड़ तथा पूर्व में बगल के दक्षिण भाग को दक्षिणी भारत के नाम से प्रयुक्त किया गया है और उस भाग में दक्षिण भारत की झंलों प्रचलित लिपि दक्षिण भारतीय झंलों से सम्बन्धित है। उस भूभाग में बसने वाले लोग द्रविड़ या द्रविड़ के नाम से विख्यात हैं। पालि दमिन तथा संस्कृत तमिल शब्दों से बहा की भाषा परिवार की जानकारी हाती है। इसलिए भारतीय लिपि के दक्षिण शाखा को "द्रविड़ लिपि" कहा जाता है। वह लिपि ईसवीं सन् की चौथी मर्दी से प्रयुक्त होने लगी और गुप्त काल में भारतीय लिपि की उत्तर तथा दक्षिण शाखाएँ पृथक हो गई। मोटे तौर पर उत्तरापय की लिपि में कोण युक्त अक्षर तथा अक्षर के सिरे पर पटी रेखा को स्थान मिल गया। दक्षिण के अक्षरों पर वर्गाकार आकृति जोड़ दी गई जो बाक्सनुमा कही जाती है।

४५

दक्षिणापय की द्रविड़ लिपि निम्न भागों में विभक्त की गई है —

(१) पश्चिम उपविभाग—काठियावाड़ गुजरात, मराठा जिले तथा कोकण में प्रयुक्त। गुजरात काठियावाड़ में उत्तरी शाखा की लिपि काम में लाई जाती थी, अतएव उसका प्रभाव दिखलाई पड़ता है।

(२) मध्य भारत की लिपि—इसमें भी अक्षरों पर वर्ग का स्थान दिया गया था यानी बाक्सनुमा आकार वाले अक्षर ।

(३) तेलगु लिपि—दक्षिण भारत में इस लिपि को प्रधान स्थान दिया गया है । इसका प्रयोग तथा विकास बम्बई के दक्षिण भाग में, मैसूर तथा आश्र प्रदेश में मिलता है । इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग पांचवीं सदी म हुआ तथा कन्नड ग्रन्थ ‘कविराज मार्ग’ (६ वीं सदी) में यह लिपि प्रयुक्त है । तमिलनाडु प्रदेश के तेलगु लेख से भी पहले तामिल का प्रयोग मिलता है ।

(४) घंथ लिपि—पूर्वी मद्रास किनारा, काची के भाग से प्राप्त प्राचीन संस्कृत अभिलेख ‘ग्रथ’ के नाम से प्रसिद्ध थी । काची ५वी-९वी सदी तक तथा चोल (उत्तरी मद्रास) राज्य म ५वी से १४वीं सदी तक प्रयुक्त हानी रही । पञ्चव राजवंश के ताम्रपत्र (७वी सदी) ‘ग्रथ’ में ही लिखे गए थे । आरकाट से केरल तक पुस्तके इसी लिपि में लिखी गई थी, इसी कारण इसका नाम ‘ग्रथ लिपि’ पड़ा ।

(५) तामिल लिपि—इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता । व्यूलर का मत था कि पांचवीं सदी की ब्राह्मी से यह निकली और कालान्तर में ‘ग्रथ’ से प्रभावित हुई । द्रविडी लिपि से तामिल लिपि का सम्बन्ध अनिश्चित है । आरकाट, मदुरा तथा केरल तक तामिल की अपर्णता के कारण संस्कृत की पुस्तकों ‘ग्रथ’ लिपि में लिखी गई । तमिलनाडु के भूभाग में तथा मालावार प्रदेश के लेखों में (चोड, चालुक्य एवं राष्ट्र कूटके दानपत्रों) में सातवीं सदी से तामिल का प्रयोग होने लगा था । इस में संयुक्त व्यञ्जन एक दूसरे से मिला कर नहीं किन्तु पास-पास लिखे जाते हैं । इसमें कुल १८ व्यञ्जन हैं । इसी कारण संस्कृत दृश्यमें लिखा नहीं जा सकता । जब आवश्यकता पड़ी तो ‘ग्रथलिपि’ में लिखे जाते हैं ।

तामिलनाडु के गजाम तथा कलिंग लिपि ७वी से ११वीं सदी तक कलिंग लिपि का प्रयोग मिलता है । इसमें कलिंग लिपि सम्पूर्ण भाषा तथा अध्यर के सिरे पर संदर्क की आकृति वर्तमान है । इसमें तेलेगु, ग्रथ तथा नागरी का सम्मिश्रण पाया जाता है ।

लेखक तथा लिखने की विधि

भारतवर्ष में अद्यर को विद्वानों ने पता लगाया और साहित्यिक क्षेत्र में पुरोहित अथवा ब्राह्मण इसका प्रयोग करते रहे । लिपि से पूर्वं भाषा तथा स्वर विद्या का ज्ञान स्वतं प्रमाणित होता है । भाषाविद् के समक्ष साहित्य का अव्ययन प्रमुख था जीर लेखन कार्य की उत्तरी आवश्यकता न थी । समाज के विकास के साथ विभिन्न जीविका के द्वारा लोग जीवन निवाह करने लगे और लेख-कार्य भी एक जीविका का साधन बन गया ।

हमारे महाकाव्यों में लेखन शब्द का उल्लेख पाया जाता है । रामायण तथा महाभारत के अतिरिक्त पालि साहित्य में इस शब्द का प्रचुर प्रयोग किया गया है । मुद्राराजस में पदाविकारी लेखक या श्रोतिय की प्रशंसा की गई है—

(अ) श्रोत्रिय अक्षराणि प्रयत्न लिखितान्यपि …… ..

(ब) अहो दर्शनीयान्यक्षराणि (प्रयम अंक)

बीद यंच विनयपिटक (भिक्षुपाचितिय एवं बृथिस्ट इंडिया पृ० १०८) मे लेखन कला की प्रशंसा की गई है । महाबग्म (१, ४९) तथा जातको मे (इंडियन स्टडीज ३, २) राजकीय पत्रो का विवरण पाया जाता है जिससे प्रकट होता है कि राजकीय आज्ञा पत्रो के लिखने मे दाता की आवश्यकता रहती थी । अभिलेखो म रावंप्रथम साचो के लेख मे (सूप न० १ सं० १४३) 'लेखक' शब्द का प्रयोग मिलता है । उससे दानकर्ता के जीविका का तात्पर्य या । कालान्तर मे 'लेखक' शब्द का प्रयोग प्रशस्तकार (शिला या ताम्रपत्र का लेखक) के लिए होने लगा । ब्राह्मण या कायस्थ वर्ग के व्यक्ति इस कार्य बो करते थे । जैन-धर्म-पूर्ण मिलु तथा भिक्षुणी द्वारा पढ़ने के निमित्त नकल किये जाते थे । नालदा के लेख मे धर्म-पूर्ण के लिखने के लिए (नकल करने) दान देने का वर्णन मिलता है (धर्मरनन्दम लेखनःतर्थ—इ० ना० २०) । अशोक के लेख मे (इसा पू० चौथी सदी मे) लिपिकर (लिखित लिपि-करेण-प्राप्तगिरि , लिपिकरापरावेन-गिरवार लेख तथा दिपिकर शाहवाजगही १४वा शिलालेख) शब्दो का प्रयोग धर्मशासन को प्रस्तर पर लिखने वालो के लिए प्रयुक्त मिलता है । लिपिकर तथा लग्यक समानार्थक शब्द है परन्तु लेखक शब्द हा अनिक प्रयुक्त है । आठवी सदी के बलभी लेख मे दिविरिपति शब्द उल्लिखित है जिस ता तात्पर्य यह हो यक्ता है कि वह राजकीय पत्रो के लेखो से उच्च कोई अधिकारी था । घूलर ने शासीक के दिपिकर शब्द की एरानी विविर से उत्पन्न बतलाया है । दिपिकर प्राकृत मे दिविकर हा गया हाँगा किन्तु दोनो एक ही शब्द के दो रूप होगे ।

इसी सन् के पश्चात् लेखन कार्य एक विशिष्ट वर्ग के हाँगो जा गया जो कायस्थ के नाम से उल्लिखित है । याज्ञवल्य स्मृति (१, ३३६) मे उल्लिखित कायस्थ शब्द पर टीका करते विज्ञानश्वर ने उसका अर्थ लेखक माना है । (कायस्थ गणका लेखकाशन) । पाचवी सदी के दामोदरपुर ताम्रपत्र मे कायस्थ वर्ग का मुखिया चिला मर्मिति का सदस्य यतलाया गया है (ए० इ० ना० १५) । कायस्थ उस समय किसी वर्ग या जाति का नाम नही था परन्तु राज धराने मे जो कोई लेखक का कार्य करता रहा वह कायस्थ नाम से सम्बोधित किया जाता था । कायस्थ शब्द का दार्शनिक रोति से यह अर्थ निकलता है कि जिस व्यक्ति का व्यान यशीर (काय) म कन्द्रीभूत हो जाय और किसी वस्तु का परवाह न करे, वह कायस्थ पुकारा जा सकता है । अस्तु, अभिन्न वर्ण तथा जाति के व्यक्ति राजदरबार मे कायस्थ का कार्य (लेखन कार्य) करते थे, जो कालान्तर मे एक जाति के रूप मे समर्गित हो गए ।

कायस्थ शब्द के अतिरिक्त लेखक के लिए करण, करणिक, कर्णित आदि शब्द प्रयुक्त होते रहे । चेदि लेख (करणिक धीर सुरेन) तथा चन्देलो के खजुराहो प्रशस्ति मे करणिक शब्द का प्रयोग मिलता है जो मुन्द्र अक्षर लिखने के लिए प्रसिद्ध थे । कार्यालय (अधिकरण या श्राकरण) से सम्बन्धित लेखक करण या करणिक कहलाया । कीलहान ने करण से कानूनी पत्रो के लेखक का अर्थ माना है ।

मध्य युग के [१२वी सदी] चन्देल, चेदि व चहमान लेखो मे कायस्थ के सम्बन्ध में अत्यधिक बातें उल्लिखित है । अनेक प्रशस्तियो मे लेखक के अतिरिक्त वह धर्मलेखी (धार्मिक दान का लेखक) भी कहा गया है । दानपत्रो मे वर्णन आता है कि गोड़ (उत्तरी बंगाल)

कायस्थ सुन्दर अधर लिखते थे (लिखिता रुचिरा अक्षरा गोडेन—ए० इ० भा० १ प० १४७) स्पात् अच्छे रीति से लिखने के कारण गोड़ कायस्थ को मध्य देश के राजाओं द्वारा निमंत्रण दिया जाता था । खजुराहो लेख (१० वीं सदी), मध्यप्रदेश के कलचुरि प्रशस्ति तथा मारवाड़ से प्राप्त चहमान लेखों में कायस्थ की प्रसंशा की गई वयोंकि वह राजकीय पत्रों को सुन्दर व ललित अक्षरों में लिखता था ।

(१) लिखितं श्री गोदान्वय कायस्थ पेथडेन	(ए० इ० ११ प० ४१)
(२) द्विजवर्णनतिरिक्तं शुद्ध कायस्थ वद्यो	
हृदयधर रामाध्यः श्री शिव स्तभ मृतु	
अलिल दखिल वर्णं व्यञ्जतं पक्षि प्रशस्यं	
नव किसलय कान्तं ताप्रेतद्विजानाम्	(ए० इ० १४ प० १९५)
(३) विरचितं शुभं कम्मनाम् कायस्थ वद्य	
सकल गुण गुणाना वेश्य पृथ्वीधराध्यः	
अलिल दवनि पालस्याजया धर्मलेखी	
स्कृट ललित निवेशीरथारेस्ताम्रनटम्	(ए० इ० १४ प० १४)

इमीं तरह करणिक की भी चर्चा लेखों में आती है जो सुन्दर अधर लिखने के कारण गोड़ देश में मध्य देश या राजपूताना में निर्मिति किये गए थे । यह भी वर्णन आपा है कि उन्हें संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था, इस कारण शुद्ध लिख सकते थे ।

लिखितं चेद करणिक श्री सर्वनन्देन	(ए० इ० ११ प० १४५)
संस्कृतं भाषा विद्यूया जयगुण पुत्रेण	
कोतुका लिखिता, रुचिराक्षरा	
प्रशस्ति करणिक जद्देन गोडेन	(ए० इ० १ प० १२९)

प्राचीन अभिलेखों में प्रशस्ति अक्षित कराने के प्रसंग में चिल्पिन, रूपकार या मृत्रधार या शिलाकूट शब्दों का प्रयोग मिलता है । उनके त्रिवेचन से प्रकट होता है कि सर्व प्रथम प्रशस्ति या लेख राजकीय पदाधिकारी द्वारा लिखा जाता था (जिसे सूत्रधार लेखक कह सकते हैं) और उनींको पस्तर अथवा नामांत्र पर गोदा जाना था । गोतमी पुत्र शातकर्णि के नामिक लेख के अत में “नाम-सेन कृता” उल्लिखित है जिसका भाव यह है कि तापम (नाम) द्वारा खोदा गया (उद्बोधन किया गया) । इस तरह का सदर्भ पूर्व मध्यकालीन प्रशस्तियों में अधिकतर पाया जाना है जो ताम्रपट्टिका या शिला खण्ड पर खोदी जाती रही । खोदने वाला शिल्पी कहा गया है । बगाज के लेख में मगध के शिल्पी सीमेश्वर का निम्न प्रकार उल्लेख है जिसने प्रशस्ति खोदी थी—

शिल्पिन मायथ कामी तन्मना वर्णभवितभि	
सीमेश्वरो लिखिदिमाम् प्रशस्ति स्वामिव प्रिमाम्	
	(ए० इ० १३ प० ४५)

उसी तरह महीपाल के लेख में “इमं शासन उत्कीर्ण श्री महीधर शिल्पना” पाया जाता है (ए० इ० १४ प० ३२३) अन्य लेखों में भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है ।

रजपालस्य पुत्रेण पाल्लोणे च शिल्पिना

उत्कीर्ण वर्णघटना बैदरधो विश्वकर्मण

(ए० इ० भा० २० प० १३१)

यशोवर्म मुतेनेय सापुना नाग वर्मणा

रम्या प्रशस्तिस्त्वीर्ण कला कोशलशालिना

(धनिक की नगर प्रशस्ति से)

ताम्रपत्र पर कुगल शिल्पी द्वारा लेख खुदवाने का कार्य १२ वी सदी तक के लेखों में पाया जाता है ताड पत्र पर स्थाही से लेख लिखकर अक्षरों को कील से खोद दिया जाता था। इसी रीति का अधिकतर प्रयोग मिलता है।

(१) उत्कीर्ण प्रचुरासा प्रशस्तिरियथरै रुचिरः (ए० इ० भा० २६ प० २६३)

(२) लिपिज्ञान विज्ञेन प्राज्ञेन गुणशालिना
मिहनय संगुत्कीर्ण सद्घर्णा रूप शालिना (ए० इ० १ प० १५७)

(३) उत्कीर्ण सोभग्नायेन टड्कु विज्ञान शालिना (वही प० ८१)

(४) चक्रदासेन उत्कटितम् (प्रभाइनी गमा का पूना तामपत्रे)

(५) उत्कीर्णाच्च देमकार कुण्ठश्वरेण (जोशपुर की प्रशस्ति)

(६) श्रीमतातातटेनेद उत्कीर्ण गुणशालिना (खालीमनुर ताम्रपत्र)

(७) कई अन्य लेखों में प्रस्तर सोदने वाले तथा स्वर्ण कार का स्पष्ट उत्लेख
मिलता है। इसा शिलाशिल्पबर , प्रशस्ति स शूलपाणि
स्वयुच्चवान (गोविन्दपुर लेख)

इति सुवर्ण कार्य पुत्रेण अपायेन लिखियन्तात्र पट्टिका (गमा अभिलेख)

यशोवर्मन की मदमोर प्रशस्ति में “उत्कीर्ण गोविन्देन” उल्लिखित है।

इन उद्घरणों से अर्थ यह निकलता है कि शिल्पी को प्रस्तर या ताम्रपटिका पर प्रशस्ति
खोदने (उत्कीर्ण) में कुशल समझ कर कार्य सोप दिया जाता था। वह मुन्दर अक्षरों में
उचित रीति से प्रशस्ति उत्कीर्ण करता जिसमें उन्होंने कुशलता का परिज्ञान होता था। वह
कारीगर सुनार , लोहार काष्ठकार या ताम्रकार जाति का होता था जिसका जीविका उसी
कार्य पर निर्भर थी यह कहना मम्भव नहीं कि कितने मम्भम में एक ताम्रपत्र खोदा
जाता था।

दानपत्रों को ‘शासन’ की सज्जा मध्ययुगी लेखी में दी गई है। वाकाटक नरेश प्रब्रह्मसेन
की प्रशस्ति में (चमक लेख) ‘शासन लिखितमिति’ वाक्य उल्लिखित है। प्रभावतो गुता के

पूना ताम्रपत्र में यही वाक्य उल्लिखित है। वसिम ताम्रपत्र में
शासन का निर्माणकर्ता ‘लिखीतमित शासन’ वाक्य पूर्वोक्त कथन की पुष्टि करता है। राष्ट्रकूट

लेखों में दूतक द्वारा लिखने का वर्णन है—दूतक लिखितं श्री
गौडमुतेन”। पालवंशी लेख उगे ‘शासन’ का ही नाम देते हैं (शासन उत्कीर्ण) चहमान वंशी-
राजा विग्रहपाल के स्तम्भलेख में “लिखितमिद राजा आदेशात्” वाक्य मिलता है। गुप्त युग के
लेखों का अध्ययन यह बतलाता है कि शासन (राजकीय पत्र) तैयार करने का कार्य किसी

जैने पदाधिकारी के हाथ में रहता था। प्रयागस्तन्म की प्रशस्ति हरियेण ने लिखी थी जो कुमारामात्य तथा सन्धिविग्रहिक (मंत्री) पद को सुशोभित कर चुका था। प्रथम कुमारगुप्त की मदसोर प्रशंसित की रचना वत्सभट्टि ने की थी (अयंप्रयत्नेन रचिता वत्सभट्टिना) बलभी राजा धरमेन के ताम्रपत्र में “सन्धिविग्रहविकरणाधिकृत दिविरपति स्कन्दभट्ट” का नाम आता है (इ० ६ प० ९)। शासन लिखते समय दूड़क भी भौजूद रहता था और अत में शासक हस्ताक्षर करता था। बासखेडा ताम्रपत्र के अंत में “स्वहस्तोमम महाराजाविराज थो हर्षस्य” का उल्लेख हस्ताक्षर को (वर्तमान बा० लू०) व्यक्त करने के लिए अकित किया गया था। राजतरंगिनी (५, ३९७) में एक पदाधिकारी—पट्टगाव्याय का नाम आता है जो काश्मीर में राजकीय पत्रों (शासन) को तैयार करता था। अधापटलिक रामक अधिकारी उन शासनों को संग्रह कर रखता था। इस तरह पुराने समय में राजाज्ञा को प्रस्तर या पट्टिका पर उत्कीर्ण करने का कार्य सपन्न किया जाता था।

नासिक गुहा लेख में वर्णन मिलता है कि दात की घोषणा कर तथा लेखन कार्य संपन्न होने के पश्चात् ताम्रपत्र (फलक) को निगम सभा को रजिस्ट्री निबन्ध कर्म (निवेद) कर वही कार्यालय (फलकवार) में सुरक्षित रखता जाता था ताकि भविष्य में उसी लिखित नियम का पालन हो सके। उत्तेज पठनीय है —एत च सर्व स्त्रावित नियम सभाय निवेद च फलकवारे चरित्रतोति। भूयोनेन द्वन्द्व वसे ४० + ? कातिक घूयेनरसपुत्राक वसे ४० + ५ स्त्रावित…… फलकवारे चरित्रतो ति। (ए० इ० भा० ८ प० ८२)

दान लिखकर राजकीय कार्यालय (फलकवार) में सुरक्षित किया जाता यानी रजिस्ट्री (निवेद) किया जाता था। समयानुकूल (चरित्रतो) उसकी प्रति सुरक्षित की जाती। पूर्व-मध्यवयुग के लेखों में उस पदाधिकारी को ‘अधापटलिक’ कहते थे।

प्राचीन समय से ब्राह्मी को बाए से दाहिने लिखने की रोति प्रचलित थी। पर खगोषी दाहिने से बाए (अनार्थ दण पर) लिखी जानी थी। एरण के मुद्रा लिखने की शैली लेख में ‘घनपलदस’ तथा अशोक के येरगुडी लेख में कुछ पक्षितया दाहिने से बाई ओर लिखी मिली है जिस आधार पर विदेशी विद्वान् आहो की उत्पत्ति खरोष्टी में मानने लगे थे। परन्तु इसमें बास्तविकता नहीं है। येरगुडी में शिल्पी एक नया क्रम का प्रयोग कर रहा था जिसमें कुछ पक्षितया (२, ४, ६, ८, १०, ११, १३, १४, २३) दाहिने से बाई ओर लिखी मिली है। इस आधार पर कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं किया जा सकता। प्रागैतिहासिक युग की मुद्राओं पर भी सम्भवत बाई ओर से दाहिने अथव लुदे प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि बाए से दाए लिखने की परिपाठी ही सब से प्राचीन तथा भारतीय है।

पुराने अधरों के सिरे पर पड़ी लक्षण देने की रोति ई० सं० से आरम्भ हुई परन्तु वह भी नोक की तरह छोटा। पठा रेखा नहीं थी। यह कहना उचित होगा कि अथव सीधी पक्षि में हीते थे। सम्भव है कि सीधी पक्षि के लिए शिल्पी पूर्व ही निशान लगा देता रहा ताकि लिखते समय टेढ़ा न हो। प्राचोन लेखक अक्षर समूह या शब्द समूह की ओर ध्यान नहीं देते

ये और वाक्य को पृथक दिखाने के लिए किसी तरह का विराम चिह्न का भी प्रयोग नहीं करते रहे। यद्यपि प्राकृत लेखों में अक्षर समूह का प्रारम्भ हो गया था परन्तु संस्कृत अभिलेखों में विराम या खाली स्थान के प्रयोग से पद पृथक किए जा सकते हैं।

मोर्य युग से ईसवी सन् की पहली सदी तक विराम के निश्चित चिह्न नहीं थे। केवल एक छोटी पड़ी रेखा का प्रयोग मिलता है। किन्तु पाचवीं शताब्दी से विराम के चिह्न स्पष्ट रूप से मिलते हैं। मदसोर तथा हरहा (पलीट नं० ३५ तथा ए० इ० भा० १४) की प्रशस्ति में एक खड़ी रेखा से पूर्ण विराम व्यक्त किया गया है। तीन खड़ी रेखाएँ कभी शासन के अंत में दिखलाई पड़ती हैं।

दक्षिण के सातवाहन, उत्तर-पश्चिम के शक कान्तप तथा कुण्डण लेखों की एक विशेषता है कि उनमें सचिसीकरण वा परिपाठी दिखलाई पड़ती है।

सम्बस्तर के लिए सम्ब, सब, स या स

गृह्म	"	"	गृ० गै० गिं०
हेमन्त	"	"	है०
दिवस	"	"	दि०
शुक्ल पक्ष	"	"	शु० दि०
बहुल पक्ष	"	"	ब० दि०
द्वितीय	"	"	द्वि०
सिद्धम्	"	"	श्री० सि०
राउत	"	"	रा०

अत में इस विषय को समाप्त करते यह कहना असगत न होगा कि स्वस्त्रिक, त्रिरत्न या धर्मचक्र आदि वार्षिक चिह्न भी प्रशस्ति उत्कीर्ण करते समय खोदे जाते थे जो वार्षिक भावना के द्योतक हैं। लेख के अन्त में राजमुद्रा को भी अकित किया जाना था। गुप्त युग में गरुण की आकृति सिक्कों तथा कुछ लेखों पर मिलती है (गढ़ठ ध्वज)। गज लक्ष्मी, शिव प्रतिमा, बोधिवृक्ष, धर्मचक्र या सदाशिव मूर्ति आदि विभिन्न राजवंशों को प्रशस्तियों पर अकित मिलते हैं।

प्राचीन भारत में सहन्मो अभिलेख, प्रस्तर या ताम्रपट्टिकाओं आदि पर उत्कीर्ण किए गये थे जिनकी लिपि के सम्बन्ध में ऊपर लिखा जा चुका है। प्राय सभी को जानने की प्रवृत्ति इच्छा होगी कि इन व्राह्मण तथा खरोष्टी के लेखों तथा प्रशस्तियों

प्राचीन भारतीय का स्पष्टीकरण कर और किस प्रकार हुआ। इसका इतिहास यह लिपि का स्पष्टीकरण बतलाता है कि कुछ भारतीय विद्वान् ७ वी ८ या वी सदी के हस्त-लिखित ग्रंथों को (संस्कृत या प्राकृत) पढ़ सके थे परन्तु इसके पूर्व लिपियों की जानकारी उन्हें न थी। १४ वी सदी में फिरोजशाह तुगलक ने अजोक के लेखों को पढ़ाने का प्रयत्न किया था जो अजोक स्तम्भ पर खुदे थे और जिन स्तम्भों को अम्बाला के टोपरा तथा मेरठ से दिल्ली लाया गया था। भारत वासी उस लिपि से १८ वी सदी तक अनभिज्ञ थे। सन् १७८४ में स्थापित बगाल एशियाटिक सोसाइटी के सहयोग से इस कार्य में

प्रगति हुई। १७८५ में विल्किन्स ने एक पाल प्रशस्ति को (बदल स्तम्भ लेख) पढ़ा तथा राधाकान्त शर्मा ने चहमान विशाल देव की प्रशस्ति को स्पष्ट किया। विल्किस ने उन पठित अक्षरों की सहायता से गुप्त लिपि के थोड़े अक्षरों को स्पष्टतया पढ़ लिया। जेम्स टाड को राज-पुताना, मध्य भारत तथा गुजरात से एकचित्र लेखों को पढ़ने में आशिक सफलता मिल सकी।

१८३४ में द्राघर तथा डा० मिल प्रधाग स्तम्भ लेख के पढ़ने में सफलीभूत हुए थे। उसके बाद ही स्कन्दगुप्त का भितरी स्तम्भ लेख पढ़ा गया। इस सम्बन्ध में जेम्स प्रिसेप का नाम गवे के साथ लिया जा सकता है जिसने गुप्त लिपि का पूर्ण रीति से स्पष्ट किया और अक्षर पहचाने जा सके। चार्ल्स मेलेट ने ब्राह्मी अभिलेखों के स्पष्टीकरण के लिए परिश्रम किया था पर मफूज न हो पाया। १८३६ में लसेन द्वारा भारतीय यूनानी मुद्रा-लेख पढ़ा गया और इस तरह ब्राह्मी के अक्षर अंशत ज्ञात हो गए। इसका कारण यह था कि अग्रथुल्केयस के मिक्को के अग्र भाग पर यूनानी लिपि में मुद्रा-लेख था और पृष्ठ ओर ब्राह्मी में। कभी-कभी अग्रभाग में यूनानी और पृष्ठ भाग में नरोषी तथा ब्राह्मी के लेख क्रमशः अग्र तथा पृष्ठ भाग पर अंतर थे। इस प्रकार यूनानी लिपि की सहायता से नरोषी तथा ब्राह्मी के अक्षर स्पष्ट हो सके। ब्राह्मी का पूर्ण ढग से स्पष्ट करने का श्रेय जेम्स प्रिसेप को है जिसने प्रधाग, रघिया, मर्यादा तथा विलाङ्गी स्तम्भ लेखों का तुलनात्मक अध्ययन किया और गुप्त लिपि को पूर्णतः जान लिया। गुप्त लिपि से ब्राह्मी की जानकारी सरल हो गई ब्योकि अक्षरों के सिलसिला का पता लग गया। उसने स्वर तथा व्यञ्जन को पृथक किया। स्वर का मूल्य जान कर प्रिसेप ने वर्ण में उन्हें विभाजित कर दिया। साची वेदिका पर खुदे लेख के अंतिम दो अक्षरों का शब्द अनुमान ये बनक हो गया। दान शब्द सर्वत्र एक साथ जिसे वेदिका के दान देने के प्रसंग से पढ़ा जा सका। अनुमान से भी अक्षर का वास्तविक ज्ञान हो गया।

खरोषों के पढ़ने में अधिक सुविधा दो भाषा के मुद्रालेख से मिली जो भारतीय-यूनानी लिपिको पर नुदी थी। टाट यथा वर्ण को ऐसे अनेक तिक्के मिले थे जिन पर अग्रभाग में यूनानी तथा पृष्ठ भाग में नरोषी लेख उत्कीर्ण थे। विद्वानों का अनुमान थोक तिक्का कि यूनानी लिपि तथा नरोषी के मुद्रालेख एक समान है और दोनों लिपियों में एक नाम अकित है। प्रियेंग इस को व्यान में रखकर थोक राजाओं का नाम पढ़ सका तत्पश्चात् खरोषों के लेख पढ़े गये। इस प्रकार मुद्रालेख के सहारे लिपि का जानकारी पूर्ण हो मिली। शनै शनै ब्राह्मी तथा नरोषी के मग्नस्त वर्णमाला का ज्ञान हो सका जिससे भारतीय संस्कृति के अमूल्य रत्नों को जानकारी सरल तथा सुलभ हो गई।

अध्याय १२

भारतीय अभिलेख तथा बृहत्तर भारत

पिछले पचास वर्षों से भारतीय इतिहास को एक विशेष शाखा का अध्ययन किया जा रहा है जिसे 'बृहत्तर-भारत' की सज्जा दी गई है। भारत की सस्कृति वर्तमान भीरोरिंग सोमा के बाहर विस्तृत थी जिसके अध्ययन से एक ज्ञान-राशि प्रकाश में आई है। उत्तर-पश्चिम मार्ग से होकर भव्यएशिया, चीन तथा जापान तक भारतीय सस्कृति का विस्तार हुआ और पूर्वी बदरगाहों से दक्षिण-पूर्वी एशिया में हमारी मस्कृति का फैलाव हुआ। बृहत्तर-भारत में उस सस्कृति को ले जाने का ऐय भारतीय व्यापारियों को है जो वाणिज्य के प्रमग में तथा व्यवसाय की अभिवृद्धि के लिए उन देशों में गए। वहा जाकर उन्होंने अपना उपनिवेश बसाया और क्रमशः सास्कृतिक बालों का फेलाव किया। बृहत्तर भारत की सामाजिक, पार्श्विक तथा कला का इतिहास इस बात को स्पष्ट बत्त करता है कि भारतीय मस्कृति का विस्तार किस रूप से वहाँ हुआ था। वहाँ के खण्डहर, भवन, मन्दिर तथा खुदाई से प्राप्त पुरानत्य साम्राजियों ऐसे अकाट्य प्रमाण हैं जिसके आधार पर भारतीय सस्कृत के स्वरूप तथा उसके विस्तार का परिज्ञान हो जाता है।

उस ऐतिहासिक सामग्रियों में लेखों पर विचार करना हा प्रस्तुत विषय है। समस्त प्राप्त अभिलेखों पर विचार करने से पता चलता है कि लेख पिलावण्ड, स्तम्भ (यूव), प्रतिमा आधार, ताम्रपत्र तथा कास्थ घटे (bell) पर अकित किए गए हैं। एशिया के दक्षिण-पूर्वी भाग में बनाम, चम्पा, मलय, वर्मा के भू भाग तथा बोनियो, जावा, बाली द्वांपो आदि के लेख पर्याप्त रहल्या में मिले हैं। जावा में अधिकतर ताम्रपत्र तथा वर्मा में घटे पर खुदे लेख प्राप्त हुए हैं। मध्य-एशिया में खुदाई के फलस्वरूप जो भोजपत्र पर लिखे गये मिले हैं और गुफाओं से चित्र तथा मूर्तियाँ प्रकाश में आई हैं, उनके अध्ययन गे विस्तारपूर्वक भारतीय मस्कृति की जानकारी होता है। अतएव बृहत्तर-भारत के अभिलेखों की चर्चा तथा वर्णन द्वारा भारतीय सस्कृति का सीमित विवरण ही उपस्थित किया जायगा। अभिलेखों के अध्ययन से विशिष्ट देशों के राजनीतिक इतिहास का हा ज्ञान नहीं होता किन्तु उस देश के समाज, साहित्य तथा अन्य विचार धारा का परिज्ञान होता है। यहाँ पर यह कहना आवश्यक है कि हिन्दू-चीन तथा द्वापो के समस्त लेख सस्कृत भाषा में तथा भारतीय लिपि में अंकित किए गए हैं। भाषा अलकारिक तथा काव्यमय है। उसका वैज्ञानिक विश्लेषण कठिपय विषयों पर प्रकाश ढालता है।

उसके विवेचन से भारतीय देवता तथा धर्म सम्बन्धी विषयों का परिचय मिलता है। प्रतिमाओं पर अंकित लेख यह बतलाता है कि हिन्दू-चीन की जनता भारतीय जनता के सदृश देवताओं का पूजा करती थी। बुद्धधर्म के वहाँ प्रचार होने के पश्चात् हिन्दू धर्म का प्रमाण

स्पष्ट हो जाता है। लेखों का अध्ययन इस बात को स्पष्ट कर देता है कि हिन्दू चीन की जनता भारतीय साहित्य को पढ़ती थी। ब्राह्मण यज्ञ का वहाँ प्रसार था। कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि बृद्ध धर्म का प्रसार वहाँ हो गया था किन्तु ब्राह्मण संस्कृति की ही प्रवानता दिखलाई पड़ती है। दानपत्रों की चर्चा करते समय भारत के तान्त्रिकों की याद आती है। उनमें दान का वर्णन है। योड़ा महादान की भारतीय कल्पना हिन्दू चीन में भी धर बना चुकी थी। उस प्रसग में 'कल्पवृक्ष' तथा 'गोसत-सहस्र' का उल्लेख लेखों में आया है। संक्षेप में यह कहना युक्ति संगत होगा कि दक्षिण-पूर्व एशिया के इतिहास, उपनिषदेशों का प्रारम्भ एवं भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंगों का प्रसार आदि बातों की जानकारी लेखों से हो जाती है।

भारतीय साहित्य के बाधार पर पता लगता है कि सुवर्ण-द्वीप (=मुमात्रा) में सर्व-प्रथम ईश्वर वर्मा ने पदार्पण किया था और क्रमशः वहाँ उपनिषदेश बना। अरब या चीनी यात्रियों के विवरण के अतिरिक्त सुमात्रा के अभिलेख उस देश को सुवर्ण द्वीप या सुवर्ण भूमि कहते हैं (सुवर्ण भूमि से मलय तथा सर्वापवर्ती सारे द्वीप समूह का बोध होता था) उस द्वीप के लेखों में भी विजय राज्य की चर्चा की गई है। मारे अभिलेख संस्कृत में लिखे गए हैं और लिपि के विचार से पाँचवीं सदी की उत्तर भारतीय लिपि से मिलते हैं। लेखों में वर्णन आता है कि श्री विजय नाम का स्थान संस्कृत विद्या का केन्द्र हो गया था। उसी में श्रीविजय के शासक के पराक्रम और वैदेशिक नीति की भी चर्चा है। दो संस्कृत लेखों में एक बौद्ध राजा जयसिंह का विवरण करता है।

मलय के संस्कृत लेख भी बृद्ध धर्म के प्रचार का वर्णन करते हैं। सभी संस्कृत लेख पाँचवीं सदी की गुप्त-लिपि में अकित है। इससे प्रमाणित हो जाता है कि पाँचवीं सदी तक मलय में भारतीयों का उपनिषदेश स्थानित हो गया था। प्रयाग स्तम्भ लेल में समुद्रगुप्त द्वारा समटट के भू-भाग पर अधिकार करने का वर्णन है। वहाँ के प्रसिद्ध बन्दरगाह ताप्रिलिसि (वर्तमान तामलुक) से भारत वासी मलय पहुँचे और उपनिषदेश बनाकर लेख खुदवाया होगा। एक लेख में वर्णन है कि कर्ण सुवर्ण में (उत्तरी बगान) बुधगुप्त नामक नाविक मलय प्रायद्वीप में गया था। मलय के समस्त संस्कृत लेख गिलाखण्ड या स्तम्भ पर अकित है। एक में "महानाविक बुधगुप्तस्य रक्तमूतिका वास्तकस्य" (कर्णसुवर्ण = रक्तमूतिका का निवासी नाविक बुधगुप्त का—ज० ए० सो० व० ९४ प० ७१) का उल्लेख है। सुवर्णभूमि के लेख तथा प्रतिमाएं ब्राह्मण धर्म तथा दर्शन के विस्तार का ज्ञान कराती है। लेखों के लिखने की काव्यमय शैली यह धोखित करती है कि वहाँ के निवासी भारतीय साहित्य से परिचित थे। नालंदा का एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् धर्मपाल भी आठवीं सदी में सुवर्णभूमि गया था। हिन्दू धर्म तथा महायान का विशेष प्रचार था और भारतीय परम्परा तथा सांस्कृतिक विचारधारा का प्रवाह भलीभांति हो गया था।

दक्षिण पूर्व एशिया में उपनिषदेश स्थापित हो जाने पर भारतीय सामाजिक रीति-रिवाज का प्रचार हुआ। स्वभावत, उन द्वीप समूहों में हिन्दू धर्म व साहित्य की ओर लोगों का ध्यान

गया। जावा में बौद्ध तथा हिन्दू धर्म का जान वहाँ के लेखों के अनुग्रीलने जावा के अभिलेख से होता है जो संस्कृत में लिखे गये थे। संस्कृत का विशेष प्रभाव जावा पर दिखलाई पड़ता है। दूसरी गदी में भी भारतीय जावा में जाते रहे। काहियान ने हिन्दू धर्म के प्रचार का विशद् वर्णन किया है। पाठबो सदी से वहाँ लेख भी अंकित हुए जिनको भाषा संस्कृत है तथा उत्तरी भारत की लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे। संस्कृत लेख छद्मवद्ध, काव्यशाली में लिखे गए थे। जावा के प्राचीन "कवि भाषा" में भी गमायण तथा महाभारत से सम्बन्धित काव्य मिलते हैं, जो कालिदास के काव्य से प्रेरित हुए हैं।

जावा के लेखों में ब्राह्मण तथा बौद्ध धर्म का वर्णन है। उनमें महायान तथा वज्रयान मतों का विवरण मिलता है। एक लेख के चार पक्षितयों में बौद्धधर्म का प्रतिष्ठित पद उल्लिखित है।

ये घम्मा हेतु प्रभवा

तेपाम् हेतु तभागतो द्यवदत्

अवदत न यो निरोध,

एव बादी महाश्रमण।

ब्राह्मण धर्म के लेखों में महादान का वर्णन आता है। एक स्पान १८ तार्गत दाग गशत सहन दान करने का उल्लेख है [पांडुष महादान का विवरण भारतीय अभिलेखों में मिलता है। तुलापुरुषदान के साथ सहन गाय दान को भी महादान कहते हैं] दूसरे लेखों में विष्णुपद की पूजा की चर्चा की गई है। जावा के राजा पूर्ण वर्मन के राज्य दान में संस्कृत साहित्य का व्यवधान होता था। उसके निम्न लिखित लेख में भारतीय तिथि तथा वर्ष का उल्लेख मिलता है।

श्री मान्दाता कृतज्ञो नरपतिरसयो पु—यशातारुमाया

नाम्ना श्री पूर्णवर्मा प्रचुर = रिष्य-शाराभेद्य विरुद्धान वर्मा

(यज्ञवर्ती-इण्डिया एण्ड जावा पृ० २५)

नरेन्द्र-घञ्ज-भूतेन श्रीमता पूर्णवर्मणा

प्रारम्भ फारगुन मासिरुप्याता कृष्णाष्टमी निषो

चंत्र शुक्ल त्रयोदश्याम् दिन सिद्धकविज्ञके ।

X

X

X

ब्राह्मणीगोसहयेण प्रयाति कृत दक्षिण

[बोजेन्द्र—दि एरलोयस्ट इन्स्कूल्यान्स आफ जावा पृ० ३२]

जावा के शैलेन्द्र वंश का इतिहास अभिलेखों में हो सुरक्षित है। इस वंश के राजा न जावा, सुमात्रा तथा मलय पर अंधकार कर लिया था। आठवीं शताब्दी के सिंगोर लेख में बौद्ध धर्म सम्बन्धी देवी देवताओं का उल्लेख यह बतलाता है कि भारतीय अभिलेखों शैलेन्द्र वंशी राजा बौद्ध थे। उन लोगों ने तीन बौद्ध मदिरों का निर्माण किया, तारा की प्रतिमा स्थापित की और संधि के लिए कई ग्राम दान में दिये। कलसन के लेख में इस तरह के दान का विवरण प्राप्त हुआ है। उस वंश के प्रतिष्ठित राजा बालपुत्रदेव ने नालंदा

(विहार प्रदेश) में दो विहार बनवाया और उसके रक्षण तथा संस्कार के लिए बंगाल के पालबंशी राजा देवपाल देव से पाच ग्रामदान देने के लिए निवेदन किया था । (नालंदा ताम्रपत्र लेख) देवपाल ने उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और स्वयं बोढ़ होने के कारण पटना तथा गधा जिले के पाच गाँव को विहार के निमित्त दान दिया था । उनके नाम नन्दीवनाक, मणिवाटक, नाटिका, हस्तियाम तथा पालामक-मिलते हैं (ए० इ० भा० १७ प० ३१०) इसी प्रकार द्वा वर्षों बीचप्राप्ति में भी पाच गाँव जाता है । लोडेन में इक्कीस ताम्रपत्र मुरीश्वित है जिनका अधिक अया सस्कृत में लिखा है तथा कुछ अया तामिल में । सस्कृत अया में वर्णित है कि जावा के शैलेन्द्र वश के राजा मार विजयों तुगवर्मन ने नामपट्टन में (आञ्चलिक) विहार तैयार किया था और उसके व्यय निमित्त राजराजा राजकेशवीं वर्मन ने संघ को प्राम दान किया । राजेन्द्रचोल ने उस अव्याहार की प्रतिष्ठा के लिए ताम्रपत्र बुद्धाया था । इस तरह पता लगता है कि आठवीं सदी से ११ वीं सदी तक शैलेन्द्र वंश (जावा के शासक) राजा भारतीय नरेश में सीहार्डिंग व्यवहार रखते रहे । बंगाल के पाल राजा देवपालदेव तथा राजराजा ने उनकी प्रतिष्ठा को स्थायी रखने के लिए ग्राम दान किया था । जावा के निम्नलिखित शिलालेख के लघ्यपत्र में पता चलता है कि भारत तथा जावा में दान का समान उद्देश्य था पूजा के लिए भूमि दान में दो गयों था । इसके अनिवार्य यज्ञ तथा घार्मिक ग्रबो के अव्ययन निमित्त व्यय किया जाता था । भारतीय दान शैली के सदृश दानपत्र उत्कीर्ण है । पूर्वी जावा के एक शिलालेख (७६० ई०) में अगस्त उत्तरी को प्रस्तुर की प्रतिमा स्थापित करने का विवरण पाया जाता है । अगस्त उत्तरी की प्रस्तुर उत्तर भारत से दक्षिण होकर स्थान जावा पहुंच गई थी । इनकिंग लेख में पापाण मूर्ति की स्थापना का वर्णन किया गया है ।

आज्ञायक शिल्पिनमर म च दीर्घिदर्शी कृष्णाद् भूतोपसमयी नृपति चकार ।

राजागमतः शकाद्वे नयन वसुरमे मार्गीयै च मासे

आद्रस्ये दुक्कारं प्रतिपद दिवसं पश्चत्सधी द्वये ।

पृत्विभि वेदविद्वि यतिवर सहिते स्थापकाचै सभीम्

क्षेत्र गाव सुपूष्णा महिप गणयुता दासदासी पुरोगा

दना राजा महाप्रवर चरु हविस्सन त सम्बर्धनादि

वद्या नृपम्य र्घुचता यद्यवदात्तवृद्धी आस्तिक्षुद्ध मतय पूजा,

दानाग्नपूज्य यज्ञनाद्ध यथनादिशीला रक्षन्तु राज्य (मखिल) नृपति यथेवम् ।

राजेन्द्र चाल से प्रेम पूर्ण अव्यवहार स्थायी न रह सका और शैलेन्द्र नरेश और चोल राजेन्द्र चाल से अव्यवहार की सस्कृत प्रशास्ति में इस युद्ध का विवरण पाया जाता है (मा० १० इ० भा० ३० हि० ३ प० ३८३) । बगलोर के बेलूर मंदिर के लोटपान में राजेन्द्र है (मा० १० इ० भा० ३० हि० ३ प० ३८३) । बगलोर के बेलूर मंदिर के लोटपान में राजेन्द्र है (मा० १० इ० भा० ३० हि० ३ प० ३८४-५२) । तजोर चाल के समुद्र पर विजय का वर्णन मिलता है (इ० कर० भा० ३ प० १४८-५२) । तजोर चाल के लेख (१०३० ई०) में वर्णित है कि राजेन्द्रचोल का जहाजी वेदा सुमात्रा के पूर्वी भाग, मलय लेख (१०३० ई०) में वर्णित है कि राजेन्द्रचोल का जहाजी वेदा सुमात्रा के पूर्वी भाग, मलय का भाग तथा थी विजय पर अधिकार कर लिया था । लोडेन के छोटे लेखों में शैलेन्द्र वश का भाग तथा थी विजय पर अधिकार कर लिया था । लोडेन में शैलेन्द्र वश का भाग तथा सुमात्रा पर अधिकार का वर्णन मिल गया है । इसकी सदी का इनिहास और जावा, मलय तथा सुमात्रा पर अधिकार का वर्णन मिल गया है । नागल के एक शिलालेख में (चागल तथा केइ) वहाँ के शासकों के नाम उल्लिखित हैं । नागल के एक शिलालेख में हिन्दू देवता शिव, ब्रह्मा, विष्णु की प्रार्थना बारह श्लोकों में को गई है । यह

निश्चित कहना कठिन है कि कलिङ्ग या आध्र देश से भारतीय जावा में जाकर उपनिवेश स्थापित किए परन्तु मध्य तथा पूर्वी जावा के ताम्रपत्रों से पता लगता है कि अगस्त कृषि के नाम पर मध्य जावा में एक मदिर निर्मित हुआ था। इस प्रकार दक्षिण भारत में प्रचलित अगस्त्य की जन श्रुति का प्रसार जावा में हो गया था। चागल के लेख में अगस्त्य के पूजा का वर्णन आता है। लेखों के आधार पर यह कहा जा सकता है सजय ने दक्षिण भारत से अगस्त्य पूजा की जावा में फैलाया। पूर्वी जावा के संस्कृत लेखों से शैव मत के प्रसार का परिचान होता है। मध्य जावा के कलसन लेख में (ई० स० ७७८) भारतीय दानपत्रों के सदृश पद्म अकित है जिनमें दान भूमि की प्रतिष्ठा तथा आदर का विवरण प्रस्तुत किया गया है। दान कर्ता के उत्तराधिकारी के लिए दान का रक्षण आवश्यक था अन्यथा वे नरकगामी होते थे।

सबनिवा गामिन पाथिवेन्द्रान्

भूयो भूयो याचते राजसिंह

सामान्योयन्धर्म सेतु नराणा

काले काले पालनीयो भवद्विरु (कलसन लेख)

ये बान्धवा नृपमुता च समन्वित मुम्पा

दत्ती नृपम्य यदि ते प्रतिकूलचितो

नास्तिक्य दोप कुटिला नरके पतेयु

न अमृत चनेह च गर्ति परालभते। (दिनय शिळालेख)

ऐसे भारतीय धर्मशलोकों का समावेश अन्यत्र भी हुआ। चम्पा के सम्बन्ध में उल्लेख करना अनुनित न होगा।

ये रक्षन्ति रमन्त्येते । स्वर्गेमुरगुणैस्सदा ।

ये हरन्ति पतन्त्येते नरके वा कुले सह ।

भारत के प्राचीन साहित्य तथा अभिलेखों में सुवर्ण भूमि से मलाया तथा बर्मा का वोष होता है। महावेद में सोम द्वारा उपनिवेश स्थापित करने का वर्णन आया है। बर्मा के लेख

बर्मा तथा मलाया तथा मलाया की प्रशस्तिया जीवी तथा पौचबी सदी के संस्कृत में

लिखी गई जिनमें भारतीय लेखों के सदृश दान का वर्णन किय गया

के संस्कृत लेख है। बर्मा के लेख बौद्ध धर्म से सम्बन्धित होने के कारण “योधम्मा हेतु प्रभवा” के मत्र से प्रारम्भ होते हैं।

बोनियो म जीवी सदी से ही उपनिवेश स्थापित हो गया था और भारतीय संस्कृति का विस्तार गुप्तयुग में वहाँ हुआ। बोनियो के अभिलेख इसके प्रमाण हैं और संस्कृत लेख मूर्तियों

के आधारशिला (पीठ) अथवा स्तम्भ (यूप) पर खोदे गए थे।

बोनिया तथा एक यूप प्रशस्ति में मूलवर्मन राजा के धार्मिक कार्यों का वर्णन मिलता

बालि के लेख है। लेख में यज्ञ तथा कल्पवृक्ष के महादान का विवरण है। लेख निम्न प्रकार है —

श्री मूलवर्मा राजेन्द्रो यष्ट्वा वहु सुवर्णकम् ।

तस्य यज्ञस्य यूपोऽयम् द्विजेन्द्रस्यम्प्रकल्पित ।

दार्चन पुष्यतमे क्षेत्रे यद्यत्तम् प्रकेशवरे
दिजातिभ्योग्निकल्पेभ्य, विद्युतिङ्गो सहस्रिकम्

(ज० रा० ए० स०० मा० १ प० ३८)

बालि एक ऐसा द्वीप है जहाँ आज भी भारतीय संस्कृति की लहर बहती है। वहाँ से भी संस्कृत भाषा में लेख उपलब्ध हुए हैं। उनमें राजा चर्मादिमन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। दमदी सदी के लेखों में वहाँ का इतिहास तथा भारतीय संस्कृति की जच्चा सुरक्षित है।

हिन्दू-चीन के विभिन्न प्रदेशों से—अनाम, कम्बोडिया आदि स्थान से—जितने लेख प्राप्त हुए हैं उन सब की भाषा संस्कृत है। चम्पा (अनाम) की प्रशस्तियों के अध्ययन यह बतलाता है कि संस्कृत वहाँ की राजभाषा थी और सब लेख आ़ही में लिखे गए थे। सम्भवत तासरी सदी से वहाँ संस्कृत भाषा और आ़ही में लेख मिलते हैं। भारतीय धर्म तथा साहित्य के प्रचार में संस्कृत का ही सहारा था और इस की प्रधानता ही गई। उन लेखों की सहायता से अनाम में प्रचलित साहित्य (रामायण तथा महाभारत) तथा हिन्दू देवी

देवताओं की पूजा का ज्ञान हो जाता है। शिव तथा विष्णु के पूजा का विवरण मिलता है। चम्पा के अन्य लेखों में शिव (ब्रह्मा विष्णु त महेश) का नाम आता है। एक संस्कृत लेख इनकी प्रार्थना से प्रारम्भ होता है—नमो महेश्वरम् उमाश्च प्रति ब्राह्मणा विष्णुमेव च नमो (मजूमदार—चम्पा ३ प० ४)

चम्पा के शासक विक्रान्त वर्मा का ६५३ शक (= १० स० ७३१) का लेख भी ऐसी ही स्तुति से आरम्भ किया गया है।

जयति जित मनोजो ब्रह्मविष्णुवादि देव
प्रणतपद-युगाङ्गो निष्कलौज्यष्ट मूर्ति
त्रिभुवनहित हेतु र्स्वं संकल्पहारी
पर पश्य इह श्री शानदेवोज्यत्राधः

सब से विचित्र बात यह है कि चम्पा के चौथी सदी के एक शिलालेख में (चो दिन—cho-dinh) मनुष्य-बलि का वर्णन किया गया है। महाराज भद्रवर्मन ने ऐसा कहा कि मैं तुम्हें अग्नि को समर्पित करूँगा (लेख न० २) उस भावना के साथ एक दास को यूप से वृथिने का विवरण मिलता है। सम्भवत इस दग को बलि का क्रम प्राचीन भारत से अनुकरण किया गया होगा जिसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण (१३, ६, १, २) आपस्तम्ब (२०, २४, २) तथा कात्यायन (२१, १) सूत्रों में मिलता है [मजूमदार-चम्पा न० २' ३] वहाँ के निवासी चाम जाति के लेखों में भारतीय दार्शनिक विचार का उल्लेख किया गया है। दक्षिणी अनाम के एक संस्कृत लेख में मारवंशी राजा के उत्तराधिकारी नरेश के कार्यों की जच्चा छद्मद श्लोकों में की गई है।

श्री मार राजकुलवंश विभूषणेन
श्री मार लोक नृपते कुल नन्दनेन

२२२ : प्राचीन भारतीय अभिलेख

आज्ञापित स्वजन सज्जन संघ मध्ये
वाक्य प्रजाहितकर करिणोमि: वरेण (ज० ग्र० इ० स०० ६ प० ५७)

बस्या के गद्दसन लेखमें तथा जावा के शिला लेख में छठे भागकर ग्रहण करने का विवरण पाया जाता है।

बस्या के दूसरे राजा इश्वरमी प्रथम (३९६ ई०) ने शिव प्रतिमा की स्थापना की जिनका नाम भद्रेश्वरस्वामी रखा गया। उस शासक ने भावान् निव के किए स्थायी रूप से (अनुधनातो) भूमि दान में दी। उस भाग से पैदावार का छठ भाग जो राजकीय कर के रूप लिया गया था उस बटा कर दरार्ह भाग कर दिया गया।

“भूमि दत्ता जनपद मध्यादि पद्भागेवि अस्माकं
स्वामिना दशभागनानुगृहोता दवस्य देय इति [वही]

उम्म लेख के अध्ययन से स्पष्ट पता चलता है कि भारतीय दान पत्रों में शैली में चम्पा के दान देय उच्चीर्ण किए गए थे। राजवरा वर्णन ह बात इन्हें दान का वर्णन है। अतः न धर्मार्थीक भी उच्चीर्ण हो को भारतीय दान पत्रों “पत्र” ग्रन्तीय दान पत्रों प्रसिद्ध शब्द है उद्धरण अप्राप्तिगत न होगा—

पद्म तर्प महानि स्वर्गे योद्वात भूमिद आक्षेत्रा चानुमना न तान्येव मर्ते वर्गेदति ।
तर्म्म मगवते सकल लोकहित कारणाय थोऽदमद्रेश्वरा

ये दधिति स भगवान् श्रीमान्देश्वरमि जयकोङ्कागारे
गिव यज्ञेवद्रुघ निविशिष्ठा गिरि प्रदेश मन्त्रय्

शुद्धेन मन्त्रेण दत्तवानिति ।

इद्वद्भद्रेश्वरस्येव सर्वद्रव्यं महीतते

य ग्राहन्ति रथस्या ते स्वर्गे सुरगुणीमगदा

लुभेत मनसा द्रव्यं यो हरेत् परमेश्वरात्

नरकात् न पुनर्मन्त्रेन न विरन्तु न शीदति । (बस्या के लेख)

इसी बस्या लेख का दूसरे यातपत्र (८०१ ई०) में अवगत (कोप, कोष्ठायार, दासनासी, को मै, आदि शब्दों का दानपत्र ; तथा ये वर्णन का ऐना गुह्यदर ग्रन्ति भल्ला है जैसे कोई गठिता न या न की जाए) तात्रपत्र का अवकृण्ण है। पर्मश्वरीक एवं सात कर गवा में उल्लिखित ! ये ग्रन्ति नहीं हैं—

य तेन्तु रथगुण्या स्वपृथ्यपरिरक्षार्थं ते तानि सर्वाणि

लक्ष्य दार्शदूषा भवतु सर्वे कुल भरताने स्वर्गे

वसन्तु—य तेन्तु पापपृष्टा नरक निर्भया

ताना द्रव्याणि या हरन्ति नाश्यन्ति तेष्यत्वागुपा

वस्तु नरके पतन्तु, सर्वे सप्तमकुले याकृत्

मूर्या चन्द्रमसौ ग्रहनक्षत्र तारा गणस्तन्ति

तावत् नरके वसन्तस्म ।

कम्बोज (कम्पोडिया) के संस्कृत लेखों में पर्याप्त विद्यों पर प्रकाश पड़ता है। उन प्रश्नस्थितियों में दान का विवरण के साथ दानशाही ब्राह्मणों के विवा तथा ज्ञान वा वर्णन मिलता है। उनमें वेद वेदाग्रं में पारदान ब्राह्मणों का उल्लेख है। रामायण तथा महाभारत का पठन पाठन भी ब्राह्मण द्वारा है। हिन्दू गान्धों के साथ बौद्धवर्म ग्रंथों का भी उल्लेख ज्ञान या। अभिलेखों में इस दान पर बहु दिवा कि राजा या मंत्री गण धर्म शासन वा पूर्ण रूप से अध्ययन करें। ९ वीं शताब्दी के कम्पोडिया की प्रश्नस्थितियों में भारतवाय प्रदूषण का नाम (व्याग, नीमासा, सारूप्य, योग, वैशाखीपक तथा वेदाना) प्रथमपृष्ठक मिलता है। कम्पोज के निराम ८ टकी तथा १०वीं सदियों में संस्कृत भी अभियृत्ति हुई और अधिक मस्त्रण में संस्कृत ज्ञान भी घोंटे द्वाग ये (मञ्जुमदार—हिन्दू-कालोनोज द्वारा ईंट पृ० १८२) संस्कृत के लेखों का विवेचन यह स्पष्टतया अतिराता है कि कम्पोडिया में लद तथा अल्कार पास्त्र वा शान एवं तो को पूर्ण शीति से था, “नीमित्त लेख भारतीय वाय्यमय शेली में लिखे गए। उसमें दार्शनिक विवाच तथा पीराणिया आव्याप्ता ११ विवर द्वारा नम पाया जाता है। एक लेख में वर्द्धाङ्ग तरेण व्यावर्मनं हारा यज्ञवाग् १२ विवाच टृष्णं पार गतेण + विसर्वं पाणिनं अष्टव्यागं संहस्राची वात हिस्ती है। हाँ ते तीम भरी न तनु न १३ विवाच के विनीह उद्धृत रिति गता है। व्यावर्मन के लेख से ना शाट्ट नाश्च एवं वर्तुवमय व रत्नवन्ध नाम्यता। नवाँ वीं गई है १४। वार अभियृतों का अध्ययन संस्कृत को उन्नत व्याप्त्या तथा पूर्ण काव्यमय शैली का परिचय दियता है।

ज्ञान तक अर्थात् निष्ठों का प्रदेश है, एवाहिता के लेखों में सामिन् लिया जाया विद्यमो ह। विवेचन प्रक्रिया है। देवहस्ती वीं पूजा तथा गर्जनिक एवं दृष्टि का ना लियरण। दान का वर्णन ने गायारण पटना है। मनुका जीवन के गृह रहस्य तथा बाहरी धार्मिक कलाओं का विवेचन लिया है। सम्बाद ही अनित्यता, मुक्ति, व्रत ये विविह दोनों, तप, दान, धार्मिक वानों द्वारा का। सन्दर शब्दों में कों चर्ची है (मञ्जुमदार-कम्पोज इग्न-क्रियान्वयन) तदी सदों के शास्त्रों ज्ञानाम ने जपते समकालीन शकर के निनार तथा वासिक भावना का लेख लिया ह। कम्पोज के लेखों में एक विविच्चन इकलूप मिलता है ज्ञानसे बाहर-स्थापना वीं गते दिसी है। कम्पोडिया के संस्कृत लेख यह यह यत्नाते हैं कि नगरक तथा इजा वर्षा जात्रम आव्याप्ति ये अधिकान्य रखते हैं। ज्ञानवर्मन ने अकेले सौ आव्याप्तों की स्थापना की जो व्याप्त विवरण तथा ग्रन्थ के लिए उत्तराकृत समझे गये। इस कारण इन तीन स्थापना के साथ दान भा दिशा गया जिसका अन्यान्य मूल्दर वर्णन अभिलेखों में किया गया है। इन प्रश्नस्थितियों का अध्ययन भारतीय संस्कृति के प्रचार का ज्ञान तथा उसके बाहक संस्कृत लेखों के महत्व की आमतकी कहता है। कठोरों का तात्पर्य यह है कि हिंदू चौर के संस्कृत अभिलेख बृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति के प्रसार है परिनायक है। तथा गारु से सदियों तक उन प्रदेशों के सम्बन्ध को बतानी है।

दक्षिण पूर्व एशिया के प्रतिरक्षन उत्तर पर्वतम के मार्ग से भी भारतीय नम्भुति तथा गन्धर मध्य एशिया तक हुआ। अफगानिस्तान तो मर्नीय मीमा नेपाल, तिब्बत तथा गया समय या इसलिए वहाँ का प्रभाव स्वातंत्रिक है। मध्य मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रचार व्यापारियों द्वारा हुआ। वहाँ भारतीय उपनिवेश स्वापित हुए। चीनी यात्रियों के विवरण से

पता चलता है कि भारतीय धर्म का प्रसार का वहा संघ कायम किए गए। उन विहारों में बौद्ध-भिक्षु रहते तथा भारतीय साहित्य का अध्ययन करते थे। मध्य एशिया के भोजपत्रों पर जो कुछ लिखा जाता था वह खोरोष्टी तथा प्राचीन भाषा में। उस मह मूमि में लेख नहीं मिलते किन्तु तरीम धाटी से प्राप्त गुहा चित्र, विहार के भग्नावशेष से भारतीय संस्कृत का मूल्य आका जा सकता है।

नेपाल का भारत से घनिष्ठ सम्बन्ध सदा से रहा है। भारतीय शासक वहा राज्य करते रहे हैं। मौर्य शासन वहा विस्तृत था। गुप्त सम्राट् समुद्र गुप्त ने नेपाल पर अधिकार कर लिया था। तीसरी सदी से लिङ्छी लोगों का नेपाल में शासन या जिनके लेख संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी में मिले हैं। चागूनारायण का स्तम्भ लेख इसका जबलन्त उदाहरण है। इसकी भाषा संस्कृत है तथा चौथों पाँचवीं सदी की ब्राह्मी में लिखा गया है। इसमें भारतीय सम्बन्ध तथा मास तिथि का उल्लेख है (३० ए० भा० ९ प० १६३)।

सातवीं सदी के पश्चात् तिब्बत का इतिहास हर्म जात है। नेपाल से ही वहा भारतीय संस्कृत, धर्म आदि का (वज्रयान का) प्रसार हुआ, जिस के सम्बन्ध न भारतीय साहित्य वहा क्षण। तिब्बत लिपि-गुप्त लिपि से ही निकली है जो मैयिंगी के अधिक समीप है। (५० इ० भा० ११ प० २६७)

वृहत्तर भारत की चर्चा समाप्त करने से पूर्व भारतीय लेखों के आधार पर यह विवरण उपस्थित किया जा सकता है कि प्राचीन समय में विदेशियों का क्रमशः भारतीय करण हो गया। बाहर की जातियों ने विभिन्न धर्म तथा परिस्थिति को लेकर विदेशियों का भारतीय भारत में प्रवेश किया। कालान्तर में उन्होंने भारतीयता को अपनाया। इसी पूर्व सदियों में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। विदिसा (मालवा) के समोप यूनानों द्वात हेलियोदोरस का जो स्तम्भ लेख मिला है उसमें यूनानी द्वात हेलियोदोरस भागवत शब्द से विभूषित है। इससे पता चलता है कि वह वैष्णव मतानुयायी हो गया था। इसलिए विष्णु मंदिर के सम्मुख गरुड घट घट स्थापित किया। इतना ही नहीं अपलदतस तथा पंतलेव नामक यूनानों शासक भारतीय धर्म से प्रभावित हुए थे। इसी सन् के आरम्भ में शक राजा बीमकदिकु भी शैव हो गया और भगवान् शिव की मृति को अपने सिक्को पर स्थान दिया था। वह अपने को 'महीश्वरस्य' भी कहता था। कुपाण नरेण के सामत भी पश्चिमी भारत में भारतीय संस्कृति के अनुगामी हो गये और वैदिक कर्मकाण्ड को अपनाया था। नासिक के लेख में नहपान के जमाता वृष्ट्यभद्र ने ब्राह्मणों को ग्राम दान दिया तथा नदियों के घाट को पुण्यतर (नि शुल्क) कर दिया। उस लेख में इस बात का उल्लेख किया है कि ब्राह्मणों के कन्या दान का सारा व्यय वृष्ट्यभद्र ने दिया था। भारतीय संस्कृति में इसे एक महादान मानते थे तथा ब्राह्मण कन्या के विवाह के लिए व्रद्धयान करना अत्यन्त पुण्य समझा जाता था। पश्च पुराण में वर्णन आता है कि ऐसे कार्य से स्वर्ग की प्राप्त होती थी (ब्रह्माकण्डब्रह्माय २४)

सालक्कार द्विज श्रेष्ठ कन्या यज्ञति यो नरः
स_ गच्छेत् ब्रह्म सदन पुनर्जन्मनम् न विद्यते ।

भारतीय अभिलेख तथा बृहत्तर भारत : २२५

विदेशी शक लोगों ने सीधियन नाम छोड़कर भारतीय नामों को अपनाया। घस-मोटिक के वशज रुद्रसिंह कहलाए तथा वीर के उत्तरायिकारी वामुदेव के नाम से विश्वात हुए। खरोष्टी तथा प्राकृत के स्थान पर ब्राह्मी एवं सस्कृत को क्रमशः स्थान दिया गया। अतएव संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि विभिन्न भारतीय लङ्घों का अध्ययन यह सूचित करता है कि विदेशियों ने किस प्रकार भारतीय संस्कृति को अपनाया।

इस सम्बन्ध में भागवत का इलोक प्रस्तुत है कि विदेशी जातियाँ वैष्णव धर्म में दीक्षित हो गईं।

किरात-हृणाघ-पुलिद-पुलकसा-आभीर-कङ्का यवना खण्डय

येऽन्ये च पापा यदुपात्रमा शुद्धति तस्मै प्रभविष्णवं नम

(भागवत, स्कन्ध २, अध्याय ४, इलोक १८)